बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग

138

प्रतिवेदन



बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग

मुख्य सचिवालय

पटना

बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग

आमुख

बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग अपने पैंतीसवें वर्ष में प्रवेश कर चुका हैं स्व० कर्पूरी ठाकुर के मुख्य मंत्रीत्व काल में कार्यपालक आदेश से जिस राज्य अल्पसंख्यक आयोग का गठन हुआ था, शनैः शनैः यह अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया है और आदरणीय श्री लालू प्रसाद की सरकार में तथा प्रो० जाबिर हुसैन के कार्यकाल में देश में सर्वप्रथम दोनों सदनों से पारित होकर तथा राज्यपाल की मंजूरी से बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1991 बनाया गया तथा देश का यह पहला राज्य है जो अल्पसंख्यक आयोग को कानूनी दर्जा दिया। अल्पसंख्यक समुदाय स्व० कर्पूरी ठाकुर एवं आदरणीय श्री लालू प्रसाद के इस कृत्त के लिए सदा आभारी रहेगा।

1995 से इस आयोग के संचालन का दायित्व आदरणीय श्री लालू प्रसाद पूर्व मुख्यमंत्री, बिहार द्वारा मेरे जैसे अदना इंसान के कमजोर कंधों पर दिया गया। इस विश्वास और एहसान के लिए मैं उनका हमेशा शुक्रगुजार रहूँगा। साथ ही मैंने भरसक प्रयास किया है कि प्रो० जाबिर हुसैन की वरासत को निरंतर आगे बढ़ाता रहूँ। मैंने उक्त अवधि में अपने सामर्थय के अनुरूप पूरी निष्ठा से भरसक प्रयास किया कि सरकार ने जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु इसका गठन किया है और अल्पसंख्यकों में खासकर बेसहारा, बेजुबान, दबे-कुचले लोगों की जो आशाएं इस आयोग तथा मुझसे अपेक्षित है उन पर खरा उतरूँ। मैंने शुरू से ही जमीनी कार्य को कागजी कार्य पर प्राथमिकता दी है, इसलिए जिलों का भ्रमण कर स्थल पर जाकर समस्याओं के समाधान तथा मजलूमों को इंसाफ दिलाने का प्रयास किया है जो कि इस प्रतिवेदन से भी स्पष्ट होगा।

माननीय मुख्यमंत्री, श्री नीतीश कुमार ने भी अल्पसंख्यकों को उनके आर्थिक, शैक्षणिक तथा विशिष्ट (अहम) समस्याओं के समाधान तथा पूर्ण सुरक्षा का विश्वास दिलाया है जिससे अल्पसंख्यक समुदाय को नई सरकार से आशाएँ हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि उनकी सरपरस्ती तथा श्री मंजर आलम, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की अगुआई में भी अल्पसंख्याकों के कल्याण एवं विकास की योजनाएँ तत्परता से चलाई जाती रहेगी। यह भी उल्लेखनीय है कि बिहार ही पहला राज्य है जहाँ अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का अलग से गठन किया गया है।

आयोग का आगे का रास्ता ज्यादा कठिन और चुनौतीपूर्ण है। हमें उम्मीद है कि सभी का सहयोग पूर्व की भाँति मिलता रहेगा।

प्रतिवेदन की पाण्डूलिपि की तैयारी में मेरे निजी कर्मियों मोहम्मद इसराइल उद्दीन तथा मोहम्मद रजी ईमाम एवं तौकीर किब्रिया के योगदान के लिए उन्हें धन्यवाद देता हूँ। खास तौर पर इस प्रतिवेदन का प्रारूप तैयार करने में मेरे आप्त सचिव, डा० मंसूर अहमद एजाजी, बि.प्र.से. द्वारा किया गया अथक कार्य प्रशंसनीय है।

साथ-साथ मैं आभारी हूँ उन तमाम व्यक्तियों, संस्थाओं तथा सरकारी विभागों/पदाधिकारियों का जिन्होंने आयोग की चुनौतियों को अपनी चुनौती समझा और उनके समाधान में बराबर के शरीक रहे।

वर्ष 1995 से 2003 तक का आयोग की यह रिपोर्ट प्रस्तुत है। हम आशा करते हैं कि इस प्रतिवेदन में की गई अनुशंसाओं को सरकार प्राथमिकता के आधार पर कार्यान्वित करेगी।

प्रतिवेदन की कतिपय खामियों के लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं।

(प्रो० सोहैल अहमद)
अध्यक्ष

विषय सूची

अध्याय	विषय	पृष्ठ
		(क)
1.	आमुख	01
2.	प्रस्तावना	05
3.	अल्पसंख्यक आयोग का गठन	09
4.	आयोग का सुदृढ़ीकरण	12
5.	विभिन्न विभागों को भेजी गई अनुशंसाएँ :-	
	(i) ग्रामीण विकास विभाग	13
	(ii) राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	16
	(iii) शिक्षा विभाग	18
	(iv) कल्याण विभाग	20
	(v) श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग	26
	(vi) उद्योग विभाग	28
	(vii) खाद्य एवं आपूर्त्ति विभाग	28
	(viii) नगर विकास विभाग	30
	(ix) स्वास्थ्य विभाग	30
	(x) सांस्थिक वित्त विभाग	31
	(xi) बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक प्रकाशन निगम	33
	(xii) गृह विभाग	37
	(xiii) चुनाव आयोग	38
	(xiv) कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग	39
	(xv) लोक उद्यम ब्यूरो	43
	(xvi) जनशिक्षा विभाग	43
	(xvii) लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	44
	(xviii) वन विभाग	44
	(xix) बिहार राज्य विद्युत बोर्ड	45
	(xx) भवन निर्माण विभाग	45
	(xxi) पथ निर्माण विभाग	46
	(xxii) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग	46
	(xxiii) ऊर्जा विभाग	49
	(xxiv) राजभाषा विभाग	49
	(xxv) बिहार शिक्षा परियोजना	50
	(xxvi) मुद्रण एवं लेखन सामग्री निदेशालय	51
	(xxvii) वित्त विभाग	51
	(xxviii) सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग	52

अध्याय	विषय	पृष्ठ
	(xxix) मुख्यमंत्री को की गई अनुशंसाएँ	54
6.	अल्पसंख्यक (मुस्लिम) की सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक स्थिति का सर्वेक्षण	56
7.	समाचार-पत्रों के कतरण के आधार पर की गई कार्रवाई	58
8.	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का सुदृढ़ीकरण	60
9.	जिला स्तरीय बैठकें एवं समीक्षा	64
10.	विविध आवेदन पत्र	66
	(i) अपहरण हल्या एवं बलात्कार	67
	(ii) सांप्रदायिक तनाव, दंगा एवं मुआवजा भुगतान	68
	(iii) धार्मिक स्थानों की सुरक्षा एवं घेराबंदी	69
	(iv) धार्मिक भावनाओं को आहत	72
	(v) शिक्षा से संबंधित समस्याएँ	74
	(vi) उग्रवादी घटनाएं	75
	(vii) अल्पसंख्यकों पर अत्याचार/ज्यादती	76
	(viii) नियुक्ति, सेवा एवं पेंशन संबंधी समस्याएँ	79
	(ix) इंदिरा आवास	82
11.	विभिन्न अल्पसंख्यक समुदायों की विशिष्ट समस्याएँ	83
	(i) बंगलाभाषी अल्पसंख्यक	84
	(ii) उड़ियाभाषी अल्पसंख्यक	85
	(iii) इसाई अल्पसंख्यक	85
	(iv) सिख/पंजाबीभाषी अल्पसंख्यक	86
	(v) बौद्ध अल्पसंख्यक	86
	(vi) जैन अल्पसंख्यक	87
12.	विविध अध्याय	88
	(i) अल्पसंख्यकों का अधिकार-दिवस	89
	(ii) अल्पसंख्यकों से संबंधित विशिष्ट व्यक्तियों का भ्रमण	89
	(iii) सेमिनार	90
13.	आयोग की अनुशंसाओं का सारांश	91
	परिशिष्टियों की सूची	100
	परिशिष्टियाँ	106

अध्याय - एक

प्रस्तावना

बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग

प्रस्तावना

आजाद भारत के संविधान निर्माताओं ने धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा का पूरा-पूरा ध्यान रखा। संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है कि "हम भारत के लोग, भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न समाजवादी, धर्म निरपेक्ष, लोकतन्त्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए, उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़संकल्प हो कर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवम्बर, 1949 ई० को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, नियमित और आत्म समर्पित करते है।"

इसी प्रस्तावना के उद्धेश्य की पूर्ति के लिए, धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों के अन्तर्गत निम्नांकित प्रावधान किए गए हैं।

मूल अधिकार

1. अनुच्छेद 15 के तहत धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिरोध किया गया है।
2. संविधान के अनुच्छेद-16 के तहत लोक नियोजन में धर्म, मूलवंश, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान, निवास के आधार पर कोई नागरिक न तो अयोग्य होगा और न तो उससे भेद किया जायेगा ।
3. अनुच्छेद-25 के तहत अंत:करण की स्वतंत्रता और धर्म अवाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है।
4. अनुच्छेद-26 के तहत धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता प्रदान की गई है।
5. अनुच्छेद-27 के तहत किसी भी व्यक्ति को ऐसा कर देने के लिए वाध्य नहीं किया जायेगा, जिसकी आय को किसी विशेष धर्म या धार्मिक सम्प्रदाय की वृद्धि के लिए व्यय किया जाता है।
6. अनुच्छेद-28 के तहत शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता प्रदान की गई है।
7. अनुच्छेद-29 के तहत अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति को बनाये रखने का अधिकार प्रदान किया गया है। साथ-साथ राज्य द्वारा पोषित अथवा राज्य निधि से सहायता पाने वाली किसी शिक्षण संस्था में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा अथवा उनमें से किसी एक के आधार पर वंचित नहीं रखा जा सकता है।
8. अनुच्छेद-30 के तहत धर्म या भाषा पर आधरित सभी अल्पसंख्यकों को अपनी रूचि के शिक्षा-संस्थानों की स्थापना तथा प्रशासनिक अधिकार दिया गया है। शिक्षा-संस्थाओं की सहायता देने में राज्य किसी विद्यालय के विरूद्ध इस आधार पर विभेद नहीं करेगा कि वह धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के संबंध में है ।

बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग

राज्य के नीति निर्देशक तत्व

1. अनुच्छेद-46 के तहत दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि करने और उनका समाजिक अन्याय से सुरक्षा करने का निदेश है।
2. नागरिकों के मूल कर्त्तव्य के अनुच्छेद-51 (क) के 5वें खंड में कहा गया है कि प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्त्तव्य होगा कि वह भारत के सभी लोगों में समरसता और समान मातृत्व की भावना का निर्माण करे जो धर्म, भाषा, प्रदेश दर वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करे या स्त्रियों के सम्मान के विरूद्ध है।

अन्य प्रावधान

1. अनुच्छेद-347 के तहत तद्विषयक मांग की जाने पर यदि राष्ट्रपति का समाधान हो जाए कि किसी राज्य के जनसमुदाय का पर्याप्त अनुपात चाहता है कि उसके द्वारा बोली जाने वाली भाषा राज्य द्वारा अभिज्ञात की जाय तो वह निर्देश दे सकेगा कि ऐसी भाषा को राज्य में, उसके किसी भाग में ऐसे प्रयोजन के लिए जैसा कि वह उल्लिखित करें, राजकीय अभिज्ञा दी जाय ।

2. अनुच्छेद-350 के तहत किसी व्यथा के निवारण के लिए संघ या राज्य के किसी पदाधिकारी या प्राधिकार को यथोचित संघ में या राज्य में प्रयोग होने वाली किसी भाषा में अभिवेदन देने का प्रत्येक व्यक्ति को हक होगा।

3. अनुच्छेद-350 (क) के तहत प्रत्येक राज्य और राज्य के अन्दर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी का यह प्रयास होगा कि भाषाजात अल्पसंख्यक वर्गों के बच्चों के प्राथमिक प्रकरण में मातृभाषा में शिक्षा देने के लिए पर्याप्त सुविधा उपबंधित की जाए और राष्ट्रपति किसी राज्य को ऐसा निर्देश दे सकेगा जिसकी वे ऐसी सुविधाओं की उपलब्धि सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक या उचित समझते हैं।

अनुच्छेद-350 (ख) के तहत भाषाजात अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रपति द्वारा एक विशेष पदाधिकारी नियुक्त करने का प्रावधान है।

इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय स्तर पर भी अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए निम्नांकित स्तर पर सहमति प्रदान की गई है :-

1. राज्य के शिक्षा मंत्रियों का सम्मेलन 1949 :- इस सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया था कि प्राथमिक विद्यालयों में 40 से अधिक ऐसे विद्यार्थी हो जिन की मातृभाषा राज्य की भाषा से अलग हो, उक्त विद्यालय में उन छात्रों की मातृभाषा की पढ़ाई के लिए एक शिक्षक नियुक्त किया जायेगा। इसी प्रकार उच्च-विद्यालयों में भी मातृभाषा की पढ़ाई के लिए प्रावधान किया गया । (परि० 1)
2. भारत सरकार का 1956 का संकल्प:- मुख्य मंत्रियों की राय से भारत सरकार ने 1956 ई० में एक संकल्प तैयार किया जिसे संसद के दोनों सदनों में पटल पर रखा गया तथा इसे सभी राज्यों को भी भेजा गया। उक्त संकल्प में अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए 21 सूत्री कार्यक्रम सुझाये गये थे। (परि० 2)
3. भाषा के लिए 1958 की विज्ञप्ति :- अंजुमन तरक्की-ए-उर्दू के अभ्यावेदन पर 1958 में भारत सरकार ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की, जिसमें उर्दू भाषा की स्थति को स्पष्ट किया गया तथा उर्दू भाषी बहुल क्षेत्रों में उक्त भाषा-भाषियों को लाभ पहुँचाने के लिए सरकार द्वारा 8 सूत्री घोषणा की गयी । (परि० 3)
4. दक्षिण क्षेत्रीय परिषद का निर्णय 1959 :- उक्त बैठक में भी अल्पसंख्यकों के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए गये, जिनका समावेश 1961 के मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में किया गया। (परि० 4)

5. मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन 1961:- इस सम्मेलन में वर्ष 1956 के केन्द्र सरकार के संकल्प का अनुमोदन किया गया। इसके अतिरिक्त अल्पसंख्यक भाषा भाषियों के हितों की सुरक्षा के लिए बेहतर प्रावधान किये गये। (परि० 5)

6. क्षेत्रीय परिषद् के उपाध्यक्षों की समिति की बैठक 1961 :- इस बैठक में भाषाई अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा के लिए अभिकरण स्थापित करने के संबंध में आवश्यक निर्णय लिये गये। (परि० 6)

7. इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय एकता समिति द्वारा भी अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए बहुत से निर्णय लिये गये।

उपरोक्त सभी उद्देश्यों की पूर्त्ति के लिए तथा धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकारों एवं हितों की रक्षा के लिए राज्य सरकार ने 26 अप्रील 1971 को एक धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया। जिसका नाम कालांतर में बदल कर बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग रखा गया जिसका विस्तृत उल्लेख अल्पसंख्यक आयोग के गठन संबंधी अध्याय में आयेगा।

सत्यमेव जयते

अध्याय - दो

अल्पसंख्यक आयोग का गठन

अल्पसंख्यक आयोग का गठन

राज्य सरकार ने अपनी अधिसूचना संख्या-5742/सी दिनांक 26.4.71 द्वारा धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यक आयोग के गठन का आदेश निर्गत किया जिसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री तथा सदस्य सचिव लोक शिकायत आयुक्त श्री एम० आलम को बनाया गया। अधिसूचना के संकल्प में यह कहा गया कि भारतीय संविधान में सभी नागरिकों को चाहे वे किसी धर्म या सम्प्रदाय के हो समान मौलिक अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद-15 में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि राज्य किसी नागरिक के प्रति धर्म, जाति, जन्मस्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं बरतेगा। उसी तरह अनुच्छेद-16 में यह उपबंध है कि कोई नागरिक धर्म, जाति, जन्मस्थान आदि के आधार पर राज्य के अन्तर्गत किसी भी नियुक्ति के लिए अयोग्य नहीं समझें जायेंगे और न इस संबंध में उनके प्रति इस आधार पर कोई भेदभाव बरता जायेगा। अनुच्छेद-25 के अनुसार प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म और विश्वास के पालन और प्रसारण की पूरी स्वतंत्रता प्राप्त है। अनुच्छेद-26 के अनुसार प्रत्येक धर्म के मानने वाले को धार्मिक उद्देश्य के लिए अपनी संस्था स्थापित करना तथा उसकी व्यवस्था करने का पूर्ण अधिकार है। अनुच्छेद-30 के अन्तर्गत सभी अल्पसंख्यक को चाहे वे किसी भी धर्म, भाषा या जाति का हो, अपनी शैक्षणिक संस्था स्थापित करने का पूर्ण अधिकार है इस अनुच्छेद में यह भी उपबंध है कि ऐसी शैक्षणिक संस्था को सहायता देने में राज्य भी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं बरतेगा।

2. संविधान के उपबंध के अतिरिक्त राष्ट्रीय एकता समिति में भी समय-समय पर अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा के लिए बहुत सारे सुझाव दिये हैं। इन सुझावों पर राज्य सरकार ने यथासंभव कार्रवाई भी की है।

3. संविधान को लागू हुए 21 वर्ष हो गये फिर भी कुछ सम्प्रदायों के बीच वैमनश्य और अविश्वास की भावना अभी नहीं मिटी है। कुछ लोगों की ऐसी शिकायत और धारणा है कि संविधान के अन्तर्गत दिये गये मौलिक अधिकारों का उपयोग करने का उन्हें पूरा अवसर नहीं दिया जा रहा है।

4. भाषाजात अल्पसंख्यकों की धारणा और शिकायत है कि उनकी समस्याओं का समुचित समाधान नहीं हो पाया है। इस संबंध में भारत सरकार के भाषाजात अल्पसंख्यकों के आयुक्त तथा 1961 में मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन की विभिन्न अनुशंसाओं के अनुसार बहुत सारी कार्रवाई की गई है। फिर भी, भाषाजात अल्पसंख्यकों के बीच ऐसी भावना है कि उनके न्यायोचित तथा संवैधानिक अधिकारों की पूरी रक्षा नहीं की जा रही है।

5. राज्य सरकार की यह नीति है कि सभी वर्गों और विशेषकर अल्पसंख्यकों के संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकारों की पूर्ण रक्षा हो जिससे वे देश के विकास में अपना सहयोग प्रदान करें ।

उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर सरकार ने बिहार राज्य धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया जिसके अध्यक्ष एवं सचिव को छोड़कर 23 सदस्य थे ।

सरकार ने आयोग का विचारणीय विषय (टर्म्स ऑफ रिफ्रेन्स) निम्नांकित निधारित किया :-

1. संविधान में विभिन्न सम्प्रदायों को जो मौलिक अधिकार दिये गये हैं उनका पालन किस हद तक हो रहा है और यदि कोई कमी है तो पूरा करने के लिए कौन से उपाय अपेक्षित है ।

2. राष्ट्रीय एकता समिति द्वारा जो विभिन्न अनुशंसा समय-समय पर की गई है उसका अनुपालन किस हद तक हो रहा है और इसकी कमी को किस तरह पूरा किया जा सकता है।

3. भाषाजात अल्पसंख्यकों को संविधान में जो अधिकार दिये गये हें उसका पालन किस हद तक हो रहा है और इसमें कोई कमी है तो उसे दूर करने के लिए क्या आवश्यक है।

4. भाषाजात अल्पसंख्यकों के संबंध में भारत सरकार की नीति, 1961 के मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में दिये गये सुझाव तथा समय-समय पर भाषाजात अल्पसंख्यकों के आयुक्त की अनुशंसा पर अपेक्षित कार्रवाई हुई है या नहीं और यदि नहीं तो क्यों और इसे पूर्ण रूप से कार्यान्वित करने के लिए कौन-सी कार्रवाई आवश्यक है।

दिनांक 19.8.1972 को आयोग का पुर्नगठन किया गया तथा मुख्यमंत्री उसके अध्यक्ष एवं स्व० अब्दुल क्यूम अंसारी उसके उपाध्यक्ष बनाए गये तथा सदस्य सचिव का पद श्री नीतिश्वर प्रसाद, सदस्य, विधान सभा को दिया गया। पुनः 27.11.75 को इसका पुर्नगठन करते हुए मुख्यमंत्री को अध्यक्ष एवं श्री नीतिश्वर प्रसाद को सचिव बनाया गया। 27.11.76 को फिर आयोग का पुर्नगठन किया गया तथा श्री जब्बार हुसैन, सांसद को अध्यक्ष तथा श्री नीतिश्वर प्रसाद, सदस्य सचिव बनाये गये। पुनः 1.11.77 को इस आयोग का पुर्नगठन हुआ तथा मुख्यमंत्री अध्यक्ष एवं श्री तकी रहीम उपाध्यक्ष मनोनीति हुए। गृह विशेष विभाग के उपसचिव श्री सरयु प्रसाद सिंह, सदस्य सचिव बने। 1.6.81 को आयोग का पुनर्गठन करते हए मुख्यमंत्री पदेन अध्यक्ष हुए तथा उपाध्यक्षों की संख्या एक से बढ़ा कर दो कर दी गयी। उपाध्यक्ष के रूप में श्री हारून रशीद एवं श्री जोगिन्दर सिंह 'जोगी' को मनोनीत किया गया। संयुक्त सचिव/उपसचिव, गृह विशेष विभाग, सदस्य सचिव मनोनीत किये गये। 17.7.89 को एक उपाध्यक्ष का दर्जा बढ़ा कर कार्यकारी अध्यक्ष का कर दिया गया तथा श्री हारून रशीद, कार्यकारी अध्यक्ष मनोनीत हुए। उपाध्यक्ष श्री जोगिंदर सिंह 'जोगी' पूर्ववत् बने रहे।

वर्ष 1990 में आयोग का सुनहरा युग आरम्भ हुआ जब दलितों, पीड़ितों, पिछड़ों एवं अल्पसंख्यकों के मसीहा श्री लालू प्रसाद मुख्यमंत्री बने । 19 अक्तुबर, 90 को प्रो० जाबिर हुसैन कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में मनोनीत किये गये। अध्यक्ष पूर्ववत् मुख्यमंत्री एवं उपाध्यक्ष श्री जोगिन्दर सिंह तथा श्री एस०एन० दास बने। इस कार्यकाल में आयोग का कायाकल्प हो गया। आयोग के इतिहास में बहुत-से सुनहरे पन्ने जुट गये और सबसे ऐतिहासिक निर्णय तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री लालू प्रसाद एवं प्रो० जाबिर हुसैन कार्यकारी अध्यक्ष के कार्यकाल में यह हुआ कि आयोग को कानूनी मान्यता प्रदान करने हेतु विधान मंडल के दोनों सदनों द्वारा बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग विधेयक 1991 पारित किया गया जो कि 11 अगस्त 1991 को राज्यपाल के अनुमोदन पश्चात् बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1991 बन गया। इस प्रकार बिहार देश का पहला राज्य था जिसने अल्पसंख्यक आयोग को कानूनी मान्यता प्रदान की। 1991 के अधिनियम के अनुसार आयोग का नाम "बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग" रखा गया। इसकी धारा 4 (2) के अधीन आयोग के लिए एक अध्यक्ष, दो उपाध्यक्ष और अधिकतम 8 सदस्य, जो राज्य सरकार द्वारा मनोनीत किये जायेंगे, का प्रावधान किया गया। आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल भारग्रहण करने की तिथि से 3 वर्ष का किया गया। इस अधिनियम के तहत आयोग के कार्य एवं अधिकार को भी कानूनी मान्यता दी गयी। साथ-साथ सरकारी अधिसूचना संख्या-323 दिनांक 16.2.91 द्वारा जाँच आयोग अधिनियम-1952 की धारा-11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत राज्य सरकार ने उक्त अधिनियम की धारा-4 के उपबंध अल्पसंख्यक आयोग पर भी लागू कर दिए गये। साथ-साथ उक्त अधिनियम की धारा-5 की उप धारा-। द्वारा प्रदत्त शक्तियों का भी प्रयोग करते हुए बिहार सरकार ने उक्त अधिनियम की उक्त धारा 2, 3, 4 एवं 5 के उपबंध भी अल्पसंख्यक आयोग पर लागू कर दिए। इस प्रकार आयोग को जाँच पड़ताल एवं प्रभावी संचालन के लिए और शक्तिशाली बनाया गया।

नये अधिनियम के आलोक में दिनांक 24 फरवरी, 1994 की अधिसूचना सं.-137 निर्गत कर प्रो. जाबिर हुसैन अध्यक्ष, श्री बी.बी. सान्याल एवं श्री इंद्रजीत सिंह कालरा, उपाध्यक्ष एवं 8 अन्य सदस्यों को मनोनीत किया गया। सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग सदस्य सचिव मनोनीत हुए। प्रो० जाबिर हैसन ने विधान परिषद का सभापति निर्वाचित होने के पश्चात आयोग के अध्यक्ष पद से दिनांक 10.4.95 को त्यागपत्र दे दिया। तत्पश्चात् सरकारी अधिसूचना

बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग

सं.-459 दिनांक 12.10.95 द्वारा प्रो० सोहैल अहमद बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष अगले 3 वर्षों के लिए मनोनीत किये गये। एक उपाध्यक्ष श्री बी.बी. सान्याल ने दिनांक 6.7.95 को त्यागपत्र दे दिया तथा दूसरे उपाध्यक्ष श्री इंद्रजीत सिंह कालरा एवं अन्य 8 सदस्य का कार्यकाल 28 फरवरी, 97 को समाप्त हो गया।

पुनः सरकारी अधिसूचना सं.-588 दिनांक 21.8.98 द्वारा बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग का पुनर्गठन किया गया है जिसके अध्यक्ष दोबारा प्रो० सोहैल अहमद तथा उपाध्यक्ष डा० दिलीप सेन एवं फादर बेनी एक्का मनोनित किए गए हैं उनके अतिरिक्त निम्नांकित सात सदस्य भी मनोनीत हुए :-

(1) श्री के० के० पोद्दार, (2) श्री कुलदीप सिंह बग्गा (3) डॉ० शांति जैन (4) श्री अली अहमद अंसारी (5) डॉ० बी० भट्टाचार्य (6) श्रीमती उषा टिर्की (7) प्रो० अहमद जमील ।

सभी का मनोनयन अगले तीन वर्षों के लिए किया गया। अध्यक्ष को मंत्री का तथा दोनो उपाध्यक्षों को राज्यमंत्री का दर्जा दिया गया है। पुनः सरकारी अधिसूचना संख्या 648 दिनांक 20.8.2001 द्वारा बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष पुनः प्रो० सोहैल अहमद बनाए गए हैं।

स्थापना से अबतक कार्यरत अध्यक्षों की सूची सलंग्न है।

(परि० 7)

अध्याय - तीन

आयोग का सुदृढ़ीकरण

आयोग का सुदृढ़ीकरण

बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग को स्थापित हुए 32 वर्षों से अधिक हो चुके हैं, परन्तु अभी तक इसके कार्यालय का स्वरूप स्थाई नहीं हो पाया है। परिणामत: कार्यालय के अभिलेखों का रख-रखाव एवं इसके कार्य-कलाप पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। कार्यालय का कार्य अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के स्थाई अथवा प्रतिनियुक्त स्टाफों द्वारा किया जाता है।

अध्यक्ष/उपाध्यक्षों को मंत्री/राज्य मंत्री का दर्जा साधारणत: प्राप्त होता है, जिसके कारण उन्हें सरकारी प्रावधान के अनुरूप आप्त सचिव, निजी सहायक, दिनचर्या लिपिक एवं अनुसेवक इत्यादि उपलब्ध कराये जाते हैं। यदि उन्हें मंत्री/राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त न हो तो कार्यालय कार्य चलाना भी असम्भव हो जायेगा। हालांकि कार्मिक विभाग के ज्ञाप संख्या-1408 दिनांक 13.6.74 द्वारा निम्नांकित पद आयोग के लिए स्थाई रूप से स्वीकृत किया गया है।

क्रमांक	पदनाम	संख्या
★1	प्रशाखा पदाधिकारी	एक
2	सहायक	दो
3	उपाध्यक्ष के वरीय निजी सहायक	एक
4	उपाध्यक्ष एवं उप सचिव हेतु निजी सहायक	दो
5	टंकक	दो
6.	दिनचर्या लिपिक	एक
7	आदेशपाल	छः

क्रमांक 2, 3, 5, 6 का पद अभी भी रिक्त है। अविलम्ब पदस्थापना की आवश्यकता है ।

इसके अतिरिक्त उप सचिव एवं अवर सचिव-सह-सम्पर्क पदाधिकारी का भी पद स्वीकृत है। अगर उपरोक्त सभी पद पर पदस्थापना कर दी जाय और उसके साथ-साथ एक निबंधक का पद सृजित करते हुए उसकी भी पदस्थापना कर दी जाय तो दैनिक छोटे-छोटे कार्यों के लिए आयोग को दूसरे कार्यालय पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा तथा इससे इसकी कार्यकुशलता भी बढ़ जायेगी ।

इसके अतिरिक्त आयोग के कर्त्तव्यों एवं दायित्वों को सुचारू एवं कारगर रूप से निर्वाह के लिए उसे वेल एक्यूप्ड किया जाना नितांत आवश्यक है । इसके लिए आयोग को निम्नांकित सामग्री की आपूर्ति की जानी चाहिए ।

1	कम्प्यूटर	एक
2	इलेक्ट्रोनिक टंकण यंत्र (अंग्रेजी-हिन्दी)	दो
3	उर्दू टंकण यंत्र	दो
4	फैक्स	एक
5	फोटो स्टेट यंत्र	एक
6	चक्र चालन यंत्र	एक

★ पदस्थापना कर दिया गया है

बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग

आयोग का कार्यालय वर्त्तमान में बैरक में अवस्थित है, जहाँ पर अध्यक्ष/उपाध्यक्ष एवं उनके स्टाफ तथा बैठक एवं आगंतुकों के लिए पर्याप्त जगह नहीं है, इसलिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि आयोग का कार्यालय किसी बड़े भवन में स्थानान्तरित कर दिया जाय जहाँ पर अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष तथा उनके सभी स्टाफों को बैठने के लिए पर्याप्त जगह हो तथा बैठक करने एवं आगंतुकों के लिए भी सुविधाएँ उपलब्ध हों।

यदि उपरोक्त अनुशंसाओं को कार्यान्वित कर दिया जाय तो आयोग की कार्यकुशलता में और अधिक वृद्धि हो जायेगी।

यदि कम्प्यूटर, टंकण यंत्र, चक्र चालन यंत्र, फोटो स्टेट यंत्र एवं फैक्स उपलब्ध हो जाता है तो उन सभी के लिए भी एक-एक चालक की आवश्यकता पड़ेगी। साथ-साथ एक उर्दू अनुवादक एवं टंकक की भी आवश्यकता होगी। इन सभी कार्यों से आयोग बहुत हद तक चुस्त एवं दुरूस्त हो जायेगा। आयोग को अपने कार्यों एवं दायित्वों के निर्वाह के लिए एक पुस्तकालय की भी आवश्यकता है।

2. आयोग के कार्यालय को व्यवस्थित एवं सुचारू रूप से चलाने के लिए एक स्थायी सचिव का होना नितांत आवश्यक है, जिसका प्रावधान अधिनिमय में भी किया गया हो। आयोग राज्य सरकार से अनुशंसा करती है कि शीघ्र एक पूर्णकालिक सचिव की सेवाएँ आयोग को उपलब्ध करायी जाय। उसका पद का सृजन करते हुए पदस्थापना की जाए ताकि उनके वेतन आदि के भुगतान में कठिनाई नहीं हो ।

3. जैसा कि आयोग के चौथे प्रतिवेदन में अनुशंसा की गयी थी कि आयोग के कार्यों, दायित्वों एवं अत्यंत संवेदनशील मामलों में इसकी भूमिका तथा महत्वपूर्ण सूचनाओं के गोपनीय आदान-प्रदान की आवश्यकता के मद्देनजर आवश्यक है कि गृह विशेष विभाग से इस सम्बन्ध में और अधिक निकटता लाई जाय। यह अनुशंसा अभी भी प्रासंगिक है तथा आयोग उक्त अनुशंसा की पुनः पुष्टि करता है।

4. अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम-1991 में संशोधन कर उसे कुछ और प्रभावी बनाने हेतु निम्नांकित अनुशंसाएँ की जाती हैं :-

क. अधिनियम की धारा-7 में संशोधन करते हुए अध्यक्ष को मंत्री का दर्जा तथा दोनों उपाध्यक्ष को राज्य मंत्री का दर्जा 'पदेन' प्रदान किया जाय।

ख. अधिनियम की धारा-5 (ख) में संशोधन करते हुए अध्यक्ष को कदाचार एवं कर्त्तव्यहीनता या अपनी शक्ति का दुरूपयोग करने का दोषी पाया गया है, जिसके कारण जनहित में आयोग से उसे हटाना आवश्यक हो गया है तो उसे हटाने की प्रक्रिया वही निर्धारित की जाय, जैसा कि लोकायुक्त को हटाने की है।

ग. धारा-4 में संशोधन करते हुए अध्यक्ष को विभागाध्यक्ष का दर्जा प्रदान किया जाय।

घ. धारा-9 (5) (क) में संशोधन करके आयोग को यह शक्ति प्रदान की जाय कि वह किसी भी व्यक्ति का आह्वान कर एवं उस शपथ पर परीक्षा करे, वैसे व्यक्ति द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत करने या संदेह उपस्थित होने के मामले में आयोग के निदेशों की अवज्ञा करने पर, वह व्यक्ति आयोग की अनुशंसा पर अनुशासनिक कार्रवाई का उत्तरदायी होगा तथा उसकी चारित्री में विपरित अम्युक्तियाँ दर्ज की जायगी ।

5. आयोग की उपलब्धियों एवं सरकार द्वारा अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ किए जा रहे कार्यों की जानकारी आमलोगों को दी जाने हेतु यह आवश्यक है कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की भांति बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग का भी एक मासिक बुलेटिन निकाला जाए। आयोग की अनुशंसा है कि सरकार यथाशीघ्र इसके लिए धन राशि तथा संसाधन उपलब्ध कराए ।

अध्याय - चार

विभिन्न विभागों को भेजी गई अनुशंसाएँ

बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग

विभिन्न विभागों को की गई अनुशंसाएँ

अध्यक्ष, अल्पसंख्यक आयोग द्वारा सरकार के विभिन्न विभागों को उनके द्वारा चलाई जा रही विभिन्न विकास एवं कल्याणकारी कार्यक्रमों में अल्पसंख्यकों को उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु विभिन्न अवसरों पर भेजी गई है। अनुशंसाओं पर सरकारी विभागों द्वारा कई मामलों में कार्रवाई की गई है और कुछ में कार्रवाई अपेक्षित है।

विभिन्न विभागों को भेजी गई अनुशंसाएँ तथा उनपर विभाग द्वारा की गई कार्रवाई का कुछ ब्योरा दिया गया है।

जिन विभागों द्वारा बारम्बार स्मारित किए जाने के बावजूद अब तक प्रतिवेदन नहीं भेजा गया है, उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे शीघ्र अनुशंसा के आलोक में ठोस एवं कारगर कार्रवाई करते हुए आयोग को स्थिति से अवगत कराएंगे।

(i) ग्रामीण विकास विभाग को भेजी गई अनुशंसाएँ

इस कार्यालय के पत्रांक-419 दिनांक 12/12/96 द्वारा तत्कालीन ग्रामीण विकास मंत्री, बिहार सरकार श्री रमई राम को ग्रामीण विकास विभाग द्वारा प्रायोजित विभिन्न विकास एवं कल्याणकारी योजनाओं में अल्पसंख्यकों की भागीदारी एवं उनको लाभ पहुंचाने हेतु अनुशंसाएँ की गईं, जिसका ब्योरा निम्न प्रकार है :-

(1) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम :-

(क) लाभान्वितों का चयन :- नियम 2.11 के उप नियम I, II, III एवं IV का अनुपालन दृढ़ता से कराया जाय तथा इसमें प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों को यह निदेश दिया जाय कि अल्पसंख्यक समुदाय के गरीब परिवारों की सूची तैयार करने पर भी विशेष जोर दें ताकि सरकार की इस महत्वपूर्ण योजना वे वंचित नहीं रहें। नियम 2.5 के तहत 40 प्रतिशत ऐसे परिवारों में चयनित करना है जिसकी मुखिया महिलाएं हों। इन परिवारों के चयन में भी अल्पसंख्यक परिवारों का ध्यान रखा जाय ।

(ख) अल्पसंख्यकों का संरक्षण :- संबंधित पदाधिकारियों को यह निदेश दिया जाय कि जिला एवं प्रखण्ड में अल्पसंख्यकों की जनसंख्या के अनुपात में उन्हें लाभ पहुँचाने का यथासंभव प्रयास किया जाय ।

(ग) मासिक एवं वार्षिक प्रतिवेदनों में अल्पसंख्यकों को पहुँचाये गये वित्तीय एवं भौतिक लाभों के आंकड़े भी माँगे जायँ ।

(घ) नियम 3.3 के तहत वार्षिक योजना बनाते समय अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को लाभ पहुँचाने के उपाय को भी ध्यान में रखकर कार्यक्रम बनाया जाय ।

(ङ) जिला ग्रामीण विकास एजेन्सी एवं राज्य स्तरीय ग्रामीण विकास एजेन्सियों में नियम 4.2 क्रमांक-19 एवं नियम 4.4 क्रमांक-17 के तहत एक-एक प्रतिनिधि अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों से भी रखा जाना चाहिए।

(2) ग्रामीण युवकों को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण (ट्राइसेम) :-

(क) इस योजना के तहत लाभ पहुँचाने में यह ध्यान रखा जाय कि अल्पसंख्यक समुदाय के युवकों को भी प्रखण्ड में उनकी जनसंख्या के अनुरूप लाभ पहुँचाया जाय । नियम 1.1.5.1 के तहत युवकों द्वारा आवेदन

करना आवश्यक शर्त्त नहीं है, इसलिए सर्वेक्षण करते समय ही अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को भी सर्वेक्षण कराना सुनिश्चित किया जाय। नियम 11.5.2 के उप नियम-I के अनुरूप निर्धनतम परिवारों के चयन में अल्पसंख्यकों को उनके अनुपात में चयनित किया जाय। नियम-II के तहत 40 प्रतिशत महिलाओं के चयन में भी अल्पसंख्यक महिलाओं के चयन का ध्यान रखा जाय।

(ख) व्यवसाय के चुनाव में भी यह ध्यान रखा जाय कि उस क्षेत्र के अल्पसंख्यक समुदाय के लोग यदि परम्परागत ढंग से कोई व्यवसाय चलाते आ रहे हों, तो उन्हें उस व्यवसाय विशेष में प्राथमिकता दी जाय।

(ग) मासिक एवं वार्षिक प्रतिवेदनों में अल्पसंख्यकों को पहुँचाये गये लाभ के सम्बन्ध में अलग से आंकड़े मांगे जायँ।

(3) ग्रामीण क्षेत्र में महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम :- (ड्वाकरा)

(क) जिन जिलों में यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है, वहां यह ध्यान रखा जाय कि समूह निर्माण में एक अल्पसंख्यक महिला को यदि वह उपलब्ध हो तो निश्चित रूप से रखा जाय। अल्पसंख्यक समुदाय बहुल क्षेत्र में महिला समूहों के गठन पर जोर दिया जाय।

(ख) मासिक एवं वार्षिक प्रतिवेदनों में अल्पसंख्यकों को पहुंचाये गये लाभों के संबंध में अलग से प्रतिवेदन मांगा जाय।

(4) इन्दिरा आवास :-

(क) नियम 51.2 के तहत गरीबी रेखा के नीचे रहनेवाले गैर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति के ग्रामीणों को भी लाभ पहुँचाना हो, तो इसमें अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को प्रखण्ड में उनकी जनसंख्या के अनुपात में लाभ पहुँचाया जाय। नियम 51.3 के तहत गैर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति के गरीबों को मिलनेवाले लाभ के लिए 4 प्रतिशत की सीमा निर्धारित की गई है। इसमें प्रखण्ड/जिला में अल्पसंख्यक की जनसंख्या के अनुपात में उनका प्रतिशत भी निर्धारित किया जाय।

(ख) नियम 51.4 के क्रमांक-6 के तहत गरीबी रेखा के नीचे बसर कर रहे गैर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के परिवारों की सूची तैयार करते समय उस क्षेत्र में रह रहे अल्पसंख्यक परिवारों की सूची भी तैयार की जाय, ताकि उन्हें उनकी जनसंख्या के अनुपात में लाभ पहुँचाया जा सके।

(ग) मासिक एवं वार्षिक प्रतिवेदनों में अल्पसंख्यकों के लिए अलग से आंकड़े मांगे जायँ।

(5) सुनिश्चित रोजगार योजना :-

(क) इस योजना के तहत पंजीकरण में यह ध्यान रखा जाय कि अल्पसंख्यक समुदाय के गरीब मजदूरों का नाम नहीं छूटे।

(ख) रोजगार देते समय इस बात का ध्यान रखा जाय कि यदि योजना क्षेत्र में अल्पसंख्यक समुदाय के मजदूर पंजीकृत हों तो उन्हें भी जनसंख्या के अनुपात में निश्चित रूप से शामिल किया जाय।

(ग) नियम 6.2 के तहत निगरानी एवं मूल्यांकन के लिए बनाये जानेवाले राज्य स्तरीय एवं प्रखण्ड स्तरीय समिति में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधि को भी शामिल किया जाय।

(घ) मासिक एवं छः माही प्रतिवेदनों में अल्पसंख्यकों को पहुंचाये गये लाभों का ब्योरा भी मांगा जाय।

(6) बोरिंग :-

(क) इस योजना के तहत लाभ पहुंचाने में अल्पसंख्यकों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में लाभ पहुंचाया गया या नहीं, इसका ध्यान रखा जाय ।

(ख) मासिक एवं वार्षिक प्रतिवेदनों में अल्पसंख्यकों को पहुंचाये गये लाभों का ब्योरा मांगा जाय ।

(7) कब्रिस्तानों की घेराबन्दी :-

(क) भारत सरकार के ग्रामीण क्षेत्र एवं रोजगार मंत्रालय के पत्रांक 24011, दिनांक 14/8/95 के द्वारा जवाहर रोजगार योजना के तहत ली जानेवाली योजनाओं की सूची (जे.आर.वाई. मैनुअल अध्याय-VI परिशिष्ट-III की सूची में कब्रिस्तानों की पक्का घेराबंदी को शामिल कर लिया गया है, उसी प्रकार ग्रामीण एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक-2401 (I) दिनांक 23/2/96 द्वारा कब्रिस्तानों की पक्का घेराबन्दी के लिए अधिकतम 5.00 लाख रु० की सीमा निर्धारित की गई है तथा यह राशि जवाहर रोजगार योजना एवं सुनिश्चित रोजगार योजना से खर्च की जा सकती है। अत: प्रत्येक वर्ष जिले में अवस्थित कब्रिस्तानों की पक्का घेराबन्दी के लिए अलग से योजना बनायी जाए तथा प्रत्येक प्रखण्ड में कम से कम 5.00 लाख रु० की राशि इस मद में निश्चित रूप से खर्च की जाय। जवाहर रोजगार योजना एवं सुनिश्चित रोजगार योजना के मासिक एवं वार्षिक प्रतिवेदनों में कब्रिस्तानों के पक्का घेराबन्दी का प्रतिवेदन अलग से मांगा जाय ताकि इसकी समीक्षा हो सके कि सरकार की मंशा के अनुरूप कब्रिस्तानों की घेराबन्दी का कार्य सरकारी मानदंड के अनुरूप किया जा रहा है या नहीं ? ज्ञातव्य है कि आयोग के समक्ष सबसे अधिक मामला कब्रिस्तानों की सुरक्षा एवं घेराबंदी के संबंध में ही आता है।

(8) जवाहर रोजगार योजना :-

इस योजना के तहत ली जानेवाली योजनाओं में यह ध्यान रखा जाय कि अल्पसंख्यक बाहुल्य टोलों की भी योजनाएं निश्चित रूप से ली जायँ। मासिक एवं वार्षिक प्रतिवेदनों में अल्पसंख्यकों को पहुंचाए जानेवाले लाभों का ब्योरा भी मांगा जाय ।

अत: मेरी अनुशंसा है कि अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ उपर्युक्त सभी योजनाओं में जिला/प्रखण्ड में अल्पसंख्यकों की जनसंख्या के अनुपात में लक्ष्य निर्धारित किया जाय। राज्य सरकार इसे सुनिश्चित करने हेतु अधिसूचना निर्गत करे तथा इसकी प्रतिलिपि सभी संबंधित पदाधिकारियों को दे दी जाय ताकि इस स्पष्ट आदेश से समाज के दबे, कुचले, बेसहारा व बेजुबान लोग सरकार के बहुचर्चित सामाजिक न्याय की नीति का समान रूप से लाभ उठा सकें।

ग्रामीण विकास मंत्री द्वारा उक्त अनुशंसाओं को पृष्ठांकित कर आयुक्त एवं सचिव, ग्रामीण विकास विभाग को अपने आवासीय प्रेषण संख्या-7915 दिनांक 14/12/96 द्वारा आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजा गया। इस सम्बन्ध में तत्कालीन मुख्यमंत्री, श्री लालू प्रसाद जी को भी अवगत कराया गया। उन्होंने तत्परता से कार्रवाई करते हुए इन्दिरा आवास संबंधी बिन्दु पर निर्णय लेते हुए 10 प्रतिशत इन्दिरा आवास अल्पसंख्यकों के लिए सुरक्षित कराने का आदेश निर्गत किया (परि० 8), शेष सभी बिन्दुओं पर निर्णय अभी तक अपेक्षित है। इस सम्बन्ध में कई स्मार आयोग द्वारा विभाग को दिया गये हैं, इस सम्बन्ध में सरकार को यथाशीघ्र निर्णय लेने की आवश्यकता है।

वर्तमान में उपर्युक्त योजनाएँ बदलकर निम्न प्रकार हो गए है :-

1. स्वर्ण जयती ग्राम स्वरोजगार योजना

2. जवाहर ग्राम समृद्धि योजना

3. ग्रामीण आवास योजना

4. स्वः सहायता समूह

5. मिलेनियम शैलो टयूब वेल

अतः आयोग की अनुशंसा है कि पूर्व की योजनाओं में की गई अनुशसांओं की भांति इन योजनाओं में भी अल्पसंख्यकों को उनकी जनसंख्या की अनुपात में लाभ पहुँचाया जाए ।

(ii) राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को भेजी गई अनुशंसाएँ

इस कार्यालय के पत्रांक-736 दिनांक 10/6/97 द्वारा तत्कालीन मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार श्री इंदर सिंह नामधारी को राजस्व विभाग के द्वारा चलाये जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों में अल्पसंख्यकों की सुनिश्चित भागीदारी हेतु अनुशंसाएँ की गई थीं, जिनका ब्योरा निम्न प्रकार है :-

1. कब्रिस्तान, ईदगाह, इमामबाड़ा, रैन बसेरा, करबला, मस्जिद एवं मजार की जमीनों की सुरक्षा :-

आयोग के समक्ष सबसे अधिक मामले कब्रिस्तानों, ईदगाहों इत्यादि जमीनों के अतिक्रमण एवं सुरक्षा के संबंध में आते हैं। यह मामले मोटे तौर पर दो प्रकार हैं :-

क. जमीन पर अतिक्रमण ।

ख. खतियान में गलत इंदराज ।

इनके निराकरण के लिए निम्नांकित अनुशंसाएँ की जाती हैं :-

1. प्रत्येक ग्राम में अवस्थित उपर्युक्त प्रकार की सभी जमीनों की एक निर्देशिका निम्नांकित प्रपत्र में तैयार कर ली जाय । खंड-। (पंजी के बायाँ पृष्ठ पर) ।

ग्राम	खाता	खेसरा	रक्वा	किस्म जमीन	वैफियत	वर्त्तमान
1	2	3	4	5	6	

तत्पश्चात् एक समय सीमा के अन्दर सभी जमीनों का सीमांकण करा कर पत्थर गाड़ दिया जाए। यदि कोई विवाद उठता है तो उसका सौहार्दपूर्ण समझौता द्वारा निर्णय कराया जाय तथा उक्त निर्देशित के खंड-॥ (पंजी के दाएँ पृष्ठ पर) प्रत्येक जमीन के लिए निम्नांकित ब्योरा अंकित किए जाएँ-सीमांकण एवं सौहार्द द्वारा समझौता के पश्चात् कुल रक्वा, खतियान एवं सर्वेक्षण में रक्बा में अंतर का कारण ।

यदि अतिक्रमण के कारण रक्वा में कमी आई हो तो उसे अतिक्रमण मुक्त कराया जाय। इस कार्य के लिए यदि आवश्यक हो तो बिहार लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम-1956 की परिभाषा में संशोधित करते हुए उपर्युक्त प्रकार की सभी जमीन को लोक भूमि की परिभाषा में लाया जाय ।

1. खतियान में यदि गलती के कारण भूमि की गलत इंदराज हो गया हो तो उसका सुधार नियमानुसार यथाशीघ्र करा

लिया जाय या विशेष फील्ड बुज़ारत करा कर या काश्तकारी अधिनियम में संशोधन कर यह अधिसूचना निर्गत की जाय कि सभी भूमि का उपयोग जिस कार्य के लिए हो रहा है, उसे उसी प्रकार की भूमि मानी जाय। उदाहरणस्वरूप यदि जमीन गैर मजरूआ खास या आम हो परन्तु वास्तव में कब्रिस्तान हो तो उसे कब्रिस्तान माना जाय ।

2. वक्फ भूमि :- पूरे राज्य में अरबों रुपये की वक्फ भूमि है, परन्तु अधिकांश मोतवल्लियों की मिली भगत से इसका दुरूपयोग हो रहा है। इस वक्फ की सभी जमीनों का सर्वेक्षण करा कर उसकी एक पंजी तैयार की जाए तथा गलत ढंग से हस्तान्तरित भूमि का पता लगाकर हस्तान्तरण को अवैध घोषित किया जाए। इसके लिए आवश्यक हो तो निबंधन नियमावली में भी संशोधन किया जाए ।

नए वक्फ कानून के अनुसार वक्फ की जायदाद के सर्वे के लिए एक वक्फ आयुक्त का प्रावधान है। वक्फ की जायदाद के संरक्षण एवं सुव्यवस्था के लिए विधान सभा की गठित उप समिति ने अपनी रिपोर्ट में यह अनुशंसा की है कि वक्फ आयुक्त का प्रभार किसी राज्य विभाग के पदाधिकारी को सौंपा जाए तथा सभी प्रंडलीय आयुक्तों को अपर वक्फ आयुक्त सभी अपर समाहर्त्ताओं को सहायक वक्फ आयुक्त एवं सभी अंचलाधिकारियों को अपर सहायक वक्फ आयुक्त का प्रभार सौंप दिया जाए। मैं भी इस अनुशंसा से सहमत हूँ तथा मेरी राय है कि राजस्व सचिव को वक्फ आयुक्त का प्रभार सौंप दिया जाय तथा सभी प्रमंडलीय आयुक्तों को अपर वक्फ आयुक्त/सभी अपर समाहत्ताओं/अपर उपायुक्तों का प्रभार सौपा जाए। इससे सरकार पर अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं बढ़ेगा तथा वक्फ की जायदाद का सर्वेक्षण राजस्व विभाग के कर्मचारियों के सहयोग से यथाशीघ्र पूरा कर लिया जायेगा।

3. गैर मजरूआ जमीन की बन्दोबस्ती :- विभिन्न जिलों में की गयी समीक्षा से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि अल्पसंख्यकों को की गई बन्दोबस्ती उनकी जनसंख्या के अनुपात में बहुत ही कम है। अब जबकि सरकार ने मात्र अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के सदस्यों को ही भूमि बंदोबस्ती की बाध्यता को समाप्त करने का निर्णय लिया है तो यह आवश्यक है कि अल्पसंख्यकों में पिछड़े एवं निचले तबके को भी उसकी जनसंख्या के अनुपात में कृषि एवं गृहस्थल हेतु गैर मजरूआ भूमि की बन्दोबस्ती की जाए। मेरे विचार में कम से कम 20 प्रतिशत की सीमा निर्धारित करनी होगी ।

4. भू-हदबंदी के तहत प्राप्त भूमि बंदोबस्ती:- इसकी स्थिति गैर मजरूआ भूमि बंदोबस्ती जैसी ही है। भू-हदबंदी से प्राप्त भूमि के वितरण में भी अल्पसंख्यकों के लिए 20 प्रतिशत की सीमा निर्धारित की जाय ।

मेरा विचार है कि इस मामले पर विचार के लिए एक उच्चस्तरीय बैठक बुलाई जाय, जिसमें सरकार की ओर से आप स्वयं तथा राजस्व विभाग के पदाधिकारी भाग लें और अल्पसंख्यक आयोग के प्रतिनिधि भी शामिल हो।

बैठक में निर्णय के अनुरूप सभी सम्बन्धित पदाधिकारी को आदेश निर्गत किया जाय । आदेश निर्गत करने के बाद राज्य के अपर समाहर्त्ताओं/अपर आयुक्तों की बैठक बुलाए जिसमें मुझे भी आमंत्रित करें ताकि सरकारी फैसले के क्रियान्वयन पर पदाधिकारियों को स्पष्ट आदेश दिया जाय ।

आशा है, आप मेरे सुझाव से सहमत होंगे। बैठक के कार्यक्रम से शीघ्र सूचित करने की कृपा की जाय ।

राजस्व एवं भूमिसुधार विभाग ने अपने पत्रांक 20004 दिनांक 19/9/97 द्वारा सभी आयुक्तों/समाहर्त्ता/उपायुक्तों को कब्रिस्तान, इमाम बाड़ा आदि की भूमि के संरक्षण हेतु आदेश निर्गत कर दिया है। (परि० 9) इसका अनुपाल एवं अनुश्रवण दृढ़ता से करने की आवश्यकता है।

महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण 1999 में कहा गया है कि कब्रिस्तान, करबला, मंदिर, मस्जिद, गुरूद्वारा, चर्च

जिस जमीन पर अवस्थित है, उसे संबंधित उच्च पदा० द्वारा अनुशंसित किए जाने पर सरकार द्वारा उसी रूप में मंजूरी देने का निर्णयलिया गया है।

इसके अतिरिक्त राजस्व विभाग द्वारा निम्न दो योजनाएँ भी आरम्भ की गई हैं :-

1. सम्पर्क मार्ग योजना :- इसके तहत ऐसे टोले जिसके लिए पहुंच मार्ग नहीं है, वहां जनसहयोग से या भूमि अधिगृहीत कर सम्पर्क मार्ग बनाना है। इस योजना में अल्पसंख्यक बाहुल्य टोलों के लिए भी विशेष ध्यान रखा जाए तथा उनके लिए भी सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराया जाए। राजस्व विभाग का पत्रांक 983/26.7.2001
2. गृहस्थल योजना :- राजस्व विभाग में पत्रांक 59/13.3.2001 के द्वारा गृहविहिनों के लिए यदि सरकारी भूमि उपलब्ध नहीं है तो भूमि अर्जित कर गृहस्थल उपलब्ध कराने का प्रावधान है। आयोग की अनुशंसा है कि इसमें अल्पसंख्यक को उनकी जनसंख्या के अनुपात में लाभ पहुँचाया जाय ।

(iii) शिक्षा विभाग को भेजी गई अनुशंसाएँ

अनुशंसा संख्या-1 :- वर्ष 1997 में 'शिक्षक दिवस' के अवसर पर राज्य के एक दर्जन शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयनित किया गया, जिसमें एक भी अल्पसंख्यक समुदाय का शिक्षक नहीं था। जब यह समाचार विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ और अल्पसंख्यकों में असंतोष की भावना के मद्देनजर शिक्षा मंत्री को आयोग के अध्यक्ष द्वारा अपने पत्रांक-1101 दिनांक 30.8.97 द्वारा राज्य के शिक्षा मंत्री श्री जय प्रकाश नारायण यादव का ध्यान इस ओर आकृष्ट करते हुए लिखा कि "इस वर्ष शिक्षक दिवस के अवसर पर राज्य के 7 प्राथमिक शिक्षक एवं 5 माध्यमिक शिक्षक का चुनाव राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए किया गया है। सूची के अवलोकन से पता चलता है कि उसमें एक भी शिक्षक अल्पसंख्यक समुदाय का नहीं है, जबकि अल्पसंख्यक समुदाय के सुयोग्य शिक्षकों की कोई कमी नहीं है, जिन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया जा सके। अतः मेरी अनुशंसा है कि कम से कम एक प्राथमिक एवं एक माध्यमिक शिक्षक का चयन अल्पसंख्यक समुदाय से किया जाय तथा उन्हें भी आगामी 5 सितम्बर, 97 को 'शिक्षक दिवस" के अवसर पर राष्ट्रपति पुरस्कार से पुरस्कृत किया जाय, इससे राष्ट्रीय एकता, साम्प्रदायिक सद्भावना एवं सामाजिक न्याय को बल मिलेगा। मुझे विश्वास है कि आप मेरे प्रस्ताव से सहमत होंगे"।

सरकार द्वारा इस दिशा में तत्परता से कार्रवाई की गई तथा श्री महमूद अंसारी का नाम अल्पसंख्यक समुदाय से जोड़कर उन्हें भी शिक्षक दिवस, 97 के अवसर पर सम्मानित किया गया ।

अनुशंसा संख्या -2 :- दिनांक 20.8.97 को शिक्षा पदाधिकारियों की बैठक में शिक्षा मंत्री द्वारा विद्यालयों में एक साल तक चलाये जाने वाले रचनात्मक पैकेज की घोषणा की गई जिसमें विभिन्न धर्मों के प्रवर्त्तक एवं स्वतंत्रता सेनानियों के जन्म दिवस को विभिन्न दिवसों के रूप में मनाने के कार्यक्रम की घोषणा की गई, परन्तु उसमें अल्पसंख्यक समुदाय को पूरा प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया। इससे अल्पसंख्यक समुदाय में काफी बेचैनी और रोष उत्पन्न हो गया था। इसीलिए आयोग के अध्यक्ष ने अपने पत्रांक-1078 दिनांक 26.8.97 द्वारा शिक्षा मंत्री श्री जय प्रकाश नारायण यादव को लिखा कि "दिनांक 20.8.97 को शिक्षा पदाधिकारियों की बैठक में आपने विद्यालयों में एक साल तक चलाये जाने वाले रचनात्मक पैकेज की घोषणा की है जिसके तहत धार्मिक गुरूओं, स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों एवं राष्ट्रीय नेताओं के जन्म दिवस तथा विभिन्न धर्मों के पर्व त्योहार के अवसर को विभिन्न दिवसों के रूप में आयोजन का कार्यक्रम बनाया गया है, परन्तु उसमें बहुत से अति महत्वपूर्ण लोगों का नाम छूट गया है, जिन्हें राष्ट्रीय एकता, साम्प्रदायिक सदभावना, समाजिक न्याय एवं धर्म निरपेक्षता के दृष्टिकोण से शामिल करना अनिवार्य प्रतीत होता है। अतः मेरी

अनुशंसा है कि उनके जन्म दिवस को भी उनके नाम के आगे अंकित दिवस के रूप में मनाने का आदेश निर्गत किया जाय।

1.	पैगम्बर हजरत मोहम्द सल्लल्लाहो अलैहे-वसल्लम का जन्म दिवस	:	विश्व बन्धुत्व एवं समता दिवस
2.	बौद्ध जयंती	:	शांति दिवस
3.	महाबीर जयंती (जैन)	:	सहनशीलता दिवस
4.	गुरू नानक जयंती	:	सर्व धर्म समभाव दिवस
5.	मौलाना अबुल कलाम आजाद	:	धर्म निरपेक्षता एवं राष्ट्रीय एकता
6.	बिरसा मुंडा जयंती	:	जागरूकता दिवस
7.	नेताजी सुभाव चन्द्र बोस जयंती	:	संकल्प दिवस
8.	मुर्हरम	:	बलिदान दिवस

सरकार का उत्तर अपेक्षित है ।

अनुशंसा संख्या-3 :- प्रधानमंत्री के 15 सूत्री कार्यक्रम के तेरहवें सूत्र के अन्तर्गत यह निदेश दिया गया था कि विभिन्न विकास कार्यक्रम (20 सूत्री कार्यक्रम सहित) के तहत यह सुनिश्चित किया जाय कि उन कार्यक्रमों के तहत अल्पसंख्यकों को भरपूर और सुनिश्चित लाभ पहुँचाने तथा अल्पसंख्यकों को उन कार्यक्रमों की निगरानी करने वाली समितियों में भरपूर भागीदारी सुनिश्चित किया जाय तथा उनके जन संख्या के अनुपात में लाभ पहुँचाया जाय इसके तहत प्राथमिक शिक्षा में अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों का दाखिला लेने तथा उन्हें शिक्षा का अवसर प्रदान करने का निर्देश था, जिसके आलोक में मैंने अपने पत्रांक-783 दिनांक 20.6.97 द्वारा निदेशक, प्राथमिक शिक्षा को यह अनुशंसा की थी कि अल्पसंख्यक भाषाओं के लिए नये विद्यालय खोले जाएँ तथा स्कूल जाने योग्य बच्चों का दाखिला कराया जाय तथा अभी तक की गई कार्रवाई से भी अवगत कराया जाय, परन्तु कई स्मारों के बावजूद इस संबंध में की गई कार्रवाई का प्रतिवेदन अपेक्षित है ।

अनुशंसा संख्या 4 :- गृह विशेष विभाग के पत्रांक-204 दिनांक 17.6.78 (परि० 10) द्वारा अल्पसंख्यकों के भाषाई एवं शैक्षणिक समस्याओं की लगातार समीक्षा करते रहने और त्रुटियों के निराकरण हेतु सुझाव देने के लि एक स्थाई समिति का गठन जिलास्तर पर कराने का निर्देश था जिसमें अध्यक्ष, जिलाधिकारी एवं सचिव, जिला शिक्ष अधीक्षक होते हैं। इसके अतिरिक्त जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं 4 गैर सरकारी अल्पसंख्यक भाषाई को सदस्य बनाने का भी प्रावधान है। इस समिति का दायित्व था कि अल्पसंख्यकों की भाषाई एवं शैक्षणिक समस्याओं का माह में एक बार अध्ययन कर स्थानीय स्तर पर निराकरण का प्रयास करें। नये जिलों के बनने एवं पुरानी समितियों के मृतप्राय हो जाने के कारण यह प्रभावी नहीं रह गया है। इसीलिए मैंने अपने पत्रांक-783 दिनांक 206.97 द्वारा निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, बिहार को यह अनुशंसा की थी कि "मैंने जिला के भ्रमण के दौरान यह पाया कि समितियाँ निष्क्रिय एवं मृतप्राय हो गयी हैं तथा अल्पसंख्यकों की भाषाई एवं शैक्षणिक समस्याएँ दिनोदिन बढ़ती जा रही हैं। अल्पसंख्यक भाषाई की यूनिट पर गैर अल्पसंख्यक भाषाई के शिक्षकों की पदस्थापना आम बात हो गयी है।

अतः मैं चाहूंगा कि उपरोक्त समितियों का पुनर्गठन कर उन्हें प्रभावशाली बनाया जाय, ताकि इन समस्याओं का समाधान तत्काल स्थानीय तौर पर हो जाय तथा आयोग पर दिन प्रति दिन इन समस्याओं का बढ़ता बोझ कम हो सके"। बार-बार स्मार देने के बावजूद कार्रवाई अभी तक अपेक्षित है ।

अनुशंसा 5 :- अध्यक्ष, अल्पसख्यंक आयोग ने अपने पत्रांक 491 दिनांक 21.1.97 द्वारा शिक्षा मंत्री, श्री जय प्रकाश नारायण यादव को अल्पसंख्यकों की शिक्षा संबंधी विभिन्न समस्याओं का एक विस्तृत प्रतिवेदन दिया है तथा उनसे मौखिक रूप से वार्ता भी की है। उक्त प्रतिवेदन में से कुछ का कार्यान्वयन हो चुका है शेष के लिए यह तय हुआ है कि एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई जाएगी, जिसमें शिक्षा विभाग के वरीय पदाधिकारी तथा अल्पसंख्यक आयोग के प्रतिनिधि भी सम्मिलित होंगे। प्रतिवेदन की प्रतिलिपि परिशिष्ट-II पर सम्मिलित है। कार्यान्वित की गई अनुशंसाओं

में प्रमुख है अल्पसंख्यकों की शिक्षा सम्बन्धी समस्याओं के निराकरण हेतु निदेशक (अल्पसंख्यक) की पदस्थापना शिक्षा निदेशालय में किया जाना । (परि० 11)

अनुशंसा 6 :- अध्यक्ष, अल्पसंख्यक आयोग के पत्रांक-3770 दिनांक-1.8.2001 के द्वारा यह अनुशंसा की गई थी कि राजकीय प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में उर्दू शिक्षकों के लिए सृजित पदों पर गैर उर्दू शिक्षकों की पदस्थापना करने की शिकायतें मिल रहीं हैं इसलिए उर्दू शिक्षकों के पदों को सम्वर्गीय पद घोषित किया जाए।

सचिव, प्राथमिक एवं व्यस्क शिक्षा विभाग ने अपने पत्रांक 1432 दिनांक -10.8.2002 के द्वारा आयोग को सूचित किया है कि उक्त बिंदु का समाधान कर दिया गया है तथा बिहार राज्य राज्यकृत प्रारम्भिक शिक्षक स्थानातरण एवं अनुशासनिक कार्यवाई नियमावली 2002 के नियम में इसका प्रावधान किया गया है । (परि० 11 क)

सरकार द्वारा बिहार में भी सी.बी.एस.ई. (परि० 11 ख) पाठ्यक्रम लागू करने का निर्णय लिया गया है; इसके फलस्वरूप यह भ्रांति फैल गई थी कि उर्दू अनिवार्य विषय के रूप में नहीं रह पाएगी। उक्त भ्रांति को दूर करने हेतु अध्यक्ष, अल्पसंख्यक आयोग, ने अपने अर्द्धसरकारी पत्रांक-3258 दिनांक 4.5.2000 के द्वारा यह अनुशंसा की थी कि इस भ्रांति को दूर किया जाए।

इसके उत्तर में शिक्षा राज्यमंत्री डॉ० राम प्रकाश महतो ने अपने पत्रांक .....दिनांक 4.5.2000 द्वारा अध्यक्ष अल्पसंख्यक आयोग को सूचित किया कि हिंदी की भांति उर्दू को भी सम्मानजनक स्थिति में रखा जाएगा । (परि० 11 ख)

(iv) कल्याण विभाग को की गई अनुशंसाएँ

कल्याण विभाग द्वारा प्रायोजित विभिन्न योजनाओं में अल्पसंख्यकों की निश्चित भागीदारी एवं उन्हें लाभ पहुँचाने हेतु अनुशंसाएँ अध्यक्ष द्वारा उनके पत्रांक-831 दिनांक 5.7.97 द्वारा कल्याण मंत्री, श्री तुलसी सिंह को भेजी गई थीं जिसका ब्योरा निम्न प्रकार है :-

1. निगम :-

(क) महिला विकास निगम :- राज्य सरकार ने महिलाओं के विकास हेतु राज्य महिला विकास निगम की स्थापना की है। महिलाओं में अल्पसंख्यक समुदाय की महिलायें अधिक पिछड़ी, अशिक्षित एवं दबी हैं। अत: उनके उत्थान के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि निगम के तहत ली जाने वाली योजनाओं में अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं की सुनिश्चित भागीदारी हेतु उनके जन संख्या के अनुपात में उन्हें लाभ पहुँचाने हेतु उसी अनुपात में प्रतिशत (कम से कम 20 प्रतिशत) निर्धारित किया जाय। रोजगार उपलब्ध कराने हेतु प्रशिक्षण एवं स्वनियोजन कार्यक्रम में उन्हें सामाजिक परिवेश एवं परम्परागत धंधे तथा रूचि को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। जैसे बिहार शरीफ में मुस्लिम महिलाएं बीड़ी बनाने का घरेलू धंधा करती हैं तथा मुजफ्फरपुर में लाह की चूड़ी बनाने का काम किया जाता है। मधुबनी में दस्तकारी से कढ़ाई का बेहतरीन कार्य किया जाता है। बेहतर होता कि अल्पसंख्यक महिलाओं के समुचित सामूहिक एवं समन्वित आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए अल्पसंख्यक महिला विकास निगम की स्थापना की जाती ।

(ख) पिछड़ावर्ग वित्त एवं विकास निगम :- बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम की स्थापना राज्य सरकार ने राज्य की गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले अन्य पिछड़ी जाति के सदस्यों का स्वरोजगार के माध्यम से आर्थिक विकास कराने के उद्देश्य से किया है ।

अत. इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आवश्यक है कि अल्पसंख्यक समुदाय के अत्यन्त पिछड़े वर्ग की जातियाँ जैसे मेहतर, लालबेगी, नट, कक्खो, नालबंद, हलालखोर पवरिया, फकीर (साई एवं भाट) डफाली, भटियारा, मदारी, मीरशिकार एवं मिरियासीन इत्यादि एवं ईसाई धर्मावलम्बी (दलित एवं पिछड़ा वर्ग) आदि को भी विशेष सुविधा दी जाय।

अतः मेरी अनुशंसा है कि अल्पसंख्यकों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में लाभ पहुँचाने हेतु उनका प्रतिशत जो कि कम से कम 20 प्रतिशत हो निर्धारित किया जाय तथा इसका प्रतिवेदन संबंधित विभागों से अलग से प्राप्त किया जाय ।

2. बिहार राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड :-

बिहार राज्य में एक सलाहकार बोर्ड गठित हैं। बिहार राज्य समाज कल्याण बोर्ड को केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा अनुदान दिया जाता है। राज्य बोर्ड महिलाओं, बच्चों एवं विकलांगों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड की विभिन्न योजनाओं का संचालन करता है और कल्याण कार्य में लगे हुए स्वयंसेवी संस्थाओं की अनुदान के माध्यम से मदद दी जाती है। मेरा ऐसा अनुभव है कि राज्य में अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए स्वयंसेवी संस्थायें नगन्य है। अतः मेरी अनुशंसा है कि अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए गठित स्वयंसेवी संस्थाओं को प्रोत्साहित किया जाय साथं ही साथ अल्पसंख्यक क्षेत्रों में स्वयंसेवी संस्थाओं की स्थापना के लिए भी प्रयास किया जाय ताकि अल्पसंख्यकों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में इसका लाभ पहुंचे और उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो ।

3. छात्रवृति :-

शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षणिक योजनाएं चलाई जा रहीं हैं, उनमें मुख्यतः प्राथमिक, मध्य, उच्च महाविद्यालय एवं प्रावैधिकी संस्थानों में अध्ययनरत् अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति एवं अन्य पिछड़ी जाति के छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति देने, शिक्षण एवं परीक्षा शुल्क से छूट आदि की योजना है।

विभिन्न जिलों में समीक्षा से मैने ऐसा पाया है कि अल्पसंख्यक समुदाय के पिछड़े वर्ग के बच्चों को उनकी जन संख्या के अनुपात में छात्रवृति नहीं दी जा रही है जिसके फलस्वरूप बच्चों में पढ़ाई की ओर प्रोत्साहन नहीं हो पा रहा है। यहीं स्थिति परीक्षा शुल्क के सम्बन्ध में भी है।

मेरी अनुशंसा है कि अल्पसंख्यकों की जनसंख्या के अनुपात में प्रत्येक प्रखण्ड में छात्रवृति का न्यूनतम प्रतिशत निर्धारित किया जाय तथा मासिक एवं वार्षिक प्रतिवेदनों में स्पष्ट रूप से यह अंकित किया जाय कि कितने अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र नामांकित थे तथा कितने को छात्रवृत्ति दी गई ।

4. आवासीय विद्यालय एवं छात्रावास :-

सरकार द्वारा वर्त्तमान में मात्र अनुसूचित जाति एवं जन-जाति के छात्रों के लिए आवासीय विद्यालय एवं छात्रावास का प्रावधान है, जबकि अल्पसंख्यकों में ऐसी बहुत सी जातियां हैं जो अनुसूचित जाति एवं जन-जाति के समान ही दबे-कुचले हैं, जैसे-मेहतर, लालबेगी, नट, बक्खों, नालबंद, हलालखोर, पवरिया, फकीर (साई, भाट), डफाली, भटियारा, मदारी, मीर शिकार, मिरियासिन एवं खानाबदोश इत्यादि तथा ईसाई धर्मावलम्बी (दलित एवं पिछड़ा वर्ग) आदि।

अतः मेरी अनुशंसा है कि प्रत्येक जिले में इन लोगों के लिए भी एक बालक/बालिका विद्यालय एवं छात्रावास खोला जाय ।

5. पोशाक की आपूर्ति :-

स्वीकृत विद्यालयों में पढ़नेवाले अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के छात्राओं को प्रतिवर्ष 70/- रुपया की दर से दो सेट पोशाक की आपूर्ति की जाती है, जबकि अल्पसंख्यकों में भी कंडिका (4) में वर्णित जातियाँ जैसे-मेहतर, लालबेगी, नट, भक्खों, नालबंद, हलालखोर, पवरिया, फीर (साई, बट), डफाली, भटियारा, मदारी,

मीरशिकार, मिरियासिन एवं खानाबदोश इत्यादि की स्थिति अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति जैसी ही है। अत: मेरी अनुशंसा है कि उक्त जातियों के छात्राओं को भी पोशाक की आपूर्ति की जाय ।

6. गन्दे कार्य में लगे व्यक्तियों को प्रिमैट्रिक छात्रवृत्ति :-

यह एक केन्द्र प्रायोजित योजना है, जिस पर 50 प्रतिशत राशि भारत सरकार द्वारा तथा 50 प्रतिशत राशि राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है। इस योजना द्वारा शौचालय की सफाई करने वाले, चर्मशोधन करने वाले, चमड़ा उतारने वालों तथा सफाई कार्य से परम्परागत रूप से लगे सफाई कर्मचारियों के बच्चों को मैट्रिक-पूर्व शिक्षा अर्जन हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। अल्पसंख्यक समुदाय में भी मेहतर, लालबेगी, एवं हलालखोर आदि इसी श्रेणी में आते हैं। अत: मेरी अनुशंसा है कि अल्पसंख्यक समुदाय के इन विशेष जातियों को भी इस योजना का लाभ दिया जाय ।

7. पिछड़ी जातियों के लिए गृह निर्माण योजना :-

इन्दिरा आवास की तरह पिछड़ी जाति के गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करनेवाले बेघर परिवारों को गृह उपलब्ध कराने हेतु कल्याण विभाग द्वारा भी गृह निर्माण की योजना है। मेरी अनुशंसा है कि अल्पसंख्यक समुदाय में भी पिछड़े दबे-कुचले लोगों को उनकी जन-संख्या के अनुपात में, जो कम से कम 20 प्रतिशत हो, इस योजना के तहत लाभ पहुंचाया जाय ।

8. अन्न भण्डार :-

कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति एवं पिछड़ा वर्ग की जातियों के लिए विशेष कर दक्षिण बिहार में भण्डार का संचालन किया जाता है ताकि उन्हें सूदखोरों द्वारा मनमानी ढंग से लिये जानेवाले सूद से बचाया जा सके। इस भंडार से उक्त जाति के सदस्यों को बीज के लिए, पर्व, विवाह, श्राद्ध अदि अवसरों पर उपयोग किये जाने हेतु 10 प्रतिशत सूद की दर से कर्ज दिया जाता है। वर्त्तमान में यह योजना पुनजीर्वित की जा रही है। ऐसी स्थिति में मेरी यह अनुशंसा होगी कि अल्पसंख्यकों में दबे-कुचले बेसहारा, बेजुवान लोगों के लिए इस योजना में प्रतिशत, जो कि कम से कम 20 प्रतिशत हो, निर्धारित की जाय ।

9. प्रशिक्षण सह उत्पादन केन्द्र :-

कल्याण विभाग द्वारा विभिन्न गृह उद्योगों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जातियों को प्रशिक्षण हेतु 15 प्रशिक्षण-सह-उत्पादन केन्द्र तथा अनुसूचित जाति के लिए दो औद्योगिक विद्यालय तथा एक प्रशिक्षण-सह-उत्पादन केन्द्र संचालित है। इन विद्यालयों तथा केन्द्रों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन-जाति के बच्चों तथा बच्चियों को विभिन्न प्रतिभाओं (व्यवसायों) में प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वे स्वावलम्बी बन सकें और अपनी आर्थिक स्थिति सुधार सकें ।

अल्पसंख्यकों में भी बहुत-सी ऐसी जातियाँ हैं, जिनका उल्लेख ऊपर किया गया है, जैसे-मेहतर, लालबेगी, नट, बक्खों, नालबंद, हलालखोर, पवरिया, फकीर (साई एवं भाट), डफाली, भटियारा, मदारी, मीरशिकार एवं मीरयासीन इत्यादि, जिनकी स्थिति अनुसूचित जाति एवं जन-जाति के समान है। अत: मेरी अनुशंसा है कि इन दबे-कुचले, बेहसहारा, बेजुबान अल्पसंख्यकों को स्वावलम्बी बनाने हेतु प्रशिक्षण-सह-उत्पादन केन्द्र की स्थापना की जाय। कम से कम राज्य में ऐसे केन्द्र कटिहार, रांची, भागलपुर, बिहार शरीफ, दरभंगा एवं बेतिया में स्थापित किए जायँ ।

10. राष्ट्रीय भंगी मुक्ति योजना :-

भंगियों को उनके पेशे से मुक्त कराने की एक योजना केन्द्र सरकार द्वारा निरूपित की गई है, जिसे राष्ट्रीय योजना

का रूप दिया गया है। इसके तहत भंगियों को अपने पेशे से मुक्त कराने के उद्देश्य से उन्हें स्वनियोजन लायक बनाने के लिए प्रशिक्षण-सह-पुनर्वास की योजना का कार्यान्वयन किया जाता है। यह कार्य बिहार राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम के माध्यम से किया जाता है। कल्याण विभाग के प्रतिवेदन से यह स्पष्ट नहीं होता है कि अल्पसंख्यकों में भंगी का काम करने वाले कितने लोगों को इस कार्य से मुक्त कर पुनर्वासित किया गया है। मेरी अनुशंसा है कि अल्पसंख्यकों के लिए अलग से लक्ष्य निर्धारित किया जाय तथा इसकी समीक्षा की जाय ।

11. चिकित्सा सहायता :-

राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति तथा जन-जातियों के सदस्यों को असाध्य रोगों की चिकित्सा हेतु चिकित्सा सहायता प्रदान की जाती है। चिकित्सा सहायता के रूप में 300/- रुपया प्रति व्यक्ति देने का लक्ष्य है, जबकि अल्पसंख्यकों में भी ऐसी बहुत-सी जातियां है जैसे-मेहतर, लालबेबी, नट, बक्खों, नालबंद, हलालखोर, पवरिया, फकीर (साई एवं भाट), डफाली, भटियारा, मदारी, मीरशिकार एवं मिरयासीन इत्यादि जो अनुसूचित जातियों के समान ही दबी-कुचली बेसहारा एवं निर्धन है।

अतः मेरी अनुशंसा है कि इस योजना का लाभ उन्हें भी पहुंचाया जाय ।

12. आयुर्वेदिक चिकित्सालय :-

कल्याण विभाग द्वारा राज्य में 45 आयुर्वेदिक चिकित्सालय संचालित हैं, जिसमें एक वैद्य एवं एक सहायक पदस्थापित हैं। ज्ञातव्य हो कि आयुर्वेदिक महाविद्यालय की भांति यूनानी महाविद्यालय भी सरकार द्वारा संचालित है, जहां से प्रत्येक वर्ष वैद्य की भांति हकीम भी डिग्री प्राप्त करते हैं, परन्तु उन्हें रोजगार का समुचित अवसर प्राप्त नहीं है। अतः मेरी अनुशंसा है कि आयुर्वेदिक चिकित्सालय की तरह यूनानी चिकित्सालय की स्थापना भी साथ-साथ की जाए, जिसमें एक हकीम तथा एक अत्तार पदस्थापित किया जाए। देशी चिकित्सा के लिए अलग से एक निदेशालय स्थापित है, जिसमें एक उप निदेशक, यूनानी चिकित्सक पद्धति के भी हों।

13. स्पोर्ट्स छात्रवृत्ति योजना :-

आदिवासी लड़के-लड़कियों खेल-कूद में काफी रूचि लेते हैं, लेकिन समुचित व्यवस्था एवं प्रोत्साहन के अभाव में उन्हें खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लेने का पूर्ण अवसर नहीं मिल पाता है। अतः राज्य सरकार द्वारा आदिवासी लड़के-लड़कियों को खेल-कूद में प्रशिक्षण देने की एक योजना कार्यान्वित की जा रही है।

ठीक यही स्थिति उस क्षेत्र के अल्पसंख्यक समुदाय के लड़के-लड़कियों की भी है, जिन्हें खेल-कूद में काफी रूचि है, परन्तु समुचित ब्यवस्था एवं प्रोत्साहन के अभाव में उनकी सलाहियत दब जाती है। अतः मेरी अनुशंसा है कि उन्हें भी इस योजना के तहत लाभ पहुँचाया जाय ।

14. पुस्तक अधिकोष :-

मेडिकल एवं इंजीनियरिंग पढ़ने वाले अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए राज्य के एक मेडिकल कॉलेज एवं छः इंजीनियरिंग कॉलेज में पुस्तक अधिकोष की स्थापना की गई है। इन अधिकोषों के माध्यम से उन छात्रों को कोर्स की सभी पुस्तकें उपलब्ध कराई जाती हैं। अब यह निर्णय लिया गया है कि एग्रीकल्चर, भेटनरी एवं पोलिटेकनिक आदि में भी पुस्तक अधिकोष की सुविधायें उपलब्ध कराई जाय। अल्पसंख्यकों में भी बहुत-सी ऐसी जातियां हैं, जिनकी स्थिति अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के समान है। अतः मेरी अनुशंसा है कि उन्हें भी इस योजना के तहत लाभ पहुंचाया जाय ।

15. प्रथम एवं द्वितीय मातृत्व के लिए अनुदान :-

प्रथम एवं द्वितीय मातृत्व के बीच कम से कम 36 माह का अंतराल रहने पर गरीबी रेखा के नीचे 19 वर्ष या उससे अधिक की महिलाओं के लिए प्रथम मातृत्व (मां बननेवालों) के अवसर पर 300/- रु० एवं द्वितीय मातृत्व के अवसर पर 500/- रु० का अनुदान पौष्टिक आहार एवं औषधि हेतु बिहार के सभी प्रखण्ड के लिए योजना कार्यान्वित है। मैंने विभिन्न जिलों की समीक्षा से ऐसा पाया है कि अल्पसंख्यक महिलाओं को उनकी जनसंख्या के अनुपात में इसका समुचित लाभ नहीं मिल रहा है, अत: मेरी अनुशंसा है कि मासिक एवं वार्षिक प्रतिवेदनों में इसके लिए अलग से आंकड़े मांगे जायँ तथा उनकी जनसंख्या के अनुरूप न्यूनतम लक्ष्य, जो कम से कम 20 प्रतिशत हो, निर्धारित किया जाय ।

16. भिक्षुक गृह :-

पटना में 25 सीटेड भिक्षुक गृह संचालित है। इसमें भोजन, वस्त्र, चिकित्सा आदि की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। कल्याण विभाग के प्रतिवेदन में यह स्पष्ट नहीं है कि तत्काल उक्त भिक्षुक गृह में कितने भिक्षुक हैं तथा अल्पसंख्यक समुदाय के कितने भिक्षुक इसमें रखे गये हैं। ज्ञातव्य हो कि अल्पसंख्यक समुदाय में भिक्षुओं की संख्या काफी अधिक है। अत: मेरी अनुशंसा है कि भिक्षुक गृह में सीटों की संख्या बढ़ाई जाय या यदि संभव हो तो पटना के अतिरिक्त रांची, भागलपुर, मुजफ्फरपुर एवं गया तथा अन्य शहरों में भी भिक्षुक गृह स्थापित किए जायँ तथा अल्पसंख्यक समुदाय के लिए उसमें सीट आरक्षित की जाय ।

17. नेत्रहीन बच्चों के लिए विद्यालय :-

नेत्रहीन बालकों के लिए पटना और दरभंगा में बिहार सरकार के द्वारा एक-एक आवासीय उच्च विद्यालय तथा रांची और भागलपुर में एक-एक मध्य विद्यालय संचालित हैं। इन आवासीय विद्यालयों में 176 छात्रों के शिक्षा की व्यवस्था हैं इन विद्यालयों में सरकार द्वारा मुफ्त आवासीय सुविधा के साथ मुफ्त भोजन आदि की व्यवस्था है। मैं चाहूंगा कि अल्पसंख्यक समुदाय के नेत्रहीन बच्चों के लिए इसमें सीट आरक्षित की जाय ।

18. मूक-बधिर बच्चों के लिए विद्यालय :-

मूक-बधिर बच्चों के लिए पटना, दरभंगा, मुंगेर और दुमका में एक-एक आवासीय विद्यालय संचालित किया जा रहा है। यह सभी विद्यालय मध्य स्तर के हैं। इसमें 150 आवासीय बच्चों के शिक्षण की व्यवस्था हैं। इन विद्यालयों में छात्रों को सरकार द्वारा मुफ्त आवसीय सुविधा के साथ मुफ्त भोजन, वस्त्र, दवा, पठन-पाठन सामग्रियों की सुविधा प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त पटना में एक गूंगे एवं बहरे मूक-बधिर बालिका विद्यालय तथा भागलपुर और रांची में एक-एक मूक बधिक मध्य विद्यालय की स्थापना की स्वीकृति दी गई है, जिसमें कुल 110 छात्र और छात्राओं की शिक्षा की व्यवस्था है। इसमें भी मुफ्त भोजन, वस्त्र, दवा, पठन-पाठन की व्यवस्था प्रदान की जाती है। अल्पसंख्यक समुदाय में गूंगे बहरे बच्चों की संख्या काफी अधिक है। अत: मेरी अनुशंसा है कि उनके लिए इस विद्यालय में समुचित संख्या में सीट आरक्षित की जाय ।

19. विकलांगों की सहायता :-

विकलांग व्यक्तियों के स्वनियोजन के लिए पटना में एक विकलांग प्रशिक्षण केन्द्र सरकार द्वारा संचालित किया जा रहा है। यह एक आवासीय संस्थान है, इसमें 50 विकलांग व्यक्तियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था है। इस संस्थान में प्रशिक्षणार्थियों को सरकार द्वारा मुफ्त प्रशिक्षण की व्यवस्था के साथ-साथ मुफ्त आवासीय सुविधा, भोजन सुविधा, पठन-पाठन सामग्रियों की सुविधा प्रदान की जाती है। इसी प्रकार विद्यालय स्तर से लेकर विश्वविद्यालय स्तर की कक्षाओं में पढ़नेवाले छात्रों को पाठ्यक्रम और वर्गक्रम के अनुसार छात्रवृत्ति की सुविधा प्रदान की जाती हैं। मेरी अनुशंसा

है कि अल्पसंख्यक समुदाय के विकलांगों को भी उनकी जनसंख्या के अनुपात में, जो कम से कम 20 प्रतिशत हो, सहायता पहुचायी जाय ।

20. स्वयंसेवी संस्थानों को अनुदान :-

विकलांगों के कल्याण में संलग्न स्वयंसेवी संस्थाओं को भी सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, इसके अतिरिक्त शिक्षा विभाग द्वारा राज्य के कुछ चयनित विद्यालय में समन्वित शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत विकलांग बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ-साथ शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था प्रदान की गई है। मैं चाहूंगा कि अल्पसंख्यकों में विकलांगों की सेवा करने वाले स्वयंसेवी संस्थाओं को भी सहायता देते हुए बढ़ावा दिया जाए, साथ ही साथ अल्पसंख्यक विद्यालयों में भी समान बच्चों के साथ-साथ विकलांग बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था की जाय। पहले चरण में यह कार्य रांची, गोड्डा, दुमका, नालन्दा, पूर्णिया, दरभंगा, बेतिया, कटिहार आदि अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में आरम्भ किया जा सकता है।

21. विकलांगों को अन्यान्य सहायता :-

विकलांग व्यक्तियों को, जो चलने-फिरने से लाचार हैं, उन्हें कल्याण विभाग द्वारा श्रवण यंत्रों, स्वचालित रिक्शा और हाथ रिक्शा उपलब्ध कराया जाता है। मैं चाहूंगा कि अल्पसंख्यकों में विकलांगों को भी इस प्रकार की सुविधा दी जाय तथा संबंधित सरकारी प्रतिवेदनों में अल्पसंख्यकों को पहुंचाये गये लाभों का आंकड़ा अलग से मांगा जाय।

22. निराश्रित (बेसहारा) बच्चों का कल्याण :-

असहाय् बच्चों के कल्याणार्थ संचालित गैर सरकारी संस्थानों को दीनबन्धु योजना के अन्तर्गत अनुदान दिया जाता है। अल्पसंख्यक समुदाय के असहाय् बच्चों के लिए राज्य के विभिन्न स्थानों में यतीमखाना खोला गया है। कितने यतीमखानों को इस योजना के अन्तर्गत लाभ पहुंचाया गया, यह कल्याण विभाग के प्रतिवेदन में स्पष्ट नहीं है। अत: मेरी अनुशंसा है कि यतीमखानों को भी इस योजना में शामिल किया जाय तथा उन्हें दी गई सहायता का आंकड़ा अलग से मांगा जाय और यदि अब तक इस लाभ से वंचित हैं, तो उन्हें भी इस योजना के तहत लाभान्वित किया जाय।

23. निराश्रित (बेसहारा) महिलाओं को पुनर्वास एवं प्रशिक्षण हेतु गैर सरकारी संगठनों को अनुदान :-

विवादग्रस्त महिलाओं के पुनर्वास की योजना भारत सरकार द्वारा संचालित एक योजना है, इसमें वैसी महिलाओं को प्रशिक्षण देकर स्वनियोजित करने का प्रयत्न किया जाता है, जो परित्यक्ता (तलाकशुदा), विधवा (बेवा) या अन्य प्रकार से असहाय हैं और अपना जीविकोपार्जन करने में असमर्थ हैं। ऐसी महिलाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण देकर उनहें स्वावलंबी बनाना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। छः महीने के एक कोर्स में 20 से 40 महिलाओं को प्रशिक्षण देने का प्रावधान है। इस योजना का व्यय भारत सरकार, राज्य सरकार तथा संबंधित संस्थाएँ क्रमश: 45 तथा 10 प्रतिशत के अनुपात में वहन करती हैं। अल्पसंख्यकों में भी ऐसी महिलाओं की संख्या काफी है। अत: मेरी अनुशंसा है कि ऐसी पीड़ित महिलाओं के लिए भी ऐसे प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाय। उनकी संख्या के अनुसार प्रतिशत निर्धारित करते हुए संबंधित विभागीय प्रतिवेदनों में अल्पसंख्यकों को पहुंचाने गये लाभों का आंकड़ा अलग से मांगा जाय ।

24. कार्यकारी महिलाओं के लिए हॉस्टल का निर्माण :-

बिहार राज्य के शहरों में कार्य करने वाली महिलाओं के लिए हॉस्टल निर्माण, विस्तार एवं हॉस्टल के लिए मकान क्रय करने हेतु गैर सरकारी संस्थाओं स्थानीय निकायों एवं प्राधिकृत सहयोग समिति को सहायता देने का भारत सरकार समाज कल्याण मंत्रालय की योजना है। ऐसी योजनाओं के लिए 75 प्रतिशत प्रस्ताव अनुदान स्वरूप दिया जाता है।

अल्पसंख्यक कार्यकारी महिलाओं की विशेष परिस्थिति एवं परिवेश के मद्देनजर उनके लिए भी हॉस्टल की आवश्यकता है। हॉस्टल के अभाव में अकेली बेसहारा महिलाओं को होटल आदि अन्य स्थानों पर ठहरना पड़ता है, जिसके फलस्वरूप उनकी जान-माल एवं इज्जत की समस्या उत्पन्न हो जाती है। हाल ही में समाचार पत्रों में एक खबर आई कि पटना के एक होटल में भागलपुर से साक्षात्कार देने आई अल्पसंख्यक 25 वर्षीय महिला बेहोश अवस्था में पाई गई। चर्चा है कि बेहोशी में उसकी इज्जत भी लूटी गई। (इंकलाबे जदीद, दैनिक उर्दू पटना, दिनांक 9.1.97) । अत: मेरी अनुशंसा है कि अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए उनके विशेष परिवेश के अनुरूप कम से कम पटना में एक हॉस्टल का निर्माण किया जाय ।

25. बाल विकास परियोजना :-

समेकित बाल विकास परियोजना केन्द्र प्रायोजित योजना है। इस परियोजना में होने वाले प्रशासनिक व्यय का शत-प्रतिशत व्यय भारत सरकार वहन करती है और इन परियोजनाओं के माध्यम से 0-6 वर्ष के बच्चों, गर्भवती महिलाओं एवं धात्री माताओं (दूध पिलाने वाली माँ) के स्वास्थ्य को कुपोषण से बचाने के लिए आंगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से पोषाहार एवं टीकाकरण आदि की व्यवस्था है। पोषाहार पर होने वाले सम्पूर्ण व्यय का भार राज्य सरकार वहन करती है। समाज के कमजोर वर्ग के बच्चों, गर्भवती माताओं एवं धात्री माताओं के जीवन स्तर को बेहतर बनाने, शिशुओं की मृत्यु दर में कमी लाने एवं बच्चों को कुपोषण से मुक्ति दिलाने के उद्देश्य से समेकित बाल विकास योजना राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में वर्ष 1975-76 से प्रारम्भ की गई है।

मेरी अनुशंसा है कि इस परियोजना के तहत अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में भी अधिकाधिक केन्द्र, जो कि कम से कम 20 प्रतिशत हो, स्थापित किया जाय क्योंकि अल्पसंख्यक बच्चों में मृत्यु दर काफी अधिक है। अल्पसंख्यकों के लिए पहुंचाये गये लाभों का प्रतिवेदन अलग से मांगा जाय ताकि यह ज्ञात हो सके कि कितने अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों और महिलाओं को इस योजना के तहत लाभ पहुंचाया गया ।

26. यहाँ पर मैं एक और गम्भीर समस्या का विशेष रूप से उल्लेख करना चाहता हूँ जिसका समाधान अत्यन्त आवश्यक है। समस्या यह है कि एक ही पेशे से परम्परागत रूप से जुड़ी जातियाँ अलग-अलग धर्मावलम्बी है। अलग-अलग धर्मावलम्बी होने के कारण उन्हें मिलने वाला लाभ समान नहीं है। जैसे-मेहतर, लालबेगी, धोबी, हलालखोर, पासी, नट इत्यादि जो मुस्लिम धर्मावलम्बी हैं, वे पिछड़ा वर्ग में आते हैं, जबकि हिन्दू धर्मावलम्बी में यही जातियाँ अनुसूचित जाति वर्ग के अन्तर्गत आते हैं। उसी प्रकार ईसाई धर्मावलम्बी अनुसूचित जातियां अन्य पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आते हैं। जबकि एक ही पेशे से जुड़े रहने के कारण उन्हें समाज में समान रूप से तिरस्कृत किया गया है तथा सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से समान रूप से ही दबी, कुचली व बेजुबान एवं बेसहारा हैं ।

अत: मेरी अनुशंसा है कि उन्हें समान रूप से सरकार द्वारा लाभ पहुंचाया जाय। इस कार्य के लिए आवश्यक हो तो सरकार को नियम को शिथिल कर या संशोधन कर निर्णय लेना चाहिए, ताकि सरकार के सामाजिक न्याय का लाभ समाज के सभी तबके को समान रूप से मिल सके।

बारम्बार स्मार दिया गया है परन्तु कार्रवाई अपेक्षित है ।

(v) श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग को की गयी अनुशंसाएँ

अनुशंसा संख्या -1 :

अध्यक्ष, अल्पसंख्यक आयोग ने अपने पत्रांक-703 दिनांक-30.5.97 द्वारा निदेशक, श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण

विभाग को अपनी अनुशंसा में लिखा था कि "आपके द्वारा निर्गत ज्ञापांक-164 दिनांक 18.1.86, 1439 दिनांक 18.5.85, 2178 दिनांक 19.7.85 एवं 2177 दिनांक 21.7.85 का निर्देश करें (परि० 12, 13, 14, 15)। उक्त पत्रों के द्वारा आपने सभी नियोजन पदाधिकारियों को यह निदेश दिया था कि अल्पसंख्यक समुदाय का निबंधन पहले की भांति किया जायगा, परन्तु अलग से एक पंजी एक्स-63 संधारित होगी, जिसमें अल्पसंख्यक समुदाय के आवेदकों की निबंधन संख्या, नाम, आदि मूल निबंधन पंजी से देखकर अंकित किया जायगा। ऐसे आवेदकों का निबंधन कार्ड की फाइलिंग नियमानुसार पूर्व की भांति की जाएगी। चूंकि सम्पोषण में वरीयता के आधार पर उनका सम्पोषण होता है। साथ-साथ अल्पसंख्यक समुदाय के आवेदक, जो जीवित पंजी पर हैं, उनकी निबंधन संख्या आदि एक्स-63 पंजी से उतारकर दूसरे एक्स-63 पंजी में रखा जाय ताकि इससे पता चल सके कि उक्त समुदाय के कितने आवेदक जीवित पंजी पर उपलब्ध हैं। पंजी एक्स 64 (रिक्त पंजी) में भी अल्पसंख्यकों के लिए एक कॉलम जोड़ा जाए।

पत्रांक-1439 दिनांक 18.5.85 के आलोक में अल्पसंख्यकों के आवेदनों को नियोजनालय में निबंधन एवं उनका नाम नियोजकों को प्रेषित करने में किसी प्रकार का भेद-भाव नहीं किया जाय।

आपके पत्रांक-2178 दिनांक-19.7.85 द्वारा जिला नियोजन पदाधिकारी, मोतिहारी, बेतिया, लहेरिया सराय एवं पूर्णियां को यह निदेश दिया गया था कि अपने नियोजनालय के क्षेत्र में जहां अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्तियों का जमाव हो, वहां जाकर उनके निबंधन के लिए विशेष अभियान चलाया जाय ताकि अधिक से अधिक उक्त समुदाय के व्यक्तियों का निबंधन हो और उन्हें जीवित पंजी पर लाया जाय। जिस क्षेत्र में अभियान चलाना हो, उस क्षेत्र में मुखिया को एक पत्र लिखकर सूचना दे दें ताकि मुखिया अल्पसंख्यक के बीच इसका प्रचार कर सके और फिर जिस तिथि को निबंधन अभियान के लिए जाना हो उस तिथि की जानकारी मुखिया को दे दें, जिससे कि निर्धारित तिथि को आवेदन निबंधन के लिए उपलब्ध हो सके।

आपने अपने पत्रांक-2177 दिनांक-19.7.85 द्वारा जिला नियोजन पदाधिकारी, मोतिहारी, बेतिया, लहेरिया सराय एवं पूर्णियां को यह निदेश दिया था कि आप अपने नियोजनालय में अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्तियों के लिए एक अलग शाखा खोलने की व्यवस्था करें। जिस प्रकार प्रत्येक नियोजनालय में महिला-शाखा कार्यरत है, उसी प्रकार अल्पसंख्यक-शाखा भी कार्य करेगा। इन समुदाय के लिए अलग से निबंधन, नवीकरण एवं जीवित पंजी का पोषण करना है ।

इस संबंध में कारगर कार्रवाई करने हेतु अध्यक्ष ने अपने उपर्युक्त पत्र द्वारा अनुशंसा की थी, परन्तु बारम्बार स्मार देने के बावजूद अब तक कार्रवाई की जानी अपेक्षित है।

अनुशंसा संख्या-2 :

अध्यक्ष, अल्पसंख्यक आयोग ने अपने पत्रांक-845 दिनांक 7.7.97 द्वारा निदेशक, सामाजिक सुरक्षा को अनुशंसा की थी कि "विभिन्न जिलों के भ्रमण एवं समीक्षा से मैंने पाया है कि केन्द्रीय एवं राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित सामाजिक सुरक्षा योजना (वृद्धावस्था पेंशन) में अल्पसंख्यकों को समुचित लाभ पहुंच रहा है या नहीं, इससे बहुत ही सुस्पष्ट जानकारी अलग आंकड़ा नहीं रहने के कारण मिलनी सम्भव नहीं हो पाती है।

अत: मैं चाहूंगा कि मासिक, त्रैमासिक एवं वार्षिक प्रतिवेदन में अल्पसंख्यकों को पहुंचाये गये लाभों का आँकड़ा अलग से प्राप्त किया जाय तथा इसकी अद्यतन जानकारी मुझे भी दी जाय ।

कई स्मारों के बावजूद अबतक प्रतिवेदन अपेक्षित है।

उसी प्रकार परिवार लाभ योजना, बालिका समृद्धि योजना में भी अल्पसंख्यकों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में लाभ पहुंचाया जाना चाहिए ।

(vi) उद्योग विभाग को की गयी अनुशंसाएँ

अध्यक्ष, अल्पसंख्यक आयोग ने अपने पत्रांक-211 दिनांक- 3.6.97 द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार योजना एंव लघु उद्योगों के निबंधन में अल्पसंख्यकों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में लाभ पहुंचाने हेतु अनुशंसा करते हुए लिखा था कि "विभिन्न जिलों के भ्रमण के दौरान समीक्षा में मैंने यह पाया है कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत लाभान्वितों में अल्पसंख्यकों की संख्या नगन्य है। यह एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। हालाँकि सरकार द्वारा अल्पसंख्यकों के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है, परन्तु इन योजनाओं का उद्देश्य ही है कि गरीब एवं पिछड़े वर्ग के युवकों को समान रूप से रोजगार के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाय। इसलिए इस योजना का संचालन करनेवाले विभाग की जबावदेही बनती है कि वह सुनिश्चित करें कि योजनाओं का लाभ सभी समुदाय के लोगों को समान रूप से पहुंचे। उदाहरणस्वरूप नवादा जिला में वर्ष 95-96 में 206 लाभान्वितों में मात्र 11 अल्पसंख्यक समुदाय के थे। यही स्थिति कमोवेश अन्य जिलों की है। निबंधन के मामले में भी अल्पसंख्यकों की भागीदारी संतोषजनक नहीं है।

अत: मेरी अनुशंसा है कि आप सभी जिलों के निदेशकों की एक बैठक बुलाकर इसकी समीक्षा करें तथा वित्तीय वर्ष 97-98 में यह सुनिश्चित करें कि अल्पसंख्यकों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में कम से कम 20 प्रतिशत का लाभ निश्चित रूप से पहुंचाया जाय ।

अध्यक्ष ने अपने दूसरे पत्रांक-771 दिनांक-18.6.97 द्वारा सचिव, उद्योग विभाग को लिखा कि "कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग (तत्कालीन 20-सूत्री कार्यक्रम विभाग) के पत्रांक-451 दिनांक-19.3.88 का अवलोकन करें। मैंने अपने पत्रांक-211 दिनांक-3.6.97 द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार योजना एवं लघु उद्योग इकाई के निबंधन में अल्पसंख्यकों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में लाभ पहुंचाने हेतु अनुशंसा की थी, जबकि कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग ने वर्ष 1988 में ही अल्पसंख्यकों को कम से कम उनकी जनसंख्या के अनुपात में लाभ पहुंचाने के सरकारी निर्णय का निर्देश निर्गत कर दिया था, तो अब मेरे विचार में आपके विभाग द्वारा निर्णय लेने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए।"

उद्योग विभाग ने बड़ी तत्परता के साथ कार्रवाई करते हुए अपने पत्रांक-4363 दिनांक-8.7.97 (परि० 16) द्वारा आदेश निर्गत किया कि "अल्पसंख्यकों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में लाभान्वित किया जाना है। वर्त्तमान में अल्पसंख्यकों के संबंध में उपलब्ध जानकारी संतोषजनक नहीं है। अल्पसंख्यक आयोग द्वारा विभाग का ध्यान विशेष रूप से उस ओर आकृष्ट किया गया है।

अत: विशेष तौर से उपुर्यक्त कार्यक्रम में अल्पसंख्यकों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में लाभान्वित करने के लिए ठोस कदम उठाये जायँ तथा प्रत्येक माह में प्रधानमंत्री रोजगार योजना सम्बन्धी प्रतिवेदन में इसका उल्लेख करें।"

विभाग की कार्यवाही सराहनीय है। आवश्यकता इस बात की है कि उक्त आदेश का पालन कारगर रूप से कराने हेतु उसका मूल्यांकन भी दृढ़ता से कराया जाय ।

(vii) खाद्य एवं आपूर्त्ति विभाग को की गयी अनुशंसाएँ

अनुशंसा संख्या-1

अध्यक्ष अल्पसंख्यक आयोग ने अपने पत्रांक-714 दिनांक-3.6.97 द्वारा सचिव, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग को लिखा कि "विभिन्न जिलों के भ्रमण के क्रम में समीक्षोपरांत मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि जनवितरण प्रणाली के दुकानदारों एवं खुदरा किरासन तेल विक्रेताओं को अबतक निर्गत की गई अनुज्ञप्तिओं में अल्पसंख्यकों को उनकी जनसं ख्या के अनुपात में भागीदारी नहीं है। यही स्थिति कुछ दिन पूर्व तक अनुसूचित जाति एवं जन जाति के साथ थी परन्तु उन लोगों

के लिए सरकार द्वारा अनुज्ञप्ति का लक्ष्य निर्धारित किये जाने के बाद उनकी संख्या में अपेक्षित वृद्धि हुई हैं। उदाहरणस्वरूप नवादा जिले में 976 जनवितरण प्रणाली विक्रेताओं के विरूद्ध मात्र 51 अल्पसंख्यक हैं। उसी प्रकार किरासन तेल के 199 हॉकर में मात्र 8 अल्पसंख्यक समुदाय के हैं।

अतः मेरे विचार में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति की भांति अल्पसंख्यक के लिए भी लाभ का प्रतिशत निर्धारित किया जाय ताकि इन महत्वपूर्ण योजनाओं में उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो सके"।

अध्यक्ष ने अपने दूसरे पत्रांक-777 दिनांक-18.6.97 द्वारा खाद्य एवं आपूर्ति विभाग को लिखा कि "20 सूत्री कार्यक्रम विभाग ने अपने पत्रांक-451 दिनांक-19.3.88 द्वारा सरकार का यह निर्णय आपको संसूचित किया था कि अल्पसंख्यकों को कम से कम उनकी जन संख्या के अनुपात में अनुज्ञप्तियाँ निर्गत की जाय और अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र में दुकानें खोली जायें। मेरे विचार में अब आपके विभाग से इस संबंध में यथाशीघ्र निर्णय लेने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए।"

कई स्मारों के बावजूद इस संबंध में अग्रेतर कार्रवाई का प्रतिवेदन विभाग से अपेक्षित है।

अनुशंसा संख्या - 2

अध्यक्ष ने अपने पत्रांक-1545 दिनांक-19.1.97 द्वारा श्री सीताराम दास, मंत्री, खाद्य आपूर्ति एवं वाणिज्य विभाग को अनुशंसा करते हुए लिखा कि "आज मैं आपका ध्यान एक बहुत जरूरी और बेहद गम्भीर बल्कि बहुत ही उपेक्षित समस्याओं की ओर आकृष्ट कराना चाहूंगा, वह समस्या है-समाज के बेहद गरीब, बेसहारा, बेजुबान और बदनसीब बच्चों की। इन बच्चों में कुछ अनाथालय और कुछ आवासीय मदरसों में पढ़ते हैं। इन संस्थाओं में खर्च के लिए स्थायी आमदनी का जरिया नहीं है। बल्कि समाज के कुछ इंसान दोस्त लोग के चंदे और दान से ही किसी तरह उनका खर्च चलता है इसी वजह से इसमें पढ़नेवाले बच्चों तथा पढ़ानेवाले शिक्षकों को तरह-तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

यह सच है कि तमाम गरीबों, बेसहारों की नजर इस सामाजिक न्याय की सरकार पर टिकी हुई है और सहायता एवं सहयोग के लिए हर एक ही आस सरकार से लगी हुई है। साथ ही यह भी सच है कि इस सरकार को बनाने में उन गरीबों की भरपूर मदद और दुआ भी शामिल है और अभी भी आड़े समय में वही गरीब एवं बेसहारा लोग सरकार का सहारा बनने के लिए हर समय खड़े नजर आते हैं। बल्कि जान की बाजी लगाने के लिए भी तैयार रहते हैं।

इसलिए यह जरूरी है कि सरकार भी उन बेसहारों का सहारा बनने के लिए आगे आये। यह सरकार का फर्ज ही नहीं बल्कि सरकार पर उन गरीब, बेसहारों का कर्ज भी है, जिसे सरकार को हर कीमत पर चुकाना है।

अतः यह हमारी अनुशंसा होगी कि राज्य के तमाम अनाथालय एवं आवासीय मदरसों तथा दूसरे ऐसे तमाम शिक्षा संस्थाओं, जो लोगों के चंदे एवं दान से चल रहा है, चाहे वह किसी समुदाय के हों, उन में पढ़नेवाले तमाम बच्चों का राशन कार्ड बनाने का आदेश फौरन जारी किया जाय। यह इंसानियत की बहुत बड़ी मदद होगी और अगर इस राह में कुछ नियम या प्रक्रिया आड़े आते हों तो उसे शिथिल करके भी यह अहम् फैसला सरकार को लेना चाहिए। इसके लिए तमाम इंसानों की हमदर्दी और दुआ सरकार के साथ होगी"।

इस पत्र की प्रति श्री राम लखन महतो, राज्यमंत्री, खाद्य एवं आपूर्ति को भी दी गयी थी।

राज्यमंत्री, खाद्य एवं आपूर्ति ने बड़ी तत्परता से कार्रवाई करते हुए पत्रांक 23 दिनांक 20.1.98 सचिव, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग को लिखा है कि अविलम्ब इस संबंध में आदेश निर्गत किया जाय। अध्यक्ष ने पुनः एक पत्र सचिव, आपूर्ति

विभाग को अपने पत्रांक 1830/18.5.98 द्वारा लिखा। तत्कालीन सचिव खाद्य एवं आपूर्ति विभाग श्री विजय कुमार वर्मा के व्यक्तिगत प्रयास एवं रूचि के फलस्वरूप विभागीय आदेश सं.-2382 दिनांक 23.5.98 एवं 2729 दिनांक 1.6.98 द्वारा राज्य के तमाम अनाथालयों एवं रिमाण्ड होम के रहने वाले व्यक्तियों को लाल राशन कार्ड निर्गत करने का आदेश दिया गया (परि० 17 एवं 18, 18क, 18ख, 18ग) जो सराहणीय था । सभी आवासीय मदरसों (जो कि अघोषित अनाथालय है और लोगों के दान-चंदा से चलते हैं), में रहनेवालो को भी लाल कार्ड निर्गत किया जाए।

(viii) नगर विकास विभाग को की गयी अनुशंसाएँ

अध्यक्ष, अल्पसंख्यक आयोग ने अपने पत्रांक-713 दिनांक-3.6.97 द्वारा सचिव, नगर विकास विभाग को अनुशंसा करते हुए लिखा कि "विभिन्न जिलों के भ्रमण के क्रम में समीक्षोपरान्त मैंने ऐसा पाया है कि नेहरू रोजगार योजना के तहत चलायी जानेवाली योजनाओं में अल्पसंख्यकों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में लाभ नहीं पहुंचाया जा रहा है।

अतः मेरी अनुशंसा है कि उनकी जन-संख्या के अनुपात में कम से कम 20 प्रतिशत का लाभ पहुंचाना सुनिश्चित करें।

पुनः अध्यक्ष ने अपने पत्रांक-777 दिनांक-18.6.97 द्वारा सचिव, नगर विकास विभाग को अनुशंसा भेजते हुए लिखा कि "कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग ने अपने पत्रांक-51 दिनांक-19.3.88 द्वारा यह निदेश दिया था कि अल्पसंख्यकों को कम से कम उनकी जनसंख्या के अनुपात में लाभ पहुंचाया जाय। इसमें अल्पसंख्यक समुदाय की झुग्गी-झोपड़ी में सुधार लाने का कार्यक्रम भी सम्मिलित था। उस समय नेहरू रोजगार योजना प्रारम्भ नहीं हुई थी, इसलिए इस योजना का जिक्र नहीं है। अब उक्त योजना का नाम स्वर्णजयंती शहरी रोजगार योजना हो गया।

अतः मेरे विचार में आपके विभाग द्वारा स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना एवं तंग-बस्ती को सुधार की योजना में अल्पसंख्यकों को उनकी जन-संख्या के अनुपात में लाभ पहुंचाने हेतु आदेश निर्गत करने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। मैं चाहूंगा कि इस संबंध में यथाशीघ्र निर्णय लेते हुए आदेश निर्गत किया जाय।

सचिव, नगर विकास विभाग ने अपने पत्रांक 103 दिनांक 11.3.98 द्वारा सूचित किया है कि आपकी अनुशंसा के संबंध में भारत सरकार से निदेश मांगा गया था। भारत सरकार के शहरी कार्य एवं रोजगार मंत्रालय के पत्रांक 14011 दिनांक 12.7.98 द्वारा यह निदेश दिया गया है कि "गरीबी रेखा से नीचे जीवन निर्वाह करने वाले शहरी अल्पसंख्यक इस योजना का लाभ सामान्य रूप से उठा सकते हैं। इसके लिए कोई प्रतिशत निर्धारित करने की आवश्यकता नहीं है।"

इसी प्रकार अन्त्योदय एवं अन्नपूर्णा योजना में भी अल्पसंख्यकों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में लाभ पहुंचाने हेतु सरकारी आदेश निर्गत किया जाना चाहिए ।

(ix) स्वास्थ्य विभाग को की गयी अनुशंसाएँ

अनुशंसा संख्या-1

राजकीय तिब्बिया कॉलेज, पटना में नामांकन हेतु सीटों की संख्या-60 थी जिसे घटाकर वर्ष 1995 में 20 कर दिया गया है। अध्यक्ष, अल्पसंख्यक आयोग ने अपने गै.स.प्रे. सं.-32 दिनांक-21.5.96 एवं 35 दिनांक-3.6.96 (परि० 19, 20) द्वारा आयुक्त-सह-सचिव, स्वास्थ्य चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण को अनुशंसा करते हुए लिखा था कि

सीटों की संख्या पूर्ववत् 60 रखी जाय तथा मदरसा एवं ओरियनटल शिक्षा प्राप्त छात्र एवं छात्राओं के लिए कुल सीटों में से एक तिहाई सीट आरक्षित करने के बाद ही नामांकन की प्रक्रिया अपनायी जाय।

उक्त अनुशंसा के आलोक में विभाग ने अपने संकल्प संख्या-476 दिनांक-11.7.97 द्वारा (परि० 21) सीटों की संख्या 20 से बढ़ाकर 50 कर दी तथा ओरियंटल परीक्षा उत्तीर्ण एवं योग्यता परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवारों को भी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान की।

उक्त आदेश की विधिवत सूचना आयोग को उप सचिव, स्वास्थ्य विभाग के पत्रांक-873 दिनांक-29.12.97 द्वारा दी गयी। (परि० 22)

अनुशंसा संख्या-2

अध्यक्ष, अल्पसंख्यक आयोग ने अपने पत्रांक-775 दिनांक-18.6.97 द्वारा सचिव, स्वास्थ्य विभाग को अनुशंसा करते हुए लिखा कि "कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग के पत्रांक-451 दिनांक-19.3.88 का निर्देश करें। उक्त पत्र के द्वारा यह निदेश दिया गया था कि अल्पसंख्यकों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में लाभ पहुँचाया जाय। उसके तहत आपके विभाग द्वारा अल्पसंख्यक ग्रामों में समुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/एच.एस.सी. खोला जाना था।

मैं चाहूंगा कि अल्पसंख्यक को उनकी जनसंख्या के अनुपात में लाभ पहुँचाना सुनिश्चित कराया जाय"।

स्वास्थ्य विभाग ने अपने पत्रांक 27 (10) दिनांक 9.2.98 द्वारा उपयुक्त पत्र के आलोक में केन्द्रों को खोलने की सूची की मांग सिविल सर्जनों से की है। (परि० 23)

अनुशंसा सं०-3

अध्यक्ष, अल्पसंख्यक आयोग ने अपने पत्रांक-1655 दिनांक-11.3.98 द्वारा स्वास्थ्य आयुक्त को अनुशंसा करते हुए लिखा कि "सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के कतरण सं.-21545 से प्राप्त दैनिक उर्दू "प्यारी उर्दू" को दिनांक 10.3.98 के अंक में प्रकाशित समाचार के अवलोकन से ज्ञात होता है कि वर्ष-98 हज यात्रियों को टीका लगाने की व्यवस्था सभी प्रमंडलीय मुख्यालय के सदर अस्पतालों में की गयी है। नवादा, देवघर में टीका उपलब्ध नहीं थी। यही हालत राजधानी पटना की भी है। सम्भवतः कमोवेश यही स्थिति अन्य जगहों पर भी हो सकता है।

अब जब हज यात्रियों को प्रस्थान करने में कुछ ही दिन रह गये हैं, उन्हें टीका दिलाने के लिए इधर-उधर भटकना पड़ रहा है और ऐसी संभावना है कि टीका के अभाव में उनकी यात्रा भी बाधित हो सकती है, जो एक गम्भीर मामला है।

अतः मैं चाहूंगा कि सभी संबंधित पदाधिकारियों को फैक्स संवाद द्वारा आदेश निर्गत किया जाय कि स्थानीय व्यवस्था कर टीका दिलवाना सुनिश्चित करें"।

(X) सांस्थिक वित्त विभाग को की गयी अनुशंसाएँ

अध्यक्ष, अल्पसंख्यक आयोग ने अपने पत्रांक-732 दिनांक-9.6.97 द्वारा सचिव, सांस्थिक वित्त विभाग को अनुशंसा करते हुए लिखा कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं से ऋण दिलाने का काम अत्यंत महत्वपूर्ण है। मेरा अनुभव है कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को वित्तीय संस्थाओं के स्तर पर बरती

जा रही उदासीनता के कारण औद्योगिक इकाई स्थापित करने की दिशा में सक्रिय नहीं हो पाते हैं। यही कारण है कि औद्योगिक क्षेत्र में अल्पसंख्यक समुदाय का प्रतिनिधित्व अत्यंत निराशाजनक है। साथ-साथ समय-समय पर रिजर्व बैंक ने बैंको को अल्पसंख्यक समुदाय को ऋण देने के मामले में आवश्यक निदेश जारी किये हैं, बैंकों को अल्पसंख्यक कोषांग खोलने की हिदायत भी दी गयी है, परन्तु इन निर्देशों का खुला उल्लंघन हो रहा है। यहां तक कि राज्य के अल्पसंख्यक आयोग को बैंक समिति में शामिल करने का निदेश भी अबतक कार्यान्वित नहीं हुआ है।

अतः मेरी अनुशंसा है कि बैंको एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं के प्रतिनिधियों की एक बैठक आयोजित की जाय ताकि भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों के आलोक में अल्पसंख्यक समुदाय को ऋण दिलाने की प्रक्रिया सरल एवं सुविधाजनक बनायी जा सके तथा उन संस्थाओं में आयोग के प्रतिनिधियों को शामिल करें ताकि इस दिशा में ठोस कार्रवाई की शुरूआत हो सके। ज्ञातव्य है कि बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग के तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष प्रो. जाबिर हुसैन ने अपने 1990-92 के प्रतिवेदन में उपर्युक्त बातों की अनुशंसा की थी, परन्तु उस दिशा में कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो सकी है।

मुझे विश्वास है कि आप इस दिशा में ठोस कार्रवाई कर मुझे यथाशीघ्र अवगत करायेंगे"

अध्यक्ष की अनुशंसा पर दिनांक 19.9.98 को अध्यक्ष, बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग की अध्यक्षता में राज्य के सभी बैंको से आये वरीय प्रतिनिधियों के साथ श्री पी.पी.शर्मा, सचिव, सांस्थिक वित्त, कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग की उपस्थिति में एक बैठक सचिवालय सभा कक्ष में आयोजित की गयी, इसमें अल्पसंख्यक समुदाय को बैंक की योजना से लाभान्वित करने के संबंध में विशेष रूप से बल दिया गया।

इस बैठक में भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतिनिधि के अलावा/नाबार्ड एवं विभिन्न बैंको के अंचलीय पदाधिकारी के साथ-साथ एस.एल.बी.सी., समन्वयक की उपस्थिति में निम्नांकित निर्णय लिये गये:-

1. प्रत्येक जिला में अल्पसंख्यक समुदाय की आबादी को वित्त पोषण योजना से जोड़ने हेतु अग्रणी बैंक प्रबंधक, क्षेत्रीय स्तर पर बैंकों को क्षेत्रीय कार्यालय में अंचलीय कार्यालय के स्तर पर कोषांग गठित करने का निर्णय लिया गया।

2. प्रत्येक बी.एल.बी.सी./डी.एल.सी.सी. तथा एस.एल.बी.सी. की बैठकों में अल्पसंख्यक के लाभान्वितों की समीक्षा की जाय तथा आवश्यकतानुसार आयोग के प्रतिनिधि को आमंत्रित करने का निर्णय लिया गया।

3. अक्टूबर माह के अंतिम सप्ताह में उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित करने का भी निर्णय लिया गया, जिसमें जिला के चुने हुए पदाधिकारी के साथ-साथ प्रेस प्रतिनिधि को भी आमंत्रित किया जायगा। इस बैठक में बैंकों के प्रतिनिधि विगत तीन वर्षों की हुई प्रगति के प्रतिवेदन के साथ भाग लेंगे ताकि समीक्षा लाभकारी एवं लोकोपयोगी हो सके।

4. अल्पसंख्यक समुदाय के लाभान्वितों को वित्त पोषित योजनाओं में बैंकों द्वारा आवश्यक प्रशिक्षण तथा बैंकों के कर्मीगण को अल्पसंख्यक समुदाय को लाभान्वित करने हेतु नाबार्ड एवं सिडबी के माध्यम से पाठ्यक्रम तैयार कर प्रशिक्षण दिलाया जाय।

5. 25 सितम्बर' 98 तक सभी बैंकों से नोडल पदाधिकारी का नाम/पता एवं टेलीफोन नम्बर से सचिव, सांस्थिक वित्त एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग को उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया।

6. भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशानुसार अल्पसंख्यक समुदाय को हक दिलाने हेतु सभी अधीनस्थ बैंकों के अधिकारी को अगले तीन महीनों के अंदर आवेदन का निस्तार नहीं होता है तो वैसी स्थिति में सम्बद्ध पदाधिकारी के विरूद्ध निश्चित रूप से जिम्मेवारी निर्धारित करने का भी निर्णय लिया गया ।

मुस्लिम/ईसाई/सिख/जैन एवं बौद्ध अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ जिला स्तर पर अल्पसंख्यक कल्याण कोषांग का गठन करने हेतु प्रशासन को भी निदेश दिया गया ।

श्री पी. पी. शर्मा, सचिव, सांस्थिक वित्त एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग ने उपस्थित पदाधिकारी को सम्बोधित करते हुए अध्यक्ष, अल्पसंख्यक आयोग को आश्वस्त किया कि अक्टुबर'98 माह से प्रत्येक जिला में, जहां भी अल्पसंख्यक समुदाय वर्ग जो कोई भी आवेदन पत्र बैंक से सम्बन्धित प्रस्तुत होगा, उनका बैंक के स्तर से लेखा-जोखा रखने तथा उनके त्वरित निष्पादन के लिए सभी आवश्यक पहल किये जायेंगे। नाबार्ड के प्रतिनिधियों को निदेश दिया गया कि शीघ्र इसके लिए पाठ्यक्रम निर्धारित करें ताकि उनका उपयोग बैंकों के अधिकारियों को दिये जा रहे प्रशिक्षण के क्रम में किया जा सके। इस क्रम में अधिकाधिक कार्य नाबार्ड एवं सीडबी आदि का सहयोग लिया जाय।

उपर्युक्त निर्णय के आलोक में कार्रवाई आरम्भ की गई है परन्तु इसका लगातार अनुश्रवण नितांत आवश्यक है। अत: आयोग की अनुशंसा है कि इसके अनुश्रवण हेतु विभाग में एक कोषांग बनाया जाए जिसके प्रभारी में अपर सचिव स्तर के एक पदाधिकारी हों।

(xi) बिहार राज्य पाठ्य-पुस्तक प्रकाशन निगम को की गयी अनुशंसाएँ

अनुशंसा संख्या-1

// अध्यक्ष, अल्पसंख्यक आयोग ने अपने पत्रांक-629 दिनांक-15.4.97 द्वारा प्रबन्ध निदेशक, बिहार राज्य पाठ्य-पुस्तक प्रकाशन निगम को पत्र लिख कर दिनांक-24.7.92 को बिहार राज्य पाठ्य-पुस्तक प्रकाशन निगम, पटना के कार्यालय में तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष, बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष एवं अन्य शिक्षाविद् तथा निगम पदाधिकारी के साथ हुई बैठक में अल्पसंख्यक भाषाओं के पाठ्य-पुस्तक के अनुवाद, प्रकाशन एवं वितरण की समस्या के संबंध में विस्तृत विचार-विमर्श के पश्चात् उसमें सुधार हेतु आवश्यक निर्णय लिये गये थे। उस संबंध में गत 5 वर्षों में क्या कार्रवाई की गयी तथा कार्रवाई के फलस्वरूप क्या उपलब्धि हुई। इस संबंध में विस्तृत प्रतिवेदन प्रबंध निदेशक से मांगा जाय।

प्रबंध निदेशक ने अपने पत्रांक-12 दिनांक-10.6.97 द्वारा प्रतिवेदन भेजा (परि० 24)। उत्तर संतोषजनक नहीं रहने के कारण अध्यक्ष ने अपने पत्रांक-748 दिनांक-11.6.97 द्वारा कंडिकावार विस्तृत प्रतिवेदन मांगा, जिसके अनुपालन में प्रबंध निदेशक ने अपने पत्रांक-15 दिनांक-24.6.97 द्वारा कंडिकावार उत्तर भेजा, जो निम्न प्रकार है :-

राज्य अल्पसंख्यक आयोग के माननीय अध्यक्ष एवं आयोग के अन्य सदस्यों और शिक्षाविदों की एक बैठक दिनांक 24.7.92 को बिहार स्टेट टेक्स्ट बुक पब्लिशिंग कारपोरेशन लि० पटना के माननीय अध्यक्ष श्री चन्द्रिका राय, एम०एल०ए० के कार्यालय कक्ष में आहूत हुई थी। उस बैठक में कारपोरेशन के पदाधिकारीगण भी उपस्थित थे।

उक्त बैठक में अल्पसंख्यक भाषाओं की पाठ्य पुस्तकों के लेखन, समीक्षण, अनुवाद तथा प्रकाशन संबंधी विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श हुआ था। माननीय प्रो० जाबिर हुसैन ने अल्पसंख्यक भाषा और भाषेत्तर पाठ्य पुस्तकों के संबंध में अपने कुछ सुझाव दिये थे, उस प्रसंग में कहना है कि :-

1. मानव संसाधन विकास विभाग, बिहार सरकार, पटना के शिक्षा निदेशालय के निर्देशन एवं अनुमोदन पर अनुभवी विशेषज्ञों के एक पैनल द्वारा साहित्य के अतिरिक्त अन्य विषयों की पाठ्य पुस्तकों का लेखन, समीक्षण तथा हिन्दी भाषा से अल्पसंख्यक भाषाओं (उर्दू, बंगला, मैथिली, उड़िया, संथाली आदि) में अनुवाद हेतु अनुवादकों द्वारा अनुदित

पाडुलिपियाँ तैयार कराई जाती हैं। दर्जा 1 से 10 तक की विभिन्न पाठ्य पुस्तकों का मुद्रण और बड़े पैमाने (यानि लाखों में) पर प्रकाशन आदि का कार्य गत 30-35 वर्षों से कारपोरेशन करता आ रहा है।

शिक्षा निदेशालय ही बिहार स्टेट टेक्स्ट बुक पब्लिशिंग कारपोरेशन, पटना का प्रशासनिक विभाग है, जो सरकारी नियमों के आधार पर स्कूली छात्र-छात्राओं के लिए पाठ्यक्रम भी तैयार कराती है एवं पूरी तकनीकी निष्ठा के साथ कारपोरेशन सभी कार्यों का पालन करता आ रहा है।

ज्ञातव्य हो कि सभी अल्पसंख्यक भाषाओं की पाठ्य पुस्तकों के प्रकाशन का कार्य कारपोरेशन अपने स्थापना काल से लेकर अबतक मुस्तैदी के साथ सुचारू रूप से निष्पादित करता आ रहा है। समय-समय पर विभिन्न सार्वजनिक और निजी संस्थाओं द्वारा उठाई गई आपत्तियों तथा सुझावों के अनुरूप आवश्यक कार्रवाई कारपोरेशन के शैक्षिक शाखा द्वारा होती रही है।

2. भाषा की पाठ्य पुस्तकों के लेखन, संकलन, सम्पादन आदि का कार्य कारपोरेशन अपने स्तर से मानव संसाधन विकास विभाग के अनुमोदन के उपरांत कराता रहा है।

नई शिक्षा नीति 1986 ई० के तहत भाषाई पुस्तकों के प्रकाशन के संबंध में सरकार द्वारा यह तय किया गया था कि दर्जा 1 से 10 तक भाषा की पुस्तकों का अनुयोजन एवं प्रकाशन राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, दिल्ली द्वारा प्रकाशित पाठ्य पुस्तकों में राजकीय पाठ्यक्रम के आधार पर आवश्यक संशोधन के उपरांत अपना लिया जाय।

गैरभाषायी पाठ्य पुस्तकों के लिए मूल हिन्दी पाण्डुलिपियों से अनुवाद का कार्य राज्य अल्पसंख्यक आयोग के माननीय कार्यकारी अध्यक्ष प्रो० जाबिर हुसैन के सुझाव के तहत 'बिहार उर्दू अकादमी' पटना को सौंपा गया था। उस समय उर्दू अकादमी के दो उपाध्यक्षों प्रो० सिद्दीक मोजीबी और प्रो० शाहिद अहमद शोऐब ने दर्जा 7 और दर्जा 9 की विभिन्न विषयों के अनुवाद कार्य को कारपोरेशन द्वारा निर्धारित समय के अन्दर पूरा करने का आश्वासन दिया था, परन्तु 'बिहार उर्दू अकादमी' द्वारा किसी भी विषय का अनुवाद संतोषजनक नहीं रहा, क्योंकि उर्दू अकादमी ने जिन लोगों को अनुवाद कार्य दिया था, वह उस विषय की शब्दावली तथा उर्दू कवायद आदि से बिलकुल अनभिज्ञ थे। कारपोरेशन के शैक्षिक निबंधक तथा उर्दू सेल के वरीष्ठ कर्मचारी प्रतिदिन उर्दू अकादमी जाते रहे। काफी कोशिशों के बाद कई माह पश्चात् कुछ अनुदित पाण्डुलिपियां प्राप्त हो पायी, तो उनमें अनेक बुनियादी गलतियाँ मौजूद थीं। कई पाण्डुलिपियां नहीं प्राप्त हो सकीं, और कुछ बिना अनुवाद किए ही अकादमी के उपाध्यक्ष प्रो० शाहिद अहमद शौऐब ने शैक्षिक शाखा में लौटा दिया।

चूंकि बिहार उर्दू अकादमी में अनुवाद और प्रकाशन आदि की कोई औपचारिक व्यवस्था नहीं है, इसलिए माननीय प्रो० जाबिर हुसैन के सुझाव के तहत दर्जा 7 और दर्जा 9 की पाठ्य पुस्तकों के प्रकाशन में अभूतपूर्व विलम्ब हुआ। उन तमाम पाठ्य पुस्तकों के प्रकाशन में हुए संकट तथा विलम्ब का समाधान कारपोरेशन के शैक्षिक शाखा के वरिष्ठ कर्मचारियों ने दिन-रात एक करके अनुदित पण्डुलिपियों की जांच के बाद प्रेस कापी, डमी आफसेट कैलीग्राफी डिजाइनिंग, प्रुफ रीडिंग, अमोनिया प्रुफ सुधार, निगेटिव तथा पोजेटिव आदि तैयार कराकर ऑफसेट मुद्रण पद्धति द्वारा मानक रूप से मुद्रण कराया तथा कारपोरेशन के विभिन्न बिक्री केन्द्रों में भेजवाया गया।

उर्दू के बाद दूसरी अल्पसंख्यक भाषा बंगला के संबंध में माननीय प्रो० जाबिर हुसैन के सुझाव पर "बिहार बंगला अकादमी" के तत्कालीन अध्यक्ष श्री एस० के० चटर्जी के जिम्मे बंगला भाषा और भाषेत्तर पाण्डुलिपियों के सम्पादन और अनुवाद हेतु कार्य सौंपा गया था। उक्त सभी कार्य काफी विलम्ब से हुआ। जिसमें अनेक तकनीकी अशुद्धियाँ भी थीं। शैक्षिक शाखा के बंगला सेल के एक कर्मचारी ने बहुत कठिनाइयों और लगन के बाद अनुदित पाण्डुलिपियों को मुद्रण लायक बनाया।

चूँकि पटना में बंगला डी०टी०पी० कम्पोजिंग की कोई व्यवस्था नहीं है, अतः कलकत्ता से बंगला की अनुदित पाण्डुलिपियों की डी०टी०पी० कम्पोजिंग करानी पड़ी तथा कुछ की लेटर प्रेस में कम्पोजिंग कराई गई और वर्ग 7 और 9 की बंगला पाठ्य पुस्तकें मुद्रित कराकर विभिन्न बिक्री केन्द्रों पर भेजी गईं।

3. आयोग के प्रतिवेदन विन्दु (4) पर शैक्षिक शाखा उर्दू और बंगला सेल द्वारा आवश्यक संशोधन आदि कार्य कई वर्ष पूर्व सम्पादित हो चुका है।

4. सभी कार्य मानक और संतोषजनक ढंग से पूरा कराया जा चुका है। कारपोरेशन की अल्पसंख्यक भाषाओं की पाठ्य पुस्तकें लाखों में विभिन्न विषयों और रंगों में प्रतिवर्ष प्रकाशित होती हैं।

5. बिहार स्टेट टेक्स्ट बुक पब्लिशिंग कारपोरेशन लि०, पटना का अपना एक वितरण और बिक्री माध्यम है। थोक बिक्रेताओं की नियुक्ति, सरकारी नियमानुसार शैक्षिक सत्र शुरू होने के पूर्व की जाती है, जो स्कूली छात्र-छात्राओं तथा अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं को जिलावार पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराते हैं। यहाँ यह अवलोकनीय है कि अल्पसंख्यक भाषाओं की पाठ्य-पुस्तकों की बिक्री हेतु कारपोरेशन मुख्यालय में विशेष व्यवस्था के तहत एक विशेष बिक्री केन्द्र भी है, जहां से छात्र-छात्राओं, शिक्षक और अभिभावक बहुत आसानी से अल्पसंख्यक भाषाओं की पाठ्यपुस्तकें खरीद सकते हैं।

6. सुझाव संख्या (6) के तहत प्रत्येक जिला में अल्पसंख्यक भाषाई पुस्तक केन्द्रों के गठन तथा योग्य व्यक्तियों के चयन की जिम्मेवारी अगर बिहार उर्दू या बंगला अकादमियाँ लेना चाहे तो राज्य अल्पसंख्यक आयोग स्वयं अपने स्तर से दोनों अकादमियों से पत्राचार कर सकता है।

7. सुझाव संख्या (7) के संबंध में कहना है कि दिनांक 24.7.92 की बैठक के बाद आयोग द्वारा कोई भी पत्राचार नहीं हुआ तथा पंजाबी भाषा-भाषी छात्र-छात्राओं या पंजाबी अभिभावकों द्वारा ही कोई कार्य सम्पन्न नहीं हुआ।

8. सुझाव संख्या (8) के तहत कहना है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप तेलुगु भाषा में पाठ्य पुस्तकों के प्रकाशन के संबंध में राज्य सरकार का आदेश प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्रवाई की जा सकेगी ।

अनुशंसा संख्या-2

प्रतिवेदन के अवलोकन से एंव उसकी विवेचना के पश्चात अध्यक्ष, अल्पसंख्यक आयोग द्वारा अनुमोदित अनुशंसाएँ प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पाठ्य-पुस्तक प्रकाशन निगम को अपने पत्रांक-1173 दिनांक-11.9.97 द्वारा भेजा गया, जो निम्न प्रकार है–

क. उर्दू, बंगला, उड़िया, पंजाबी, आदि भाषाओं के पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन अगले शिक्षा सत्र से समय पर सुनिश्चित किया जाय। इसके लिए है आवश्यक है कि माह दिसम्बर, 97 तक सभी पुस्तक विक्रेताओं को पुस्तक उपलब्ध करा दी जाय ताकि माह जनवरी, 98 में विद्यार्थी अपनी मातृभाषाओं में सुलभता से पुस्तकें प्राप्त कर सकें।

ख. जैसा कि मुझे जानकारी मिली है अगले वर्ष से पाठ्यक्रम में कुछ तबदीली लाने का कार्यक्रम है, इसके लिए एक समिति का भी गठन किया गया है परन्तु उसमें किसी अल्पसंख्यक भाषा के प्रतिनिधि को शामिल नहीं किया गया है। इसलिए मेरी अनुशंसा है कि अल्पसंख्यक भाषाओं के हितों की रक्षा के लिए अल्पसंख्यक भाषा के एक प्रतिनिधि को उसमें शामिल किया जाय।

ग. पाठ्यक्रम तैयार करने में यह ध्यान रखा जाय कि वह इस तरह से तैयार हो, जिसमें राष्ट्रीय एकता, साम्प्रदायिक सद्भावना, सर्व धर्म समभाव एवं सामाजिक न्याय को बल मिले।

घ. स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में अभी तक अल्पसंख्यकों की भागीदारी को उजागर नहीं किया गया है। इसलिए मेरा सुझाव है कि प्रस्तावित पाठ्यक्रम में स्वतंत्रता संग्राम के अल्पसंख्यक सेनानियों का भी वर्णन विस्तार से किया जाय। मेरे विचार में राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर के निम्नांकित अल्पसंख्यक समुदाय के स्वतंत्रता सेनानियों का उल्लेख निश्चित रूप से किया जाना चाहिए ।

1. बहादुर शाह ज़फर
2. बदरूद्दीन तैयबजी
3. मौलाना फज़ल हक खैराबादी
4. ओबेदुल्ला सिन्धी
5. अशफाकुल्ला खाँ
6. बेगम ज़ीनत महल
7. मौलाना महमूदुल हसन, असीरे मालटा (मालटा बंदो)
8. सैफुद्दीन किचलु
9. आसिफ अली
10. मौलाना मोहम्मद अली जौहर } (अली बन्धु)
11. मौलाना शौकत अली }
12. बी अम्मा
13. हकीम अजमल खाँ
14. डा० मुख्तार अहमद अंसारी
15. मौलाना हसरत मोहानी
16. मौलाना अबुल कलाम आज़ाद
17. मौलाना आज़ाद सुभानी
18. मौलाना हुसैन अहमद मदनी
19. शहीद पीर अली — बिहार
20. वारिस अली — "
21. शेख भिखारी — "
22. बत्तख मियाँ — "
23. उल्माए सादिक़पुर — "
24. मौलाना मज़हरूल हक़ — "
25. प्रो० अब्दुल बारी — "
26. हसन इमाम } (इमाम बन्धु) — "
27. अली इमाम } — "
28. डा० सैयद महमूद — "
29. डा० मग़फूर अहमद एजाज़ी } (एजाज़ी बन्धु) — "
30. मौलाना मंज़ूर अहसन एजाज़ी } — "
31. शाह ज़ुबैर } (मुनअमी बन्धु) — "
32. शाह ओज़ैर } — "
33. अब्दुल क़य्यूम अंसारी — "
34. मौलाना सज्जाद — "
35. मौलाना सफी दाऊदी — "

"मेरी अनुशंसा है कि राष्ट्र स्तर एवं बिहार के उपुर्यक्त अल्पसंख्यक समुदाय के स्वतंत्रता सेनानियों की संक्षिप्त जीवनी पर आधारित एक चार-पाँच पृष्ठों का लेख हिन्दी एवं उर्दू दोनों पाठ्यक्रमों में अगले शिक्षा सत्र से निश्चित रूप से शामिल कर लिया जाए ताकि अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थी यह जान सकें कि उनके पुरखों ने भी भारत की आजादी की लड़ाई में कितनी कुर्बानियाँ दी थी। इससे न केवल उनका मनोबल बढ़ेगा, बल्कि उनमें देशभक्ति की भावना प्रबल होगी। साथ-साथ गैर अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों को भी अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा स्वतंत्रता संग्राम में योगदान की जानकारी से राष्ट्रीय एकता एवं धर्म निरपेक्षता तथा साम्प्रदायिक सौहार्द को बढ़ावा मिलेगा। उक्त लेख की तैयारी हेतु आयोग आवश्यक सहयोग देने को तैयार है।

मुझे विश्वास है कि मेरी अनुशंसाओं पर यथाशीघ्र कार्रवाई करते हुए मुझे भी अवगत कराएंगे।"

(निगम से प्रतिवेदन अपेक्षित है)

(xii) गृह विभाग को की गयी अनुशंसाएँ

अनुशंसा संख्या-1

अध्यक्ष, अल्पसंख्यक आयोग ने अपने पत्रांक-189 दिनांक-25.6.96 द्वारा गृह आयुक्त को लिखा कि अल्पसंख्यक से सम्बन्धित गम्भीर मामलों में अभियुक्त को पकड़ने में कारगर कार्रवाई नहीं की जा रही है।

गृह आयुक्त ने उक्त पत्र के आलोक में आरक्षी महानिदेशक को एक अर्द्ध-सरकारी पत्र सं.-461 दि. 27.6.96 लिखा, जिसमें यह कहा गया था कि सम्बन्धित आरक्षी अधीक्षकों को अविलम्ब आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिया जाय। (परि० 25 (क) एवं 25 (ख))

अनुशंसा संख्या -2

अध्यक्ष, अल्पसंख्यक आयोग ने गृह विशेष विभाग द्वारा पूर्व में निर्गत पत्रांक-4042 दिनांक-18.7.70 के आलोक में लिखा कि "प्रत्येक जिलों, अनुमंडलों तथा प्रखंड स्तर पर स्थायी समिति का गठन करने का निदेश आपने निर्गत किया था, परन्तु विभिन्न जिलों के भ्रमण के दौरान मैंने पाया है कि यह समितियाँ मृतप्राय हो गयी हैं (परि० 26क, 26ख)।

साथ-साथ साम्प्रदायिक सद्भावना में उपर्युक्त कार्यों को सुचारू रूप से सम्पादन के लिए आयोग के सुझाव पर एक सम्पर्क पदाधिकारी सह-अवर सचिव की सेवा उपलब्ध करायी गयी थी। वर्त्तमान में वह पद भी रिक्त है।

हाल की छिटपुट घटनाओं के मद्देनजर यह आवश्यक हो गया है कि फिर से उन समितियों का गठन किया जाए तथा उसकी बैठक सुचारू रूप से बुलाकर उन्हें कारगर बनाया जाय।

अतः मैं चाहूंगा कि आप अपने स्तर से आदेश निर्गत करें। उन समितियों का गठन एक माह के अंदर कराना सुनिश्चित करें तथा जिला स्तरीय बैठक की कार्यवाही की प्रतिलिपि गृह विभाग के साथ-साथ बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग को भेजने का निदेश दें। प्रखंड/अनुमंडल एवं जिलों की बैठकों के लिए रोस्टर बना दिया जाय।

साथ-साथ मैं यह भी चाहूंगा कि आयोग के कार्यालय में यथाशीघ्र एक अवर सचिव-सह-सम्पर्क पदाधिकारी का पदस्थापन किया जाय ।"

कई स्मार देने के बावजूद प्रतिवेदन अब भी विभाग से अपेक्षित है ।

(xiii) चुनाव आयोग को दी गयी अनुशंसाएँ

अध्यक्ष, अल्पसंख्यक आयोग ने अपने पत्रांक-733 दिनांक 9.6.97 द्वारा गृह आयुक्त एवं राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी को यह अनुशंसा भेजी कि बिहार में उर्दू भाषियों की संख्या अन्य राज्य से बहुत अधिक है तथा यहाँ की द्वितीय राजभाषा भी उर्दू है, परन्तु मतपत्र एवं मतदाता सूची का प्रकाशन उर्दू में नहीं किया जाता है। अतः उर्दू में मतदाता सूची एवं मतपत्र प्रकाशन की व्यवस्था की जाय।

जिसके उत्तर में संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने अपने पत्रांक-1464 दिनांक 20.8.97 द्वारा सूचित किया कि चूंकि निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण नियम 1960 के नियम 4 के तहत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारों के लिए हस्त पुस्तिका के अध्याय 3 के परस्तर 8-10 सुसंगत है, में कहा गया है कि बिहार राज्य के निर्वाचक सूची का निर्माण हिन्दी भाषा में कराया जायेगा।

अध्यक्ष ने राज्य निर्वाचन पदाधिकारी के उक्त दलील को अमान्य करते हुए अपने पत्रांक-1098 दिनांक 29.8.97 द्वारा राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को लिखा कि "मैं चाहूंगा कि आप अपने पत्र में उक्त धाराओं का पुनः अध्ययन करें तो आपको ज्ञात होगा कि चुनाव आयोग द्वारा निदेश राज्य के मुख्य चुनाव पदाधिकारी के प्रतिवेदन पर ही निर्गत किया जाता है, यही कारण है कि उत्तर प्रदेश, आन्ध्रप्रदेश, जम्मू-कश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एवं दिल्ली इत्यादि राज्यों के अनेक निर्वाचन क्षेत्रों में उर्दू भाषा में मतदाता सूची एवं मतपत्रों का मुद्रण होता आ रहा है। खेद की बात है कि बिहार जहाँ उर्दू भाषी लोगों की संख्या महाराष्ट्र, आन्ध्रप्रदेश, कर्नाटक एवं मध्य प्रदेश से कहीं अधिक है तथा उर्दू राज्य की द्वितीय राजभाषा है, वहां एक भी चुनाव क्षेत्र में उर्दू भाषा में मतपत्र तथा मतदाता सूची का मुद्रण अभी तक नहीं कराया जाता है।

अतः मैं चाहूंगा कि भूत की भूल को न दुहराते हुए इसका सुधार किया जाय और आपके द्वारा एक संशोधित प्रस्ताव निर्वाचन आयोग को भेजा जाय, ताकि मतपत्रों एवं मतदाता सूची का मुद्रण उर्दू भाषा में हो सके।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अपने पत्रांक-1627 दिनांक 12.9.97 द्वारा सचिव, भारत निर्वाचन आयोग को अध्यक्ष अल्पसंख्यक आयोग के पत्र के आलोक में लिखा कि "अल्पसंख्यक आयोग से पूर्व में प्राप्त पत्र के आलोक में उर्दू भाषी बाहुल्य क्षेत्रों में मतदाता सूची के प्रकाशन एवं मतपत्रों के मुद्रण के संबंध में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी थी किन्तु आयोग द्वारा पुनः अनुरोध पत्र भेजते हुए भारत निर्वाचन आयोग के निर्णय से अवगत कराने का अनुरोध किया गया है। कृपया इस संबंध में आयोग द्वारा उचित मार्गनिर्देशन दिया जाय"।

अध्यक्ष, अल्पसंख्यक आयोग ने बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा सचिव, भारत सरकार, भारत निर्वाचन आयोग को लिखे गये पत्र का प्रति-उत्तर अपने पत्रांक-1198 दिनांक 16.9.97 द्वारा दिया (परि० 27) तथा अध्यक्ष ने अपने पत्र में एक बार पुनः जोरदार शब्दों में यह मांग की कि बिहार में राज्य की द्वितीय राजभाषा उर्दू में मतपत्र एवं मतदाता सूची का प्रकाशन कराया जाय।

इसके बाद अध्यक्ष ने अपने पत्रांक-1376 दिनांक 11.12.97 फैक्स संवाद 1498 दिनांक 15.1.98 द्वारा भारत निर्वाचन आयोग से माँग की कि राज्य में उर्दू भाषा में मतपत्र एवं मतदाता सूची का प्रकाशन कराया जाय। (परि० 28, 29)

दिनांक 7.2.98 को लोक सभा आम चुनाव 1998 के अवसर पर मुख्य चुनाव आयुक्त, डा० एम०एस० गिल पटना पधारे तो अध्यक्ष, अल्पसंख्यक आयोग ने राज भवन पटना में उनसे मिल कर एक लिखित ज्ञापन दिया। (परि० 30) तथा उनसे मांग की कि अन्य राज्यों की भांति बिहार में भी उर्दू भाषा में मतदाता सूची एवं मतपत्रों का मुद्रण कराया जाय। मुख्य चुनाव आयुक्त ने चुनाव नजदीक होने के कारण कठिनाई जताते हुए चुनाव के बाद इस सम्बन्ध में निर्णय

लेने का आश्वासन दिया।

सचिव, भारत निर्वाचन आयोग ने भी अपने पत्रांक-6240 दिनांक-9.2.98 द्वारा अध्यक्ष, अल्पसंख्यक आयोग को सूचित किया है कि चुनाव के बाद उर्दू में मतपत्र एवं मतदाता सूची प्रकाशन के सम्बन्ध में विचार किया जायेगा (परि० 31)।

(xiv) कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग को की गयी अनुशंसाएँ

वर्ष 1998 में कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग (तत्कालीन 20 सूत्री कार्यक्रम विभाग) ने प्रधानमंत्री के 15 सूत्री कार्यक्रम के 13वें सूत्र के अन्तर्गत यह निदेश दिया था कि विभिन्न विकास कार्यक्रम (20 सूत्री कार्यक्रम सहित) में यह सुनिश्चित किया जाय कि उन कार्यक्रमों के तहत अल्पसंख्यकों को भरपूर एवं सुनिश्चित लाभ हो (परि० 32)।

अध्यक्ष, अल्पसंख्यक आयोग ने अपने पत्रांक-765 दिनांक 18.6.97 द्वारा सचिव, कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग को अनुशंसा करते हुए निम्नांकित पत्र लिखा ।

"अपने पत्रांक टी.पी.पी.-02/87-451 दिनांक 19.3.88 का अवलोकन करें। उक्त पत्र के द्वारा आपने 20-सूत्री कार्यक्रम से संबंधित सभी विभागों को प्रधानमंत्री के 20 सूत्री कार्यक्रम के 13वें सूत्र के अंतर्गत यह निदेश दिया था कि विभिन्न विकास कार्यक्रमों के तहत अल्पसंख्यकों को भरपूर एवं सुनिश्चित लाभ पहुंचे तथा अल्पसंख्यकों को उन कार्यक्रम की निगरानी करनेवाली समितियों में एक्टिव भागीदारी सुनिश्चित किया जाय तथा उनकी जनसंख्या के अनुपात में उन्हें लाभ पहुंचाया जाय। उक्त पत्र के साथ विभिन्न विकास योजनाओं की सूची भी संलग्न की गई थी, जिसमें अल्पसंख्यकों को लाभ पहुंचाना अपेक्षित है। सूची निम्न प्रकार है :-

सदस्यता	:-	उपर्युक्त प्रकार की सभी समितियाँ, 20 सूत्री कार्यक्रम सहित ।
आई.आर.डी.पी.	:-	अल्पसंख्यकों को ऋण दिया जाय ।
एन.आर.ई.पी.	:-	अल्पसंख्यकों को रोजगार मुहैय्या कराया जाय ।
आर.एल.ई.जी.पी. लघु उद्योग इकाईयाँ	:-	अल्पसंख्यकों को प्रोत्साहन दिया जाय ।
भू-वितरण	:-	अल्पसंख्यक समुदाय के भूमिहीन लोगों को भूमि दी जाय ।
समस्याग्रस्त ग्राम	:-	अल्पसंख्यक ग्रामों में पीने का पानी मुहैय्या कराया जाय ।
स्वास्थ्य सुविधा	:-	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/एच.एस.सी. ऐसे अल्पसंख्यक ग्रामों में खोले जाएँ ।
प्राथमिक शिक्षा	:-	अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों का दाखिला लिया जाय तथा उन्हें शिक्षा का अवसर प्रदान किया जाय ।
प्रौढ़ शिक्षा	:-	अल्पसंख्यक समुदाय में प्रौढ़ व्यक्तियों का दाखिला लिया जाय तथा उन्हें शिक्षा का अवसर प्रदान किया जाय ।
गृह-सुविधा	:-	अल्पसंख्यकों को गृह एवं गृह स्थल उपलब्ध कराया जाय और घर बनाने हेतु सहायता प्रदान किया जाय ।
झुग्गी-झोपड़ी बस्ती	:-	अल्पसंख्यक समुदाय की झुग्गी-झोपड़ियों के पर्यावरण में सुधार लाया जाय ।

बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग

जन-विरण प्रणाली :- अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को अनुज्ञप्तियाँ निर्गत की जाएँ और अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में दुकानें खोली जायें ।

विद्युतीकरण। :- अल्पसंख्यक ग्रामों का विद्युतीकरण किया जाय जिसका चयन उक्त समुदाय के लोगों द्वारा किया गया हो। उन्नत चूल्हा और बायोगैस संयत्र स्थापित किया जाय ।

हितैषी पदाधिकारी :- पदाधिकारियों को विशेष आदेश दिया जाय। दैनिक कार्यों में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के साथ सहानुभूतिपूर्वक बर्ताव किया जाय और उन्हें सहुलियतें मुहैय्या करायी जायें ।

मैंने विभिन्न जिलों के भ्रमण एवं समीक्षा के दौरान यह पाया है कि उक्त आदेश का अनुपालन दृढ़ता से नहीं किया जा रहा है, जिसके फलस्वरूप अल्पसंख्यकों में रोष एवं बेचैनी है।

अत: मैं चाहूंगा कि एक विशेष बैठक में उपर्युक्त सभी बातों की समीक्षा की जाय तथा सरकार की मंशा के अनुरूप अल्पसंख्यकों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में लाभ पहुंचाना सुनिश्चित किया जाय तथा की गई कार्रवाई से मुझे एक माह के अंदर सूचित किया जाय।

सचिव, कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग श्री पी.पी. शर्मा ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए 20 सूत्री कार्यक्रम से सम्बन्धित सभी विधागाध्यक्षों/आयुक्तों/सचिवों/प्रमंडलीय आयुक्तों/जिला पदाधिकारियों/उप विकास आयुक्तों/अपर समाहर्ताओं/ अध्यक्ष, लोक उद्यम् ब्युरो/अध्यक्ष, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को अपने पत्रांक- 562 दिनांक-28.8.97 द्वारा निम्नांकित पत्र लिखा ।

पत्रांक: का. का. (विविध) 04/97/562 दिनांक : 28.8.97

सेवा में,

बीस सूत्री कार्यक्रम से संबंधित सभी
आयुक्त एवं सचिव/विभागाध्यक्ष ।

विषय :- अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ प्रधानमंत्री के 15-सूत्री कार्यक्रम के सूत्र संख्या 13 के अन्तर्गत अल्पसंख्यकों को 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभान्वित करने के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे निदेशानुसार कहना है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमति इंदिरा गांधी द्वारा मई, 1983 में अल्पसंख्यकों के आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक विकास के लिए 15-सूत्री कार्यक्रम की घोषणा की गई थी। इस कार्यक्रम को पुन: तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी के द्वारा अगस्त, 1985 में रेखांकित किया गया। इस कार्यक्रम के सूत्र संख्या-13 में अंकित है कि 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत चलाए जानेवाले विकास कार्यक्रमों में यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि अल्पसंख्यकों को उनके लाभ उचित और पर्याप्त मात्रा में प्राप्त हो तथा ऐसे कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए गठित विभिन्न समितियों में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधियों को भी रखा जाय। इसके आलोक में इस विभाग के पत्रांक-451 दिनांक-19.3.88 (प्रतिलिपि पुन: संलग्न) के द्वारा आपको सूचित किया गया था कि 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत अल्पसंख्यकों को मुख्य रूप से किस प्रकार लाभान्वित किया जा सकता है तथा यह भी अनुरोध किया गया था कि अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों को इसके दृढ़तापूर्वक कार्यान्वयन करने का आदेश निर्गत

किया जाय। इसी क्रम में राज्य अल्पसंख्यक आयोग से प्राप्त पत्रांक 7665/दिनांक 18.6.97 की एक प्रति भी संलग्न की जा रही है, जिसमें आयोग के अध्यक्ष के द्वारा अंकित किया गया है कि इस विभाग के उपरोक्त आदेश का अनुपालन क्षेत्र में दृढ़तापूर्वक नहीं किया जा रहा है। इसके फलस्वरूप अल्पसंख्यकों में रोष एवं बेचैनी है।

2. विषय की समीक्षा हेतु इस विभाग के स्तर पर एक बैठक आयोजित करने का प्रस्ताव है। इस बैठक में विचार-विमर्श हेतु कृपया सूचित किया जाय कि पिछले 5 वर्षों में आपके विभाग द्वारा कार्यान्वयन की जा रही विकास योजनाओं से अल्पसंख्यकों को कितना लाभ पहुंचाया गया तथा इन कार्यक्रमों के अनुश्रवण के लिए गठित समितियों में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधियों का प्रावधान किया गया है अथवा नहीं। कृपया इस विभाग के उपर्युक्त आदेश के आलोक में आपके विभाग द्वारा क्षेत्रीय पदाधिकारियों को यदि कोई आदेश निर्गत किया गया हो तो उसकी प्रति भेजी जाय तथा उन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के अनुश्रवण हेतु यदि कोई समिति गठित की गई हो, तो उनके गठन से संबंधित/ अधिसूचना/संकल्प की एक प्रति भी भिजवाई जाय।

3. कृपया इसे प्राथमिकता देते हुए वांछित सूचना दिनांक 10.9.97 तक इस विभाग को भिजवाने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,

अनु०-यथावर्णित ।

ह0/-

(पी० पी० शर्मा)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक: का.का. (विविध) 04/97-5662 /पटना-15, दिनांक 28 वी अगस्त, 97

प्रतिलिपि- श्री सोहेल अहमद, अध्यक्ष, राज्य अल्पसंख्यक आयोग के पत्रांक 7665/दिनांक 18.7.97 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित। विभिन्न विभागों में आवश्यक जानकारी प्राप्त की जा रही है तथा प्राप्त होने पर इसे अवगत कराया जाएगा ।

ह0/-

(पी० पी० शर्मा)
सरकार के सचिव

बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग

पुन: अध्यक्ष ने दिनांक 25.9.97 को अपने कार्यालय कक्ष में कार्यक्रम कार्यान्वयन के सचिव, श्री पी.पी. शर्मा एवं अपर सचिव श्री . पी. के. जाजोरिया तथा अन्य पदाधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें यह तय पाया कि 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत अल्पसंख्यकों को गत 5 वर्षों में पहुचाए गये लाभों का प्रतिवेदन उन्होंने अपने पत्रांक-562 दिनांक 28.8.97 द्वारा मांगा है, उसे संकलित कर उसकी समीक्षा की जायगी तथा सर्वप्रथम कुछ चयनित जिलों के पदाधिकारी/उप विकास आयुक्तों की बैठक बुलाई जायगी तथा उन जिलों में कार्यक्रम का कार्यान्वयन दृढ़ता से कारगर रूप से कराया जायगा तथा तत्पश्चात् सभी जिलों में इसकी कार्यान्वयन कराया जाना सुनिश्चित किया जायगा ।

अध्यक्ष अल्पसंख्यक आयोग की अनुशंसा के आलोक में सांस्थिक वित्त एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग ने अपने पत्रांक 738 दिनांक 15.5.98 द्वारा सभी जिला पदाधिकारी से प्रतिवेदन की मांग की है। उनका पत्र निम्न प्रकार है:-

पत्रांक-सा. प्र. (विविध) 06/98-सां.वि/738
बिहार सरकार
सांस्थिक वित्त एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग

प्रेषक,

श्री पी. के. जाजोरिया
सरकार के विशेष सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी

पटना, दिनांक 15 मई, 1998 ई.

विषय :- विगत पांच वर्षों में अल्पसंख्यकों को विभिन्न विकास योजनाओं में पहुंचाए गए लाभों से संबंधित प्रतिवेदन भेजने के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि श्री सोहैल अहमद, अध्यक्ष, बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग बिहार के अनुरोध पर 20 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को लाभ पहुंचाने के विचार से एक बैठक आयोजित करने का प्रस्ताव है ।

अत: अनुरोध है कि उक्त बैठक के लिए विगत पांच वर्षों में अल्पसंख्यकों को विभिन्न विकास योजनाओं में पहुँचाए गए लाभों का विवरण देते हुए एक प्रतिवेदन एक पक्ष के भीतर भेजने की कृपा की जाय ।

विश्वासभाजन,

(पी० के० जाजोरिया)
सरकार के विशेष सचिव

लकड़ा/13/5/98
ज्ञापांक 738 / पटना, दिनांक 15 मई, 1998 ई.
प्रतिलिपि-अध्यक्ष, राज्य अल्पसंख्यक आयोग बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

(पी० के० जाजोरिया)
सरकार के विशेष सचिव

अध्यक्ष, अल्पसंख्यक आयोग ने अपने पत्रांक-1932 दिनांक 6.6.98 द्वारा सचिव कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग से यह अनुशंसा की थी कि सरकार की 20 सूत्री कार्यक्रम एवं अन्य लाभकारी योजनाओं के तहत पहुँचाए जा रहे लाभों का प्रतिवेदन प्रत्येक माह अनुसूचित जाति/जनजाति/महिलाओं की तरह अल्पसंख्यकों के लिए भी एक अलग कॉलम रखा जाए तथा अल्पसंख्यकों को पहुंचाए गए वित्तीय एवं भौतिक लाभों का विवरण उसमें निश्चित रूप से दिया जाए। कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग द्वारा उक्त अनुशंसा को मानते हुए अपने मासिक प्रतिवेदन के प्रपत्र में अल्पसंख्यक को पहुंचाए जा रहे लाभों का कॉलम जोड़ दिया है। (परि० 32 (क))

(xv) लोक उद्यम ब्यूरो को की गयी अनुशंसाएँ

अध्यक्ष, अल्पसंख्यक आयोग ने अपने पत्रांक-767 दिनांक-18.6.97 द्वारा अध्यक्ष, लोक उद्यम ब्यूरो को अनुशंसा करते हुए लिखा कि "आप अपने पत्रांक-1130 दिनांक-11.7.89 का निदेश करें। (परि० 33) उक्त पत्र के द्वारा आपका कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के पत्रांक-6725 दिनांक-22.5.89 के आलोक में राज्य के सभी उपक्रमों के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक/प्रबंध निदेशक को यह निदेश दिया था कि जिन पदों पर नियुक्ति/प्रोन्नति हेतु उपक्रम स्वयं सक्षम है, उसके लिए गठित चयन समिति में यथासम्भव अल्पसंख्यक समुदाय के किसी एक पदाधिकारी को मनोनीत करने की व्यवस्था की जाय ।

मेरा ऐसा अनुभव है कि इसका अनुपालन दृढ़ता से नहीं किया जा रहा है। अतः मैं चाहूँगा कि आप एक विशेष बैठक बुलाकर इसकी समीक्षा करें तथा उक्त आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करें तथा की गयी कार्रवाई से एक माह के अंदर सूचित करें ।

लोक उद्यम ब्यूरो द्वारा निर्गत पत्र उनके पास उपलब्ध नहीं था, जिसे उपलब्ध कराया दिया गया है। प्रतिवेदन अपेक्षित है।

(xvi) जन शिक्षा विभाग को की गयी अनुशंसाएँ

कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग के पत्रांक-451 दिनांक 19.3.88 का निदेश करते हुए अध्यक्ष, अल्पसंख्यक आयोग ने अपने पत्रांक-776 दिनांक-18.6.97 द्वारा अनुशंसा करते हुए लिखा कि "उक्त पत्र द्वारा यह निदेश दिया था कि प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत अल्पसंख्यक समुदाय में प्रौढ़ व्यक्तियों का दाखिला लिया जाय तथा उन्हें शिक्षा का अवसर प्रदान किया जाय। जनशिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत अल्पसंख्यकों को उनकी जनसंख्या की अनुपात में लाभ पहुँचाना उक्त पत्र का ध्येय था। मैं जानना चाहूँगा कि उक्त पत्र के अनुपालन में आपके विभाग द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है। साथ-साथ वर्ष 97-98 के कार्यक्रम में अल्पसंख्यकों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में लाभ पहुँचाने हेतु क्या योजनाएँ बनायी गयी हैं, इससे मुझे भी अवगत कराया जाय।"

दिनांक 22.9.97 को अध्यक्ष, अल्पसंख्यक आयोग के साथ निदेशक, जन शिक्षा, बिहार की बैठक आयोग के कार्यालय में हुई, जिसमें निम्नांकित निर्णय लिये गये "जन शिक्षा के निदेशक श्री विष्णु कुमार ने उनके विभाग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कार्यक्रमों की जानकारी दी। अध्यक्ष, अल्पसंख्यक आयोग ने अल्पसंख्यकों के लिए खासतौर से महिलाओं के लिए साक्षरता अभियान पर जोर दिया तथा प्रसिद्ध शिक्षा प्रेमी एवं समाज सुधारक सर सैयद अहमद

खां के नाम पर सर सैयद मिशन के नाम से एक विशेष साक्षरता अभियान प्रारम्भ करने का सुझाव दिया। निदेशक, जन शिक्षाने किशनगंज से इसी प्रकार का कार्यक्रम सर्वप्रथम प्रारम्भ करने का आश्वासन दिया। अध्यक्ष महोदय ने अल्पसंख्यकों को साक्षर बनाने हेतु स्वयंसेवी संस्थाओं को प्रोत्साहित करना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग के पत्रांक-451 दिनांक 19.3.88 के आलोक में विशेष सुझाव दिया। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि विशेष शिक्षा/अनौपचारिक शिक्षा सम्पूर्ण साक्षरता के अनुश्रवण के लिए गठित ग्रामों/प्रखंडों/जिला समितियों में अल्पसंख्यक को भी निश्चित रूप से सदस्य के रूप में रखा जाय। निदेशक ने इस संबंध में कार्रवाई करने का आश्वासन दिया।"

निदेशक जन शिक्षा ने अपने पत्रांक 25 दिनांक 21.3.98 द्वारा बिहार प्रदेश मुस्लिम कान्फ्रेन्स को जिला में चलाए जा रहे संपूर्ण साक्षरता अभियान में सम्मिलित करने का आदेश निर्गत कर दिया है। (परि० 34)

(xvii) लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को की गयी अनुशंसाएँ

अध्यक्ष, अल्पसंख्यक आयोग ने अपने पत्रांक-769 दिनांक-18.6.97 द्वारा सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को अनुशंसा करते हुए लिखा कि "कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग के पत्रांक-451 दिनांक-19.3.88 का निर्देश करें। उक्त पत्र द्वारा विभाग को आदेश दिया था कि अल्पसंख्यकों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में लाभ पहुँचाया जाय। उक्त पत्र के आलोक में आपके विभाग द्वारा समस्याग्रस्त अल्पसंख्यक ग्रामों में पेय जल की सुविधा उपलब्ध करानी थी। वर्ष 1988 से अबतक इस दिशा में क्या कार्रवाई की गयी है, इसका एक ब्यौरा मुझे दिया जाय तथा वर्ष 97-98 के लिए स्पष्ट निदेश निर्गत किया जाय ताकि अल्पसंख्यक ग्रामों में उनकी जनसंख्या के अनुपात में लाभ पहुँचाया जाय।"

कई स्मारों के बाद मुख्य अभियंता (यांत्रिक) द्वारा अपने पत्रांक-295 दिनांक-20.9.97 द्वारा इस कार्यालय का मूल पत्र एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग का पत्रांक-451 दिनांक-19.3.88 की मांग की गयी, जिसे इस कार्यालय के पत्रांक-1254 दिनांक-24.11.97 द्वारा भेजा जा चुका है, परन्तु प्रतिवेदन अबतक अपेक्षित है।

(xviii) वन विभाग को की गयी अनुशंसाएँ

अध्यक्ष, अल्पसंख्यक आयोग ने अपने पत्रांक-799 दिनांक-20.6.97 एवं 3317/29.5.2000 द्वारा सचिव, एवं मंत्री वन एवं पर्यावरण विभाग को अनुशंसा करते हुए लिखा कि "गृह विशेष विभाग के पत्रांक-107/86 पार्ट-1016/सी. दिनांक-20.3.87 का निर्देश करें (परि० 35)। उक्त पत्र के द्वारा कब्रिस्तान की घेरा बंदी सामाजिक वानिकी योजना के अन्तर्गत पेड़ लगाकर करने का निदेश था।

मैं जानना चाहूँगा कि उक्त योजना के तहत अबतक कितने कब्रिस्तान की घेराबंदी करायी गयी है और वर्ष 97-98 में कितने कब्रिस्तान की घेराबंदी कराने की योजना है।"

वन विभाग के ज्ञापांक-2532 दिनांक-30.6.97 से ज्ञात होता है कि मुख्य वन संरक्षक, रांची से इस संबंध में प्रतिवेदन मांगा गया। कई स्मारों के बावजूद प्रतिवेदन अप्राप्त है।

(xix) बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को की गयी अनुशंसाएँ

अध्यक्ष, अल्पसंख्यक आयोग ने अपने पत्रांक-774 दिनांक-18.6.97 द्वारा अनुशंसा करते हुए लिखा कि "कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग के पत्रांक-451 दिनांक-19.3.88 का निदेश करें। उक्त पत्र के द्वारा अल्पसंख्यकों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में लाभ पहुँचाने हेतु निदेश दिया गया था। उक्त कार्यक्रम के तहत आपके विभाग द्वारा अल्पसंख्यक ग्रामों में विद्युतीकरण करना था ताकि उन ग्रामों का चयन अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों द्वारा किया जाना था। इस संबंध में अभी तक क्या कार्रवाई की गयी है तथा कितने अल्पसंख्यक ग्रामों का विद्युतीकरण कराया गया है। इस संबंध में एक प्रतिवेदन एक पक्ष के अंदर भेजा जाय, साथ-साथ वर्ष 97-98 के लिए अल्पसंख्यक ग्रामों के विद्युतीकरण की क्या योजना है। इससे भी अवगत कराया जाय। मैं चाहूँगा कि वर्ष 97-98 में अल्पसंख्यक ग्रामों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में विद्युतीकरण हेतु-चयनित किया जाय"।

मुख्य अभियंता (स्कीम) ने अपने पत्रांक-1656 दिनांक-18.10.97 द्वारा महाप्रबंधक-सह-मुख्य अभियंता सभी क्षेत्रीय विद्युत बोर्ड एवं विद्युत अधीक्षण अभियंता/सभी विद्युत आपूर्ति अंचल/ को यह निदेश दिया (परि० 36) कि अपने क्षेत्र में पड़नेवाले अल्पसंख्यक ग्रामों की सूची एवं उनके विद्युतीकरण की अद्यतन स्थिति एवं अविद्युतिकृत ग्रामों को विद्युतीकरण क़रने हेतु कार्य का विवरण से सम्बन्धित एक प्रतिवेदन उन्हें भेजा जाय, जिससे विद्युतीकरण हेतु आगे की कार्रवाई की जा सके।

(xx) भवन निर्माण विभाग को की गयी अनुशंसाएँ

अध्यक्ष, अल्पसंख्यक आयोग ने सचिव, भवन निर्माण विभाग को अपने पत्रांक-1245 दिनांक-25.9.97 द्वारा अनुशंसा करते हुए लिखा कि "जैसा कि आपको ज्ञात है स्वतंत्रता संग्राम में अल्पसंख्यक समुदाय की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, परन्तु नई नस्ल के लोगों को इसकी पूरी जानकारी नहीं मिल सकी है। राज्य में और खास-तौर पर पटना नगर में स्वतंत्रता संग्राम से सम्बन्धित जितनी भी स्मारकें स्थापित की गई है या प्रतिमा का निर्माण कराया गया है उसमें अल्पसंख्यक समुदाय की भागीदारी नगण्य है। स्वतंत्रता के स्वर्ण जयंती के वर्ष में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नई नस्ल के लोगों को आजादी की लड़ाई में अल्पसंख्यकों की भागीदारी को परिचित कराने का प्रयास किया जाय इसके लिए मेरे विचार में अच्छा होगा कि दारोगा राय पथ पर प्रो० अब्दुल बारी स्मारक भवन के निर्माण हेतु वर्षों पूर्व आवंटित भूमि पर विभाग द्वारा एक स्मारक भवन का निर्माण कराया जाय तथा उसमें राष्ट्रीय स्तर एवं बिहार के अल्पसंख्यक समुदाय एवं गैर अल्पसंख्यक समुदाय के सभी स्वतंत्रता सेनानियों की तस्वीरें एवं उनसे सम्बन्धित उपलब्ध यादगारों को सुरक्षित रखा जाय। साथ-साथ उस भवन के आगे एक स्तम्भ का निर्माण कर उस पर संलग्न सूची में अंकित अल्पसंख्यक समुदाय के स्वतंत्रता सेनानियों का नाम अंकित किया जाय, इससे अल्पसंख्यक समुदाय के लोग यह जान सकेंगे कि उनके पूर्वजों ने भी भारत की आजादी की लड़ाई में कितनी कुर्बानियां दी थीं, जिससे न केवल उनका मनोबल बढ़ेगा बल्कि उनमें देश भक्ति की भावना प्रबल होगी। साथ-साथ गैर अल्पसंख्यकों के लोग भी यह जान सकेगें कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों द्वारा स्वतंत्रता संग्राम में क्या योगदान किया गया था तथा उससे राष्ट्रीय एकता एवं धर्म निरपेक्षता तथा साम्प्रदायिक सौहार्द को बढ़ावा मिलेगा ।

आशा है कि आप मेरे प्रस्ताव से सहमत होंगे तथा यथाशीघ्र इस दिशा में ठोस कार्रवाई करते हुए प्राक्कलन तैयार करा कर भवन एवं स्तंभ निर्माण का कार्य आरम्भ करायेंगे। स्वतंत्रता के स्वर्ण वर्ष के अवसर पर उन महान् स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति हमारी यह सच्ची श्रद्धांजलि होगी, की गई कार्रवाई से मुझे भी अवगत कराया जाय।"

अनु:- स्वतंत्रता सेनानियों की सूची (परि० 37)

इसकी प्रति मंत्री, भवन निर्माण विभाग श्री बसंत सिंह को भी दी गयी है। प्रतिवेदन अपेक्षित है ।

(xxi) पथ निर्माण विभाग को की गयी अनुशंसाएँ

राज्य के विभिन्न स्थानों में एवं राजधानी पटना में सेनानियों की प्रतिमा स्थापित की गयी है परन्तु अल्पसंख्यक समुदाय के स्वतंत्रता सेनानियो की प्रतिमा स्थापित करना धर्मानुकूल नहीं है, इसलिए उनकी प्रतिमाए नहीं के बराबर है। फलतः नई नस्ल के लोग यह नहीं जान पाते हैं कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने भी स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़चढ़कर हिस्सा लिया था और बराबर की कुर्बानियां दी थीं। इसलिए अध्यक्ष, अल्पसंख्यक आयोग ने पथ निर्माण विभाग से अनुशंसा की है कि पटना एवं राज्य के अन्य स्थानों में मुख्य सड़क के चौक पर एक स्तम्भ का निर्माण करें, उसपर अल्पसंख्यक समुदाय के स्वतंत्रता सेनानियों का नाम अंकित किया जाय। इससे राष्ट्रीय एवं साम्प्रदायिक एकता और सामाजिक न्याय को बढ़ावा मिलेगा। अध्यक्ष ने अपने पत्रांक-1243 दिनांक-25.9.97 द्वारा सचिव, पथ निर्माण विभाग को लिखा कि "पटना शहर एवं राज्य के अन्य भागों में सरकार द्वारा स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों की मूर्तियां स्थापित की गई हैं, परन्तु अल्पसंख्यक समुदाय के स्वतंत्रता सेनानी की मूर्ति चूंकि धार्मिक भावनाओं के अनुकूल नहीं है इस लिए स्थापित नहीं की जा सकी। इससे नई नस्ल के लोग यह नहीं जान पा रही है कि अल्पसंख्यक समुदाय का स्वतंत्रता आन्दोलन में क्या भागीदारी रही है। इसे उजागर करने के लिए मेरे विचार में पटना नगर एवं राज्य के अन्य स्थानों में किसी मुख्य सड़क के चौक पर एक स्तम्भ या टाबर बना कर उस पर अल्पसंख्यक समुदाय के स्वतंत्रता सेनानियों का नाम अंकित कर दिये जाने से यह कमी पूरी हो सकती है। मेरे विचार में पटना नगर में निम्नांकित स्थानों में से किसी एक स्थान पर इस प्रकार का स्तम्भ या टावर का निर्माण कराया जा सकता है।

1. गांधी मैदान के निकट शहीद भगत सिंह की प्रतिमा से पश्चिम त्रिकोण पर ।
2. मजहरूल हक पथ के गोलम्बर पर ।
3. आयकर चौराहा के निकट जय प्रकाश जी के प्रतिमा के पश्चिम या पूरब त्रिकोण पर ।
4. उच्च न्यायालय के पास मजार शरीफ के निकट ।

स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती के वर्ष में यदि इस प्रकार का स्तम्भ या टावर बनाकर अल्पसंख्यक समुदाय के स्वतंत्रता सेनानियों की सूची लिख दी जाय तो इससे न केवल उन महान् आत्माओं के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी, बल्कि इससे राष्ट्रीय और साम्प्रदायिक एकता और सामाजिक न्याय को बढ़ावा मिलेगा। स्वतंत्रता सेनानियों की सूची संलग्न है।

आशा है कि आप मेरे सुझाव से सहमत होंगे तथा शीघ्र इस दिशा में कार्रवाई करते हुए 2 अक्तूबर या 14 नवम्बर को इस स्तम्भ का शिलान्यास कराना सुनिश्चित करेंगे ।"

अनुः- स्वतंत्रता सेनानियों की सूची (परि० 37)

इस पत्र की प्रति मंत्री, पथ निर्माण विभाग श्री इलियास हुसैन को भी दी गयी है।

कई स्मारों के बावजूद प्रतिवेदन अपेक्षित है।

(xxii) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग को की गयी अनुशंसाएँ

अनुशंसा संख्या-1 :- अध्यक्ष अल्पसंख्यक आयोग द्वारा अपने पत्रांक-785 दिनांक 20.6.97 द्वारा सचिव, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग को अनुशंसा करते हुए लिखा कि "कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग के पत्रांक-451 दिनांक 19.3.88 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि सरकार ने अल्पसंख्यकों को 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत भरपूर एवं

सुनिश्चित लाभ पहुँचाने के विचार से निदेश निर्गत किए थे। उक्त आदेश में एक बिंदु यह भी था कि पदाधिकारियों को विशेष आदेश दिया जाए कि दैनिक कार्यों में अल्पसंख्यकों समुदाय के लोगों के साथ सहानुभूतिपूर्वक बर्ताव किया जाए और उन्हें सहुलतें मुहैय्या करायी जायें ।

मेरे विचार में पुनः एक पत्र सभी विभागों एवं लोक उपक्रमों को निर्गत किया जाए, जिसमें यह स्पष्ट निदेश दिया जाए कि सभी पदाधिकारी अपने दैनिक कार्यों के निर्वाह में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के साथ सहानुभूतिपूर्वक बर्ताव करें तथा उन्हें सहुलतें मुहैय्या करायी जाएँ। अच्छा होगा कि ऐसे लोगों के लिए एक पंजी संधारित की जाए।"

बहुत स्मार देने के बाद भी अब तक प्रतिवेदन विभाग से अपेक्षित है।

अनुशंसा संख्या-2 :- अध्यक्ष अल्पसंख्यक आयोग ने अपने पत्रांक-766 दिनांक-18.6.97 एवं 795 दिनांक 20.6.97 द्वारा सचिव, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग को अनुशंसा करते हुए लिखा कि "अपने पत्रांक-6725 दिनांक-22.5.89 (परि० 38) का निदेश करें। उक्त पत्र के द्वारा आपने सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी समाहर्त्ता को निदेश दिया था कि 15 सूत्री कार्यक्रम में एक कार्यक्रम यह है कि सरकारी सेवा में तथा विभिन्न लोक उपक्रमों की सेवा में उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व होना चाहिए। चूंकि अल्पसंख्यक समुदाय के लिए पद आरक्षित रखना संवैधानिक नहीं है, इसलिए यह आवश्यक है कि इन समुदाय के उम्मीदवारों को विशेष रूप से चयन किया जाए ताकि सरकारी सेवा में/सरकार में अधीन लोक उपक्रमों की सेवा में प्रतिनिधित्व पर्याप्त हो।

उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में आपने यह लिखा था कि सरकार ने भली भांति विचार कर निम्न निर्णय लिया है!

1. नियुक्ति/प्रोन्नति हेतु गठित चयन समिति/आयोग में अल्पसंख्यक समुदाय (मुस्लिम, ईसाई, सिख) के किसी एक पदाधिकारी को यथासंभव सदस्य के रूप में मनोनीत किया जाए ।

2. सरकार का विचार है कि चयन/प्रोन्नति समिति में अल्पसंख्यक समुदाय का प्रतिनिधित्व सदस्यों के रूप में रहना सरकारी सेवा/लोक उपक्रमों की सेवा में उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व में सहायक होगा।

मैंने विभिन्न जिलों के भ्रमण एवं विभिन्न विभागों की समीक्षा से यह पाया है कि इस आदेश का अनुपालन नहीं किया जा रहा है ।

अत: मैं चाहूंगा कि आप इसकी समीक्षा हेतु एक विशेष बैठक आयोजित करें तथा यह सुनिश्चित किया जाए कि सरकार केउक्त आदेश का अनुपालन सरकार के सभी विभाग/उपक्रमों द्वारा दृढ़ता से किया जाए तथा इसका प्रगति प्रतिवेदन मुझे भी भेजी जाए।"

कई स्मारों के बावजूद अब तक प्रतिवेदन अप्राप्त है।

अध्यक्ष ने सरकार के उर्पयुक्त आदेश के पालन की स्थिति जानने एवं उसका अनुपालन दृढ़ता से करने हेतु निम्नांकित सरकार के विभागों को उनके नाम के आगे अंकित पत्रांक/दिनांक से पत्र लिखकर अनुशंसा की है तथा उनसे अनुपालन की वर्तमान स्थिति भी उनके नाम के आगे दशाई गई है।

क्रमांक	पदनाम एवं विभाग	पत्रांक	दिनांक	अनुपालन की स्थिति
1.	सचिव, राजभाषा	1040	13.8.97	कई स्मारों के बावजूद उत्तर अपेक्षित
2.	सचिव, वित्त	1046	13.8.97	" "
3.	सचिव, ग्रामीण विकास	1045	13.8.97	" "
4.	सचिव, विज्ञान एवं प्रावैधिकी	1044	13.8.97	" "
5.	सचिव, उद्योग	1038	13.8.97	" "

बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग

क्रमांक	पदनाम एवं विभाग	पत्रांक	दिनांक	अनुपालन की स्थिति
6.	सचिव, ईख	1039	13.8.97	कई स्मारों के बावजूद उत्तर अपेक्षित
7.	सचिव, खान एवं भूतत्व	1037	13.8.97	" "
8.	सचिव, वन एवं पर्यावरण	1036	13.8.97	" "
9.	सचिव, पशुपालन	1040	13.8.97	" "
10.	सचिव, परिवहन	1041	13.8.97	" "
11.	सचिव, कल्याण	1042	13.8.97	" "
12.	सचिव, सूचना एवं जन सम्पर्क	1035	13.8.97	" "
13.	सचिव, पर्यटन	1033	13.8.97	" "
14.	सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार	1034	13.8.97	" "
15.	सचिव, मद्य निषेध	1032	13.8.97	" "
16.	सचिव, श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण	1050	13.8.97	" "
17.	सचिव, खाद्य, आपूर्ति एवं वाणिज्य	1049	13.8.97	उत्तर प्राप्त कार्मिक विभाग से निदेश माँगा गया
18.	सचिव, विधि	1048	13.8.97	कई स्मारों के बावजूद उत्तर अप्राप्त
19.	सचिव, निबंधन	1031	13.8.97	" "
20.	निदेशक, पंचायती राज	1029	13.8.97	आदेश निर्गत किया गया। (पत्रांक 1099/9.4.98)
21.	वाणिज्य कर आयुक्त	1029	13.8.97	कई स्मारों के बावजूद उत्तर अप्राप्त
22.	आयुक्त राष्ट्रीय बचत	1028	13.8.97	" "
23.	सचिव, राजस्व पर्षद	1037	13.8.97	" "
24.	निदेशक, सांख्यिकी एवं मूल्यांकन	1026	13.8.97	" "
25.	सचिव, लघु सिंचाई	1026	13.8.97	" "
26.	सचिव, लघु सिंचाई	786	20.6.97	" "
27.	सचिव, जल संसाधन	787	20.6.97	उत्तर प्राप्त । मुख्यालय में गठित पदोन्नति समिति में अल्पसंख्यक सदस्य के रूप में रखा गया है। मुफस्सिल कार्यालय का प्रतिवेदन अपेक्षित । स्मार दिया गया है ।
28.	सचिव, भवन निर्माण	788	20.6.97	उत्तर संतोषजनक नहीं है। पुनः प्रतिवेदन मांगा गया है। स्मार के बावजूद उत्तर अपेक्षित है।
29.	सचिव, पथ निर्माण	789	20.6.97	कई स्मारों के बावजूद उत्तर अपेक्षित है
30.	सचिव, सहकारिता	790	20.6.97	" "
31.	सचिव, कृषि	791	20.6.97	" "
32.	सचिव, नगर विकास	792	20.6.97	" "
33.	सचिव, स्वास्थ्य	786	20.6.97	" "

क्रमांक	पदनाम एवं विभाग	पत्रांक	दिनांक	अनुपालन की स्थिति
34.	आरक्षी महानिदेशक	794	20.6.97	उत्तर प्राप्त। सदस्य रखा जाता है। मुफस्सिल कार्यालय से कोई प्रतिवेदन स्मारों के बावजूद अप्राप्त ।
35.	सचिव, कार्मिक एवं प्र. सुधार विभाग	795	20.6.97	कई स्मारों के बावजूद उत्तर अप्राप्त ।
36.	सचिव, शिक्षा	796	20.6.97	" "
37.	सचिव, लोक स्वास्थ्य	797	20.6.97	" "
38.	कारा महानिरीक्षक	1103	30.8.97	" "
39.	निदेशक, कोषागार	1102	30.8.97	" "
40.	सचिव, योजना एवं विकास	1104	30.8.97	" "
41.	सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय	1105	30.8.97	" "
42.	अध्यक्ष, बि.रा.वि.बोर्ड	844	7.7.97	कई स्मारों के बावजूद उत्तर अपेक्षित
43.	निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री	1125	4.9.97	उत्तर प्राप्त। अपर वित्त आयुक्त से व्यवस्था हेतु अनुरोध किया गया है।

सरकार का यह अति महत्वपूर्ण निर्णय है। इसका दृढ़ता से अनुपालन कार्मिक विभाग का दायित्व है। अतः सरकार से अनुशंसा है कि इस आदेश का अनुपालन दृढ़ता से कराया जाए तथा इसके अनुश्रवण हेतु कार्मिक विभाग में एक अलग सेल स्थापित किया जाय ।

अनुशंसा संख्या-3 :- अध्यक्ष, बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग ने यह अनुशंसा की थी कि इद्रीसी या दर्जी (मुस्लिम) को पिछड़ा वर्ग अनुसूचि-। में शामिल किया जाय।

सरकार ने अनुशंसा को मानते हुए कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ने अपने अधिसूचना संख्या-34 दिनांक 17.3.98 के द्वारा मुस्लिम धर्मावलंबी इद्रीसी या दर्जी जाति को अनुसूचि-। में शामिल करने का आदेश निर्गत कर दिया। (परि० 39)

(xxiii) ऊर्जा विभाग को की गयी अनुशंसाएँ

अध्यक्ष अल्पसंख्यक आयोग ने सचिव, ऊर्जा विभाग को अपने पत्रांक-798 दिनांक 20.6.97 द्वारा अनुशंसा करते हुए लिखा कि "कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग के पत्रांक-451 दिनांक 19.3.88 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि विभिन्न कार्यक्रमों में अल्पसंख्यकों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में लाभ पहुंचाने का निदेश था। इसके तहत अल्पसंख्यकों को उनकी जन संख्या के अनुपात में आपके विभाग द्वारा उन्नत चुल्हा एवं बायो गैस संयत्र स्थापित कराना था।

मैं जानना चाहूंगा कि इस दिशा में क्या कार्रवाई की गई है तथा वर्ष 97-98 में क्या कार्यक्रम है।"

ऊर्जा विभाग के ज्ञापांक 2379 दिनांक 22.8.97 से प्राप्त उत्तर से ज्ञात होता है कि निदेशक, ब्रेडा से इस संबंध में प्रतिवेदन मांग गया है, जो अभी तक अप्राप्त है।

(xxiv) राजभाषा उर्दू निदेशालय को की गयी अनुशंसाएँ

अध्यक्ष अल्पसंख्यक आयोग ने अपने पत्रांक-1160 दिनांक 10.9.97 द्वारा निदेशक, राजभाषा उर्दू को अनुशंसा करते हुए लिखा कि "निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री के ज्ञापांक-297 दिनांक 6.9.97 की छाया प्रति संलग्न है। पत्र के अवलोकन से ज्ञात होता है कि उर्दू में राज गजट प्रकाशन का कोई आदेश/अनुदेश सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग को नहीं है तथा इस प्रकाशन से सम्बन्धित कोई सामग्री किसी विभाग द्वारा प्रेस को नहीं भेजा गया है, जबकि सरकारी संकल्प सं.-1049 दिनांक 24.12.97 के कंडिका 2 (ट) में स्पष्ट निदेश है कि राज गजट एवं जिला गजट के उर्दू रूपान्तर एवं प्रकाशन का निष्पादन राजभाषा (उर्दू निदेशालय) करेंगी ।

अतः मैं चाहूंगा कि व्यक्तिगत रूचि लेकर तथा सभी विभागों से समन्वय स्थापित कर राजकीय गजट का प्रकाशन सर सैयद अहमद खां के जन्म दिवस से आरम्भ कराना सुनिश्चित करेंगे।

आपके निदेशालय का एक कार्य यह भी है कि सरकारी नियमों/प्रपत्रों अधिसूचनाओं का उर्दू में प्रकाशन कराया जाय। इसके तहत मैं चाहूंगा कि आप सर्वप्रथम बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1991 का उर्दू रूपान्तरण करा कर प्रकाशित करें। इसके लिए अधिनियम की दो प्रतियां इसके साथ भेजी जा रही है। प्रतिवेदन अभी तक अप्राप्त है।

(XXV) बिहार शिक्षा परियोजना को की गयी अनुशंसाएँ

अनुशंसा संख्या-1 : अध्यक्ष, अल्पसंख्यक आयोग ने अपने पत्रांक-1181 दिनांक 11.9.97 द्वारा निदेशक, राज्य शिक्षा समिति एवं प्रशिक्षण संस्थान, पटना को अनुशंसा करते हुए लिखा कि "दैनिक हिन्दी हिन्दुस्तान के दिनांक 4.9.97 के अंक में एक विज्ञापन आपके द्वारा प्रकाशित किया गया है जिसमें जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रमों के लिए व्याख्याताओं के पद पर नियुक्ति हेतु ओवदन मांगा गया है परन्तु उसमें उर्दू, बंगला एवं उड़िया भाषा के लिए व्याख्याताओं के पद पर आवेदन नहीं मांगा गया है। इस तरह यह स्पष्ट नहीं होता है कि उर्दू, बंगला एवं उड़िया अल्पसंख्यक भाषाओं के लिए किस प्रकार की सामग्री तैयार की जायेगी और कैसे इस कार्यक्रम का कार्यान्वयन जिला स्तर पर हो सकेग। मुझे विस्तृत प्रतिवेदन दिया जाय कि उन भाषाओं के लिए पहले से प्रर्याप्त शिक्षक उपलब्ध है। यदि नहीं तो इसकी पूर्ति के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है। यदि समय रहते नियुक्ति नहीं की जाती है, तो उन भाषाओं के विद्यार्थियों एवं शिक्षक इस कार्यक्रम का लाभ उठाने से वंचित रह जायेंगे।

इसलिए फिर मेरी अनुशंसा है कि यदि उन भाषाओं के शिक्षक उपलब्ध नहीं है, तो पर्याप्त मात्रा में बहाली की जाय तथा की गई कार्रवाई से मुझे भी अवगत कराया जाय।"

अनुशंसा संख्या-2 : दिनांक 22.9.97 को बिहार शिक्षा परियोजना के पदाधिकारियों के साथ अध्यक्ष, बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग की एक बैठक आयोग के कार्यालय में आयोजित की गई, जिसमें विचार विमर्श के पश्चात् निम्नांकित निर्णय लिए गये। अध्यक्ष महोदय ने यह सुझाव दिया कि बिहार शिक्षा परियोजना के तहत हिन्दी/उर्दू एवं बंगला के साथ-साथ उड़िया भाषा में भी किताबों का प्रकाशन कराया जाय। इस योजना के तहत स्थापित किये जाने वाले 2000 विद्यालयों में अल्पसंख्यक भाषाओं उर्दू/बंगला एवं उड़िया के लिए प्रतिशत निर्धारित कर दिया जाय। अध्यक्ष ने वैकल्पिक शिक्षा के संबंध में यह सुझाव दिया कि गया के साथ-साथ अन्य जिलों में भी स्थानीय तौर पर मौलवी रख कर पढ़ाने की प्रथा को शामिल किया जाय। अध्यक्ष ने यह भी अनुशंसा की कि ग्राम शिक्षा समिति से लेकर राज्य स्तर तक की समितियों में महिलाओं की तरह अल्पसंख्यकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जनसंख्या के अनुपात में उनकी संख्या निर्धारित की जाय। इस योजना के तहत तैयार की जाने वाली पाठ्य पुस्तकों में अल्पसंख्यक समुदाय के स्वतंत्रता सेनानियों की जीवनी भी शामिल किये जाने पर सहमति प्रकट की गई।

अध्यक्ष अल्पसंख्यक आयोग के पत्रांक 1997 दिनांक 5.6.98 के आलोक में बिहार शिक्षा परियोजना के कार्यक्रम निदेशक ने अपने पत्रांक 1506 दिनांक 6.6.98 द्वारा सूचित किया कि कक्षा-3 के लिए पर्यावरण अध्ययन भाग-1 नामी प्रस्तुती में पीर अली, बत्तख मियाँ समानी तथा 'माला-1' में मज़हरूल हक की जीवनी शामिल की गई है। (परि० 40)

(xxvi) मुद्रण एवं लेखन सामग्री निदेशालय में की गयी अनुशंसाएँ

अध्यक्ष अल्पसंख्यक आयोग ने अपने पत्रांक-1125 दिनांक 4.9.97 द्वारा निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री निदेशालय को अनुशंसा करते हुए लिखा कि "कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के पत्रांक-6725 दिनांक 22.5.89 का निदेश करें। उक्त पत्र द्वारा सरकार के सभी विभागों को निदेश दिया गया कि सरकारी सेवा में अल्पसंख्यकों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व होना चाहिए, परन्तु अल्पसंख्यक समुदाय के लिए पद आरक्षित रखना संवैधानिक नहीं है इसलिए आवश्यक है कि इन समुदाय के उम्मीदवारों का विशेष रूप से चयन किया जाय ताकि सरकारी सेवा में उनका प्रतिनिधित्व पर्याप्त हो। सरकार ने भली भांति विचारकर यह निर्णय लिया था कि (क) नियुक्ति/प्रोन्नति हेतु गठित चयन/आयोग में अल्पसंख्यक समुदाय के किसी एक पदाधिकारी को यथासंभव सदस्य के रूप में मनोनीत किया जाय (ख) सरकार का विचार है कि चयन/प्रोन्नति समिति में अल्पसंख्यक समुदाय का प्रतिनिधित्व सदस्य के रूप में किया जाना सरकारी सेवा में उनकी पर्याप्त प्रतिनिधित्व में सहायक होगा।

अत: मैं जानना चाहूंगा कि आपके निदेशालय द्वारा इसका पालन किया जा रहा है या नहीं। यदि अभी तक इसका अनुपालन नहीं हुआ है, तो दृढ़ता से इसका अनुपालन करने हेतु अविलम्ब आदेश निर्गत किया जाय तथा इसकी एक प्रति मुझे भी दी जाय ।

2. सरकार ने उर्दू को 1981 में ही राज्य की द्वितीय राजभाषा घोषित की थी। 1996 में राजभाषा विभाग की अधिसूचना संख्या-1049 दिनांक 24.12.96 द्वारा अलग उर्दू निदेशक पद का सृजन की अधिसूचना निर्गत की गई थी तथा कंडिका 2 (ट) में यह उल्लेख है कि राज्य गजट का उर्दू में रूपांतर एवं प्रकाशन होगा। इस दिशा में आपके निदेशालय द्वारा क्या कार्रवाई की गई है तथा उर्दू में राजकीय गजट का प्रकाशन कब से आरम्भ किया जा रहा है, इसकी सूचना मुझे अविलम्ब उपलब्ध करायी जाय ।

निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए अपने पत्रांक-297 दिनांक 6.9.97 द्वारा अपर वित्त आयुक्त से उर्दू में गजट प्रकाशन हेतु आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया।

पुन: उन्होंने अपने पत्रांक-65 दिनांक 13.2.98 द्वारा अपर वित्त आयुक्त को लिखा कि विभागीय नियुक्ति/प्रोन्नति समिति में अल्पसंख्यकों को एक सदस्य के रूप में रखने हेतु व्यवस्था की जाय।

पुन: निदेशक मुद्रण एवं लेखन सामग्री ने अपने पत्रांक 65 दिनांक 13.2.98 द्वारा नियुक्त/प्रोन्नति समितियों में अल्पसंख्यक समुदाय के एक सदस्य को रखने हेतु आदेश निर्गत कर दिया। (परि० 41)

(xxvii) वित्त विभाग को की गयी अनुशंसाएँ

अध्यक्ष अल्पसंख्यक आयोग ने अपने पत्रांक-1497 दिनांक 15.1.98 द्वारा वित्त आयुक्त को अनुशंसा करते हुए लिखा कि "मुस्लिम कर्मचारियों के प्रतिनिधि मुझसे मिले। ईद आगामी 30 या 31 जनवरी, 98 को होने जा रहा है, जबकि वेतन भुगतान अराजपत्रित पदाधिकारियों/कर्मचारियेां को 31 जनवरी, 98 को होगा तथा राजपत्रित पदाधिकारियों को 2 फरवरी से होगा क्योंकि 1 फरवरी को रविवार है। जैसा कि आप जानते हैं कि ईद मुस्लिम धर्मावलम्बियों का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है, जिसमें परिजनों के लिए नया कपड़ा बनाना पड़ता है तथा त्योहार के लिए अतिरिक्त खर्च भी वहन करना पड़ता है, इसलिए मेरी अनुशंसा होगी कि ईद के अवसर पर विशेष परिस्थिति में सभी वर्ग के पदाधिकारियों/कर्मचारियों का वेतन भुगतान 24 जनवरी, 98 तक कर देने का आदेश निर्गत किया जाय तथा की गई कार्रवाई से मुझे भी अवगत कराया जाय।

वित्त विभाग ने अपने पत्रांक-335 दिनांक 20.1.98 द्वारा सभी राजपत्रित एवं अराजपत्रित कर्मचारियों को वेतन भुगतान 28 एवं 29 जनवरी, 98 तक करने का आदेश निर्गत कर दिया ।

(xxviii) सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग को की गयी अनुशंसाएँ

अध्यक्ष, अल्पसंख्यक आयोग, ने अपने पत्रांक-800 दिनांक 20.6.97 द्वारा सचिव, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग को अनुशंसा करते हुए लिखा कि "सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग सरकार एवं जनता के बीच एक सशक्त कड़ी है, जिसके माध्यम से सरकार द्वारा आम लोगों की भलाई एवं उत्थान के लिए किये जा रहे कार्यों की जानकारी लोगों तक पहुंचाई जाती है। मेरा ऐसा अनुभव है कि सरकार की बहुत सी कल्याणकारी एवं विकास योजना तथा अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ निर्णय की जानकारी आम लोगों विशेष कर अल्पसंख्यकों को नहीं है, जिसके फलस्वरूप सरकार की योजना रहते हुए भी हकदार को हक नहीं पहुँच पाता है और सरकार को भी यश नहीं मिल पाता है। इसलिए खास तौर पर यह जरूरी है कि सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग की उर्दू शाखा को मजबूत बनाया जाय। इस संबंध में मैंने अपने पत्रांक-588 दिनांक 19.9.97 द्वारा कुछ सुझाव भी दिए थे। उर्दू शाखा को मजबूत एवं सशक्त बनाने की नितांत आवश्यकता है। पत्रांक-588 में निम्नांकित बिन्दु थे–

1. गत लगभग दो दशकों से गैर सम्वर्गित पदों से अल्पसंख्यकों के कर्मचारियों को योग्यता के बावजूद एक भी पदोन्नति नहीं दी गई है।
2. सहायक निदेशक, उर्दू के पद को सामान्य करते हुए भाषाई अल्पसंख्यकों की पदोन्नति के अवसर से वंचित कर दिया गया ।
3. विभाग के दैनिक वेतन पर कार्यरत कनीय विडियोग्राफर की राजपत्रित पद पर नियुक्ति कर ली गयी है, जबकि अल्पसंख्यक समुदाय के वरीय योग्य एवं कर्मठ फोटोग्राफर के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार करते हुए उन्हें विभाग त्यागने पर विवश किया जा रहा है।
4. विभाग पत्रिका बिहार (उर्दू) के पद पर प्रोन्नति के प्रावधान के बावजूद सीधी नियुक्ति की कार्रवाई की जा रही है।
5. उर्दू अनुवादक के रिक्त पद पर जान बूझ कर विलम्ब की नीति अपनाई जा रही है तथा गत् 9 वर्षों से यह पद रिक्त है। उर्दू सहायक श्री नजीर अहमद के अवकाश ग्रहण करने के पूर्व इसी नीति के तहत वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई। फलस्वरूप उर्दू शाखा बंद होने के कगार पर है।
6. द्वितीय राजभाषा घोषित होने के बावजूद उर्दू शाखा के पुनर्गठन एवं विस्तार के लिए कोई गम्भीर प्रयास नहीं किया गया ।

दिनांक 12 अगस्त, 1991 को अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम लागू कर देश में पहली बार अल्पसंख्यक आयोग को कानूनी मान्यता दी गई थी। मेरा विचार है कि उस दिन राज्य के प्रमुख अंग्रेजी, हिन्दी एवं उर्दू दैनिक में अल्पसंख्यकों के सम्बन्धित एक प्रशिष्ट निकाला जाय, जिसमें विभिन्न विभागों द्वारा अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ किये जा रहे कार्यों की जानकारी दी जाय। साथ-साथ अल्पसंख्यक के उत्थान हेतु सरकार द्वारा लिये गये विभिन्न निर्णयों की जानकारी भी उसमें दी जाय ।"

बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग

आयुक्त एवं सचिव जन सम्पर्क विभाग ने अपने पत्रांक-322 दिनांक 4.9.97 द्वारा सूचित किया कि "आपके पत्रों के अन्तर्गत सुझाव को कार्यान्वित करने के लिए विभाग में कार्रवाई चल रही है। विभाग में उर्दू शाखा के स्वीकृत रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु बिहार लोक सेवा आयोग में अभियाचना भेजी गयी है तथा शाखा में नये पद के सृजन समता सुदृढ़ीकरण पर अनुशंसा प्राप्ति के लिए विभागीय पदाधिकारियों की एक समिति गठित की गई है, जिसके प्रतिवेदन पर त्वरित कार्रवाई की जायेगी ।

अल्पसंख्यक के कल्याणार्थ लाभकारी योजनाओं तथा आयोग के कानूनी मान्यताओं के संबंध में यदि आयोग द्वारा विभाग में सूचना सुलभ कराया जाय तथा उसे विभाग के प्रेस विज्ञप्तियों तथा पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से प्रचार प्रसार कराने में कोई कठिनाई नहीं है।"

अनुशंसा 2 :- अध्यक्ष, अल्पसंख्यक आयोग, ने अपने पत्रांक-1053 दिनांक-14.8.97 द्वारा महानिदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग को अनुशंसा करते हुए लिखा कि "आपके पत्रांक-1755 दिनांक 8.7.97 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि वर्ष 1998 की बिहार डायरी की तैयारी अभी से आरम्भ कर दी गई है, जो हर्ष की बात है। ऐसा प्रतीत होता है कि अगले वर्ष से डायरी में कुछ नयापन लाया जायेगा ।

मेरा सुझाव और अनुशंसा है कि वर्ष 1998 की बिहार डायरी में फसली, शक, विक्रमी एवं ईसाई पंचांग के साथ-साथ हिजरी पंचांग भी दिया जाय ।"

महानिदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग ने अपने पत्रांक-2378 दिनांक 9.9.97 द्वारा अध्यक्ष के उक्त अनुशंसा के आलोक में लिखा कि "यदि आगामी दिनांक 15.9.97 तक सम्वत् का आधिकारिक पंचांग भारत और राज्य में निवास करने वाले अन्य अल्पसंख्यक समुदाय के सम्बन्धित पंचांगों को आपके द्वारा अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करा दिया जाय तो बिहार डायरी 1998 में शामिल करने पर सरकार की स्वीकृति प्राप्त की जा सकती है।"

अध्यक्ष, अल्पसंख्यक आयोग, ने अपने पत्रांक-1187 दिनांक 15.9.97 द्वारा अंग्रेजी-हिजरी पंचांग, अंग्रेजी-बंगला पंचांग एवं अंग्रेजी-पंजाबी पंचांग की आधिकारिक पंचांग संलग्न कर बिहार डायरी में प्रकाशनार्थ भेजा गया। इसके बाद राज्य कर्मियों की हड़ताल आरम्भ हो गयी। तत्पश्चात् अध्यक्ष ने अपने पत्रांक-1354 दिनांक 8.12.97 द्वारा महानिदेशक से हिजरी पंचांग शामिल करने की स्थिति की जानकारी चाही। पुनः अध्यक्ष ने दिनांक 11.12.97 को मंत्री, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग से व्यक्तिगत रूप से भेंट कर हिजरी पंचांग शामिल करने की बात की, जिस पर विभागीय पदाधिकारियों द्वारा उन्हें सूचित किया गया कि बिहार डायरी की उत्कृष्ट प्रति में हिजरी पंचांग शामिल किया जाना है, परन्तु साधारण प्रति में उसे शामिल नहीं किया गया। इस पर अध्यक्ष एवं मंत्री, सूचना विभाग के बीच मंत्रणा हुई तथा यह तय पाया कि माह मार्च, 98 तक के पन्नों की छपाई हो चुकी है, उसके बाद के शेष पन्नों पर हिजरी पंचांग छापा जाय तथा माह मार्च तक के पन्नों पर हिजरी पंचांग मुद्रित कर पेस्ट कर दिया जाय। इस कार्य के लिए अध्यक्ष से अनुरोध किया गया कि अंग्रेजी हिजरी पंचांग का तुलनात्मक कैलेन्डर बना कर उसी दिन 11.12.97 को सूचना विभाग को उपलब्ध करा दिया जाय ।

अध्यक्ष के आप्त सचिव डा. एम.ए. एजाजी द्वारा तुलनात्मक कैलेन्डर तैयार कर विभाग को गैर प्रेषण संख्या-222 दिनांक 11.12.97 द्वारा उपलब्ध करा दिया गया ।

परन्तु उक्त निर्णय का पालन आंशिक रूप से हुआ तथा उत्कृष्ट डायरी में तो हिजरी कैलेंडर आ गया परन्तु साधारण डायरी में उपरोक्त निर्णय के बावजूद हिजरी कैलेन्डर शामिल नहीं किया गया। अध्यक्ष ने इसे बहुत गम्भीरता से लिया तथा पुनः मंत्री, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, से वार्ता की तथा यह निर्णय लिया गया कि हर हालत में बिहार डायरी के साधारण अंक में हिजरी कैलेंडर शामिल किया जाय। इस कार्य के लिए अंग्रेजी-हिजरी कैलेन्डर का तुलनात्मक पंचांग

12 पृष्ठों पर मुद्रित करा कर डायरी के आरम्भिक पन्नों में जोड़ने का निर्णय हुआ। उक्त निर्णय के आलोक में साधारण अंक में भी हिजरी कैलेंडर शामिल कर लिया गया तथा इसकी सूचना जन सम्पर्क विभाग के निदेशक, श्री राम स्वार्थ हाजरा द्वारा उनके पत्रांक-299 दिनांक 13.2.98 के द्वारा दी गयी। (परि० 42)

(xxix) मुख्यमंत्री को की गयी अनुशंसाएँ

अनुशंसा संख्या 1 :- राज्यपाल के अभिभाषण में शामिल किये जाने हेतु अनुशंसाएँ

अध्यक्ष, बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग, ने वर्ष 1998 में अल्पसंख्यकों के विभिन्न सामाजिक, शैक्षणिक एवं आर्थिक समस्याओं के निराकरण हेतु अनुशंसाएँ "अल्पसंख्यकों के लिए पैकेज" के रूप में मुख्यमंत्री को अपने पत्रांक-1669 दिनांक 12.3.98 द्वारा भेजा था ताकि उन्हें उस वर्ष में महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में समायोजित किया जाय तथा इसका कार्यान्वयन अगले वित्तीय वर्ष में कराया जाय । (परि० 43)

सरकार ने उसमें से कुछ अनुशंसाएँ राज्यपाल के अभिभाषण में सम्मिलित की थीं। आवश्यकता इस बात की है कि राज्यपाल के अभिभाषण में तथा वित्त मंत्री के अभिभाषण में सम्मिलित की गई अनुशंसाओं का कार्यान्वयन कराया जाय । (परि० 44)

अनुशंसा संख्या 2 :- अध्यक्ष, अल्पसंख्यक आयोग, ने अपने पत्रांक 2682 दिनांक 24.4.99 द्वारा मुख्यमंत्री बिहार को लिखा है कि "जैसा कि आपको ज्ञात है कि हमारे राष्ट्र एवं राज्य स्तर के स्वतंत्रता सेनानियों एवं नेताओं की जन्म तिथि/पुण्य तिथि राजकीय समारोह के रूप में मनाई जाती है और साथ-साथ उन लोगों की प्रतिमा भी स्थापित की गई है परन्तु अल्पसंख्यक समुदाय के एकाक नेताओं की जन्म दिवस/पुण्य तिथि ही मनाई जाती है।

मेरा प्रस्ताव है कि अल्पसंख्यक समुदाय के स्वतंत्रता सेनानियों एवं नेताओं के जन्म दिवस/पुण्य तिथि मनाने हेतु गृह विभाग द्वारा जिला पदाधिकारियों/आयुक्तों को निदेश निर्गत करने हेतु आदेश देना चाहेंगी। सुलभ प्रसंग हेतु राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर के नेताओं की सूची जिलावार (वर्तमान में जिनकी याद में समारोह मनाया जाता है, सहित) निम्न प्रकार है–

<u>पटना</u>

1.	मौलाना अबुल कलाम आज़ाद	अग्रणी स्वतंत्रता सेनानी एवं देश के प्रथम शिक्षा मंत्री ।
2.	मौलाना मोहम्द अली जौहर	खिलाफत आंदोलन के संस्थापक ।
3.	डा० ज़ाकिर हुसैन	देश के तीसरे एवं प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति ।
4.	शहीद पीर अली	1857 के प्रथम शहीद ।
5.	मौलाना मज़हरूल हक़	प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी ।
6.	प्रो० अब्दुल बारी	प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी एवं मजदूर नेता ।
7.	अब्दुल क़य्यूम अंसारी	स्वतंत्रता सेनानी, दलित मुस्लिम नेता एवं राज्य के काबिना मंत्री ।
8.	डा० सैयद महमूद	प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी एवं केन्द्रीय विदेश मंत्री ।

9. अली ईमाम एवं हसन ईमाम	स्वतंत्रता सेनानी एवं नये बिहार के संस्थापकों में ।
10. उल्माए सादिक़पुर	वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक, जिन्हें अंग्रेजों ने 1857 में गधों का हल चलवा दिया था ।
11. मौलाना सज्जाद	स्वतंत्रता सेनानी एवं इमारत-ए-शरिया के संस्थापक ।

मुजफ्फरपुर

1. वारिस अली	स्वतंत्रता सेनानी एवं लोटिया आंदोलन के संस्थापक ।
2. डा० मग़फूर अहमद एजाज़ी	प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी, केन्द्रीय खिलाफत कमिटी के सदस्य तथा नेहरू रिपोर्ट पर आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन के सदस्य, मुठिया अभियान के संयोजक तथा मुजफ्फरपुर नगरपालिका के प्रथम सभापति ।
3. शफी दाऊदी	गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया ।

सिवान

1. जब्बार हुसैन	स्वतंत्रता सेनानी एवं राज्य के मंत्री ।

मुंगेर

1. शाह ज़ुबैर	स्वतंत्रता सेनानी ।

पूर्वी चम्पारण

1. बत्तख मियां अंसारी	जिन्होंने गांधी जी को जहर देने की बात बताकर उनकी जान बचाई तथा स्वयं अंग्रेजों के दमन के भागी बनें ।

राँची

1. शेख भिखारी	1857 स्वतंत्रता संग्राम में फांसी दी गई।

तदनुसार गृह सचिव को आदेश देना चाहेंगी ।"

★★★

अल्पसंख्यकों (मुस्लिम) का सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक स्थिति का सर्वेक्षण

* * *

अल्पसंख्यकों (मुस्लिम) की सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक स्थिति का सर्वेक्षण

दिनांक 23.12.95 को सरकार द्वारा विधान परिषद् में यह आश्वासन दिया कि वह अल्पसंख्यक आयोग से राज्य के मुसलमानों की सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक स्थिति का सर्वेक्षण कराया जाएगा। सरकार के उक्त आश्वासन के आलोक में विषय वस्तु विशेषज्ञ की एक समिति गठित की गयी, जो निम्न प्रकार है :-

1. प्रो० सोहैल अहमद, अध्यक्ष ।
2. डा० आरिफ हुसैन, संयोजक ।
3. डा० मुसी रज़ा, समाज विज्ञान विभाग, सदस्य ।
4. डा. क़मर अहसन, सदस्य ।
5. डा० अली ईमाम, सदस्य ।
6. प्रो. शम्श आलम खाँ, सांख्यिकी विभाग, सदस्य ।
7. डा० सरफराज़ अहमद, सदस्य ।
8. डा० एस० एफ० रब, सदस्य ।
9. डा. मुसी रज़ा, श्रम एवं समाज कल्याण विभाग, सदस्य ।
10. डा. अख़्तर हुसैन आफताब, सदस्य ।
11. डा० मंसूर अहमद एजाज़ी, अध्यक्ष के आप्त सचिव, सदस्य सचिव ।

इस कमिटि ने कई बैठकों में गहन विचार विमर्श एवं मंथन के पश्चात् सर्वेक्षण के लिए एक प्रोजेक्ट तैयार किया, जिसे स्वीकृति हेतु सरकार को भेजा गया ।

'सरकार से राशि प्राप्त हो चुकी है और सर्वेक्षण कार्य आद्री द्वारा कराया गया, जिसका प्रतिवेदन शीघ्र अपेक्षित है। (परि० 45) ।

★★★

अध्याय - छः

समाचार पत्रों की कतरणों के आधार पर आयोग द्वारा की गयी कार्रवाई

समाचार पत्रों की कतरणों के आधार पर आयोग द्वारा की गयी कार्रवाई

अल्पसंख्यक आयोग ने समाचार पत्रों, समाचार माध्यमों, दूरदर्शन एवं आकाशवाणी से प्रकाशित, प्रसारित समाचारों के आधार पर तीव्रता से कार्रवाई करते हुए बहुत से मामलों में न्याय दिलाया है। सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग से उर्दू समाचारों का कतरण प्राप्त होते ही अध्ययन कर तीव्रता से कार्रवाई की जाती है। हिन्दी एवं अंग्रेजी समाचार पत्रों का कतरण आयोग को प्राप्त नहीं होता है, हालांकि आयोग द्वारा इस संबंध में सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग से अनुरोध भी किया गया है।

उन कतरणों के आधार पर की गयी कार्रवाई कई स्तर पर होनेवाली नाइंसाफी, नियुक्तियों एवं पेंशन में बरती गयी अनियमितता, धार्मिक स्थलों पर अतिक्रमण, अल्पसंख्यक पर होनवाले अत्याचार तथा अन्य विविध मामले सम्मलित रहते हैं। समाचार माध्यमों से प्राप्त सूचना के आधार पर समय-समय पर की गयी तीव्र कार्रवाई से बहुत सी अप्रिय घटनाओं को रोका जा सका है और बहुत से पीड़ित व्यक्तियों को राहत दिये गये हैं, उसके लिए आयोग समाचार पत्रों का आभारी है। समाचार पत्रों के आधार पर की गयी कार्रवाई की सूची काफी लम्बी है, परन्तु कुछ ऐसे मामले जिन में आयोग ने प्रभावी भूमिकाएँ अदा की है, उनकी संख्या लगभग 300 है। आयोग को आशा है कि समाचार माध्यम इसी प्रकार अल्पसंख्यकों के मामलों के प्रति जागरूक रहेगा ।

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि 4 जनवरी, 2000 में हिंदी दैनिक हिन्दुस्तान में प्रकाशित सनसनीखेज समाचार में मुख्य पृष्ठ पर छपा था कि "उफ ये गरीबी-दूध मुहाँ बेचने को मजबूर माँ"। यह घटना ग्राम परसा बेड़ा, थाना-डुमरी, जिला-गिरडीह की है, यहाँ की निवासी ज़हूरन बीबी गरीबी के कारण अपने मासूम बच्चा को बेचने के लिए सौदा कर चुकी थी। अध्यक्ष, अल्पसंख्यक आयोग, ने दूरभाष द्वारा उसी रात उपायुक्त को निर्देश दिया कि गरीबी के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं से ज़हूरन बीबी को लाभांवित किया जाय। तत्पश्चात् उपायुक्त गिरीडीह ने अपने पत्रांक 1503 दिनांक 7.6.2000 द्वारा अध्यक्ष महोदय को सूचित किया कि उक्त महिला को इन्दिरा आवास, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, एस०जी०एस०वाई० के तहत चूड़ी व्यवसाय के लिए पांच हजार रु. का ऋण एवं गृह निर्माण के लिए चार डिस्मिल जमीन की स्वीकृति दी गई । (परि० 62 (क))

★★★

अध्याय - सात

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का सुदृढ़ीकरण

बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का सुदृढ़ीकरण

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का गठन वर्ष 1991 में निम्नलिखित कार्यों के लिए स्वतंत्र रूप से किया गया था:-

1. अल्पसंख्यक समुदाय का कल्याण ।
2. हज ।
3. वक़्फ़ ।
4. जाति प्रथा का उन्मूलन ।
5. अल्पसंख्यकों से सम्बन्धित निम्नलिखित निकाय/निगम पर प्रशासनिक नियंत्रण ।
   - क. बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग
   - ख. 15 सूत्री कार्यक्रम सम्बन्धी
   - ग. बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम ।
   - घ. उर्दू अकादमी ।
   - ङ. बंगला अकादमी ।

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा उनके पत्रांक-14 दिनांक 26.4.94 द्वारा इस विभाग को जो विषय आबंटित किये गये हैं, उक्त विषय से सम्बन्धित विभागों में स्वीकृत एवं कार्यरत कर्मियों के स्वीकृत पदों को पद धारकों सहित हस्तांतरित किया गया है ।

क्रमांक	किस विभाग से	पदनाम	श्रेणी	संख्या
1.	गृह विशेष विभाग	विशेष सचिव	भा. प्र. से. / भा. आ. से.	एक
2.	" " "	संयुक्त सचिव	बि. प्र. से.	एक
3.	" " "	शोध पदाधिकारी	सांख्यिकी सेवा वर्ग-3	एक
4.	" " "	शोध अन्वेषक	सांख्यिकी सेवा वर्ग-3	दो
5.	" " "	प्रशाखा पदाधिकारी	सहायक संयुक्त सम्वर्ग	एक
6.	" " "	सहायक	सहायक संयुक्त सम्वर्ग	पाँच
7.	" " "	दिनचर्या लिपिक	वर्ग-3	एक
8.	" " "	टंकक	वर्ग-3	दो
9.	विधि विभाग	उप सचिव (वक़्फ़)	सहायक संयुक्त सम्वर्ग	एक
10.	" "	वक़्फ़ विकास पदाधिकारी	सहायक संयुक्त सम्वर्ग (प्रशाखा पदाधिकारी श्रेणी)	एक

परन्तु अभी तक विभाग में बल के अनुरूप पदाधिकारी पदस्थापित नहीं हुए हैं जिसके फलस्वरूप 8 सालों की अवधि बीत जाने के बाद भी अभी तक विभाग अपना स्वरूप नहीं दे सका है और न ही अल्पसंख्यकों की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने में सफल हो सका है, हालांकि विभाग को पूर्णरूपेण चलाने के लिए उपरोक्त अंकित पदों के अतिरिक्त निम्नलिखित पदों की स्वीकृति भी अनिवार्य है –

1.	निबंधक/लेखा पदाधिकारी	एक पद	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के कार्य के लिए।
2.	लेखा लिपिक	एक पद	विपत्रों की जांच हेतु
3.	विपत्र लिपिक	दो पद	
4.	ट्रेजरी सरकार	एक पद	कोषागार/बैंक मैसेंजर
5.	दिनचर्या लिपिक	एक पद	वर्तमान में केवल एक पद है जो डायरी एवं निर्गम दोनों का कार्य कर रहे हैं ।
6.	चालक	तीन पद	मंत्री, राज्य मंत्री एवं अध्यक्ष के लिए ।
7.	दफ्तरी सह अभिलेख वाहक	एक पद	

आयोग की अनुशंसा है कि उपरोक्त पदों को स्वीकृत करते हुए सभी पदों पर यथाशीघ्र पदस्थापना की जाय तथा विभाग का वार्षिक बजट तैयार कराकर अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ अन्य राज्यों की भाँति विभिन्न योजनाएँ चलाई जायँ। उत्तर प्रदेश की भांति एक अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय की भी स्थापना की जाय ।

उत्तर प्रदेश की भांति प्रत्येक जिला में एक जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी की पदस्थापना की जाय, जैसा कि अध्यक्ष, अल्पसंख्यक आयोग ने अपने पत्रांक-1932 दिनांक 6.6.98 द्वारा अनुशंसा की है। (परि० 46)

पुनः इस संबंध में मुख्य सचिव, बिहार को अध्यक्ष, अल्पसंख्यक आयोग ने अपने पत्रांक 2675 दि. 21.4.99 द्वारा लिखा है। (परि० 47) मुख्यमंत्री महोदय से पत्र लिखकर इस अनुशंसा में कार्यान्वयन का अनुरोध किया गया है।

2. हजः- केन्द्रीय हज कमिटी के अनुरूप राज्य हज कमिटी को भी सुदृढ़ किया जाय। हार्डिंग रोड में निर्माणाधीन हज भवन का निर्माण कार्य यथाशीघ्र पूरा कराया जाय, ताकि राज्य से जाने वाले हाजियों को सहूलियत हो और ऐसी व्यवस्था की जाय कि हाजियों की एक ही स्थान से सभी औपचारिकताएं पूरी हो जाय और उन्हें अलग अलग कार्यालय दौड़ना न पड़े। साथ-साथ यह भी प्रयास किया जाय कि बिहार से जाने वाले हाजियों के लिए पटना से ही सीधे सऊदी अरब के लिए उड़ान की व्यवस्था हो, इससे उन्हें कलकत्ता जाने, वहां ठहरने की परेशानी और खर्चे से बचाव हो।

3. वक्फ :- वक़्फ़ बोर्ड को चुस्त दुरूस्त करने के लिए यह आवश्यक है कि वक़्फ़ अधिनियम 1995 का कार्यान्वयन कराया जाय। साथ-साथ वक़्फ़ आयुक्त की पदस्थापना कर वक़्फ़ की जायदाद की सुरक्षा की जाय और बेदख़ल हुई या अवैध रूप से हस्तांतरित जायदादों को वापस ले लिया जाय और कर्नाटक आदि राज्यों के भांति वक़्फ़ की जायदाद से होने वाली आमदनी का उपयोग अल्पसंख्यक मुसलमानों की आर्थिक खुशहाली के लिए व्यय किया जाय। वक़्फ़ कार्यालय के लिए हज भवन के साथ-साथ वक़्फ़ भवन का भी निर्माण कराया जाय। खर्चे में कटौती के लिए जैसा कि विधानसभा की गठित उप समिति ने अपनी रिपोर्ट में अनुशंसा की है कि वक़्फ़ आयुक्त का प्रभार किसी राजस्व विभाग के पदाधिकारी को सौंपा जाय तथा सभी अपर समाहर्त्ताओं को सहायक वक़्फ़ आयुक्त

एवं सभी अंचलाधिकारी को अपर सहायक वक़्फ़ आयुक्त का प्रभार सौंपा जाय। बेहतर होगा कि वक़्फ़ आयुक्त का प्रभार राजस्व सचिव को सौंपा जाय, इससे वक़्फ़ जायदादों का सर्वे कार्य सुगमता से राजस्व विभाग के कर्मचारियों से कराया जा सकता है और इसके लिए अतिरिक्त राशि-भार भी नहीं पड़ेगा।

4. 15 सूत्री कार्यक्रम :- इस समिति के कार्यों को प्रभावी ढ़ंग से लागू करने के लिए इसे पूरी तरह साधनयुक्त करना आवश्यक है। अत: आयोग की अनुशंसा है कि 15 सूत्री कार्यक्रम कार्यालय में स्टाफ एवं सभी आवश्यक साधनों को उपलब्ध कराया जाय ताकि यह समिति कारगर रूप से अपना कार्य कर सके।

5. बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम :- वित्तीय कठिनाईयों के कारण यह निगम भी अपने उद्देश्यों की पूर्ति में अभी तक पूरी तरह सफल नहीं हो सका है। यहां तक कि इसका अपना कार्यालय भी नहीं है, जिसके फलस्वरूप प्रबंध निदेशक उसके कार्यालय को बंजारों की भांति साथ लिये घूमते फिर रहे हैं। निगम को पूंजी के लिए हमेशा केन्द्रीय वित्त निगम का मुँह देखना पड़ता है। आयोग की अनुशंसा है कि वित्तीय निगम को और अधिक मजबूत एवं प्रभावशली बनाया जाय तथा इसका हिस्सा पूंजी एक अरब रुपये का कर दिया जाय। साथ ही साथ इसको अपना भवन निर्माण हेतु राशि आवंटित की जाय। बेहतर होगा कि हाई कोर्ट के निकट वक्फ की जमीन पर एक बहुमंजली ईमारत बनायी जाय, जिसमें हज कमिटी, वक़्फ़ बोर्ड एवं वित्तीय निगम के कार्यालय एक साथ कार्य करें।

6. उर्दू अकादमी :- अन्य राज्यों की भांति बिहार उर्दू अकादमी बहुत ही पिछड़ा और दयनीय स्थिति में है। हालांकि विधान परिषद् के सभापति प्रो० जाबिर हुसैन के पहल पर इसका अनुदान 70 लाख तक हो गया है, फिर भी यह अन्य राज्यों के मुकाबले कम है। आयोग की अनुशंसा है कि इसके अनुदान को बढ़ा कर एक करोड़ रुपया कर दिया जाय तथा इसकी प्रशासनिक व्यवस्था ठीक करने के लिए एक निदेशक का पद बनाया जाय जो कि प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी हों ।

7. बंगला अकादमी :- उर्दू अकादमी की तरह बंगला अकादमी को भी सुदृढ़ किया जाय तथा इसके अनुदान की राशि में भी संतोषजनक ढंग से वृद्धि की जाए ।

8. पंजाबी अकादमी :- राज्य में पंजाबी अकादमी की स्थापना की घोषणा बहुत पूर्व में की जा चुकी है। आयोग की अनुशंसा है कि इसी वर्ष इसकी स्थापना कर दी जाए ।

9. अध्यक्ष, अल्पसंख्यक आयोग द्वारा पत्रांक 2685 दिनांक 24.4.99 द्वारा माननीया मुख्यमंत्री, बिहार, पत्रांक-2675 दिनांक 21.4.99 द्वारा मुख्य सचिव, बिहार को यह अनुशंसा की गई कि सरकार की विभिन्न कल्याणकारी एवं विकास की योजनाओं में अल्पसंख्यकों को लाभ पहुँचाने की समीक्षा ठीक उसी प्रकार की जानी चाहिए जैसा कि वर्तमान में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के लिए तथा इसके लिए प्रत्येक जिला में एक वरीय पदाधिकारी के पर्यवेक्षण में जिला अल्पसंख्यक कल्याण कोषांग का गठन किया जाए ।

माननीया मुख्यमंत्री ने इस अनुशंसा को सहर्ष स्वीकार करते हुए आदेश पारित किया, जिस पर मुख्य सचिव, बिहार ने अपने पत्रांक-991 दिनांक 23.11.2000 द्वारा सभी जिला अधिकारियों को यह आदेश दिया कि जिला अधिकारी के समग्र नियंत्रण एवं मार्गदर्शन में अल्पसंख्यकों से संबंधित परियोजनाओं को कार्यान्वयन एवं मॉनीटरिंग के लिए उपविकास आयुक्त के अधीन एक सुयोग्य पदाधिकारी के प्रभार में अल्पसंख्यक कल्याण कोषांग का गठन किया जाय, जो कि अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ सभी विभागों संगठनों द्वारा किए जा रहे सभी कार्यों/योजनाओं की सतत् निगरानी करे तथा जिला अधिकारी अपने जिला के 20 सूत्री कार्यक्रम एवं अन्य लाभकारी योजनाओं में अल्पसंख्यकों को पहुँचाए जा रहे लाभों एवं कार्यक्रमों के संबंध में एक माहवारी प्रतिवेदन अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में ठीक उसी प्रकार देगा जैसे कि अनु०जाति/जनजाति/महिलाओं के लिए दिया जाता है। (परि० 46 (क))।

अध्याय - आठ

जिला स्तरीय बैठक एवं समीक्षा

बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग

जिला स्तरीय बैठक एवं समीक्षा

अध्यक्ष, अल्पसंख्यक आयोग ने विभिन्न जिले का दौरा किया तथा सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न विकास एवं कल्याणकारी योजनाओं में अल्पसंख्यकों को पहुँचाये जा रहे लाभों की समीक्षा के दौरान यह पाया कि अल्पसंख्यकों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में लाभ नहीं पहुँचाया जा रहा है। अधिकांश जिलो में आंकड़ा भी उपलब्ध नहीं कराया जा सका। अतः एक समेकित प्रपत्र तैयार कर सभी जिला पदाधिकारियों को प्रेषित किया गया, ताकि उक्त प्रपत्र के हर 6 माह पर यह प्रतिवेदन भेजा जाय कि किस योजना में अल्पसंख्यकों को कितना लाभ पहुँचाया जा रहा है। साथ-साथ जिलों के भ्रमण के दौरान उक्त प्रपत्र में समीक्षा किया जा सके । (परि० 48)

अध्यक्ष, अल्पसंख्यक आयोग ने अपने भ्रमण के दौरान उक्त प्रपत्र में प्रतिवेदनों की समीक्षा के अतिरिक्त कुछ विशेष निदेश भी दिये जो निम्न प्रकार है ।

1. क्षेत्रीय पदाधिकारी यथा प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी इत्यादि गांव में शिविर लगाकर लोगों से सीधे सम्पर्क कर सुयोग्य श्रेणी के गरीब लोग, जो किसी कारण से सरकारी योजनाओं का लाभ पाने से वंचित रह गये हैं, उन्हें उक्त लाभ को पहुँचाया जाय।

2. एक पदाधिकारी को अल्पसंख्यको की समस्या एवं कल्याण से सम्बन्धित समस्या का प्रभारी बनाया जाय।

3. लावारिश लाशो को उसी धर्म की रीति के अनुरूप अंतिम संस्कार के लिए उसी धर्म के प्रतिनिधियों को सौंपा जाय।

4. उर्दू के स्थान पर हिन्दी एवं हिन्दी के स्थान पर उर्दू शिक्षकों की पदस्थापना को सुधारते हुए उर्दू, ईकाई पर उर्दू शिक्षकों की पदस्थापना की जाय। ऐसी ही प्रक्रिया बंगला/उड़िया भाषा के संबंध में भी अपनायी जाय। अल्पसंख्यक भाषाओं का जितना पद रिक्त है, उनपर नियुक्ति हेतु प्रक्रिया अविलम्ब प्रारम्भ की जाय ।

5. कब्रिस्तान की घेराबंदी के संबंध में निम्नांकित प्रक्रिया अपनायी जाय । सब से पहले अतिसंवेदनशील कब्रिस्तानों की घेराबंदी करायी जाय, तब संवेदनशील कब्रिस्तानों की, अंत में गैर विवादित कब्रिस्तानों की घेराबंदी करायी जाय।

अध्यक्ष द्वारा विभिन्न जिलों में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। उनमें से कुछ प्रतिनिधि जिले की बैठक की कार्यवाही अनुसूची में संलग्न है। (परि० 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55)

★★★

अध्याय - नौ

विविध आवेदन पत्र

बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग

विविध आवेदन पत्र

आयोग के कार्यालय में प्रति दिन डाक द्वारा या व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर लोग दर्जनों आवेदन पत्र अपनी विभिन्न निजी/सामुदायिक समस्याओं से सम्बन्धित उपस्थापित करते हैं। जिनपर आयोग द्वारा तत्परता से कार्रवाई की जाती है तथा कुछ एक मामले को छोड़कर अधिकांश मामले में आवेदकों को न्याय दिलाये गये हैं। अबतक लगभग 4,000 हजार से अधिक आवेदन विभिन्न विषय पर प्राप्त हुए हैं, जिनके संबंध में शीर्षकबार विवरणी निम्न प्रकार है:-

(i) अपहरण, हत्या एवं बलात्कार

आयोग को आए दिन ऐसे आवेदन प्राप्त होते हैं या समाचार माध्यमों से यह सूचना मिलती रहती है कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों का अपहरण, हत्या एवं बलात्कार पश्चात् हत्या की घटनाएँ घटित हुई हैं। आयोग को सूचना मिलते ही इस पर द्रुत कार्रवाई की जाती है और लगभग ऐसे सभी मामलों में दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की गयी है और पीड़ितों को मुआवजा या अन्य सहायता की व्यवस्था की गयी। आयोग ने जब यह पाया कि अल्पसंख्यकों के साथ हुई घटनाओं में अभियुक्त को पकड़ने के लिए कारगर कार्रवाई नहीं की जा रही है, तो अध्यक्ष, अल्पसंख्यक आयोग ने अपने पत्रांक-180 दिनांक 25.6.96 द्वारा गृह सचिव को लिखा कि अल्पसंख्यकों के साथ घटित घटनाओं के अपराधियों पर कारगर कार्रवाई नहीं हो रही है। इसे गम्भीरता से लेते हुए तत्कालीन गृह सचिव श्री डी.पी. माहेश्वरी ने एक अर्द्ध सरकारी पत्र सं.-461 दिनांक 27.6.96 तत्कालीन आरक्षी महानिदेशक श्री एस. के. सक्सेना को भेजा कि ऐसी घटना के अभियुक्तों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जाय तथा इस संबंध में आरक्षी अधीक्षकों को अविलम्ब आवश्यक कार्रवाई का निदेश निर्गत करें। (परि० 25, 26)

आयोग द्वारा अपहरण, हत्या एवं बलात्कार के बाद हत्याओं के अनेक मामलों में द्रुत एवं कारगर कार्रवाई की गयी है। इन सभी मामलों का उल्लेख करना सम्भव नहीं है। अतः कुछ एक ऐसे मामले, जो कि बहुचर्चित एवं गंभीर हैं, का उल्लेख किया जा रहा है–

क. दिनांक 27.5.96 को संध्या 7 बजे 7 वर्षीय अंजुम बानो पिता- श्री मो० जफीर उद्दीन, महल्ला-मुर्गियाचक, थाना एवं जिला-खगड़िया, जब वह दुकान से लौट रही थी तो संजीव कुमार उर्फ बब्लू नामी नवयुवक ने उसका मुँह दबाकर उठा लिया और बगल के महाबीर मंदिर के बरामदे पर ले जाकर बलात्कार किया। आयोग को जब इसकी सूचना मिली तो अध्यक्ष ने दूरभाष द्वारा आरक्षी अधीक्षक खगड़िया को अविलम्ब कड़ी कार्रवाई करते हुए दोषी व्यक्तियों को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। तत्कालीन आरक्षी अधीक्षक श्री एम.ए. काजमी ने अपने पत्रांक-1869 दिनांक 21.8.96 द्वारा विस्तृत विवरणी अध्यक्ष को भेजी तथा यह सूचित किया कि अभियुक्त गिरफ्तारी कांड सं.-185/96 में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। अध्यक्ष ने अपने निजी देख-रेख में पीड़ित बच्ची का ईलाज पटना में कराया। (परि० 56)

ख. दिनांक 19-20.4.97 की रात्रि में ग्राम-सरारू, थाना-टंवा, जिला-चतरा के दो मुस्लिम स्त्रियों (1) मैमुना खातुन, पत्नी मो० मियां एवं (2) मोनिया खातुन पुत्री मो० मियां का उसी ग्राम के 25-30 व्यक्तियों द्वारा अपहरण कर सामूहिक बलात्कार किया गया तथा फैयाज अंसारी वल्द मो० मियां का अपहरण भी किया गया। इस घटना को गम्भीरता से लेते हुए अध्यक्ष ने अपने पत्रांक- फैक्स सम्वाद सं.-655 दिनांक 2.5.97 द्वारा उपायुक्त एवं आरक्षी

अधीक्षक, चतरा को कड़ा निदेश दिया कि अभियुक्तों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जाय तथा संयुक्त रूप से प्रतिवेदन भेजा जाय। उपायुक्त एवं आरक्षी अधीक्षक, चतरा ने अभियुक्तों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें आत्मसमर्पण करने पर मजबूर किया तथा अपने संयुक्त प्रतिवेदन फैक्स सम्वाद द्वारा अपने ज्ञापांक-702 दिनांक 6.5.97 द्वारा अध्यक्ष, अल्पसंख्यक आयोग को भेजा।

ग. मो० नौशाद, हिलसा जिला-नालंदा को अध्यक्ष अल्पसंख्यक आयोग के निदेश पर स्थानीय पुलिस ने अपहरणकर्ताओं से छुड़ाकर उसके पिता के हवाले किया ।

घ. नाजरा खातुन नामी लड़की अपने बाप के साथ नवादा लौटी तो स्टेशन से निकलते ही कुछ गुंडा तत्वों ने उसके बाप को बांध कर लड़की के साथ बलात्कार किया। अध्यक्ष, अल्पसंख्यक आयोग ने व्यक्तिगत रूप से नवादा जाकर अपराधी को गिरफ्तार करने तथा पीड़ित लड़की को मुआवजा देने का निर्देश दिया, जिसके अनुपालन में अपराधियों को गिरफ्तार किया गया ।

ङ. शेखपुरा जिला के अरियरी थाना के चोरबर गांव निवासी गुलजार अंसारी की नाबालिक पुत्री रूबैदा खातुन को सामूहिक बलात्कार पश्चात हत्या कर दी गयी तो अध्यक्ष, अल्पसंख्यक आयोग ने कड़ी कार्रवाई करते हुए दोषी व्यक्ति के विरूद्ध अविलम्ब कानूनी कार्रवाई करने तथा पीड़ित परिवार को मुआवजा भुगतान का आदेश दिया। प्रशासन द्वारा दृढ़ता से इसका अनुपालन किया गया। दोषी व्यक्ति को उम्र कैद की सजा हुई तथा पीड़ित परिवार को मुआवजे का भुगतान किया गया ।

(ii) साम्प्रदायिक तनाव, दंगा एवं मुआवजा भुगतान

श्री लालू प्रसाद-श्रीमती राबड़ी देवी के नेतृत्व में गठित सरकार के बिहार के क्षितिज पर उदय होने के पूर्व राज्य साम्प्रदायिक तनाव की दृष्टि से अस्त-व्यस्त एवं अराजक था। प्रशासन अपनी नेतृत्वहीनता के कारण पंगू बना था। साम्प्रदायिक तत्वों को खून की होली खेलने की छूट मिली थी। वर्ष 1990 के बाद बिहार पर नजर डालने से चारों ओर साम्प्रदायिक द्वेष, अविश्वास और आतंक का माहौल दीखता है, जिसकी पराकाष्ठा थी भागलपुर का दंगा, जिसे दंगा नहीं नस्लकुशी (जीनोसाइड) कहना ज्यादा उचित होगा। साम्प्रदायिक तत्वों ने 1990 के आखिरी हिस्से में पटना सिटी तथा राज्य के कुछ संवेदनशील स्थानों पर साम्प्रदायिक तनाव और हिंसा फैलाने की संगठित कोशिश की। इसी प्रकार 1992 में सीतामढ़ी में तथा 1998 में बिहार शरीफ में कोशिश की गई, मगर सरकार की दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति और राज्य के अल्पसंख्यक एवं कमजोर वर्गों की संगठित शक्तियों के कारण इन घटनाओं पर बहुत थोड़े समय में काबू पा लिया गया। आयोग ने भी अपनी कारगर भूमिका इस अवधि में साम्प्रदायिक सद्भावना बनाये रखने में निभाई है तथा इस अवधि में एक मजबूत सामाजिक आधार की राजनीति के भरोसे सरकार ने राज्य की अल्पसंख्यकों के मन में न केवल सुरक्षा के भाव पैदा किये हैं, बल्कि उन्हें सामाजिक राजनीतिक जीवन का एक मजबूत हिस्सा होने का विश्वास भी दिलाया है। इस अवधि में देश के कई राज्यों में अल्पसंख्यक ईसाई समुदाय पर अत्याचार का एक नया अध्याय प्रारम्भ हुआ है, जिसकी जिन्दा मिसाल है- गुजरात और उड़ीसा, जहाँ कि विदेशी मिशनरी और उसके अवोध बच्चों को जिन्दा जला दिया गया, परन्तु वर्तमान सरकार की हर मूल्य पर साम्प्रदायिक सौहार्द बनाये रखने की बचनबद्धता और दृढ़ संकल्प के फलस्वरूप राज्य ऐसे दंगों से अभी तक सुरक्षित है। अल्पसंख्यक आयोग साम्प्रदायिकता के विरूद्ध इस प्रतिबद्ध मोरचे की अगुआई का दावा नहीं करता, परन्तु यह सच है कि आयोग ने अपने व्यापकतम जन सम्पर्क एवं संवेदनशील जन सरोकार के सहारे पूरे राज्य में साम्प्रदायिक सदभाव और शांति बनाये रखने की मुहिम में महत्वपूर्ण योगदान किया है। आयोग को आशा है कि साम्प्रदायिकता के विरूद्ध छेड़ी गई यह लड़ाई राष्ट्रीय आन्दोलन का रूप ग्रहण करेगी और हमारा देश सच्चे मायनों में अनेकता में एकता का उदाहरण होगा।

आयोग को जहां कहीं से भी जरा सी भी साम्प्रदायिक तनाव की भनक मिली, उसे काबू में करने के लिए ठोस कारगर एवं द्रुत कार्रवाई की गई। बिहार शरीफ में हुई साम्प्रदायिक घटना में अध्यक्ष, प्रो० सोहैल अहमद व्यक्तिगत रूप से वहां गये और अल्पसंख्यकों को सांत्वना दिये तथा दोनों पक्षों के बीच आपसी भाईचारा मेल मिलाप और शांति बनाये रखने में सरकार को भरसक सहयोग दिया। साथ-साथ पीड़ितों के इलाज और उनकी सहायता की निगरानी व्यक्तिगत रूप से की। उदाहरणस्वरूप मो० इकराम और सैयद मुनाजिर हसन को इलाज के लिए सरकार द्वारा अंतरिम सहायता के रूप में 5-5 हजार रुपया की राशि अपने हाथों से भेंट की। साथ-साथ पीड़ितों का इलाज विशेषज्ञ डाक्टरों से अपने व्यक्तिगत देख-रेख में कराया ।

मुआवजा

भागलपुर दंगा पीड़ितों में से 40 परिवारों को बढ़े हुए दर पर मुआवजा भुगतान का मामला बहुत दिनों से लंबित चला आ रहा था। अध्यक्ष, अल्पसंख्यक आयोग ने व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई करते हुए भुगतान का आदेश निर्गत कराया।

गिरिडीह में वर्ष 90-91 में दंगे में मारे गये 8 व्यक्तियों के आश्रितों को बढ़े हुए दर पर शेष 60 हजार रुपया प्रति व्यक्ति के हिसाब से भुगतान का आदेश अध्यक्ष, अल्पसंख्यक आयोग के प्रयासों से हुआ ।

पटना सिटी दंगा के 10 मृतकों के आश्रितों को बढ़े हुए दर पर शेष 60 हजार रुपया की दर से भुगतान अध्यक्ष, अल्पसंख्यक आयोग के प्रयास से उनके कर कमलों द्वारा किया गया ।

हिलसा दंगा में पीड़ितों के भुगतान का आदेश तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री लालू प्रसाद द्वारा दिया गया था जो कि प्रशासनिक जटिलताओं में फंसा हुआ था। अध्यक्ष, अल्पसंख्यक आयोग ने व्यक्तिगत रूप से प्रयास कर मुख्य सचिव से भुगतान का आदेश करा दिया है। आशा है कि यथाशीघ्र राशि का भुगतान हो जायेगा। इसके अतिरिक्त राज्य के विभिन्न स्थानों के छिटपुट मुआवजा के भुगतान के मामले भी वर्षों से लंबित आ रहे थे, जिसे अध्यक्ष, अल्पसंख्यक आयोग ने अथक प्रयास द्वारा भुगतान करा दिया है। उदारणस्वरूप श्री ईश्वरी सिंह, स्वामी विवेकानंद रोड, भागलपुर को 1984 सिख दंगे में हुई क्षति के एवज में मुआवजे का भुगतान कराया गया। मो० निजाम महल्ला-हरदला कुर्द, देवघर को 45 हजार रुपया के मुआवजे का भुगतान कराया गया ।

भागलपुर दंगा में ड्यूटी पर मारे गए पुलिस जमादार मो० ताहिर हुसैन के आश्रितों को एक लाख रुपया मुआवजा भुगतान उनके गृह जिला गाजीपुर (यू०पी) भेज कर कराया गया ।

सरौनी हाट जिला गोड्डा में दिनांक 25.5.97 को साम्प्रदायिक दंगो में लूटे गए दुकानदारों की मुआवजे का भुगतान कराया गया। 1984 के सिख दंगे में सीवान में सिखों की लूटी गई दूकानों का मुआवजा का मामला 14 वर्षों से लंबित था। अध्यक्ष, अल्पसंख्यक आयोग के पहल पर 17 परिवारों को मुआवजा का भुगतान कराया गया। इसमें अकेले श्री गुरूवचन सिंह, काश्मीर बूट हाउस, सीवान को 7,74,000/- रुपया की राशि का भुगतान हुआ। उन पीड़ित सिख परिवारों में से अधिकतर थक-हारकर पंजाब चले गए थे ।

(iii) धार्मिक स्थानों की सुरक्षा एवं उसकी घेराबंदी

आयोग को प्राप्त होने वाले प्रतिवेदनों में तथा समाचार माध्यमों से प्राप्त होने वाली सूचनाओं में सबसे ज्यादा संख्या धार्मिक स्थानों की सुरक्षा एवं उसकी घेराबंदी से सम्बन्धित रहती है। उसका कारण यह है कि धार्मिक स्थान यथा कब्रिस्तान, ईमामबाड़ा, ईदगाह, मजार, मस्जिद, चर्च आदि जिन भू-स्थलों पर अवस्थित हैं, अब उन जमीनों का मूल्य

काफी अधिक बढ़ गया है, जिसके कारण लालची एवं शरारती तत्वों की निगाहें हमेशा उन्हीं भूमि पर टिकी रहती हैं और वे मौका के ताक में रहते हैं कि किसी बहाने भी उन जमीनों पर कब्जा जमा लें। अपने इन शरारतों की पूर्ति के लिए वे कोई भी हथकंडा अपनाने के लिए तैयार रहते हैं। यही कारण है कि अधिकतर साम्प्रदायिक तनाव की बुनियाद यही जमीन होती हैं। हालांकि केन्द्र सरकार द्वारा जवाहर रोजगार योजना/सुनिश्चित रोजगार योजना द्वारा ऐसे सम्वेदनशील स्थानों की घेराबंदी का प्रावधान किया गया है, मगर इस संबंध में स्पष्ट निदेश नहीं रहने तथा राशि अलग से कर्णांकित नहीं रहने के कारण इस योजना का कार्यान्वयन कारगर ढंग से नहीं हो पा रहा है। हालांकि अध्यक्ष, अल्पसंख्यक आयोग ने अपने स्तर से पहल कर राज्य के दूर दराज के इलाकों के बहुत से कब्रिस्तानों/धार्मिक स्थानों की घेराबंदी कराया है, परन्तु अभी तक यह पर्याप्त नहीं है। खास तौर पर शहरी क्षेत्र में इसकी घेराबंदी का कोई सरकारी प्रावधान नहीं है। इसलिए आयोग यह अनुशंसा करती है कि सबसे पहले सभी अति-संवेदनशील धार्मिक स्थानों की घेराबंदी करायी जाय उसके बाद संवेदनशील तथा अंत में गैर विवादित धार्मिक स्थानों की घेराबंदी की जाय। शहरी कब्रिस्तानों की घेराबंदी के संबंध में सरकार को अलग से एक योजना तैयार कर ग्रामीण क्षेत्रों की भांति शहरी क्षेत्रों में भी धार्मिक स्थलों की घेराबंदी करानी चाहिए। आयोग ने जिन धार्मिक स्थानों की सुरक्षा सुनिश्चित की है तथा घेराबंदी कराई है उसकी सूची बहुत लम्बी है, परन्तु यहां पर कुछ बहुचर्चित अति संवेदनशील धर्म स्थानों के संबंध में ब्योरा दिया जा रहा है–

1. ग्राम खटनई जिला गोड्डा स्थित ईमामबाडा एवं तालाब की भूमि को वहां के उपायुक्त द्वारा मंदिर के प्रांगण में देते हुए उसकी घेराबंदी का आदेश दिया था। अध्यक्ष, अल्पसंख्यक आयोग ने इसे बहुत गम्भीरता से लिया तथा अपने फैक्स संवाद 329 दिनांक 16.10.96 द्वारा आयुक्त, संथालपरगना प्रमंडल, दुमका को निदेश दिया कि उक्त घेराबंदी पर अविलम्ब रोक लगायी जाय तथा इस संबंध में अध्यक्ष ने व्यक्तिगत रूप से आयुक्त से दूरभाष पर सम्पर्क भी स्थापित किया, जिसके बाद वहां के तत्कालीन आयुक्त श्री यू०के० नंदा ने अपने अर्द्धसरकारी पत्रांक-124 दिनांक 18.10.96 द्वारा उपायुक्त को घेराबंदी बंद कर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया।

2. जहानाबाद जिला के अरवल थाना अन्तर्गत ग्राम खमैनी के टोला राजा बिगहा स्थित मजार पर अवैध रूप से कब्जा किए जाने का प्रयास किया गया, तो अध्यक्ष ने इस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए अपने पत्रांक-7107 दिनांक 7.12.96 द्वारा कड़ी कार्रवाई करने का आदेश जिलाधिकारी, जहानाबाद को दिया। जिलाधिकारी ने द्रुत कार्रवाई करते हुए मजार की सुरक्षा सुनिश्चित की तथा इसकी सूचना अध्यक्ष, अल्पसंख्यक आयोग को अपने पत्रांक-350 दिनांक-22.1.97 द्वारा दिया ।

3. सीतामढ़ी जिला के ग्राम पंछौर अंचल रीगा स्थित कब्रिस्तान कर्बला एवं मदरसा की सामूहिक भूमि पर शरारती तत्वों द्वारा कब्जा कर लिया गया था जिसे हटाने का आदेश अध्यक्ष, अल्पसंख्यक आयोग ने अपने पत्रांक-407 दिनांक 4.12.96 द्वारा दिया था। उक्त भूमि को अतिक्रमणमुक्त कराते हुए जिलाधिकारी, सीतामढ़ी ने अपने पत्रांक-25 मु० दिनांक 16.1.97 द्वारा अपना अनुपालन प्रतिवेदन भेजा ।

4. हजारीबाग जिला के रामगढ़ अनुमंडल के माईलगांव स्थित कब्रिस्तान में कुछ शरारती तत्वों द्वारा तोड़-फोड़ कर उस पर कब्जा करने का प्रयास किया गया तो अध्यक्ष, अल्पसंख्यक आयोग ने हस्तक्षेप कर उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करायी। उसी प्रकार नवादा, जिला हजारीबाग के कब्रिस्तान को अतिक्रमण मुक्त कराते हुए उसकी घेराबंदी कराई गई।

5. चतरा जिला के अठखोरी मस्जिद के दोबारा निर्माण का कार्य मुसलमानों द्वारा शुरू किया गया तो कुछ शरारती तत्वों ने निर्माण कार्य बंद करा दिया। अध्यक्ष, अल्पसंख्यक आयोग के प्रयास से निर्माण कार्य दोबारा शुरू हुआ।

6. अस्थावां जिला, नालंदा स्थित कब्रिस्तान पर कुछ शरारती तत्वों द्वारा जबर्दस्ती कब्जा कर लिया गया था। अध्यक्ष, अल्पसंख्यक आयोग के निदेश पर उसे अतिक्रमणमुक्त करा दिया गया। इस अतिक्रमण को लेकर वहां तनाव उत्पन्न हो गया था।

7. वैशाली जिला के वैशाली गांव में स्थित मीर अवदाल शाह के मजार का गुम्बद शहीद कर दिया गया तथा मस्जिद को भी खतरा उत्पन्न हो गया, तो अध्यक्ष, अल्पसंख्यक आयोग के हस्तक्षेप से उसकी सुरक्षा सुनिश्चित हुई। इसके अतिरिक्त लाल गंज के कोबामुहब्बतपुर तथा मिर्चा सराय के कब्रिस्तान की भी घेराबदी कराई गई।

8. बेगुसराय जिला के बथौली ग्राम स्थित कब्रिस्तान को जबर्दस्ती कब्जा कर सड़क निर्माण का प्रयास किया गया तो अध्यक्ष, अल्पसंख्यक आयोग ने इस पर कड़ा रूख अपनाते हुए अपने फैक्स संवाद 1501 दिनांक 15.1.98 द्वारा जिलाधिकारी, बेगूसराय को सड़क निर्माण का कार्य बंद कराने का आदेश दिया, जिसका अनुपालन जिलाधिकारी द्वारा किया गया। उसी प्रकार बेगुसराय जिला के बड़ेपूरा स्थित कब्रिस्तान की पूरी भूमि अतिक्रमित कर ली गयी थी, जिसे अध्यक्ष, आयोग के प्रयास से खाली करा लिया गया तथा घेराबंदी भी कर दिया गया।

9. नया भोजपुर जिला बक्सर स्थित कब्रिस्तान की एक भूमि को सार्वजनिक कर दिया गया था, तो अध्यक्ष, अल्पसंख्यक आयोग ने इस पर कड़ी आपत्ति की तथा जिलाधिकारी बक्सर को अपना आदेश वापस लेना पड़ा तथा कब्रिस्तान की घेराबन्दी कर दी गयी ।

10. भैंसासुर जिला नालंदा स्थित कब्रिस्तान, जो बहुत ही संवेदनशील था, को अतिक्रमणमुक्त कराते हुए उसकी घेराबंदी कर दी गयी ।

11. कुदरा जिला भोजपुर स्थित कब्रिस्तान, जो तालाब का रुप ग्रहण कर चुका था, की घेराबंदी अध्यक्ष, अल्पसंख्यक आयोग के निदेश पर किया गया।

12. शेखपुरा जिला के प्रखण्ड बरबीघा स्थित दरगाह के तालाब की बंदोवस्ती अनधिकृत रूप से स्थानीय पदाधिकारी द्वारा कर दिया गया था, जिसे अनुचित बताते हुए अध्यक्ष, अल्पसंख्यक आयोग ने अपने पत्रांक-1439 दिनांक 24.12.97 द्वारा जिलाधिकारी, शेखपुरा को उक्त बंदोवस्ती रद्द कराते हुए तालाब को दरगाह की मिलकियत बने रहने देने का आदेश दिया । जिलाधिकारी, शेखपुरा द्वारा अपने फैक्स संवाद 2264 दिनांक 27.12.97 द्वारा सूचित किया गया कि तालाब की बंदोबस्ती को रद्द कर दिया गया है और भविष्य में उसे बन्दोवस्त नहीं करने का आदेश दिया गया है । (परि० 58, 59)

13. गोड्डा जिला का राहा कुर्याना कब्रिस्तान, जो बहुत दिनों से विवाद का विषय बना हुआ था उसकी घेराबंदी का आदेश अध्यक्ष, अल्पसंख्यक आयोग द्वारा दिया गया तथा उसके अनुपालन में उपायुक्त द्वारा घेराबंदी आरम्भ भी की गयी, परन्तु अल्पसंख्यक समुदाय के आपसी विवाद के कारण यह कार्य रूक गया।

इसी प्रकार शेखपुरा, जिला पटना स्थित कब्रिस्तान पर बलात् ट्रांसफरमर गाड़ा गया, तो उसे अध्यक्ष, अल्पसंख्यक आयोग ने अपने प्रयास से हटवा दिया। गिरिडीह जिला के डुमरी प्रखंड के लक्ष्मी कुण्डी ग्राम स्थित कब्रिस्तान की घेराबंदी कराई गई ।

इसी तरह फतुहा, जिला पटना स्थित कब्रिस्तान में मुर्दा दफन करने से स्थानीय पदाधिकारियों द्वारा रोका गया तो अध्यक्ष, अल्पसंख्यक आयोग के कड़े आदेश के बाद मुर्दा दफन का काम शुरू हुआ। इसी प्रकार कोआ, प्रखंड- लालगंज जिला वैशाली मुजफ्फरपुर के ब्रहमपुरा, समस्तीपुर, गढ़वा, पूर्बी पश्चिमी चम्पारण, दरंभगा एवं राज्य के अन्य जिलों में कब्रिस्तान एवं अन्य धार्मिक स्थल से सम्बन्धित विवादों का निपटारा करा कर उसकी सुरक्षा सुनिश्चित की गई।

14. इसी प्रकार बक्सर के चर्च की भूमि को अतिक्रमित कर लिया गया तथा मुजफ्फरपुर स्थित औरियन्टल क्लब, जो कि बंगला भाषी की सम्पत्ति थी, को भी अतिक्रमित कर लिया गया, को अतिक्रमण मुक्त करया गया। इस तरह से अन्य धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों की सार्वजनिक सम्पत्ति की सुरक्षा हेतु भी ठोस एवं कारगर कार्रवाई की गयी।

15. मघोडिस्ट चर्च आरा की भूमि पर अश्वरोही सैन्यपुलिस द्वारा घुड़-दौड़ कराने का विरोध करते हुए अध्यक्ष, अल्पसंख्यक आयोग ने अपने पत्रांक 2556 दिनांक 9.2.99 द्वारा आरक्षी महानिदेशक को निदेश दिया कि अवलिम्ब अपने स्तर से कार्रवाई कर उक्त भूमि की सुरक्षा सुनिश्चित कराए ।

16. नालंदा जिला के नगर नौसा कब्रिस्तान की भूमि पर कुछ शरारती तत्वों द्वारा मूर्ति बैठा दिया गया तो अध्यक्ष, अल्पसंख्यक आयोग ने अविलम्ब आदेश देकर कब्रिस्तान को खाली कराते हुए शरारती तत्वों के इरादे को विफल बना दिया ।

17. मिल्की ग्राम, प्रखंड वारिस अली गंज जिला-नवादा की दुकानों पर कुछ शरारती तत्वों द्वारा कब्जा कर लिया गया था, जिसे अध्यक्ष, अल्पसंख्यक आयोग के आदेश से जिला प्रशासन द्वारा खाली करा दिया गया । कैमूर जिला के ग्राम-मसोई, थाना-चैनपुर कब्रिस्तान की भूमि पर भूदेव सिंह के द्वारा अतिक्रमण कर खलिहान बना लिया गया था, जिस पर कार्यवाई करते हुए अध्यक्ष अल्पसंख्यक आयोग ने अपने पत्रांक-3954 दिनांक-11.12.2002 द्वारा अतिक्रमणकारी के विरूद्ध कार्रवाई करने तथा कब्रिस्तान को अतिक्रमण मुक्त कराने का आदेश दिया। तत्पश्चात अनुमंडल पदाधिकारी, भभुआ ने अपने पत्रांक-905 दिनांक 28.12.2002 द्वारा सूचित किया कि कब्रिस्तान को अतिक्रमण मुक्त करा दिया गया है। (परि० 59 (क))

18. भोजपुर जिला के ग्राम कोशियर थाना-सहार भोजपुर के कब्रिस्तान की शीघ्र घेराबंदी के लिए अध्यक्ष, अल्पसंख्यक आयोग ने अपने पत्रांक-3668 दिनांक-10.2.2003 के द्वारा लिखा जिसके जवाब में जिला पदाधिकारी, भोजपुर ने फैक्स से अपने पत्रांक-240 दिनांक-25.2.2003 द्वारा सूचित किया कि उक्त ग्राम के कब्रिस्तान की घेराबंदी का कार्य पूरा करा दिया गया है। (परि० 59 (ख))

19. पटना जिलान्तर्गत मोहल्ला-लोहे का पुल, थाना-मेंहदीगंज, पटना सिटी में मस्जिद की भूमि पर अवैध रूप से झोपड़ी बना ली गई थी। तत्पश्चात् अध्यक्ष, अल्पसंख्यक आयोग ने अपने पत्रांक-3962 दिनांक 16.1.2003 द्वारा वरीय आरक्षी अधीक्षक पटना एवं आरक्षी उपाधीक्षक/अनुमंडलाधिकारी पटना सिटी को अतिक्रमण हटाने के लिए लिखा, जिसके आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी पटना सिटी द्वारा अपने पत्रांक-10 (गो०) दिनांक 18.1.2003 द्वारा संसूचित किया गया कि अतिक्रमणकारी द्वारा बनायी गयी नई झोपड़ी को हटा लिया गया है।

(iv) धार्मिक भावनाओं का आहत

किसी भी धर्मावलंबी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचता है तो वह तिलमिला जाता है। अपनी व्यक्तिगत भावना आहत होती है, तो उसे व्यक्ति बर्दाश्त कर लेता है, परन्तु धार्मिक भावना से पूरे समुदाय को धक्का लगता है और इससे स्वाभाविक रूप से उत्तेजना उत्पन्न होती है और प्रतिकार की भावना जन्म लेती है। यदि इस भावना को दूसरे समुदाय के किसी व्यक्ति द्वारा चोट पहुँचाई गयी हो, तो यह साम्प्रदायिक तनाव का रूप भी धारण कर लेता है और कभी-कभी तो साम्प्रदायिक दंगे तक की नौबत पहुँच जाती है। कभी-कभी प्रशासनिक पदाधिकारी की भूल या पक्षपातपूर्ण रवैया के कारण भी ऐसी घटना घटित होती है। आयोग ने ऐसे सभी मामलों पर हमेशा कड़ी निगाह रखी है। यदि इस तरह की कोई घटना दृष्टिगोचर होती है, तो आयोग द्वारा उसपर कड़ी कार्रवाई कर मामले को रफा-दफा कर शांति बनाये रखने का भरसक प्रयास किया गया है। ऐसा कुछ उदाहरण निम्न प्रकार है–

क. अध्यक्ष, प्रो सोहैल अहमद के प्रभार ग्रहण करते ही उन्हें सूचना मिली कि हाजीपुर जिला कारा में नमाज पर रोक लगा दी गयी है। अध्यक्ष ने इस पर तुरत कार्रवाई करते हुए जिला प्रशासन को कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया

तथा वहां अज़ान एवं नमाज फिर से प्रारम्भ हुई, समस्तीपुर जेल में नमाज पढ़ रहे कैदियों की पिटाई की गयी तो अध्यक्ष ने इस पर फौरी कार्रवाई करते हुए अपने फैक्स सम्वाद सं.-729 दिनांक 9.6.97 द्वारा दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध कार्रवाई करने का आदेश दिया ।

ख. गढ़वा जिला में रंका प्रखंड स्थित मस्जिद पर हमला किया गया तथा कुरानशरीफ को अपवित्र किया गया है, तो अध्यक्ष, अल्पसंख्यक आयोग ने इसे गम्भीरता से लेते हुए अपने फैक्स सम्वाद सं.-843 दिनांक-7.7.97 द्वारा आरक्षी उप महानिदेशक, पलामू को आदेश दिया कि इसकी जांच कर दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाय।

ग. अंचल अधिकारी, पथरगावां, जिला-गोड्डा श्री दिलीप कुमार झा, उसी अंचल के ग्राम-रनसी से होकर दिनांक-15.6.96 को अपनी गाड़ी से गुजर रहे थे, तो रास्ते में अवस्थित मस्जिद की सीढ़ी से उनकी गाड़ी टकरा गयी, जिससे क्षुब्ध होकर अंचलाधिकारी, अंचल गार्ड के साथ गाड़ी से उतरे और मस्जिद को अंचल गार्ड की सहयता से तोड़-फोड़ करने लगे, साथ ही साथ वहां नमाज पढ़ रहे लोगों द्वारा मना करने पर नेमाजियों को बेरहमी से पीटा गया ।

अध्यक्ष, अल्पसंख्यक आयोग ने इस दुर्घटना पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए तत्कालीन मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार श्री इन्दर सिंह नामधारी को अपने पत्रांक-483 दिनांक 14.1.97 द्वारा लिखा कि यह एक अत्यंत ही दुखद एवं लज्जाजनक घटना है तथा सरकार के बहुचर्चित सामाजिक न्याय के विरूद्ध भी है। उन्होंने अपने पत्र में आगे लिखा कि दोषी पदाधिकारी के विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जाय, ताकि कोई भी व्यक्ति किसी के भी धार्मिक स्थल के साथ इस तरह का सलूक करने की हिम्मत न कर सके। मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने कड़ा रूख अपनाते हुए अध्यक्ष की अनुशंसा के आलोक में अंचलाधिकारी का स्थानान्तरण कर दिया । (परि० 60, 61)

घ. वर्ष 1998 में सीतामढ़ी समाहर्णालय में हुए गोली कांड में मो. मोनीफ नामी व्यक्ति मारा गया तथा स्थानीय प्रशासन द्वारा लाश को जला दिया गया। अध्यक्ष ने इसकी भर्त्सना करते हुए जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी को अपने पत्रांक-2170 दिनांक 21.8.98 द्वारा लिखा– "उस जिलाके प्रशासन की इस कार्रवाई के कारण सरकार की छवि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अतः दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जाय ताकि इस घटना की पुनरावृत्ति न हो, साथ-साथ सब अस्थियो को उसी धर्म के रीति के अनुसार दफनाने की कार्रवाई की जाय ।"

ङ. भोजपुर जिला के आरा नगर स्थित कसाब टोली महल्ले में कुर्की जब्ती करने गयी पुलिस बल ने कुरानशरीफ को अपवित्र किया जिसके फलस्वरूप महल्लावासी क्षुब्ध हो गये और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को गोली चलानी पड़ी, तो अध्यक्ष, अल्पसंख्यक आयोग ने इस पर कड़ी कार्रवाई करते हुए जिला पदाधिकारी तथा आरक्षी अधीक्षक, भोजपुर को अपने पत्रांक-2186 दिनांक 26.8.98 द्वारा लिखा कि दोषी पदाधिकारी के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जाय ताकि इस घटना की पुनरावृत्ति न हो। साथ-साथ गृह सचिव तथा आरक्षी महानिदेशक को भी लिखा कि ऐसा स्थायी आदेश निर्गत किया जाय जिसमें यह स्पष्ट उल्लेख रहे कि कुर्की जब्ती के समय ऐसा कुछ काम न किया जाय, जिससे किसी की धार्मिक भावना को ठेस पहुँचे ।

सरकार को चाहिए कि इस संबंध में एक स्पष्ट आदेश सभी थानों को निर्गत करे ताकि इस तरह की घटना नहीं घटे।

च. जमुई थाने में कुर्की जब्ती करने गयी पुलिस ने कुरानशरीफ को अपवित्र किया तथा उसे फाड़ा । अध्यक्ष ने इसका सख्त नोटिस लिया तथा इस पर कड़ी कार्रवाई का निदेश जिला प्रशासन को दिया। इसकी गूंज विधान परिषद् तक पहुंची तथा 17 पुलिसकर्मी (पदाधिकारी स्तर से लेकर चौकीदार तक) निलम्बित किये गये।

छ. समस्तीपुरके रामेश्वर जूट मील के मुस्लिम मजदूरों को जुमा की जमाज पढ़ने की मनाही की गयी तो अध्यक्ष ने इस संबंध में श्रम आयुक्त को अपने पत्रांक-2395 दिनांक 21.11.98 द्वारा जुमा की नमाज पढ़ने की सुविधा बहाल रखने हेतु आदेश दिया ।

ज. महाजन टोली, आरा स्थित जैन मंदिर से मुर्ति चुरा ली गयी तो अध्यक्ष ने जिला पदाधिकारी एवं आरक्षी अधीक्षक, भोजपुर को अपने पत्रांक-480 दिनांक 14.1.97 द्वारा लिखा की मूर्ति बरामद करने हेतु अविलम्ब ठोस एवं कारगर कार्रवाई की जाय।

झ. सीतामढ़ी के गोयनका कॉलेज के प्रांगण में इसाई मिशनरियों की चल रही सभा में व्यवधान उत्पन्न किया गया तथा तोड़-फोड़ एवं मारपीट की गयी, तो अध्यक्ष ने अपने पत्रांक-2989 दिनांक 27.11.98 को गृह सचिव एवं आरक्षी महानिदेशक को निदेश दिया कि इसकी जांच कराकर दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाय।

ञ. बिहार शरीफ में हजरत बल्खी के मजार के सामने शराब की भट्ठी खोल दी गई तो अध्यक्ष अल्पसंख्यक आयोग ने अपने स्तर से कार्यवाई करते हुए इसे बंद करा दिया ।

ट. मिहीजाम उच्च विद्यालय दुमका, ईद के अवसर पर खुला रहा। जब इसकी शिकायत अध्यक्ष, अल्पसंख्यक आयोग को प्राप्त हुई तो इसे गंभीरता से लेते हुए अध्यक्ष, अल्पसंख्यक आयोग ने शिक्षा विभाग से कार्रवाई करने को कहा, जिसके आलोक में शिक्षा विभाग ने इसकी जांच का आदेश अपने पत्रांक 119 दिनांक 7.1.99 द्वारा दिया ।

(v) शिक्षा से सम्बन्धित समस्याएँ

आयोग में कब्रिस्तान के बाद सबसे अधिक आवेदन शिक्षा सम्बन्धी समस्याओं के सम्बन्ध में प्राप्त होते हैं। यह समस्याएँ अल्पसंख्यक भाषाओं के विद्यालयों की कमी, अल्पसंख्यक भाषाओं के यूनिट के स्थान पर हिन्दी शिक्षकों का पदस्थापन तथा अल्पसंख्यक भाषाओं के शिक्षकों के रिक्त पदों एवं अल्पसंख्यक भाषाओं के शिक्षकों की कमी से संबंधित रहती है। आयोग द्वारा इन आवेदन पत्रों पर गम्भीरता से त्वरित कार्रवाई की जाती है। कई मामलों में बहुत सी जटिल समस्याओं का निराकरण कराया गया है, कुछ मामलों में उसी क्षण कारगर कार्रवाई की गई है। यहाँ तक कि नये विद्यालय भी स्थापित किये गये हैं, जैसा कि अध्यक्ष, अल्पसंख्यक आयोग के पटना जिला की समीक्षात्मक बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप दूसरे ही दिन पटना नगर की अदालतगंज स्थित कमला नेहरू नगर सलम ऐरिया में शहीद पीर अली उर्दू मकतब की स्थापना की गई तथा नवादा जिला के जोगिया मारन एवं नेमदार गंज में शहीद अश्फाकुल्लाह तथा मौलाना आजाद उर्दू मकतब खोला गया है।

आयोग को उपर्युक्त समस्याओं के संबंध में अनेक आवेदन प्राप्त हुए हैं जिनका निराकरण भी कराया गया है। उन सभी का समावेश इस प्रतिवेदन में संभव नहीं है। कुछेक उदाहरण यहां दिये जा रहे हैं–

क. जब अध्यक्ष, अल्पसंख्यक आयोग को यह सूचना मिली कि औरंगाबाद जिला में बहुत से उर्दू यूनिट पर या तो हिन्दी शिक्षक पदस्थापित किये गये हैं या वे पद खाली है। अध्यक्ष ने इसे गम्भीरता से लेते हुए जिलाधिकारी, औरंगाबाद को अपने पत्रांक 1212 दिनांक 17.9.97 द्वारा यह आदेश दिया कि इसका सुधार अविलम्ब कर दिया जाय तदनुसार जिलाधिकारी, औरंगाबाद ने अपने पत्रांक-3041 दिनांक 14.10.98 द्वारा जिला शिक्षा अधीक्षक, औरंगाबादको आदेश दिया कि उक्त सभी त्रुटियों का निराकरण अविलम्ब जिला स्थापना समिति में स्वीकृति हेतु उपस्थापित करें।

ख. गढ़वा जिला के कुछ विद्यालयों में उर्दू शिक्षकों के स्थान पर हिन्दी शिक्षकों का पदस्थापन सम्बन्धी समाचार उर्दू अखबारों में प्रकाशित हुआ तथा इसकी सूचना अध्यक्ष, अल्पसंख्यक आयोग को सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग द्वारा दी गई, तो अध्यक्ष ने फैक्स संवाद द्वारा उपायुक्त, गढ़वा को इसके अविलम्ब सुधार हेतु आदेश दिया।

ग. उसी प्रकार पलामू जिला के विभिन्न उच्च विद्यालयों में उर्दू शिक्षकों की पदस्थापना नहीं होने के कारण समाचार प्रकाशित हुआ, तो अध्यक्ष ने अपने पत्रांक-1665 दिनांक 13.3.98 द्वारा निदेशक, माध्यमिक शिक्षा को अविलम्ब पदस्थापना हेतु आदेश दिया ।

घ. गया जिला में उर्दू यूनिट पर हिन्दी शिक्षकों की पदस्थापना की सूचना अध्यक्ष, अल्पसंख्यक आयोग को मिली तो उन्होंने स्वयं इस जिला का भ्रमण किया तथा अपर समाहर्त्ता की अध्यक्षता में एक कमिटि का गठन किया गया ताकि इस समस्याओं का निराकरण समय सीमा के अन्दर हो सके।

ङ. पुरानी बस्ती चक्रधरपुर स्थित उड़िया मध्यविद्यालय में उड़िया पठन पाठन का कार्य बाधित हुआ, तो अध्यक्ष, अल्पसंख्यक आयोग ने इसे गम्भीरता से लेते हुए अविलम्ब कार्रवाई की ।

च. जमालपुर एवं पश्चिमी सिंह भूम में बंगला विद्यालय के संबंध में अध्यक्ष, अल्पसंख्यक आयोग को शिकायतें मिलीं, तो उन्होंने अविलम्ब उसके निराकरण हेतु कार्रवाई की।

छ. पश्चिमी चम्पारण जिले में उर्दू यूनिट पर पदस्थापन में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की शिकायत अध्यक्ष, अल्पसंख्यक आयोग को मिली, ना उन्होंने जिला पदाधिकारी को एक पक्ष के अंदर उसके निराकरण का आदेश दिया ।

(vi) उग्रवादी घटनाएँ

उग्रवादी हिंसा की शुरूआत नक्सलवादी अंदोलन से वर्ष 1967-68 में हुई। नक्सल आंदोलन का कारण ग्रामीण इलाकों में अनसुलझी सामाजिक/आर्थिक समस्या थी। धीरे-धीरे यह आंदोलन सारे मध्य बिहार तथा दक्षिण बिहार के कुछ इलाके में फैल गयी। इस अंदोलन ने बाद में उग्ररूप धारण किया और हत्याओं का एक अंतहीन सिलसिला शुरू हो गया। इस अंदोलन का शिकार गरीब समुदाय ही नहीं, बल्कि प्रतिद्वन्दी गुट के गरीब भी होने लगे और कहीं-कहीं इसमें सांप्रदायिकता का जहर भी घुल गया। इसके कारण उग्रवादी क्षेत्र के शिकार अल्पसंख्यक समुदाय के लोग भी होने लगे, तो उनकी जमीन जायदाद भी छीनी जाने लगी और दर्जनों हत्याएँ हुईं। फलस्वरूप उग्रवादी घटनाओं से पीड़ित लोगों के आवेदन आयोग को प्राप्त होने लगे, जिनमें अधिकांश मामले जानमाल की सुरक्षा तथा मुआवजे से सम्बन्धित हैं। आयोग द्वारा ऐसे दर्जनों मामलों में ठोस कार्रवाई की गयी है। कुछ प्रतिनिधि उदाहरण निम्न प्रकार है

क. मो. अमीर उद्दीन मौज सिमरिया, जिला-चतरा की हत्या उग्रवादियों द्वारा कर दी गयी तो अध्यक्ष, अल्पसंख्यक आयोग ने उपायुक्त, चतरा को मृतक के परिवार को मुआवजा भुगतान एवं सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया।

ख. मो. अयूब, ग्राम-मोरवा, थाना-बालसाथ, जिला-पलामू की हत्या उग्रवादियों द्वारा कर दी गयी तो अध्यक्ष, अल्पसंख्यक आयोग ने उपायुक्त, पलामू को मुआवजा भुगतान का आदेश दिया, जिसके अनुपालन में उपायुक्त, पलामू ने अपने पत्रांक-20 दिनांक 29.1.97 द्वारा गृह सचिव से मुआवजा भुगतान हेतु राशि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया ।

ग. गया जिला के शेरघाटी के केशूआ, काचमी, चाल एवं ओमान ग्राम के अल्पसंख्यक को उनके जायदाद से वंचित

कर उन्हें घरों से भगाया जाने लगा तो अध्यक्ष, अल्पसंख्यक आयोग ने इसे गंभीरता से लेते हुए आरक्षी अधीक्षक, गया को अपने पत्रांक-1495 दिनांक 31.12.97 द्वारा उनकी जानमाल की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आदेश दिया।

घ. ग्राम-लाधोब सेन्हा, थाना-चदुआं के मो० मुश्ताक राय, मो० रज्जाक राय, मो० अनवर खां, रतिया उराव एवं हुमायूँ खां की हत्या उग्रवादियों द्वारा कर दी गयी, तो अध्यक्ष, अल्पसंख्यक आयोग ने इस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए अपने पत्रांक-782 दिनांक 21.6.97 द्वारा गृह सचिव/उपायुक्त, पलामू के दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध कार्रवाई तथा उनके परिजनो को मुआवजा भुगतान का आदेश दिया ।

ङ. जफर आलम पिता मंजूर आलम, नवादा का ट्रक सहित अपहरण कर हत्या कर दी गई तो अध्यक्ष, अल्पसंख्यक आयोग ने जिला पदाधिकारी को मुआवजा भुगतान तथा दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध कार्रवाई हेतु निर्देश दिया ।

च. ग्राम-कहिया, प्रखंड-नावाडीह, जिला-बोकारो में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को उग्रवादियों द्वारा तंगो-तबाह किया जाने लगा, तो अध्यक्ष, अल्पसंख्यक आयोग ने अपने पत्रांक-1316 दिनांक 2.12.97 द्वारा उपायुक्त, बोकारो को वहां पुलिस चौकी स्थापित करने का आदेश दिया ।

छ. गिरिडीह जिला के निमिया घाट थाना के बालेडीह ग्राम में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को उनके जमीन से उग्रवादियों द्वारा वंचित कर दिया गया तथा उन लोगों का घर से निकलना भी दूभर हो गया। जब इसकी सूचना अध्यक्ष, अल्पसंख्यक आयोग को मिली तो उन्होंने अपने पत्रांक-535 दिनांक 25.2.97 द्वारा वहां पुलिस चौकी स्थापित करने का आदेश दिया तथा पुलिस चौकी स्थापित की गयी। उपायुक्त गिरीडीह ने इस संबंध में अपने पत्रांक-143 दिनांक-26.3.97 एवं 150/25.5.98 द्वारा अध्यक्ष, अल्पसंख्यक आयोग को अवगत कराया था। (परि० 62)

ज. चतरा जिला के प्रतापपुर थाना के ग्राम विलास में अल्पसंख्यकों को तंगो-तबाह किये जाने पर अध्यक्ष, अल्पसंख्यक आयोग ने आरक्षी महानिदेशक, बिहार से वहां पुलिस बल तैनात करने का निदेश आरक्षी महानिरीक्षक द्वारा उनके ज्ञापांक-3876 दिनांक-13.8.96 द्वारा आरक्षी अधीक्षक, चतरा को वहां पुलिस बल तैनात करने हेतु आदेश दिया।

झ. गढ़वा जिला के रंका थाना अर्न्तगत बांदर पंचायत के अल्पसंख्यक समुदाय के लोग आतंकवादियों के भय से गांव छोड़कर भागने लगे तो अध्यक्ष, अल्पसंख्यक आयोग ने इस पर अविलम्ब कार्रवाई करते हुए उपायुक्त/आरक्षी अधीक्षक, गढ़वा को आदेश दिया कि उन लोगों के जानमाल की सुरक्षा सुनिश्चित की जाय।

ञ. गढ़वा जिला के रंका प्रखंड के मस्जिद पर उग्रवादियों द्वारा आक्रमण किया गया तथा कुरआन शरीफ को अपवित्र किया गया, तो इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए अध्यक्ष, अल्पसंख्यक आयोग ने आरक्षी महानिरीक्षक, डाल्टेनगंज को अपने पत्रांक-843 दिनांक-7.7.97 द्वारा दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई करने का आदेश दिया।

✓(vii) अल्पसंख्यको पर अत्याचार/ज्यादती

अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों पर दो प्रकार के अत्याचार की शिकायतें आयोग को मिलती रहती है। एक तरह का अत्याचार छिटपुट आबादी होने के कारण या दबे-कुचले एवं गरीब होने के कारण बहुसंख्यक समुदाय द्वारा किया जाता है। दूसरी तरह का अत्याचार पुलिस प्रशासन या अन्य सरकारी विभाग के पदाधिकारियों के पक्षपातपूर्ण रवैया के कारण होता है। आयोग द्वारा दोनो तरह की शिकायतों के प्राप्त होने पर तुरंत कार्रवाई करते हुए पीड़ितो को न्याय दिलाने का हर सम्भव प्रयास किया गया है। कुछ प्रतिनिधि उदाहरण नीचे दिये जा रहे हैं –

क. पटना नगर के अदालतगंज स्थित वक्फ की जमीन पर बसे अल्पसंख्यको को अतिक्रमण के नाम पर उजाड़ा जाने लगा तो अध्यक्ष, अल्पसंख्यक आयोग ने स्वयं घटना स्थल पर जाकर, इस अत्याचार को बंद कराया ।

ख. पलामू जिला के चैनपुर थाना के नगवा गांव में अल्पसंख्यक समुदाय के चार युवको को अंधा बना दिया गया जिसकी चर्चा समाचार माध्यमों में काफी हुई। अध्यक्ष, अल्पसंख्यक आयोग ने व्यक्तिगत रूची लेकर दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई करायी तथा पीड़ित व्यक्तियों को ईलाज की सुविधा सुनिश्चित करायी ।

ग. भागलपुर जिला के बांका अनुमंडल के राजौन ग्राम में साबिर अंसारी और जावेद अंसारी नामी दो व्यक्तियों का हाथ-पैर तोड़ कर मुंह में पेशाब किया गया। इस जघन्य अपराध की सूचना अध्यक्ष, अल्पसंख्यक आयोग को मिली तो उन्होने इसे गम्भीरता से लेते हुए कड़ी कार्रवाई का आदेश दिया तथा इस कांड के सभी अभियुक्तों जिसमें एक पुलिस जमादार भी शामिल था, पकड़ा गया।

घ. सारण जिला के सिकंदरा गांव के पिछड़े मुस्लिम परिवार के अनवारूल हक की हत्या के बाद गांव में दहशत का माहौल था। अध्यक्ष, अल्पसंख्यक आयोग ने तुरंत कार्रवाई करते हुए अपने पत्रांक-1913 दिनांक 3.9.98 द्वारा आरक्षी अधीक्षक, सारण को दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई करने तथा निर्दोष अल्पसंख्यकों के जानमाल की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आदेश दिया ।

ङ. मुजफ्फरपुर जिला के पारू प्रखंड के जयपाल डूमरी के मुसलमानों पर ग्राम के चौकीदार एवं दबंग लोग अत्याचार कर उनकी जमीन पर कब्जा करने लगे तो अध्यक्ष, अल्पसंख्यक आयोग ने अपने पत्रांक-1083 दिनांक 25.8.97 द्वारा आरक्षी अधीक्षक और जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को उन लोगो की जानमाल की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आदेश दिया ।

च. गया जिला के शेरघाटी के मोशीरगंज महल्ले में बस ठिकेदार जो कि अल्पसंख्यक समुदाय के थे तथा अन्य लोगों को पुलिस द्वारा बिना कसूर पीटा गया और डराया धमकाया गया तो अध्यक्ष, अल्पसंख्यक आयोग ने अपने पत्रांक-835 दिनांक-5.7.97 द्वारा पुलिस प्रशासन को कड़ा आदेश देते हुए इस अत्याचार को बंद कराया।

छ. वैशाली जिला के पारोपुर थाना के भूसाही ग्रामवासी मो० जमाल पर हुए पुलिस जुल्म के खिलाफ अध्यक्ष, अल्पसंख्यक आयोग ने अपने पत्रांक-689 दिनांक 21.5.97 द्वारा आरक्षी अधीक्षक, वैशाली को पुलिस जुल्म बंद कराने का आदेश दिया ।

ज. मुजफ्फरपुर जिला के मोतीपुरवासी हैदर अली और उनके बच्चों पर पुलिस जुल्म को गम्भीरता से लेते हुए अध्यक्ष, अल्पसंख्यक आयोग ने आरक्षी उप महानिरीक्षक, तिरहुत को अपने पत्रांक-651 दिनांक 16.9.97 द्वारा उस जुल्म से मुक्ति दिलाने का आदेश दिया ।

झ. खगड़िया एवं उसके निकट के लोगो में तितली सिंह गिरोह द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के लोगो पर कहर ढाया गया तो अध्यक्ष अल्पसंख्यक आयोग ने त्वरित गति से कार्रवाई करते हुए आरक्षी अधीक्षक, खगड़िया को तुरंत कार्रवाई करते हुए इनकी सुरक्षा प्रदान करने का आदेश दिया ।

ञ. अरवहिंसाई ग्राम, हजारीबाग जिला के लोगों पर पुलिस अत्याचार की सूचना अध्यक्ष, अल्पसंख्यक आयोग को मिली तो उन्होंने उपायुक्त, हजारीबाग को अपने पत्रांक-1400 दिनांक 18.12.97 द्वारा अविलम्ब इस पर रोक लगाते हुए अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आदेश दिया ।

ट. हवलदार इरशाद अली, बेगुसराय रेल थाना में उनके साथ भेदभाव किया गया तथा उनसे सिपाही का काम लिया जाने लगा तथा मेस में उनका खाना बंद कर दिया गया। अध्यक्ष, अल्पसंख्यक आयोग को इसकी सूचना जनसम्पर्क

विभाग के कतरण सं.-3562 दिनांक-6.6.97 द्वारा दैनिक उर्दू कौमी तंजीम के कतरण से मिली। उन्होने आरक्षी अधीक्षक, रेल कटिहार को अपने पत्रांक-731 दिनांक 9.6.97 द्वारा इसकी अविलम्ब जांच कराकर पीड़ित व्यक्ति को न्याय दिलाने का आदेश दिया। आरक्षी अधीक्षक, रेल द्वारा अविलम्ब इसपर कार्रवाई की गयी जिसकी सूचना उन्होंने अपने पत्रांक 927 दिनांक 7.7.97 द्वारा अध्यक्ष को दी।

ठ. महगांमा थाना जिला गोड्डा के शेख इब्राहिम पर पुलिस हिरासत में थर्ड डिग्री का इस्तेमाल किये जाने के कारण उनकी मृत्यु हो गयी तथा पीड़ित विधवा का एक आवेदन आयोग को प्राप्त हुआ। अध्यक्ष, अल्पसंख्यक आयोग ने अपने पत्रांक-1698 दिनांक-31.3.98 द्वारा उपायुक्त, गोड्डा एवं आरक्षी अधीक्षक, गोड्डा को संयुक्त रूप से इसकी जांच कर दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध विभागीय तथा कानूनी कार्रवाई करने का आदेश दिया दोनो पदाधिकारियो ने तुरंत कार्रवाई करते हुए थाना प्रभारी, महागांमा को निलम्बित कर दिया तथा आरक्षी निरीक्षक से स्पष्टीकरण मांगा जिसकी लिखित सूचना, अध्यक्ष, अल्पसंख्यक आयोग को उनके पत्रांक-441 दिनांक-3.4.98 द्वारा दी गयी, साथ-साथ उक्त घटना की मजिस्ट्रेट द्वारा जांच भी करायी गयी ।

ड. सीतामढ़ी जेल में जेल अधीक्षक द्वारा अत्याचार की शिकायत, अध्यक्ष, अल्पसंख्यक आयोग को मिली तो उन्होंने कारगर कार्रवाई करते हुए उसका निदान किया ।

ढ. मधुबनी के एक न्यायिक दंडाधिकारी द्वारा कचहरी के मस्जिद को तोड़ने एवं उसे अपवित्र करने की धमकी को गम्भीरता से लेते हुए अध्यक्ष, अल्पसंख्यक आयोग ने जिला पदाधिकारी/जिला जज एवं महामहिम राज्यपाल से व्यक्तिगत रूप से बात कर इसका निराकरण कराया ।

ण. वैशाली जिला के भगवानपुर थाना अन्तर्गत रसूलपुर सोहवन गांव के मुमताज अंसारी के घर को पुलिस की मदद से शरारती तत्वों द्वारा तोड़-फोड किया गया तो अध्यक्ष, अल्पसंख्यक आयोग ने तुंरत कार्रवाई करते हुए उसे न्याय दिलाया।

त. मोतीपुर जिला मुजफ्फरपुर के मस्जिद की शेड को तोड़कर गाय का बथान बनाया गया तो अध्यक्ष, अल्पसंख्यक आयोग ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए इसका निराकरण कराया।

थ. मो० आबिद, जिला-शेखपुरा के घर पर कुछ शरारती तत्वों ने कब्जा करना चाहा तो अध्यक्ष, अल्पसंख्यक आयोग ने हस्तक्षेप कर उसकी सुरक्षा करायी।

द. गोड्डा जिला के ग्राम-लाल मटिया, अंचल, बोआरी, जिला-गोड्डा निवासी मो. रईस अंसारी को रात्रि के समय रास्ता दिखाने के लिए सी.आई.एस.एफ. के जवान ले गये परन्तु वे वापस नहीं लौटे। बाद में उनका लाश प्राप्त हुआ। इस संबंध में उनकी पत्नी सकीना खातुन से एक आवेदन प्राप्त होने पर अध्यक्ष, अल्पसंख्यक आयोग ने इसे गम्भीरता से लेते हुए आरक्षी अधीक्षक, गोड्डा को अविलम्ब कार्रवाई करने का आदेश दिया। आरक्षी अधीक्षक, गोड्डा ने अपने पत्रांक-179 दिनांक 4.3.97 द्वारा अध्यक्ष, अल्पसंख्यक आयोग को सूचित किया कि दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध कार्रवाई करने का आदेश दे दिया गया है।

ध. भागलपुर जिला के बंगला भाषी अल्पसंख्यकों की जायदाद पर दबंग लोगो द्वारा कब्जा किये जाने की घटनाओं की सूचना अध्यक्ष, अल्पसंख्यक आयोग को मिली तो उन्होंने आरक्षी अधीक्षक, भागलपुर को उसकी सुरक्षा हेतु कड़ा निदेश दिया। आरक्षी अधीक्षक, भागलपुर ने कार्रवाई करते हुए इसकी सूचना अपने पत्रांक-837 दिनांक-5.7.97 द्वारा अध्यक्ष, अल्पसंख्यक आयोग को दी।

न. जमशेदपुर के अल्पसंख्यक बंगला भाषी जो कि भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से शरणार्थी के रूप में आकर बसे हैं की

भूमि की सुरक्षा हेतु उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम (जमशेदपुर) को अध्यक्ष, अल्पसंख्यक आयोग ने अपने पत्रांक-525 दिनांक-6.2.97 द्वारा निदेश दिया।

प. आरा के जैन धर्मावलंबियों को शरारती तत्वों द्वारा धमकी दी गई तथा उनसे फिरौती की मांग की गई तो अध्यक्ष अल्पसंख्यक आयोग से इसपर तुरंत कार्यवाई करते हुए उन्हें सुरक्षा प्रदान करायी।

फ. मो० तौहीद एवं अन्य ग्राम-रामपुर भरेंता थाना-कच्छवां, बिक्रमगंज, रोहतास को कुछ शरारती तत्वों द्वारा तंग व तबाह किया जा रहा था तो अध्यक्ष अल्पसंख्यक आयोग के पत्रांक 0093/दिनांक-13.3.96 के आलोक में शरारती तत्वों के विरूद्ध कानूनी कार्यबाई करते हुए इसकी सूचना जिलाधिकारी, रोहतास द्वारा उनके पत्रांक 474 दिनांक-14.2.97 से अध्यक्ष, अल्पसंख्यक आयोग को दी गई।

ब. लल्ला मियां ग्राम-नौहट्टा, थाना-फतुहा की भूमि पर उसी ग्राम के कुछ शरारती तत्वों द्वारा कब्जा कर लिया गया तो अध्यक्ष, अल्पसंख्यक आयोग के आदेश से पुलिस प्रशासन द्वारा उसे मुक्त कराकर लल्ला मियां को सुरक्षा प्रदान की गई ।

भ. श्रीमती हमीदा खातून पति बदरूददीन हसन ग्राम-चितरपुर, जिला-हजारीबाग की भूमि सी०सी०एल द्वारा अधिग्रहित कर ली गई थी परन्तु मुआवण का भुगतान नहीं हो रहा था। अध्यक्ष अल्पसंख्यक आयोग ने अपने पत्रांक-2587 दिनांक 4.3.99 द्वारा मुआवण भुगतान का आदेश सी०सी०एल० को दिया। मुख्य महाप्रबंधक राजरूप मिश्र ने अपने पत्रांक 723 दिनांक 27.4.99 द्वारा अध्यक्ष अल्पसंख्यक आयोग को सूचित किया कि आवेदिका को 26669.80 रु. का मुआवजा भुगतान का आदेश दे दिया गया है।

म. समस्तीपुर जिलान्तर्गत ग्राम-पतैली सरायरंजन निवासी-मो० यूनुस, पिता-हबीब शाह ने आयोग में आवेदन दिया कि उक्त ग्राम के कुछ दबंग व्यक्तियों द्वारा जमीन जायदाद बेचकर गांव को छोड़कर जाने के लिए कहा गया उक्त आवेदन पर कार्यवाई करते हुए अध्यक्ष महोदय ने दूरभाष द्वारा जिलापदाधिकारी, समस्तीपुर को आवेदक की सुरक्षा सुनिश्चित कराने एवं उचित कार्यवाई करने का निर्देश दिया जिसके आलोक में जिला पदाधिकारी द्वारा अपने पत्रांक-3228 दिनांक 9.9.2002 द्वारा संसूचित किया गया कि उनकी सुरक्षा की व्यवस्था कर दी गई है साथ-साथ गैरकानूनी ढंग से उनसे वसूल की गई जुर्माने की राशि लौटा दी गई है। (परि० 62 (ख))

(viii) नियुक्ति, सेवा एवं पेंशन की समस्याएँ

सरकारी एवं गैर सरकारी सेवाओं में कार्यरत तथा सेवानिवृत्त अल्पसंख्यक समुदाय के कर्मचारियों से आए दिन विभिन्न आवेदन पत्र आयोग को प्राप्त होते रहते हैं, जिनमें सेवा से सम्बन्धित समस्याए यथा पदस्थापन, पदोन्नति एवं कार्य दशा से सम्बन्धित समस्याओ के निदान हेतु अनुरोध रहते हैं । सेवानिवृत कर्मचारियों से या मृतक कर्मचारी के परिवारजनों से प्राप्त होनेवाले ओवदनों में उनकी सेवानिवृत्ति/मृत्यु पश्चात लाभों के भुगतान में देरी तथा अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु समस्याओ से समबन्धित रहते हैं। इसके अतिरिक्त बहुत-सी सरकारी एवं गैर सरकारी बहालियों में अल्पसंख्यको के साथ भेद-भाव या पक्षपातपूर्ण रवैया की शिकायत भी आयोग को प्राप्त होते हैं।

उपरोक्त सभी आवेदनों पर तत्परता से ठोस कार्रवाई की जाती है तथा इसके अपेक्षित परिणाम भी सामने आते रहते हैं। उन सभी आवेदनों का विस्तार से विवरण देना सम्भव नहीं है परन्तु कुछ प्रतिनिधि आवेदन का विवरण निम्न प्रकार है :-

बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग

1. मो० आय्यूब कुरैशी, सेवानिवृत शिक्षक, उच्च विद्यालय, पीरो के अंतिम भविष्य निधि, का जि० भवि० नि० पदा० भोजपुर द्वारा भुगतान नहीं किया जा रहा था, तो अध्यक्ष, अल्पसंख्यक आयोग ने अपने पत्रांक-235 दिनांक-21.9.96 द्वारा अविलम्ब भुगतान हेतु आदेश दिया जिसके अनुपालन में जिला भविष्य निधि पदाधिकारी, भोजपुर ने अपने पत्रांक-2209 दिनांक-7.10.96 द्वारा सूचित किया कि उन्हें 18,603.00 रु० के भुगतान हेतु प्राधिकार पत्र निर्गत कर दिया गया।

2. श्री एस. शमीम अहमद, सेवानिवृत कनीय प्रवर कोटि लिपिक, वाणिज्यकर विभाग, पटना सिटी को सेवानिवृति लाभो का भुगतान नहीं हो रहा था तो अध्यक्ष, अल्पसंख्यक आयोग ने अपने पत्रांक-253 दिनांक-1.10.96 द्वारा अविलम्ब भुगतान का आदेश दिया जिसके अनुपालन में वाणिज्यकर संयुक्त आयुक्त, बिहार ने अपने पत्रांक-5819 दिनांक-19.11.96 द्वारा सूचित किया कि श्री अहमद को सेवानिवृति लाभों का भुगतान कर दिया गया है तथा उनके पेंशन कागजात को महालेखाकार, बिहार को भेज दिया गया है।

3. श्री असगर खां एवं मो. अखतर हुसैन तथा रजाउर रहमान, तीनो कर्मचारी बिहार राज्य सुगर कारपोरेशन लिमिटेड इकाई, मोतीपुर, जिला-मुजफ्फरपुर ने शिकायत की थी कि पदस्थापन, प्रोन्नति एवं अन्य सुविधाओ के मामले में उनके साथ भेद-भाव किया जा रहा है। इसे अध्यक्ष, अल्पसंख्यक आयोग ने गम्भीरत से लेते हुए अपने पत्रांक-663 दिनांक-8.5.00 द्वारा महाप्रबंधक को निदेश दिया कि उन सभी को न्याय दिलाया जाय जिसके उत्तर में महाप्रबंधक ने अपने पत्रांक-605 दिनांक-21.7.97 द्वारा उन सभी को न्याय दिलाते हुए अध्यक्ष, अल्पसंख्यक आयोग को स्थिति से अवगत कराया।

4. स्व० मो० हुसैन, दिवान महल्ला, पटना सिटी जो कि पी.एम.सी. धनबाद में आदेशपाल के पद पर पदस्थापित थे तथा सेवाकाल में ही उनकी मृत्यु हो गयी परन्तु उनके पुत्र के द्वारा समय सीमा के अंदर आवेदन दिये जाने के बावजूद उनकी नियुक्ति अनुकम्पा के आधार पर नहीं की गयी। आयोग के निदेश पर प्राचार्य ने अपने कार्यालय के भूल स्वीकारते हुए उपायुक्त से अनुकम्पा के आधार पर उन्हें समय सीमा के अंदर आवेदक मानते हुए नियुक्ति का अनुरोध किया तथा इसकी सूचना अध्यक्ष, अल्पसंख्यक आयोग को अपने पत्रांक-1451 दिनांक-26.12.97 द्वारा दी।

5. मो० शफीक आरफीन, सेवानिवृत मोल्डर अनुदेशक, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बीरपुर की सेवानविृति लाभो का भुगतान नहीं हो रहा था तो अध्यक्ष ने अपने स्तर से अविलम्ब कार्रवाई करते हुए श्रम आयुक्त को निदेश दिया कि उन्हें अविलम्ब लाभों का भुगतान कराया जाय। संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण ने अपने पत्रांक-207 दिनांक-20.1.98 द्वारा इसका अनुपालन कर अध्यक्ष को सूचित किया।

6. श्रीमति सुरेन्द्र कौर, शिक्षिका, गुरूगोविंद सिंह बालिका उच्च विद्यालय, पटना सिटी का वेतन भुगतान रोक रखा गया था तो अध्यक्ष, से इसकी शिकायत की गयी तो अध्यक्ष, अल्पसंख्यक आयोग ने अपने पत्रांक-1660 दिनांक-13.3.98 द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी, पटना को वेतन भुगतान का आदेश दिया जिसके अनुपालन में जिला शिक्षा पदाधिकारी, पटना द्वारा उनके पत्रांक-526 दिनांक-3.6.98 द्वारा परिस्थिति से अध्यक्ष को अवगत कराया गया।

7. मो० इसराफिल खाँ, स.अ.नि. रांची मानसिक रोग के इलाज के दौरान लापता हो गये तो अध्यक्ष, अल्पसंख्यक आयोग की अनुशंसा के आलोक में आरक्षी अधीक्षक, रांची द्वारा नियमों को शिथिल करते हुए उनका पेंशन इत्यादि का भुगतान कराया तथा उनके पुत्र अली उमर खां की नियुक्ति भी अनुकंपा के आधार पर की। (परि० 63)

8. श्री जावेद इकबाल, लिपिक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, दीघा को उसी संस्था के कर्मचारियों द्वारा तंग किया गया। जब इसकी शिकायत अध्यक्ष, अल्पसंख्यक आयोग को मिली तो उन्होंने निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण को अपने पत्रांक-1939 दिनांक-11.6.98 द्वारा उसकी जांच कराकर दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध कार्रवाई का निदेश

दिया जिसके अनुपालन में निदेशक, ने अपने पत्रांक-1554 दिनांक-24.6.98 द्वारा प्राचार्य को इसकी जांच का आदेश दिया तथा इसकी सूचना अध्यक्ष, अल्पसंख्यक आयोग को भी दी गयी।

8. श्री इकबाल अंसारी, चतुर्थवर्गीय कर्मचारी, बिहार स्टेट फूड एवं सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन के साथ प्रोन्नति एवं वेतन आदि के संबंध में भेद-भाव बरता गया तो अध्यक्ष, अल्पसंख्यक आयोग ने अपने पत्रांक-1147 दिनांक-5.9.97 द्वारा इसके निराकरण का आदेश दिया जिसका अनुपालन कर प्रबंध निदेशक ने अपने पत्रांक-3580 दिनांक-27.7.98 द्वारा अध्यक्ष को प्रतिवेदन भेजा ।

9. श्री ए. के. चटर्जी, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, लातेहार को सेवानिवृति पश्चात लाभो का भुगतान नहीं किया जा रहा था तो अध्यक्ष, अल्पसंख्यक आयोग ने अविलम्ब भुगतान हेतु लिखा उपायुक्त, पलामू ने अपने पत्रांक-74 दिनांक- 21.8.98 द्वारा अनुपालन प्रतिवेदन अध्यक्ष को भेजा ।

10. श्री एस.एम. रजी अहमद, सेवानिवृत वरीय अनुदेशक, ग्राम-शिल्प प्रशिक्षण केन्द्र, किशनगंज को सेवानिवृति पश्चात् लाभों का भुगतान अध्यक्ष, अल्पसंख्यक आयोग के आदेश पर जिला पदाधिकारी, किशनगंज द्वारा कराया गया साथ-साथ उनके भविष्य निधि का अंतिम भुगतान की राशि मुवलिग 98, 108.00 रुपये का भुगतान अध्यक्ष, अल्पसंख्यक आयोग के आदेश से जिला पदाधिकारी, पुर्णियाँ द्वारा उनके पत्रांक-3015/24.12.98 द्वारा कराया गया।

11. श्रीमति कैमुन निसा पत्नी स्व० अब्दुल गफूर, स्वतंत्रता सेनानी को विशेष एवं चिकित्सा भत्ता का भुगतान अध्यक्ष, अल्पसंख्यक आयोग के आदेश से जिला पदाधिकारी, पटना के पत्रांक-3164 दिनांक-14.10.98 द्वारा कराया गया।

12. शेख शमीउल्ला अंसारी, आशुटंकक, बाढ़ नियंत्रण अंचल, बक्सर को पक्षतातपुर्ण ढंग से किया गया स्थानान्तरण के संबंध में अध्यक्ष, अल्पसंख्यक आयोग के पत्रांक-2433 दिनांक-14.12.98 के आलोक में जल संसाधन विभाग द्वारा मुख्य अभियंता को जांच हेतु उनके पत्रांक-102 दिनांक-16.1.99 द्वारा आदेश दिया गया।

13. श्री खुर्शीद अंसारी, बक्सर के पिता खान एवं भूतत्व विभाग में पदचर के पद पर कार्यरत थे तथा सेवाकाल में ही मृत्यु हो गयी थी। अध्यक्ष, अल्पसंख्यक आयोग के आदेश से मृत्यु के 20 वर्षों से अधिक के बाद नियमों को शिथिल करते हुए नियुक्ति की गयी।

14. मो० रेयासत अली, शरफुद्दीनपुर नगर, बिहटा को शिक्षक के पद पर नियुक्ति पत्र नहीं दिया जा रहा था तो अध्यक्ष, अल्पसंख्यक आयोग के हस्ताक्षेप के फलस्वरूप उन्हें नियुक्ति पत्र प्रापत हुआ।

15. श्री मुखतार असलम, फिनिश लेदर कॉपरेपोरेशन की प्रोन्नति, वेतन विसंगति का भुगतान अध्यक्ष, अल्पसंख्यक आयोग के आदेश से किया गया ।

16. मो० अनवारूल हक, महल्ला-शेरखाना, बिहारशरीफ की नियुक्ति भी अध्यक्ष, अल्पसंख्यक आयोग की अनुशंसा पर की गयी ।

17. श्रीमति ऐमन खातुन पति नौशाद अली, चालक, पथ परिवहन निगम, पटना के बकाये भुगतान का आदेश अध्यक्ष, अल्पसंख्यक आयोग की पहल पर किया गया ।

18. मो० कासिम, भेटनरी कॉलेज में कार्यरत् थे तथा सन् 1972 में उनकी मृत्यु हो गयी थी। 23 वर्षों के बाद वर्ष 1995 में उनकी मृत्यु पश्चात् लाभों का भुगतान अध्यक्ष, अल्पसंख्यक आयोग के आदेश से किया गया ।

19. श्री अनीजुल्ला खां, आरक्षी नं०-347 अपराध अनुसंधान का निलम्बन एवं स्थानान्तरण आदेश, अध्यक्ष, अल्पसंख्यक आयोग के अनुशंसा पर रद्द किया गया ।

20. होमियोपैथिक कॉलेज के शिक्षकों को 22 सौ रुपये का वेतनमान् अध्यक्ष, अल्पसंख्यक आयोग की अनुशंसा पर दिया गया।

21. श्री शमीम अहमद, सवार सं.-37 बी.एम.पी. आरा के घोड़े की मृत्यु हो गयी इसमें इसका कोई दोष नहीं था फिर भी उन्हें निलम्बित कर दिया गया जब इसकी सूचना अध्यक्ष, अल्पसंख्यक आयोग को प्राप्त हुई तो उन्होंने इसे गम्भीरता से लेते हुए इसे निलम्बन मुक्त कराया गया ।

22. श्री रेयाज उद्दीन, पटना सिटी को सिपाही की नियुक्ति के दौरान गलत मापी कर छाँट दिया गया था तथा उन्हें पिछड़ी जाति, धुनिया का लाभ भी नहीं दिया गया था। उसने अध्यक्ष अल्पसंख्यक आयोग से इस संबंध में गुहार किया तो अध्यक्ष, अल्पसंख्यक आयोग ने इसे गम्भीरता से लेते हुए तत्परता से कार्रवाई कर श्री रेयाज उद्दीन की पुनः नापी करायी तथा उनकी बहाली पटना पुलिस बल में की गयी जहां वर्त्तमान में कार्यरत् हैं।

(ix) इंदिरा आवास

अध्यक्ष, अल्पसंख्यक आयोग की अनुशंसा के आलोक में राज्य सरकार ने इंदिरा आवास योजना के तहत 10 प्रतिशत अल्पसंख्यको के लिए सुरक्षित करने का आदेश दिया है जिसके फलस्वरूप सारे राज्य में अल्पसंख्यको के लिए इंदिरा आवास निर्माण की दिशा में काफी प्रगति हुई है। अध्यक्ष, अल्पसंख्यक आयोग ने राज्य के विभिन्न जिलो के दौरे के क्रम में जिला प्रशासन को अल्पसंख्यको के लिए निर्धारित कोटा के अनुसार इंदिरा आवास निर्माण का आदेश दिया है। यह कोटा पिछड़े अल्पसंख्यकों के लिए सुरक्षित कोटा के अतिरिक्त है। अल्पसंख्यक आयोग को काफी संख्या में इंदिरा आवास निर्माण हेतु आवेदन प्राप्त होते हैं। अध्यक्ष के पहल पर कई जिलों में कलस्टर में इंदिरा आवास निर्माण का कार्य कराया गया है जैसे- बक्सर जिले के रानीसागर, भोजपुर जिले के डुमरिया तथा नालंदा जिले के बिहारशरीफ प्रखंड के मोरा तालाब में बड़े पैमाने पर इंदिरा आवास निर्माण का कार्य कराया गया है। अध्यक्ष, अल्पसंख्यक आयोग को प्राप्त हो रहे आवेदनों पर उनके द्वारा किये गये अनुशंसा के आलोक में विभिन्न जिलो के पदाधिकारियों द्वारा बड़े पैमाने पर इंदिरा आवास निर्माण का कार्य हाल में किया जा रहा है। उदाहरणस्वरूप-जिला पदाधिकारी भोजपुर ने बड़हरा प्रखंड, मटुकपुर, शाहपुर प्रखंड के लसकरा, सरीसवन एवं टीफटी, पीरो प्रखंड के ईदमा गणेश, जगदीशपुर प्रखंड के बांटा एवं बिहिया के रानीसागर ग्राम में अल्पसंख्यकों के लिए इंदिरा आवास निर्माण शुरू करने का आदेश प्रखंड विकास् पदाधिकारी को दिया है। (परि० 64) उसी प्रकार अध्यक्ष अल्पसंख्यक आयोग की अनुसंसा पर सीतामढ़ी जिला में दंगा प्रभावित परिवारों के लिए बड़े पैमाने पर इन्दिरा आवास निर्माण का कार्य कराया जा रहा है।

★★★

अध्याय - दस

विभिन्न अल्पसंख्यक समुदायों की विशिष्ट समस्याएँ

★ ★ ★

विभिन्न अल्पसंख्यकों समुदायों की विशिष्ट समस्याएँ

अल्पसंख्यकों से संबंधित विभिन्न समस्याओं पर सामूहिक रूप से अल्पसंख्यक आयोग द्वारा उनकी समस्याओं के निराकरण हेतु की गई कार्रवाई तथा आगे सरकार द्वारा अपेक्षित कार्रवाई का ब्योरा दिया गया है।

परन्तु विभिन्न अल्पसंख्यक समुदाय खास तौर छोटे-छोटे भाषाई एवं धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों की अपनी कुछ विशिष्ट समस्याएँ हैं जिन पर अलग से कार्रवाई अपेक्षित है। जिनका ब्योरा इस अध्याय में "विभिन्न अल्पसंख्यक समुदायों की विशिष्ट समस्याए" के अन्तर्गत दिया जा रहा है।

आयोग की अनुशंसा है इनकी विशिष्ट समस्याओं पर सरकार विशेष ध्यान कर इसके निराकरण हेतु यथाशीघ्र ठोस कार्रवाई की जाय ।

(i) बंगला भाषी अल्पसंख्यक समुदाय की विशिष्ट समस्याएँ

राज्य में उर्दू भाषियों के बाद बंगला भाषी अल्पसंख्यक समुदाय की संख्या सर्वाधिक है। उनकी कुछ अपनी विशिष्ट समस्याएँ हैं जिनके निराकरण का प्रयास आयोग द्वारा होता रहा है। दिनांक 21.1.97 को अध्यक्ष, अल्पसंख्यक आयोग द्वारा उनकी समस्याओं पर विचार करने हेतु एक बैठक भी बुलाई गई थी। उक्त बैठक में अन्य लोगों के अतिरिक्त विधान सभा उपाध्यक्ष, श्री जगबंधु अधिकारी तथा श्री जगन्नाथ सरकार ने भी भाग लिया था। इस समुदाय की कुछ विशिष्ट समस्याओं का ब्योरा निम्न प्रकार है :-

1. शरणार्थियों की समस्या :- देश के विभाजन के बाद भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से बड़ी संख्या में बंगला भाषी आबादी शरणार्थियों के रूप में भारत आई। देश के अन्य भागों की तरह उन्हें बिहार में भी बसाया गया। बिहार में उन्हें मुख्य रूप से पूर्वी एवं पश्चिमी चम्पारण, भागलपुर, देवघर, साहेबगंज, हजारीबाग, दरभंगा, समस्तीपुर, गोपालगंज किशनगंज, रांची तथा मुजफ्फरपुर जिलों में बसाया गया। इन शरणार्थियों की लगभग 150 सौ कॉलोनी पूरे राज्य में है जिसमें 63 कॉलोनी पूर्वी एवं पश्चिमी चम्पारण में अवस्थित है जिनकी जन संख्या लगभग एक लाख है। आजादी के पांच दशकों बाद भी उनकी नागरिकता का प्रश्न अबतक लंबित है। नागरिकता के अभाव में उन्हें जाति प्रमाण-पत्र मिलने में भी कठिनाई होती है। उन्हें बंदोबस्त भूमि पर या तो दखल कब्जा नहीं मिला है या रसीद नहीं कटी है। इन सब कारणों से पढ़े लिख नौजवानों को सरकारी सेवा में शामिल होने में भी कठिनाई हो रही है।

चूंकि यह मामला भारत सरकार से संबंधित है अतः गृह विभाग को निदेश दिया जाना चाहिए कि वह इस संबंध में विशेष रूप से पहल कर उनकी नागरिकता का प्रश्न यथाशीघ्र हल कराएँ ।

अध्यक्ष, अल्पसंख्यक आयोग ने अपने पत्रांक-724 दिनांक-6.6.97 द्वारा कल्याण विभाग को अनुशंसा की थी कि पूर्व पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को जाति प्रमाण-पत्र निर्गत करने का आदेश दिया जाए। इस संबंध में कल्याण

विभाग ने अपने पत्रांक-4977 दिनांक-19.9.97 द्वारा सचिव, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार से इससंबंध में निदेश मांगा था जिसकी प्रति अध्यक्ष अल्पसंख्यक आयोग को भी दी गई थी परन्तु इस संबंध मं निर्णय अब तक अपेक्षित है।

वर्ष 1993 में प्रो० जाबिर हुसैन, तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष, बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग द्वारा बंगला भाषी शरणार्थी के संबंध में अध्ययन कर एक विशेष प्रतिवेदन सरकार को दिया गया था जिस पर भी अग्रेतर कार्रवाई अपेक्षत है।

2. बंगला भाषा पढ़ाई की समस्या प्राथमिक विद्यालयों से लेकर महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय तक है चूंकि प्राथमिक विद्यालय में ही बंगला भाषा के पठन-पाठन की व्यवस्था का ह्रास हुआ है इसलिए स्वाभाविक है कि बंगला साहित्य के अध्ययन के लिए विद्यालयों महाविद्यालयों में बंगाली विद्यार्थियों की संख्या नगण्य हो जाती है।

   अतः आयोग की अनुशंसा है कि बंगला भाषी बाहुल्य क्षेत्रों में बंगला प्राथमिक विद्यालय स्थापित किए जाय तथा बंगला भाषी शिक्षकों की बहाली की जाए ।

3. बिहार राज्य टेकस्ट बुक कार्पोरेशन के द्वारा बंगला भाषी पुस्तकों का प्रकाशन समय पर कराया जाए।

4. डाक बंगला चौराहा पर राष्ट्र कवि रविन्द्र नाथ टैगोर की मूर्ति स्थापना का प्रस्ताव था उसे यथाशीघ्र मूर्त रूप दिया जाए।

5. बंगला भाषा को बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में माध्यम के रूप में सम्मिलित करने का मामला अबतक कार्मिक विभाग में लंबित है। उसपर यथाशीघ्र निर्णय लेते हुए उसे कार्यान्वित कराया गया ।

(ii) उड़िया भाषी अल्पसंख्यकों की विशिष्ट समस्याएँ

राज्य में उड़िया भाषियों की अधिक संख्या पूर्वी एवं पश्चिमी सिंहभूम तथा रांची जिले में है उनकी भी कुछ विशिष्ट समस्याएं हैं जो खासतौर पर भाषा एवं संस्कृति से संबंधित है।

उड़िया भाषी क्षेत्रों में अवस्थित उड़िया विद्यालयों को सुदृढ़ किया जाए। साथ-साथ उड़िया बाहुल्य क्षेत्र में अवस्थित विद्यालयों में उड़िया शिक्षकों की पदस्थापना की जाए। उड़िया भाषा में पुस्तकें उपलब्ध कराई जाए। यह कार्य उड़िया सरकार के सहयोग बिना किसी अतिरिक्त वित्तीय भार से कराया जा सकता है।

उड़िया भाषी लोगों की अपनी एक अलग सांस्कृतिक पहचान है उसे बनाए रखने हेतु हर संभव प्रयास किया जाए खास तौर पर सरायकेला एवं खरसावां के छऊ नृत्य के विकास पर विशेष ध्यान दिया जाए। सरायकेला भी भांति खरसवां में भी छऊ नृत्य केन्द्र स्थापित किया जाए।

(iii) ईसाई अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधिक विशिष्ट समस्याएँ

राज्य में धार्मिक अल्पसंख्यकों में दूसरा स्थान ईसाई धर्मावलम्बियों का आता है। इनकी भी अपनी कुछ विशिष्ट समस्यएं हैं।

अध्यक्ष, अल्पसंख्यक आयोग ने दिनांक 20.1.97 को उनकी विशिष्ट समस्याओं पर विचार विमर्श के लिए एक बैठक बुलाई थी। उक्त बैठक में अन्य लोगों के अतिरिक्त पटना के बिशप ने भी भाग लिया था ।

ईसाई धर्मालम्बियों में भी जो अन्य पिछड़ी जाति हैं उन्हें पिछड़ी जाति की सुविधाएँ दी गई हैं परन्तु पदाधिकारियों के स्तर पर इस आदेश का पालन नहीं हो रहा है उन्हें जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने में कठिनाई होती है जिससे इस वर्ग में आने वाले लोग सरकारी प्रावधान का समुचित लाभ नहीं उठा पाते हैं।

अतः सरकारी पदाधिकारियों को एक स्पष्ट निदेश दिया जाए कि वे ईसाई धर्मावलम्बियों के अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों को भी जाति प्रमाण-पत्र निर्गत करें और उनको देय सुविधाएँ दी जाय।

ईसाईयों के विद्यालयों के प्रस्वीकृति एवं सहायता के बहुत मामले सरकार के यहाँ लंबित हैं उनका भी निष्पादन यथाशीघ्र कराया जाए।

चर्च की जमीनों की सुरक्षा हेतु प्रभावी कार्रवाई की आवश्यकता है। जहाँ आवश्यक हो उसकी घेराबंदी भी कराई जाए।

(iv) सिख/पंजाबी भाषी अल्पसंख्यक की विशिष्ट समस्याएँ

राज्य में आजादी के बाद सिख समुदाय की आबादी में भी अच्छा खासा इजाफा हुआ है। कुछ सिख पाकिस्तान से विस्थापित के रूप में भी लाकर यहां बसाए गए हैं उनकी भी अपनी कुछ विशिष्ट समस्याएँ है।

पटना साहेब स्थित तख्त श्री हरिमंदिर जी की देख रेख एवं व्यवस्था संचालन के लिए अन्य ऐतिहासिक गुरुद्वारों की तरह कानून बनाना चाहिए। आयोग ने इस संबंध में बिहार सिख प्रतिनिधि बोर्ड तथा तख्त श्री हरिमंदिर जी की प्रबंध समिति से कानून का प्रारूप तैयार करने का अनुरोध किया था। आयोग की अनुशंसा है कि राज्य सरकार प्रमुख सिख संगठनों की प्रतिनिधियों से राय-मशवरा के आधार पर गुरुद्वारा एक्ट के प्रस्ताव को शीघ्र अपनी स्वीकृति प्रदान करे।

गुरुद्वारा हरमंदिर जी के विकास के लिए सरकार द्वारा दिए गए आश्वासन के आलोक में भूमि एवं सहायता यथाशीघ्र उपलब्ध कराई जाए। पंजाबी एकेडमी की स्थापना यथाशीघ्र कराई जाए।

1984 के दंगे में मारे गए सिख परिवारों के मुआवजा भुगतान का जो भी मामला लंबित है उसे भी समयबद्ध कार्यक्रम के तहत निष्पादित कराया जाए।

पंजाबी भाषा में प्राथमिक विद्यालयों के लिए पुस्तकें उपलब्ध कराई जाए। ज्ञातव्य है कि सरकार पूर्व में ही वर्ग 1-4 तक पंजाबी भाषा पढ़ाने का निर्णय ले चुकी है।

(v) बौद्ध अल्पसंख्यक समुदाय की विशिष्ट समस्यायें

बिहार को यह गर्व प्राप्त है कि वह बौद्ध धर्म की जननी रही है। यहीं महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बिहार अन्तर्राष्ट्रीय बौद्ध धर्म का केन्द्र बिन्दु है। गया में अवस्थित बौद्ध मंदिर के प्रबंधन को लकर बहुत दिनों से विवाद चल रहा है इसका समाधान केन्द्र सरकार की सहायता से संभव है। आयोग की अनुशंसा है कि इसका कोई न्यायसंगत समाधान वर्ष 1949 के कानून में संशोधन कर निकाला जाए।

नव बौद्धों की कुछ समस्याएं हैं जिनका भी निराकरण मिल बैठकर करने की आवश्यकता है।

"नव नालंदा महाबिहार" की प्रशासनिक एवं वित्तीय दशा सुधारने हेतु तुरंत कदम उठाए जाऐं। इस संस्था के विकास के लिए अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर कोष संग्रह का प्रयास किया जाए।

(vi) जैन अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित विशिष्ट समस्याएँ

बिहार को यह गौरव भी प्राप्त है कि यह जैन धर्म का गढ़ रहा है। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महाबीर का जन्म बिहार में ही हुआ था परन्तु अभी तक उनके जन्म स्थान का उतना विकास नहीं हुआ है जितना होना चाहिए था। पुरातत्व विभाग के सहयोग से और अधिक खुदाई की आवश्यकता है ताकि जैन धर्म के संबंध में और तथ्य सामने आ सके। साथ-साथ वैशाली का विकास कर उसे जैनों का विशेष आकर्षण केन्द्र बनाया जा सकता है, जिससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा ।

जैन समुदाय के लोग आर्थिक रूप से अधिकांशतः सम्पन्न हैं जिसके कारण उन्हें प्रताड़ित करने के मामले सामने आए हैं। उन्हें प्रर्याप्त सुरक्षा दिया जाना चाहिए ।

राज्य में आरा एक तरह से जैनों का बहुत बड़ा केन्द्र हैं वहां के पुराने जैन मंदिरों का रख रखाव ठीक कर उसे विकसित किया जाए तो पर्यटन को काफी बढ़ावा मिल सकता है। साथ-साथ जैनों द्वारा चलाए जा रहे दातव्य संस्थाओं को भी सरकारी सहायता मिलने से उनका विकास होगा और क्षेत्र के सभी समुदाय के गरीब लोगों को लाभ पहुंचेगा।

श्री मैना सुंदर भवन दिगम्बर जैन धर्म शाखा, आरा के विद्युत संबंध को घरेलु सेवा की दर लगाने के संबंध में जैन समुदाय के लोगों ने अध्यक्ष, अल्पसंख्यक आयोग से उनके आरा भ्रमण के दौरान अनुरोध किया था। अध्यक्ष, अल्पसंख्यक आयोग से उनके आरा भ्रमण के दौरान अनुरोध किया था। अध्यक्ष, अल्पसंख्यक आयोग ने अपने पत्रांक-1775 दिनांक 5.5.98 द्वारा अध्यक्ष, विद्युत बोर्ड को इस संबंध में अनुशंसा की। विद्युत बोर्ड ने अपने पत्रांक-330 दिनांक 29.6.98 द्वारा इस संबंध में सकारात्मक कार्यवाई करते हुए विद्युत अधीक्षक अभियंता भोजपुर को आदेश दिया है जिसकी प्रति अध्यक्ष, अल्पसंख्यक आयोग को भी दी गई है।

अध्याय - ग्यारह

विविध अध्याय

बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग

(i) अल्पसंख्यकों का अधिकार दिवस

संयुक्त राष्ट्र संघ ने 18 दिसम्बर, 1992 के एक घोषणा पत्र द्वारा दुनिया भर के धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकारों एवं हितों को विश्व मान्यता प्रदान की है।

संयुक्त राष्ट्र संघ ने न केवल अल्पसंख्यकों के अधिकारों एवं हितों को मान्यता दी है बल्कि राज्यों के लिए बंधनकारी निर्देश भी दिए हैं, ताकि वे इन समुदायों को आवश्यक कानूनी सुरक्षा और सम्मान दे सकें ।

संयुक्त राष्ट्र संघ राज्यों से यह अपेक्षा रखता है कि वे अपनी सीमाओं के भीतर बसी अल्पसंख्यक आबादियों को अपनी भाषा, अपनी संस्कृति और अपने धर्म के प्रति आस्थावान बने रहने तथा इसे विकसित करने की पूरी इजाजत और छूट देंगे। लेकिन राष्ट्र संघ किसी भी राज्य को अंर्तराष्ट्रीय मानकों और विश्व संस्कृति की कसौटी पर पूरी नहीं उतरने वाली प्रवृतियों को आगे बढ़ाने की अनुमति नहीं देता ।

उक्त घोषणा के आलोक में 3 नवम्बर 1998 को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष, डा० ताहिर महमूद ने निम्नांकित आह्वान किया है :-

1 दिसम्बर 1992 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने कौमी या नस्ली धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए एक घोषणा पत्र पारित कर जारी करते हुए कहा है कि "राज्य कौमी या नस्ली, संस्कृतिक, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के अस्तित्व की सुरक्षा करेगी और उनकी पहचान की प्रगति के हालात को प्रोत्साहित करेगी"।

विश्व की इस प्रमुख संस्था ने जोर देकर अपने इस ऐतिहासिक दस्तावेज में कहा है कि "राज्य ऐसे उपाय सुनिश्चित करेगा जिससे अल्पसंख्यक समुदाय के लोग अपने सभी मानवाधिकारों और बुनियादी स्वतंत्रता को पूरी तरह और प्रभावी ढंग से बिना किसी भेदभाव के और कानून के समक्ष बराबरी के अधिकार के साथ उपभोग कर सकें"।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष ने आगे कहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की उपुर्यक्त घोषणा हमारे बहुसामाजिक व्यवस्था वाले देश के लिए एक विशेष हैसियत रखता है। वर्तमान में हमारे देश में व्याप्त हालात के पेशे नजर इसकी अहमियत दोबाला हो गई है।

अत: राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने यह निर्णय लिया है कि 18 दिसम्बर 1998 को "अल्पसंख्यक अधिकार दिवस" के रूप में में मनाया जाए। उन्होंने आगे कहा कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की ओर से मैं केन्द्र, राज्य एवं केन्द्रशासित प्रदेशों की सरकारों, मानवाधिकार संगठनों तथा गैर सरकारी स्वयंसेवी संगठनों का आह्वान करता हूं कि 18 दिसम्बर को "अल्पसंख्यक दिवस" के रूप में मनाया जाए।

आयोग की अनुशंसा है कि हमारे राज्य में भी 18 दिसम्बर को "अल्पसंख्यक दिवस" सरकारी समारोह के रूप में मनाया जाए तथा उस दिन रैलियां, प्रदर्शन इत्यादि का आयोजन किया जाए जिससे कि अल्पसंख्यकों की समस्याओं की ओर सारे राज्य के लोगों का ध्यान आकृष्ट हो सके। विभिन्न विद्यालयों एवं महाविालयों में वाद-विवाद का भी आयोजन कराया जाए । (परि० 65)

(ii) अल्पसंख्यकों से संबंधित विशिष्ट व्यक्तियों का भ्रमण

आलोच्य अवधि में अल्पसंख्यकों की समस्यओं पर समीक्षा करने एवं विचार विमार्श करने हेतु कई महानुभाव राज्य में पधारे तथा अल्पसंख्यक आयोग के साथ आवश्यक विचार विमर्श किया। उनमें से कुछ विशिष्ट व्यक्तियों से हुए विचार विमर्श का विवरण निम्न प्रकार दिया जा रहा है :-

बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग

1. डा० जेम्स मैसे, सदस्य, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयेग सह अध्यक्ष हाई पावर्ड कमिटि दिनांक 4.7.98 एवं 5.7.98 को राज्य के दौरे पर आए तथा अल्पसंख्यकों की समाजिक आर्थिक, शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक समस्याओं के संबंध में राज्य के उच्च पदाधिकारियों के साथ साथ अल्पसंख्यक आयोग के साथ भी विचार विमर्श किया। अध्यक्ष, अल्पसंख्यक आयोग, प्रो० सोहैल अहमद ने उनके साथ विस्तृत विचार विमर्श कर राज्य के अल्पसंख्यकों से संबंधित समस्याओं पर उनके द्वारा दिए गए एजेंडा पर क्रमवार विचार विमर्श किया (परि० 66) साथ-साथ उन समस्याओं के निराकरण हेतु सुझावों से भी उन्हें अवगत कराया।

2. केन्द्र सरकार द्वारा पुलिस सुधार पर श्री जे० एफ० रिबेरो, भा० पु० से० (सेवानिवृत) की अध्यक्षता में गठित समिति दिनांक 9.9.98 से 11.9.98 तक राज्य का भ्रमण किया तथा दिनांक 10.9.98 को उन्होंने अल्पसंख्यकों से संबंधित समस्याओं पर विचार विमर्श के लिए राज्य अल्पसंख्यक आयोग के साथ बैठक रखी। अध्यक्ष, अल्पसंख्यक आयोग ने उनके द्वारा निर्धारित प्रश्नावली (अनु.-संलग्न) के आलोक में विचार विमर्श किया। अध्यक्ष ने उन्हें यह सुझाव दिया कि राज्य सुरक्षा आयोग के गठन में राज्य अल्पसंख्यक आयोग, राज्य महिला आयोग, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग तथा अनुसूचित जाति/जनजाति आयोग के प्रतिनिधियों को भी रखा जाय। अध्यक्ष ने यह भी सुझाव दिया कि कनीय पुलिस पदाधिकारियों की पदस्थापना अपने गृह पुलिस क्षेत्र के अन्दर नहीं की जाए तथा वरीय पुलिस पदाधिकारियों की भी पदस्थापना अपने गृह राज्यों में न किया जाए। इससे पुलिस प्रशासन को चुस्त दुरूस्त एवं निष्पक्ष बनाने में बड़ी सहायता मिलेगी ।

इसके अतिरिक्त अध्यक्ष, अल्पसंख्यक आयोग ने यह भी सुझाव दिया कि पुलिस पदाधिकारियों के लिए एक विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए जिसमें सभी धर्मों की मूल भावनाओं से उन्हें अवगत कराया जाय ताकि वे बिना किसी पक्षपात के कार्य करें तथा सभी धर्मावलम्बियों का पुलिस बल में विश्वास सुदृढ़ हो। (परि० 67)

3. अध्यक्ष, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग दिनांक 21.11.98 को राज्य के दौरे पर आए तथा राज्य के वरीय प्रशासनिक एवं पुलिस पदाधिकारियों के साथ अल्पसंख्यकों की विभिन्न समस्याओं तथा सरकार की विभिन्न योजनाओं में उनको पहुंचाई जा रही लाभों की समीक्षा की। साथ-साथ उन्होंने राज्य अल्पसंख्यक आयोग के पदाधिकारियों के साथ अल्पसंख्यकों की समस्याओं तथा अल्पसंख्यक आयोग को सुदृढ़ करने के संबंध में विचार विमर्श किया। अध्यक्ष, अल्पसंख्यक आयोग, बिहार ने उन्हें राज्य के अल्पसंख्यक समुदाय की विभिन्न समस्याओं के संबंध में जानकारी दी तथा राज्य अल्पसंख्यक आयोग द्वारा उनके निराकरण हेतु की गई कार्रवाई से भी अवगत कराया।

4. कर्नाटक के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री भी राज्य के दौरे पर आए। उन्होंने अध्यक्ष अल्पसंख्यक आयोग के साथ अपने राज्य तथा बिहार में अल्पसंख्यक के कल्याणार्थ किए जा रहे कार्यों में संबंध में विचारों का आदान-प्रदान किया।

(iii) सेमिनार

राज्य अल्पसंख्यक आयोग ने 13 मार्च, 2002 को आद्री एवं निदेशक जनशिक्षा के साथ मिलकर एक सेमिनार का आयोजन किया जिसका विषय था "ज्ञानमूलक समाज का निर्माण और मुस्लिम समाज की भूमिका"। जिसमें राज्य के प्रबुद्ध बुद्धिजीवियों ने भाग लेकर अपना-अपना विचार रखा और सेमिनार के अन्त में एक घोषणा की गई। (परि० 67 (क))

अध्याय - बारह

आयोग की अनुशंसाओं का सारांश

बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग

अनुशंसाओं का सारांश

आयोग की अनुशंसाएँ :-

1. आयोग के लिए स्वीकृत सभी बल के विरूद्ध कर्मचारियों की पदस्थापना की जाए। आयोग के सुदृढ़ एवं सभी साधनों से युक्त किया जाए, जैसा कि प्रतिवेदन के अध्याय तीन में "आयोग का सुदृढ़ीकरण" के तहत अनुशंसा की गई है, ताकि आयोग और प्रभावी एवं कारगर ढंग से अल्पसंख्यकों की आकांक्षाओं और इच्छाओं को पूरा कर सके। साथ-साथ बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग अधिनिमय-1991 में संशोधन हेतु उपर्युक्त अध्याय में जो अनुशंसाए की गई हैं, उनके अनुरूप संशोधन कर अधिनियम को और प्रभावी बनाया जाए। आयोग के कार्यों, दायित्वों एवं अत्यन्त संवेदनशील मामलों में इसकी भूमिका तथा महत्त्वपूर्ण सूचनाओं के गोपनीय आदान-प्रदान की आवश्यकता के मद्देनजर इसे गृह विभाग के साथ किया जाना चाहिए ।

2. ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं में अल्पसंख्यकों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में कोटा निर्धारित किया जाए तथा विभिन्न स्तरों पर उन योजनाओं के अनुश्रवन हेतु गठित समितियों में अल्पसंख्यक समुदाय के एक व्यक्ति को सदस्य के रूप में निश्चित रूप से रखा जाए।

3. राज्य के सभी धार्मिक स्थलों, जो कि साम्प्रदायिक तनाव का कारण बन जाते हैं उनका सीमांकन कराकर विवाद का निपटारा सदा के लिए करा दिया जाए।

4. खतियान में यदि गलती से किसी धार्मिक स्थल की भूमि का गलत इंदराज हो गया है, तो उसका सुधार नियमानुसार यथाशीघ्र करा लिया जाए। कास्तकारी अधिनियम में संशोधन कर यह अधिसूचना निर्गत किया जाए कि उन सभी भूमि का उपयोग जिस कार्य के लिए हो रहा है, उसे उसी प्रकार की भूमि मानी जाएगी। उदाहरण स्वरूप यदि जमीन गैर मजरूआ, खास या आम है परन्तु वास्तव में वहाँ कब्रिस्तान है तो उसे कब्रिस्तान की भूमि मानी जाएगी।

5. वक़्फ़ भूमि के सर्वे के लिए नए वक़्फ़ कानून के तहत राजस्व विभाग के सचिव को वक़्फ़ आयुक्त का प्रभार सौंपा जाए तथा सभी प्रमंडलीय आयुक्तों को अपर वक़्फ़ आयुक्त, सभी अपर समाहर्त्ताओं/अपर आयुक्तों को सहायक वक़्फ़ आयुक्त एवं सभी अंचलाधिकारियों को अपर सहायक वक़्फ़ आयुक्त का प्रभार सौंपा जाए ताकि राजस्व विभाग के कर्मचारियों की सहायता से यथाशीघ्र वक़्फ़ की जायदाद का सर्वेक्षण कराकर उसे अतिक्रमण मुक्त कराया जा सके।

6. गैर मजरूआ जमीन बंदोबस्ती/अधिशेष भूमि बंदोबस्ती सम्पर्क मार्ग योजना/गृहस्थल योजना में अल्पसंख्यकों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में लाभ पहुँचाया जाए।

7. अल्पसंख्यकों की शिक्षा संबंधी समस्याओं पर अध्यक्ष, अल्पसंख्यक आयोग के पत्रांक-491 दिनांक 21.1.97 द्वारा तत्कालीन शिक्षा मंत्री, श्री जय प्रकाश नारायण को की गई अनुशंसाओं के आलोक में एक उच्चस्तरीय बैठक कर उनकी सभी समस्याओं का निराकरण कर अल्पसंख्यकों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा जाए। उक्त पत्र में निम्नांकित अनुशंसाएँ की गई है :-

   (i) उर्दू एवं अन्य अल्पसंख्यक भाषाओं के स्थान पर दूसरी भाषा एवं विषय के शिक्षक स्थानांतरित/पदस्थापित किए गए हैं, तो उसे रद्द कर उसी विषय के शिक्षक पदस्थापित किए जाए ।

(ii) शिक्षा विभाग के पत्रांक-814 दिनांक 20.5.95 द्वारा यह आदेश दिया गया है कि जिस विद्यालय में छात्र के अनुपात में अधिक शिक्षक हैं, उसे स्थानांतरित कर नए विद्यालय खोले जाएँ। उर्दू विद्यालय को इससे वंचित रखा जाए, क्योंकि जाने-अनजाने मनमानी तथा अनदेखी से उर्दू स्कूल खत्म हो जायेंगे।

(iii) अल्पसंख्यक भाषाओं में समय पर पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराई जाए। बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक प्रकाशक निगम में एक उप निदेशक तथा एक सदस्य अल्पसंख्यक भाषाई में से रखा जाए।

(iv) अल्पसंख्यक विद्यालयों के शिक्षकों का वेतन भुगतान नियमित रूप से कोषागारों के माध्यम से कराया जाए। अल्पसंख्यक शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को एल.टी.सी. शिक्षा भत्ता, बोनस एवं सामूहिक बीमा की सुविधा दूसरे विद्यालयों के अनुसार ही प्रदान की जाए और इनका भविष्य निधि का पैसा भी कोषागार ही में जमा कराया जाए। 1980 के बाद अब तक अल्पसंख्यक विद्यालयों के शैक्षिक यूनिट में कोई वृद्धि नहीं हुई है, जबकि विद्यार्थियों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। अत: अल्पसंख्यक विद्यालयों में जिस विषय के शिक्षकों की आवश्यकता है, वहाँ उस विषय के नए शिक्षक यूनिट दिए जाएँ।

(v) मदरसा शिक्षकों को पुनरीक्षित वेतनमान का लाभ दिया जाए।

(vi) मदरसों में वर्गों के अनुरूप शिक्षकों की नियुक्ति की जाए। जैसे मौलवी/आलिम/फाजिल वर्गों के लिए कम से कम फाज़िल पास दो शिक्षकों की नियुक्ति की जाए।

(vii) लड़कियों के लिए प्रत्येक जिलों में कम से कम एक अच्छे ढंग का मदरसा/उच्च विद्यालय की स्थापना की जाए, जिसमें धार्मिक एवं परम्परागत शिक्षा के साथ-साथ व्यवसायिक शिक्षा की भी व्यवस्था है।

(viii) भारत सरकार के मानव संसाधन विभाग द्वारा लड़कियों के मदरसों के लिए धन उपलब्ध कराया जाता है। सरकार द्वारा ठोस प्रस्ताव और धन की मांग कर पहले से चल रहे मदरसों को संसाधन युक्त किया जाए।

(ix) मदरसा के छात्रों को सरकारी विद्यालयों की भांति छात्रवृत्ति दी जाए।

(x) सरकारी विद्यालयों की भांति भवनहीन मदरसों के लिए भवन का निर्माण कराया जाए।

(xi) मदरसा बोर्ड का अधिनियम बनाया जाए।

(xii) विद्यालय सेवा बोर्ड में एक उर्दू भाषी सदस्य रखा जाए।

(xiii) अल्पसंख्यक विद्यालयों/मदरसों में नियुक्ति में निष्पक्षता एवं एकरूपता लाने के लिए बी.इ.टी./एन.इ.टी. की तर्ज पर लिखित जाँच परीक्षा का आयोजन किया जाए तथा उनमें से चुने गए उम्मीदवारों को उपर्युक्त संस्थानों में नियुक्ति हेतु आवेदन करने के योग्य ठहराया जाए। ऐसी परीक्षा के आयोजन का भार एक पृथक अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान सेवा आयोग का गठन कर उसे दिया जा सकता है या पहले से मौजूद इस तरह के आयोग से यह कार्य लिया जा सकता है।

(xiv) पब्लिक स्कूलों में सरकार की तरफ से एन०ओ०सी० दिया जाता है, इसके आधार पर सी०बी०एस०ई० या आई०सी०एस०इ० से उसे मान्यता मिलती है। एन०ओ०सी० के लिए विहित प्रपत्र में हिंदी के साथ-साथ उर्दू जो द्वितीय राजभाषा है, के पठन पाठन के लिए एक शिक्षक का होना भी एक शर्त के रूप में रखा जाना चाहिए।

(xv) जो उर्दू तथा अन्य धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यक विद्यालय लम्बी अवधि से चल रहे हैं, उन्हें तत्काल कम से कम वित्त रहित मान्यता प्रदान की जाए ।

(xvi) अल्पसंख्यक विद्यालय की समस्या के समाधान हेतु एक अल्पसंख्यक शिक्षा निदेशालय की स्थापना की जाए।

(xvii) फारसी विषय के सभी रिक्त पदों को अविलम्ब भरा जाए ।

(xviii) पर्दानशीं उर्दू कन्या मकतबों में महिला शिक्षिका पदस्थापित की जाए ।

(xix) शिक्षकों की नियुक्ति में उर्दू भाषी शिक्षकों के साथ-साथ उर्दू भाषी महिला शिक्षकों का कोटा निर्धारित किया जाए।

(xx) प्रत्येक प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च विद्यालय में एक उर्दू शिक्षक की पदस्थापना की जाए। चूंकि उर्दू राज्य की द्वितीय राजभाषा है, इसलिए राजभाषा हिंदी के समान उर्दू भाषा का एक शिक्षक रखा जाना चाहिए ताकि जिस विद्यालय में उर्दू छात्र नहीं हो, वहां उर्दू शिक्षक हिंदी भाषी छात्रों को जो उर्दू सीखने के इच्छुक हैं, को पढ़ाऐंगे ।

(xxi) 6 से 14 वर्ष के बच्चों के स्कूल जाने संबंधी आंकड़े शिक्षा विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष सर्वेक्षण कराकर एकत्रित किया जाता है, उसमें अल्पसंख्यक बालक/बालिकाओं के लिए अलग से आंकड़ा मांगा जाए।

(xxii) राज्य में 113 ईसाई स्कूल जिन्हें सरकारी अनुदान मिलता है वहां अनिवार्य रूप से उर्दू का पठन पाठन आरंभ कराया जाए।

(xxiii) सम्पूर्ण साक्षरता अभियान में उर्दू को भी उचित स्थान दिलाया जाए।

(xxiv) जन शिक्षा कार्यक्रमों में गठित जिला साक्षरता समितियों में अल्पसंख्यकों को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाए।

(xxv) राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अंतर्गत किए जाने वाले सर्वेक्षण के प्रपत्र में भाषा का कॉलम रखा जाए ताकि इससे अल्पसंख्यक भाषाओं यथा उर्दू, बंगला, उड़िया, पंजाबी आदि भाषाओं को पढ़ने के इच्छुक व्यक्तियों की सही संख्या ज्ञात हो सके तथा इसी के अनुरूप उन भाषाओं की पाठ्य पुस्तक की आपूर्ति जिला साक्षरता समिति द्वारा कराई जा सके।

(xxvi) राज्य के प्रोजेक्ट स्कूलों में उर्दू भाषा की भी पढ़ाई की जाए ।

(xxvii) केन्द्र सरकार की योजना के तहत सरकार ने बिहार के जिन 85 प्रखंडों को शिक्षा की दृष्टि से अत्यन्त पिछड़ा चिह्नित किया है, वहां चलाए जा रहे कार्यक्रमों में अल्पसंख्यकों को भी विशेष अवसर प्रदान किए जाए ।

(xxviii) केलीग्राफी (उर्दू फने खत्ताती) को लुप्त होने से बचाने के लिए आवश्यक है कि प्रत्येक जिले के चुने हुए विद्यालयों में इस कला में प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षकों की नियुक्ति की जाए ।

(xxix) अरबी-फारसी विश्वविद्यालय के गठन की घोषणा 26 जनवरी, 1997 को गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर सरकार द्वारा निर्धारित तिथि को ही कर दिया जाय (विश्वविद्यालय की स्थापना की जा

चुकी है परन्तु अभी यह कार्यरत नहीं हो पाया है) विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति की जाए तथा भरपूर वित्तीय सहायता देकर इसे अन्य विश्वविद्यालयों के समकक्ष लाया जाए।

(xxx) उर्दू भाषा के विस्तार के लिए आवश्यक है कि जहां भी 25 घर की उर्दू भाषी जन संख्या है, वहां एक उर्दू प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की जाए तथा 50 उर्दू प्राथमिक विद्यालयों पर एक उर्दू निरीक्षक की नियुक्ति की जाए।

(xxxi) उर्दू शिक्षकों के लिए अलग से प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए ।

(xxxii) प्रत्येक विद्यालय के पुस्तकालय में उर्दू तथा अन्य अल्पसंख्यक भाषाओं की पुस्तकें भी रखी जाएँ।

(xxxiii) मदरसों में भी अन्य सरकारी विद्यालयों की भांति मुफ्त दिन के भोजन की व्यवस्था की जाए ।

(xxxiv) उर्दू पुस्तकालय पटना को प्रत्येक वर्ष कम से कम 5 लाख रुपये का अनुदान पुस्तक एवं पत्र-पत्रिकाओं के क्रय के लिए दिया जाए तथा बजट के अनुरूप आवंटन उपलब्ध कराया जाय।

(xxxv) फारसी एवं अरबी शोध संस्थान, पटना को नियमित रूप से बजट के तहत धनराशि उपलब्ध कराई जाए।

(xxxvi) सरकार द्वारा विद्यालय में नए पाठ्यक्रम तैयार करने का विचार है। अतः पाठ्यक्रम तैयार करने वाली समिति में अल्पसंख्यक आयोग के एक प्रतिनिधि को रखा जाए तथा पाठ्यक्रम तैयार करने में इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि पाठ्यक्रम ऐसा हो जिससे राष्ट्रीय एकता एवं साम्प्रदायिक सद्भावना को बढ़ावा मिले तथा मानवता की भावना सुदृढ़ हो।

(xxxvii) बिहार शिक्षा परियोजना/जिला प्राथमिक शिक्षा परियोजना के तहत वैकल्पिक शिक्षा के आँगन विद्यालयों/अपना विद्यालय की स्थापना में अल्पसंख्यक समुदाय के अत्यंत पिछड़े एवं गरीब जन संख्या वाले क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाए। शिक्षामित्रों की नियुक्ति में भी अल्पसंख्यकों की जनसंख्या वाले क्षेत्र में उसी भाषा के शिक्षा मित्र की नियुक्ति का प्रावधान किया जाए।

सरकारी मदरसों को भी बिहार शिक्षा परियोजना के तहत लाया जाए।

मुफ्त पोशाक वितरण में अल्पसंख्यक समुदाय की बच्चियों को भी प्राथमिकता दी जाए ।

उर्दू-बंगला के साथ-साथ उड़िया भाषाओं में भी पुस्तक प्रकाशित की जाए ।

महिला समाख्या के तहत अनुसूचित जाति/जनजाति के साथ-साथ अल्पसंख्यक महिलाओं के विकास का भी प्रावधान किया जाए ।

विहार शिक्षा परियोजना द्वारा तैयार की जा रही पुस्तकों में अल्पसंख्यक समुदाय के स्वतंत्रता सेनानियों की जीवनी भी सम्मिलित किया जाए।

8. कल्याण विभाग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं में अल्पसंख्यकों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में लाभ पहुँचाया जाए।

9. श्रम एवं नियोजन विभाग द्वारा पूर्व में निर्गत आदेश का दृढ़ता से पालन कराते हुए अल्पसंख्यकों के लिए एक अलग पंजी एक्स-63 निर्धारित किया जाए। अल्पसंख्यकों के आवेदनों को नियोजनालय में निबंधित करने एवं उनका नाम

नियोजकों को प्रेषित करने में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाए। अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में अभियान चलाकर अल्पसंख्यकों का निबंधन किया जाए तथा अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र में अल्पसंख्यक शाखा की स्थापना की जाए।

10. शहरी क्षेत्रों में जिला विकास अभिकरण द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं में अल्पसंख्यकों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में लाभ पहुँचाया जाए। सरकारी निर्देशों के आलोक में अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/उपकेन्द्र आदि खोले जाएँ।

11. विभिन्न वित्तीय संस्थाओं द्वारा पहुँचाए जा रहे लाभों में अल्पसंख्यकों का प्रतिशत निर्धारित किया जाए तथा रिजर्व बैंक के अल्पसंख्यक संबंधी सभी निर्देशों का पालन दृढ़ता से कराया जाए।

12. बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक प्रकाशन निगम द्वारा अल्पसंख्यक भाषाओं में पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन समय पर एवं पर्याप्त मात्रा में कराना सुनिश्चित किया जाए। अल्पसंख्यक भाषाओं के हितों की रक्षा के लिए आवश्यक है कि एक अल्पसंख्यक भाषा के प्रतिनिधि को निगम में निश्चित रूप से रखा जाए।

13. गृह विभाग द्वारा निर्गत पत्रांक-1042 दिनांक 18.7.83 के आलोक में प्रत्येक जिला, अनुमंडल एवं प्रखंड स्तर पर एक स्थायी समिति का गठन साम्प्रदायिक सद्भावना बनाए रखने हेतु किया जाए तथा इसकी बैठक का रोस्टर संधारित किया जाए।

14. चुनाव आयोग के निर्देशों के आलोक में उर्दू भाषी बाहुल क्षेत्रों में उर्दू भाषा में मतपत्र एवं मतदाता सूची प्रकाशन कराया जाए।

15. सरकारी निदेश के आलोक में 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं में अल्पसंख्यकों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में लाभ पहुँचाया जाए तथा उनकी निगरानी हेतु गठित सभी समितियों के अल्पसंख्यक समुदाय के एक प्रतिनिधि को निश्चित रूप से सदस्य के रूप में रखा जाए।

16. विभिन्न विकास एवं कल्याणकारी योजनाओं के मासिक प्रतिवेदन में अनुसूचित जाति/जनजाति की भांति अल्पसंख्यकों के लिए भी एक अलग कॉलम रखा जाए, जिसमें उन्हें पहुँचाए जा रहे भौतिक एवं वित्तीय लाभों का विवरण अंकित किया जाए।

17. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के पत्र संख्या-6725 दिनांक-22.5.89 के आलोक में नियुक्ति/प्रोन्नति हेतु गठित सभी समितियों सरकारी विभाग एवं उपक्रमों में अल्पसंख्यक समुदाय के एक प्रतिनिधि को सदस्य के रूप में निश्चित रूप से रखा जाए। इसके अनुश्रवण के लिए एक विशेष कोषांग का गठन किया जाए।

18. अल्पसंख्यक भाषियों में शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार के लिए यह आवश्यक है कि जन शिक्षा के तहत अल्पसंख्यक भाषाओं को भी शामिल किया जाए तथा उसके लिए विशेष योजनाएँ बनाई जाएँ। साथ-साथ उनके अनुश्रवण के लिए गठित सभी स्तरों की समितियों में अल्पसंख्यक समुदाय के प्रतिनिधि को सदस्य के रूप में रखा जाए।

19. अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में समस्याग्रस्त ग्रामों में सरकारी प्रावधान के अनुरूप पेय जल की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए।

20. अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा कब्रिस्तानों की घेराबंदी के लिए राशि का आवंटन बढ़ाया जाए। गृह विशेष विभाग के पत्रांक-107 दिनांक 20.3.87 के आलोक में निर्विवाद कब्रिस्तानों की घेराबंदी वन विभाग से वृक्षारोपण द्वारा कराई जाए। इससे पर्यावरण को भी लाभ पहुँचेगा।

21. अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में सरकारी प्रावधान के अनुरूप अल्पसंख्यक ग्रामों में प्राथमिकता के आधार पर विद्युतीकरण कराया जाए।

22. पाठ्य पुस्तकों में अल्पसंख्यक समुदाय के स्वतंत्रता सेनानियों की जीवनी सम्मिलित की जाए तथा अल्पसंख्यक समुदाय के स्वतंत्रता सेनानी के जन्म दिवस एवं पुण्य तिथि के अवसर पर राजकीय समारोह आयोजित की जाए।

23. पटना के दारोगा राय पथ पर पूर्व से आबंटित भूमि पर "अब्दुल बारी भवन" का निर्माण कराकर वहां अल्पसंख्यक समुदाय के स्वतंत्रता सेनानियों की तस्वीरें लगाई जाए तथा उनका संग्रहालय स्थापित किया जाए।

24. पटना के डाक बंगला चौराहा पर एक स्तम्भ का निर्माण कराकर उस पर अल्पसंख्यक समुदाय के स्वतंत्रता सेनानियों का नाम अंकित कराया जाए।

25. सरकार के सभी विभागों एवं उपक्रमों में पूर्व के सरकारी निर्णयानुसार यह आदेश निर्गत किया जाए कि दैनिक कार्यों में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के साथ सहानुभूति पूर्वक वर्ताव किया जाए और उन्हें सहूलतें मुहैया कराई जाए। ऐसे मिलने वालों के लिए एक पंजी संधारित की जाए।

26. ऊर्जा विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं के तहत लाभ पहुँचाने में अल्पसंख्यकों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में लाभ पहुँचाया जाए।

27. राजभाषा उर्दू निदेशालय को सुदृढ़ कर वित्तीय शक्ति प्रदान की जाए। उर्दू में राज्य एवं जिला गजट का प्रकाशन आरंभ कराया जाए। साथ-साथ सरकार के सभी नियमों एवं प्रपत्रों का उर्दू में रूपांतरण कराया जाए।

28. बिहार शिक्षा परियोजना/बिहार प्राथमिक शिक्षा परियोजना की योजनाओं में अल्पसंख्यक भाषाओं को प्राथमिकता दी जाए तथा उसके अनुश्रवण हेतु गठित समितियों में अल्पसंख्यक समुदाय के प्रतिनिधि को सदस्य के रूप में रखा जाए।

29. अल्पसंख्यक आयोग की अनुशंसा पर बिहार डायरी में हिजरी कैलेंडर शामिल कर लिया गया है। आयोग की अनुशंसा है कि सरकार द्वारा प्रकाशित अन्य डायरियों एवं कैलेंडरों में भी हिजरी एवं अन्य अल्पसंख्यक पंचागों को शामिल किया जाए।

30. सूचना एवं जन संपर्क विभाग के उर्दू शाखा को सुदृढ़ एवं सक्रिय बनाया जाए उसमें खाली पड़े सभी पदों को अविलम्ब भरा जाए।

31. साम्प्रदायिक दंगों/आतंकवादी हमलों में मारे गए लोगों के परिवारों को सरकारी नौकरी एवं कम से कम दो लाख रुपये के मुआवजे का भुगतान कराया जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि मृतक के आश्रितों को तीन माह के भीतर मुआवजे का भुगतान निश्चित रूप से कर दिया जाए। पूर्व से लंबित सभी मामलों का निष्पादन अभियान चला कर समय सीमा के अंदर कराया जाए।

32. अल्पसंख्यक कल्याण विभाग/राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम/15 सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति को सुदृढ़ किया जाए। प्रत्येक जिला में एक अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी की नियुक्ति की जाए।

33. हार्डिंग रोड पर निर्माणाधीन हज भवन का निर्माण कार्य यथाशीघ्र पूरा कराया जाए। हज यात्रियो के लिए पटना से जद्दा में लिए सीधे उड़ान हेतु केन्द्र सरकार को राजी किया जाए। हज भवन से हाजियो को सभी सुविधाए उपलब्ध करायी जाए।

34. उर्दू अकादमी तथा बंगला अकादमी को सुदृढ़ बनाया जाए। उर्दू अकादमी का आबंटन एक करोड़ रु. का दिया जाए।

35. पंजाबी अकादमी की स्थापना की जाए ।

36. सुन्नी एवं शिया वक्फ बोर्डों की आर्थिक दशा में सुधार लाकर उसे सुदृढ़ बनाया जाए।

37. अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के निमित्त आवेदन करने की निर्धारित दो वर्षों की सीमा समाप्त की जाए या इसे आरक्षी सेवा के व्यक्तियों को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति की तरह अर्थात् बाल आरक्षी की तरह बाल कर्मी के रूप में नियुक्ति की व्यवस्था की जाए ।

38. संयुक्त राष्ट्र संघ ने 18 दिसम्बर 92 को एक घोषणा पत्र द्वारा दुनिया भर के धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकारों एवं हितों को विश्व स्तरीय मान्यता प्रदान की है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने उस दिन को "अल्पसंख्यक अधिकार दिवस" के रूप में मनाने का आह्वान किया है । आयोग की अनुशंसा है कि राज्य सरकार भी उस दिन को "अल्पसंख्यक अधिकार दिवस" घोषित कर उसी रूप में मनाने का आदेश निर्गत करे।

39. बंगाली शरणार्थियों के नागरिकता का समाधान केन्द्र सरकार के माध्यम से किया जाए।

40. चर्च की भूमि की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए तथा शहरी कब्रिस्तानों एवं असुरक्षित चर्चों की घेराबंदी सुनिश्चित की जाए।

41. ईसाई धर्मावलंबी पिछड़े वर्गों को जाति प्रमाण-पत्र निर्गत करने में कठिनाई नहीं हो, यह सुनिश्चित किया जाए।

42. पटना साहेब स्थित तख्त श्री हरिमंदिर जी की देखरेख एवं व्यवस्था संचालन के लिए अन्य ऐतिहासिक गुरुद्वारों की तरह कानून बनाया जाए तथा उसके परिसर के विकास हेतु सरकार द्वारा दिए गए आश्वासन के अनुरूप कार्रवाई की जाए। प्राथमिक विद्यालय में पंजाबी भाषा की पुस्तकें उपलब्ध कराई जाए।

43 गया स्थित बौद्ध मंदिर के प्रबंधन का सौहार्दपूर्ण समाधान हो।

44. नवनालंदा महाविहार की प्रशासनिक एवं वित्तीय दशा सुधारने हेतु प्रभावी कदम उठाए जाए ।

45. पुराने जैन मंदिरों के आसपास के क्षेत्रों को विकसित किया जाए। वैशाली क्षेत्र का विकास कर उसे जैन सर्किट का मुख्य बिन्दु बनाया जाए।

46. जैन समाज के लोगों को आर्थिक शोषण से बचाने के लिए दृढ़ कार्रवाई की जाए।

47. सामाजिक सुरक्षा पेंशन एवं मातृत्व लाभ योजना/बालिका समृद्धि योजना के तहत अल्पसंख्यकों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में लाभ पहुँचाया जाए ।

48. राज्य के कई जिलों में अल्पसंख्यक समुदाय की सलम या गंदी बस्ती उभर आई है, जहां स्वास्थ्य सेवा की कमी, सड़क बिजली, पानी तथा नाली आदि के अभाव में इस समुदायों के बीच कई प्रकार की घातक बीमारियाँ जन्म ले रही है, उन बस्तियों में सुधार लाकर उसमें बसने वाले लोगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास हो।

49. अल्पसंख्यक भाषाई समाचार पत्रों के प्रति उदार विज्ञापन नीति अपनाई जाए तथा उर्दू समाचार पत्रों को निःशुल्क टेलीप्रिंटर सेवा उपलब्ध कराई जाय ।

50. अल्पसंख्यकों के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा चलाई जा रही कोचिंग व्यवस्था को और अधिक व्यवस्थित तथा सक्रिय किया जाए।

51. सभी भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए प्राथमिक स्तर पर अपनी मातृभाषा में पढ़ाई सुनिश्चित की जाए ।

52. अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ एवं अन्य कार्यक्रमों को कार्यरूप देने के लिए मुख्यमंत्री सचिवालय में गठित "अल्पसंख्यक सेल" को और अधिक सक्रिय किया जाए ।

53. अध्यक्ष, अल्पसंख्यक आयोग की अनुशंसा पर सभी अनाथालय को लाल कार्ड देने का आदेश निर्गत हुआ है। आयोग की अनुशंसा है कि सभी आवासीय मदरसे, जो कि अघोषित अनाथालय है तथा लोगों के दान-चंदे से चलते हैं, उन्हें भी लालकार्ड निर्गत किया जाय। अन्त्योदय एवं अन्नपूर्णा योजना में अल्पसंख्यकों को समुचित लाभ पहुँचाया जाए।

54. अक्तूबर 1991 में राज्य सरकार को दिए गए प्रस्ताव के अनुरूप आयोग बुलेटिन के नियमित प्रकाशन के लिए राशि उपलब्ध कराई जाए ।

55. अनुसूचित जातियों की तरह मुस्लिम एवं ईसाई धर्मावलम्बियों के एक ही पेशे की जातियों को वे ही लाभ एवं सुविधाए उपलब्ध कराई जाए जो कि अनुसूचित जाति के तहत आने वाली जातियों को उपलब्ध कराई जाती है।

56. भारत के अल्पसंख्यक भाषाई आयुक्त की भांति बिहार में भी अल्पसंख्यक भाषाई आयुक्त के पद का सृजन किया जाए तथा अल्पसंख्यक भाषाओं से संबंधित समस्याओं के निराकरण हेतु उनके द्वारा दिए गए सुझाव एवं प्रतिवेदन को कानूनी मान्यता दी जाए ।

57. अल्पसंख्यक विद्यालयों से संबंधित समस्याओं को निपटारे तथा उनके शिक्षा संबंधी समस्याओं के समाधान हेतु बहुत जरूरी है कि एक पृथक अल्पसंख्यक शिक्षा निदेशालय, निदेशक को विभागाध्यक्ष का दर्जा देते हुए खोला जाए। निदेशालय के गठन की प्रक्रिया पूरी होने तक एक निदेशक की पदस्थापना की जाए ताकि समस्याओं का तात्कालिक समाधान हो सके (एक निदेशक, अल्पसंख्यक शिक्षा की पदस्थापना की गई है)।

★★★

परिशिष्टियों की सूची

बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग

परिशिष्टियों की सूची

परिशिष्ट संख्या	विषय	पृष्ट
1.	राज्यों के शिक्षा मंत्रियों द्वारा वर्ष 1949 में पारित प्रस्ताव ।	107
2.	भारत सरकार का 1956 का ज्ञाप ।	108
3.	भारत सरकार के गृह मंत्रालय की प्रेस विज्ञप्ति 1958 ।	113
4.	1959 ई० में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद् के मंत्रीस्तरीय समिति की बैठक में भाषाई अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा हेतु लिए गए निर्णय ।	116
5.	1961 ई० में राज्यों के मुख्यमंत्री एवं केन्द्रीय मंत्रियों की बैठक में निर्गत वक्तव्य ।	127
6.	1961 ई० में क्षेत्रीय परिषद् में उपाध्यक्षों की प्रथम बैठक की कार्रवाई ।	133
7.	बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्षों की सूची ।	138
8.	ग्रामीण विकास विभाग द्वारा इंदिरा आवास में अल्पसंख्यकों के लिए 10 प्रतिशत कोटा निर्धारित करने के संबंध में ।	139
9.	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा कब्रिस्तान इमामबाड़ा, श्मशान घाट, सड़क एवं गोचर भूमि के संरक्षण के संबंध में ।	142
10.	गृहविभाग द्वारा राज्य के प्रत्येक जिला में अल्पसंख्यकों की भाषाई समस्याओं के निराकरण हेतु सुझाव देने के लिए स्थायी समिति के गठन के संबंध में ।	144
11.	शिक्षा मंत्री, श्री जय प्रकाश नारायण को अल्पसंख्यकों की शिक्षा संबंधी समस्याओं के निराकरण के संबंध में दिए गए सुझाव –	
	क. उर्दू शिक्षकों का पद संवर्गीय घोषित करने हेतु सुझाव एवं की गई कार्रवाई के संबंध में ।	146
	ख. सी.बी.एस.ई. पाठयक्रम के लागू होने पर उर्दू को सम्मानजनक दर्जा के संबंध में ।	159
12.	निदेशक, श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा नियोजनालय में अल्पसंख्यक समुदाय के आवेदकों के निबंधन संबंधी निर्गत पत्र ।	163
13.	निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण द्वारा अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ प्रधानमंत्री के निदेशों का कार्यान्वयन, निबंधन आदि में भेदभाव नहीं करने के संबंध में ।	165
14.	निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण द्वारा अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ प्रधानमंत्री के निदेशों का कार्यान्वयन विशेष अभियान चलाकर निबंधन करने के संबंध में ।	167

परिशिष्ट संख्या	विषय	पृष्ट
15.	निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण द्वारा अल्पसंख्यकों के कल्याणर्थ प्रधानमंत्री के निदेशों का कार्यान्वयन, नियोजनालयों में अलग शाखा खोलने के संबंध में ।	170
16.	उद्योग विभाग द्वारा विभिन्न योजना विशेष तौर से लघु उद्योग निबंधन एवं प्रधानमंत्री रोजगार योजना में अल्पसंख्यकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के संबंध में ।	172
17.	खाद्य आपूर्ति एवं वाणिज्य विभाग द्वारा राज्य के तमाम अनाथालय एवं रिमान्ड होम में रहने वाले व्यक्तियों को लाल कार्ड निर्गत करने के संबंध में ।	173
18.	(क) खाद्य आपूर्ति एवं वाणिज्य विभाग द्वारा राज्य के तमाम अनाथालय एवं रिमान्ड होम में रहने वाले व्यक्तियों को लाल कार्ड निर्गत करने के संबंध में ।	174
	(ख) राज्यमंत्री, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग द्वारा अध्यक्ष, अल्पसंख्यक आयोग की अनुशंसा के आलोक में यतीमखानों को लाल कार्ड निर्गत करने हेतु सचिव, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग को लिखा गया पत्र।	175
	(ग) अध्यक्ष, अल्पसखंख्यक आयोग द्वारा सचिव, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग को यतीम खानों में लाल कार्ड निर्गत करने की अनुशंसा पत्र ।	176
19.	स्वास्थ्य चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, द्वारा राजकीय तिब्बीय कालेज, पटना में सीटों की संख्या बढ़ाने हेतु लिखा गया पत्र	178
20.	अध्यक्ष, अल्पसंख्यक आयोग द्वारा आयुक्त-सह-सचिव स्वास्थ्य विभाग को तिब्बिया कॉलेज पटना में सीटों की संख्या बढ़ाने हेतु लिखा गया पत्र ।	179
21.	स्वास्थ्य विभाग द्वारा तिब्बिया कॉलेज पटना में सीटों की संख्या बढ़ाने तथा ओरियटंल योग्यता धारकों हेतु सीट सुरक्षित रखने संबंधी आदेश ।	180
22.	स्वास्थ्य विभाग द्वारा तिब्बिया कॉलेज में सीटों की संख्या बढ़ाने तथा ओरियटंल योग्यता धारकों की सीट सुरक्षित करने संबंधी अध्यक्ष, अल्पसंख्यक आयोग को लिखा गया पत्र ।	182
23.	स्वास्थ्य विभाग द्वारा अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में स्वास्थ्य केन्द्र खोलने संबंधी सिविल सर्जनों को लिखा गया पत्र ।	183
24.	दिनांक 24.7.92 को अल्पसंख्यक आयोग के साथ बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक प्रकाशन निगम की पाठ्य पुस्तकों के अनुवाद, प्रकाशन एवं वितरण संबंधी हुई बैठक की कार्यवाही	184
25.	(क) अध्यक्ष, अल्पससंख्यक आयोग द्वारा गृह सचिव को अल्पसंख्यक समुदाय के साथ हुई घटनाओं के अभियुक्तों के विरूद्ध कारवाई हेतु लिखा गया पत्र ।	188
	(ख) गृह सचिव द्वारा अध्यक्ष, अल्पसंख्यक आयोग के अल्पसंख्यक समुदाय के साथ हुई घटनाओं में अभियुक्तों के विरूद्ध कार्रवाई संबंधी पत्र के आलोक में आरक्षी महानिदेशक को कारवाई हेतु लिखा गया अर्द्धसरकारी पत्र ।	190
26.	(क) गृह विभाग द्वारा साम्प्रदायिक तनाव में निराकरण हेतु समिति गठन करने हेतु निर्गत आदेश।	191
	(ख) क्रमांक 26 (क) का स्मार	193

परिशिष्ट संख्या	विषय	पृष्ट
27.	उर्दू में मतपत्र एवं मतदाता सूची प्रकाशन हेतु अध्यक्ष, अल्पसंख्यक आयोग द्वारा निर्वाचन आयोग को लिखा गया पत्र ।	194
28.	अध्यक्ष, अल्पसंख्यक आयोग द्वारा निर्वाचन आयोग की उर्दू में मतदाता सूची एवं मतपत्र प्रकाशन के संबंध में लिखा गया पत्र ।	196
29.	अध्यक्ष अल्पसंख्यक आयोग द्वारा सचिव, भारत निर्वाचन आयोग के उर्दू में मतदाता सूची एवं मतपत्र प्रकाशन के संबंध में लिखा गया पत्र ।	199
30.	मुख्य निर्वाचन आयुक्त, डा० एम०एस० गिल को अपने पटना प्रवास के दौरान अध्यक्ष अल्पसंख्यक आयोग द्वारा उर्दू में मतपत्र तथा मतदाता सूची प्रकाशन दिए गए ज्ञापन की प्रति ।	200
31.	निर्वाचन आयोग द्वारा अध्यक्ष अल्पसंख्यक आयोग को उर्दू में मतपत्र तथा मतदाता सूची प्रकाशन संबंधी दिया गया उत्तर ।	201
32.	20 सूत्री कार्यक्रम विभाग द्वारा 1988 में अल्पसंख्यकों, 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत विभिन्न विकास कार्यक्रमों में लाभ पहुंचाने संबंधी पत्र ।	202
	(क) सचिव सांस्थिक वित्त को लिखा गया पत्र ।	203
33.	अध्यक्ष, लोक उधम ब्यूरो द्वारा सभी राजकीय उपक्रमों की चयन समितियों में अल्पसंख्यक वर्ग के प्रतिनिधि को रखे जाने संबंधी दिए आदेश की प्रति ।	204
34.	निदेशक, जन शिक्षा द्वारा अध्यक्ष, अल्पसंख्यक आयोग की अनुशंसा के आलोक में सभी जिला पदाधिकारियों को संपूर्ण साक्षरता अभियान में बिहार प्रदेश मुसलिम कान्फ्रेन्स द्वारा चलाए जा रहे साक्षरता कार्यक्रम को संपूर्ण साक्षरता कार्यक्रम में सम्मिलित करने का आदेश ।	205
35.	गृह विभाग द्वारा कब्रिस्तानों की घेराबंदी सामाजिक वानिकी योजना के अंतर्गत कराने के संबंध में निर्गत पत्र ।	206
	(क) वृक्षारोपण द्वारा कब्रिस्तान घेराबंदी के लिए मंत्री, वन एवं पर्यावरण विभाग को लिखा पत्र	208
36.	बिहार राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा अध्यक्ष अल्पसंख्यक आयोग की अनुशंसा के आलोक में अल्पसंख्यक ग्रामों में विद्युतीकरण हेतु अधीक्षण अभियंताओं को लिखा गया पत्र ।	209
37.	अल्पसंख्यक समुदाय के स्वतंत्रता सेनानियों की सूची ।	210
38.	कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा नियुक्ति/ प्रोन्नति हेतु गठित समितियों में अल्पसंख्यक समुदाय के पदाधिकारी को सदस्य के रूप में रखने हेतु निर्गत आदेश ।	212
39.	कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा इद्रीसी या दर्जी (मुस्लिम) को अनुसूची-। में जोड़ने संबंधी आदेश ।	213
40.	बिहार शिक्षा परियोजना द्वारा अध्यक्ष, अल्पसंख्यक आयोग की अनुशंसा पर परियोजना द्वारा प्रकाशित पुस्तक में अल्पसंख्यक समुदाय में स्वतंत्रता सेनानियों की विवरणी शामिल करने हेतु ।	215

परिशिष्ट संख्या	विषय	पृष्ट
41.	निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री द्वारा अध्यक्ष, बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग की अनुशंसा के आलोक में नियुक्ति/प्रोन्नति हेतु गठित समिति में अल्पसंख्यक प्रतिनिधि रखने हेतु अपर वित्त आयुक्त को लिखा गया पत्र ।	216
42.	अध्यक्ष, अल्पसंख्यक आयोग की अनुशंसा पर बिहार डायरी में हिजरी कैलेन्डर सम्मिलित किए जाने संबंधी फैसले की सूचना का सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग द्वारा दिया गया पत्र ।	217
43.	अध्यक्ष, अल्पसंख्यक आयोग द्वारा मुख्यमंत्री को महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में अल्पसंख्यकों में लिए समाजिक, शैक्षणिक एवं आर्थिक पैकेज को सम्मिलित करने हेतु अनुशंसाएँ ।	218
44.	(क) महामहिम राज्यपाल द्वारा 1998 में विधान मंडल के संयुक्त अधिवेशन में दिए गए अभिभाषण में अल्पसंख्यकों से संबंधित सम्मिलित किए गए अंश ।	223
44.	(ख) वित्तमंत्री के बजट भाषण 1998-99 में अल्पसंख्यकों से संबंधित सम्मिलित अंश ।	229
45.	अल्पसंख्यकों (मुस्लिम) की सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक स्थिति का सर्वेक्षण ।	232
46.	अध्यक्ष, अल्पसंख्यक द्वारा श्री पी०पी० शर्मा, सचिव कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग को जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी की पदस्थापना हेतु लिखा गया पत्र ।	234
46.	(क) अल्पसंख्यक कल्याण कोषांण खोलने हेतु माननीय मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव को लिखा गया पत्र एवं मुख्य सचिव द्वारा उस संबंध में निर्गत पत्र ।	235
47.	अध्यक्ष, अल्पसंख्यक आयोग द्वारा मुख्य सचिव को जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी की पदस्थापना एवं प्रतिवेदनों में अल्पसंख्यकों के लिए एक अलग कॉलम रखने हेतु लिखा गया पत्र।	239
48.	अल्पसंख्यक आयोग द्वारा जिला स्तरीय बैठकों में समीक्षा हेतु प्रपत्र ।	240
49.	अध्यक्ष, अल्पसंख्यक आयोग द्वारा दिनांक 27.4.98 को भोजपुर जिला के विभिन्न विकास कार्यक्रमों में अल्पसंख्यकों को पहुँचाये गये लाभों की समीक्षा की टिप्पणी।	249
50.	मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, सारण का अध्यक्ष, अल्पसंख्यक आयोग के निर्देश में आलोक में निर्गत पत्र।	253
51.	जिला पदाधिकारी, सारण द्वारा अध्यक्ष, अल्पसंख्यक आयोग के निर्दश के आलोक में निर्गत पत्र।	254
52.	जिला पदाधिकारी, गोपालगंज द्वारा अध्यक्ष, अल्पसंख्यक आयोग के निदेश पर निर्गत पत्र।	256
53.	जिला पदाधिकारी, बक्सर द्वारा अध्यक्ष, अल्पसंख्यक आयोग की अनुशंसा पर प्रभारी जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी बनाए जाने एवं प्रतिवेदनों में अल्पसंख्यकों के लिए एक अलग कॉलम रखने हेतु निर्गत आदेश ।	257
54.	जिला पदाधिकारी, भोजपुर द्वारा अध्यक्ष, अल्पसंख्यक आयोग की अनुशंसा पर प्रभारी जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी बनाए जाने एवं प्रतिवेदनों में अल्पसंख्यकों के लिए एक अलग कॉलम रखने हेतु निर्गत आदेश ।	258
55.	अध्यक्ष के निदेशानुसार वैशाली जिले की विद्यालयवार उर्दू शिक्षकों की स्वीकृत इकाई ।	259
55.	(क) अध्यक्ष बिहार राज्य अल्पसख्यक आयोग द्वारा की गई भोजपुर जिला समीक्षा की समीक्षात्मक टिप्पणी	266

परिशिष्ट संख्या	विषय	पृष्ठ
56.	आरक्षी अधीक्षक खगड़िया द्वारा 7 वर्षीय अंजुम बानो के साथ हुए बलात्कार के संबंध में भेजा गया प्रतिवेदन ।	270
57.	अध्यक्ष, अल्पसंख्यक आयोग द्वारा आयुक्त उत्तरी छोटानागपुर/आरक्षी उप महानिरीक्षक हजारीबाग को चतरा जिला में हुए सामूहिक बलात्कार कांड के संबंध में भेजा गया फैक्स संवाद ।	272
58.	अध्यक्ष, अल्पसंख्यक आयोग द्वारा जिला पदाधिकारी शेखपुरा को चरूआवां दरगाह के तालाब की बंदोबस्ती रद्द करने हेतु निदेश ।	273
59.	जिला पदाधिकारी, शेखपुरा द्वारा अध्यक्ष, अल्पसंख्यक आयोग की अनुशंसा पर चरूआवाँ तालाब की बंदोबस्ती रद्द करने संबंधी आदेश की प्रति ।	275
59. (क)	ग्राम-मसाई, थाना-चैनपुर के अध्यक्ष के अनुशंसा के बाद उक्त ग्राम के कब्रिस्तान की भूमि में अतिक्रमण हटाये जाने संबंधी अनुमंडलाधिकारी भभुआ के आदेश की प्रति ।	276
59. (ख)	ग्राम कोशियर भोजपुर कब्रिस्तान घेराबंदी का कार्य पूर्ण कराने का जिला पदाधिकारी, भोजपुर का पत्र ।	281
60.	अध्यक्ष, अल्पसंख्यक आयोग द्वारा मंत्री राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को अंचल अधिकारी, पथर गावाँ जिला-गोड्डा द्वारा मस्जिद तोड़-फोड़ करने एवं उनके विरूद्ध कारवाई हेतु लिख गए पत्र की प्रति ।	282
61.	मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा आयुक्त संथाल परगना प्रमंडल को अध्यक्ष, अल्पसंख्यक आयोग द्वारा अंचल अधिकारी पथरगावाँ, जिला गोडडा में विरूद्ध शिकायत की जांच हेतु आदेश की प्रति ।	284
62.	उपायुक्त गिरिडीह द्वारा आयुक्त उत्तरी छोटानागपुर को अध्यक्ष, अल्पसंख्यक आयोग की अनुशंसा के आलोक में गिरिडीह जिला में निमियाघाट में स्थायी पुलिस चौकी के सृजन की अनुशंसा ।	285
62. (क)	जहूरन बीबी के आवेदन पर अध्यक्ष द्वारा की गई कार्रवाई एवं उसके उपरांत उपायुक्त गिरीडिह द्वारा की गई कार्रवाई का विवरण ।	286
(ख)	युनूस मियां के आवेदन पर अध्यक्ष द्वारा की गई कार्रवाई एवं उसके उपरांत जिलापदाधिकारी, समस्तीपुर द्वारा की गई कार्रवाई का विवरण ।	289
63.	आरक्षी अधीक्षक, रांची द्वारा अध्यक्ष, अल्पसंख्यक आयोग की अनुशंसा के आलोक में लापता स०अ०नि०. इसराफील खां के पुत्र की नियुक्ति अनुकंपा के आधार पर करने संबंधी आदेश ।	294
64.	जिला पदाधिकारी, भोजपुर द्वारा जिला के विभिन्न ग्राम में अध्यक्ष, अल्पसंख्यक आयोग की अनुशंसा पर इन्दिरा आवास निर्माण संबंधी आदेश	295
65.	संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 1992 ई० में अल्पसंख्यकों के लिए घोषित अधिकार दिवस के आह्वान की प्रति।	296
66.	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के उच्चाधिकार प्राप्त कामिटि का प्रश्नावली ।	298
67.	केन्द्र सरकार द्वारा पुलिसि सुधार पर श्री जे० एफ० रिवेरो की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा की समिति द्वारा दी गई प्रश्नावली।	302
67. (क)	आद्री, जनशिक्षा निदेशालय एवं अल्पसंख्यक आयोग के द्वारा किया गया समिनार के संबंध में।	305

परिशिष्ट - 7

बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग

अध्यक्षों की सूची ।

क्रमांक	अवधि	नाम
1-	26.4.71 से 18.8.72	1। श्री कपूरी ठाकुर, मुख्य मंत्री पदेन
		2। श्री भोला पासवान शास्त्री, मुख्य मंत्री पदेन
		3। श्री केदार पाण्डे, मुख्य मंत्री, पदेन
2-	19.8.72 से 26.11.75	1। श्री केदार पाण्डे, मुख्य मंत्री पदेन
		2। श्री अब्दुल गफूर " "
		3। श्री जगन्नाथ मिश्र " "
3-	27.11.75 से 26.11.76	1। डा0 जगन्नाथ मिश्र " "
4-	27.11.76 से 31.10.77	1। श्री जब्बार हुसैन
5-	1.11.77 से 31.5.81	1। श्री कपूरी ठाकुर
		2। श्री राम सुंदर दास " "
		3। डा जगन्नाथ मिश्र " "
6-	1.6.81 से 16.7.89	1। डा0 जगन्नाथ मिश्र " "
		2। श्री चन्द्रशेखर सिंह " "
		3। श्री बिन्देश्वरी दूबे " "
		4। श्री भागवत झा आजाद "
		5। श्री सत्येन्द्र ना0 सिंह "
7-	17.7.89 से 15.10.90	1। श्री सत्येन्द्र ना0 सिंह "
		2। डा0 जगन्नाथ मिश्र "
		3। श्री लालू प्रसाद "
8-	16.10.90 से 23.2.94	1। श्री लालू प्रसाद "
9-	24.2.94 से 10.4.95	1। श्री जाबिर हुसैन
10-	12.10.95 से (वर्तमान)	1। प्रो. सोहैल अहमद

परिशिष्ट - 8

बिहार सरकार,

ग्रामीण विकास विभाग ।

---o---

पत्रांक ग्रा० वि० ८(ख) ११५/९६---1366---- ग्रा० वि०,

पटना, दिनांक 17 फरवरी, १९९७ ।

प्रेषक,

श्री एन० के० अग्रवाल,

आयुक्त एवं सचिव,

ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना ।

सेवा में,

उप विकास आयुक्त-सह-प्रबन्ध निदेशक,

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण -

दुमका/साहेबगंज/गोड्डा/पाकुड़/रांची/लोहरदगा/गुमला/पू० सिंहभूम/

प० सिंहभूम/पलामू/गढ़वा ।

विषय - बुनियादी न्यूनतम सेवाओं के संवर्धन हेतु भारत सरकार से प्राप्त कुल २२५ करोड़ ६७ लाख रु० मात्र की राशि के अन्तर्गत जनजाति क्षेत्रीय उप योजनान्तर्गत जिलों को इंदिरा आवास निर्माणार्थ कुल ४५१९.३८ लाख रु० का आवंटन ।

प्रसंग: - विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या १३५३, दिनांक १५-२-१९९७ ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संदर्भित स्वीकृत्यादेश द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष १९९६-९७ में बुनियादी न्यूनतम सेवाओं के संवर्धन हेतु केन्द्र सरकार से प्राप्त सम्पूर्ण राशि को राज्य सरकार द्वारा इंदिरा आवास निर्माणार्थ स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया है । तदनुसार, यथा अनुलग्न तालिका द्वारा इंगित जिलों को तालिका के स्तम्भ ३ और ४ में अंकित इकाईयों के अन्तर्गत कुल ४५१९.३८ लाख रु० का इंदिरा आवास निर्माणार्थ आवंटन किया जाता है ।

२ : इस राशि को अनुसूचित जाति एवं जनजाति/अल्पसंख्यक/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग/अन्य जातियों के गरीबी रेखा के नीचे जीवन बसर करने वाले सुयोग्य परिवारों के लिये इंदिरा आवास निर्माणार्थ, क्रमशः, ६०:१०:१७:१०:३ प्रतिशत के अनुपात में कार्यान्वित कर व्यय किया जायेगा । साथ ही, उपर्युक्त श्रेणीगत अनुपातों की सीमा में अपनी-अपनी श्रेणियों के उन सुयोग्य परिवारों को इंदिरा आवास निर्माण में प्राथमिकता दी जायेगी जिनके घर वर्ष १९९६ की बाद में पूर्णतः क्षतिग्रस्त/ध्वस्त हुये हों ।

३ : इन आवासों के निर्माण में उपर्युक्त कंडिका २ में वर्णित विशिष्ट मार्गदर्शन को छोड़ केन्द्र प्रायोजित इंदिरा आवास योजना निमित्त अन्य सभी लागू मार्गदर्शन,

जिसे 15.2.97

निदेश, शर्त एवं बंधेज यथावत लागू रहेंगे। यह स्पष्ट किया जाता है कि इंदिरा आवास पर २०,००० रु० से अधिक राशि का व्यय नहीं किया जाये और तदनुकूल इस आवंटित राशि के विरुद्ध कुल भौतिक लक्ष्य की परिगणना कर ली जाय।

४ : यह आवंटित राशि शीर्ष "२५०५-ग्रामीण रोजगार योजना-(ग) ग्रामीण निर्माण कार्यक्रम (जनरो० यो०)-७९६-जनजाति क्षेत्रीय उप योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन कार्यक्रम" में वित्त वर्ष १९९६-९७ में किये गये बजटीय उपबंध से विकसित होगी। सभी जिलों के उप विकास आयुक्त-सह-प्रबंध निदेशक, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी घोषित किये जा चुके हैं।

५: इस राशि की निकासी के लिये वित्त विभाग द्वारा अलग से शिथिलीकरण आदेश निर्गत किया जा रहा है।

६: ध्यातव्य है कि यह राशि बुनियादी न्यूनतम सेवाओं के संवर्धन निमित्त आवंटित की गयी है और अतएव, बुनियादी न्यूनतम सेवाएं शीर्षक के अधीन राशि का लेखा संधारण पृथक खाता और रोकड़ वही द्वारा किया जाय। प्रखंड स्तर पर इस निमित्त आवश्यकतानुसार पृथक खाता और सहायक रोकड़ वही संधारित की जाय। किंतु, मासिक प्रगति प्रतिवेदन एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र इंदिरा आवास योजना के लिये परिचारित प्रपत्र में ही अलग से समर्पित किया जायेगा जिसमें उपर्युक्त कंडिका २ में श्रेणीकृत लाभान्वितों के लिये श्रेणीवार अतिरिक्त स्तम्भ जोड़ लिये जायें।

७: सम्प्रति भारत सरकार द्वारा देय राशि की ७५ प्रतिशत राशि ही उपलब्ध कराई गई है। शेष २५ प्रतिशत राशि की विमुक्ति भारत सरकार द्वारा तभी की जायेगी जब इस आवंटित राशि का ५० प्रतिशत व्यय प्रतिवेदन १० मार्च, १९९७ तक विभाग को अवश्यमेव उपलब्ध करा दिया जाय। इस निमित्त लाभान्वित को १०,०००/- रु० की राशि तक प्रथम अग्रिम दिया जा सकेगा।

८: अनुरोध है कि यथा अनुलग्न तालिका से जिला को आवंटित राशि का निकासी कर कोषागार पदाधिकारी एवं तिथि सहित मासिक व्यय प्रतिवेदन अगले माह की १० वीं तारीख तक विभाग को नियमित रूप से समर्पित किया जाय।

विश्वासभाजन,

(एन० के० अग्रवाल)
आयुक्त एवं सचिव,
ग्रामीण विकास विभाग, [illegible], पटना

अनुलग्नक : यथोक्त।

ज्ञापांक 1366 पटना, दिनांक 17 फरवरी, १९९७।

प्रतिलिपि महालेखाकार बिहार, पो० हिन्नू, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

15.2.97
(एन० के० अग्रवाल)
आयुक्त एवं सचिव,
ग्रामीण विकास विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक 1366 पटना, दिनांक 17 फरवरी, १९९७।

प्रतिलिपि क्षेत्रीय विकास आयुक्त, राँची/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी संबंधित जिला पदाधिकारी/सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

15.2.97
(एन० के० अग्रवाल)
आयुक्त एवं सचिव,
ग्रामीण विकास विभाग।

ज्ञापांक 1366 पटना, दिनांक 17 फरवरी, ९७।

प्रतिलिपि वित्त विभाग/योजना एवं विकास विभाग/विशेष सचिव/सभी अपर सचिव/सभी संयुक्त सचिव/उप विकास आयुक्त, मुख्यालय/निदेशक, छायान्न/उप निदेशक, सांख्यिकी/बजट पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी, ८, ६/कार्यवाह सहायक/संबंधित सांख्यिकी सहायक, ग्रामीण विकास विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

15.2.97
(एन० के० अग्रवाल)
आयुक्त एवं सचिव।

परिशिष्ट - 9

बिहार सरकार,

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ।

पत्र संख्या-८। ला०म०-नीति-३७।८७ २००४ रा०,

प्रेषक, श्री यमुना प्रसाद वर्मा,

सरकार के संयुक्त सचिव ।

सेवा में, सभी प्रमंडलीय आयुक्त ।

सभी समाहर्ता ।

सभी उपायुक्त ।

पटना, दिनांक-१९-६-८६.

विषय:- कब्रिस्तान, इमामबाड़ा, श्मशान घाट, सड़क एवं गोचर भूमि का संरक्षण ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय पर मुझे कहना है कि सरकार को यह सूचना मिल रही है कि कब्रिस्तान एवं इमामबाड़ा की जमीन स्थानीय पदाधिकारियों की सांठ-गांठ से अन्य व्यक्तियों द्वारा नाजायज ढंग से दखल की जा रही है ।

२- आप अवगत हैं कि बिहार लोक अतिक्रमण अधिनियम, १९५६ की धारा-२ के अधीन वे सारी जमीन जिसपर किसी समुदाय का सामूहिक अधिकार है, जैसे- कब्रिस्तान, इमामबाड़ा, श्मशान घाट, गोचर इत्यादि लोक भूमि के अन्तर्गत आती हैं । इस लिये जहाँ कहीं भी इन स्थानों का अतिक्रमण हो, उसे अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार तुरत नियमानुसार दूर करना सरकार का कर्तव्य है ।

३- सरकार की यह नीति रही है कि श्मशान घाट एवं कब्रिस्तान जैसे सार्वजनिक महत्व के स्थान को अतिक्रमण से पूर्णतः अक्षुण्ण रखा जाय । अतः सरकार ने उक्त नीति को मद्दे नजर रखते हुये पुनः यह निर्णय लिया कि कब्रिस्तान एवं श्मशान घाट जैसे सार्वजनिक महत्व की जमीन को पूर्णतः सुरक्षित रखा जाय । अगर कहीं भी ऐसी जमीन का अतिक्रमण हुआ हो तो वैसे अवलंबन को अविलम्ब हटवा दिया जाय एवं अतिक्रमणकर्ता के उपर उचित कानूनी कार्रवाई की जाय । इस संबंध में सरकारी परिपत्र संख्या-१०६५ दिनांक १६-४-७६ द्वारा पहले

पृ० पृ० उ० ।

पहले भी आवश्यक अनुदेश दिये गये हैं जिनकी प्रतिलिपि संलग्न की जा रही है।

४- कृपया अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों को भी सूचित कर दें।

५- पत्र की प्राप्ति कृपया स्वीकार की जाय।

विश्वास भाजन,

सरकार के संयुक्त सचिव।

परिशिष्ट - 10

पत्र संख्या- आर./आयोग-1075/77-204/अ. पेज नं0- 31

बिहार सरकार,

गृह विभाग । विशेष शाखा ।

प्रेषक,

श्री सरयू प्रसाद सिंह,
सरकार के उप सचिव ।

सेवा में,

श्री .....
जिला पदाधिकारी .....

पटना, दिनांक- 17 जून, 1978

विषय: राज्य के प्रत्येक जिला में अल्पसंख्यकों की भाषायी समस्याओं के निराकरण हेतु सुझाव देने के लिए स्थायी समिति । स्टैंडिंग कमिटि:। का गठन ।

महाशय,

निदेशानुसार मुझे सूचित करना है कि राज्य सरकार ने प्रत्येक जिला में अल्पसंख्यकों की भाषायी समस्याओं के निराकरण हेतु सुझाव देने के लिए एक स्थायी समिति गठित करने का निर्णय लिया है जिसमें आपके जिले के लिए निम्नांकित सदस्य मनोनित किये गये हैं ।

1- जिला पदाधिकारी, - पदेन अध्यक्ष
2- जिला शिक्षा पदाधिकारी- पदेन सचिव ।
3- जिला शिक्षा अधीक्षक एवं जिला विद्यालय निरीक्षकों में से कोई एक । जिसका मनोनयन जिला पदाधिकारी करेंगें । - पदेन सदस्य
4- श्री ..... पदने सदस्य
5- श्री ..... पदने सदस्य
6- श्री ..... पदने. सदस्य
7- श्री ..... पदने सदस्य

2- यह समिति भाषायी अल्पसंख्यक विद्यालयों को विभिन्न स्थानीय समस्याओं पर विचार कर इनके निराकरण हेतु आवश्यक सुझाव देंगें । स्थानीय स्तर पर इन सुझावों पर कार्यवाई होने में क यदि कोई दिक्कत हो तो समिति द्वारा इसे सरकार के निर्णयार्थ उपस्थापित किया जा सकता है ।

3- समिति की बैठक जिला पदाधिकारी की सुविधानुसार मात्र एक बार अवश्य की जाय तथा बैठक की कार्यवाही की एक प्रति धार्मिक एवं भाषायी अल्पसंख्यक आयोग को भेजी जाय ।

4- कृपया पत्र की प्राप्ति स्वीकार किया जाय ।

विश्वास-भाजन,
ह0/=
सरयू प्रसाद सिंह, 17-7-78
सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्याक- 204/आ. / पटना, दिनांक- 17 जून 1978

प्रतिलिपि शिक्षा : आयुक्त, बिहार, पटना/निदेशक, विद्यालय शिक्षा, बिहार, पटना/अवर सचिव। श्री चन्द्रनाथ माथुर । को सूचना तथा आवश्यक कार्रवाई के लिए अग्रसारित ।

ह0/-
सरयु प्रसाद सिंह,
सरकार के उप सचिव,
17-7-78

ज्ञाप संख्याक- 204/आ. - /पटना, दिनांक- 17 जून 1978

प्रतिलिपि जिला शिक्षा पदाधिकारी,/जिला शिक्षा अधीक्षक को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्रवाई के लिए अग्रसारित ।

ह0/-
सरयु प्रसाद सिंह,
सरकार के उप सचिव,
17-7-78

GOVT. OF BIHAR

बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग

بِہَار ریَاستِی اَقلِیَتِی کمِیشَن

BIHAR STATE MINORITIES COMMISSION

Chairman
Prof. Sohail Ahmad

Phone : 660006 (R)
Fax : 223983 (Home Sec.)
: 224296 (Spl.Sec. Home)

Old Secretariat
Patna - 800 015

Ref.

Date

अर्द्धसरकारी पत्रांक - 3154

पटना, दिनांक - 22-12-99

प्रिय जय प्रकाश जी,

आपको मैंने अपने पत्रांक - 491/एम सी दिनांक 21-01-97 द्वारा अल्पसंख्यकों की शिक्षा से सम्बन्धित समस्याओं तथा उसके समाधान हेतु एक बहुत अहम मेमोरेंडम दिया था और सरकार ने उस सुझाव पर कुछ फैसले भी लिये।

मैं चाहूँगा कि इस पर समुचित एवं सुनिश्चित कार्रवाई के लिए शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों की एक उच्चस्तरीय बैठक इसी महीने के अन्दर जरूर बुलाई जाए ताकि उनकी समस्याओं पर विचार एवं उसके समाधान के लिए कुछ ठोस और कारगर कार्रवाई की जा सके। उस मेमोरेंडम में मैंने समस्याओं के समाधान के लिए एक उच्चस्तरीय बैठक बुलाने का सुझाव दिया था। इस संबंध में कई बार आपसे बातचीत भी हुई है। अब पुरे तीन साल होने जा रहा है लेकिन खेद है कि कोई बैठक अबतक नहीं हो सकी। शिक्षा से सम्बन्धित समस्याओं को लेकर अल्पसंख्यक समुदाय बहुत ही चिंतित एवं संवेदनशील है। विशेष रूप से उर्दू की पढ़ाई तथा उर्दू शिक्षकों की बहाली के मामले में उर्दू आबादी बहुत बेचैन एवं परेशान है।

मैं चाहूँगा कि अल्पसंख्यकों की शिक्षा से संबंधित समस्याओं की गंभीरता को देखते हुए इस पर फौरन कार्रवाई हो। इसी विश्वास के साथ मैं यह पत्र आपको लिख रहा हूं। आपकी सहुलत के लिए उस मेमोरैंडम की छाया प्रति भी संलग्न है। अगर इस पर जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो मुझे डर है कि कहीं हम लोगों के हाथ से वक्त निकल न जाय।

शुभकामनाओं के साथ,

सेवा में,
श्री जयप्रकाश नारायण यादव
शिक्षा मंत्री,
बिहार सरकार

भवदीय,
Ahmad -
22.12.1999.
(सोहैल अहमद)
अध्यक्ष

GOVT. OF BIHAR

बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग

بِہَار رِیَاسَتِی اَقَلِیَتِی کَمِیشَن

BIHAR STATE MINORITIES COMMISSION

Chairman
Prof. Sohail Ahmad

Phone : 660006 (R)
Fax : 223983 (Home Sec.)
: 224296 (Spl.Sec. Home)

Old Secretariat
Patna - 800 015

Ref.

पत्रांक : 491/एम सी
दिनांक : 21-1-1997 Date

प्रिय जयप्रकाश जी

उर्दू एवं अन्य अल्पसंख्यक भाषाओं की शिक्षा से संबंधित विभिन्न मामलों की ओर पूर्व में व्यक्तिगत तौर पर कई बार आपका ध्यान आकृष्ट कराता रहा हूं। इनके समाधान हेतू आपके वायदे के बावजूद अब तक कार्यरूप में कोई पहल नहीं हुई है। स्वभाविक रूप से समाज के एक बड़े तबके की परेशानियां बढ़ रही हैं तथा गंभीर असंतोष के बीज पनप रहे हैं। इस संबंध में मुझे बिहार के कोने-कोने से शिकायतें प्राप्त होती रहती हैं। बराबर उर्दू अखबारों में भी इस विषय के समाचार प्रकाशित होते ही रहते हैं। मैं चाहूंगा कि इस विषय पर आप गंभीरतापूर्वक विचार कर तत्परता से कार्यवाई करने की कृपा करेंगे। मैं समस्याओं का निम्नलिखित विवरण बिन्दुवार दर्ज कर रहा हूं :-

1. यह साक्ष्यपूर्ण शिकायत लगातार मिल रही है कि विद्यालयों में खास तौर पर प्राथमिक विद्यालयों में उर्दू यूनिट समाप्त किए जा रहे हैं। उर्दू के पदों पर जो पुराने शिक्षक थे उनकी सेवानिवृत्ति या स्थानान्तरण के बाद उनकी जगह दूसरे विषयों के शिक्षक पदस्थापित किए जाते हैं। जैसे बेतिया के लोगों ने आयोग के समक्ष उपस्थित होकर लिखित शिकायत की है कि वहां 300 उर्दू यूनिट समाप्त कर दिए गए हैं, ऐसी शिकायतें राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त हो रही हैं तथा ऐसी कार्रवाइयों के विरुद्ध उन क्षेत्रों में हैंडबिल छपवाकर बांटे जा रहे हैं जिनकी प्रतियां आयोग में मौजूद है, ऐसे अन्याय और भेदभाव के विरुद्ध जनमत तैयार करने का प्रयास किया जा रहा है।

अत: मैं चाहूंगा कि जहां उर्दू तथा अन्य अल्पसंख्यक भाषाओं के स्थान पर दूसरी भाषा एवं विषय के शिक्षक स्थानान्तरित/पदस्थापित किए गए हैं तथा साथ ही उन सेवानिवृत्त तथा उर्दू अल्पसंख्यक भाषाओं के शिक्षकों के बदले जहां-जहां हिन्दी तथा अन्य विषय के शिक्षक दिए गए हैं, ऐसे तमाम स्थानान्तरण/पदस्थापन को रद्द कर उसी भाषा तथा उसी विषय के शिक्षक दिए जाएं जिसके शिक्षक स्थानान्तरित या सेवानिवृत्त हुए हैं।

साथ ही ऐसे पदाधिकारियों के विरुद्ध फौरन कार्यवाई कर उन्हें अविलम्ब दंडित किया जाय जिन्होंने उर्दू तथा अन्य अल्पसंख्यक भाषाओं के अधिकारों का हनन किया है और अल्पसंख्यक बच्चों को उनकी मातृभाषा में लिखने-पढ़ने से वंचित रखा है।

भविष्य में उर्दू तथा अल्पसंख्यक भाषाओं के साथ कोई नाइंसाफी न हो इन्हें सुनिश्चित करने के लिए हमारी अनुशंसा होगी कि आप फौरन शिक्षा विभाग से एक सर्कूलर जारी करें या यह स्पष्ट निर्देश दें कि जो कोई पदाधिकारी उर्दू तथा अन्य अल्पसंख्यक भाषाओं के साथ भेदभाव, नाइंसाफी, मनमानी या किसी प्रकार के उनके अधिकारों का हनन करेगा उनके खिलाफ फौरन विभागीय कार्यवाई की जाएगी तथा उसे दण्डित किया जाएगा, तभी इन भाषाओं की समस्याओं का समाधान हो सकेगा और इन भाषाओं का समुचित विकास संभव होगा तथा राज्य के तमाम बच्चों को अपनी मातृभाषा में पढ़ने का समान अवसर मिल सकेगा।

2. एक और गंभीर खतरे की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। शिक्षा विभाग के पत्रांक 814 दिनांक 20.5.95 द्वारा सभी जिला पदाधिकारियों एवं जिला शिक्षा अधीक्षकों को यह निर्देश दिया गया है कि राज्य के सभी जिलों में प्राथमिकता के आधार पर प्राथमिक विद्यालय वहीं खोले जाएंगे जहां पर

GOVT. OF BIHAR
बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग
بِہَار ریَاستِی اَقلِیَتِی کمِیشَن
BIHAR STATE MINORITIES COMMISSION

Chairman
Prof. Sohail Ahmad

Phone 660006 (R)
Fax - 224296 (Home sp.)

Old Secretarial
Patna - 800 015

Ref.

Date

अनुसूचित जाति/जनजाति/अल्पसंख्यक/पिछड़ा वर्ग बाहुल्य गांव या टोले हों, वहां पर छात्र के अनुपात में अधिक शिक्षक इकाई वाले विद्यालय में से शिक्षक इकाई हस्तांतरित कर प्राथमिक विद्यालय खोले जाएं। ऐसे सभी प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की दो इकाई दी जाएगी। मुझे डर है कि जिस तरह से सरकार की स्थानान्तरण एवं पदस्थापन की नीति का सहारा लेकर कुछ सरकारी पदाधिकारियों ने बहुत से उर्दू यूनिटों को जाने अनजाने खत्म किया है उसी तरह यह बेहतर स्कीम रहते हुए भी अगर इसको लागू करनेवाला हाथ बेहतर न हुआ तो भेदभाव, मनमानी तथा अनदेखी में बहुत से उर्दू स्कूल खत्म न हो जाए जिसका बहुत बुरा असर उर्दू आबादी पर पड़े। इसलिए मेरा सुझाव होगा कि इस स्कीम से उर्दू स्कूलों को वंचित रखा जाए। ज्ञातव्य है कि उर्दू यूनिट पर हिन्दी एवं हिन्दी यूनिट पर उर्दू शिक्षकों की पदस्थापना से अल्पसंख्यक समुदाय पहले ही से बहुत क्षुब्ध है।

3. आयोग में प्राप्त शिकायतों से पता चलता है कि अल्पसंख्यक भाषाओं (विशेषकर उर्दू, बंग्ला, पंजाबी, उड़िया आदि) की पाठ्यपुस्तकें यथासमय छात्रों को उपलब्ध नहीं हो पाती है। इस कारण छात्र अपनी मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा प्राप्ति के अवसरों से वंचित हो रहे हैं। विवशता में अपनी मातृभाषा के माध्यम से अध्ययन न करने के कारण छात्रों का परीक्षाफल प्रभावित होता है, इसका समाधान बहुत जरूरी है। इस संबंध में हमारा सुझाव होगा कि भाषाई अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए एवं समय पर पाठ्यपुस्तक के प्रकाशन एवं वितरण सुनिश्चित करने के लिए एक उपाध्यक्ष, एक उप-निदेशक एवं सदस्य, प्रबंध मंडल टेक्स्ट बुक कमिटी, भाषाई अल्पसंख्यकों में से रखना जरूरी है तभी उनकी समस्याओं का समुचित निदान हो सकेगा। पहले प्रबंध मंडल में अल्पसंख्यक भाषाओं में प्रतिनिधियों को लिया जाता था परन्तु अब ऐसा नहीं किया जा रहा है। इस संबंध में यह भी उल्लेखनीय है कि अल्पसंख्यक भाषाओं की पाठ्यपुस्तकों की सूची भी प्रकाशित नहीं की जाती है जिससे यह पता नहीं चल पाता है कि किस अल्पसंख्यक भाषा में कौन से वर्ग के किस विषय की पुस्तक छापी गई है। अतः मेरा सुझाव है कि हिन्दी की तरह अल्पसंख्यक भाषाओं की पाठ्यपुस्तकों की सूची भी प्रकाशित की जाए।

4. एक समस्या अल्पसंख्यक विद्यालयों के शिक्षकों के वेतन आदि के नियमित भुगतान से जुड़ी है। आमतौर पर अल्पसंख्यक स्कूलों के शिक्षकों को कई कई महीने तक वेतन का भुगतान नहीं हो पाता अभी भी एक साल से अधिक समय से उनके वेतन का भुगतान नहीं हो सका है, इस संबंध में सैकड़ों शिकायती पत्र क्रिश्चियन स्कूलों के बच्चों के भी आए हैं तथा बंगला एसोसिएशन ने भी लिखित शिकायत की है। समय पर भुगतान नहीं होने के कारण उनकी स्थिति दयनीय हो गई है तथा वह भूखमरी के कगार पर पहुँच गए हैं। इसके कारण उन तमाम लोगों में व्यापक असंतोष ने आक्रोश का रूप ले लिया है और अखबारी सूचना के अनुसार उन्होंने 23 सितम्बर को पटना में धरना और सड़क जाम भी किया था इसलिए जरूरी है कि राज्य सरकार योजना मद से उनके वेतन का भुगतान करे तो उन्हें समय से राशि मिल जाया करेगी और महीनों प्रतिक्षारत रहने की पीड़ा से उन्हें मुक्ति मिलेगी। इस तरह राजकीयकृत विद्यालयों के कर्मचारियों के समान ही उन्हें (सैलरी हेड से) नियमित भुगतान हो सकेगा। सामान्य विद्यालयों की भांति अल्पसंख्यक विद्यालयों में भी विद्यार्थियों से फीस आदि नहीं ली जाती है जबकि सामान्य स्कूलों के भांति उन्हें नियमित वेतन भुगतान

GOVT. OF BIHAR
बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग
بِہَار ریَاستِی اَقلِیَتِی کمِیشَن
BIHAR STATE MINORITIES COMMISSION

Chairman
Prof. Sohail Ahmad

Phone 660006 (R)
Fax - 224296 (Home sp.)

Old Secretarial
Patna - 800 015

Ref.

Date

नहीं हो पाता है, इससे शिक्षकों की समस्या और बढ़ जाती है तथा इसके अतिरिक्त सरकारी स्कूलों के समान अल्पसंख्यक शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को एल.टी.सी. शिक्षा भत्ता, बोनस और सामूहिक बीमा की सुविधा दुसरे विद्यालयों के अनुसांर ही प्रदान की जाए और इनका भविष्यनिधि का पैसा जो पोस्टऑफिस में जमा होता है, वहाँ उन्हें 5 प्रतिशत की दर से ब्याज मिलता है जबकि अन्य सरकारी स्कूलों के कर्मचायिों की भविष्य निधि कोषागार में जमा होती है जहाँ इसके ब्याज की दर 12.5 प्रतिशत है अत: हमारा सुझाव है कि इनके भविष्य निधि का पैसा भी कोषागार/बैंक में जमा किया जाए ताकि उन्हें भी अधिक ब्याज का लाभ प्राप्त हो सके। इसके अतिरिक्त शिक्षकेत्तर कर्मचारियों (किरानी) को क्षेत्रीय भत्ता चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों को वर्दी भत्ता का भी भुगतान किया जाए। यह भी सच्चाई सामने आई है कि 1980 के बाद अब तक अल्पंसख्यक विद्यालयों की शैक्षिक यूनिटों में कोई वृद्धि नहीं हुई है जबकि वहाँ पढ़नेवाले विद्यार्थियों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। जिससे कि छात्रों के अनुपात में शिक्षकों की संख्या में बहुत कमी आई है तथा पढ़ाने का हक अदा नहीं होता है और इसी कारण शिक्षा का स्तर भी गिर गया है। अत: मेरा सुझाव है कि इस समस्या पर विचार किया जाए तथा जिन अल्पसंख्यक विद्यालयों में जिस विषय के शिक्षकों की आवश्यकता हो वहाँ उस विषय के नए शिक्षक यूनिट दी जाए ताकि पठन-पाठन का कार्य सुचारू रूप से चल सके।

5. बिहार सरकार ने अपने संकल्प संख्या- 237 दिनांक 20.2.1990 एवं संख्या- 1152 दिनांक 3.9.94 के द्वारा सरकारी विद्यालयों की भांति बिहार के सभी मदरसा शिक्षकों को पांचवें पुनरीक्षित वेतनमान का लाभ दे दिया गया था तथा वर्तमान महंगाई भत्ता की दर से (सैलरी हेड से) वेतन के भुगतान का आदेश दिया था लेकिन अभी तक यह मामला लंबित है और पांचवें वेतन पुनरीक्षण का कोई लाभ इन मदरसा शिक्षकों को अभी तक नहीं मिल सका है। इसका निराकरण आवश्यक है। यह बात भी सामने आई है कि हाफिजों के वेतनमान में इस समय काफी विषमता है, जिसके कारण उनके बीच घोर असंतोष पाया जा रहा है। हमारे सामने मौजूद तथ्यों के अनुसार चतुर्थ वेतन आयोग के अनुसार मदरसा शम्सुलहोदा के हाफिजों को बी.ए. ट्रेण्ड का वेतनमान 850 रुपये की दर से दिया गया । जबकि राज्य के अन्य सभी मदरसों के हाफिजों को मिडिल ट्रेण्ड अर्थात 425 रुपये का वेतन मान दिया गया है। मंहगाई भत्ता के मामले में भी यह पाया गया है कि विभिन्न मदरसों में समान दर्जे के वेतन भोगियों को दो तरह के महंगाई भत्ते का भुगतान हो रहा है। अभी तक स्वीकृत कुल 1253 मदरसों में से 1027 मदरसों को 71 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता मिलता है जबकि 226 मदरसों के शिक्षकों को 104 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता मिल रहा है। यह विषमता बहुत चिंताजनक और कष्टदायक है, जिसका दूर होना अत्यन्त आवश्यक है इसलिए मैं चाहूँगा कि इसे जल्द दूर किया जाए।

6. सभी तरह की प्रक्रियाओं से गुजरकर 52 नए मदरसों की वित्तसहित मंजूरी के बाद 4 जून 1996 को माननीय मुख्यमंत्री के स्तर से भुगतान का आदेश भी शिक्षा विभाग को हो गया। अफसरशाही की मनमानी तथा षडयंत्र ने इस मामले को दुबारा फंसाकर फिर 17 जून 1996 को आपके पास भेज दी गई इस संचिका पर भी आपका आदेश हो गया तथा संचिका विभाग में पुनः वापस आ गई, मगर अभी तक आपके आदेशों पर कार्यवाई नहीं हुई है इसलिए यह बेहद जरूरी है कि माननीय मुख्यमंत्री के आदेश के अनुसार इनकी

GOVT. OF BIHAR
बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग
بِہَار رِیَاسَتِی اَقَلِیَتِی کَمِیشَنْ
BIHAR STATE MINORITIES COMMISSION

Chairman
Prof. Sohail Ahmad

Phone 660006 (R)
Fax - 224296 (Home sp.)

Old Secretariat
Patna - 800 015

Ref.

Date

मान्यता तथा भुगतान का आदेश तुरंत निर्गत हो।

7. (क) एक समस्या मदरसा में शिक्षकों की कमी से संबधित है। वर्तमान में मदरसा में शिक्षकों का स्वीकृत पद निम्न प्रकार है :–

मदरसा में पढ़ाई का स्तर	शिक्षकों की संख्या	गैर शिक्षकों की संख्या
1. वस्तानिया (8 वर्ग)	6	0
2. फौकानिया (10 वर्ग)	10	2
3. मौलवी (आई० ए०)	12	3
4. आलिम (बी० ए०)	12	3
5. आलिम आर्नस (बी० ए० आर्नस)	12	3
6. फाज़िल (एम० ए०)	12	3

ज्ञातव्य है कि फाज़िल की पढाई हदीस, तफसीर, फिकह, अरबी साहित्य, उर्दू एवं फारसी भाषा में की जाती है।

उपर्युक्त सूची से स्पष्ट है कि आलिम (बी०ए०), आलिम आर्नस (बी० ए० आनर्स) एवं फाजिल (एम०ए०) के लिए शिक्षकों का अतिरिक्त पद स्वीकृत नहीं है। आलिम/फाजिल वर्गों में शिक्षण का कार्य फौकानिया एवं मौलवी (क्रमशः मैट्रीक एवं आई०ए०) पास शिक्षकों से लिया जाता है जो सरासर अनुचित है फलतः मदरसा शिक्षा के स्तर में ह्रास हो रहा है।

अतः मेरी अनुशंसा है कि मोलवी / आलिम / फाजिल वर्ग के लिए कम से कम फाज़िल पास दो शिक्षकों की नियुक्ति की जाए ताकि आलिम / फाजिल वर्गों मे शिक्षण का कार्य सुचारू रूप से चल सके।

(ख) मदरसा में आधुनिक शिक्षा भी एक बड़ा मसला है। वर्ष 1976 से मदरसा के पाठ्यक्रम में आधुनिक विषयों का समायोजन किया गया है जिन पर होने वाला पूरा व्यय केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया जाता है परन्तु उन विषयों के लिए शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की गई है। अतः गणित, भौतिकी, रसायन एवं जीवविज्ञान के लिए अलग-अलग शिक्षकों की आवश्यकता है।

(ग) अल्पसंख्यक समुदाय की लड़कियों में शिक्षा का बड़ा अभाव है इसके लिए कोई ठोस पहल भी अब तक नहीं की गई है और न ही उन्हें शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया गया है जिस पर माननीय मुख्यमंत्री ने भी अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के कार्यों की समीक्षा करते समय चिंता प्रकट की थी तथा इस संबंध में योजना बनाने का निर्देश भी दिया था। लड़कियों के लिए प्रत्येक जिले में एक मदरसे की आवश्यकता है परन्तु वर्तमान में बहुत कम संख्या में लड़कियों का मदरसा है और जो मदरसा है भी वहाँ संसाधन की बहुत कमी है। मेरी जानकारी के अनुसार भारत सरकार का मानव संसाधन विभाग इस कार्य के लिए धन उपलब्ध कराता है परन्तु बिहार सरकार द्वारा कोई ठोस प्रस्ताव और धन की मांग अब तक नहीं की गई है।

अतः मेरी अनुशंसा है कि सरकार को चाहिए कि कोई ठोस योजना तैयार कर केन्द्र सरकार को लिखे तथा निधि प्राप्त कर बालिकाओं के लिए प्रत्येक जिला में कम से कम एक अच्छे ढंग के आवासीय

GOVT. OF BIHAR
बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग
بِہَار ریَاسَتِی اَقلِیَتِی کمِیشَن
BIHAR STATE MINORITIES COMMISSION

Chairman
Prof. Sohail Ahmad

Phone 660006 (R)
Fax - 224296 (Home sp.)

Old Secretariat
Patna - 800 015

Ref.

Date

मदरसे/उच्च विद्यालय की स्थापना की जाए जिसमें धार्मिक एवं परम्परागत शिक्षा के साथ-साथ व्यवसायिक प्रशिक्षण की भी व्यवस्था हो।

(घ) मदरसा के छात्रों को मात्र 12 हजार रूपये की ही छात्रवृत्ति दी जाती है जैसा कि मेरी जानकारी है, जबकि मदरसे में पढ़ने वाले अधिकांश छांत्र निर्धन एवं पिछड़े वर्ग में आते हैं। अतः मेरी अनुशंसा है कि सरकारी विद्यालयों की भाँति ही मदरसा के छात्रों को भी छात्रवृत्ति दी जाए ताकि गरीब, बेसहारा, दबे-कुचले बच्चों को साधन के अभाव में शिक्षा से वंचित न रह जाना पड़े।

(ङ) अधिकांश मदरसे भवन के अभाव में टट्टी के मकान, मस्जिद या किसी के दरवाजे पर चलते हैं अतः मेरी अनुशंसा है कि प्रत्येक मदरसे के लिए कम से कम दो कमरों का पक्का मकान, हाता शौचालय सहित बनवाने की व्यवस्था निश्चित रूप से कराई जाए। यह कार्य जवाहर रोजगार योजना/ सुनिश्चित रोजगार योजना के तहत आसानी से कराया जा सकता है।

(8) विद्यालय सेवा बोर्ड, पटना ने जिन 248 नए उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति की अनुशंसा की है उनकी नियुक्ति अभी तक नहीं हो सकी है। निदेशक, माध्यमिक शिक्षा से सारी बातें हुई हैं मैंने उन्हें भी कहा, आपको लिख भी रहा हूँ। प्रत्येक स्कूल में कितनी जगहें हैं किस विषय की सीट पर कौन सा व्यक्ति कार्यरत है इसकी सूचना तुरंत मंगानी चहिए। इसी से पता चल सकेगा कि (क) उर्दू की स्वीकृत कितनी जगहें खाली है (ख) उर्दू के स्थान पर कितने दूसरे विषयों के लोग गलत तरीके से पदस्थापित करा दिए गए हैं। मेरा मानना है कि 248 से काफी अधिक पद रिक्त है या दूसरे विषय के लोगों के कब्जे में है। इन्हें हस्तांतरित कर उर्दू के स्वीकृत पदों पर तुरंत उक्त नवनियुक्त शिक्षकों की पदस्थापना का इंतेजाम किया जाए।

9. मुझे ज्ञात हुआ है कि मदरसा बोर्ड का न तो अभी तक कोई अधिनियम है और न ही कोई नियमावली का निर्माण हुआ है जिसके फलस्वरूप मदरसा बोर्ड का कार्य सुचारू रूप से चलाने में कठिनाई होती है अतः मेरी अनुशंसा है कि मदरसा बोर्ड के लिए अविलम्ब अधिनियम एवं नियमावली बनाई जाए।

मुझे जानकारी मिली है कि स्व० श्री अनवर करीम भा०प्र०से० के द्वारा इस संबंध में पहल कर नियमावली बनाने का कार्य आरंभ भी किया गया था। अतः उक्त पांडुलिपि से भी सहायता लेकर मदरसा बोर्ड के लिए नियमावली बनाई जा सकती है।

10. विद्यालय सेवा बोर्ड में कोई उर्दू भाषी सदस्य नहीं है अतः एक इमानदार विद्वान उर्दू भाषी को तुरंत उसका सदस्य बनाया जाना चाहिए ताकि उर्दू आबादी एवं अल्पसंख्यकों की व्यक्तिगत शिकायतें दूर हो सकें तथा बोर्ड के क्रियाकलापों में अल्पसंख्यकों के हितों को देखनेवाला उन्हीं के बीच का एक आदमी आ जाए।

11. एक बहुत बड़ी समस्या अल्पसंख्यक विद्यालय एवं मदरसा में नियुक्ति से संबंधित है। आए दिन समाचार पत्रों में ऐसे समाचार प्रकाशित होते रहते हैं तथा आयोग के कार्यालय में भी आवेदन प्राप्त होते हैं। जिससे ज्ञात होता है कि विभिन्न अल्पसंख्यक विद्यालय, महाविद्यालयों एवं मदरसों में नियुक्ति में नाइंसाफी हो रही है तथा भाई-भतिजावाद को बढ़ावा मिल रहा है जिसके फलस्वरूप इन संस्थानों मे पठन-पाठन के स्तर में भी गिरावट आ रही है।

इन नियुक्ति में एकरूपता लाने एवं न्याय के लिए यह आवश्यक प्रतित होता है कि कोई एक ऐसा

GOVT. OF BIHAR
बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग
بِہَار رِیَاسَتِی اَقَلِیَتِی کَمِیشَن
BIHAR STATE MINORITIES COMMISSION

Chairman
Prof. Sohail Ahmad

Phone 660006 (R)
Fax - 224296 (Home sp.)

Old Secretarial
Patna - 800 015

Ref. Date

रास्ता निकाला जाए जिससे कि इन नियुक्ति में निश्पक्षता एवं एकरूपता हो सके। यह इसलिए और भी जरूरी है कि इन संस्थानों में सरकार द्वारा अनुदान दिया जाता है। मेरी राय है कि इन संस्थानों में नियुक्ति के लिए बेट (B.E.T) की तर्ज़ पर लिखित जाँच परीक्षा का आयोजन किया जाए तथा उसमें चुने गए उम्मीदवारों को उपरोक्त संस्थानों में नियुक्ति हेतू आवेदन करने के लिए योग्य ठहराये जायें। जिस संस्था में शिक्षक की आवश्यकता होगी उन्हीं में से तीन नाम उक्त संस्थान को भेजने का प्रावधान भी किया जा सकता है। ऐसी परीक्षा की आयोजन का भार एक पृथक अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान सेवा आयोग का गठन कर उसे दिया जा सकता है या इस कार्य के लिए विद्यालय सेवा आयोग, कॉलेज सेवा आयोग, विश्वविद्यालय सेवा आयोग या बिहार लोक सेवा आयोग को प्राधिकृत किया जा सकता है। ऐसा करने से जहाँ एक ओर इन नियुक्तियों में धांधलियों पर अंकुश लग सकेगा वहीं दूसरी ओर संविधान के अनुरूप अल्पसंख्यक को अपने शिक्षण संस्थान की स्थापना एवं संचालन हेतू दिए गए मौलिक अधिकार का हनन नहीं होगा।

12. पब्लिक स्कूलों में सरकार की तरफ से NOC दिया जाता है इसके आधार पर उसका Affiliation सी.बी.एस.ई या आई.सी.एस.ई बोर्ड से होता है। NOC के लिए विहित प्रपत्र में हिन्दी के साथ-साथ उर्दू जो द्वितीय राजभाषा है, के पठन-पाठन हेतू शिक्षक का होना भी एक शर्त के तौर पर रखा जाना चाहिए।

13. राज्य में बहुत सारे ऐसे अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालय है जिन्हें वित्त रहित आधार पर मान्यता देने और अल्पसंख्यक घोषित करने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। ऐसे स्कूलों में पढ़ रहे छात्रों को मैट्रिक के लिए दूसरे विद्यालय से फार्म भरना पड़ता है जिससे उन्हें काफी परेशानियाँ, अधिक अर्थव्यय और प्रशासनिक असुविधाऐं होती हैं। राज्य में ऐसे बहुत सारे स्कूल हैं जैसे अब्दुल क्ययूम अंसारी हाई स्कूल, सिगौरी (पटना), डॉ० सैयद महमूद गर्ल्स हाई स्कूल, छपरा, उर्दू गर्ल्स हाई स्कूल चितरपुर, इस्लामिया हाई स्कूल, भूरकुण्डा, उर्दू गर्ल्स हाई स्कूल, बेतिया, अलहोदा उर्दू गर्ल्स हाई स्कूल, कुमहरौली, तथा राज्य के दूसरे क्षेत्रों में उर्दू तथा अन्य धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यक स्कूल जो लम्बी अवधि से चल रहे हैं और विविध कठिनाईयों का शिकार हैं उन्हें यथाशीघ्र वित्तरहित मान्यता दी जानी चाहिए ताकि अल्पसंख्यकों में शिक्षा का समूचित एवं सामूहीक विकास हो सके और कोई समुदाय इससे वंचित न रहे, चूंकि उन्हें स्थापना की वित्तरहित मान्यता देने में सरकार की कोई आर्थिक संलग्नता नहीं है इसलिए मेरी अनुशंसा होगी कि तत्काल उन्हें वित्तरहित मान्यता दे दी जाए। यदि इसमें कोई कानूनी अड़चन हो तो इस जरूरी कार्य के लिए उसे शिथिल करके भी फैसला लेना चाहिए। इससे राज्य के सभी अल्पसंख्यकों में सरकार की सराहना होनी तथा उन्हें भी खुशी और इत्मिनान होगा।

14. अल्पसंख्यक विद्यालयों की समस्या सामान्य विद्यालयों से भिन्न है। इन विद्यालयों की स्थापना प्रशासन एवं प्रस्वीकृति की प्रक्रिया भी अलग है ऐसा देखने मे आता है कि अल्पसंख्यक उच्च विद्यालयों एवं अल्पसंख्यक प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना, प्रशासन नियुक्ति एवं स्थानांतरण के नियमों में विरोधाभास है। सरकार के एक ही विभाग में एक कार्य के लिए दो तरह के नियम लागू है।

अत: अल्पसंख्यक विद्यालयों से संबंधित समस्याओं को निपटाने तथा उनके शिक्षण संबंधी समस्याओं के समाधान हेतू यह बहुत जरूरी है कि एक पृथक अल्पसंख्यक शिक्षा निदेशालय, निदेशक को विभागाध्यक्ष

GOVT. OF BIHAR
बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग
بِہَار ریَاستِی اَقلِیتِی کمِیشَن
BIHAR STATE MINORITIES COMMISSION

Chairman
Prof. Sohail Ahmad

Phone 660006 (R)
Fax - 224296 (Home sp.)

Old Secretarial
Patna - 800 015

Ref.

Date

का दर्जा देते हुए खोला जाए जिससे अल्पसंख्यकों में शिक्षण का समुचित विकास, विस्तार और पूरे अल्पसंख्यक समुदाय को आसानी के साथ शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके तथा शिक्षा का प्रकाश सामान रूप से सभी लोगों तक पहुँचे और कोई भी गरीब, बेसहारा, दबा-कुचला शिक्षा की ज्योति से वंचित न रह सके।

निदेशालय के गठन की प्रक्रिया पूरी होने तक एक निदेशक की पदस्थापना की जाए ताकि समस्याओं का तात्कालिक समाधान हो जाए।

15. मैंने व्यक्तिगत रूप से सवेक्षणोपरान्त पाया और मेरे पास इसकी सूची उपलब्ध है कि राज्य के माध्यमिक विद्यालयों में फारसी विषय की दौ सौ (200) से अधिक रिक्तियां लंबित हैं। इन्हें शीघ्रातिशीघ्र विज्ञापित कर नए शिक्षकों की बहाली का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। इस भाषा के माध्यम से एशिया, अफ्रीका और रूस के कई स्वतंत्र देशों से हमारा राजनीतिक एवं सांस्कृतिक सम्पर्क और अधिक मजबूत हो सकता है इसलिए इस विपय को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए।

16. मुझे मालूम हुआ है कि उर्दू कन्या मकतब (पर्दानशीन स्कूल) में अब मर्द शिक्षकों को भी स्थानांतरित कर दिया जा रहा है जैसा कि बाढ़ अनुमंडल जिला पटना स्थित खजुरार गाँव के कन्या मकतब में मर्द शिक्षक दिए गए हैं।

यह एक विशिष्ट सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की मान्यताओं और रहन सहन के विरुद्ध उठाया गया कदम है। मुझे लगता है कि ऐसे स्कूलों की अवधारणा से निरपेक्ष होकर ऐसे फैसले किए गए हैं। जहाँ भी इस तरह की गलत पदस्थापना की गई हो उसे सुधारते हुए तत्काल महिला शिक्षिका की पदस्थापना की जाए।

17. एक समस्या महिला उर्दू शिक्षकों के बहुत कमी का है जैसा कि पता चला है कि 25000 शिक्षकों की बहाली पूर्व में की गई है उसमें अधिकांश जिलों में उर्दू शिक्षिकाओं की उपलब्धता नहीं रहने के कारण भरी नहीं जा सकी है। उर्दू भाषी महिलाओं के विशेष सांस्कृतिक, साामाजिक एवं शैक्षणिक प्रवेश के मद्देनजर मेरा सुझाव है कि शिक्षकों की नियुक्ति में उर्दू भाषी माहिलाओं का कोटा निर्धारित किया जाए ताकि यह कमी पूरी हो सके। ऐसा करना देश में महिलाओं को बराबरी का अधिकार देने की बहुचर्चित नीति के अनुकूल भी है।

18. अधिकांश उर्दू मकतबों एवं स्कूलों की अवस्था बहुत ही जर्जर और खस्ताहाल है, भवन का ढांचा ही जहाँ तहाँ बचा है और वह भी कितने दिन तक बचा रहेगा, कोई नहीं कह सकता। इससे इसमें पढ़ने और पढ़ाने वाले दोनों को हर वक्त जान का खतरा बना रहता है, और कभी भी कोई दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो सकती है ऐसी स्थिति में पठन-पाठन का काम मुश्किल है। अत: इनकी मरम्मत ओर पुर्ननिर्माण आवश्यक है।

19. प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्चविद्यालयों में उर्दू शिक्षकों की पदस्थापना के मामले में उस स्कूल की उर्दू भाषी छात्रों या उस क्षेत्र विशेष में उर्दू बोलने पढ़नेवाली आबादी की खोज करना मेरी राय में एक गैरजरूरी काम है। उर्दू चूंकि सम्पूर्ण राज्य में द्वितीय राजभाषा के रूप में सम्मानित है इसलिए शिक्षा विभाग की यह नीति होनी चाहिए कि राज्य के प्रत्येक विद्यालय में अनविार्य रूप से राज्यभाषा हिन्दी के समान द्वितीय राजभाषा उर्दू का शिक्षक रखा जाए। यहाँ मैं यह सुझाव देना चाहूँगा कि जिस स्कूल में उर्दू भाषी छात्र उपलब्ध

GOVT. OF BIHAR
बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग
بِہَار رِیَاسَتِی اَقَلِیَتِی کَمِیشَن
BIHAR STATE MINORITIES COMMISSION

Chairman
Prof. Sohail Ahmad

Phone 660006 (R)
Fax - 224296 (Home sp.)

Old Secretariat
Patna - 800 015

Ref. 8 Date

न हों वहाँ उर्दू शिक्षक हिन्दी भाषी छात्रों में जो उर्दू सिखने, पढ़ने के इच्छुक हों उन्हें उर्दू पढ़ाऐंगे। इससे सांस्कृतिक समागम और साम्प्रदायिक सद्भाव की प्रेरणा मिलेगी। उदाहरणत: राँची के गुरुनानक स्कूल में जहाँ लगभग 3000 से अधिक छात्र हैं उनमें केवल तीन चार सौ छात्र ही पंजाबी हैं जबकि 1000 से अधिक उर्दू भाषी छात्र है। और शेष सभी दूसरी भाषाओं के छात्र हैं। वे सब अपनी खुशी से पंजाबी भाषा का अध्ययन कर रहे हैं और पंजाबी भाषी छात्रों से अच्छा कर रहे हैं। मैंने स्वयं विद्यालय के सचिव श्री कुलदीप सिंह से दूरभाष पर बात की और श्री सिंह ने इस बात की पुष्टि की। ऐसा ही एक दूसरा उदाहरण संत जेवियर्स स्कूल हजारीबाग का है जहाँ अपनी खुशी से लगभग 300 हिंदी भाषी छात्र उर्दू पढ़ रहे हैं और बेहतर कर रहे हैं। इसकी सम्पुष्टि हमने श्री जफर सादिक, उर्दू के शिक्षक संत जेवियर्स स्कूल हजारीबाग से दूरभाष द्वारा की।

20. 6-14 वर्ष के बच्चों के स्कूल जाने संबंधी आंकड़े शिक्षा विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष सर्वेक्षण कराकर एकत्रित किया जाता है। उसमें .... तीन कोटि सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के बालक/बालिकाओं का आंकड़ा रहता है जिससे अल्पसंख्यक के संबंध में कोई आंकड़ा उपलब्ध नहीं हो पाता है। अत: मेरी अनुशंसा है कि उक्त प्रतिवेदन में 6-14 वर्ष के अल्पसंख्यक बालक/बालिकाओं के भी आंकड़े प्राप्त करने हेतू एक अलग कॉलम जोड़ दिया जाए जिससे यह स्पष्ट जानकारी मिल सके कि कितने अल्पसंख्यक बालक/बालिकाऐं स्कूल जाने योग्य हैं और उसमें कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं ताकि शेष बच्चों के शिक्षण की माकूल व्यवस्था हेतु योजना तैयार किया जा सके।

21. मुझे पता चला है कि 113 ईसाई स्कूल जिन्हें सरकारी अनुदान मिलता है उनमें कहीं भी द्वितीय राजभाषा उर्दू की पढ़ाई नहीं होती है जिससे उर्दू मातृभाषी छात्र अपनी मातृभाषा पढ़ने से वंचित रह जाते हैं अत: शिक्षा विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उन स्कूलों में उर्दू तालीम अनिवार्य रूप से आरंभ हो।

22. यह भी कम आश्चर्यजनक नहीं है कि बिहार में चल रहे सम्पूर्ण साक्षरता अभियान में उर्दू को उचित स्थान नहीं मिला है जबकि बहुत से उर्दू भाषी रिक्शा, ठेला खींचने वाले मजदूर, झुग्गी-झोंपड़ी में रहनेवाले, बच्चे-बच्चियाँ एवं महिलाऐं दूर-दराज, गली-कूचों बस्तियों में रहने वाले गरीब लोग हैं, जिन्हें शिक्षा और विकास की धारा में जोड़ना अत्यावश्क है। उर्दू के शिक्षक, प्रशिक्षक, उर्दूभाषी स्वयंसेवी संगठन आदि की अनुपस्थिति में सम्पूर्ण साक्षरता का लक्ष्य क्या एक कोरी कल्पना से अधिक महत्त्व नहीं रखता है। अत: यह जरूरी है कि आप अपनी निगरानी में पूरे साक्षरता अभियान में द्वितीय राजभाषा उर्दू को उसकी जरूरी जगह दिलाऐं ताकि इस योजना के लाभ से कोई बेसहारा, बेजुबान वंचित न रह जाए।

23. जनशिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत गठित जिला साक्षरता समितियों में अल्पसंख्यकों को उचित प्रतिनिधित्व देने का प्रावधान है इसका अनुपालन दृढ़ता से कराया जाए।

साथ-साथ राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अन्तर्गत किए जानेवाले सर्वेक्षण के प्रपत्र में भाषा का कॉलम रखा जाए ताकि इससे अल्पसंख्यक भाषाओं यथा उर्दू, बंगला, उड़िया, पंजाबी आदि भाषाओं को पढ़ने के इच्छुक व्यक्तियों की सही संख्या ज्ञात हो सके तथा इसी के अनुरूप उन भाषाओं की पाठ्य-पुस्तक की आपूर्ति जिला साक्षरता समिति द्वारा कराई जाए।

GOVT. OF BIHAR
बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग
بِہَار رِیَاسَتِی اَقَلِیَتِی کَمِیشَن
BIHAR STATE MINORITIES COMMISSION

Chairman
Prof. Sohail Ahmad

Phone 660006 (R)
Fax - 224296 (Home sp.)

Old Secretariat
Patna - 800 015

Ref.

Date

24. प्रोजेक्ट स्कूलों के संबंध में जो प्रक्रिया अपनाई गई और नियमावली बनी है उसमें भी अल्पसंख्यकों के अधिकारों का घोर हनन किया गया है। जैसा कि मुझे बताया गया है कि भाषा के अन्तर्गत हिन्दी, अंग्रेजी तथा संस्कृत को रखा गया है। कहना नहीं होगा कि संस्कृत एक अतिसमृद्ध भाषा होते हुए भी आज सामान्य जन के दैनिक जीवन से दूर है इसलिए इसे आधुनिक भाषाखण्ड में रखना उर्दू के साथ अत्याचार करना है। जैसा कि बताया गया है। 1981-82 में कुल 150 स्कूल खोले गए 1/8 शिक्षकों के साथ, 1984-85 में 300 स्कूल खोले गए 1/4 शिक्षकों के साथ, 1988-89 में 56 स्कूल खोले गए 1/8 शिक्षकों के साथ। इस तरह राज्य में कुल मिलाकर उस अवधि में 546 प्रोजेक्ट स्कूल खोले गए इसमें 2868 शिक्षक और 546 प्रधानाध्यापक नियुक्त किए गए हैं परन्तु भाषा के अन्तर्गत उर्दू को न रखने के कारण एक भी उर्दू शिक्षक नहीं बहाल हो सका। अगर यह बात सही है तो मैं इसे बहुत ही गंभीर चिंता की दृष्टि से देखता हूँ। अत: मेरी अनुशंसा होगी कि यहाँ संस्कृत के बदले उर्दू का समावेश किया जाए जो कि एक आधुनिक एवं जीवंत भाषा है और बिहार की द्वितीय राजभाषा भी है।

25. केन्द्र सरकार की योजना के तहत सरकार ने बिहार के जिन 85 प्रखण्डों को शिक्षा की दृष्टी से अत्यन्त पिछड़ा चिन्हित किया है और जिनमें स्कूल, पुस्तकालय तथा शिक्षा परिसर आदि के निर्माण एवं विस्तार की विशेष योजना स्वीकृत की है। मुझे मालूम हुआ है कि बहुत सारे जिलाधिकारियों ने समेकित योजना का प्रारूप नहीं भेजा है चूंकि इनमें अल्पसंख्यक बाहुल्य प्रखण्डों की एक बड़ी संख्या है अत: केन्द्र सरकार की योजना का लाभ उन्हें जरूर मिलना चाहिए। आप कृपा कर जिलाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देकर उक्त योजना के तहत पूर्ण विवरण तथा योजना की रूपरेखा प्राप्त कर केन्द्र सरकार को भिजवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें ताकि अल्पसंख्यकों के उत्थान का अवसर बेकार न जाए। शिक्षा के विस्तार की वर्तमान सरकार की नीति के मामले में भी अधिकारियों द्वारा भेदभाव तथा सामाजिक न्याय की अनेदेखी की जा रही है जिसके कारण चतरा, देवघर, बांका, गोड्डा, सहरसा, पूर्णिया, चक्रधरपुर, राजमहल तथा राज्य के अन्य दूर-दराज के अल्पसंख्यक आबादी वाले अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ गरीब, पिछड़े, दबे-कुचले बेसहरा, बेजुबान लोग रहते हैं वहाँ उनके अंदर ज्ञान की ज्योति जगाने के लिए आवश्यकतानुसार विद्यालयों की स्थापना नहीं की गई है, फलस्वरूप वहाँ के लोग अभी भी ज्ञान ज्योतिहीन हैं जो दु:ख और चिंता की बात है।

इस संबंध में मुझे यह भी कहना है कि जहाँ शिक्षा का विस्तार हुआ है वहाँ स्कूलों का विस्तार एवं उनकी प्रौन्नति नहीं हो रही है। आयोग के सामने सासाराम क्षेत्र का एक मामला आया है जहाँ दो अल्पसंख्यक माध्यमिक स्कूलों को उच्चविद्यालयों में प्रोन्नति दे देने के लिए अथक प्रयास के बावजूद अधिकारिक स्तर से ऐसे सभी प्रयासों को असफल कर दिया गया।

मैं चाहूँगा कि जहाँ-जहाँ शिक्षा की रोशनी फैल रही है वहाँ शिक्षा का प्रकाश अल्पसंख्यकों में भी फैले ताकि कोई भी अंधेरे में भटकने के लिए बेसहारा न छोड़ दिया जाए। अत: मेरा सुझाव होगा कि बिना किसी भेदभाव/टालमटोल एवं समय गंवाए बगैर ऐसे क्षेत्रों मे विद्यालयों की स्थापना के लिए कारगर कार्यवाई की जाए तथा जहाँ स्कूलों के प्रोन्नति की आवश्यकता है अर्थात् जहाँ प्राथमिक विद्यालय है उन्हें मध्य विद्यालय किया जाए तथा जहाँ मध्यविद्यालय हैं उन्हें उच्च विद्यालय के रूप में प्रोन्नति दी जाए।

GOVT. OF BIHAR
बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग
بِہار ریاستی اَقلیتی کمیشن
BIHAR STATE MINORITIES COMMISSION
Chairman
Prof. Sohail Ahmad
Phone : 660006 (R)
Fax : 223983 (Home Sec.)
: 224296 (Spl.Sec. Home)
Old Secretarial
Patna - 800 015

Rel. 10 Date

26. केलीग्राफी (फने-खताती) की कला उर्दू भाषा की एक धरोहर है तथा इसी फन (कला) के कारण आज उर्दू भाषा प्रकाशन के क्षेत्र में इतनी समृद्ध हो सकी है इस फन को लुप्त होने से बचाने के लिए यह आवश्यक है कि राज्य के प्रत्येक जिले के चुने हुए विद्यालयों में इस कला के प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षकों की नियुक्ति की जाए ताकि यह कला मरने से बच सके और इसके माध्यम से उर्दू भाषा का समुचित विकास और व्यापक प्रचार-प्रसार हो सके।

27. अल्पसंख्यक विद्यालयों एवं शिक्षकों के हितों की रक्षा के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि जिलों की शिक्षा की स्थापना समितियों में अल्पसंख्यक समुदाय में से एक प्रतिनिधि को भी निश्चित रूप से सम्मिलित किया जाए ताकि नए स्कूल खोलने तथा शिक्षकों की पदस्थापना में अल्पसंख्यकों की हितों की रक्षा हो सके।

28. सरकार राज्य में एक अरबी-फारसी विश्वद्यिालयक की स्थापना का निर्णय बहुत पहले ले चुकी है। विधान परिषद के अध्यक्ष प्रो० जाबिर हुसैन द्वारा इस संबंध में नियमन भी दिया जा चुका है अत: मेरी यह अनुशंसा है कि प्रस्तावित विश्वविद्यालय के गठन की घोषणा 26 जनवरी, .1997 को गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर सरकार द्वारा निर्धारित तिथि को ही कर दिया जाए।

29. बिहार में उर्दू दूसरी सरकारी भाषा है इसलिए इसके समुचित विकास के लिए उसी ढंग से उचित कार्यवाई किया जाना आवश्यक है। उर्दू भाषी लोगों में ज्ञान का प्रकाश फैलाने तथ उनमें इसके विस्तार के लिए आवश्यक है कि जहाँ 25 घर भी उर्दू भाषी लोगों की जनसंख्या है वहाँ एक उर्दू प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की जाए तथा 50 उर्दू प्राथमिक विद्यालयों पर एक उर्दू निरीक्षक नियुक्त किया जाए ताकि न केवल स्कूलों की स्थापना हो बल्कि वहाँ पठन-पाठन भी ढंग से चले तथा उर्दू निरीक्षक पूरी स्थिति पर समुचित नजर रखते हुए उर्दू शिक्षा के बेहतर विकास का उत्तरदायी बन सके।

30. एक कमी प्रशिक्षण के स्तर पर यह पाई जाती है कि बिहार शिक्षा परियोजना के अर्न्तगत शिक्षकों के प्रशिक्षण का प्रबंध है परन्तु उसमें सामान्य विषयों के शिक्षक ही सम्मिलित किए जाते हैं जिसके कारण उर्दू भाषा के शिक्षक उसका लाभ नहीं उठा पाते हैं जिस कारण वह पाठन की नवीनतम तकनीक की जानकारी से वंचित रह जाते हैं। यह केवल उनका नुकसान नहीं है बल्कि यह पूरी शिक्षा व्यवस्था का नुकसान है तथा पूरी उर्दू आबादी का नुकसान है। अत: शिक्षकों के प्रशिक्षण की अलग से व्यवस्था होना जरूरी है।

31. बिहार शिक्षा परियोजना/जिला प्राथमिक शिक्षा परियोजना के तहत वैकल्पिक शिक्षा के आँगन विद्यालयों/अपना विद्यालयों की स्थापना में अल्पसंख्यक समुदाय के अत्यन्त पिछड़े एवं गरीब जनसंख्या वाले क्षेत्रों को प्राथमिक दिया जाय।

32. सरकारी मदरसों को भी बिहार शिक्षा परियांजना के तहत लिया जाय।

33. मुफ्त पोशाक वितरण में अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चियों को भी प्राथमिकता दिया जाय।

34 उर्दू, बंगला के साथ-साथ उड़िया भाषा में भी पुस्तक प्रकाशित किया जाय।

35. महिला सामाख्या के तहत अनुसूचित जाति/जनजाति के साथ-साथ अल्पसंख्यक महिलाओं के विकास का भी प्रावधान किया जाय।

36. ग्राम शिक्षा समिति से लेकर राज्य स्तर की समितियों तक अल्पसंख्यक समुदाय के प्रतिनिधि को निश्चित रूप से रखने का प्रावधान किया जाय।

GOVT. OF BIHAR
बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग
بِہَار رِیَاسَتِی اَقَلِیَتِی کَمِیشَن
BIHAR STATE MINORITIES COMMISSION
Chairman
Prof. Sohail Ahmad
Phone : 660006 (R)
Fax : 223983 (Home Sec.)
: 224296 (Spl.Sec. Home)
Old Secretariat
Patna - 800 015

37. बिहार शिक्षा परियोजना द्वारा तैयार की जा रही पुस्तकों में अल्पसंख्यक समुदाय के स्वतंत्रता सेनानियों की जीवनी सम्मिलित की जाय।

38. प्रत्येक विद्यालय पुस्तकालय में सामन्य विषयों की ही तरह उर्दू तथा दूसरी अल्पसंख्यक भाषाओं की पुस्तकें भी उपलब्ध कराई जाए ताकि छात्रों को अपनी मातृभाषा में पढ़ने में कोई कठिनाई न हो।

39. एक और बड़ी समस्या है जिसके निदान के लिए आवश्यक कार्यवाई जरूरी है। प्राथमिक विद्यालयों में दिन का खाना तथा चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के सरकारी निर्णय के अन्तर्गत पिछले वर्ष से उन्हें यह सुविधा दी जा रही है। मदरसों में अत्यन्त गरीब पिछड़े और बेसहारा बच्चे शिक्षा के लिए आते हैं परन्तु वह इस सुविधा से पूरी तरह वंचित हैं इसलिए अच्छा होता कि उन्हें भी यह सुविधा प्रदान की जाती ताकि सामाजिक न्याय का लाभ सभी लोगों तक सामान्य ढंग से पहुँचे।

अल्पसंख्यकों की शिक्षा संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए जरूरी है कि आप अपनी ओर से व्यक्तिगत ध्यान देकर शिक्षाविभाग की एक सामान्य नीति निर्धारित कराऐं कि अल्पसंख्यकों के मामले में जो कोई अफसर, कर्मचारी आदि लापरवाही, टालमटोल, भेदभाव, धांधली या मनमानी का परिचय दे उन्हें तत्काल दंडित किया जाए तभी अल्पसंख्यकों को इंसाफ मिलेगा और उनके लंबित कार्यों को निपटाया जा सकेंगा।

40. (क) एक समस्या राजकीय उर्दू पुस्तकालय पटना से संबंधित है। 1938 ई० में स्थापित यह अपने ढंग का एकमात्र राजकीय पुस्तकालय है जहाँ उर्दू भाषा के विभिन्न विषयों पर 25,000 से अधिक बहुमूल्य पुस्तकों का भंडार है जिससे पाठकों एवं शोधकर्ताओं की लगातार सेवाऐं प्रदान की जाती है।

खेद की बात है कि वर्ष 1984 के बाद आज तक उक्त पुस्तकालय में पुस्तक क्रय हेतु कोई आवंटन नहीं दिया गया है बल्कि इसके विपरीत वर्ष- 1996-97 में आवंटन के अभाव में पत्र-पत्रिकाओं, पुस्तकालय के रख-रखाव, दूरभाष एवं विद्युत संबंधी बकाये का भुगतान भी रुक गया है।

अत: मेरी अनुशंसा है कि उक्त पुस्तकालय को प्रत्येक वर्ष पुस्तक एवं पत्र-पत्रिकाओं के क्रय के लिए कम से कम पाँच लाख रूपया अनुदान दिया जाए तथा पुस्तकालय के बजट के अनुरूप आवंटन उपलब्ध कराया जाए ताकि कर्मचारियों के वेतन आदि का भुगतान तथा पुस्तकालय के रख-रखाव एवं विद्युत तथा दूरभाष आदि के बकाये का भुगतान सुचारू रूप से होता रहे।

(ख) पटना में न केवल बिहार का बल्कि देश का अनोखा संस्थान है "फारसी एवं अरबी शोध संस्थान"। इस संस्था का एक गौरवमय इतिहास रहा है जिसके माध्यम से फारसी एवं अरबी भाषा एवं साहित्य के विकास तथा शोध में बहुमूल्य योगदान रहा है। यहाँ दूर-दूर से लोग अरबी/फारसी भाषा में उच्चशिक्षा ग्रहण करने तथा उन भाषाओं के शोध कार्य के लिए आते हैं। इसी संस्थान से आकृष्ट होकर प्रमुख समाज सुधारक राजाराम मोहन राय पटना आए थे। परन्तु यह संस्थान सरकार की अनदेखी के कारण मृत्युशैया पर है।

अत: मेरी अनुशंसा है कि इस संस्थान को नियमित रूप से बजट के तहत आवंटन उपलब्ध कराया जाए ताकि यह संस्थान पुर्नजीवित होकर लोगों के आकांक्षाओं के अनुरूप अरबी एवं फारसी भाषा के उत्थान, विकास तथा शोध में अपनी सहभागिता पूर्ववत निभाती रहे।

41. सरकार द्वारा विद्यालयों में नये पाठ्यक्रम तैयार करने का विचार है। मेरी अनुशंसा होगी कि उक्त पाठ्यक्रम तैयार करने वाली समिति में अल्पसंख्यक समुदाय के एक योग्य व्यक्ति या अल्पसंख्यक आयोग के

GOVT. OF BIHAR

बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग

بِہار ریاستی اَقلیتی کمیشن

BIHAR STATE MINORITIES COMMISSION

Chairman
Prof. Sohail Ahmad

Phone : 660006 (R)
Fax : 223983 (Home Sec.)
: 224296 (Spl.Sec. Home)

Old Secretarial
Patna - 800 015

Ref.

12

Date

प्रतिनिधि को भी शामिल किया जाय ताकि अल्पसंख्यकों से संबंधित हितों का ध्यान पाठ्यक्रम तैयार करने में रखा जा सके।

42. विद्यालयों के लिए नया पाठ्यक्रम तैयार करने में इस बात का विशेष ध्यान रखा जाय कि पाठ्यक्रम ऐसा हो जिससे राष्ट्रीय एकता और साम्प्रदायिक सद्भावना को बढ़ावा मिले तथा मानवता की भावना सुदृढ़ हो।

उपरोक्त बिन्दुओं पर विचार करने से लगता है कि बिना समय गंवाए उसके समाधान की सूरत निकालनी चाहिए। मामले चूंकि अल्पसंख्यको से ही संबंधित है और बहुत गंभीर है इसलिए इन्हें चिंतित, पीड़ित, प्रताड़ित छोड़ देने से सरकार की छवि पर भी सीधा प्रभाव पड़ेगा। जो सरकार अपने राज्य के अल्पसंख्यकों की चिंताओं का समाधान नहीं ढूँढ़े उसकी अल्पसंख्यक संबंधित वचनबद्धता पर प्रश्नचिन्ह लग सकता है। अत: मेरा सुझाव है कि उपरोक्त सवालों को केन्द्र में रखकर आप एक उच्चस्तरीय बैठक बुलाएं जिस: शिक्षा विभाग के उच्चाधिकारी, अल्पसंख्यक आयोग के प्रतिनिधी, टेक्स्ट बुक कारपोरेशन के प्रबंध निदेशक एवं निदेशक जन शिक्षा बिहार तथा अन्य संबंधित पदाधिकारीगण शामिल हों। समस्या के समाधान की दिशा में यह एक कारगर कदम होगा।

आप जानते है कि समाज में ऐसी शक्तियाँ सक्रिय है जो अल्पसंख्यकों को इन बिन्दुओं पर सरकार से सहज बदगुमान कर सकती है। उर्दू अखबारों में आए दिन ऐसे समाचार प्रकाशित होते रहते हैं जिनसे पता चलता है कि बिहार के अल्पसंख्यक शिक्षा विभाग के असहयोग तथा भेदभाव से बेचैन है। अगर इसमें और देर की जाती है तो यह बेचैनी और मायूसी अधिक बढ़ सकती है। मुझे डर है कि कुछ सरकारी पदाधिकारियों की मनमानी, नाइंसाफी, भेदभाव, टालमटोल और अल्पसंख्यक विरोधी की वर्तमान शैली से तंग आकर एक बहुत बड़ी आबादी हमसे मायूस न हो जाए और उनकी आस्था साम्प्रदायिक सद्भाव और सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता तथा प्रजातंत्र पर कमजोर न पड़ जाए और इसका प्रभाव वर्तमान सामाजिक क्रांति और जन आंदोलन के बढ़ते कदम पर न पड़े। यह नुकसान उन पदाधिकारियों का नहीं बल्कि हमलोगों का होगा। इसकी चिंता हमलोगों को होनी चाहिए। यह स्पष्ट है कि साम्प्रदायिक सद्भाव और सामाजिक न्याय स्थापित करने का दायित्व सरकार ने अपने कंधे पर लिया है। माननीय मुख्यमंत्री श्री लालू प्रसाद यादव ने इसे अपने जीवन का मिशन बना लिया है अत: इसे कामयाब करना हमलोगों की भी बुनियादी जिम्मेदारी है और इसे सुनिश्चित करने के लिए हमलोगों को निर्णायक भूमिका अदा करनी है ताकि हर धर्म जाति के गरीब-पिछड़े दबे-कुचले, बेसहारा, बेवा, अनाथ और बेजुबान लोगों को आसानी के साथ पूरा-पूरा हक और इंसाफ मिल सके और एक नये समाज का निर्माण हो। इसी विश्वास के साथ मैं यह पत्र लिख रहा हूँ।

भवदीय
Ahmad -
21-1-1997.
(सोहैल अहमद)
अध्यक्ष, अल्पसंख्यक आयोग, बिहार

सेवा में,
श्री जयप्रकाश नारायण यादव
शिक्षामंत्री बिहार सरकार
पटना।

परिशिष्ट - 11 (क)

Govt. of Bihar

बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग

بہار ریاستی اقلیتی کمیشن

BIHAR STATE MINORITIES COMMISSION

Old Secretariat, Patna - 800 015

660006
690864 (R)
213595 (O)
213706 (Sec Minority Welfare)
236742

Prof. Sohail Ahmad
Chairman

پروفیسر سہیل احمد
(چیرمین)

पटना, 1-8-2001
Date .....

Ref अ.आ-3770

श्री नरेन्द्रपाल सिंह
आयुक्त एवं सचिव
प्राथमिक एवं वयस्क शिक्षा, बिहार।

आपसे प्राइमरी एवं मिडिल स्कूल में उर्दू की तालीम और उर्दू शिक्षकों के संबंध में दूरभाष पर हुई वार्ता का स्मरण करें। उर्दू शिक्षिक के पद, जो प्राथमिक एवं मिडिल स्कूल में सृजित हैं, उन पदों पर उर्दू शिक्षकों का ही पदस्थापन किया जाना जरूरी है। परन्तु विगत वर्षों में उर्दू शिक्षकों की अधिकतर जगहों पर गैरउर्दू शिक्षकों का पदस्थापन आपके विभाग द्वारा किया जाता रहा है। मुझे इस तरह की शिकायत कार्यालय में एवं भ्रमण के दौरान ग्रामीणों द्वारा मिलती है और आये दिन अखबारों में भी ये शिकायतें छपती रहती हैं। मैं समझता हूं कि आपके विभाग द्वारा वर्तमान में पदस्थापन की जो प्रणाली है, उसका फायदा उठाकर उर्दू की जगह हिन्दी और हिन्दी की जगह उर्दू जानने वाले शिक्षकों की पदस्थापन निजी स्वार्थ में कर दी जाती है। इसके फलस्वरूप उर्दू पढ़नेवाले बच्चे अपनी मातृभाषा में पढ़ने से वंचित रह जाते हैं। जिससे उर्दू पढ़नेवाले विद्यार्थियों का नामांकन बहुत ही कम होता जा रहा है। इस कारण सरकार को चिंता है और उर्दू भाषियों में भी गंभीर बैचेनी है। इसलिए इस समस्या का समाधान और उर्दू आबादी की बैचेनी का निदान बहुत जरूरी है। मैं इस विषय पर पदाधिकारियों, शिक्षकों तथा पढ़नेवाले बच्चों के अभिभावकों से विचार-विमर्श कर इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि इसका एक मात्र इलाज यह है कि तमाम प्राइमरी एवं मिडिल स्कूल के उर्दू शिक्षकों के पदों को समवर्गीय पद (कैडर पोस्ट)घोषित किया जाए। नहीं तो उर्दू आबादी की परेशानी और चिंता बढ़ती जाएगी और आने वाले समय में यह बहुत बड़ी राजनीतिक एवं शैक्षणिक समस्या बनकर खड़ी हो जाएगी। मुझे डर है कि यह बैचेनी और मायूसी कहीं उर्दू आबादी को मुख्यधारा से अलग-थलग न कर दे और उर्दू आबादी की आस्था इस सामाजिक न्याय की सरकार पर कमजोर न पड़ जाए।

अत: मैं चाहूंगा कि हमारे उपर्युक्त सुझाव को जल्द से जल्द कानूनी शक्ल दें ताकि इस पर फौरन रोक लगाई जा सके और भविष्य में उर्दू आबादी को उसकी मातृभाषा में पढ़ने का अवसर प्राप्त हो, जो उसका पैदाहशी एवं मौलिक अधिकार है।

मैं समझता हूं कि यह काम आपके द्वारा जरूर हो जाएगा। इसी विश्वास के साथ मैं यह पत्र आपको लिख रहा हूं।

Ahmad.
1-8-2001.
(सोहैल अहमद)
अध्यक्ष

परिशिष्ट - 11 (क)

फूल सिंह, मा0प्र0से0
सचिव

प्राथमिक एवं वयस्क शिक्षा विभाग
बिहार सरकार, पटना - 800 015
दूरभाष : 224616 (का०)
285448 (आ०)
फैक्स : 0612–227108

डी० ओ० सं० : 1432

दिनांक : 10.9.2002

प्रिय श्री सोहैल,

विषय : उर्दू शिक्षकों के पदस्थापन के संबंध में।

उपर्युक्त विषयक अपने अर्द्धसरकारी पत्र संख्या–3770, दिनांक–01.08.2001 का कृपया स्मरण करें। बिहार राज्य राजकीयकृत प्रारंभिक शिक्षक (स्थानान्तरण एवं अनुशासनिक कार्रवाई नियमावली –2002 के नियम 11 में भाषा के अनुरुप शिक्षकों का पदस्थापन करने के लिए प्रावधान कर दिये गए हैं। इससे आपके द्वारा उठाये गये बिन्दु का समाधान हो जाता है। नियमावली की प्रति संलग्न है।

सादर,

आपका,
10.9.02
(फूल सिंह)

सेवा में,

श्री सोहैल अहमद,
अध्यक्ष, बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग।

सत्यमेव जयते

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

14 चैत्र 1924 (श0)

(सं0 पटना 132) पटना, वृहस्पतिवार 4 अप्रील, 2002

सेकेन्ड्री प्राथमिक एवं वयस्क शिक्षा विभाग

अधिसूचना

1 अप्रील 2002

प्रस्तावना –चूँकि राजकीयकृत प्रारंभिक विद्यालयों के शिक्षकों एवं प्रधानाध्यापकों के नियमित पदस्थापन, प्रभावी स्थानान्तरण तथा विद्यालयों में पठन-पाठन की सुचारु व्यवस्थापन हेतु वर्तमान बिहार राज्य राजकीयकृत प्रारम्भिक विद्यालय शिक्षक (स्थानान्तरण एवं अनुशासनिक कार्रवाई) नियमावली, 1994 को निरसित करते हुए एक नई नियमावली तैयार करना आवश्यक एवं समीचीन है।

अतएव, बिहार के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करतेहुए राज्य के राजकीयकृ प्रारंभिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों एवं शिक्षकों के पदस्थापन, स्थानान्तरण तथा उनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई को नियमित करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

बिहार राज्य राजकीयकृत प्रारम्भिक विद्यालय शिक्षक (स्थानान्तरण एवं अनुशासनिक कार्रवाई) नियमावली - 2002

1. संक्षिप्त नाम, प्रारंभ एवं विस्तार :–(1) यह बिहार राज्य राजकीयकृत प्रारंभिक शिक्षक (स्थानान्तरण, एवं अनुशासनिक कार्रवाई) नियमावली, 2002 कही जाएगी।

(2) यह नियमावली संपूर्ण बिहार राज्य में राज्य के राजकीयकृत प्रारंभिक विद्यालयों के संदर्भ में लागू होगी।

(3) यह नियमावली अधिसूचना की तिथि से प्रवृत्त होगी।

2. परिभाषाएँ :–जब तक कोई बात विषय या संदर्भ के विरूद्ध नहीं हो, इस नियमावली में :–

(1) " प्रायमिक विद्यालय" से अभिप्रेत है वैसे राजकीयकृत विद्यालय जिनका गठन बिहार गैर सरकारी प्रारम्भिक विद्यालय (नियंत्रण-ग्रहण) अधिनियम, 1976 के अधीन किया गया हो और जो वर्तमान में कक्षा पाँच तक की शिक्षा की व्यवस्था करता है परन्तु इसमें अल्पसंख्य विद्यालय एवं सहायता प्राप्त विद्यालय जो राज्य सरकार द्वारा पूर्णत : अथवा अंशत : वित्त पोषित है, शामिल नहीं है।

(1) महिला प्रधानाध्यापिकाओं एवं शिक्षिकाओं तथा विकलांग शिक्षकों का पदस्थापन उनके अपने गांव, शहरी क्षेत्र में उनके वार्ड में, रिक्तियों की उपलब्धता होने पर, किया जा सकेगा ।

(2) रिक्तियों के अभाव में अथवा अन्य कारणों से, विकलांग अथवा महिला प्रधानाध्यापिकाओं एवं शिक्षिकाओं का पदस्थापन अपने गांव/वार्ड में संभव नहीं होने की दशा में उनका पदस्थापन/स्थानान्तरण ऐसे विद्यालयों में किया जाएगा :-

(क) जो उनके स्थायी निवास-स्थान से, यथासंभव, पाँच किलोमीटर से अधिक न हो तथा निकटस्थ विद्यालयों में प्राथमिकता दी जाएगी ;

(ख) जो पक्की सड़क पर हो और जहाँ आवागमन की यथेष्ट सुविधा उपलब्ध हो ।

11. भाषा के अनुरूप पदस्थापन :-

(1) बंगला भाषी क्षेत्रों के विद्यालयों में प्रधानाध्यापक एवं शिक्षक के पद पर उक्त भाषा में प्रवीण शिक्षकों को यथासंभव पदस्थापन में प्राथमिकता दी जाएगी।

(2) स्वीकृत उर्दू इकाई के विरूद्ध नियुक्त उर्दू शिक्षकों का पदस्थापन उर्दू शिक्षक के रिक्त पद पर ही किया जाएगा। उर्दू शिक्षकों के पदों के रिक्त बने रहने पर उर्दू के जानकार शिक्षकों से उन पदों को भरा जाएगा।

12. पदस्थापन के अन्य सिद्धान्त :-

(1) यदि पति व पत्नी दोनों ही प्रधानाध्यापक अथवा शिक्षक हों तो रिक्तियों की उपलब्धता के अनुरूप उनका पदस्थापन एक ही स्थान पर अलग-अलग विद्यालयों में किया जा सकेगा।

परन्तु किसी भी परिस्थिति में उनका पदस्थापन एक ही विद्यालय में नहीं किया जाएगा।

(2) सामान्यरूप से राज्य सरकार की नीतियों के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालयों में स्थानान्तरण इस प्रकार किया जाएगा कि इसमें कम-से-कम दो शिक्षक पदस्थापित बने रहें।

मध्य विद्यालयों में स्थानान्तरण-पदस्थापन इस प्रकार किया जाएगा कि इनमें किसी भी समय यथासंभव स्नातक प्रशिक्षित विज्ञान एवं कला कोटि के एक-एक शिक्षक एवं सरकार के द्वारा निर्धारित स्वीकृत बल, विद्यालय में, विद्यमान रहे।

13. स्थायी आवास की मान्यता :-

अशासकारी पत्रांक 3245 / पत्रा. दिनांक- 4/5/2000.

प्रिय श्री महतो जी,

विशेष दूत द्वारा ।

समाचार पत्रों से पता चला है कि राज्य सरकार द्वारा पूरे राज्य के स्कूलों में नई शिक्षा निति अपनाई जा रही है जो सी. बी. एस. ई. के अनुरूप होगा । इस नई शिक्षा निति में उर्दू की हैसियत को लेकर इधर आए दिन अखबारों में खास कर उर्दू अखबारों में विरोध एवं विवाद की खबरें छपती रहती है । कृपा होगी अगर आप आयोग को प्रस्तावित नई शिक्षा निति की एक प्रति भेजें ताकि नई शिक्षा निति में उर्दू की हैसियत से उर्दू आबादी को सही जानकारी दी जा सके ।

इसे अतिआवश्यक समझा जाए ।

सधन्यवाद् ।

भवदीय,

Ahmad-
4.5.2000

(सोहैल अहमद)
अध्यक्ष

सेवा में,

श्री राम प्रकाश महतो
राज्य मंत्री,
सेकेण्डरी शिक्षा,
बिहार सरकार ।

परिशिष्ट - 11 (ख)

डा० राम प्रकाश महतो

[illegible]
(माध्यमिक शिक्षा)
[illegible]

पत्रांक .....

[illegible] 4/5/2005

प्रिय अहमद जी,

आपार पत्रों के माध्यम से पूरे राज्य सरकार के स्तरों में नई शिक्षा नीति अपनाये जाने, जो सी०बी०एस०ई० के अनुरूप होगा जैसी खबर सही है । जहाँ तक उर्दू की स्थिति को लेकर जो विरोध एवम विवाद उप रहे हैं उसका प्रतिवाद करते हुए मैं आपको आश्वस्त करना चाहूँगा कि हिन्दी की भाँति उर्दू को भी समान सम्मानजनक स्थिति में रखा जायेगा ।

आशा है कि आप इस पत्र के माध्यम से आम की भ्रांतियों को दूर करने की महती कृपा करेंगें ।

शुभ कामनाओं के साथ ,

भवदीय,

सेवा में,

प्रोफेसर सोहैल अहमद,
अध्यक्ष,
बिहार राज्य अल्प संख्यक आयोग

(डा० राम प्रकाश महतो)
राज्य मंत्री,
माध्यमिक शिक्षा, बिहार, पटना ।

4/5/2005

परिशिष्ट - 12

बिहार सरकार
श्रम एवं नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग

ज्ञाप संख्या- इ0 4003/85-164 पटना, दिनांक 16. 1. 86

सेवा में,

सभी प्रभार नियोजन पदाधिकारी, बिहार

विषय:- नियोजनालयों में अल्पसंख्यक समुदाय के आवेदकों के निबंधन के संबंध में ।

अल्प संख्यक समुदाय के कल्याणार्थ भूतपूर्व प्रधान मंत्री के 15 सूत्री निदेशों के कार्यान्वयन के संबंध में दिल्ली में हुई एक बैठक में लिये गये निर्णयों के उपरान्त राज्य के औद्योगिक क्षेत्रों में पड़ने वाले नियोजनालयों एवं ऐसे नियोजनालयों जिनके क्षेत्र में अल्पसंख्यक समुदाय का जमाव है जिसे इस निदेशालय के पत्र संख्या- 2177 दिनांक 19. 7. 85 के द्वारा यह अनुदेश दिया गया था कि अल्पसंख्यक समुदाय के आवेदकों का निबंधन अलग से किया जाय और उनके लिए निबंधन पंजी, नवीकरण एवं जीवित पंजी का पोषण भी अलग से किया जाय ।

अल्पसंख्यक समुदाय के कल्याणार्थ एक बैठक राज्य श्रम मंत्री की अध्यक्षता में दिनांक 29. 10. 1985 को हुई थी । बैठक में अन्य बिन्दुओं के अतिरिक्त अल्पसंख्यक समुदाय के आवेदकों के अलग से निबंधन करने के प्रश्न पर विचार किया गया । विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि अल्पसंख्यक समुदाय के आवेदकों का निबंधन अलग से करने तथा उनकी जीवित पंजी अलग से पोषण करने में उक्त समुदाय के आवेदकों को सम्प्रेषण के मामले में कोई सुविधा नहीं प्राप्त हो सकेगा बल्कि सम्प्रेषण में उनके नाम आदि छूट जाने का भय बना रहेगा । इस लिए यह निर्णय लिया गया कि राज्य के सभी नियोजनालयों में अल्पसंख्यक समुदाय के निबंधन पहले की भाँति किया जायेगा परन्तु अलग से एक निबंधन पंजी।एक्स-83। का पोषण होगा जिसमें उक्त समुदाय के आवेदकों का निबंधन संख्या, नाम आदि मूल निबंधन पंजी से देखकर अंकित कर दिया जायेगा । ऐसे आवेदकों का निबंधन कार्ड-।एक्स-1। की फ़ाईलिंग नियमानुसार पूर्व की भाँति ही की जायेगी ताकि सम्प्रेषण में वरीयता के आधार पर इनके नामों का सम्प्रेषण हो सके । अत: निदेशालय नियोजन के पत्र संख्या-2177 दिनांक 19. 7. 85 में निहित अनुदेशों को रद्द करते हुए पुन: आदेश दिया जाता है कि निबंधन की यह प्रक्रिया राज्य के सभी नियोजनालयों द्वारा अपनाई जायेगी और यह अनुदेश 1. 1. 86 से राज्य के सभी नियोजनालयों में लागू किया जायेगा । बैठक में यह निर्णय लिया गया कि एक्स-64।रिक्त पंजी। में एक और स्तम्भ जोड़ दिया जाय जिसमें अल्पसंख्यक समुदाय के सम्प्रेषित आवेदकों की संख्या अलग से अंकित किया जा सके । अत: इस प्रक्रिया को भी लागू करने का निदेश दिया जाता है ।

कृ0 पृ0 उ0.....

पूर्व में अल्पसंख्यक समुदाय के आवेदक जो जीवित पंजी पर हैं, उनकी निबंधन संख्या आदि एक्स-63 पंजी से उतार कर दूसरी एक्त 63 पंजी में रखा जाय ताकि इससे पता चल सके कि उक्त समुदाय के कितने आवेदक जीवित पंजी पर उपलब्ध हैं ।

ह0:- अस्पष्ट
निदेशक
नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना

ज्ञाप संख्या- 164 पटना, दिनांक 18.1.86

प्रतिलिपि सभी उप निदेशक, नियोजन को सूचनार्थ प्रेषित । उनसे अनुरोध है कि अपने क्षेत्रान्तर्गत नियोजनालयों में उक्त प्रक्रिया को 1.1.86 से निश्चत रूप से लागू करने की दिशा में आवश्यक कारवाई करें ।

2- प्रतिलिपि नियोजन पदाधिकारी, सभी विश्वविद्यालय नियोजन सूचना एवं मार्गदर्शन केन्द्र, क्षेत्रीय नियोजन पदाधिकारी, सभी ग्रामीण नियोजन केन्द्र, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ ।

प्रतिलिपि निदेशालय नियोजन में पदस्थापित सभी पदाधिकारी, प्रशाखा पदाधिकारियों एवं संबंधित कर्मचारियों को सूचनार्थ प्रेषित ।

ह0:- अस्पष्ट
निदेशक
नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार,

परिशिष्ट - 13

पत्र संख्या-ई0-4003/85-1439
बिहार सरकार
श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण। नियोजन। बिहार, पटना-15

प्रेषक,

श्री शिव प्रिय,
निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना ।

सेवा में,

1- बिहार के सभी प्रभारी नियोजन पदाधिकारी ।
2- सभी उप मुख्य, विश्वविद्यालय नियोजन एवं मार्गदर्शन केन्द्र, बिहार

पटना, दिनांक 18 मई, 85

विषय:- अल्पसंख्यकों के कल्याण के संबंध में प्रधान मंत्री के निदेशों का कार्यान्वयन निबंधन आदि में भेदभाव नहीं करने के संबंध में ।

महाशय,

अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्तियों के कल्याण के सम्बन्ध में भूतपूर्व प्रधानमंत्री के पन्द्रह सूत्री निदेशों के कार्यान्वयन के लिए नई दिल्ली में 29.1.85 को गृह मंत्रालय के अपर सचिव श्री आर0 के0 सड्डी की अध्यक्षता में एक बैठक बुलाई गई थी । बैठक में उपरोक्त विषय पर विचारोपरान्त यह सुझाव दिया गया कि महानिदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण(डी0जी0ई0टी0) द्वारा अल्पसंख्यकों के आवेदकों को नियोजनालयों में निबंधन एवं उनके नाम नियोजकों को प्रेषित करने में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किये जाने के संबंध में जो अनुदेश निर्गत किया गया है, उसे कठोरता से पालन किया जाय

अतः निदेश दिया जाता है कि अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्तियों के निबंधन एवं रिक्तियों के विरुद्ध सम्प्रेषण में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं बरता जाय ताकि प्रधान मंत्री के 15 सूत्री निदेशों का कार्यान्वयन भली भाँति हो सके ।

विश्वासभाजन
ह0: शिव प्रिय
निदेशक
नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना ।

ज्ञापांक- ई0 4003/85-1439 पटना, दिनांक 18 मई, 85

प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक(एम0सी0) भारत सरकार, गृह मंत्रालय(अल्पसंख्यक कोषांग) वेस्ट ब्लॉक-8, विंग नं0-2, दूसरा मंजिल, रामकृष्णापुरम, नई दिल्ली-66 को उनके पत्रांक-17/42/85 एम0सी0, दिनांक 16.2.85 तथा 10.4.85 के प्रसंग में सूचनार्थ प्रेषित ।

ह0:- शिव प्रिय
निदेशक

ज्ञापांक- ई-4003/85-1439 पटना, दिनांक 18 मई, 85

प्रतिलिपि सभी क्षेत्रीय उप निदेशक(नियोजन) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

ह0:- शिवाप्रिय
निदेशक

परिशिष्ट - 14

पत्रांक-ई0-4003/85-2178

बिहार सरकार

श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, बिहार ।

प्रेषक,

श्री शिव प्रिय
निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार ।

सेवा में,

सहायक निदेशक।नियोजन।
अपर प्रादेशिक नियोजनालय,
बोकारो स्टील सीटी, धनबाद/राँची, जमशेदपुर/दुमका ।

जिला नियोजन पदाधिकारी,
मोतिहारी/बेतिया/लहेरियासराय/पूर्णिया ।

पटना, दिनांक 19 जुलाई, 85

विषय:- अल्पसंख्यकों के कल्याण के संबंध में प्रधान मंत्री के निदेशों का कार्यान्वयन विशेष अभियान चलाकर निबंधन करने के सम्बन्ध में ।

महाशय,

इस निदेशालय के पत्र संख्या- ई0-4003/85-1439 दिनांक 18. 5. 85 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसमें यह निदेश दिया गया था कि अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्तियों का निबंधन एवं सम्प्रेषण में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं बरती जाय । हाल ही में नई दिल्ली में गृह मंत्रालय द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया जिसमें उक्त विषय पर विचार विमर्शोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि राज्यों में जहाँ अल्पसंख्यकों का जमाव है, वहाँ विशेष अभियान चलाकर उक्त समुदाय के व्यक्तियों का निबंधन अधिक संख्या में किया जाय ताकि नियोजनालय की जीवित पंजी पर अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व पूरा हो ।

अत: प्रधान मंत्री के 15 सूत्री कार्यादेशों के कार्यान्वयन को ध्यान में रखते हुए यह अनुदेश दिया जाता है कि आप अपने नियोजनालय के क्षेत्र में जहाँ अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्तियों का जमाव है वहाँ जाकर उनके निबंधन के लिये विशेष अभियान चलाएं ताकि अधिक से अधिक उक्त समुदाय के व्यक्तियों का निबंधन हो और उन्हें जीवित पंजी पर लाया जाय ।

जिस क्षेत्र में निबंधन अभियान चलाना हो उस क्षेत्र के मुखिया को पहले एक पत्र लिख कर सूचना दे दें ताकि मुखिया अल्पसंख्यकों के बीच इसका प्रचार कर सकें और फिर जिस तिथि को निबंधन अभियान के लिये जाना हो उस तिथि की जानकारी मुखिया को दे दें जिसमें कि निर्धारित तिथि को आवेदक निबंधन के लिय उपलब्ध हो सके । अल्पसंख्यक समुदाय में मुस्लिम, सिख एवं क्रिश्चयन आते हैं ।

कृपया इसे आवश्यक समझें और इस संबंध में की गई कारवाई से मुझे अवगत करायें ।

विश्वास भाजन
ह0:- शिव प्रिय
निदेशक

ज्ञापांक-ई0-4003/85-2178 पटना, दिनांक 19 जुलाई, 1985

प्रतिलिपि रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय/संयुक्त सचिव, डी0जी0ई0 टी0, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001 को उनके गोपनीय पत्र संख्या-डी0जी0ई0टी0 61441/84 ई0-1 दिनांक 3.5.85 के प्रसंग में सूचनार्थ ।

ह0:- शिव प्रिय,
निदेशक
नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना

ज्ञाप संख्या- ई0 4003/85-2178 पटना-15 दिनांक 19 जुलाई, 85

प्रतिलिपि श्री एम0असलम, संयुक्त निदेशक।एम0बी0।गृह मंत्रालय।अल्प संख्यक कोषांग।, वेस्ट ब्लाक-8, विंग नं0-2, दूसरी मंजिल, रामाकृष्णापुरम, नई दिल्ली-110066 को सूचनार्थ प्रेषित ।

ह0:- शिव प्रिय
निदेशक
नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ई0-4003/85-2178 पटना-15, दिनांक 19 जुलाई, 85.

प्रतिलिपि सभी क्षेत्रीय उप निदेशक।नियोजन।, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

ह0:- शिव प्रिय
निदेशक
नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार

परिशिष्ट - 15

पत्र संख्या - ई0-4003/85-2177

बिहार सरकार

श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, बिहार,पटना ।

प्रेषक,

श्री शिव प्रिय,
निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण
बिहार, पटना ।

सेवा में,

सहायक निदेशक।नियोजन।
अवर प्रादेशिक नियोजनालय,
बोकारो स्टील सिटी/धनबाद/राँची/दुमका/जमशेदपुर ।

जिला नियोजन पदाधिकारी,
मोतिहारी/बेतिया/लहेरियासराय/पूर्णिया

पटना, दिनांक।9 जुलाई, 85

विषय:- अल्पसंख्यकों के कल्याण के सम्बन्ध में प्रधान मंत्री के निदेशों का कार्यान्वयन नियोजनालयों में अलग शाखा खोलने के संबंध में ।

महाशय,

कृपया इस निदेशालय के पत्र संख्या-ई0-4003/85-1439 दिनांक 18.5.85 का निदेश करें जिसमें यह अनुदेश दिया गया है कि अल्प संख्यक समुदाय के व्यक्तियों के निबंधन एवं सम्प्रेषण में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं बरता जाय । हाल ही में नई दिल्ली में गृह मंत्रालय द्वारा एक बैठक बुलाई गयी थी जिसमें अल्पसंख्यकों के कल्याण से संबंधित विषय पर विचार विमर्श हुआ । विचारोपरान्त बैठक में यह निर्णय लिया गया कि राज्य के ऐसे क्षेत्र जहाँ अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्तियों का जमाव है वहाँ उनके लिये एक अवर नियोजनालय खोलने पर राज्य सरकार विचार करें ताकि उन समुदाय के व्यक्तियों के नियोजन के मामले पर दृढ़ता से कार्रवाई हो सके । महानिदेशालय, नई दिल्ली से प्राप्त इस सुझाव को राज्य की वित्तीय स्थिति को मद्देनजर रखते हुए जाँचने पर यह महसूस किया गया कि अलग से अवर नियोजनालय खोलने के प्रस्ताव में सरकार सहमत नहीं होगी । फिर भी प्रधान मंत्री के 15 सूत्री निदेशों के कार्यान्वयन को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया कि अल्पसंख्यक समुदाय के लिये औद्योगिक क्षेत्र एवं अन्य क्षेत्रों में जहाँ ऐसे व्यक्तियों का जमाव है, के नियोजनालयों में अलग से इनके लिये एक शाखा खोला जाय ।

2- अतः इस संदर्भ में यह अनुदेश दिया जाता है कि आप अपने नियोजनाल में अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्तियों के लिये एक अलग से शाखा खोलने का व्यवस्था करें । जिस प्रकार प्रत्येक नियोजनालयों में महिला शाखा कार्यरत है उसी प्रकार अल्पसंख्यक शाखा भी कार्य करेगा । इन समुदायों के लिये अलग से निबंधन, नवीकरण एवं जीवित पंजी का पोषण करना है । पूर्व से जीवित पंजी पर उपलब्ध उक्त समुदाय के व्यक्तियों का एक-1 कार्ड अल्प संख्यक शाखा की जीवित पंजी में लाया जायगा

और नियोजनालय में रिक्तियों की प्राप्ति पर इनकी जीवित पंजी से भी सम्पेषण कीकारवाई की जाय ताकि सम्पेषण में इनका उचित प्रतिनिधित्व रहे । इस शाखा का कार्य वर्तमान में उपलब्ध कर्मचारियों के द्वारा ही चलाया जायगा । अल्पसंख्यक समुदाय शाखा खोलने के पूर्व नियोजनालय में एक अलग काउन्टर की व्यवस्था कर ली जाय एवं इसके संबंधित एक सूचना पट भी लगा दी जाय ।

यह आदेश दिनांक 1.8.85 से लागू किया जाय और इसकी सूचना इस निदेशालय को भी दी जाय ।

विश्वासभाजन,

ह0: शिव प्रिय,
निदेशक

ज्ञापं संख्या-अं0-4003/85-2177 पटना-15, दिनांक 19 जुलाई, 85

प्रतिलिपि रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय/संयुक्त सचिव, डी0जी0 ई0टी0 श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली को उनके गोपनीय पत्र संख्या-डी0जी0 ई0टी0, 6(441/84-ई0ई0-1 दिनांक 3.5.85 के प्रसंग में सूचनार्थ प्रेषित ।

ह0:- शिव प्रिय
निदेशक

ज्ञाप संख्या--अं0-4003/85-2177 पटना-15, दिनांक- 19 जुलाई, 85.

प्रतिलिपि श्री एम0असलम, संयुक्त निदेशक।एम0सी0।गृह मंत्रालय। अल्पसंख्यक कोषांग।वेस्ट ब्लौक-8, विंग नं0-2 दूसरी मंजिल, नई दिल्ली-110065 को सूचनार्थ प्रेषित ।

ह0:- शिव प्रिय
निदेशक

ज्ञाप संख्या- ई0-4003/85-2177 पटना-15, दिनांक- 19 जुलाई, 85.

प्रतिलिपि सभी क्षेत्रीय उप निदेशक।नि0। को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित ।

ह0:- शिव प्रिय
निदेशक
नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना ।

परिशिष्ट - 16

बिहार सरकार
उद्योग विभाग

पत्र सं० 8343 / पटना, दिनांक 6.06 / 1997
उ/प्रति० । अल्प संख्यक । 05/94

प्रेषक,

श्री पी० एम० ठाकुर,
सरकार के उप सचिव,
बिहार, पटना ।

सेवा में,

अपर उद्योग निदेशक,
क्षेत्रीय उद्योग निदेशालय, राँची
संयुक्त उद्योग निदेशक,
पटना प्रमंडल, पटना ।
उप उद्योग निदेशक,
क्षेत्रीय उद्योग निदेशालय, भागलपुर/सहरसा/
दरभंगा/हजारीबाग/छपरा एवं मुजफ्फरपुर ।
महाप्रबन्धक,
सभी जिला उद्योग केन्द्र ।

विषय:- उद्योग विभाग की योजना विशेष तौर से लघु उद्योग निबंधन एवं प्रधान-मंत्री रोजगार योजना में अल्प संख्यकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय पर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये यह कहना है कि उद्योग विभाग की योजनाओं से अल्प संख्यकों को उनकी जन-संख्या के अनुपात में लाभान्वित किया जाना है । वर्तमान में अल्प संख्यकों के संबंध में उपलब्धि संतोषजनक नहीं है । राज्य अल्प संख्यक आयोग द्वारा विभाग का ध्यान विशेष रूप से इस ओर आकृष्ट किया गया है ।

अतः अनुरोध है कि विशेष प्रयास कर अल्प संख्यकों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में लाभान्वित कराने के लिये ठोस कदम उठाये जायें तथा प्रत्येक माह में प्रधान मंत्री रोजगार योजना संबंधित प्रतिवेदन में इसका भी उल्लेख करें ।

विश्वास भाजन

सरकार के उप सचिव
बिहार, पटना

ज्ञाप संख्या 8343 / पटना, दिनांक 6 / 1997

प्रतिलिपि- प्रो० सोहेल अहमद, बिहार राज्य अल्प संख्यक आयोग, पुराना सचिवालय, पटना को उनके पत्रांक-711 दिनांक-3.6.97 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारित ।

ब०व०
5.7.97

सरकार के उप सचिव
बिहार, पटना ।

परिशिष्ट - 17

बिहार सरकार,
वाणिज्य कर, आपूर्ति एवं वाणिज्य विभाग ।

पत्रांक प्र6-लाल कार्ड-01/98-2382/आ0वा0, पटना-15, दिनांक 23 मई, 1998ई0

प्रेषक,

श्री विजय कुमार वर्मा,
सरकार के सचिव ।

सेवा में,

सभी प्रमण्डलीय आयुक्त,
सभी जिला पदाधिकारी/उपायुक्त ।

विषय:-- राज्य के तमाम अनाथालय एवं रिमाण्ड होम में रहनेवाले व्यक्तियों को लाल राशन कार्ड निर्गत करने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि भारत सरकार द्वारा नई लक्षित जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे रहनेवाले परिवारों को माह जून, 97 से अनुदानित दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है । ज्ञातव्य हो कि भारत सरकार द्वारा बिहार राज्य के लिए गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों का कुल संख्या 85.90 लाख की सीमा निर्धारित है जबकि राज्य के सभी जिलों से प्राप्त सर्वेक्षण प्रतिवेदनों के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की कुल संख्या लगभग 84.30 लाख परिगणना हुई है । इसी परिप्रेक्ष्य में सरकार ने अल्पसंख्यक आयोग, बिहार के सुझाव को ध्यान रखते हुए यह निर्णय लिया है कि नई लक्षित जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे रहनेवाले परिवारों की सूची में राज्य के तमाम निबंधित अनाथालय एवं रिमाण्ड होम में रहनेवाले गरीबी रेखा से नीचे के व्यक्तियों को भी लाया जाय । राज्य के तमाम निबंधित अनाथालय एवं रिमाण्ड होम में रहनेवाले व्यक्तियों को 6.28 व्यक्तियों का एक परिवार मानते हुए लाल राशन कार्ड निर्गत कर इस योजना से लाभान्वित किया जाय । लाल राशन कार्ड निर्गत करने के पूर्व अच्छी तरह यह छानबीन कर लिया जाय कि किसी व्यक्ति का नाम गरीबी रेखा की सूची में दुबारा अंकित न हो ।

अतः सरकार के उपर्युक्त निर्णय को ध्यान में रखते हुए राज्य के तमाम निबंधित अनाथालय एवं रिमाण्ड होम में रहनेवाले व्यक्तियों को इस पत्र में विहित निर्देश के अनुरूप लाल राशन कार्ड निर्गत करने की दिशा में आवश्यक कार्रवाई की जाय ।

विश्वासभाजन,

23/5
सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक 2382 /आ0वा0, पटना-15, दिनांक 2 मई, 1998ई0 ।

प्रतिलिपि, श्री सोहेल अहमद, अध्यक्ष अल्पसंख्यक आयोग बिहार, पटना को पत्रांक 1545, दिनांक 19.1.98 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई प्रेषित ।

23/5
सरकार के सचिव ।

परिशिष्ट - 18 (क)

बिहार सरकार,
आप, आपूर्ति एवं वाणिज्य विभाग ।

पत्रांक-प्र6--लालकार्ड-01/98- /आ. वा. ,पटना-15, दिनांक- जून, 1998 ई.

प्रेषक,

श्री विजय कुमार वर्मा,
सरकार के सचिव ।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त ।
सभी जिला पदाधिकारी/उपायुक्त ।

विषय:- राज्य के समस्त अनाथालय एवं रिमाण्ड होम में रहनेवाले व्यक्तियों को लाल राशन कार्ड निर्गत करने के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक वि. प. 2382, दिनांक-23. 5. 98 में आंशिक संशोधन करते हुए "निबंधित अनाथालय" से "निबंधित" शब्द को विलोपित किया जाता है ताकि सभी अनाथालयों के गरीबों को लालकार्ड सुगमता से उपलब्ध हो सके । कृपया इसका ध्यान रखा जाए कि इस प्रावधान का दुरूपयोग न हो ।

विश्वासभाजन,

सरकार के सचिव

ज्ञापांक- 2722 /आ. वा. ,पटना-15, दिनांक-11 जून, 1998 ई.

प्रतिलिपि, श्री सोहैल अहमद, अध्यक्ष, अल्प संख्यक आयोग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

सरकार के सचिव

अनि.x
110698

रामलखन महतो
राज्यमंत्री
खाद्य आपूर्त्ति एवं वाणिज्य विभाग

आवास : 227199
कार्यालय :
9-एग्जीबाग, पटना

पत्रांक :- 23/आ०

दिनांक :- 20/1/98

सचिव,
खाद्य, आपूर्त्ति एवं वाणिज्य विभाग, बिहार ।

बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष डा० सोहैल अहमद ने अनुशंसा की है (छाया प्रति संलग्न) कि राज्य के तमाम अनाथालय एवं आवासीय मदरसों तथा दूसरे ऐसे तमाम शिक्षा संस्थानों जो लोगों के चन्दे और दान से चल रहे हैं चाहे वह किसी सम्प्रदाय के हों उनमें पढ़नेवाले तमाम बच्चों को लाल कार्ड बनवाया जाये ।

प्रायः ऐसा देखा जाता है कि अनाथालय में रह रहे बच्चे यतीम की जिन्दगी बसर करते हुए दो जून रोटी के लिए तरसते रहते हैं । तड़पते भूख से न उन्हें उचित शिक्षा मिल पाता है न मानसिक विकास हो पाता है । ऐसे यतीम बच्चे जिस अनाथालय में रह रहे हों एवं जिसका संचालन स्थानीय लोगों के सहयोग से एवं दान से चल रहा हो ऐसे संस्थानों की सूची सम्बन्धित जिला पदाधिकारी से प्राप्त कर लाल कार्ड बनवाने की दिशा में आवश्यक कार्रवाई शीघ्र की जाए ।

(राम लखन महतो)
20/1/98

ज्ञापांक- 23 (राज्य) पटना, दिनांक- 20-1-98

प्रतिलिपि, डा० सोहैल अहमद, अध्यक्ष, बिहार राज्य अल्प संख्यक आयोग को उनके ज्ञापांक-1545, दिनांक 19.1.98 के आलोक में सूचनार्थ प्रेषित ।

(राम लखन महतो)
20/1/98

GOVT. OF. BIHAR

बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग

بِہَار ریَاستِی اَقلِیَتِی کمِیشَن

BIHAR STATE MINORITIES COMMISSION

Old Secretariat
Patna - 800 015
Phone 000000 (O)
Fax - 224208 (Home ap.)

Chairman
Prof. Sohail Ahmad

Ref. अ०अ०आ० 014-1/96-1830

Date 18.5.97

आयुक्त, खाद्य आपूर्ति एवं वाणिज्य विभाग।

आज मैं आपका ध्यान एक बहुत जरूरी, बहुत ही उपेक्षित और बेहद गंभीर मानवीय समस्या की ओर आकृष्ट कराना चाहूंगा। यह समस्या है समाज के उन गरीब, मजबूर, बेसहारा, बेजुबान और बदनसीब बच्चों का, इनको न कोई देखने वाला है और न कोई आंसू पोछने वाला। अगर किसी बच्चे का कोई है भी तो अपनी गरीबी और बदनसीबी में उनके लिए आंसू तो बहा सकता है लेकिन उनके आंसू पोछ नहीं सकता। ऐसे ही बच्चे कुछ इंसान दोस्त लोगों की हमदर्दी और मदद से अनाथालय एवं आवासीय मदरसों में पढ़ते हैं। इनकी सारी जरूरत लोगों के चंदे और दान से ही किसी तरह पूरी की जाती है। इसलिए ऐसे शिक्षा संस्थानों में पढ़नेवाले बच्चों तथा पढ़ानेवाले शिक्षकों को तरह-तरह की कठिनाइयों को झेलना पड़ता है। मुझे इसकी जानकारी है कि ऐसे शिक्षा संस्थान दूसरे समुदाय के दरम्यान भी चल रहे हैं। यह बात उल्लेखनीय है कि इस स्वार्थ और खुदगर्जी के दौर में इन गरीब और बेसहारा बच्चों की हमदर्दी और मदद में समाज के जो लोग भी खड़े हैं और इन्हें आगे बढ़ाने एवं ऊपर उठाने में लगे हुए हैं, वह सच में बहुत ही ऊंचे और काबिले कदर लोग हैं। उनके सामने श्रद्धा से सर झुक जाता है।

यह सच है कि इस सामाजिक न्याय की सरकार को बनाने में उन गरीबों, बेसहारों की भरपूर मदद और दुआ शामिल रही है और अभी भी ये लोग सरकार की हमदर्दी और दुआ में हर वक्त खड़े नजर आते हैं। साथ ही यह भी सच है कि उन गरीबों, बेसहारों की नजर इस सामाजिक न्याय की सरकार पर टिकी हुई है और सहायता एवं सहयोग के लिए हर एक की आस इस सरकार से लगी हुई है। इसलिए यह जरूरी है कि सरकार भी उन गरीबों, बेसहारों की मदद के लिए आगे आये। यह उसका फर्ज ही नहीं बल्कि उन गरीबों का कर्ज भी है जिसे सरकार को हर कीमत पह चुकाना है।

अतः यह हमारी अनुशंसा होगी कि राज्य के सभी अनाथालय एवं आवासीय मदरसों तथा दूसरे ऐसे तमाम शिक्षा संस्थानों, जो लोगों के चंदे एवं दान से चल रहे हैं, चाहे वह किसी समुदाय के हों उनमें पढ़नेवाले तमाम बच्चों के लिए लाल राशन कार्ड बनाने का फौरन आदेश निर्गत किया जाय। यह इंसानियत की बहुत बड़ी मदद होगी और अगर इस राह में कोई प्रक्रिया या नियम आड़े आता हो तो उसे शिथिल करके भी यह अहम फैसला सरकार को लेना चाहिए। इसके लिए तमाम इंसानों की

शेष पेज- 2 पर

GOVT. OF BIHAR

बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग

بِہَار ریَاستِی اَقلِیَتِی کمِیشَنْ

BIHAR STATE MINORITIES COMMISSION

Chairman
Prof. Sohail Ahmad

Phone 660006 (R)
Fax - 224296 (Home sp.)

Old Secretariat
Patna - 800 01

Hal.

Date

हमदर्दी और दुआ सरकार के साथ होगी।

यह सरकार भी इन मानव मूल्यों के लिए बचनबद्ध है। इस संबंध में आपसे दूरभाष पर बातचीत से अंदाजा हुआ कि आपके दिल में भी उन गरीबों, बेसहारों के लिए हमदर्दी और मदद का जज्बा है। और आप भी इंसानियत का दर्द रखते हैं। मैं भी उसी जज्बे के तहत यह पत्र आपको लिख रहा हूं।

मुझे उम्मीद है कि आप फौरन राज्य के सभी जिला पदाधिकारियों को स्पष्ट आदेश देंगे ताकि इन बदनसीब एवं बेसहारा बच्चों की भलाई तथा मानवता के उपकार का यह अहम कार्य जल्द से जल्द हो सके। इसी विश्वास के साथ मैं यह पत्र आपको लिख रहा हूं।

Ahmad. 18.5.98

(सोहैल अहमद)
अध्यक्ष

परिशिष्ट - 19

बिहार गवर्नमेंट प्रेस, पटना।
(बो०पी०सी०गं०)

[illegible]

[illegible]

[illegible]
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, बिहार, पटना

[illegible] मो० शफीकुज्जमा, अध्यक्ष, बिहार राज्य अल्पसंख्यक विद्यार्थी यूनियन, पटना से एक आवेदन पत्र, बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग को प्राप्त हुआ है। आवेदन पत्र मूलरूप में यहाँ संलग्न है।

आवेदन पत्र के अवलोकन से विदित है कि राजकीय तिब्बी कालेज, पटना में नामांकन हेतु ओरिएन्टल शिक्षा प्राप्त छात्रों के लिए कुल सीटों में से एक तिहाई सीट आरक्षित करने का निर्णय विभाग के विचाराधीन है, तथा राजकीय तिब्बी कालेज, पटना में नामांकन हेतु सीटों की कुल संख्या 60 थी जिसे स्वास्थ्य विभाग ने एक तरफा निर्णय ले कर संकल्प संख्या 360/दे०चि०/दिनांक 5.7.95 के द्वारा 60/साठ/से घटा कर 20/बीस/ सीट कर दिया। इस निर्णय के कारण अल्पसंख्यकों में रोष व्याप्त है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में आयोग की अनुशंसा है कि राजकीय तिब्बी कालेज, पटना में नामांकन हेतु ओरिएन्टल शिक्षा प्राप्त छात्रों के लिए कुल सीटों में से एक तिहाई सीट आरक्षित कर दिया जाए तथा संकल्प संख्या-360 दे०चि० दिनांक 5.7.95 पर पुनर्विचार करते हुए सीटों की संख्या पूर्ववत् कर दी जाए साथ ही की गई कार्रवाई से आयोग को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

कृपा इसे प्राथमिकता दें।

[illegible] आयोग
बिहार, पटना
22 दिनांक 21.05.1996

ह० अ० 21.5.96
(सोहैल अहमद)
अध्यक्ष
बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग
पटना

बिहार गवर्नमेंट ए.ई. फार्म 4
(सी०एस०-40)

चर्या-टिप्पणी

यह पत्र तो कार्यालय से वापस जायगा और न पूर्ति होगा।

आयुक्त -सह -सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, बिहार, पटना

अल्पसंख्यक आयोग के गैर सरकारी प्रेषण संख्या-32 दिनांक -21.05.96 का कृपया स्मरण करें।

उक्त संदर्भ में मो० शमीम उज्जमा अध्यक्ष, बिहार राज्य अल्पसंख्यक विभाग यूनियन राजकीय तिब्बी कालेज, पटना के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल मुझ से आज मिला।

राजकीय तिब्बी कालेज, पटना में नामांकन के संबंध में मुझे बताया है कि सत्र 1995 तथा सत्र 1996 में नामांकन हेतु विज्ञापन किया गया है।

अनुरोध है कि राजकीय तिब्बी कालेज, पटना में नामांकन हेतु मदरसा एंग्लो ओरियंटल शिक्षा प्राप्त छात्र छात्राओं के लिए कुल सिटों में से एक तिहाई सीट आरक्षित करने के बाद ही नामांकन की प्रक्रिया अपनाई जाय।

विभाग के संकल्प संख्या-3681दे0शि01 दिनांक 5.7.95 पर पुनर्विचार करते हुए सीटों की संख्या -40से बढ़ाकर पूर्ववत् 60कर दी जाए।पटने शहर वालों की बड़ी और बढ़ती हुयी आबादी को देखते हुए 60सीटों से बढ़ाने के बजाए उसे घटा कर 20 करना उनके पूर्व सिर गए हक को उनसे छीनना है।इस निर्णय को न्यायपूर्ण नहीं कहा जा सकता है।बल्कि एक बड़ी आबादी को पढ़ने और आगे बढ़ने से रोकना हुआ जो अव्यवहारिक अरिजनडेमोक्रेटिक ही नहीं बल्कि अमानवीय भी है यह ... सरकार की वंचित सामाजिक न्याय की नीति के विरुद्ध है।

अतः अनुरोध है कि कृपया इस आबादी के साथ इन्साफ करते हुए इसे बढ़ाकर कम से कम पूर्ववत् 60 कर दी जाए।इस दिशा में हुई प्रगति से मुझे भी यथाशीघ्र अवगत कराने का कष्ट करेंगे।

अल्पसंख्यक आयोग बिहार, पटना
3-6-96

।मोहम्मद।
अध्यक्ष।
बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग, पटना

परिशिष्ट - 21

बिहार सरकार,
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ।

संकल्प

विषय: आर्०एस०सी०(पायोलीजी) के आधार पर राजकीय तिब्बी कालेज, पटना में नामांकन के सम्बंध में ।

विभागीय संकल्प संख्या-98 (दो०चि०) दिनांक 25-3-95 को अधिक्रामित करते हुए राजकीय तिब्बी कालेज, पटना में 4½ वर्षीय मुख्य बी०यू०एम०एस० कोर्स में नामांकन हेतु बिहार सेकेन्ड्री (12 वां स्तर /आर्०एस०सी०, भौतिक, रसायन एवं जीव विज्ञान) या इसके समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवारों को संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित करने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है। एक वार्षिय प्राक तिब्ब कोर्स परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवारों का नामांकन ही मुख्य बी०यू०एम०एस० कोर्स में होगा ।

2. प्राक तिब्ब के एक वर्षीय कोर्स में ओरियेंटल योग्यता परीक्षा (भारतीय चिकित्सा को केन्द्रीय परिषद द्वारा अनुमोदित) उत्तीर्ण उम्मीदवारों का नामांकन होगा ।

3. बी०यू०एम०एस० मुख्य कोर्स हेतु उम्मीदवारों को उर्दू के साथ वायलोजी परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए या एम०आर्०एस० अथवा उच्च विद्यालय परीक्षा या कोई समकक्ष परीक्षा उर्दू के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए ।

4. राजकीय तिब्बी कालेज, पटना में नामांकन हेतु स्वीकृत सीटों की एक तिहाई संख्या के विरुद्ध ओरियेन्टल योग्यता धारकों का एक वार्षिक प्राक-तिब्ब कोर्स में प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर नामांकन होगा । जिसके लिए सरकार द्वारा एक समिति का गठित की जायगी ।

5. राजकीय तिब्बी कालेज, पटना में भारतीय चिकित्सा का केन्द्रीय परिषद की अनुशंसा के आलोक में 50 सीटों पर नामांकन की स्वीकृति दी जाती है।

6. प्री-तिब्ब कोर्स में नामांकन हेतु । जो 31 अक्टूबर को आयु 16 वर्ष होनी चाहिए तथा मुख्य बी०यू०एम०एस० कोर्स में नामांकन वर्ष के । अक्टूबर को आयु 17 साल होनी ~~xxxxxxx~~ चाहिए ।

7. मुख्य बी०यू०एम०एस० पाठ्यक्रम 4½ वर्ष का अवधि का होगा । जिसमें 3 व्यवसायिक परीक्षाएँ 1½ - 1½ साल के अन्तराल पर होगी । पाठ्यक्रम की समाप्ति पर 1 साल का इंटर्नशीप अनिवार्य होगा ।

आदेश: इसकी सूचना सभी सम्बंधित पदाधिकारियों को दे दी जाय ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(बी० पी० श्रीवास्तव)
सरकार के उप सचिव ।

ज्ञाप संख्या- 16/एच।-216/94-476(27) स्वा०, पटना, दिनांक- 11/7/97

प्रतिलिपि:- अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना-7 को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित । कृपया मुद्रित आदेश की 200 प्रतियाँ विभाग को प्राप्त करायी जाय ।

प्रतिलिपि:- प्राचार्य, राजकीय तिब्बी कालेज, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि:- परीक्षा नियंत्रक, बी०एम०ई०(ओ) ई०टी०/बी०सी०ई०सी०ई० को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि:- चांसलर/कुलपति, बी०आर०ए०बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि:- मंत्री, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के आप्त सचिव/आयुक्त एवं सचिव के सचिव/ अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव के सचिव/विशेष सचिव/निदेशक/उपेन्द्री चिकित्सा के सचिव/उप सचिव, प्रभारी देशी चिकित्सा के निजी सहायक को सूचनार्थ प्रेषित ।

11/7/97

प्रतिलिपि:- स्वास्थ्य सेवा निदेशालय/ देशी चिकित्सा के सभी पदाधिकारियों/ कर्मचारियों को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि:- अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/ सचिव, भारतीय चिकित्सा की केन्द्रीय परिषद, नई दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि:- प्राचार्य, जेड०एच०यू०मे०का०एवं अस्पताल, सीवान/सलाफिया यू०मे०का० एवं अस्पताल, दरभंगा/निजामिया यू०मे०का०एवं अस्प० गया को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित ।

सरकार के उप सचिव ।

ज्ञापांक- 476 (दे०चि०)
11/7/97

11/7/97

संख्या-16/एम।-216/94-873 (दिल्ली) /स्वा०

बिहार सरकार,
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग।

प्रेषक,

श्री बी०पी०श्रीवास्तव,
उप सचिव-सह-निदेशक,देशी चिकित्सा।

सेवामें,

अध्यक्ष,
बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग,
पुराना सचिवालय, पटना।

पटना, दिनांक-29/12/97

विषय: विभागीय ज्ञापांक-476 (दे०च०) दिनांक-11-7-97 की प्रति उपलब्ध कराने के सम्बंध में।

महाशय,

निदेशानुसार कहना है कि आपके गैर सरकारी प्रेषपत्र संख्या-32 दिनांक- 21-5-96 एवं 35 दिनांक- 3-6-96 के आलोक में सरकार ने राजकीय तिब्बी कालेज, पटना में 50 (पचास) छात्रों के नामांकन करने सम्बंधी निर्णय लिया है।

तत्सम्बंधी संकल्प की एक प्रति प्रेषित की जा रही है।

विश्वासभाजन

उप सचिव-सह-निदेशक (देशी चि०)
बिहार, पटना।

संख्या- 10/अति0-10-06/97 - 27(10) /स्वा0

बिहार सरकार
स्वा0चि0हि0एवं प0कo विभाग ।

प्रेषक,

श्री कन्हैया सिंह,
सरकार के उप सचिव ।

सेवा में,

सभी सिविल सर्जन,

पटना, दिनांक- 9/2/98

विषय:- अल्प संख्यक बाहुल क्षेत्र में सी0एच0सी0/पी0एच0सी0/एच0एस0सी0 खोलने के सम्बन्ध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि अल्प संख्यक बाहुल क्षेत्रों में सी0एच0सी0/पी0एच0सी0/एच0एस0सी0 का चिन्हीकरण सुनिश्चित गाँव में नहीं है, उस गाँव को चिन्हीकृत कर सी0एच0सी0/पी0एच0सी0/एच0एस0सी0 खोलवाने का प्रस्ताव भेजा जाये। साथ ही साथ उस गाँव का हरिजन आदिवासी एवं अल्प संख्यकों का जनसंख्या भी अपने मंतव्य के साथ अधोहस्ताक्षरी को अविलम्ब भेज दें।

विश्वासभाजन,
X
सरकार के उप सचिव ।

ज्ञापांक- 27(10) /स्वा0, पटना, दिनांक- 9/2/98

प्रतिलिपि- सोराब अहमद, अध्यक्ष, राज्य अल्प संख्यक आयोग, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

सरकार के उप सचि

परिशिष्ट - 24

बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग

बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक प्रकाशन निगम, पटना के कार्यालय में दिनांक 24.7.92 को 11.00 बजे पूर्वाह्न में पाठ्य पुस्तकों के अनुवाद, प्रकाशन, वितरण की समस्याओं पर हुई बैठक की कार्यवाही

उपस्थिति :

1. श्री चन्द्रिका राय,
   अध्यक्ष, बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक प्रकाशन निगम लि०, पटना
2. प्रो० जाबिर हुसेन,
   कार्यकारी अध्यक्ष, बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग, पटना
3. डा० अब्दुस्समद,
   अध्यक्ष, उर्दू सलाहकार समिति, राजभाषा विभाग, पटना
4. श्री जोगिन्दर सिंह "जोगी"
   उपाध्यक्ष, बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग, पटना
5. डा० एस. एन.
   उपाध्यक्ष, बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग, पटना
6. डा० सिद्दीक मुजीबी,
   उपाध्यक्ष, बिहार उर्दू अकादमी, पटना
7. डा० शाहिद अहमद, शोएब,
   उपाध्यक्ष, बिहार उर्दू अकादमी, पटना
8. श्री ए. बी. चतुर्वेदी,
   प्रबन्ध निदेशक, बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक प्रकाशन नि० पटना
9. प्रो० एस. के. चटर्जी,
   विभागीय प्रधान, बंगला, पटना विश्वविद्यालय-सह-
   अध्यक्ष, बिहार बंगला अकादमी, पटना
10. श्री निशीत केतु,
    आचार्य तथा अध्यक्ष, स्नातक तथा स्नातकोत्तर हिन्दी विभाग,
    पटना कालेज, पटना विश्वविद्यालय, पटना
11. श्री कुमार गौरी शंकर सिन्हा,
    क्षेत्रीय निबंधक, बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक प्रकाशन निगम लि०,
    पटना

प्रो० जाबिर हुसेन, अध्यक्ष, बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग, पटना ने भाषाई अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र-छात्राओं के भाषा एवं भाषेतर पाठ्य पुस्तक के अभाव में जिन-जिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, उनके बारे में विस्तार

में चर्चा करते हुए निम्नलिखित सुझाव दिए :

1. प्रबन्ध निदेशक, बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक प्रकाशन निगम की अध्यक्षता में स्थायी रूप से एक समिति का गठन किया जाय जो अल्पसंख्यक भाषाओं में पाठ्य पुस्तकों के लेखन, अनुवाद, छपाई, वितरण संबंधी विषयों की देख-रेख करे । समिति में बिहार उर्दू अकादमी, बिहार उर्दू सलाहकार समिति तथा बिहार बंगला अकादमी के सदस्य भी रहें । इनके अलावा अन्य अल्पसंख्यक भाषाओं जैसे उड़िया, पंजाबी, दक्षिण भारतीय भाषाओं के जानकार भी इस समिति में रखे जाएं । लेखन एवं अनुवाद का दृष्टि से स्तर एवं मानक का संतुलन रखने के लिए समिति में हिन्दी प्रगति समिति के अध्यक्ष तथा राष्ट्रभाषा परिषद के अध्यक्ष को भी विशेष तौर पर रखा जाए ।

2. भाषाई अल्पसंख्यक पुस्तकों के वितरण का भार राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में, विशेषकर जिन क्षेत्रों में अल्पसंख्यक भाषा भाषियों की जनसंख्या अधिक है, अनियोजित अल्पसंख्यक समुदाय के शिक्षित सदस्यों को सामान्य से कुछ अधिक कमीशन देकर सौंपा जाय । इस कार्य के लिए अधिक पूंजी उपलब्ध कराने हेतु बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्त निगम से भी सहयोग करने का अनुरोध किया जाए ।

3. भाषा पुस्तक तथा अन्य विषयों से संबंधित पाठ्य पुस्तकों के लेखन संकलन, अनुवाद आदि का कार्य उर्दू अकादमी, बंगला अकादमी को सौंपा जाय ।

4. पूर्व में अनुवाद की गयी पुस्तकों को सरल भाषा में रूपांतरित करने तथा आवश्यकतानुसार संशोधन करने का भार भी विभिन्न भाषा अकादमियों को दिया जाय क्योंकि छात्र/छात्राओं के लिए पूर्व में प्रकाशित कुछ पुस्तकों की भाषा समझ में आनेवाली नहीं है ।

5. अष्टम तथा दशम वर्ग की पाठ्य पुस्तकों के लिए जो पांडुलिपि तैयार है, उसे भी संबंधित अकादमी को उपलब्ध कराया जाय ताकि समय पर अकादमी द्वारा उसकी जांच एवं प्रकाशन, वितरण हो सके ।

6. प्रत्येक जिले में एक अल्पसंख्यक भाषाई पुस्तक बिक्री केन्द्र का गठन किया जाय ; इन केन्द्रों के लिए योग्य व्यक्तियों के चयन का भार अकादमी अपने हाथ में ले ।

7. राज्य सरकार द्वारा उर्दू भाषा में स्वीकृत वर्ग 1 से 4 तक की पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराई जाएं एवं इसे स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखकर ही तैयार करने एवं वितरित करने की व्यवस्था की जाय ।

8. दक्षिण भारत की ....सकर ।तेलगू। की पुस्तकों के लेखन, अनुवाद आदि का भार "दक्षिण भारतीय भाषा अकादमी" को सौंपा जाय ।

बैठक में उपस्थित बिहार उर्दू अकादमी एवं बिहार बंगला अकादमी के अधिकारियों ने उपर्युक्त प्रस्तावों का समर्थन करते हुए विश्वास दिलाया कि जिम्मेदारी सौंपे जाने पर वे तत्परतापूर्वक इसका पालन करेंगे ।

क्षेत्रीय निबंधक, श्री कुमार गौरी शंकर सिंहा, बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक प्रकाशन निगम लि० ने बताया कि बहुत सी पुस्तकें बंगला में रूपांतरण हेतु बिहार बंगला एसोसिएशन की अनुशंसा पर विभिन्न शिक्षकों को वर्ष 1991 में दी गयीं जो अबतक नहीं लौटायी गयी हैं। इ.. ...रण पुस्तकों की छपाई में भी विलंब हो रहा है ।

प्रो० जाबिर हुसेन ने अनुरोध किया कि संबंधित शिक्षकों की सूची प्रो० एस. के चटर्जी, अध्यक्ष, बिहार बंगला अकादमी को तुरंत उपलब्ध करायी जाय । प्रो० चटर्जी ने अपने स्तर से संबंधित शिक्षकों को स्मारित करते हुए शीघ्र अपना कार्य पुरा करने का अनुरोध करने का आश्वासन दिया ।

श्री चंद्रिका राय, अध्यक्ष, बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक प्रकाशन निगम ने उपर्युक्त बिन्दुओं पर अपनी सहमति व्यक्त करते हुए बताया कि अल्पसंख्यक समुदाय के शिक्षित बेरोजगारों को कुछ अधिक कमीशन देकर पुस्तकों के वितरण का भार सौंपा जा सकता है । उन्होंने प्रो० हुसेन द्वारा दिये गये प्रस्तावों एवं सुझावों पर कार्रवाई का यकीन दिलाया । श्री राय ने अपने स्तरीय पुस्तकों के लेखन, प्रकाशन के लिए निगम में "रिसर्च विंग" की स्थापना का भी आश्वासन दिया । निगम की आर्थिक कठिनाईयों का जिक्र करते हुए श्री राय ने कहा कि पाठ्य पुस्तकों के लेखन, अनुवाद प्रकाशन, वितरण के लिए अग्रिम योजना बनाने की दिशा में पहल की जाएगी ।

प्रो० जाबिर हुसेन, अध्यक्ष, बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग ने अध्यक्ष, बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक प्रकाशन निगम लि० को धन्यवाद देते हुए उनसे आग्रह किया कि पाठ्य पुस्तकों के प्रकाशन जैसे महत्वपूर्ण कार्य में भाजपायी अकादमियों के साथ समन्वय बना रहना चाहिए ।

एस. एन. दास

(श्री एस. एन. दास)
उपाध्यक्ष
बिहार राज्य अल्पसंख्यक
आयोग, पटना

(गोविन्द सिंह "जोगी")
उपाध्यक्ष
बिहार राज्य अल्पसंख्यक
आयोग, पटना

जाबिर हुसेन
कार्यकारी अध्यक्ष
बिहार राज्य अल्पसंख्यक
आयोग, पटना

बिहार सरकार
गृह । विशेष । विभाग
बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग
पटना

ज्ञाप संख्या 220 / एम. सी. पटना, दिनांक 27 जुलाई, 1992

प्रतिलिपि, अध्यक्ष, बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक प्रकाशन निगम लि० के आप्त सचिव/ अध्यक्ष, बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग के आप्त सचिव/ अध्यक्ष, उर्दू सलाहकार समिति के आप्त सचिव/ दोनों उपाध्यक्ष, बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग के आप्त सचिव/ उपाध्यक्ष, बिहार उर्दू अकादमी, के आप्त सचिव को अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के अवलोकन हेतु प्रेषित ।

। दिलीप कुमार सेन ।
उपाध्यक्ष के आप्त सचिव
बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग
पटना

ज्ञाप संख्या 220 / एम.सी. पटना, दिनांक 27 जुलाई, 1992

प्रतिलिपि, अन्य सभी उपस्थित सदस्यों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

। दिलीप कुमार सेन ।
उपाध्यक्ष के आप्त सचिव
बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग
पटना

ज्ञाप संख्या 220 / एम. सी. पटना, दिनांक 27 जुलाई, 1992

प्रतिलिपि, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/ निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, मानव संसाधन विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित

। दिलीप कुमार सेन ।
उपाध्यक्ष के आप्त सचिव
बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग
पटना

परिशिष्ट - 25 (क)

प्रो० सोहैल अहमद
Prof. Sohail Ahmad
अध्यक्ष
Chairman

राज्य अल्पसंख्यक आयोग
बिहार
STATE MINORITIES COMMISSION
BIHAR

पटना

पटना, 25 जून 1996

गृह सचिव

गरीब, पिछड़ा तथा अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के साथ राज्य के विभिन्न इलाके में हो रही बेइंसाफियों और जुल्म के संबंध में पिछले दिनों दूरभाष पर आपसे बातचीत हुयी थी । आपने मुझ से उक्त घटनाओं का विस्तृत विवरण भिजवाने का आग्रह किया था । इस पत्र में उनके दृष्टांत एवं समाचार-पत्रों की कतरनें दी जा रही हैं । पहले बिन्दुवार विवरण देखें :-

1. रांची के इस्लामनगर का रहनेवाला, शमशेर नामक युवक जो बारात में पलामू जिलान्तर्गत छतरपुर थाना ग्राम चौगोन धाम में आया था, और जिसे 11 नवम्बर, 1995 को पुलिस द्वारा गिरफतार किया गया । अत्यंत पिछड़ी जाति (धुनिया) का यह गरीब नौजवान अब तक लापता है। वह जिन्दा है या उसकी हत्या हो गयी, पुलिस इसकी भी सूचना नहीं दे रही है । (22 मई, 1996 (आज संलग्न) ।

2. 24 मई, 1996 को थाना रजौन जिला, बांका के निर्दोष जावेद एवं साबिर अंसारी को वहां के ए०एस०आई० दिनेश चन्द्र मंडल की मौजूदगी में अपराधियों ने हाथ पैर तोड़ कर मारा, मुँह में पेशाब किया और फिर जान से मार दिया गया है । अपहरण से लेकर मृत्यु तक की घटना में ए०एस०आई० शामिल था, जिसे मृत्यु शैया पर जावेद ने पुलिस को बयान में बताया । आपकी अनुपस्थिति में विशेष सचिव श्री संतोष (पुलिस) को मैंने आवश्यक कार्यवाही हेतु इसकी सूचना दी थी । आरक्षी उपमहानिरीक्षक, जिलाधिकारी, आरक्षी अधीक्षक आदि को भी मैंने अपने स्तर से कार्रवाई के लिये कहा । मुझे मालूम हुआ है कि क्षेत्रीय आरक्षी महानिरीक्षक, भागलपुर ने दिनेशचन्द्र मंडल को गिरफतार करने का आदेश दिया है। इसे सुनिश्चित करते हुये दूसरे अभियुक्तों को गिरफतार किया जाय । (12 जून, का टाईम्स ऑफ इण्डिया देखें)

3. खगड़िया जिला के मुर्गियाचक ग्राम में सात वर्षीया अंजुम आरा को 27 मई 1996 कुछ व्यक्तियों ने अपहरण कर वहां के हनुमान मन्दिर में बलात्कार किया तथा अचेतन अवस्था में उसे छोड़ दिया । एक भी अभियुक्त अभी तक नहीं पकड़ा गया है । (4 जून, 1996 का दैनिक कौमी तंजीम, पटना देखें)।

कृ०पृ०-2/-

प्रो0 सोहैल अहमद
Prof. Sohail Ahmad
अध्यक्ष
Chairman

राज्य अल्पसंख्यक आयोग
बिहार
STATE MINORITIES COMMISSION
BIHAR

पटना

4. दिनांक 12 मई, 1996 को ग्राम चोरबर थाना अरियरी जिला, शेखपुरा की एक अत्यंत पिछड़ी जाति के गरीब मजदूर की लड़की रोबैदा खातून को कुछ व्यक्तियों ने दिन दहाड़े अपहरण कर लिया । उसके बाद उसके साथ बलात्कार कर उसकी हत्या कर दी गयी ।

इन दृष्टान्तों से स्पष्ट ज्ञात होता है कि गरीब, पिछड़ों, कमजोर, अल्पसंख्यकों की जान-माल, प्रतिष्ठा आदि की रक्षा का भार प्रशासन सही प्रकार से वहन नहीं कर रहा है। मेरे पास रोज ऐसी शिकायतें आती रहती हैं, जिनपर संबंधित अधिकारियों आदि को निर्देश देकर कार्रवाई कराता रहता हूं । लेकिन इस प्रकार की घटनाओं की सततता और बारम्बारता से मैं बहुत चिन्तित हूं । मैं चाहूंगा कि इस प्रकार की घटनाओं की आशंका पर ही सतर्कता से प्रशासन को निबटना चाहिये। इसके अतिरिक्त ऐसी घटनाओं के अभियुक्तों के साथ प्रशासन सख्ती से पेश आये, इसे आप अपने स्तर से सुनिश्चित करें । अपराधी किसी धर्म जाति का हो वह कानून से ऊपर नहीं होता, उसे सख्त से सख्त सजा दिलाना हमारा कर्तव्य है। किसी प्रकार से भी भुक्तभोगियों को और अधिक प्रताड़ित होने से बचाना तथा आरोपियों को सजा दिलाना हमारा दायित्व होना चाहिये।

इसी तरह कब्रिस्तान, इमामबाड़ा, ईदगाह, वक्फ की संपत्ति तथा अन्य धार्मिक-सांस्कृतिक स्थलों पर नाजायज कबजा का एक सिलसिला चल पड़ा है। ऐसे मामलों में अल्पसंख्यकों के अधिकारों का हनन बड़े पैमाने पर हो रहा है। प्रशासन की जरासी गफलत से बड़ी घटना हो सकती है, हो जाती है। ऐसे विवाद कई बार साम्प्रदायिक दंगों का रूप ले लेते हैं। इन्हें तुरंत रोकना जरूरी है और भविष्य में ऐसी घटनायें न हों, इसके लिये कारगर कदम उठाना आवश्यक है ।

मैं आशा करता हूं कि इन मुद्दों पर आप जिला प्रशासन को स्पष्ट निर्देश देकर गरीब, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे ताकि इनकी आस्था प्रशासन एवं सामाजिक न्याय पर बनी रहे ।

आपका

स० अ० , 5.6.96.

(सोहैल अहमद)
अध्यक्ष,
बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग
पटना

परिशिष्ट - 25 (ख)

[illegible] मंडलवरी,
[illegible] एवं सचिव,
गृह विभाग, बिहार, पटना

पटना,
दिनांक -

अर्द्ध-सरकारी पत्र संख्या-_____/गृ.स.

प्रिय श्री सक्सेना,

अध्यक्ष, राज्य अल्पसंख्यक आयोग द्वारा कुछ ऐसे दृष्टांत मेरी दृष्टि में लाई गयी है जिससे पता चलता है कि अल्पसंख्यक समुदाय के कतिपय लोगों के साथ कुछ घटनाएं हुई थी जिनमें कि अभियुक्तों को अभी तक नहीं पकड़ा जा सका है। इस संबंध में अध्यक्ष, राज्य अल्पसंख्यक आयोग के पत्र संख्या-189 दिनांक 25 जून, 1996 एवं उसके अनुलग्नक की प्रतिलिपियां संलग्न की जा रही है जिससे कि स्पष्ट होगा कि यह सभी मामले गम्भीर आपराधिक प्रकृति के मामले हैं जिनमें कि अभियुक्तों को पकड़ने के लिए कारगर कार्रवाई की जानी चाहिए।

2. मेरा अनुरोध होगा कि कृपया इस संबंध में सभी संबंधित आरक्षी अधीक्षकों को अविलम्ब आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश देने की कृपा करें तथा की गयी कार्रवाई से गृह विभाग को भी अवगत करायें।

भवदीय,

ह०/-
(डी.पी. महेश्वरी)
आयुक्त एवं सचिव।

श्री एस.के. सक्सेना,
आरक्षी महानिदेशक,
बिहार, पटना।

पत्रांक-_____/गृ.स. पटना, दिनांक जून, 1996

प्रतिलिपि - अनुलग्नक की प्रतिलिपि के साथ आरक्षी अधीक्षक, पलामू, डालटेनगंज, बांका, खगड़िया एवं शेखपुरा को अविलम्ब आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-
(डी.पी. महेश्वरी)
आयुक्त एवं सचिव।

पत्रांक-_____461_____/गृ.स. पटना, दिनांक 27 जून, 1996

प्रतिलिपि - अध्यक्ष, राज्य अल्पसंख्यक आयोग, बिहार, पटना को उनके पत्र-189 दिनांक 25 जून, 96 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।

[illegible] 27/6
(डी.पी. महेश्वरी)
आयुक्त एवं सचिव।

परिशिष्ट - 26 (क)

IMPERTANT

NO. A/CP - 1014/68—14042/C

GOVERNMENT OF BIHAR

Political (Special) Department

———

From,

Shri S. D. Prasad,
Under Secretry to Government.

To,

All District Officers.

Patna, the 18th July, 1970.

Subject :—Recommendation of the Sub-Committee of the National Integration Council on Communalism about the Constitution of standing Committees to deal with the group tension—

Sir,

I am directed to enclose a copy of the Summary record of the proceedings of the Second meeting of the Sub-Committee of the National Integration Council on Communalism held on 22nd May, 1969 to New Delhi and to say that it would appear from the record therein that the members of the said Committee laid emphasise among other points, on the Counstituion of standing Committees rodsal with group tensions to prevent occurrence of incidents and to ensure Communal harmony in pockets were communal riots leading to loot and arson are cronic. 't has been in practice since long in this state whenever Communal trouble is apprehended in any part of a District, immediately, a Peace Committee consisting of prominent publicmen is formed which give valuable contribution in preserving harmonious relations between different Communition and in restoring normalcy. The Sub-Committee of the NIC have now given consideration to the manner in which these committees should be constituted and to their functioning. It was falt that these committees should be formed at the District, Tashil and Block levels and should be permanent bodies. They should not only be composed of representatives of different political parties but should have a wider cross-section of the people from different walks of life, who command the confidence of the Community in general. At the same time, the Comittee should not be unwidely. The district Magistrate should be convenor or the Secretary of the Committee at the district level, although a certain degree of flexibility would have to be maintained in this regard depending on the special circumstances and needs of each place.

In the industrial areas, tripartite Committees consisting of representatives of the employers, the employees and the Public shoud be formed to creat a climate of healthy relations among them, to locate and resolve causes of tension and generally to minimise occurrence of riots breaking out within or in the vicinity of industiral areas or township.

The Committees at various levels should work continuously for Commual harmony and would need to go into such fact or as are responsible for creating tension in the area with which they are concerned. They could associate with their work other voluntary organisations like the Gandhi Pease Foundation. These Committees could also held the District Administration in maintainging harmony between different casted and groups. In this context Communal harmony should not be interpreted in any narrow sense of involving people of different religious only.

Accordingly the State Government have decided to constitute such Comittees at District and Subdivisinal levels.

I am, there fore, to request that your recommendation in regard to the journalists and other persons to be nominated in the Committees at District and Subdivisional level may please be sent to Government immediately, taking into account all aspects of the recommendation made by the Sub-Comittee in this regard.

Yours faithfully,
Sd/- S. D. Prasad
Under Secretary to Government.

Memo No. 4042/C Patna, the 18th July, 1970

Copy with a Copy of enclosure forearded for information to :—

All Commissioners of Divisions
Inspector General of Polices, Bihar
D. I. G., C. I. D (S B.), Bihar

Sd/- S. D. Prasad
Under Cecretary to Government

परिशिष्ट - 26 (ख)

बिहार सरकार

गृह विभाग (विशेष शाखा)

प्रेषक,

श्री एन० के० पी० सिन्हा,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी।

पटना, दिनांक 16 मई, 1978.

विषय :— साम्प्रदायिक तनाव के नियंत्रण के संबंध में।

महोदय,

निदेशानुसार राजनीति (विशेष) विभाग के परिपत्र संख्या 4042 सी० दिनांक 18 जुलाई, 1970 की ओर आपका आकृष्ट करते हुए मुझे कहना है कि उक्त परिपत्र में सरकार का यह आदेश संसूचित किया गया था कि साम्प्रदायिक सद्भाव बनाये रखने के लिए जिला, अनुमण्डल तथा प्रखण्ड स्तर पर स्थायी शान्ति समिति का गठन किया जाय जिसमें दोनों ही सम्प्रदायों के प्रमुख व्यक्तियों के अतिरिक्त समाज के अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तियों को भी सम्मिलित किया जाय। उक्त परिपत्र की प्रतिलिपि पुनः संलग्न है। स्पष्टतः इस आदेश का उद्देश्य यह है कि साम्प्रदायिक तनाव की स्थिति को उत्पन्न ही न होने देने में प्रभावशाली व्यक्तियों की सहायता प्राप्त की जाय।

राज्य सरकार के आदेश संख्या 139/सी० दिनांक – 1-5-78 के द्वारा किया गया है (प्रतिलिपि संलग्न)। उप-समिति के सदस्यों का पूरी पता भी इस पत्र के साथ प्रेषित किया जा रहा है। सरकार चाहती है कि आपके जिले में जब भी साम्प्रदायिक तनाव की स्थिति उत्पन्न हो अथवा उत्पन्न होने की आशंका हो, तो वैसी स्थिति में आवश्यकतानुसार इस उप-समिति के सदस्यों का सहयोग भी प्राप्त करने हेतु उनसे संपर्क स्थापित करें। ऐसा करने से सरकार के पूर्वगामी आदेश के उद्देश्य की भी पूर्ति होती है। सूचना मिलते ही उप-समिति के सदस्यगण स्थल पर पहुँचकर आपको साम्प्रदायिक शान्ति बनाये रखने में यथासंभव सहायता प्रदान करें।

कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दी जाय।

विश्वासभाजन,
ह०/- एन० के० पी० सिन्हा
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक 1278/सी० पटना, दिनांक — 16 मई, 1978.

प्रतिलिपि—सभी प्रमण्डीय आयुक्त,
सभी क्षेत्रीय आरक्षी उप-महानिरीक्षक
सभी आरक्षी अधीक्षकों
सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।

ह०/- एन० के० पी० सिन्हा
16-5-78
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक 1278 पटना, दिनांक 16 मई, 1978.

प्रतिलिपि, आरक्षी महानिरीक्षक, बिहार तथा अपर आरक्षी महानिरीक्षक, (मुख्यालय शाखा), पटना को सूचना आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/- एन० के० पी० सिन्हा
16-5-78
सरकार के अपर सचिव।

परिशिष्ट -27

GOVT. OF BIHAR

बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग

بِهَار رِيَاسَتِي اَقلِيَتِي كمِيشَن

BIHAR STATE MINORITIES COMMISSION

Phone 660006 (R)
Fax - 224298 (Home sp.)

Old Secretariat
Patna - 800 015

Chairman
Prof. Sohail Ahmad

Ref. ज्ञापांक 03/03/TO-014-12/97 1198/

Date 16.9.97

सचिव, भारत निर्वाचन आयोग
निर्वाचन सदन, अशोक रोड,
नई दिल्ली-110001.

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सह सरकार के सचिव, बिहार के पत्रांक-ईआर.1-1903/91/एलेक:-1627 दिनांक 12.9.97 जो आपको सम्बोधित है तथा उसकी प्रति मुझे दी गई है की छाया प्रति संलग्न है। उक्त पत्र को मेरे पत्रांक-1098 दिनांक 29.8.97 जो कि मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार को लिखा गया था के आलोक में आपको भेजा गया है। मेरे उक्त पत्र की छाया प्रति भी संलग्न है।

मैंने उक्त पत्र में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी का ध्यान निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण नियम 1960 के नियम 4 के तहत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के लिए हस्त पुस्तिका के अध्याय 3 के परस्तर 8-10, की ओर ध्यान आकृष्ट कराते हुए यह सुझाव दिया था कि बिहार में अभी तक मात्र हिन्दी भाषा ही में मतदाता सूची एवं मतपत्रों का मुद्रण होते आया है जबकि उर्दू जो कि बिहार के बहुत से निर्वाचन क्षेत्रों में बहुसंख्यक भाषा है और राज्य की दूसरी राज्य भाषा भी है, में मतदाता सूची एवं मतपत्रों का प्रकाशन नहीं कराया जाता है। जबकि महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक एवं मध्य प्रदेश जैसे राज्य जहाँ उर्दू बोलने वालों की संख्या बिहार की अपेक्षा में कम है वहाँ बहुत पहले से ही उर्दू भाषा में मुद्रण कार्य होते आ रहा है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी का यह तर्क था कि हिन्दी भाषा ही में प्रकाशन का आदेश भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उन्हें है जबकि मेरा यह कहना

कृ० पृ० उ०....

GOVT. OF BIHAR
बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग
بِہَار ریَاسَتِی اَقلِیَتِی کمِیشَن
BIHAR STATE MINORITIES COMMISSION

Chairman
Prof. Sohail Ahmad

Phone 660006 (R)
Fax - 224296 (Home sp.)

Old Secretariat
Patna - 800 01

Ref.

Date

है कि उक्त नियम के तहत आयोग अपना आदेश निर्गत करती है कि किस राज्य में किस निर्वाचन क्षेत्र में किस भाषा में मतदाता सूची एवं मतपत्रों का प्रकाशन होगा । यह अनुदेश निश्चय ही राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की अनुशंसा पर ही की जाती है । बिहार में उर्दू भाषा में गठन नहीं होने का कारण यह है कि राज्य के निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा निर्वाचन आयोग को इस सम्बन्ध में अनुशंसा ही नहीं भेजा गया । इस लिए मैंने अनुशंसा की थी कि एक संशोधित प्रस्ताव निर्वाचन आयोग को उर्दू भाषा में मतदाता सूची एवं मतपत्रों के प्रकाशन हेतु भेजा जाय । परन्तु मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा आपको भेजा गया प्रासंगिक पत्र में मेरी बात को विचलित कर दिया गया है। उनके द्वारा संशोधित प्रस्ताव आपको भेजा जाना चाहिए था परन्तु ऐसा न कर उन्होंने आपको लिखा है कि " आयोग द्वारा पुनः अनुरोध पत्र भेजते हुए भारत निर्वाचन आयोग के निर्णय से अवगत कराने का अनुरोध किया गया है " ।

मैं चाहूँगा कि आप मेरी बातों की सत्यता की जाँच भारत के जनगणना आयुक्त के कार्यालय से करावें तथा बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को संशोधित प्रस्ताव भेजने हेतु निर्देश दें तथा उनके द्वारा भेजे गये प्रस्ताव के आलोक में उर्दू भाषा में मतदाता सूची के प्रकाशन एवं मतपत्रों के मुद्रण का संशोधित आदेश निर्गत की जाय । की गई कार्रवाई से मुझे भी अवगत कराने का कष्ट करेंगे ।

Ahmad 15.9.

(सोहैल अहमद)
अध्यक्ष

GOVT. OF BIHAR
बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग
بِہار ریاستی اَقلیتی کمیشن
BIHAR STATE MINORITIES COMMISSION

Chairman:
Prof. Sohail Ahmad

Phone 660006 (R)
Fax - 224296 (Home sp.)

Old Secretariat
Patna - 800 015

पत्रांक-अल्पआ0-14-12/97 1376. 11.12.97

सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग
निर्वाचन सदन, अशोक रोड
नई दिल्ली-110001.....

मेरे पत्रांक-1198 दिनांक 16.9.97 का निदेश करें। मैंने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी तह सरकार के सचिव, बिहार सरकार के पत्रांक-1627 दिनांक 12.9.97 जो आपको सम्बोधित है के संबंध में लिखा था। उक्त पत्र को मेरे पत्रांक-1098 दिनांक 29.8.97 जो कि मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार को लिखा गया था के अवलोक में आपको भेजा गया है।

मैंने उक्त पत्र में निर्वाचन राजस्ट्रीकरण नियम 1960 के नियम 4 के तहत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकार के लिए हस्तपुस्तिका की अध्याय 3 के परसार 8-10 की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए यह सुझाव दिया था कि बिहार में अभी तक मात्र हिन्दी भाषा हो में मतदाता सूची एवं मतपत्र का मुद्रण होते आया है जबकि उर्दू जो बिहार के बहुत से निर्वाचन क्षेत्रों में अल्पसंख्यक भाषा है और राज्य की दूसरी राजभाषा है, में मतदाता सूची एवं मतपत्रों को प्रकाशित नहीं कराया जाता है। जबकि महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश, कर्नाटक एवं अन्य प्रदेश जैसे राज्य जहाँ उर्दू बोलने वालों की संख्या बिहार की अपेक्षा में कम है वहाँ बहुत पहले से ही उर्दू भाषा में मुद्रण कार्य हो रहा है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी का यह तर्क है कि हिन्दी भाषा हो में मुद्रण का आदेश भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उन्हें है जबकि मेरा यह कहना है कि उक्त नियम के तहत आयोग अपना आदेश निर्गत करती है कि किस राज्य में किस

कृ० पृष्ठ०....2

निर्वाचन क्षेत्र में किस भाषा में मतदाता सूची एवं मतपत्रों का प्रकाशन होगा। यह निदेश निश्चय ही राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की अनुशंसा पर ही की जाती है। बिहार में उर्दू भाषा में मुद्रण नहीं होने का कारण यह है कि राज्य के निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा निर्वाचन आयोग को इस सम्बन्ध में अनुशंसा ही नहीं भेजा गया है। इस लिए मैंने अनुशंसा की थी कि एक संशोधित प्रस्ताव निर्वाचन आयोग को उर्दू भाषा में मतदाता सूची एवं मतपत्रों के प्रकाशन हेतु भेजी जाय परन्तु मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा आपको अब भेजा गया प्रासंगिक पत्र में मेरी बात को विचलित कर दिया गया है। उनके द्वारा संशोधित प्रस्ताव आपको भेजा जाना चाहिए था परन्तु ऐसा न कर उन्होंने आपको लिखा है कि " आयोग द्वारा पुनः अनुरोध पत्र भेजी हुए भारत निर्वाचन आयोग के निर्णय से अवगत कराने का अनुरोध किया गया है "। मैंने लिखा था कि आप मेरी बातों की सत्यता की जाँच भारत के जन गणना आयुक्त से करा लें तथा बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को संशोधित प्रस्ताव भेजने हेतु निदेश दें तथा उनके द्वारा भेजे गये प्रस्ताव के आलोक में उर्दू भाषा में मतदाता सूची के प्रकाशन एवं मतपत्रों के मुद्रण का संशोधित आदेश निर्गत किया जाय।

इस संबंध में की गई कार्रवाई से अभी तक मुझे अवगत नहीं कराया गया है। अब जबकि लोक सभा का चुनाव होने जा रहा है तथा मतदाता सूची का पुनरीक्षण भी किया जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में इस पर यथाशीघ्र निर्णय अति आवश्यक हो गया है। मुझे आशा है कि

कृ० पृ० ज०...

आजादी के 50 वर्ष बाद स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती वर्ष में बिहार की उर्दू आबादी को निश्चित रूप से निर्वाचन आयोग द्वारा न्याय मिलेगा तथा वर्ष 1998 के होने वाली लोक सभा चुनाव में बिहार के उर्दू बहुसंख्यक निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाता सूची पत्र एवं मतदाता सूची का प्रकाशन उर्दू में कराने का आदेश निर्गत कराने का सुनिश्चित किया जायेगा। की गई कार्यवाई से मुझे भी यथाशीघ्र अवगत कराने का कष्ट करें।

Ahmad. 10.12.9

॥ सोहैल अहमद ॥
अ ध्य क्ष

GOVT. OF BIHAR

बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग

بِهَار رِيَاسَتِي اَقلِيَتِي كَمِيشَنْ

BIHAR STATE MINORITIES COMMISSION

Chairman
Prof. Sohail Ahmad

Phone 660006 (R)
Fax - 224296 (Home sp.)

Old Secretariat
Patna 800 015

Ref.

पत्रांक- अ.आ.-014"12/98- 1498 /पटना, दिनांक-15.1.98

सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग,
निर्वाचन सदन अशोक रोड, नई दिल्ली-1

मेरे पत्रांक- 1198 दिनांक- 16-9-97 एवं स्मार 1376 दिनांक- 14-12-97 का निदेश करें। मैंने उक्त पत्र के द्वारा महाराष्ट्र, अंध्रा प्रदेश, करनाटका, जम्मु एवं काशमीर एवं मध्य प्रदेश की भाँति बिहार के उर्दू बहुल्य भाषी क्षेत्रों में भी मतदाता सूची एवं मतपत्रों का मुद्रण उर्दू में कराने की अनुशंसा की थी। इस संबंध में आपके द्वारा लिये गये निर्णय से मुझे अबतक अवगत नहीं कराया गया है। एक बार पुनः मेरी अनुशंसा है कि आगामी लोक सभा चुनाव के अवसर पर बिहार के उर्दू भाषी बहुल्य क्षेत्रों में मतपत्र एवं मतदाता सूची का प्रकाशन उर्दू में कराया जाय। ज्ञातव्य है कि उर्दू राज्य की द्वितीय राजभाषा है। बिहार के निम्नांकित जिलों में उर्दू भाषियों की संख्या 20 प्रतिशत से अधिक है।

1- पूर्णिया 2। कटिहार 3। दरभंगा 4। सीतामढ़ी 5"। भागलपुर 6। बेगुसराय 7। मुजफ्फरपुर 8। मधुबनी 9। सहरसा 10। पूर्वी चम्पारण 11। पश्चिमि चम्पारण 12। नवादा 13। धनबाद 14। गया 15। समस्तीपुर।

अतः मैं चाहूँगा कि कम से कम उपरोक्त सभी जिलों के सभी निर्वाचन क्षेत्रों एवं अन्य जिलों के उर्दू भाषी बहुल्य निर्वाचन क्षेत्रों में मतपत्र एवं मतदाता सूची का प्रकाशन लोक सभा चुनाव 1998 के अवसर पर उर्दू में कराया जाय तथा की गयी कार्रवाई से मुझे भी अवगत करायेंगे।

Ahmad 15.1.98

। सोहैल अहमद ।
अध्यक्ष

परिशिष्ट - 30

GOVT. OF BIHAR

बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग

بِهَار رِيَاسَتِي اَقلِيَتِي كمِيشَن

BIHAR STATE MINORITIES COMMISSION

OLD SECRETARIAT
PATNA 800 015
BIHAR

पत्रांक-अ०आ०-014-12-1605 पटना, दिनांक- 6.2.98.

डा० एम. एस. गिल,
मुख्य चुनाव आयुक्त,
कैम्प पटना।
==========

मैंने अपने पत्रांक- 1198 दिनांक 16.9.97, 1376 दिनांक-11.12.97 एवं फैक्स सम्वाद संख्या-1498 दिनांक 15.1.98 द्वारा सभी की छाया प्रति संलग्न सचिव, भारत निर्वाचन आयोग से यह अनुशंसा की थी कि बिहार राज्य में कहाँ कि द्वितीय राजभाषा उर्दू है और उर्दू भाषी की संख्या अन्य राज्यों से कहीं ज्यादा है। यहाँ के 15 जिलों में उर्दू भाषी की संख्या 20 प्रतिशत से भी अधिक है। एक दर्जन से अधिक लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र एवं 2 दर्जन से अधिक विधान सभी निर्वाचन क्षेत्र ऐसे हैं जिन्हें उर्दू भाषी बहुल्य क्षेत्र कहा जा सकता है मगर दुर्भाग्य की बात है कि बिहार के एक भी निर्वाचन क्षेत्र में आज तक मतपत्र या मतदाता सूची का प्रकाशन उर्दू में नहीं किया गया है जबकि महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश, कर्नाटक, जम्मू एवं कश्मीर तथा मध्य प्रदेश इत्यादि राज्यों में जहाँ उर्दू भाषी की संख्या बिहार की तुलना में बहुत कम है वहाँ बहुत पहले से मतपत्र एवं मतदाता सूची का मुद्रण उर्दू में होते आ रहा है। इस लिए मैंने अनुशंसा की थी कि इस बार लोक सभी चुनाव में बिहार में भी उर्दू भाषी बहुल्य क्षेत्र में मतपत्रों एवं मतदाता सूची का प्रकाशन उर्दू में कराया जाय। परन्तु इस संबंध में आयोग के निर्णय से मुझे अब तक अवगत नहीं कराया गया है।

सौभाग्य से आप बिहार पधारे हैं। मेरा अनुरोध होगा कि आप स्वयं तथ्यों की जाँच कर आगामी लोक सभी चुनाव के लिए बिहार के उर्दू भाषी बहुल्य क्षेत्रों में मतपत्रों का मुद्रण उर्दू में भी कराने का आदेश देना चाहेंगे।

Ahmad
6.2.98.

। प्रो० सोहैल अहमद ।
अध्यक्ष

परिशिष्ट - 31

(FAX No.0612 224296)

भारत निर्वाचन आयोग सचिवालय
SECRETARIAT OF THE ELECTION COMMISSION OF INDIA

तार निर्वाचन
नई दिल्ली
Gram : ELECCOM
NEW DELHI

टेलेक्स एन.डी 31 - 61312
Telex : N D 31 - 61312
फैक्स 37134;2/373394
12/373394

निर्वाचन सदन
अशोक रोड, नई दिल्ली 110 001
NIRVACHAN SADAN
ASHOKA ROAD, NEW DELHI 110 001

संख्या
No. 576/2/97-PLN-II

दिनांक 9-2-1998

To

The Chairman,
Bihar State Minorities Commission,
Old Secretariat,
Patna - 800015.

Subject : Language of electoral rolls - regarding.

Sir,

With reference to your letter No.अ.अ -014-12/98-1478 dated 15th January, 1998 regarding publication of electoral rolls of certain constituencies Bihar in Urdu besides Hindi, I am directed to say that the electoral rolls of the entire State of Bihar have since been finally published as per existing directions of the Commission in Hindi on 5th January, 1998. At present the process of General Elections to the Lok Sabha is underway and as such nothing can be done at this stage either to publish the electoral rolls of some constituencies or to print the ballot paper of those constituencies in Urdu. The Commission proposes to examine the issue only after completion of the ongoing proces of General Election to Lok Sabha.

Yours faithfully,

(K.R. PRASAD)
SECRETARY

परिशिष्ट - 32

अनुलग्न 2

पत्रांक 451

बिहार सरकार

20-सूत्री कार्यक्रम विभाग ।

प्रेषक: श्री रविन्द्र नाथ पाण्डेय,
सरकार के अवर सचिव ।

सेवा में,
बीस सूत्री कार्यक्रम से संबंधित सभी विभाग ।

पटना, दिनांक: 19.3.88

विषय: *अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ प्रधानमंत्री के 15 सूत्री सुझाव ।*

महाशय,

निदेशानुसार उपरोक्त विषयक प्रधानमंत्री के 15 सूत्री सुझाव के सूत्र संख्या- 13 (प्रति संलग्न) के अनुसार अन्य कल्याणकारी कार्यक्रमों के अतिरिक्त बीस सूत्री कार्यक्रम अन्तर्गत अल्पसंख्यकों को मुख्य रूप से जिस प्रकार लाभान्वित किया जा सकता है उसकी सूची संलग्न की जा रही है ।

आपसे अनुरोध है कि अधिनस्थ पदाधिकारियों को उनके दृढ़तापूर्वक कार्यान्वयन करने का आदेश जारी करने की कृपया व्यवस्था करेंगे ।

विश्वासभाजन,
ह0/- सरकार के अवर सचिव
19.3.88

ज्ञापांक: टी.पी.पी.-02/87/ 451 / दिनांक: 19.3.88

प्रतिलिपि- सभी प्रमण्डलीय आयुक्त (नाम से)/ सभी जिला पदाधिकारी (नाम से)/ सभी उप विकास आयुक्त/ सभी अपर समाहर्त्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/ सरकार के अवर सचिव
19.3.88

ज्ञापांक: टी.पी.पी.-02/87/ 451 / दिनांक: 19.3.88

प्रतिलिपि- अध्यक्ष, लोक उद्यम ब्यूरो/ अध्यक्ष, राज्य विद्युत बोर्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/- सरकार के अवर सचिव
19.3.88

ज्ञापांक: टी.पी.पी.-02/87/ 451 / दिनांक: 19.3.88

प्रतिलिपि- मुख्य सचिव के सचिव/ सचिव, गृह (विशेष) विभाग को सूचनार्थ ।

ह0/- सरकार के अवर सचिव
19.3.88

GOVT. OF BIHAR

बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग

بِہَار ریَاسَتِی اَقلِیَتِی کمِیشَن

BIHAR STATE MINORITIES COMMISSION

Chairman
Prof. Sohail Ahmad

Phone : 660006 (R)
Fax : 223983 (Home Sec.)
: 224296 (Spl.Sec. Home)

Old Secretariat
Patna - 800 015

Ref.

अ.आ.-

पटना, दिनांक-

Date

श्री पी.पी. शर्मा
सचिव, कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग

दिनांक 9-5-98 को आपसे हुई वार्ता का निदेश करें। मैं चाहूंगा कि आप सभी जिला पदाधिकारियों/उप विकास आयुक्तों को स्पष्ट आदेश निर्गत करें कि 20 सूत्री कार्यक्रम एवं अन्य लाभकारी योजनाओं के तहत पहुंचाए जा रहे लाभों के प्रतिवेदन में प्रत्येक माह अनुसूचित जाति/जन जाति/महिलाओं की तरह अल्पसंख्यकों के लिए भी एक अलग कॉलम रखा जाए तथा अल्पसंख्यकों को पहुंचाए गए वित्तीय एवं भौतिक लाभों का आंकड़ा उसमें निश्चित रूप से दिया जाए, जिससे तमाम सच्चाई और सबूत के साथ उसकी सही तस्वीर सामने आ सके ताकि अगर किसी को उसका हक़ नहीं मिला है तो उसे उसका हक़ दिलाया जा सके।

जब सरकार ने दूसरे विभागों को सुचारू रूप से चलाने तथा उसे ज्यादा कारगर और प्रभावी बनाने के लिए प्रमंडल से लेकर प्रखंड स्तर तक संबंधित पदाधिकारी के साथ प्रशाखा कायम कर रखा है तब यह बात उल्लेखनीय है कि इस सरकार ने जनवरी '91 से ही अल्पसंख्यकों के लिए एक अलाहदा अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय का गठन किया है और वर्तमान में एक मंत्री और एक राज्य मंत्री के साथ यह स्वतंत्र विभाग के रूप में काम कर रहा है तो अल्प संख्यक कल्याण विभाग को भी सुचारू रूप से चलाने तथा उसे कारगर और प्रभावी बनाने के लिए यह बहुत जरूरी है कि प्रमंडल से लेकर प्रखंड तक अल्पसंख्यक कल्याण प्रशाखा एवं एक पदाधिकारी के पद का सृजन हो। यदि उसमें विलम्ब हो तो तत्काल मेरी अनुशंसा होगी कि राज्य के कम से कम प्रत्येक जिले में एक अल्पसंख्यक कल्याण प्रशाखा का फौरन गठन किया जाए तथा अपर जिला दंडाधिकारी स्तर के एक निष्पक्ष एवं ईमानदार पदाधिकारी को स्थाई रूप से जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी के रूप में प्रभारी बनाया जाय ताकि अल्पसंख्यकों से संबंधित तमाम सरकारी आदेशों का पालन दृढ़ता से हो सके तथा उसे ज्यादा कारगर और प्रभावी बनाया जा सके जिससे किसी के साथ भेदभाव, अन्याय या अनदेखी न हो और सामाजिक न्याय का लाभ सुनिश्चित, समुचित और समान रूप से हर एक नागरिक तक पहुंच सके तथा हर एक को उसका हिस्सा और हक आसानी से मिल जाय। इसके लिए राज्य के तमाम अल्पसंख्यकों खासकर गरीब, दबे कुचले, बेसहारा और बेजुबान की दुआ और हमदर्दी सरकार के साथ होगी।

अत: मेरी अनुशंसा है कि तत्काल हर जिले में एक अपर जिला दंडाधिकारी को प्रभारी जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी बनाया जाय जैसा कि अल्पसंख्यकों से संबंधित मेरे उपर्युक्त तमाम सुझावों को मानते हुए जिलाधिकारी, भोजपुर श्री अमृत लाल मीणा ने एक अपर जिला दंडाधिकारी को इस अहम कार्य के लिए प्रभारी बनाने एवं अल्पसंख्यकों के लिए एक अलग कॉलम रखने का आदेश अपने पत्रांक संख्या 2196/दिनांक 30.4.98 द्वारा निर्गत किया है, जो बहुत ही कारगर और सराहनीय कदम है जिसकी छाया प्रति संलग्न है।

अत: मैं चाहूंगा कि मेरे इस पत्र की प्रतिलिपि संलग्न करते हुए आप अपना आदेश सभी विभागों/जिला पदाधिकारियों को निर्गत करें ताकि भोजपुर जिला की तरह राज्य के सभी विभागों/सभी जिलों में इस पर फौरन अमल हो।

इस संबंध में अगर कोई कनीय या वरीय पदाधिकारी सरकार की सामाजिक न्याय की नीति एवं निर्देशों का ठीक से पालन करने में टाल-मटोल, भेदभाव या अनदेखी करता है तो ऐसे दोषी पदाधिकारी के विरुद्ध फौरन कारगर और कड़ी कार्रवाई कर उसे दंडित करना होगा तथा सराहनीय कार्य करनेवाले पदाधिकारी को पुरस्कृत करना होगा तभी हकदारों को हक और इंसाफ मिलेगा तथा सामाजिक न्याय एवं सरकार के प्रति लोगों की आस्था, विश्वास और हौसला मजबूत होगा और अगर हमलोगों की जरा सी भी कोताही या नाइंसाफ़ी से सामाजिक न्याय का आन्दोलन कमजोर पड़ गया तो इतिहास कभी हमलोगों को माफ नहीं करेगा।

आपकी अल्पसंख्यकों, दलितों, पिछड़ों एवं गरीबों के प्रति संवेदनशीलता तथा जागरूकता सराहनीय है। मैं चाहूंगा कि इस गति को बनाए रखते हुए आप कारगर और मजबूत कदम उठाएंगे तथा उपयुक्त आदेशों का पालन करना सुनिश्चित करेंगे इसी विश्वास के साथ मैं यह पत्र आपको लिख रहा हूँ तथा की गई कार्रवाई से मुझे भी अवगत कराएंगे। इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देंगे।

(सोहैल अहमद)
अध्यक्ष

ज्ञापांक 1932 दिनांक- 6-6-98
प्रतिलिपि- गृह सचिव, बिहार को सूचनार्थ एवं अपने स्तर से आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

ह०
(सोहैल अहमद)
अध्यक्ष

ज्ञापांक 1932 दिनांक- 6-6-98
प्रतिलिपि- सभी मंत्री, प्रभारी जिला कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति (20 सूत्री कार्यक्रम) का सूचनार्थ एवं अपने स्तर से आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

Affidavit - 6.6.1998
(सोहैल अहमद)
अध्यक्ष

परिशिष्ट - 33

पत्र संख्या-न्यूरो-विधेयक- 29/88-1130 वि0
बिहार सरकार
वित्त (लोक उद्यम न्यूरो) विभाग ।

पटना, दिनांक 11·7·89

क,

श्री अरूण पाठक,
अध्यक्ष ।

ो में,

अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक/उपाध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक
सभी राजकीय उपक्रम ।

विषयः-

उपक्रमों के चयन समिति में अल्पसंख्यक वर्ग के प्रतिनिधि को रखे जाने के संबंध में ।

ाहोदय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषयक से संबंधित कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के पत्र संख्या-3/एम1-5066/86 का- 6725 दिनांक 22 मई 1989 (प्रतिलिपि संलग्न) को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय संसूचित करना है कि जिन पदों पर नियुक्ति/प्रोन्नति हेतु उपक्रम स्वयं सक्षम हैं उसके लिए गठित चयन समिति में यथासंभव अल्पसंख्यक (यथा मुस्लिम, ईसाई एवं सिख) समुदाय के किसी एक पदाधिकारी को सदस्य के रूप में मनोनीत करने की व्यवस्था की जाय ।

विश्वासभाजन,

ह0/- अरूण पाठक,

अध्यक्ष

वित्त (लोक उद्यम न्यूरो) विभाग

ज्ञापांक- 1130/वि0, पटना दिनांक 11·7·89

प्रतिलिपिः- कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग/गृह (वि0) को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/- टी0 के0 घोष
संयुक्त निदेशक,
वित्त (लोक उद्यम ब्यूरो) विभाग ।

परिशिष्ट - 34

पत्रांक-27/अनी॰ एवं वि॰-14/96ज॰ शि॰ 25.
बिहार सरकार,
सेकेण्ड्री, प्राथमिक एवं वयस्क शिक्षा विभाग ।

प्रेषक,

श्री विष्णु कुमार,
निदेशक, जन शिक्षा, बिहार, पटना ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी-सह-
अध्यक्ष, जिला साक्षरता समिति ।

पटना, दिनांक- 21 मार्च, 98

विषय :- बिहार प्रदेश मुस्लिम काफ्रेंस को जिले में चलाये जा रहे सम्पूर्ण साक्षरता अभियान में सम्मिलित करने के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि अध्यक्ष, राज्य अल्प संख्यक आयोग, बिहार ने अनुरोध किया है कि बिहार प्रदेश मुस्लिम काफ्रेंस द्वारा चलाये जा रहे सम्पूर्ण साक्षरता कार्यक्रम को जिले में चलाये जा रहे सम्पूर्ण साक्षरता अभियान में सम्मिलित किया जाय ।

अतः अनुरोध है कि अल्प संख्यकों में साक्षरता के प्रचार-प्रसार पर विशेष ध्यान देने की कृपा करें ।

विश्वासभाजन,

(विष्णु कुमार)
निदेशक, जन शिक्षा, बिहार, पटना ।

ज्ञापांक-25/ पटना, दिनांक- 21 मार्च, 98

प्रतिलिपि :-अध्यक्ष, राज्य अल्प संख्यक आयोग, बिहार को उनके पत्रांक-365 एम॰ सी॰ दिनांक-8.11.96 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

महेन्द्र/
20/3

(विष्णु कुमार)
निदेशक, जन शिक्षा, बिहार, पटना ।

पत्रांक-वी./सी., आई.पी.एल.-107/86 पाटना 1016/सी.

बिहार सरकार

गृह। विशेष। विभाग

प्रेषक,

श्री एस.पी. केशव,
सरकार के विशेष सचिव,

सेवा में,

सचिव, ग्रामीण विकास विभाग/वन विभाग/
विधि। वक्फ। विभाग, बिहार, पटना ।

पटना, दिनांक- 20 मार्च 1987 ई.

विषय: कब्रिस्तान की घेराबंदी एन.आर. .ई.पी. तथा सामाजिक वानिकी योजनाओ के अन्तर्गत किए जाने के संबंध में ।

महोदय,

निदेशानुसार अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ प्रधान मंत्री के 15 सूत्री सुझावों के कार्यान्वयन के संबंध में दिनांक- 31-10-86 को मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक जिसकी कार्यवाही विभागीय ज्ञापांक- 5660 दिनांक- 20-11-86 के द्वारा आपको भेजी गई है की कंडिका 11.4। का उद्धरण पुनः संलग्न करते हुए अनुरोध है कि इस संबंध में अपने स्तर से आवश्यक निर्देश सम्बोधित विभागीय पदाधिकारियों को निर्गत करने की कृपा की जाय तथा कृत कार्रवाई से इस विभाग को अवगत कराया जाय ।

विश्वास भाजन,

ह0/-
सरकार के विशेष सचिव,
19-3-87

14. आपूर्ति मंत्री ने कब्रिस्तान एवं वक्फ सम्पत्तियों की भूमि पर हुए अतिक्रमण की ओर ध्यान आकृष्ट किया । उन्होंने बताया कि ऐसे ही झंझट कभी कभी साम्प्रदायिक संघर्ष का रूप ले लेते हैं । गृह सचिव ने बताया कि कब्रिस्तान की घेरा बंदी करने के बारे में एक निदेश गृह (विशेष) विभाग से पहले ही जा चुका है फिर इसे दुहरा दिया जायगा । आपूर्ति मंत्री ने कहा कि जिला पदाधिकारियों के पास कोई निधि इस कार्य हेतु नहीं रहती है । वित्त व्यवस्था में भी पर्याप्त आवंटन नहीं रहता है । उन्होंने कहा कि एन. आर. ई. पी. तथा सामाजिक वानिकी योजनाओं के अन्तर्गत यदि पेड़ भी किनारे किनारे लगा दिय जाय तो स्वतः सीमांकन हो जायगा और लोगों को इससे अन्य प्रकार का भी लाभ होगा । इस सुझाव का अनुमोदन किया गया ।

(का. गृह (पि.) / वित्त सचिव ।

परिशिष्ट - 35 (क)

अ0-सरकारी पत्र संख्या- 3317 पटना, दिनांक- 29.5.2000

प्रिय श्री मनोज कुमार जी,

आपसे हुई दूरभाष वार्ता का स्मरण करें । उसमें मैंने कब्रिस्तान के चारो ओर एवं उसके अंदर खाली जगहो पर वन विभाग द्वारा पेड़ लगाने के संबंध में सुझाव दिया था ।

मै चाहूँगा कि उक्त सुझाव के संबंध में आप स्वयं वन विभाग के उच्च पदाधिकारियों के साथ आयोग की एक बैठक जल्द की जाए ताकि वन विभाग द्वारा एक स्पष्ट आदेश राज्य के समस्त जिला वन पदाधिकारी को दिया जाए कि समस्त जिलो के कब्रिस्तानों को चहारदीवारी स्थानीय अल्पसंख्यक लोगो की सहमती एवं सहयोग से किया जा सके । इससे कब्रिस्तान की सिक्योरिटी के साथ-साथ पर्यावरण की बेहतरी को भी बढ़ावा मिलेगा तथा शुद्ध वातावरण एवं हरियाली का लाभ लोगो को पहुँचेगा । कृपया बैठक की तिथि एवं समय से जल्द सूचित करेंगें ।

मुझे आशा है कि आपके द्वारा यह अहम एवं बड़ा काम जल्द हो जाएगा । इसी विश्वास के साथ मै यह पत्र आपको लिख रहा हूँ ।

भवदीय,
Ahmad
29.5.2000
(सोहैल अहमद)

सेवा में,

श्री मनोज कुमार यादव,
मंत्री, वन एवं पर्यावरण विभाग,
बिहार, पटना ।

परिशिष्ट - 36

परिशिष्ट - 37

GOVT. OF BIHAR

बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग

بِہَار ریَاستِی اَقلِیَتِی کمِیشَن

BIHAR STATE MINORITIES COMMISSION

OLD SECRETARIAT
PATNA - 800 015
BIHAR

Dated :-

Ref. :-

अल्पसंख्यक समुदाय के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों की सूची :

1- बहादुर शाह जफर
2- मौलाना इमदादुल्ला मोहाजिर मक्की
3- यदस्तीन तैयबजी
4- मौलाना फजल हक खैराबादी
5- आबेदुल्ला सिन्धी
6- अशफाकुल्ला खाँ
7- बेगम जीनत महल
8- मौलाना महमूदुल हसन, अतीरे मालटा। मालटा बंदी।
9- सैफुद्दीन किचलु
10- आसिफ अली
11- मौलाना मोहम्मद अली जौहर | । अली बन्धु ।
12- मौलाना शौकत अली
13- बी अम्मा
14- हकीम अजमल खाँ
15- डा० मुख्तार अहमद अंसारी
16- मौलाना हसरत मोहानी
17- मौलाना अबुल कलाम आजाद
18- मौलाना आजाद सुभानी
19- मौलाना हुसैन अहमद मदनी
20- शहीद पीर अली

बिहार

कृ० कृ० उ०.

GOVT. OF BIHAR

बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग

بِهَار رِيَاستِي اَقلِيَتِي كمِيشَنْ

BIHAR STATE MINORITIES COMMISSION

Dated :-

Ref. :-

OLD SECRETARIAT
PATNA - 800 015
BIHAR

21-	वारित अली	बिहार
22-	अली करीम	"
23-	शेख भिखारी	"
24-	बरतख मियाँ	"
25-	उल्लमाए तादिकपुर	"
26-	मौलाना भजहरूल हक	"
27-	प्रो० अब्दुल बारी	"
28-	हसन इमाम	"
29-	अली इमाम	"
30-	डा० सैयद महमूद	"
31-	डा० मगफूर अहमद एजाज़ी	"
32-	मौलाना मंजूर अहसन एजाज़ी	"
33-	शाह जुबैर	"
34-	शाह औजैर	"
35-	अब्दुल क्यूम अंतारी	"
36-	जब्बार हुसैन	"
37-	मौलाना तजराद	"
38-	मौलाना तकी दाऊदी	"

(इमाम बन्धु)

(एजाज़ी बन्धु)

(मजीमी बन्धु)

परिशिष्ट - 38

पत्र संख्या- 3/एम-15066/86-का0-6725
बिहार सरकार
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

श्री एम0एल0 मजुमदार,
सरकार के सचिव ।

सेवा में,

सरकार के सभी विभाग
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त
सभी समाहर्ता ।

पटना, दिनांक 22 मई 1989, ई0 ।

विषय:- सरकारी सेवा में अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय पर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे कहना है कि अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ प्रधानमंत्री के 15 सूत्री कार्यक्रम का कार्यान्वयन राज्य में किया जा रहा है । इन 15 सूत्री कार्यक्रमों में से एक कार्यक्रम यह है कि सरकारी सेवा में तथा विभिन्न लोक उपक्रमों में अल्पसंख्यक समुदाय को पर्याप्त प्रतिनिधित्व होना चाहिए । चूंकि अल्पसंख्यक समुदायों के लिए पद आरक्षित रखना संवैधानिक नहीं है इसलिए यह आवश्यक है कि इन समुदायों के उम्मीदवारों को विशेष रूप से चयन किया जाय ताकि सरकारी सेवा में सरकार के अधीन लोक उपक्रमों के सेवा में उनको प्रतिनिधित्व पर्याप्त हो ।

2. उपर्युक्त तथ्य के आलोक में सरकार ने इस विषय पर भली-भाँति विचार कर निम्न निर्णय लिया है ।

3. नियुक्ति/प्रोन्नति हेतु गठित चयन/आयोग में अल्पसंख्यक समुदाय (यथा मुसलमान, ईसाई एवं सिख) के किसी एक पदाधिकारी को यथासंभव सदस्य के रूप में मनोनीत किया जाय ।

4. सरकार का विचार है कि चयन/प्रोन्नति समिति में अल्पसंख्यक समुदाय के प्रतिनिधित्व सदस्य के रूप में रहना सरकारी सेवा/लोक उपक्रम के सेवा में उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व में सहायक सिद्ध होगा ।

विश्वासभाजन,

ह0/-एम0एल0 मजुमदार,
सरकार के सचिव ।

ज्ञाप संख्या-3/एम-5066/86 का0-6725 पटना-15, दिनांक 22 मई, 1989.
प्रतिलिपि:-अग्रसारित । अल्पसंख्यक लोक उपक्रम ब्यूरो को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु

2. अनुरोध है कि यह व्यवस्था लोक उपक्रमों में भी लागू की जाय ।
ह0/- एम0एल0 मजुमदार
सरकार के सचिव ।

बिहार सरकार,
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

सकल्प

विषय:- बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम-1991 की अनुसूची-1 में इदरीसी या दर्जी (मुस्लिम) को जोड़ने के संबंध में।

राज्य सरकार ने बिहार अधिनियम-12, 1993 की धारा-3 में प्रदत्त शक्तियों के अधीन "पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग" का गठन किया है। आयोग बिहार अधिनियम-3, 1992 की अनुसूची एक एवं दो में पिछड़े वर्ग के सम में नागरिकों के किसी वर्ग को सम्मिलित करने के अनुरोध की जाँच करेगी और ऐसी सूचियों में किसी पिछड़े वर्ग के अंतिसमावेशन या अल्प समावेशन से संबंधित शिकायतों की सुनवाई करेगी। इसके उपरान्त आयोग द्वारा राज्य सरकार को ऐसी सलाह दी जायेगी जैसा वह उचित समझे। बिहार अधिनियम-12, 1993 की धारा-9(2) के अनुसार "पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग" की इस संबंधी राय मानने के लिए सामान्यतया राज्य सरकार बाध्य होगी।

पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग द्वारा विधिवत जाँच के उपरान्त अनुशंसा की गयी है कि इदरीसी (दर्जी) (मुस्लिम) वर्ग को पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची-2) के क्रमांक-32 से विलोपित कर अत्यन्त पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची-1) में सम्मिलित किया जाय।

अतः राज्य सरकार ने भली-भाँति विचार करने के उपरान्त यह निर्णय लिया है कि पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग द्वारा की गयी अनुशंसा के आलोक में बिहार अधिनियम-3, 1992, बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम 1991 की पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची-2) के क्रमांक-32 पर अंकित इदरीसी या दर्जी (मुस्लिम) जाति को विलोपित कर अत्यन्त पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची-1) के क्रमांक-107 पर अंकित किया जाय।

अतः समावेशन के फलस्वरूप इदरीसी या दर्जी (मुस्लिम) जाति को राज्य सरकार की सेवाओं, जिला परिषद, नगर पालिका, अर्द्ध सरकारी सेवाओं, विश्वविद्यालयों एवं लोक उपक्रमों की सेवाओं में अत्यन्त पिछड़े वर्ग को मिलने वाले आरक्षण का लाभ मिलेगा। इसके अतिरिक्त संबंधित आरक्षित वर्ग को देय अन्य सुविधायें अनुमान्य होंगी। इस लाभ की गणना निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगा।

कृपया।

आदेश:- अतः यह आदेश है कि सर्व साधारण की जानकारी के लिए इसे राज्य राज-
गजट के असाधरण अंक मे प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रतिलिपि
महालेखाकार, बिहार, पटना तथा रांची/ बिहार लोक सेवा आयोग/
पिछड़े वर्गो के लिए राज्य आयोग/ सभी विभाग/ सभी विभागाध्यक्ष/
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/ सभी जिला पदाधिकारी/ मुख्य मंत्री सचिवालय/
बिहार विधान सभा/ बिहार विधान परिषद को सूचनार्थ एंव आवश्यक
कार्रवाई के लिए भेजी जाय ।

17/3/87

(नवीन कुमार)
सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक-11/विo-पि०व०आ०-01/97का० 34 /पटना-15, दिनांक 17 मार्च, 1987

प्रतिलिपि, अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना/ महालेखाकार, बिहार, पटना तथा रांची/अध्यक्ष, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/ सदस्यसचिव, पिछड़े वर्गो के लिए राज्य आयोग, पटना/ सरकार के सभी विभाग/ सभी विभागाध्यक्ष, सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/ सभी जिला पदाधिकारी/ मुख्य मंत्री सचिवालय/ अध्यक्ष, बिहार विधान सभा/ अध्यक्ष, बिहार विधान परिषद/ सभी विश्वविद्यालय के कुलपति को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रत्येक विभाग/ विभागाध्यक्ष से अनुरोध है कि उनके अधीनस्थ सभी कार्यालयों/स्थानीय [illegible] को अविलम्ब सूचित करा दें ।

17/3/87

(नवीन कुमार)
सरकार के सचिव ।

pa/

परिशिष्ट - 40

बिहार शिक्षा परियोजना
BIHAR EDUCATION PROJECT
बेल्ट्रॉन भवन, शास्त्रीनगर, पटना - 800 023
BELTRON BHAWAN, SHASTRI NAGAR, PATNA - 800 023
☎ (0612) 280498, 284792
फैक्स/FAX (0612) 281006

Capt/1506
Date 06/6/98

प्रेषक,
कैप्टन आर. पी. सिन्हा
कार्यक्रम पदाधिकारी

सेवा में,
अध्यक्ष के आप्त सचिव,
बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग,
पुराना सचिवालय, पटना।

विषयः पर्यावरण अध्ययन-1 में अल्पसंख्यक समुदाय के स्वतंत्रता सेनानियों की विवरणी शामिल करने के सम्बन्ध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक भवदीय पत्रांक 1997 दिनांक 05.06.98 के संबंध में सूचित करना है कि कक्षा-3 के लिए पर्यावरण अध्ययन-1 नामक पुस्तक परियोजना द्वारा विकसित की गई है। यह पुस्तक अभी प्रेस में ही है, जुलाई '98 तक इसके प्रकाशित होने की संभावना है। प्रकाशित होने के तुरत बाद इसकी यथा वांछित दो प्रतियाँ आपकी सेवा में भेज दी जाएँगी।

2. उपर्युक्त पुस्तक में अल्पसंख्यक समुदाय के जिन स्वतंत्रता सेनानियों की विवरणी शामिल की गई है, उनके नाम निम्नलिखित हैं-

(i) पीर अली
(ii) बत्तख मियाँ अन्सारी
(iii) मौलाना मजहरूल हक

3. अल्पसंख्यक समुदाय के अन्य स्वतंत्रता सेनानियों की विवरणी क्रमशः पर्यावरण अध्ययन-2 (कक्षा-4 के लिए) एवं पर्यावरण अध्ययन-3 (कक्षा-5 के लिए) नामक पुस्तकों में, जो कालान्तर में परियोजना द्वारा विकसित होने वाली हैं, शामिल की जाएगी एवं प्रकाशित होने के बाद पुस्तकें आपकी सेवा में भेज दी जाएंगी।

विश्वासभाजन,
6/6/98
(कैप्टन आर. पी. सिन्हा)

घर-घर में शिक्षा का दीप जलाना है।

परिशिष्ट - 41

निदेशक का कार्यालय, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, बिहार

OFFICE OF THE DIRECTOR, PRINTING AND STATIONERY, BIHAR

पुराना सचिवालय, बैरक सं० 12,
पटना-800015

OLD SECRETARIAT, BARRACK NO. 12,
PATNA—800015

पत्र क्रम/Ref. नि०मु०ले०-६५/९७/ ६६/निमुले। दिनांक Dated 13-2-98

सेवा में

अपर वित्त आयुक्त (व्यय)
बिहार, पटना।

विषयः विभागीय नियुक्ति/ प्रोन्नति समिति में अल्पसंख्यकों के एक सदस्य को रखे जाने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक अध्यक्ष बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग पटना से प्राप्त पत्रांक-१३९६ दिनांक १८-१२-९७ की प्रतिलिपि अवलोकनार्थ संलग्न है जिसके द्वारा विभागीय नियुक्ति/ प्रोन्नति समिति में अल्पसंख्यकों के एक सदस्य को रखे जाने की अनुशंसा की गयी है।

अनुरोध है कि आयोग की अनुशंसा के अनुसार शीघ्र तदनुसार आवश्यक [illegible] कर दी जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-(जे० एस० चौधरी)
निदेशक

पत्र संख्या- ६५/निमुले। पटना, दिनांक- 13-2-98

प्रतिलिपि- अध्यक्ष बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग पटना को उनके पत्रांक १३९६ दिनांक १८-१२-९७ के प्रसंग में सूचनार्थ प्रेषित।

13/2/98

(जे० एस० चौधरी)
निदेशक

परिशिष्ट - 42

बिहार सरकार
सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग

पत्र संख्या- पी.बी. (4)6-05/97/ 299 सू.ज.स.वि., दिनांक 13 फरवरी, 1998 ई.

प्रेषक,

श्री राम स्वार्थ हाजरा,
निदेशक,
सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग,
बिहार, पटना।

सेवा में,

अध्यक्ष
बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग,
पटना।

विषय : बिहार डायरी, 1998 में हिजरी सम्वत् शामिल करने के संबंध में।

प्रसंग : आपका पत्रांक 1616, दिनांक 13-2-98 ई. ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय एवं प्रसंग में कहना है कि बिहार डायरी, 98 की उत्कृष्ट प्रतियों में अन्य सम्वतों के साथ हिजरी सम्वत् भी यथास्थान अंकित किया गया है जिसकी प्रति आपको भी उपलब्ध करा दी गई है। बिहार डायरी, 98 की सामान्य प्रतियां शीघ्र ही उपलब्ध होने वाली हैं, जिसमें हिजरी सम्वत् कैलेण्डर रूप में प्रकाशित हो गया है।

उक्त कार्य आपके सुझाव एवं प्रयास के कारण हो सका है, जिसके लिए विभाग आपका अभार प्रकट करता है। आपके व्यक्तिगत प्रयास से अल्पसंख्यक समुदाय का मान-सम्मान बढ़ा है जो अतिप्रशंसनीय है।

कृपया धन्यवाद स्वीकार कर हमें अनुगृहीत करने का कष्ट करेंगे।

विश्वासभाजन

13/2/98

निदेशक, सूचना एवं जन संपर्क विभाग, बिहार, पटना।

GOVT. OF BIHAR

बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग

بِهَار رِيَاسَتِي اَقلِيَتِي كَمِيشَن

BIHAR STATE MINORITIES COMMISSION

OLD SECRETARIAT
PATNA - 800 015
BIHAR

Dated: 12.3.1998

Ref.: 31.3/10.015/98-1669

आदरणीय राबड़ी जी,

इस पत्र के साथ अल्पसंख्यकों के विभिन्न सामाजिक, शैक्षणिक एवं आर्थिक समस्याओं के निराकरण हेतु अनुशंसाएं 'अल्पसंख्यकों के लिए पैकेज' के रूप में संलग्न कर भेज रहा हूं।

अनुरोध है कि इन्हें महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में समायोजन कर इसका कार्यान्वयन अगले वित्तीय वर्ष में कराने हेतु आदेश देने की कृपा करें। इससे अल्पसंख्यकों में सरकार की छवि और यश पर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा तथा उनलोगों की आस्था सरकार एवं सामाजिक न्याय पर और मजबूत होगी।

आशा है कि आप मेरे सुझावों से सहमत होंगी।

शुभकामनाओं के साथ,

विश्वासभाजन,

Ahmad. 12.3.98

(सोहैल अहमद)

अध्यक्ष

श्रीमती राबड़ी देवी,

मुख्यमंत्री,

बिहार सरकार, पटना।

GOVT. OF BIHAR

बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग

بِہار ریاستی اَقلیتی کمیشن

BIHAR STATE MINORITIES COMMISSION

OLD SECRETARIAT
PATNA - 800 015
BIHAR

Dated :-

Ref. :-

अल्पसंख्यकों के लिए पैकेज

1. प्रधानमंत्री के 15 सूत्री कार्यक्रम के अधीन कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग के पत्रांक- 450 दिनांक 19-3-88 एवं पत्रांक- 562 दिनांक 28-8-97 के आलोक में 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत चलाएं जा रहे विभिन्न विकास कार्यक्रमों एवं ऋण मुहैया करने तथा ऐसे कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए गठित विभिन्न समितियों में अल्पसंख्यकों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में जो कम से कम 20 प्रतिशत हो, का लाभ पहुंचाने का आदेश निर्गत किया जाय। (अनु. I)

2. प्रधानमंत्री के 15 सूत्री कार्यक्रमों के तहत कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के पत्रांक- 6725 दिनांक 22-5-89 के तहत निर्गत आदेश जिसमें कहा गया है कि सरकार के प्रत्येक विभाग एवं उपक्रमों द्वारा गठित नियुक्ति/प्रोन्नति समितियां/आयोग में अल्पसंख्यक समुदाय के एक पदाधिकारी को सदस्य के रूप में रखने का प्रावधान है, का दृढ़ता से पालन कराया जाय। (अनु. II)

3. केन्द्र सरकार की योजना के अनुरूप सभी कब्रिस्तानों की घेराबंदी जवाहर रोजगार योजना/सुनिश्चित रोजगार योजना के तहत कराना सुनिश्चित किया जाय। इस कार्य के लिए निधि कर्णीकित की जाय तथा इसका प्रतिवेदन भी अलग से मांगा जाय।

4. राजस्व विभाग के तहत वितरित किए जानेवाली गैर मजरूआ भूमि एवं अधिशेष भूमि में अल्पसंख्यकों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में लाभ पहुंचाने का आदेश निर्गत किया जाय।

5. नये वक्फ कानून के तहत आयुक्त, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव को, प्रमंडलीय आयुक्तों को अपर वक्फ आयुक्त, सभी अवर समाहर्ता को सहायक वक्फ आयुक्त एवं सभी अंचलाधिकारियों को अवर सहायक वक्फ आयुक्त घोषित किया जाय तथा वकफ की जायदाद का सर्वे कराकर अतिक्रमण मुक्त कराया जाय।

6. द्वितीय राजभाषा उर्दू के निदेशक को वित्तीय शक्तियां अविलम्ब प्रदान की जाय तथा निदेशालय को सुदृढ़ बनाया जाय।

7. पटना में अरबी-फारसी विश्वविद्यालय की स्थापना अविलम्ब किया जाय।

8. जिला स्तर पर अल्पसंख्यक भाषाओं एवं शिक्षा के संबंध में समस्याओं के निराकरण हेतु एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति का गठन प्रत्येक जिला स्तर पर किया जाय। जिसके अध्यक्ष जिलाधिकारी एवं सचिव जिला शिक्षा अधीक्षक हों तथा 4 गैर सरकारी अल्पसंख्यक भाषी सदस्य के रूप में हों।

9. साक्षरता मिशन में उर्दू भाषा को उचित स्थान दिया जाय ताकि उर्दू भाषी में साक्षरता का शत्-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त किया जा सके।

10 जिला शिक्षा परियोजनाओं में उर्दू एवं अन्य अल्पसंख्यक भाषा को उचित स्थान देकर उन भाषाओं के स्कूल जानेवाले बच्चों का शत्-प्रतिशत दाखिला नये सत्र में सुनिश्चित किया जाय।

GOVT. OF BIHAR
बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग
بِہار ریاستی اَقلیتی کمیشن
BIHAR STATE MINORITIES COMMISSION

Dated :-
Ref. :-

OLD SECRETARIAT
PATNA - 800 015
BIHAR

23.. राज्य के प्रत्येक विद्यालय में राजभाषा हिन्दी के समान द्वितीय राजभाषा उर्दू का एक शिक्षक अनिवार्य रूप से नियुक्त किया जाए। जिस स्कूल में उर्दू भाषी छात्र नहीं होंगे, वहां उर्दू शिक्षक हिन्दी भाषी छात्रों में जो उर्दू सीखने, पढ़ने के इच्छुक हों, उन्हें उर्दू पढ़ाएंगे। इससे सांस्कृतिक समागम और साम्प्रदायिक सदभाव को प्रेरणा मिलेगी।

24. मुस्लिम बालिकाओं में शिक्षा की कमी को दूर करने के लिए यह ज़रूरी है कि प्रत्येक जिला में एक बालिका आवासीय मदरसा/उच्च विद्यालय की स्थापना की जाए जिसमें धार्मिक एवं परम्परागत शिक्षा के साथ-साथ व्यावसायिक प्रशिक्षण की भी व्यवस्था हो। (ज्ञातव्य है कि पूर्व मुख्यमंत्री श्री लालू प्रसाद ने अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के कार्यों की समीक्षा करते समय चिंता भी प्रकट की थी तथा इस संबंध में योजना बनाने का निदेश दिया था)।

25. अल्पसंख्यक विद्यालयों से संबंधित समस्याओं को निपटाने तथा उनके शिक्षा संबंधी समस्याओं के समाधान हेतु यह बहुत जरूरी है कि एक पृथक अल्पसंख्यक शिक्षा निदेशालय गठित किया जाए। जिसके निदेशक को विभागाध्यक्ष का दर्जा प्राप्त हो।

26. पटना में हाईकोर्ट के निकट स्थित वक्फ की भूमि पर एक हज हाउस का निर्माण कराया जाय।

27. उर्दू अकादमी का अनुदान 50 लाख कर दिया जाय। साथ ही अंजुमन तरक्की-ए-उर्दू बिहार एवं बंगला अकादमी की अनुदान राशि भी कम से कम दस-दस लाख की जाय। बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड और शिया वक्फ बोर्ड की अनुदान राशि भी बढ़ाई जाए।

28. पंजाबी एकेडमी की स्थापना शीघ्र की जाय।

29. राज्य में मतदाता सूची एवं मतपत्र अगलें चुनाव से द्वितीय राजभाषा उर्दू में भी प्रकाशित करने हेतु निर्वाचन आयोग से अनुशंसा की जाय।

30 अनुकंम्पा के आधार पर नियुक्ति के निमित्त आवेदन करने की निर्धारित 2 वर्ष की सीमा समाप्त की जाय या इसे आरक्षी सेवा के व्यक्तियों को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति की तरह अर्थात 'बाल आरक्षी' के अनुरूप नियुक्ति की व्यवस्था की जाय।

31 यह सुनिश्चित किया जाए कि दंगों में मृतकों के आश्रितों को मुआवजे की राशि का भुगतान घटना के तीन माह के अंदर कर दिया जाए ताकि भुगतान के लिए उन्हें लम्बी अविध तक दर-दर भटकना नहीं पड़े।

GOVT. OF BIHAR
बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग
بِہار ریاستی اَقلیتی کمیشن
BIHAR STATE MINORITIES COMMISSION

Dated :-
Ref. :-

OLD SECRETARIAT
PATNA - 800 015
BIHAR

23.. राज्य के प्रत्येक विद्यालय में राजभाषा हिन्दी के समान द्वितीय राजभाषा उर्दू का एक शिक्षक अनिवार्य रूप से नियुक्त किया जाए। जिस स्कूल में उर्दू भाषी छात्र नहीं होंगे, वहां उर्दू शिक्षक हिन्दी भाषी छात्रों में जो उर्दू सीखने, पढ़ने के इच्छुक हों, उन्हें उर्दू पढ़ाएंगे। इससे सांस्कृतिक समागम और साम्प्रदायिक सदभाव को प्रेरणा मिलेगी।

24. मुस्लिम बालिकाओं में शिक्षा की कमी को दूर करने के लिए यह ज़रूरी है कि प्रत्येक जिला में एक बालिका आवासीय मदरसा/उच्च विद्यालय की स्थापना की जाए जिसमें धार्मिक एवं परम्परागत शिक्षा के साथ-साथ व्यावसायिक प्रशिक्षण की भी व्यवस्था हो। (ज्ञातव्य है कि पूर्व मुख्यमंत्री श्री लालू प्रसाद ने अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के कार्यों की समीक्षा करते समय चिंता भी प्रकट की थी तथा इस संबंध में योजना बनाने का निदेश दिया था)।

25. अल्पसंख्यक विद्यालयों से संबंधित समस्याओं को निपटाने तथा उनके शिक्षा संबंधी समस्याओं के समाधान हेतु यह बहुत ज़रूरी है कि एक पृथक अल्पसंख्यक शिक्षा निदेशालय गठित किया जाए। जिसके निदेशक को विभागाध्यक्ष का दर्जा प्राप्त हो।

26. पटना में हाईकोर्ट के निकट स्थित वक्फ की भूमि पर एक हज हाउस का निर्माण कराया जाय।

27. उर्दू अकादमी का अनुदान 50 लाख कर दिया जाय। साथ ही अंजुमन तरक्की-ए-उर्दू बिहार एवं बंगला अकादमी की अनुदान राशि भी कम से कम दस-दस लाख की जाय। बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड और शिया वक्फ बोर्ड की अनुदान राशि भी बढ़ाई जाए।

28. पंजाबी एकेडमी की स्थापना शीघ्र की जाय।

29. राज्य में मतदाता सूची एवं मतपत्र अगले चुनाव से द्वितीय राजभाषा उर्दू में भी प्रकाशित करने हेतु निर्वाचन आयोग से अनुशंसा की जाय।

30 अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के निमित्त आवेदन करने की निर्धारित 2 वर्ष की सीमा समाप्त की जाय या इसे आरक्षी सेवा के व्यक्तियों को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति की तरह अर्थात 'बाल आरक्षी' के अनुरूप नियुक्ति की व्यवस्था की जाय।

31 यह सुनिश्चित किया जाए कि दंगों में मृतकों के आश्रितों को मुआवजे की राशि का भुगतान घटना के तीन माह के अंदर कर दिया जाए ताकि भुगतान के लिए उन्हें लम्बी अविध तक दर-दर भटकना नहीं पड़े।

GOVT. OF BIHAR

बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग

بِہار ریاستی اَقلیتی کمیشن

BIHAR STATE MINORITIES COMMISSION

Dated :-

Ref. :-

OLD SECRETARIAT
PATNA - 800 015
BIHAR

साथ-साथ मुआवजा भुगतान समय सीमा के अंदर कराने हेतु प्रत्येक तिमाही में एक समीक्षात्मक बैठक गृह आयुक्त / मुख्य सचिव की अध्यक्षता में करने की व्यवस्था की जाए।

(नोट : अल्पसंख्यकों के शिक्षा संबंधी समस्याओं के निराकरण हेतु विस्तृत प्रतिवेदन मंत्री शिक्षा विभाग को इस कार्यालय के पत्रांक 491 दिनांक 21.1.1997 द्वारा प्रस्तुत किया जा चुका है।)

Ahmad. 12.3.98

(सोहैल अहमद)
अध्यक्ष

सत्यमेव जयते

भारत के संविधान के अनुच्छेद 176 (1) के अधीन बिहार विधान-मण्डल के संयुक्त अधिवेशन में बिहार के राज्यपाल

डॉ0 अखलाक-उर-रहमान किदवाई

का

अभिभाषण

20 मार्च, 1998

बिहार विधान मण्डल के माननीय सदस्यगण,

विधान मण्डल के इस वर्ष के प्रथम सत्र में मैं आपका स्वागत करता हूं। साथ-ही उन सदस्यों के लिए गहरी सम्वेदना प्रकट करता हूं, जो इस दौरान स्वर्गवासी हो गये।

अपना देश आजादी का स्वर्ण जयन्ती वर्ष मना रहा है। हम सबके लिए यह बेहद खुशी की बात है। इस मुबारक साल में आपने एक महिला को मुख्य मंत्री चुनकर राज्य की प्रजातांत्रिक प्रक्रिया में एक महत्त्वपूर्ण कार्य किया है। महिला वर्ग को हमारी सरकार ने विशेष सम्मान प्रदान किया है। इसी साल में लोक सभा का चुनाव हुआ है जिसमें राज्य के नागरिकों ने और महिला वोटरों ने खास तौर पर बढ़-चढ़ कर भाग लिया है जो उनकी जागरूकता को प्रमाणित करता है। इस सफल और शान्तिपूर्ण चुनाव के लिये राज्य सरकार को मैं बधाई देता हूं और लोक सभा के नये चुने गये मेम्बरान को भी आप सबकी तरफ से मुबारकबाद देता हूं।

राज्य सरकार अनेक दिक्कतों के बावजूद समतामूलक समाज के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ रही है। सामाजिक न्याय के कार्यक्रमों के तहत विगत वर्ष राज्य के दलितों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों एवं अन्य सभी गरीब भाई-बहनों को अनेक राहतें पहुंचाई गयीं। मुझे आशा है कि आपके सहयोग से सामाजिक विषमताओं को दूर कर प्रदेश को प्रगति के पथ पर तेजी से आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।

अगले वित्तीय वर्ष में गरीबों के लिये पक्के मकान के निर्माण, ग्रामीण पथों के पुख्ता निर्माण, ऊर्जा प्रक्षेत्र में सुधार, दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के ऐसे गांव में जहां पहले से विद्युत् सम्बंधन नहीं हैं वहां बिजली पहुंचाने, हर गरीब के घर में एक बिजली बल्ब मुफ्त देने, गरीबी रेखा से नीचे के परिवार के प्रत्येक बच्चे के प्रत्येक दिन स्कूल जाने पर एक रुपया प्रोत्साहन के लिए भुगतान करने के कार्यक्रमों को प्राथमिकता दी जायेगी। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पथों के निर्माण के लिये विशेष योजना का क्रियान्वयन समयबद्ध रूप से करने हेतु हमारी सरकार कृतसंकल्प है। गरीबों, दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के ऐसे गांव और टोले जो पथ से नहीं जुड़े हैं, उन्हें ऑल वेदर रोड से जोड़ने के कार्यक्रम को प्राथमिकता दी जायेगी। स्वच्छ पेयजल विहीन ऐसे गांवों और टोलों में जल स्रोत का निर्माण भी कराया जायेगा।

अल्पसंख्यक कल्याण के लिए विशेष व्यवस्था करने का इरादा है। इस हेतु बजट प्रावधान अलग से किया जायेगा एवं इससे संबंधित संगठनों का सुदृढ़ीकरण किया जायेगा। द्वितीय राजभाषा

उर्दू के प्रसार के लिए तथा अल्पसंख्यकों के भाषाई विकास के लिये राज्य के प्रत्येक विद्यालय में उर्दू शिक्षक का एक पद सृजित किया जायेगा। उर्दूभाषियों की सुविधा के लिए प्रत्येक थाने में एक उर्दू जानकार आरक्षी अवर-निरीक्षक के पदस्थापन पर विचार किया जायेगा।

महिलाओं की आय में वृद्धि लाने संबंधी कार्यक्रमों पर विशेष बल दिया जायेगा। महिलाओं पर जुल्म, अत्याचार एवं शोषण रोकने के उद्देश्य से बिहार राज्य महिला आयोग को कानूनी स्टेटस दिया जायेगा।

बेरोजगार स्नातकों के लिये बेरोजगारी भत्ता का प्रावधान पहले से है। अगले वित्तीय वर्ष में गरीबी रेखा से नीचे परिवारों के प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्ण युवकों के लिये बेरोजगारी भत्ता की व्यवस्था करने का विचार है।

असहाय वृद्धों, विकलांगों एवं विधवाओं को सामाजिक सुरक्षा पेंशन देने की योजना सरकार चला रही है। अगले वित्तीय वर्ष में इसका सर्वेक्षण कराया जायेगा एवं ऐसे असहाय वृद्धों, विकलांगों और विधवाओं को सामाजिक सुरक्षा पेंशन से लाभान्वित करने की कार्रवाई की जायेगी जो पहले से लाभान्वित नहीं हो रहे हैं।

ज्यादातर गरीब जनता बिहार के गांवों में रहती है। ग्रामीण विकास विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन एवं ग्रामीणों के जीवन-स्तर के उन्नयन करने के उद्देश्य से कई विकास योजनाओं एवं कार्यक्रमों का संचालन किया जाता है। इसमें मुख्य रूप से वैसी योजनायें एवं कार्यक्रम शामिल हैं जिनका संचालन केन्द्र एवं राज्य सरकार की सहभागिता से होती है। दूसरी वैसी योजनाएं एवं कार्यक्रम हैं जिनका सम्पूर्ण व्ययभार राज्य सरकार वहन करती है। केन्द्र सम्पोषित योजनाओं में जवाहर रोजगार योजना एक रोजगारोन्मुखी कार्यक्रम है जिसके कार्यान्वयन के क्षेत्र में आनेवाली कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए प्रशासनिक एवं वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन में वृद्धि करने का निर्णय लिया गया है ताकि इन योजनाओं का कार्यान्वयन सुचारु रूप से हो सके। इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत गरीबों की झोपड़ियों को पक्के घरों में परिवर्त्तित करने के संकल्प को सरकार द्वारा साकार किया जा रहा है। वर्ष, 1998-99 में बुनियादी न्यूनतम सेवाओं के अन्तर्गत प्राप्त होनेवाली सम्पूर्ण राशि लगभग 364.00 करोड़ रुपया को इन्दिरा आवासों के निर्माण पर व्यय किया जायेगा। इसी प्रकार सुनिश्चित रोजगार योजना राज्य के सभी प्रखंडों में चलायी जा रही है। इस योजना के तहत हरेक गरीबी रेखा के नीचे वाले परिवार के एक सदस्य को वर्ष में कम-से-कम 100 दिन का रोजगार सुनिश्चित करना एवं उग्रवाद प्रभावित जिलों के निर्धन परिवार के दो सदस्यों को 100 दिन रोजगार मुहैया कराना है। समेकित विकास कार्यक्रम के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर कर रहे लोगों के जीवन-स्तर में सुधार करने हेतु समेकित ग्रामीण विकास के तहत

लाभान्वितों को परिसम्पत्तियों का वितरण किया जा रहा है। ग्रामीण महिला एवं शिशु विकास कार्यक्रम के संचालन द्वारा राज्य के सभी जिलों एवं प्रखंडों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करनेवाले गरीब परिवारों की महिला सदस्यों को आर्थिक रूप से स्वावलम्बी बनाने की एक सामूहिक योजना चलायी जा रही है।

इसी प्रकार राज्य सम्पोषित योजना में सामुदायिक विकास कार्यक्रम, पंचायती राज एवं न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। सरकार द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव निमित्त सभी आवश्यक, वैधानिक, प्रशासनिक एवं वित्तीय व्यवस्थायें की गयी हैं। इस संबंध में पंचायत नियमावली का प्रकाशन किया जा चुका है। सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल विशेष अनुमति याचिका पर आदेश पारित किये जाने के पश्चात् पंचायत निर्वाचन सम्पन्न कराया जा सकेगा। ग्रामीण पथ निर्माण कार्यक्रम के तहत माननीय सदस्यों की अनुशंसा पर एक ग्रामीण पथ की मरम्मत 7.70 लाख की लागत पर की जाती है। इसी प्रकार उग्रवाद प्रभावित 17 जिलों में योजना मद से 54.21 करोड़ रुपये की योजना स्वीकृत की गयी है। इसका निर्माण प्राथमिकता के आधार पर कराया जायेगा।

भारतीय संविधान के नीति-निर्देशक तत्त्व को मूर्त्त रूप देने हेतु अगले वित्तीय वर्ष, 1998-99 में 6 से 11 वर्ष के आयु वर्ग के 8 लाख बालक-बालिकाओं को तथा 11 से 14 वर्ष आयु वर्ग के 3.60 लाख बालक-बालिकाओं को विद्यालय में दाखिल कराकर शिक्षित मानव के रूप में ढालने का उत्तरदायित्व पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। बहुआयामी नयी शिक्षा नीति में शिक्षित राष्ट्र की जो कल्पना की गयी है उसके प्रति बिहार में सामाजिक न्याय की बुनियाद पर जन-जन को शिक्षा, घर-घर में शिक्षा के केन्द्र को मूर्त रूप देने के लिए समाज के हरिजन, आदिवासी, अल्पसंख्यक, पिछड़े एवं कमजोर वर्ग से आनेवाले बालक-बालिकाओं के विकास हेतु अलग से योजनाएं शुरू की गयी हैं। वित्तीय वर्ष, 1998-99 के लिये योजना बजट से कुल एक अरब उनचास करोड़ पचास लाख रुपये खर्च करने का प्रस्ताव है। प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में चापाकल एवं शौचालयों के निर्माण की भी महत्त्वाकांक्षी योजना लिये जाने का लक्ष्य है। बालिका शिक्षा के विकास हेतु सरकार विशेष रूप से प्रयत्नशील है। इन सारी योजनाओं का लाभ सामान्य क्षेत्र के अलावे झारखण्ड क्षेत्र में पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित है।

अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य के विभिन्न जिलों में 50 हजार अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र में से 30 हजार अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र एवं 10 हजार विशेष शिक्षा केन्द्र खोले जायेंगे। इन केन्द्रों में लगभग 11.36 लाख छः से चौदह वर्ष के बच्चे नामांकित हैं जो आर्थिक एवं सामाजिक कारणों से विद्यालय नहीं जाते हैं। इन केन्द्रों की स्थापना अनुसूचित

जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति एवं अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के बीच केन्द्रित हैं। बिहार शिक्षा परियोजना के तहत 14 वर्ष आयु वर्ग के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा सुलभ बनाने, महिलाओं के लिए समानता एवं उन्हें सबल बनाने के उद्देश्य से शिक्षा प्रणाली में सुधार लाना, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग एवं अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को शिक्षा का समान अवसर प्रदान करने हेतु आवश्यक उपाय करना है। संस्कृति एवं संचार, विज्ञान एवं पर्यावरण तथा सामाजिक न्याय की भावना पैदा करने सम्बन्धी विभिन्न शैक्षणिक क्रिया कलापों पर विशेष बल दिया जायेगा।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत शिक्षा को रोजगारोन्मुखी बनाने एवं छात्र-छात्राओं को स्वावलम्बी बनाने के उद्देश्य से व्यावसायिक शिक्षा योजना संचालित है।

इस राज्य में शिक्षा के लिये कुल 13 विश्वविद्यालयों की स्थापना की गयी है। इसके अलावे अरबी एवं फारसी के विकास के उद्देश्य से राज्य में मजहरूलहक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय की स्थापना की गयी है। शिक्षा में सुधार के लिए सरकार ने कदाचार मुक्त परीक्षा का आयोजन, विश्वविद्यालयों में पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिये यथोचित व्याख्यान का निश्चयन, शिक्षा-सत्र को नियमित करने तथा परीक्षा फल समय पर प्रकाशित करने, महाविद्यालयों एवं स्नातकोत्तर विभागों में कम-से-कम 180 दिनों की पढ़ाई सुनिश्चित करने, राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में लम्बे अन्तराल के बाद सिनेट सिन्डीकेट आदि प्राधिकार एवं समितियों का गठन, विश्वविद्यालयों का प्रबंधन एवं नियंत्रण सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया है।

राज्य के खेलकूद एवं सांस्कृतिक विकास की दिशा में अनेक महत्त्वपूर्ण आयोजन हुए हैं.। विश्व कप महिला क्रिकेट के क्वार्टर फाइनल का एक मैच पटना में आयोजित हुआ। एशियन स्कूल फुटबॉल मैच का आयोजन पटना में हुआ जिसमें 12 देशों के खिलाड़ियों ने भाग लिया.। हॉकी का नेशनल चैम्पियनशिप धनबाद में सम्पन्न हुआ। युवा महोत्सव का आयोजन पटना में हुआ। बिहार की एक कल्चरल टीम क्यूबा भेजी गयी जिसका प्रदर्शन बहुत ही सराहनीय रहा.।

वर्ष; 2000 तक सबों के लिये स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत सरकार ने विभिन्न स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती से लागू करने का लक्ष्य रखा है। इन कार्यक्रमों से खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे गरीब भाइयों को लाभ पहुंचेगा, पोलियो के उन्मूलन के लिए सरकार ने अगले तीन वर्षों तक राज्य के सभी 0-5 वर्ष तक के बच्चों को पल्स पोलियो की दो खुराक प्रतिवर्ष पिलाने का लक्ष्य रखा है। राष्ट्रीय यक्ष्मा नियंत्रण कार्यक्रम को अधिक कारगर बनाने हेतु अगले वर्ष नये पांच जिलों में राष्ट्रीय यक्ष्मा नियंत्रण कार्यक्रम चलाने का लक्ष्य रखा

का बेहतर उपयोग, सुदूर संवेदन सुविधाओं के उपयोग की बंजर भूमि, बाढ़ग्रस्त क्षेत्र, फसल, खनिज भूमिगत जल-सम्पदा के आकलन की एक महत्त्वाकांक्षी योजना पर अमल किया जा रहा है। कौंसिल द्वारा जैव प्रौद्योगिकी केन्द्र की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव है। इसके अलावे इन सुविधाओं को राज्य के अन्य औद्योगिक केन्द्रों में उपलब्ध कराने पर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है।

सरकार भाषा नीति के तहत हिन्दी के साथ-साथ उर्दू भाषा के विकास पर भी पूरा बल दे रही है। राज्य के विभिन्न प्रमंडलों में हिन्दी विकास विस्तार के लिये प्रमंडलीय प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। साथ ही द्वितीय राजभाषा उर्दू निदेशालय की स्थापना की गयी है। उर्दू के विकास के लिये सभी जिलों, अनुमंडलों एवं प्रखंडों में एक-एक उर्दू इकाई की स्थापना की गयी है। हिन्दी प्रगति समिति और उर्दू परामर्शदातृ समिति की अनुशंसाओं के अनुरूप हिन्दी एवं उर्दू के विकास पर बल दिया जा रहा है।

सरकार श्रम नीति के तहत राज्य में कार्यरत सभी श्रमिकों के कल्याण हेतु विभिन्न अधिनियमों के तहत कार्रवाई कर रही है। राज्य की अधिकांश आबादी कृषि पर आधारित है। खेतिहर मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के प्रावधानों का कड़ाई से पालन कर उन्हें न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करायी जा रही है। सरकार समय-समय पर कृषि श्रमिकों के लिये न्यूनतम मजदूरी की दरों में वृद्धि कर इनके जीवन स्तर में सुधार का उपाय कर रही है। इसी प्रकार औद्योगिक मजदूरों के जीवन-यापन में सुधार हेतु अनेक अधिनियमों पर सरकार द्वारा कड़ाई से अमल किया जा रहा है। बाल श्रमिकों की समस्याओं के प्रसंग में बाल श्रमिक आयोग का गठन किया गया है। बाल श्रमिकों की पहचान करने तथा उनकी शिक्षा एवं पुनर्वास की सुविधा में सरकार तत्परता से कार्रवाई कर रही है। मुझे आशा है कि इस दिशा में निकट भविष्य में अच्छे परिणाम आपके सामने आयेंगे।

राज्य में बेरोजगारी की विभिन्न समस्याओं पर अध्ययन करने एवं शक्ति के सही उपयोग हेतु राज्य स्तरीय नियोजन समिति का गठन किया गया है। राज्य के बेरोजगारों को नियोजन एवं स्व-नियोजन में सहायता दिलाने हेतु बिहार नियोजन कलश फंड की स्थापना की गयी थी। इसे और लोकप्रिय बनाने के लिये सरकार कृतसंकल्प है।

जनतांत्रिक प्रणाली में जनता और सरकार के बीच सूचनाओं का आदान-प्रदान आवश्यक है। राज्य के विविध विकास कार्यक्रमों, सरकारी नीतियों के कार्यान्वयन की स्थिति से सम्बन्धित प्रक्रियाओं आदि से आम जनता को समय-समय पर सूचना के माध्यम से तथ्यपरक सूचनायें पहुंचायी जाती हैं। इस प्रकार सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन पर जनता की प्रतिक्रियाओं एवं उनकी आकांक्षाओं को प्रेस, सूचना केन्द्र, दूरदर्शन, आकाशवाणी, फिल्म, पत्र-पत्रिकाओं

सत्यमेव जयते

श्री शंकर प्रसाद टेकरीवाल

वित्त मंत्री, बिहार

का

बजट भाषण

1998-99

23 मार्च 1998

आधुनिकीकरण उपकरणों के क्रय हेतु उपलब्ध करायी गई है । गैर-योजना मद से भी वर्तमान वित्तीय वर्ष में लगभग 9 करोड़ रूपयों की राशि आधुनिक हथियारों के क्रय हेतु उपलब्ध करायी गई है । नक्सल प्रभावी क्षेत्रों में उग्रवाद से मुकाबला करने हेतु 4 करोड़ रूपयें की अतिरिक्त राशि सवीकृति की गई है ।

28. अगले वित्तीय वर्ष 1998-99 में राज्य योजना से थाना भवनों एवं पुलिस हाजतों के निमार्ण के लिये 13.29 करोड़ रूपयों की राशि स्वीकृत की जा रही है । इसके अतिरिक्त दशम् वित्त आयोग के अधीन प्राप्त होनेवाली 18 करोड़ रूपयों की राशि थाना भवनों के निर्माण कार्य तथा आवासीय भवनों के उपयोगार्थ उपलब्ध करायी जायेगी । गैर योजना मद अन्तर्गत वर्ष 1998-99 में लगभग 12 करोड़ रूपयों की राशि आधुनिकतम हथियारों के क्रय हेतु उपलब्ध करायी जायेगी ।

29. अग्निशाम सेवाओं के उत्क्रमण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष 1997- 98 में कुल 3. 15 करोड़ रूपये की राशि उपलब्ध करायी गई है । वित्तीय वर्ष 1998-99 में भी अग्निशाम सेवाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु लगभग 2.10 करोड़ रूपयों की अतिरिक्त राशि उपलब्ध करायी जायेगी ।

30. काराओं के सुधार के लिये वर्तमान वर्ष में लगभग 7.50 करोड़ रूपयों की राशि स्वीकृत की गई है । अगले वित्तीय वर्ष में लगभग 4.60 करोड़ रूपयों की राशि उपलब्ध करायी जायेगी ।

31. उपर्युक्त के अतिरिक्त, कतिपय अन्य प्रमुख निर्णय जो वर्ष 1997-98 के दौरान लिये गये है, उनका उल्लेख संक्षिप्त रूप से मैं करना चाहूँगा ।

(i) सुनिश्चित रोजगार योजना के तहत श्रमिकों के निबंधन हेतु पंचायतों को निबंधन कार्ड उपलब्ध कराये जायेंगे ताकि पंचायतें जरूरतमंद श्रमिकों का निबंधन कर सकें ।

(ii) इंदिरा आवास योजना के तहत 60 प्रतिशत अनुसूचित जाति/ जनजाति के सदस्यों, 10 प्रतिशत अल्पसंसख्यकों, 27 प्रतिशत पिछड़े वर्ग के सदस्यों तथा 3 प्रतिशत सामान्य जाति के गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले जरूरतमंदों के लिए राशि कर्णाकित कर दी गई है ।

(iii) माननीय उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद यथाशीघ्र पंचायतों के चुनाव सम्पन्न करा लिये जायेंगे, जो दलगत आधार पर नहीं होगें ।

(iv) गरीबों को लाल कार्ड पर दो धोतियां एवं दो साड़ियां कम कीमत पर (15-15 रूपये पर) उपलब्ध कराई जायेगी । साथ ही, जन वितरण प्रणाली के माध्यम से निर्धारित कीमत की आधी कीमत पर खाद्यान्न भी उपलब्ध कराया जायेगा ।

(v) दशम् वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में वित्त वर्ष 96-97 से लेकर लगातार चार वर्षो की अवधि तक प्रतिवर्ष 126.80 करोड़ रूपयों का अनुदान ग्राम पंचायतों को देय होगा ।

(vi) राज्य सरकार द्वारा बिहार पंचायत राज अधिनियम, 1993, के तहत पंचायतों के लिये निधि बंटवारा की अनुशंसा करने के लिये राज्य वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है ।

32. झारखण्ड स्वशासी परिषद का चुनाव मई 1998 तक पूरा कर लिया जायेगा। इसके लिए चुनाव आयुक्त को लगभग 20.00 करोड़ रू0 की आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराई जायेगी ।

33. इस राज्य में खेलकूद के उन्नयन, प्रचार, प्रसार एवं विकास के लिए युवा कार्य एवं खेल निदेशालय के सतत् प्रयास के कारण राज्य के प्रतिभावान बालक/बालिकाओं एवं युवाओं की खेल में अभिरूचि जागृत हुई है जिसके फलस्वरूप बिहार के युवाओं ने राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कीर्तिमान स्थापित किया है। राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित प्रतियोगिता में बिहार की टीम / खिलाड़ियों ने अपने प्रदर्शन द्वारा राज्य को एक बार पुनः खेल इतिहास दोहराते हुए गौरवान्वित किया है। वर्ष 1997-98 राज्य के लिए उपलब्धियों का वर्ष रहा है। बिहार राज्य में पूर्व मुख्यमंत्री, जननायक कर्पूरी ठाकुर की स्मृति में अखिल भारतीय स्तर पर जननायक कर्पूरी ठाकुर गोल्ड कप प्रतियोगिता का सफल आयोजन किया गया। इस टूर्नामेंट में देश की चोटी के दस टीमों ने भाग लिया। इस राज्य में पहली बार बिहार में अंतर्राष्ट्रीय फुटबाल प्रतियोगिता का आयोजन पटना में किया गया, जिसमें भारत, चीन, दक्षिण कोरिया आदि की 11 टीमों ने भाग लिया। 43वीं राष्ट्रीय विद्यालय वॉलीबाल छात्र-छात्रा (19 वर्षीय) प्रतियोगिता, कैमूर (भभुआ) में, हैंडबाल एवं बास्केटबाल (17 वर्षीय छात्र-छात्रा) प्रतियोगिता, गोड्डा में एवं राष्ट्रीय विद्यालय 17 वर्षीय बालक-बालिका हॉकी प्रतियोगिता, धनबाद में आयोजित की गयी, जिनमें बिहार के बालक-बालिकाओं ने सराहनीय प्रदर्शन किया एवं उन्होंने स्वर्ण, रजत एवं कांस्य पदक जीते। इसके साथ ही नयी दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय जूनियर बालिका नेहरू हाकी प्रतियोगिता (17 वर्ष आयु समूह) में भाग ले रही राजकीय इंटर स्तरीय बालिका विद्यालय बरियातू, रांची, ने दूसरा स्थान प्राप्त कर रजत पदक जीता। राष्ट्रीय जूनियर बालिका नेहरू हाकी प्रतियोगिता, जो दिल्ली में आयोजित की गयी थी, उसमें बी.आर.सी. ब्वायज स्पोर्ट्स क्लब, दानापुर ने रजत पदक प्राप्त किया। राष्ट्रीय विद्यालय फुटबाल प्रतियोगिता, 1997, जो पश्चिम बंगाल के कल्याणी में आयोजित की गयी थी, उसमें राज्य बालिका टीम ने सर्व विजेता होने का खिताब जीतकर स्वर्ण पदक प्राप्त किया। इसी प्रकार राष्ट्रीय विद्यालय फुटबाल प्रतियोगिता में , जो वर्दमान (प0 बंगाल) में आयोजित किया गया था, राज्य बालिका टीम ने स्वर्ण पदक जीता। राष्ट्रीय विद्यालय तीरंदाजी प्रतियोगिता जो पाटियाला (पंजाब) में आयोजित की गयी थी, उसमें राज्य के बालक/बालिका दल ने 26 पदकों में से 22 पदक प्राप्त कर टीम चैम्पियनशीप खिताब हासिल किया। यह प्रमाणित करता है कि राज्य में बालक, बालिकाओं एवं युवाओं में खेल के प्रति अभिरूचि जागृत करने एवं उन्हें प्रोत्साहित करने में आशातीत सफलता प्राप्त हुई है। इसी वर्ष मोइनुल हक स्टेडियम राजेन्द्र नगर परिसर में 100 शैय्या खेल छात्रावास का निर्माण किया गया है। वित्तीय वर्ष 1998-99 के लिए 5.00 करोड़ रू0 की राशि का प्रावधान किया गया है ।

34. अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए सरकार हमेशा सतत प्रयास करती रही है। अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ अल्पसंख्यक विकास निगम का गठन किया गया है तथा उसे प्रचुर राशि उपलब्ध करायी गयी है। अगले वित्तीय वर्ष में द्वितीय राजभाषा उर्दू के प्रसार हेतु राज्य के प्रत्येक विद्यालय में उर्दू शिक्षक का एक पद सृजित किया जायेगा। उर्दू निदेशालय की स्थापना वर्तमान वित्तीय वर्ष में कर दी गयी है। उर्दू के विकास के लिए सभी जिलों, अनुमंडलों एवं प्रखण्डों में एक-एक उर्दू ईकाई की स्थापना की गयी है और इसके लिए आवश्यक संख्या में पदों का सृजन तथा बजट उपबंध भी कर दिया गया है ।

BIHAR STATE MINORITIES COMMISSION
PROPOSAL FOR SURVEY OF SOCIO ECONOMIC AND EDUCATIONAL STATUS OF MUSLIMS IN BIHAR.

The National Policy of Education (1986) indentifies Muslims as one of the most backward communities in the country requiring special intervention programme for their educational development. The educational backuwardness also reveals their socio-economic status vis-a-vis other communities. Large segments of the population are suffering from extreme poverty, unemployment and the resultant socio economic, physical and psychological handicaps. The recurrent communal riots in the country since independence have further accentualted their problems, severely affecting their economic activities. Their condition is equally pitiable both in rural and urban areas. Unfortunately, however, there is great paucity of research in this area much needed for planning intervention strategies. This may include policy changes to ameliorate their sufferings. No census data is available which could be used to determine their socio ècónomic and educational status. Nevertheless, there is near consensus to the fact that Muslims are one of the most backward communities in this country and special measure are required to bring them at par with other groups.

OBJECTIVE OF THE STUDY

With a view to d eveloping a comprehensive understanding of their socio economic situation in Bihar and identify intervention strategies, this survey is proposed. The main objectives of the study ar e as follows.

1. To determine the socio economic status of Muslims in Bihar and the nature of socio econiomic problems and constraints faced by them.
2. To examine the educational status of the community measured in terms of their rate of participation in primary, secondary, higher and tertiary sectors of education, non enrollment and dropout among children and literacy level of adults.
3. To understand the role of government and nmon governmental organizations in promoting welfare of the community, activities and programmes taken up in the recent past, awareness of the community about the governmental schemes specially meant for minority a s well as programmes in general and the number benefitted from these programmes.

4. To record community's perception of the causes of socio economic backwardness and their suggesions for the possible role of government and non governmental agencies.

METHODOLOGY

Universe and the Sample-The survey will be conducted in Bihar. In order to make the sample representative the study date is required to be collected from several parts of the state. Keeping the time and other operational constraints in mind, the sample may be drawn using multi stage sampling technique. Accordingly the following design is proposed.

No of Districts : Two, each to be prupositively selected from north, central and Chotanagpur regions of the state.

No.of Blocks : Two, each from the six districts to be purpositively selected.

No.of Panchayats : Two, from each block selected from those with high percentage of Muslim population.

No.of Villages : Ten villages form each Panchayat. Sample of villages shall be drawn in such a manner that it represent different caste groups, and other population charactristics.

No.of Urban wards/ : Two each from one district from the Muslim dominated Mohalla locations.

Household : 20% of the Muslim household to be randomly selected from the voters lists using random number table.

Sample Size	Total No.
DISTRICT	06
BLOCK	12
PANCHAYAT	24
VILLAGE	240
URBAN WARD	12

Procedure of Data Collection.

Data will be collected with the help of a semi structured interview schedule which will be administered on the heads of the household by the Investigatiors involved in the survey. Data from secondary sources will be administered on the heads of the household by the Investigators involved in the survey. Data from secondary sources will also be collected to develop the socio economic, demographic, and educational profile of the district.

GOVT. OF BIHAR

बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग

بِہار ریاستی اَقلیتی کمیشن

BIHAR STATE MINORITIES COMMISSION

OLD SECRETARIAT
PATNA - 800 015
BIHAR

Dated :-

Ref. :- अ.आ.- पटना, दिनांक-

श्री पी.पी. शर्मा
सचिव, कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग

दिनांक 9-5-98 को आपसे हुई वार्ता का निदेश करें। मैं चाहूंगा कि आप सभी जिला पदाधिकारियों/उप विकास आयुक्तों को स्पष्ट आदेश निर्गत करें कि 20 सूत्री कार्यक्रम एवं अन्य लाभकारी योजनाओं के तहत पहुंचाए जा रहे लाभों के प्रतिवेदन में प्रत्येक माह अनुसूचित जाति/जन जाति/महिलाओं की तरह अल्पसंख्यकों के लिए भी एक अलग कॉलम रखा जाए तथा अल्पसंख्यकों को पहुंचाए गए वित्तीय एवं भौतिक लाभों का आंकड़ा उसमें निश्चित रूप से दिया जाए, जिससे तमाम सच्चाई और सबूत के साथ उसकी सही तस्वीर निश्चित रूप से सामने आ सके ताकि अगर किसी को उसका हक़ नहीं मिला है तो उसे उसका हक़ दिलाया जा सके।

जब सरकार ने दूसरे विभागों को सुचारू रूप से चलाने तथा उसे ज्यादा कारगर और प्रभावी बनाने के लिए प्रमंडल से लेकर प्रखंड स्तर तक संबंधित पदाधिकारी के साथ प्रशाखा कायम कर रखा है। यह बात उल्लेखनीय है कि जब इस सरकार ने जनवरी '97 में ही अल्पसंख्यकों के लिए एक अलाहदा अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय का गठन किया है और वर्तमान में एक मंत्री और एक राज्य मंत्री के साथ यह स्वतंत्र विभाग के रूप में काम कर रहा है तो अल्प संख्यक कल्याण विभाग को भी सुचारू रूप से चलाने तथा उसके कारगर और प्रभावी बनाने के लिए यह बहुत जरूरी है कि प्रमंडल से लेकर प्रखंड तक अल्पसंख्यक कल्याण प्रशाखा एवं एक पदाधिकारी के पद का सृजन हो। यदि उसमें विलम्ब हो तो तत्काल मेरी अनुशंसा होगी कि राज्य के कम से कम प्रत्येक जिले में एक अल्पसंख्यक कल्याण प्रशाखा का फौरन गठन किया जाए तथा अपर जिला दंडाधिकारी स्तर के एक निष्पक्ष एवं ईमानदार पदाधिकारी को स्थाई रूप से अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी के रूप में प्रभारी बनाया जाय ताकि अल्पसंख्यकों से संबंधित तमाम सरकारी आदेशों का पालन दृढ़ता से हो सके तथा उसे ज्यादा कारगर और प्रभावी बनाया जा सके जिससे किसी के साथ भेदभाव, अन्याय या अनदेखी न हो और सामाजिक न्याय का लाभ सुनिश्चित, समुचित और समान रूप से हर एक नागरिक तक पहुंच सके तथा हर एक को उसका हिस्सा और हक आसानी से मिल जाय। इसके लिए राज्य के तमाम अल्पसंख्यकों खासकर गरीब, दबे कुचले, बेसहारा और बेजुबान की दुआ और हमदर्दी सरकार के साथ होगी।

अतः मेरी अनुशंसा है कि तत्काल एक अपर जिला दंडाधिकारी को प्रभारी अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी बनाया जाय जैसा कि मैं उपर्युक्त अंकित अल्पसंख्यकों से संबंधित मेरे तमाम सुझावों को मानते हुए जिलाधिकारी, भोजपुर श्री अमृत लाल मीणा ने एक अपर जिला दंडाधिकारी को इस अहम कार्य के लिए प्रभारी बनाने एवं अल्पसंख्यकों के लिए एक अलग कॉलम रखने का आदेश अपने पत्रांक संख्या 2196 दिनांक 30.4.98 द्वारा निर्गत किया है, जो बहुत ही कारगर और सराहनीय कदम है जिसकी छाया प्रति संलग्न है।

अतः मैं चाहूंगा कि मेरे पत्र की प्रतिलिपि संलग्न करते हुए आप अपना आदेश सभी विभागों/जिला पदाधिकारियों को निर्गत करें ताकि भोजपुर जिला की तरह राज्य के सभी विभागों/सभी जिलों में इस पर फौरन अमल हो।

इस संबंध में अगर कोई कनीय या वरीय पदाधिकारी सरकार की सामाजिक न्याय की नीति एवं निर्देशों का ठीक से पालन करने में टाल-मटोल, भेदभाव या अनदेखी करता है तो ऐसे दोषी पदाधिकारी के विरुद्ध फौरन कारगर और कड़ी कारवाई कर उसे दंडित करना होगा तथा सराहनीय कार्य करनेवाले पदाधिकारी को पुरस्कृत करना होगा तभी हकदारों को हक और इंसाफ मिलेगा तथा सामाजिक न्याय एवं सरकार के प्रति लोगों की आस्था, विश्वास और हौसला मजबूत होगा और अगर हमलोगों की जरा सी गफलत या नाइंसाफी से सामाजिक न्याय का आन्दोलन कमजोर पड़ गया तो इतिहास कभी हमलोगों को माफ नहीं करेगा।

आपकी अल्पसंख्यकों, दलितों, पिछड़ों एवं गरीबों के प्रति संवेदनशीलता तथा जागरूकता सराहनीय है। मैं चाहूंगा कि इस गति को बनाए रखते हुए कारगर और मजबूत कदम उठाते हुए उपयुक्त आदेशों का पालन करना सुनिश्चित करेंगे इसी विश्वास के साथ मैं यह पत्र आपको लिख रहा हूँ तथा की गई कारवाई से मुझे भी अवगत कराएंगे। इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देंगे।

(सोहैल अहमद)
अध्यक्ष

ज्ञापांक 1912 दिनांक- 6-6-98
प्रतिलिपि- गृह सचिव, बिहार को सूचनार्थ एवं अपने स्तर से आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

ह०
(सोहैल अहमद)
अध्यक्ष

ज्ञापांक 1912 दिनांक- 6-6-98
प्रतिलिपि- सभी मंत्री, प्रभारी जिला कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति (20 सूत्री कार्यक्रम) को सूचनार्थ एवं अपने स्तर से आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

Ahmad 6.6.1998.
(सोहैल अहमद)
अध्यक्ष

GOVT. OF BIHAR

बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग

بِہَار ریَاستِی اَقلِیَتِی کمِیشَن

BIHAR STATE MINORITIES COMMISSION

Chairman
Prof. Sohail Ahmad

Phone : 660006 (R)
Fax : 223983 (Home Sec.)
: 224296 (Spl.Sec. Home)

Old Secretariat
Patna - 800 015

Ref. पत्रांक- 2685 दिनांक- 24-04-99 Date

आदरणीय रावड़ी जी,

राज्य के अल्पसंख्यकों से सम्बन्धित तत्काल फैसले के लिए कुछ जरूरी और अहम सुझाव आपके सामने रखना चाहता हूं जो निम्नलिखित है:-

आपके निर्देश से एक स्पष्ट सरकारी आदेश सभी जिलाधिकारी/उपायुक्तों को दिया जाए कि 20 सूत्री कार्यक्रम एवं अन्य लाभकारी योजनाओं के तहत पहुंचाए जा रहे लाभों के प्रतिवेदन में प्रत्येक माह अनुसूचित जाति/जन जाति/महिलाओं की तरह अल्पसंख्यकों के लिए भी एक अलग कॉलम रखा जाए तथा अल्पसंख्यकों को पहुंचाए गए वित्तीय एवं भौतिक लाभों का आंकड़ा उसमें निश्चित रूप से दिया जाए, जिससे तमाम सच्चाई और सबूत के साथ उसकी सही तस्वीर सामने आ सके ताकि अगर किसी को उसका हक व हिस्सा नहीं मिला है तो उसे उसका हक व हिस्सा दिलाया जा सके।

जब सरकार के दूसरे विभागों को सुचारु रूप से चलाने तथा उसे ज्यादा कारगर और प्रभावी बनाने के लिए प्रमंडल से लेकर प्रखंड स्तर तक संबंधित पदाधिकारी के साथ प्रशाखा का एक मजबूत ढांचा मौजूद है तब यह बात उल्लेखनीय है कि इस सरकार ने जनवरी, 1991 से ही अल्पसंख्यकों के लिए एक अलाहदा अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय का गठन किया है और वर्तमान में एक मंत्री और एक राज्यमंत्री के साथ यह स्वतंत्र विभाग के रूप में काम कर रहा है तो अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को भी सुचारु रूप से चलाने तथा उसे ज्यादा कारगर और प्रभावी बनाने के लिए यह बहुत जरूरी है कि प्रमंडल से लेकर प्रखंड तक अल्पसंख्यक कल्याण प्रशाखा एवं पदाधिकारी के पद का सृजन हो। यदि उसमें विलम्ब हो तो तत्काल मेरी अनुशंसा होगी कि राज्य के कम से कम प्रत्येक जिले में एक अल्पसंख्यक कल्याण प्रशाखा का फौरन गठन किया जाए तथा अपर जिला दंडाधिकारी स्तर के एक निष्पक्ष एवं ईमानदार पदाधिकारी को स्थाई रूप से जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी के रूप में प्रभारी बनाया जाए, ताकि सरकार के तमाम लाभकारी एवं कल्याणकारी योजनाओं में अल्पसंख्यकों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए तथा उनके जान-माल एवं हितों की रक्षा व निगरानी विशेष रूप से हो सके और अल्पसंख्यकों से संबंधित तमाम सरकारी आदेशों का पालन दृढ़ता से हो, जिससे किसी के साथ भेदभाव, अन्याय या अनदेखी न हो और सामाजिक न्याय का लाभ सुनिश्चित, समुचित और समान रूप से हर एक नागरिक तक पहुंच जाए तथा हर एक को उसका हिस्सा और हक आसानी से मिल जाए। इसके लिए राज्य के तमाम अल्पसंख्यकों खासकर गरीब, दबे-कुचले, बेसहारा और बेजुबान की दुआ और हमदर्दी सरकार के साथ होगी।

अल्पसंख्यकों से संबंधित मेरे उपयुक्त सुझावों को मानते हुए जिलाधिकारी भोजपुर श्री अमृत लाल मीणा ने अपने पत्र संख्या- 2196 दिनांक 20-04-98 तथा जिला पदाधिकारी, बक्सर श्री राजीव पुरवानी ने अपने पत्र संख्या- 1219 दिनांक 22-07-98 द्वारा एक प्रभारी अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी बनाने तथा सरकारी योजनाओं में पहुंचाए जा रहे लाभों के प्रतिवेदन में अल्पसंख्यकों के लिए अलाहदा कॉलम रखने तथा उनको पहुंचाए गए लाभों का आंकड़ा अंकित करने का आदेश निर्गत किया है जो बहुत ही कारगर और सराहनीय कदम है जिसकी छाया प्रति संलग्न है।

इसी तरह इस सुझाव को राज्य के सभी जिलों में लागू कराने के लिए सरकारी आदेश निर्गत हेतु मैंने एक पत्र संख्या- 1932 दिनांक 06-06-98 द्वारा श्री पी. पी. शर्मा, सचिव, सांख्यिक वित्त एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग को लिखा है, जिसकी छाया प्रति संलग्न है। इस सुझाव को लेकर मैंने राजद अध्यक्ष आदरणीय लालू जी से भी बातचीत की और श्री शर्मा को लिखे गए पत्र को पढ़कर सुनाया। उन्होंने इस सुझाव को गम्भीरता से सुना तथा इससे सहमति व्यक्त की। इस सुझाव के संबंध में मैंने मुख्य सचिव श्री वी. एस. दुबे से बातचीत भी की है और उनको एक पत्र संख्या- 2675 दिनांक- 21-04-99 द्वारा लिखा भी है, जिसकी छाया प्रति संलग्न है। यह सच है कि सरकार द्वारा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का गठन एक सराहनीय एवं उपयोगी कदम है लेकिन दूसरे विभागों की तरह इसका एक मुकम्मल और मजबूत ढांचा अभी तक खड़ा नहीं हो पाया है। जिसके फलस्वरूप व्यापक निगरानी एवं प्रयास की कमी है। इसी वजह से सरकार की तमाम लाभकारी और कल्याणकारी योजनाओं में अल्पसंख्यकों की भागीदारी संतोषजनक नहीं है। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि जल्द से जल्द एक स्पष्ट सरकारी आदेश निर्गत किया जाए ताकि राज्य के हर एक जिला में फौरन एक अल्पसंख्यक कल्याण प्रशाखा का गठन हो तथा एक अपर जिला दंडाधिकारी को जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी के रूप में स्थाई तौर पर प्रभारी बनाया जाए। साथ ही राज्य के तमाम जिलाधिकारी/उप विकास आयुक्तों को स्पष्ट आदेश निर्गत किया जाए कि सरकारी योजनाओं में पहुंचाए जा रहे लाभों के प्रतिवेदन में अल्पसंख्यकों के लिए अलाहदा कॉलम रखा जाए तथा उसमें उनको पहुंचाए गए लाभों का आंकड़ा निश्चित रूप में अंकित किया जाए। इससे अल्पसंख्यकों के मामले में सरकार की संवेदनशीलता एवं गम्भीरता तथा सामाजिक न्याय के प्रति वचनबद्धता का स्पष्ट संदेश राज्य के तमाम सरकारी विभागों एवं पदाधिकारियों तक चला जाएगा। इस संबंध में अगर कोई कनीय या वरीय पदाधिकारी सरकार के सामाजिक न्याय की नीति एवं निर्देशों का ठीक से पालन करने में टालमटोल, भेदभाव, अनदेखी या नाइंसाफी करता है तो ऐसे दोषी पदाधिकारी के विरुद्ध फौरन कारगर और कड़ी कार्रवाई कर उसे दंडित करना होगा और सराहनीय कार्य करने वाले पदाधिकारियों को पुरस्कृत करना होगा तभी हकदारों को हक और इंसाफ मिलेगा तथा सामाजिक न्याय एवं सरकार के प्रति लोगों की आस्था, विश्वास और हौसला मजबूत होगा।

यह और भी बेहतर और कारगर होगा कि आपके निर्देश से एक सरकारी आदेश निर्गत किया जाए कि प्रत्येक जिला पदाधिकारी/उपायुक्त प्रत्येक माह निश्चित एवं नियमित रूप से अपने जिला के अल्पसंख्यकों से संबंधित समस्याओं तथा सरकार की कल्याणकारी योजनाओं में अल्पसंख्यकों की भागीदारी की समीक्षा करें।

इसे और कारगर एवं प्रभावी बनाने के लिए प्रत्येक जिला के 20-सूत्री कार्यक्रम के प्रभारी मंत्री अपने जिला में 20-सूत्री कार्यक्रम की समीक्षा के साथ-साथ अल्पसंख्यकों से संबंधित समस्याओं की भी समीक्षा करें। इसके लिए उन्हें सरकारी आदेश द्वारा अतिरिक्त प्रभार दिया जाए। इसी तरह के निश्चित एवं नियमित प्रयास से ही अल्पसंख्यकों की समस्याओं का समाधान हो सकेगा।

आपके दिल में तमाम इंसानों खासकर गरीब, दबे-कुचले, बेसहारा, बेजुबान के लिए हमदर्दी और मदद का जज्बा काबिले तारीफ है तथा सरकार की सामाजिक न्याय के प्रति वचनबद्धता स्पष्ट है। अतः मुझे उम्मीद है कि सरकार द्वारा यह अहम फैसला जल्द ही हो जाएगा जो अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए बहुत ही कारगर और ऐतिहासिक कदम होगा और इससे लाभ पाने वाला हर एक हाथ आपके लिए हमेशा दुआ के लिए उठता रहेगा। इसी विश्वास के साथ यह पत्र मैं आपको लिख रहा हूं।

Ahmad.
24-4-1999.

(सोहैल अहमद)
अध्यक्ष

GOVT. OF BIHAR

बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग

بِہَار رِیَاسَتِی اَقَلِیَتِی کَمِیشَن

BIHAR STATE MINORITIES COMMISSION

Chairman
Prof. Sohail Ahmad

Phone : 660006 (R)
Fax : 223983 (Home Sec.)
: 224298 (Spl.Sec. Home)

Old Secretariat
Patna - 800 015

पत्रांक - 2675

दिनांक 21-4-99

Ref.

Date

श्री विजय शंकर दूबे,
मुख्य सचिव, बिहार ।

आपके कार्यालय में आपसे अल्पसंख्यकों से सम्बन्धित हुई वार्ता का निदेश करें। इत्तेफाक से उस वक्त श्री पी. पी. शर्मा, सचिव, कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग भी मौजूद थे। उस वक्त मैंने अल्पसंख्यकों से सम्बन्धित दो जरूरी आदेश निर्गत करने के लिए सुझाव दिया था बल्कि उन दोनों सुझावों को लागू करने के लिए श्री पी. पी. शर्मा को मैंने एक पत्र संख्या– 1932 दिनांक– 06-06-98 भी लिखा था जिसकी छायाप्रति संलग्न है। मैं चाहूंगा कि आपके स्तर से एक स्पष्ट आदेश राज्य के सभी जिलाधिकारी/उप विकास आयुक्तों को निर्गत किया जाए कि 20 सूत्री कार्यक्रम एवं अन्य लाभकारी योजनाओं के तहत पहुंचाए जा रहे लाभों के प्रतिवेदन में प्रत्येक माह अनुसूचित जाति/जन जाति/ महिलाओं की तरह अल्पसंख्यकों के लिए भी एक अलग कॉलम रखा जाएं तथा अल्पसंख्यकों को पहुंचाए गए वित्तीय एवं भौतिक लाभों का आंकड़ा उसमें निश्चित रूप से दिया जाए, जिससे तमाम सच्चाई और सबूत ठोस आंकड़ों के साथ सामने आ सके ताकि अगर किसी को उसका हक एवं हिस्सा नहीं मिला है तो उसे उसका हक एवं हिस्सा दिलाया जा सके।

जब सरकार के दूसरे विभागों को सुचारु रूप से चलाने तथा उसे ज्यादा कारगर और प्रभावी बनाने के लिए प्रमंडल से लेकर प्रखण्ड तक प्रशाखा एवं पदाधिकारी का एक मजबूत ढांचा मौजूद है तब यह बात उल्लेखनीय है कि इस सरकार ने जनवरी, 1991 से ही अल्पसंख्यकों के लिए एक अलाहदा अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय का गठन किया है और वर्तमान में एक मंत्री और एक राज्यमंत्री के साथ यह स्वतंत्र विभाग के रूप में काम कर रहा है तो अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को भी सुचारु रूप से चलाने तथा उसे कारगर और प्रभावी बनाने के लिए यह बहुत जरूरी है कि प्रमंडल से लेकर प्रखण्ड तक अल्पसंख्यक कल्याण प्रशाखा एवं पदाधिकारी के पद का सृजन हो। यदि उसमें विलम्ब हो तो तत्काल मेरी अनुशंसा होगी कि राज्य के कम से कम प्रत्येक जिला में एक अल्पसंख्यक कल्याण प्रशाखा का फौरन गठन किया जाए तथा अपर जिला दंडाधिकारी स्तर के एक निष्पक्ष एवं ईमानदार पदाधिकारी को स्थाई रूप से जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी के रूप में प्रभारी बनाया जाए ताकि अल्पसंख्यकों से सम्बन्धित तमाम सरकारी आदेशों का पालन दृढ़ता से हो सके, जिससे किसी के साथ भेदभाव, अन्याय या अनदेखी न हो और सामाजिक न्याय का लाभ सुनिश्चित, समुचित और समान रूप से हर एक नागरिक तक पहुंच जाए, तथा हर एक को उसका हिस्सा और हक आसानी से मिल जाए और उनके हितों की रक्षा तथा उनके जान-माल की सुरक्षा की निगरानी विशेष रूप से हो सके। इसके लिए राज्य के तमाम अल्पसंख्यकों खासकर गरीब, दबे-कुचले, बेसहारा और बेजुबानों की दुआ और हमदर्दी सरकार के साथ होगी।

अल्पसंख्यकों से सम्बन्धित मेरे उपयुक्त सुझावों को मानते हुए जिलाधिकारी, भोजपुर श्री अमृत लाल मीणा ने अपने पत्र संख्या–2196 दिनांक–30-4-98 तथा जिलाधिकारी, बक्सर श्री राजत पुन्हानी ने अपने पत्र संख्या–1219 दिनांक 22-7-98 द्वारा एक प्रभारी अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी बनाने तथा सरकारी योजनाओं में पहुंचाए जा रहे लाभों के प्रतिवेदन में अल्पसंख्यकों के लिए अलाहदा कॉलम रखने का निदेश निर्गत किया है जो बहुत ही कारगर और सराहनीय कदम है, जिसकी छायाप्रति संलग्न है। अतः मैं चाहूंगा कि मेरे इस पत्र की प्रतिलिपि संलग्न करते हुए आप अपना आदेश सभी विभागों/जिलाधिकारियों/उप विकास आयुक्तों को निर्गत करें ताकि भोजपुर एवं बक्सर जिला की तरह राज्य के सभी विभागों/सभी जिलों में इस पर फौरन अमल हो। इस सम्बन्ध में अगर कोई कनीय या वरीय पदाधिकारी सरकार की सामाजिक न्याय की नीति एवं निर्देशों का ठीक से पालन करने में टाल-मटोल, भेदभाव या अनदेखी करता है तो ऐसे दोषी पदाधिकारी के विरुद्ध फौरन कारगर और कड़ी कार्रवाई कर उसे दंडित करना होगा तथा सराहनीय कार्य करने वाले पदाधिकारियों को पुरस्कृत करना होगा, तभी हकदारों को हक और इंसाफ मिलेगा तथा सामाजिक न्याय एवं सरकार के प्रति लोगों की आस्था, विश्वास और हौसला मजबूत होगा। अगर हमलोगों की जरा-सी नाइंसाफी, कोताही, अनदेखी या गफलत से सामाजिक न्याय का आन्दोलन कमजोर पड़ गया और सामाजिक क्रांति के बढ़ते कदम मद्धिम पड़ गए तो यह बहुत बड़ा ऐतिहासिक नुकसान होगा जिसके लिए इतिहास हमलोगों को जिम्मेदार ठहराएगा।

आपकी सलाहीयत, शराफत, इंसाफ पसंदी और कार्य कुशलता सराहनीय है। इस सुझाव की उपयोगिता, अल्पसंख्यकों की समस्याओं की गंभीरता तथा सरकार की सामाजिक न्याय की नीति की वचनबद्धता को देखते हुए मुझे आशा है कि आपके जरिए यह अहम काम जरूर हो जाएगा। इसके लिए तमाम दबे-कुचले, बेसहारा, बेजुबान की दुआ आपके साथ होगी। इसी विश्वास के साथ मैं यह पत्र आपको लिख रहा हूं। की गई कार्रवाई से मुझे भी अवगत कराएंगे।

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देंगे।

Ahmad-
21-4-1999.

(सोहैल अहमद)
अध्यक्ष

पत्रांक-अ.सं.क.-08-16/2000-991

बिहार सरकार

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

प्रेषक,

मुख्य सचिव,
बिहार ।

सेवा में,

सभी जिलाधिकारी/उपायुक्त
सभी उप विकास आयुक्त ।

पटना, दिनांक 23.11.2000ई0

विषय : अल्पसंख्यक समुदाय के विकास के विभिन्न कार्यक्रमों के समुचित कार्यान्वयन एवं पर्यवेक्षण के संबंध में ।

महाशय,

राज्य सरकार अल्पसंख्यकों के कल्याण के कार्यक्रमों को उच्च प्राथमिकता देती है । ये कार्यक्रम विभिन्न विभागों/एजेंसियों के अधीन चलाये जाते हैं, लेकिन सामान्यतः इन सभी का कार्यान्वयन जिला स्तर से होता है । इधर ऐसा महसूस किया जा रहा है कि जिला स्तर पर इन कार्यक्रमों की मोनिटरिंग के लिए कोई ठोस व्यवस्था या प्रक्रिया निर्धारित नहीं है । राज्य अल्पसंख्यक आयोग ने भी इस संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया है और कुछ सुझाव भी दिये हैं ।

2. अल्पसंख्यकों के कल्याण के कार्यक्रमों के महत्व को देखते हुये राज्य सरकार ने अब यह निर्णय लिया है कि जिलाधिकारी/उपायुक्त के समग्र (over-all) नियंत्रण एवं मार्गदर्शन में अल्पसंख्यकों से संबंधित परियोजनाओं के कार्यान्वयन एवं मोनिटरिंग के लिये जिला स्तर पर उप विकास आयुक्त सम्पूर्ण रूप से जिम्मेवार पदाधिकारी होंगे । उप विकास आयुक्त अपने अधीन एक सुयोग्य पदाधिकारी के प्रभार में एक "अल्पसंख्यक कल्याण कोषांग" का गठन करेंगे जो अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ सभी विभागों/संगठनों द्वारा किये जा रहे सभी कार्यों/योजनाओं की सतत निगरानी एवं अनुश्रवण करेगा और उनसे संबंधित आँकड़ों, प्रतिवेदनों इत्यादि को इकट्ठा करेगा ।

3. राज्य के सभी जिलाधिकारी/उपायुक्त अपने जिला के 20 सूत्री कार्यक्रम एवं अन्य लाभकारी योजनाओं के तहत अल्पसंख्यकों को पहुँचाये जा रहे लाभों एवं कार्यक्रमों के संबंध में एक माहवारी प्रतिवेदन प्रत्येक माह ठीक उसी प्रकार से अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को देंगे जैसा कि अनुसूचित जाति/जन जाति/महिलाओं के संबंध में दिया जाता है ।

4. प्रखण्ड स्तर पर ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं के कार्यान्वयन/ अनुश्रवण के संबंध में जो व्यवस्था अपनाई गई है, वही व्यवस्था अल्पसंख्यकों के कल्याण से सम्बन्धित योजनाओं के कार्यान्वयन/अनुश्रवण के संबंध में भी अपनाई जायेगी ।

विश्वास भाजन,

(मुकुन्द प्रसाद)
मुख्य सचिव, बिहार

'पटना, दिनांक 23.11.2000

ज्ञापांक 991

प्रतिलिपि प्रो0 सोहैल अहमद, अध्यक्ष, बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

23/11/2000

(ए0के0 उपाध्याय)

सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

ज्ञापांक 991 /पटना, दिनांक 23.11.2000

प्रतिलिपि - सभी जिला के प्रभारी मंत्री-सह-अध्यक्ष जिला कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

उनसे अनुरोध है कि जब भी जिला/प्रखंड स्तर पर जिला कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति/प्रखंड कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति की बैठकों में हर स्थिति में अल्पसंख्यक समुदाय को मिलने वाली लाभ से संबंधित योजना की समीक्षा सुनिश्चित की जाय ।

23/11/2000

(ए0के0 उपाध्याय)

सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

ज्ञापांक 991 /पटना, दिनांक 23.11.2000

प्रतिलिपि विकास आयुक्त/वित्त आयुक्त/सभी आयुक्त एवं सचिव/सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग/सचिव, सांस्थिक वित्त एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

23/11/2000

(ए0के0 उपाध्याय)

सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

ज्ञापांक 991 /पटना, दिनांक 23.11.2000

प्रतिलिपि सभी प्रमंडल के प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

23/11/2000

(ए0के0 उपाध्याय)

सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

GOVT. OF BIHAR

बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग

بِہَار ریَاسَتِی اَقلِیَتِی کمِیشَن

BIHAR STATE MINORITIES COMMISSION

Chairman
Prof. Sohail Ahmad

Phone : 660006 (R)
Fax : 223983 (Home Sec.)
: 224296 (Spl.Sec. Home)

Old Secretariat
Patna - 800 015

पत्रांक - 2675

दिनांक 21-4-99

Date

Ref.

श्री विजय शंकर दूबे,
मुख्य सचिव, बिहार ।

आपके कार्यालय में आपसे अल्पसंख्यकों से सम्बन्धित हुई वार्ता का निदेश करें। इत्तेफाक से उस वक्त श्री पी. पी. शर्मा, सचिव, कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग भी मौजूद थे। उस वक्त मैंने अल्पसंख्यकों से सम्बन्धित दो जरूरी आदेश निर्गत करने के लिए सुझाव दिया था बल्कि उन दोनों सुझावों को लागू करने के लिए श्री पी. पी. शर्मा को मैंने एक पत्र संख्या– 1932 दिनांक– 06-06-98 भी लिखा था जिसकी छायाप्रति संलग्न है। मैं चाहूंगा कि आपके स्तर से एक स्पष्ट आदेश राज्य के सभी जिलाधिकारी/उप विकास आयुक्तों को निर्गत किया जाए कि 20 सूत्री कार्यक्रम एवं अन्य लाभकारी योजनाओं के तहत पहुंचाए जा रहे लाभों के प्रतिवेदन में प्रत्येक माह अनुसूचित जाति/जन जाति/ महिलाओं की तरह अल्पसंख्यकों के लिए भी एक अलग कॉलम रखा जाएं तथा अल्पसंख्यकों को पहुंचाए गए वित्तीय एवं भौतिक लाभों का आंकड़ा उसमें निश्चित रूप से दिया जाए, जिससे तमाम सच्चाई और सबूत ठोस आंकड़ों के साथ सामने आ सके ताकि अगर किसी को उसका हक एवं हिस्सा नहीं मिला है तो उसे उसका हक एवं हिस्सा दिलाया जा सके।

जब सरकार के दूसरे विभागों को सुचारु रूप से चलाने तथा उसे ज्यादा कारगर और प्रभावी बनाने के लिए प्रमंडल से लेकर प्रखण्ड तक प्रशाखा एवं पदाधिकारी का एक मजबूत ढांचा मौजूद है तब यह बात उल्लेखनीय है कि इस सरकार ने जनवरी, 1991 से ही अल्पसंख्यकों के लिए एक अलाहदा अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय का गठन किया है और वर्त्तमान में एक मंत्री और एक राज्यमंत्री के साथ यह स्वतंत्र विभाग के रूप में काम कर रहा है तो अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को भी सुचारु रूप से चलाने तथा उसे कारगर और प्रभावी बनाने के लिए यह बहुत जरूरी है कि प्रमंडल से लेकर प्रखण्ड तक अल्पसंख्यक कल्याण प्रशाखा एवं पदाधिकारी के पद का सृजन हो। यदि उसमें विलम्ब हो तो तत्काल मेरी अनुशंसा होगी कि राज्य के कम से कम प्रत्येक जिला में एक अल्पसंख्यक कल्याण प्रशाखा का फौरन गठन किया जाए तथा अपर जिला दंडाधिकारी स्तर के एक निष्पक्ष एवं ईमानदार पदाधिकारी को स्थाई रूप से जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी के रूप में प्रभारी बनाया जाए ताकि अल्पसंख्यकों से सम्बन्धित तमाम सरकारी आदेशों का पालन दृढ़ता से हो सके, जिससे किसी के साथ भेदभाव, अन्याय या अनदेखी न हो और सामाजिक न्याय का लाभ सुनिश्चित, समुचित और समान रूप से हर एक नागरिक तक पहुंच जाए, तथा हर एक को उसका हिस्सा और हक आसानी से मिल जाए और उनके हितों की रक्षा तथा उनके जान-माल की सुरक्षा को निगरानी विशेष रूप से हो सके। इसके लिए राज्य के तमाम अल्पसंख्यकों खासकर गरीब, दबे-कुचले, बेसहारा और बेजुबानों की दुआ और हमदर्दी सरकार के साथ होगी।

अल्पसंख्यकों से सम्बन्धित मेरे उपयुक्त सुझावों को मानते हुए जिलाधिकारी, भोजपुर श्री अमृत लाल मीणा ने अपने पत्र संख्या–2196 दिनांक–30-4-98 तथा जिलाधिकारी, बक्सर श्री राजत पुन्हानी ने अपने पत्र संख्या–1219 दिनांक 22-7-98 द्वारा एक प्रभारी अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी बनाने तथा सरकारी योजनाओं में पहुंचाए जा रहे लाभों के प्रतिवेदन में अल्पसंख्यकों के लिए अलाहदा कॉलम रखने का निदेश निर्गत किया है जो बहुत ही कारगर और सराहनीय कदम है, जिसकी छायाप्रति संलग्न है। अतः मैं चाहूंगा कि मेरे इस पत्र की प्रतिलिपि संलग्न करते हुए आप अपना आदेश सभी विभागों/जिलाधिकारियों/उप विकास आयुक्तों को निर्गत करें ताकि भोजपुर एवं बक्सर जिला की तरह राज्य के सभी विभागों/सभी जिलों में इस पर फौरन अमल हो। इस सम्बन्ध में अगर कोई कर्मचारी या वरीय पदाधिकारी सरकार की सामाजिक न्याय की नीति एवं निर्देशों का ठीक से पालन करने में टाल-मटोल, भेदभाव या अनदेखी करता है तो ऐसे दोषी पदाधिकारी के विरुद्ध फौरन कारगर और कड़ी कार्रवाई कर उसे दंडित करना होगा तथा सराहनीय कार्य करने वाले पदाधिकारियों को पुरस्कृत करना होगा, तभी हकदारों को हक और इंसाफ मिलेगा तथा सामाजिक न्याय एवं सरकार के प्रति लोगों की आस्था, विश्वास और हौसला मजबूत होगा। अगर हमलोगों की जरा-सी नाइंसाफी, कोताही, अनदेखी या गफलत से सामाजिक न्याय का आन्दोलन कमजोर पड़ गया और सामाजिक क्रांति के बढ़ते कदम मद्धिम पड़ गए तो यह बहुत बड़ा ऐतिहासिक नुकसान होगा जिसके लिए इतिहास हमलोगों को जिम्मेदार ठहराएगा।

आपकी सलाहीयत, शराफत, इंसाफ पसंदी और कार्य कुशलता सराहनीय है। इस सुझाव की उपयोगिता, अल्पसंख्यकों की समस्याओं की गंभीरता तथा सरकार की सामाजिक न्याय की नीति की वचनबद्धता को देखते हुए मुझे आशा है कि आपके जरिए यह अहम काम जरूर हो जाएगा। इसके लिए तमाम दबे-कुचले, बेसहारा, बेजुबान की दुआ आपके साथ होगी। इसी विश्वास के साथ मैं यह पत्र आपको लिख रहा हूं। की गई कार्रवाई से मुझे भी अवगत करएंगे।

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देंगे।

Ahmad-
21-4-1999.

(सोहैल अहमद)
अध्यक्ष

GOVT. OF BIHAR
BIHAR STATE MINORITIES COMMISSION
OLD SECRETARIAT, PATNA



DISTRICT PROGRESS REPORT
REGARDING MINORITIES

District... ... ...

(240)

GOVT. OF BIHAR
BIHAR STATE MINORITIES COMMISSION
OLD SECRETARIAT, PATNA
PROGRESS REPORT REGARDING MINORITIES

DISTRICT ..... MONTH.....YEAR .....

POPULATION OF DISTRICT ..... POP. OF MINORITIES..... %

NAME OF MINORITEIS COMMUNITIES.....

REPORT

I. DEVELOPMENT

S.NO.	NAME OF THE SCHEME			TOTAL TARGET	ACHIEVEMENT	MINORITIES	REMARKS.
1.	I.R.D.P.	FIN.					
		PHY.					
2.	TRYSEM						
3.	INDIRA AWAS						
4.	DWACRA						
5.	BORING						
6.	EMPLOYMENT ASSURANCE SCHEME	SCH					TOTAL NO. OF REGISTERED LABOURS AND NO. OF MINORITIES THEREUNDER
		MAN DAYS					
7.	JRY	8%	SCH				
			M.D.				
		20%	SCH.				
			M.D.				
8.	FENCING OF GRAVE YARDS						
9.	NRY (P.M. GOLDEN JUBILEE EMPLOYMENT SCHEME						

10.	DRINKING WATER	NO. OF MIN. PROBLEM VILLAGES	POPULATION	NO. OF WELL DUG	NO. OF TUBEWELL INSTALLED	REMARKS

2. RELIFE TO RIOT VICTIMS (IF ANY)

NO. OF PERSONS REPORTED DEAD	FOUND CORRECT DURING ENQUARY	NO. OF PERSONS WHOSE FAMILY RECIEVED BENEFIT		BRIEF HISTORY OF RIOT
		NO	AMOUNT	

3. COMMUNAL HARMONY

COMMITIES FORMED FOR COMUNALHARMONVIDE HOME (spl) LETTER NO. 14042, DATED 18.7.83

NO.	NO. OF COMMITIES FORMED	MEETINGS HELD	REMARKS
DISTRICT			
SUB.DIVS.			
BLOCKS.			

4. SOCIAL SECURITY

S.NO.	NAME OF THE SCHEME	TOTAL TARGET	ACHIEVEMENT	MINORITIES REMARKS
1.	OLD AGE (CENTRE)			
2.	OLD AGE (STATE)			
3.	UNEMPLOYMENT TOKEN ALLOWANCE			
4.	BENIFIT TO PREGNANT WOMAN			
5.	OTHER INSURANCE SCHEME (SPECIFY)			

5. WELFARE

(i) STIPEND TO STUDENTS

S.NO.	SCHOOL	TOTAL NO. OF STUEDNTS BENIFITTED	NO. OF STUDENTS BENIFITTED	REMARKS
1.	PRIMARY			
2.	MIDDLE			
3.	HIGH			

(ii) OTHER SCHEMES

S.NO.	NAME OF THE SCHEMES	TOTAL NO. OF BENIFICIARIES	NO. OF MINORITIES	REMARKS
1.	HOUSE BUILDING			
2.	CATTLE PURCHASE			
3.	GRAIN GOLA LOAN (IF ANY)			
4.	ANY OTHER SCHEME (NAME)			

(iii) ICDS

TOTAL NO. OF CENTRES	TOTAL NO. OF CENTRES IN MIN. POPULATED AREA	REMARKS
		NO. OF SAHAIKAS AND SEWIKAS AND NO. OF MINORITIES THEREUNDER

6. SUPPLY

No.	Type of License	Total No.	Minorities	Remarks
1.	P.D. Shops			
2.	K. Oil Hawkers			
3.	Red Cards			

7. Revenue

(I) LAND DISTRIBUTION

S.No.	Type	TOTAL ACHIEVEMENTS		MINORITIES BENEFITTED		REMARKS
		No.	Area	No.	Area	
1.	G.M. LAND SETTLEMENT					
2.	HOUSE SITES					
3.	SURPLUS LAND UNDER CEILING					
4.	4. BASGIT					

(ii) ENCROACHMENT

S.No.	TYPE OF LAND	REPORTED		REMOVED	
		No.	Area	No.	Area
1.	GRAVE YARDS				
2.	WAQF LAND				
3.	LAND OF OTHER MINORITIES RELIGIOUS PLACES (SPECIFY)				
4.	4. BASGIT				

8. HEALTH

NO. OF MINORITIES VILLAGES COVERED	NO. OF MINORITIES CHILDREN IMMUNISED	NO. OF HEALTH CENTRES/ SUBCENTRES	NO. OF HEALTH CENTRES SUBCENTRES IN MIN. POPULATED VILL.(VIDE HEALTH DEPTT. LETTER NO. 27(10) DATE 9.2.98	REMARKS

9. INDUSTRIES (VIDE INDUSTRIES DEPTT. LETTER NO. 4363/8.7.97)

Sl. No.	TYPE	TARGET	ACHIEVEMENT	NO. OF MINORITIES
1.	PMRY			
2.	UNITS REGISTERED			
3.	OTHER (SPECIFY)			

(IV) COMMITTEE AT DISTRICT LEVEL FOR LINGUISTICS MINORITIES' PROBLEM AND THEIR REDRESSAL VIDE HOME (SPL) LETTER NO.204 DATED 17.6.78

COMMITTEE EXIST OR NOT	NO. OF MEETING	REMARKS

11. LITERACY PROGRAMME

NO. OF MINORITY VILLAGES COVERED	NO. OF CENTRE OPENED	NO. OF PERSONS MADE LITERATE (MINORITES)	NO. OF MINORITIES VOLUNTARY ORGANISATION REGISTERED AND AIDED	REMARKS

12. ARMS LICENCES ISSUED

SBL		DBBL		RIFLE		PISTOL		REVOLVER		ANY OTHER (SPECIFY)		REMARKS
Total	Minority	Total	Minority	Total	Minority	Total	Minority	Total	Minority	Total	minority	

13. FOREST (VIDE HOME SPL. LETTER NO.1016/20.3.87)

NO OF GRAVE YARDS FENCED BY PLANTATION UPTO LAST YEAR	NO. OF GRAVE YARDS FENCED BY PLANTATION DURING THE YEAR	TOTAL	REMARKS

14. LABOUR AND EMPLOYMENT (EMPLOYMENT EXCHANGE) (VIDE LABOUR AND EMPLOY. DEPTT. LETTERS NO.164/18.1.86,2178/19.7.85 & 2177/19.7,85)

NO. OF MINORITIES REGISTERED UP TO LAST YEAR	NO. OF MINORITIES REGISTERED DURING THE YEAR	TOTAL	NAME SENT FOR EMPLOY. UP TO LAST YEAR	NAME SENT DURING THE YEAR	TOTAL	REMARKS

(IV) COMMITTEE AT DISTRICT LEVEL FOR LINGUISTICS MINORITIES' PROBLEM AND THEIR REDRESSAL VIDE HOME (SPL) LETTER NO.204 DATED 17.6.78

COMMITTEE EXIST OR NOT	NO. OF MEETING	REMARKS

11. LITERACY PROGRAMME

NO. OF MINORITY VILLAGES COVERED	NO. OF CENTRE OPENED	NO. OF PERSONS MADE LITERATE (MINORITES)	NO. OF MINORITIES VOLUNTARY ORGANISATION REGISTERED AND AIDED	REMARKS

12. ARMS LICENCES ISSUED

SBL		DBBL		RIFLE		PISTOL		REVOLVER		ANY OTHER (SPECIFY)		REMARKS
Total	Minority	Total	Minority	Total	Minority	Total	Minority	Total	Minority	Total	minority	

13. FOREST (VIDE HOME SPL. LETTER NO.1016/20.3.87)

NO OF GRAVE YARDS FENCED BY PLANTATION UPTO LAST YEAR	NO. OF GRAVE YARDS FENCED BY PLANTATION DURING THE YEAR	TOTAL	REMARKS

14. LABOUR AND EMPLOYMENT (EMPLOYMENT EXCHANGE) (VIDE LABOUR AND EMPLOY. DEPTT. LETTERS NO.164/18.1.86,2178/19.7.85 & 2177/19.7.85)

NO. OF MINORITIES REGISTERED UP TO LAST YEAR	NO. OF MINORITIES REGISTERED DURING THE YEAR	TOTAL	NAME SENT FOR EMPLOY. UP TO LAST YEAR	NAME SENT DURING THE YEAR	TOTAL	REMARKS

15. (i) ENERGY

NO. OF MINORITY VILLAGES ELECTRIFIED UPTO LAST YEAR	NO. OF MINORITY VILLAGES ELECTRIFIED DURING THE YEAR	TOTAL	REMARKS

(ii) BIOGAS PLANT/CHULHA

TOTAL NO.OF BIO GAS PLANT INSTALLED.	NO. OF MINORITY BENIFITTED	NO. OF CHULHA DISTRIBUTED (TOTAL)	NO. OF MINORITY BENIFITTED.	TOTAL NO. OF CHULAH INSTALLED (FUNGLESS)	NO. OF MINORITY	REMARKS ANY OTHER

16. LOCAL BODIES

NO. OF SLUM AREAS IMPROVED	NO. OF MINORITY DOMINATED SLUM AREA IMPROVED	REMARKS

17. ESTABLISHMENTS (VIDE PERSONNEL DEPTT. LETTER NO.6725/22.5.89)

NO. OF COMMITTEES FORMED FOR APPOINTMENT/PROMOTION BY ALL DEPARTMENTS OF THE DISTT.	NO. OF COMMITTEE HAVING A MINORITY MEMBER	REMARKS

(ii) SENSITIVENESS TOWARDS MINORITIES BY OFFICIALS INSTRUCTIONS VIDE TPP LETTER NO.451 dated 19.3.88 ARE FOLLOWED OR NOT. GIVE DETAILS.

18. 20 POINT PROGRAMME

INSTRUCTIONS ENVISAGED IN TPP LETTER NO. 451 DATED 19.3.88 REGARDING BENEFIT TO MINORITIES IN DIFFERENT SCHEMES UNDER 20 POINT IN PROPORTION TO THEIR POPULATION AND REPRESENTATION TO MINORITIES IN THE COMMITTEES FORMED TO SUPERVISE SUCH SCHEMES ARE FOLLOWED OR NOT. GIVE DETAILS.

19. BANK LOAN (CROP LOAN, AGRI. LOAN & OTHER THAN I.R.D.P.)

TYPE OF BANK	TARGET	ACHIEVEMENT	NO. OF MINORITES	REMARKS
COMMERCIAL BANK				
GRAMIN BANK				
CO-OPERATIVE BANK				
L.D. BANK				

20. ATROCITIES ON MINORITIES

COMPLAIN RECEIVED (NO.)	DISPOSED OF	PENDING (ENCL. LIST)	REMARKS.

21. PROGRESS OF URDU LANGUAGE (2nd OFFICIAL LANGUAGE)

PEITTION RECEIVED IN URDU (NO)	REPLIED IN URDU	CIRCULARS ORDERS ISSUED IN URDU	NOTICES ISSUED IN URDU	DISTT GAZETTE ISSUED IN URDU	NO. OF DOCUMENTS REGISTERED IN URDU	NO. OF MUTATION DONE ON URDU DOGUMENTS	TOTAL NO. OF NAME PLATES AND BOARDS	TOTAL NO. OF NAME PLATES AND BOARDS IN URDU

22. SPECTIFIC PROBLEM OF MINORITIES

NAME OF THE MINOTITIES	POPULATION IN THE DIST	%	SPECIFIC PROBLEM	REDRESSAL STEPS	REMARKS
MUSLIM					
CHRISTIAN					
SIKH					
BUDHDHIST					
JAIN					
PARSEE					
BENGALI					
ORIYA					
ANY OTHER (SPECIFY)					

23. LETTERS PENDING FOR COMPLIANCE (SENT BY COMMISSION)

NO. OF LETTERS SENT BY COMMISSION	COMPLIED (NO.)	PENDING (NO.)	PENDING FOR ONE MONTH (NO.)	PENDING FOR THREE MONTH (NO.)	PENIDNG FOR SIX MONTH (NO.)	PENDING FOR ONE YEAR (NO.)	REMARKS

.....

DEPUTY COLL./IC
MINORITIES AFFAIRS

.....

DISTRICT MAGISTRATE
COLLECTOR/D.C

DATE .....

PLACE .....

दिनांक 27/4/1998 को माननीय अध्यक्ष, अल्प संख्यक आयोग, बिहार प्रो0 श्री सुहैल अहमद की अध्यक्षता में भोजपुर जिला के विभिन्न विकास कायक्रमों की प्रगति कि की गयी समीक्षा की समीक्षात्मक टिप्पणी:—

उपस्थिति:—

1:— श्री अमृत लाल मीणा, जिला पदाधिकारी, भोजपुर/
2:— श्री राज कुमार मल्लिक, आरक्षी अधीक्षक,भोजपुर/
3:— श्री जेड0 एच0 खॉ, अपर समाहर्त्ता, (नक्सल) भोजपुर/
4:— श्री एस0 उरॉव, अपर समाहर्त्ता,भोजपुर/
5:— श्री एस0 पासवान, निदेशक लेखा प्रशासन एवं रव नियोजन/
6:— श्री एस0 एस0 पासवान, सिविल सर्जन,भोजपुर/
7:— श्री इफ्तखार हसन, अनुमंडल पदाधिकारी,सदर आरा/
8:— श्री एम0 दास, जिला शिक्षा पदाधिकारी,भोजपुर/
9:— जिले के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारीगण/
10:— जिले के सभी अंचलाधिकारीगण/
11:— मुख्यालय स्थित सभी पदाधिकारीगण ।
12:— अल्प संख्यक समुदाय के गण मान्य व्यक्ति/
13:— जैन समुदाय के गणमान्य व्यक्ति ।
14:— मिशन स्कूल के प्राचार्य एवं अन्य सम्बन्धित व्यक्ति/

सर्वप्रथम जिला पदाधिकारी ने बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों एवं अन्य आगत व्यक्तियों का स्वागत किया तदोपरान्त बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ हुयी / इस बैठक में निम्न लिखित निर्णय लिये गये एवं निम्नांकित निदेश सम्बन्धित पदाधिकारियों को दिया गया /

1:— अध्यक्ष महोदय ने उपस्थित पदाधिकारियों को निदेश दिया कि गरीबों का हक सरामय मिले इसे सुनिश्चित करने के लिये हर माह में कम से कम चार कैम्प वैसे ग्रामों में करें जहॉ की अधिकतम आबादी अल्प संख्यक समुदाय का हो एवं उनकी समस्या का समाधान प्राथमिकता पर करना सुनिश्चित करें /

2— आई0 आर0 डी0 पी0— सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि अल्प संख्यक वर्ग के सदस्यों को वित्त पोषण कराने की दिशा में अग्रेत्तर कार्रवाई करें ताकि इस समुदाय के लोगों को भी समुचित संख्या में लाभान्वित किया जा सके/ अल्प संख्यक समुदाय के वैसे परिवार जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते है उन्हें वित्त पोषण कराने हेतु उनके टोले में कैम्प करके उनसे आवेदन पत्र प्राप्त किया जाय/

3:— दुग्ध उत्पादन सहयोग समितियों में अल्प संख्यक समुदाय के सदस्यों को समानुपातिक मात्रा में निश्चित रूपसे सदस्य बनाया जाय/

4:— ट्रायसम:— जिला पदाधिकारी ने बताया कि इस जिले में ट्रायसम के तहत मुख्यतः चापाकलों की मरम्मति, पशुधन सहायक,ट्रेण्ड दाई, कालीन बुनाई, कम्प्युटर प्रशिक्षण देने की योजना ली गयी है तथा नवयुवकों को प्रशिक्षित करके लाभान्वित किया जा रहा है/

सभी पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि वे अगली बैठक में इसकी मोनिटरिंग करेंगे कि अल्प संख्यक समुदाय के कितने व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया है एवं कितने व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है / यदि अल्प संख्यक समुदाय के लोगों का अनुपात उचित नहीं हो तो उसमें वृद्धि लाना सुनिश्चित करेंगे /

इन्दिरा आवास योजना:- अल्प संख्यक समुदाय के व्यक्तियों को भी इस योजना के तहत गृह निर्माण कराया गया है/ इस सम्बन्ध में विस्तृत चर्चा हुयी एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी,जगदीशपुर ने बताया कि चाम तुलसी में कुल स्वीकृत ईकाई 71 में से 24 ईकाई अल्प संख्यक समुदाय के व्यक्तियों को स्वीकृत है एवं उनका गृह निर्माण का कार्य कराया जा रहा है /

प्रखंड विकास पदाधिकारी,बिहियाँ ने बताया कि रानी सागर चाम में कुल स्वीकृत ईकाई 147 में से 60 अल्प संख्यक समुदाय के लाभुकों का गृह निर्माण कराया जा रहा है/

प्रखंड विकास पदाधिकारी, शाहपुर ने बताया कि डुमरियाँ में कुल स्वीकृत ईकाई 33 में से 31 अल्प संख्यक समुदाय के व्यक्तियों को गृह निर्माण कराया गया है /

प्रखंड विकास पदाधिकारी,पीरो ने बताया कि पीरो में कुल स्वीकृत ईकाई 325 में से 213 अल्प संख्यक समुदाय के व्यक्तियों का गृह निर्माण किया जा रहा है/

प्रखंड विकास पदाधिकारी,संदेश ने बताया कि सन्देश में कुल स्वीकृत ईकाई 100 में से 35 अल्प संख्यक समुदाय के परिवारों का गृह निर्माण कराया जा रहा है/ इसी प्रकार छपरापुर में 31 में से 25 अल्प संख्यक समुदाय के परिवारों का गृह निर्माण कराया जा रहा है/

इन सभी टोलों में पेय जल, सामुदायिक भवन ,प्राथमिक विद्यालय, पहुँच पथ,शौचालय आदि का निर्माण आवश्यता को ध्यान में रखते हुये कराया गया है एवं जिन टोलों में ये मूलभूत आवश्यकताओं से सम्बन्धित योजनाओं का आभाव है वहाँ निर्माण कराने का प्रस्ताव है/

अध्यक्ष महोदय ने बताया कि अल्प संख्यक समुदाय के टोलों में अवस्थित प्राथमिक विद्यालय में एक उर्दू शिक्षक का पदस्थापन निश्चित रूप से किया जाय एवं उस टोले में पेयजल, पहुँच पथ, सामुदायिक भवन,शौचालय, आदि का निर्माण

पहुँच पथ, सामुदायिक भवन, सामुहिक शौचालय आदि का निर्माण प्राथमिकता के तौर पर कराया जाय / तदनुसार आवश्यकता का आकलन करते हुये प्रस्ताव प्राक्कलन सहित सम्मिलित करें /

6:- **सुनिश्चित रोजगार योजना:-** जिन सभी अल्प संख्यकों के कलस्टरी जहाँ आवश्यकता हो वहाँ पारिवारिक कार्ड मिलना चाहिये एवं रोजगार सुनिश्चित करने हेतु स्व रोजगार के तहत प्रशिक्षित किया जाना चाहिये/

7:- **कब्रिस्तान की घेराबंदी:-** जिला पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि जिले में प्रायः कब्रिस्तानों की घेराबंदी का कार्य पंचायत में उपलब्ध जवाहर रोजगार योजना की निधि से समानुपातिक लम्बाई में कराने का निदेश पूर्व में ही दिया जा चुका है एवं तदनुसार कार्य की जा रही है/इसके अतिरिक्त निदेश दिया गया कि कब्रिस्तानों की घेराबंदी के साथ ही साथ सब प्रमंडल पदाधिकारी एवं अन्य कार्यकारी एजेन्सियों जिनके द्वारा सामाजिक वानिकी कार्यक्रम संचालित किया जाता है, घेराबंदी किये गये कब्रिस्तानों में सामाजिक वानिकी योजना के अंतर्गत वृक्षारोपण भी करायेंगे/

8:- **सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम:-** सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम के तीनों घटकों यथा- राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना, वृद्धावस्था पेंशन योजना, मातृत्व लाभ योजना के तहत हर वर्ग के लोगों को समुचित संख्या में लाभान्वित किया जा रहा है/ इसमें अल्प संख्यक समुदाय के लोगों की समुचित संख्या में लाभान्वित किया जा रहा है/ इसमें अल्प संख्यक समुदाय के लोगों की अनुपात बढाने का निदेश अध्यक्ष महोदय द्वारा दिया गया /

अध्यक्ष महोदय के निदे2ा का अनुपालन सुनि2चित करने के लिये जिला पदाधिकारी ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को निदे2ा दिया गया कि वे गई गाह में अल्प संख्यक समुदाय के टोले में एक कैम्प करके इन योजनाओं का समुचित लाभ वितरित करावें /

9:- राजस्वः- जिले के वैसे परिवार जिन्हें घर बनाने के लिये अपनी भूमि नही है उन्हें भूमि उपलब्ध कराने का निदे2ा अध्यक्ष महोदय द्वारा दिया गया / इस सम्बन्ध में जिला पदाधिकारी ने बताया कि पूर्व में भी भूमिहीन एवं गृह विहीन परिवारों का सर्वेक्षण कराकर 2665 परिवारों को बासगीत का पर्चा तथा 5580 परिवारों को गृह स्थल का पर्चा दिया गया / फिर भी सभी अंचलाधिकारियों को निदे2ा दिया गया कि अल्प संख्यक समुदाय के टोलों में शिविर लगाकर भू-विवाद से सम्बन्धित समस्याओं का निराकरण कराये एवं भूमिहीनों के बीच पर्चा का वितरण कराना सुनि2चित करें / ताकि इस जिले का कोई भी परिवार ऐसा नही रहे जिसके पास रहने हेतु अपना मकान नही हो /

10:- स्वास्थ्यः- अध्यक्ष महोदय ने सफाई पर वि2ोष बल दिया / उन्होंने बताया कि अल्प संख्यक आयोग की गंदी बस्तिओं में व्यापक सफाई अभियान चलाया जाय ताकि इन टोलों में डायरियॉ, कालाज्वर आदि की शिकायत नही हो / असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी को निदे2ा दिया गया कि वे जिले के सभी वैसे बस्तिओं जहॉ ज्यादा गंदगी हो वहॉ ब्लिंचिंग पाउडर एवं डी0डी0टी 0 का छिड़काव कराना सुनि2चित करें एवं सफाई की समुचित व्यवस्था सुनि2चित किया जाय/

11:- उद्योग :- प्रधान मंत्री रोजगार योजना के तहत अल्प संख्यक समुदाय के लोगो को समुचित लाभ दिया गया है या नही इसकी समीक्षा समय-समय पर किया जाना चाहिये और यह सुनि2चित किया जाना चाहिये कि अल्प संख्यक समुदाय के परिवार को समुचित अनुपात में इसका लाभ मिले /

12:- विद्युत :- अधीक्षण अभियंता, विद्युत को उजागिचत अल्प संख्यक समुदाय के उपभोक्ताओं की सूची मॉगी गयी ताकि उनको विद्युत सम्बद्ध स्थापित कराया जा सके/

13:- वित्त पोषण :- जिला समन्वयक, भोजपुर रोहतास ग्रामीण बैंक ने बताया कि अल्प संख्यक समुदाय के परिवारों के उत्थान के लिये प्रयास किया जा रहा है/ उदाहरण के तौर पर कायमनगर में सब्जी कलस्टर हेतु प्लैटफार्म का निमार्ण कराया जा रहा है/ कोईलवर में पौल्ट्री फार्म के लिये रहीम खॉ को वित्त पोषण किया गया था जिससे वे उत्पादन सह प्रशिक्षण का कार्य तीव्रता से कर रहे है /

14:- अन्याय विषयः-

हरखेन कुमार जैन अस्पताल में चिकित्सकों को कार्य नही करने देने के सम्बन्ध में शिकायत प्राप्त हुयी है जिसे दूर करने के लिये अनुमंडल पदाधिकारी को निदे2ा दिया गया कि वे एक सप्ताह के लिये एक दंडाधिकारी एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति कर दें ताकि कोई भी व्यक्ति अनाधिकृत रूप से किसी को कार्य करने से नही रोके/

जैन कन्या पाठ2ाला- चूँकि यह एक अल्प संख्यक समुदाय का विद्यालय है इसलिये इस सम्बन्ध में प्राप्त शिकायतों की गहन जॉच करने हेतु निदे2ाक, लेखा प्र2ासन एवं स्व-नियोजन को निदे2ा दिया गया ताकि इस मामले का समाधान संभव हो सके/

नवादा-करमन टोला कब्रिस्तान का दखल कब्जा दिलानाः- अंचलाधिकारी, आरा को निदे2ा दिया गया कि वे न्यायिक निदे2ा के आलोक में दखल कब्जा दिलाना सुनि2चित करें /

दॉवा मस्जिद की भूमि पर मुस्लिम समुदाय के दो पक्षों के बीच चल रहे विवाद को सुलझावे हेतु अनुमंडल पदाधिकारी,जगदीशपुर को निदेश दिया गया /

मौलाबाग ईदगाह में किये गये अतिक्रमण को हटाने का निदेश अनुमंडल पदाधिकारी सदर आरा को दिया गया /

धर्मन चौक मस्जिद की गली के सम्बन्ध मे अनुमंडल पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी,आरा को मामले का निष्पादन करने का निदेश दिया गया /

जैन बाला विश्राम में एक उर्दू शिक्षक के प्रतिनियुक्ति के सम्बंन्ध में निर्णय लिया गया कि यह एक अल्पसंख्यक कॉलेजी का विद्यालय है इसलिये सरकारी शिक्षक की प्रतिनियुक्ति नहीं की जा सकती है/

अरैला पवना में उर्दू प्राथमिक विद्यालय की मॉग के सम्बन्ध में जिला पदाधिकारी ने बताया कि इसमें स्थल विवाद है/ परन्तु बताया गया कि स्थल विवाद समाप्त हो गया है/ तदनुसार अनुमंडल पदाधिकारी को जॉच कर अग्रेत्तर कार्रवाई करने का निदेश दिया गया /

शाहाबाद उर्दू प्राथमिक विद्यालय के भवन निर्माण के सम्बन्ध में जिला पदाधिकारी ने बताया कि नये स्थल का चयन कर विद्यालय का निर्माण कराया जायेगा /

अल्प संख्यक समुदाय के समस्याओं के समाधान हेतु वरीय प्रभारी पदाधिकारी के रूप में श्री जिआउल हक खॉ , अपर समाहर्त्ता (नक्सल) को प्राधिकृत किया गया।

सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अन्य कार्यकारी एजेन्सियों को निदेश दिया गया कि वे अपनी मासिक प्रगति प्रतिवेदन में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लाभान्वितों के साथ ही साथ अल्प संख्यक समुदाय के लाभान्वितों की संख्या एवं उन्हें दिये गये वित्तीय लाभ के सम्बन्ध में भी प्रतिवेदन देंगे ताकि अल्प संख्यकों के कल्याण के सम्बन्ध में किये गये कार्यो की समीक्षा की जा सके /

अंत में सभी उपस्थित पदाधिकारियों एवं अन्य व्यक्तियों को धन्यवाद ज्ञापन के साथ ही बैठक की कार्यवाई समाप्त की गयी /

27.4.98

जिला पदाधिकारी,
भोजपुर, आरा/

ज्ञापांक 2127 /गो0 आरा, दिनांक 27 वीं अप्रैल,98

प्रतिलिपि अध्यक्ष, अल्प संख्यक आयोग, बिहार पटना की सेवा में सूचनार्थ समर्पित /

प्रतिलिपि श्री जेड0एच0खॉ, अपर समाहर्त्ता (नक्सल)/अनुमंडलाधिकारी, सदर आरा, पीरो एवं जगदीशपुर को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित/

प्रतिलिपि सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सभी अंचलाधिकारी एवं अन्य सभी उपस्थित व्यक्तियों को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित/

27.4.98

जिला पदाधिकारी
भोजपुर, आरा/

भगत/

परिशिष्ट - 50

कार्यालय असैनिक शल्य चिकित्सक सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, सारण, छपरा ।

ज्ञापांक- 862 छपरा, दिनांक- 19/1/96

प्रेषित,

अधीक्षक,
सदर अस्पताल, छपरा ।

प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी
सभी प्राथमिक स्वा० केन्द्र/अतिरिक्त प्रा०स्वा०केन्द्र,
प्रसोतर कार्यक्रम , सदर अस्पताल, छपरा ।

विषय:- अल्प संख्यक समुदाय के लावारिस लास के प्रसंग में ।

बिहार राज्य अल्प संख्यक आयोग के माननीय अध्यक्ष की अध्यक्षता में दिनांक 15.2.97 को एक बैठक छपरा में हुई । जिसमें निम्नलिखित निर्णय लिए गये । इसका अनुपालन सभी स्तर पर तात्कालीक प्रभाव से किया जाए ।

सदर अस्पताल, छपरा में अल्प संख्यक समुदाय के लावारिस लाश की सूचना अस्पताल प्रशासन द्वारा जिला जनता दल अध्यक्ष बलाक मोमिन जिनका दूरभाष नम्बर 25056 है को दी जाए ।

2. अल्प संख्यक समुदाय के सलम एरिया में प्रतिरक्षण कार्य पूरी मुस्तैदी से कराया जाए।

3. सभी पदाधिकारी अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को निदेश दे तथा सुनिश्चित करे कि अल्प संख्यक समुदाय के शतप्रति लोग प्रतिरक्षण कार्य से लाभान्वित हो । माहवारी प्रगति प्रतिवेदन भेजते समय अल्पसंख्यक का प्रतिवेदन अलग कालम में भेजा जाय ।

4. गर्भवती महिला एवं उसमें भी खास कर जो अत्यन्त गरीब हो उन्हे प्रसव पूर्व टेटनस की सुई तथा आयरन गोली निश्चित रूप से दी जाए । साथ ही उन्हे पौष्टिक आहार खासकर हरा शब्जी एवं दाल नियमित खाने की सलाह दी जाए ।

अपने अधीनस्थ पदस्थापित सभी चिकित्सको एवं स्वास्थ्य कर्मियों को इससे अवगत करा दे तथा इसका अनुपालन हरेक स्तर पर सुनिश्चित करें ।

19/1/97

असैनिक शल्य चिकित्सक सह-मुख्य चिकित्सा
पदाधिकारी, सारण, छपरा ।

ज्ञापांक- 862 छपरा, दिनांक- 19/1/96

प्रतिलिपि अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, /जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी, सारण / अनुमण्डल चिकित्सा पदाधिकारी, सदर छपरा / जिला मलेरिया पदाधिकारी, सारण/ एवं जिला यक्ष्मा पदाधिकारी, सारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित । प्राथमिक स्वा० केन्द्रो, अति० प्रा० स्वा० केन्द्रो एवं स्वा० उपकेन्द्र स्तर पर अपने निरीक्षण के दौरान इन बिन्दुओ पर भी समीक्षा करेगें तथा एतत सम्बन्धि प्रतिवेदन नियमित देगें ।

प्रतिलिपि क्षेत्रीय उपनिदेशक, स्वा० सेवासारण प्रमण्डल, छपरा को सूचनार्थ प्रेषित

प्रतिलिपि जिला पदाधिकारी, सारण, छपरा को सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि अध्यक्ष जनता दल सारण छपरा को सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि आफत सचिव, माननीय अध्यक्ष, बिहार राज्य अल्प संख्यक आयोग पुराना सचिवालय , पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

19/1/97

असैनिक शल्य चिकित्सक सह-मुख्य चिकित्सा
पदाधिकारी, सारण, छपरा ।

Fax. No. 0612-224296

पत्रांक. . . 223 . 1/क. 34-1/97

प्रेषक,

जिला पदाधिकारी,
सारण, छपरा ।

सेवा में,

सभी अनुमंडल पदाधिकारी
सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी
सभी अंचल पदाधिकारी
जिला शिक्षा अधीक्षक, सारण, छपरा ।

छपरा, दिनांक. . . 5. मार्च 1997 ई. ।

विषय:- अल्पसंख्यकों को विभिन्न योजनाओं के तहत लाभान्वित करने के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक इस कार्यालय के ज्ञापांक 365/सी. दिनांक 7.2.97 का निदेश करें। दिनांक 15.2.97 को माननीय अध्यक्ष बिहार राज्य अल्पसंख्या आयोग पुराना सचिवालय पटना द्वारा छपरा परिसदन में विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों के साथ बैठक हुई। बैठक में विभिन्न विभागों के कार्यों के प्रगति के संबंध में समीक्षा की गयी। माननीय अध्यक्ष द्वारा समीक्षा के दौरान कुछ मुख्य बिन्दुओं पर ध्यान आकृष्ट किया गया है जिस पर कार्रवाई अपेक्षित है ।

1. जिला शिक्षा अधीक्षक के साथ बैठक कर स्थानान्तरण में यूनिट संबंधी हुए गड़बड़ियों को ठीक करने हेतु। इस संबंध में जिला शिक्षा अधीक्षक को शीघ्र बैठक बुलाने हेतु निदेशित किया गया है । इस जिला में उर्दू यूनिट के अनुसार शिक्षक नहीं है। इस संबंध में जिला शिक्षा अधीक्षक बैठक में सूची उपलब्ध कराए तथा पदस्थापन की कारवाई करें। ताकि अनुपालन भेजा जा सके। उन्होंने अल्पसंख्यक प्राथमिक विद्यालयों को मध्य विद्यालय में एवं मध्य विद्यालय को उच्च विद्यालय में विकसित करने की दिशा में पहल करने का आवश्यकता बतलाई । इस दिशा में जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा अपने स्तर से आवश्यक पहल करें ।

2. राशन उपलब्ध कराने के लिए बन रहे लाल कार्ड में तेजी लाने हेतु अधिक से अधिक पदाधिकारियों को इस कार्य में लगाने का निदेश दिया गया है। इस कार्य में शीघ्रता बरती जाए

3. अनाथालय में भी सस्ती दर पर गेहूं दिलवाने हेतु निदेश दिया गया । इस सम्बन्ध में आपूर्ति कार्यालय अनाथालय के लिए राशन कार्ड बनाकर गेहूं/चीनी/तेल की आपूर्ति करें।

4. हर महीने में दो बार पंचायत स्तर पर विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों द्वारा कैम्प कर वंचित जरूरत मंद लोगों को लाभान्वित करने की कारवाई की जाय। एवं अल्पसंख्यकों से सम्बन्धित जो कार्य छूट गए है उसमें उन्हे लाभान्वित करने की कारवाई करें।

कृ. कृ. उ.

5. जिस प्रखंड में कब्रिस्तान हो।जहां अति संवेदनशील है वहां प्राथमिकता के आधार पर 13वें धोरा बन्दी की दिशा में जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत कारवाई की जाय । गरखा प्रखंड में मात्र एक कब्रिस्तान है जिसका धोरा बन्दी अति आवश्यक है ।

माननीय अध्यक्ष द्वारा अन्य योजनाओं में भी जरूरत मंद लोगों को प्राथमिकता प्राप्त लाभान्वित करने पर जोर दिया गया है ।

अतः सभी संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया जाता है कि वे विशेष रूचि के साथ अपने कार्यों एवं दायित्वों का निर्वाह करते हुए समाज के कमजोर वर्गों के निहित चलाये जा रहे योजनाओं का प्राथमिकता आधार पूरा किया जा सके ।

विश्वास भाजन,

जिला पदाधिकारी,
सारण, छपरा ।

ज्ञापांक. 223 /क. छपरा, दिनांक. 5 .मार्च 1997ई. ।

प्रतिलिपि माननीय अध्यक्ष बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग, मुस्लिम सचिवालय पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

जिला पदाधिकारी,
सारण, छपरा ।

अनवर/5. 3. 97/

परिशिष्ट - 52

कार्यालय गोपालगंज (गोपनीय शाखा)

ज्ञापांक ... सी दिनांक ... सी फरवरी, ६७।

सेवा में

सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी
सभी अंचलाधिकारी
जिला - गोपालगंज।

विषय:- अल्पसंख्यकों को विभिन्न कल्याणकारी एवं विकास योजनाओं में सुनिश्चित भागीदारी एवं लाभ पहुँचाने के संबंध में।

उपर्युक्त विषयक सूचित करना है कि दिनांक १४-२-६७ को अध्यक्ष राज्य अल्पसंख्यक आयोग, बिहार के साथ बैठक में निर्णय हुआ था कि महीने में दो बार प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी तथा अन्य क्षेत्रीय पदाधिकारी अपने क्षेत्र में पंचायत स्तर पर शिविर लगाकर हर एक गाँव के लोगों से सीधे सम्पर्क कर समाज के ऐसे गरीबों का जो अब तक किसी कारण से वंचित रह गये हैं, का पता लगाकर उनके आवेदन उन्हें दिलाएँ और उनकी समस्याओं का समाधान करें ताकि सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उन्हें मिल सके तथा उनकी समस्या का समाधान भी तत्काल कर दिया जाय ताकि धर्मनिरपेक्ष और सामाजिक न्याय के सरकार में कोई भी दबा-कुचला, नेवा, अनाथ, बेसहारा एवं अल्पमान अपने हक से वंचित न रह जाय।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में आपको निदेश दिया जाता है कि अपने-अपने क्षेत्र में महीने में दो बार पंचायत स्तर पर शिविर लगाकर उपरोक्त निर्णय का कार्यान्वयन करें तथा की गयी कार्रवाई की सूचना जथोपलब्ध करें।

जिला दंडाधिकारी, गोपालगंज

ज्ञापांक ... सी दिनांक ... सी फरवरी, ६७।

प्रतिलिपि उप विकास आयुक्त, गोपालगंज। अपर समाहर्ता, गोपालगंज अनुमंडल पदाधिकारी, गोपालगंज। सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

जिला दंडाधिकारी, गोपालगंज

ज्ञापांक -798 सी दिनांक 22 फरवरी, ६७।

प्रतिलिपि श्री सी० अहमद, अध्यक्ष, राज्य अल्पसंख्यक आयोग, बिहार पटना को उनके पत्रांक संख्या ४३० एम०सी० दिनांक १६-२-६७ के प्रसंग में सूचनार्थ प्रेषित।

जिला दंडाधिकारी, गोपालगंज

- समाहरणालय गोपनीय शाखा, बक्सर -

- आ दे श -

सरकार द्वारा चलायी जा रही विभिन्न विकास कार्यक्रमों का लाभ सुनिश्चित करने के लिये जिला स्तर पर एक कोषांग का गठन किया जाता है, जिसके प्रभार में श्री अखिलेश प्रसाद, उप विकास आयुक्त, बक्सर रहेंगे ।

यह कोषांग सुनिश्चित करेगा कि विभिन्न कार्यक्रमों का समुचित लाभ अल्प संख्यक समुदाय के व्यक्तियों को मिले एवं विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन सभी सम्बन्धित विभागों से प्राप्त करेंगे एवं उसे क्रोडीभूत कर राज्य अल्प संख्यक आयोग के अध्यक्ष को प्रतिवेदन भेजते हुये अग्रेतर अनुपालन करेंगे । विहित प्रपत्र में एक अतिरिक्त कॉलम रहेगा जिसमें अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्तियों को लाभ मिलने के सम्बन्ध में आँकड़े एवं विवरणी अंकित रहेगा ।

जिला पदाधिकारी एवं समाहर्त्ता
बक्सर ।

ज्ञापांक 1219 / गो0 बक्सर दिनांक 22 वीं, जुलाई 1998

प्रतिलिपि श्री अखिलेश प्रसाद, उप विकास आयुक्त, बक्सर को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि अध्यक्ष, अल्प संख्यक आयोग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि सभी सम्बन्धित पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

जिला पदाधिकारी एवं समाहर्त्ता,
बक्सर ।

भोजपुर सभाहरणालय
गोपनीय शाखा, भोजपुर, आरा।

आ दे श

——: 0 :——

सरकार द्वारा चलायी जा रही विभिन्न विकास कार्यक्रमों का लाभ सुनिश्चित करने के लिये जिला स्तर पर एक कोषांग का गठन किया जाता है जिसके प्रभारी में श्री जिआउल हक आँ, अपर समाहर्त्ता । नक्सल। ,भोजपुर रहेंगे ।

श्री हक यह सुनिश्चित करेंगे कि विभिन्न विकास कार्यक्रमों का समुचित लाभ अल्प संख्यक समुदाय के व्यक्तियों को मिले एवं संलग्न प्रपत्र में प्रतिवेदन सभी सम्बन्धित विभागों से प्राप्त किया जाय एवं उसे संकलित करके राज्य अल्प संख्यक आयोग के अध्यक्ष को प्रतिवेदन ~~xxxxx~~ भेजते हुये उनका अग्रेत्तर अनुश्रवण किया जाय।

हस्ता.

जिला पदाधिकारी एवं समाहर्त्ता,
भोजपुर, आरा।

भगत/

ज्ञापांक 2196 /गो0 आरा, दिनांक 30 वीं अप्रैल, 98

प्रतिलिपि श्री जिआउल हक आँ, अपर समाहर्त्ता, । नक्सल। भोजपुर आरा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि अध्यक्ष, अल्प संख्यक आयोग, बिहार पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि अन्य सभी सम्बन्धित पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

जिला पदाधिकारी एवं समाहर्त्ता
भोजपुर, आरा।

परिशिष्ट 55

कार्यालय, जिला शिक्षा पदाधिकारी,वैशाली
कार्यालय–आदेश

माः अध्यक्ष, बिहार राज्य अल्प संख्यक आयोग के निदेश के आलोक में जिला पदाधिकारी, वैशाली की सहमति से जिला शिक्षा अधीक्षक, वैशाली के कार्यालय में उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के समीक्षोपरांत जिले के प्रारंभिक विधालयों में मैट्रिक प्रशिक्षित वेतनमान मे उर्दू शिक्षको के स्वीकृत पदों की विधालयवार सूची संलग्न करते हुए आदेश दिया जाता है कि इन पदो के विरूद्ध उर्दू विषय के लिए नियुक्त शिक्षको का ही स्थानान्तरण/पदस्थापन किया जाय । किसी भी स्थिति में इन पदों पर गैर उर्दू शिक्षकों का पदस्थापन नहीं होगा ।

यह सूची औपवंधिक है । इसके अतिरिक्त भी उर्दू पदों की समीक्षा अलग से की जा रही है । समीक्षोपरान्त अंतिम आदेश निर्गत किया जायेगा ।

इस संबंध में अगर किसी स्तर से कोई आपत्ति उठायी जाती है तो संबंधित नियंत्री पदाधिकारी स्थलीय जाँच कर एक माह के अंदर प्रतिवेदन देंगे ताकि समीक्षोपरान्त संशोधित आदेश निर्गत किया जा सके ।

ह०/———/

जिला शिक्षा पदाधिकारी
वैशाली

ज्ञापांक 1159 हाजीपुर, दिनांक 1·6·2002

प्रतिलिपि जिलें के सभी क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी एवं प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी को सूचानार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

ह०/———/

जिला शिक्षा पदाधिकारी
वैशाली

ज्ञापांक 1159 हाजीपुर, दिनांक 1·6·2002

प्रतिलिपि जिला शिक्षा अधीक्षक, वैशाली/ जिला विद्यालय निरीक्षिका, वैशाली/ कोषागार पदाधिकारी, हाजीपुर एवं उपकोषागार पदाधिकारी, लालगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

ह०/———/

जिला शिक्षा पदाधिकारी
वैशाली

ज्ञापांक 1159 हाजीपुर, दिनांक 1·6·2002

प्रतिलिपि उप विकास आयुक्त, वैशाली सह-कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, वैशाली एवं जिला पदाधिकारी, वैशाली की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ समर्पित ।

ह०/———/

जिला शिक्षा पदाधिकारी
वैशाली

ज्ञापांक 1159 हाजीपुर, दिनांक 1·6·2002

प्रतिलिपि माननीय अध्यक्ष, बिहार राज्य अल्प संख्यक आयोग, बिहार, पटना की सेवा में सूचनार्थ समर्पित । द्वारा - आप्त सचिव ।

31/5/02

जिला शिक्षा पदाधिकारी
वैशाली

वैशाली जिला के प्रारंभिक विद्यालयों में स्वीकृत उर्दू ईकाई ।

1 – प्रखण्ड–हाजीपुर

क्रमांक	विद्यालय का नाम	उर्दू का स्वीकृत ईकाई
1	प्रा० वि० लडुई उूर्द	02
2	प्रा० वि० दौलतपुर	02
3	प्रा० वि० गदई सराय उर्दू	02
4	प्रा० वि० चकफूल उर्दू	02
5	मध्य वि० जद्धुआ पूर्वी उर्दू	05
6	प्रा० वि० वागटोला उर्दू	02
7	प्रा० वि० मीनापुर उर्दू	02
8	प्रा० वि० चौक उर्दू	02
9	म० वि० बागमली उर्दू	05
10	प्रा० वि० अनवरपुर उर्दू	0.
11	प्रा० वि० नूनगोला उर्दू	03
12	प्रा० वि० अस्तीपुर उर्दू	02
13	प्रा० वि० फतेहाबाद उर्दू	02
14	म० वि० मीनापुर	01
15	म० वि० जद्धुआ	01
16	म० वि० अस्तीपुर	01
17	म० वि० चौक	01
18	प्रा० वि० फुलहारा उर्दू	02
		कुल – 39

2–प्रखण्ड – विदुपुर

1	प्रा० वि० श्यामपुर दयाल उर्दू	02
2	प्रा० वि० भैरोपुर उर्दू	02
3	प्रा० वि० माइल उर्दू	02
4	प्रा० वि० दाउद नगर उर्दू	02
5	प्रा० वि० विदुपुर उदू	02
6	म० वि० विदुपुर	01
7	म० वि० भैरोपुर, डेढही	01
8	म० वि० पकौली	01
9	म० वि० पानापुर धर्मपुर	01
10	म० वि० चाँदपुरा	01
11	म० वि० चकसिकन्दर	01
		कुल– 16

3 – प्रखण्ड–महनार

क्रमांक	विद्यालय का नाम	उर्दू का स्वीकृत ईकाई
1	प्रा० वि० शेखपुरा उर्दू	02
2	प्रा० वि० महनार कन्या उर्दू	02
3	प्रा० वि० सरमस्तपुर उर्दू	02
4	प्रा० वि० बाजितपुर चकउसमान	02
5	प्रा० वि० महनार उर्दू	02
6	वी० एम० सी० मखतब महनार	02
7	म० वि० महनार बालक	01
8	म० वि० लावापुर नारायण	01
9	म० वि० महनार कन्या	01
10	म० वि० महनार नं० 3	**कुल – 17**

4–प्रखण्ड– सहदेई बुजुर्ग

1	प्रा० वि० रसुलपुर हबीब उर्दू	02
2	प्रा० वि० पहाड़पुर तोई उर्दू	03
3	प्रा० वि० सुल्तानपुर उर्दू	02
4	प्रा० वि० मरउअतपुर मखतब	02
5	प्रा० वि० नयागंज उर्दू	02
6	प्रा० वि० उफरौल उर्दू	03
7	म० वि० सहदेई बुजुर्ग	01
8	म० वि० तोई मठ	01
		कुल – 16

5–प्रखण्ड–महुआ

1	प्रा० वि० महुआ उर्दू	02
2	प्रा० वि० रामपुर सिघाड़ा उर्दू	02
3	प्रा० वि० भदवास उर्दू	02
4	प्रा० वि० अलपुर मुकुन्द उर्दू	02
5	प्रा० वि० नारायणपुर उर्दू	02
6	प्रा० वि० मानसिंग उर्दू	02
7	प्रा० वि० मटीआरा उर्दू	02
8	प्रा० वि० हसनपुर ओस्ती उर्दू	02
9	प्रा० वि० चकमजाहिद उर्दू	03
10	प्रा० वि० मिरजानगर डोगरा उर्दू	02
11	प्रा० वि० राजापाकर उर्दू	02
12	म० वि० महुआ बालक	01

5–प्रखण्ड–महुआ

क्रमांक	विद्यालय का नाम	उर्दू का स्वीकृत ईकाई
13	म० वि० सिघाड़ा	02
14	म० वि० राजापाकड़	01
15	प्रा० वि० मधौल	01
16	प्रा० वि० हकीमपुर	01
17	प्रा० वि० डवरूडीह	01
18	प्रा० वि० जहाँगीरपुर सलखनी	01
	कुल–31	

6–प्रखण्ड–पातेपुर

1	प्रा० वि० बेलादम उर्दू	02
2	प्रा० वि० मूसापुर उर्दू	02
3	प्रा० वि० भैरोखड़ा उर्दू	02
4	प्रा० वि० चाँदपुर फतह उर्दू	03
5	प्रा० वि० पुराना उर्दू	02
6	प्रा० वि० अबबकरपुर उर्दू	02
7	प्रा० वि० भगवानपुर नुरपुर उर्दू	02
8	प्रा० वि० चकनसीर उर्दू	03
9	प्रा० वि० लेवरन उर्दू	02
10	प्रा० वि० मौदह उर्दू	02
11	प्रा० वि० लेमबारी उर्दू	02
12	प्रा० वि० विष्णुपरु कावा	02
13	प्रा० वि० कावाडीह उर्दू	02
14	प्रा० वि० दरगाहवेला उर्दू	06
15	म० वि० तेन्दा उर्दू	01
16	म० वि० पातेपुर	01
17	म० वि० सुक्की	01
18	म० वि० पहाड़पुर	02
19	म० वि० अफजलपुर पुरैना	01
20	म० वि० भैरोखड़ा	01
21	म० वि० मुकुन्दपुर	01
22	म० वि० तिसिऔता	01
23	म० वि० मौदह	
	कुल– 45	

7–प्रखण्ड–जन्दाहा

क्रमांक	विद्यालय का नाम	उर्दू का स्वीकृत ईकाई
1	प्रा० वि० सिलॅथर उर्दू	02
2	प्रा० वि० जन्दाहा उर्दू	02
3	प्रा० वि० चकदीवान उर्दू	02
4	प्रा० वि० मुरादावाद उर्दू	02
5	प्रा० वि० रसलपुर उर्दू	02
6	प्रा० वि० बखड़ी उर्दू	02
7	प्रा० वि० मलगाही उर्दू	02
8	म० वि० जन्दाहा	01
9	म० वि० बाकरपुर	01
10	म० वि० चांदसराय	01
11	म० वि० रसलपुर	01
12	प्रा० वि० हसनपुर	01
13	प्रा० वि० चकमोदीन	01
		कुल–20

8–प्रखण्ड–लालगंज

1	प्रा० वि० कोआ मोहम्दपुर उर्दू	02
2	प्रा० वि० सैदपुर मिल्की उर्दू	02
3	प्रा० वि० घटारो उर्दू	02
4	प्रा० वि० नीयावैरी उर्दू	02
5	प्रा० वि० रोहुआ मखतव	02
6	प्रा० वि० पुरखौली उर्दू	02
7	प्रा० वि० पिरमा उर्दू	02
8	म० वि० अगरपुर उर्दू	07
9	प्रा० वि० चकीया उर्दू	02
10	म० वि० अताउल्लाहपुर उर्दू	08
11	प्रा० वि० मिरचागढ़ उर्दू	02
12	प्रा० वि० कमालपुर उर्दू	03
13	म० वि० सराय	01
14	म० वि० भगवानपुर	01
15	म० वि० घटारो	01
16	प्रा० वि० सिमरा जानकीपुर	01
17	प्रा० वि० कांटी	01
		कुल – 41

9–प्रखण्ड–वैशाली

क्रमांक	विद्यालय का नाम	उर्दू का स्वीकृत ईकाई
	प्रा० वि० कमन छपरा उर्दू	02
1	प्रा० वि० कमतौलीया उर्दू	02
2	प्रा० वि० पहाड़पुर उर्दू	02
3	प्रा० वि० हसनपुर नया टोला उर्दू	02
4	प्रा० वि० चकनुरपुर उर्दू	02
5	प्रा० वि० बेलसर उर्दू	02
6	प्रा० वि० शेखटोला उर्दू	02
7	प्रा० वि० मझौली उर्दू	02
8	प्रा० वि० मझौली मखतब	03
9	प्रा० वि० नगमा मखतब	02
10	प्रा० वि० कुलजुलीमिया परवारा	02
11	प्रा० वि० करनेजी उर्दू	02
12	प्रा० वि० मदरना उर्दू	03
13	प्रा० वि० जुलहाटोली उर्दू	02
14	प्रा० वि० लालबन उर्दू टोला	02
15	प्रा० वि० बरहटीय उर्दू	02
16	प्रा० वि० कुतुबपुर वांगरी	02
17	प्रा० वि० नवादा उर्दू	03
18	प्रा० वि० मधोपुर चकपुरीदन	02
19	म० वि० दाउदनगर कन्या	01
20	म० वि० वैशाली बालक	01
21	म० वि० मदरना	01
22	म० वि० अमृतपुर	01
23	म० वि० नगवा	01
24	म० वि० दाउदनगर बालक	01
25	म० वि० माधोपुर गोपालपुर	01
26	म० वि० बरहटीया मझौली	01
27		**कुल - 49**

10-प्रखण्ड-गोरौल

क्रमांक	विद्यालय का नाम	उर्दू का स्वीकृत ईकाई
1	म० वि० बिहारी उर्दू	07
2	म० वि० गुलजारबाग	07
3	म० वि० अबबकरपुर उर्दू	07
4	प्रा० वि० शंभूपुर कोआरी मखतव	02
5	प्रा० वि० सराय अफजल	03
6	प्रा० वि० मुस्ताफा	02
7	प्रा० वि० फतहपुर जलालपुर	03
8	प्रा० वि० चैनपुर उर्दू	02
9	प्रा० वि० करहटिया बुजुर्ग उर्दू	02
10	प्रा० वि० रसलपुर फतह उर्दू	02
11	प्रा० वि० कैला जलालपुर उर्दू	04
12	प्रा० वि० हुसैनाखुर्द	02
13	प्रा० वि० चकफ़तउल्लाह	02
14	प्रा० वि० अमेर हरसेद	02
15	प्रा० वि० मजीआ उर्दू	02
16	प्रा० वि० खाजेचन्द छपरा उर्दू	02
17	प्रा० वि० पक्की मस्जीद चपैट	03
18	प्रा० वि०अबबकरपुर कन्या उर्दू	02
19	प्रा० वि० मुहम्मदपुर गंगटी उर्दू	02
20	म० वि० सेहान	01
21	म० वि० बकसामा	01
22	म० वि० करहटिया बर्जुग	01
23	म० वि० गोरौल कन्या	01
24	म० वि० सोन्धो	01
	कुल-63	

31/5/02

जिला शिक्षा पदाधिकारी,
वैशाली

परिशिष्ट - 55 (क)

दिनांक 27/4/1998 को माननीय अध्यक्ष, अल्प संख्यक आयोग, बिहार **प्रो0 श्री सुहैल अहमद** की अध्यक्षता में भोजपुर जिला के विभिन्न विकास कायक्रमों की प्रगति कि की गयी समीक्षा की समीक्षात्मक टिप्पणी:-

<u>उपस्थितिः-</u>

1:- श्री अमृत लाल मीणा, जिला पदाधिकारी, भोजपुर/
2:- श्री राज कुमार मल्लिक, आरक्षी अधीक्षक,भोजपुर/
3:- श्री जेड0 एच0 खॉ, अपर समाहर्त्ता, (नक्सल) भोजपुर/
4:- श्री एस0 उरॉव, अपर समाहर्त्ता,भोजपुर/
5:- श्री एस0 पासवान, निदे2ाक लेखा प्र2ासन एवं स्व नियोजन/
6:- श्री एस0 एस0 पासवान, सिविल सर्जन,भोजपुर/
7:- श्री इफ्तखार हसन, अनुमंडल पदाधि/कारी,सदर आरा/
8:- श्री एम0 दास, जिला शिक्षा पदाधि/कारी,भोजपुर/
9:- जिले के सभी प्रख/ड विकास पदाधि/कारीगण/
10:- जिले के सभी अंचलाधि/कारीगण/
11:- मुख्यालय स्थित सभी पदाधि/कारीगण ।
12:- अल्प संख्यक समुदाय के गण मान्य व्यक्ति/
13:- जैन समुदाय के गणमान्य व्यक्ति ।
14:- मि2ान स्कूल के प्राचार्य एवं अन्य सम्बन्धित व्यक्ति/

सर्वप्रथम जिला पदाधिकारी ने बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों एवं अन्य आगत व्यक्तियों का स्वागत किया तदोपरान्त बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ हुयी / इस बैठक में निम्न लिखित निर्णय लिये गये एवं निम्नांकित निदे2ा सम्बन्धित पदाधिकारियों को दिया गया /

1:- अध्यक्ष महोदय ने उपस्थित पदाधिकारियों को निदे2ा दिया कि गरीबों का हक ससमय मिले इसे सुनि2चत करने के लिये हर माह में कम से कम चार कैम्प वैसे ग्रामों में करें जहॉ की अधिकतम आबादी अल्प संख्यक समुदाय का हो एवं उनकी समस्या का समाधान प्राथमिकता पर करना सुनि2चत करें /

2- <u>आई0 आर0 डी0 पी0-</u> सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को निदे2ा दिया गया कि अल्प संख्यक वर्ग के सदस्यों को वित्त पोपण कराने की दि2ा में अग्रेत्तर कार्रवाई करें ताकि इस समुदाय के लोगों को भी समुचित संख्या में लाभान्वित किया जा सके/ अल्प संख्यक समुदाय के वैसे परिवार जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते है उन्हें वित्त पोषण कराने हेतु उनके टोले में कैम्प करके उनसे आवेदन पत्र प्राप्त किया जाय/

3:- <u>दुग्ध उत्पादन सहयोग समितियों</u> में अल्प संख्यक समुदाय के सदस्यों को समानुपातिक मात्रा में नि2चत रूपसे सदस्य बनाया जाय/

4:- <u>ट्रायसमः-</u> जिला पदाधिकारी ने बताया कि इस जिले में ट्रायसम के तहत मुख्यतः चापाकलों की मरम्मति, प2ाधन सहायक,ट्रेण्ड दाई, कालीन बुनाई, कम्प्युटर प्रि2ाक्षण देने की योजना ली गयी है तथा नवयुवकों को प्रि2ाक्षित करके लाभान्वित किया जा रहा है/

सभी पदाधिकारियों को निदे2ा दिया गया कि वे अगली बैठक में इसकी मोनिटरिंग करेंगे कि अल्प संख्यक समुदाय के कितने व्यक्तियों को प्रि2ाक्षित किया गया है एवं कितने व्यक्तियों को प्रि2ाक्षण दिया जा रहा है / यदि अल्प संख्यक समुदाय के लोगों का अनुपात उचित नही हो तो उसमें वृद्धि लाना सुनि2चत करेंगे /

5:– <u>इन्दिरा आवास योजनाः–</u> अल्प संख्यक समुदाय के व्यक्तियों को भी इस योजना के तहत गृह निर्माण कराया गया है/ इस सम्बन्ध में विस्तृत चर्चा हुयी एवं प्रख/ड विकास पदाधिकारी,जगदी2ापुर ने बताया कि ग्राम तुलसी में कुल स्वीकृत ईकाई 71 में से 24 ईकाई अल्प संख्यक समुदाय के व्यक्तियों को स्वीकृत है एवं उनका गृह निर्माण का कार्य कराया जा रहा है /

प्रख/ड विकास पदाधि/कारी,बिहियॉ ने बताया कि रानी सागर ग्राम में कुल स्वीकृत ईकाई 147 में से 60 अल्प संख्यक समुदाय के व्यक्तियों का गृह निर्माण कराया जा रहा है/

प्रख/ड विकास पदाधिकारी, 2ाहपुर ने बताया कि डुमरियॉ में कुल स्वीकृत ईकाई 33 में से 31 अल्प संख्यक समुदाय के व्यक्तियों को गृह निर्माण। कराया गया है /

प्रख/ड विकास पदाधि/कारी,पीरो ने बताया कि पीरो में कुल स्वीकृत ईकाई 325 में से 213 अल्प संख्यक समुदाय के व्यक्तियों का गृह निर्माण किया जा रहा है/

प्रख/ड विकास पदाधिकारी,संदे2ा ने बताया कि सन्दे2ा में कुल स्वीकृत ईकाई 100 में से 35 अल्प संख्यक समुदाय के परिवारों का गृह निर्माण कराया जा रहा है/ इसी प्रकार छपरापुर में 31 में से 25 अल्प संख्यक समुदाय के परिवारों का गृह निर्माण कराया जा रहा है/

इन सभी टोलों में पेय जल, सामुदायिक भवन ,प्राथमिक विद्यालय, पहुॅच पथ,2ौचालय आदि का निर्माण आव2यता को ध्यान में रख/ते हुये कराया गया है एवं जिन टोलों में ये मूलभूत आव2यकताओं से सम्बन्धित योजनाओं का आभाव है वहॉ निर्माण कराने का प्रस्ताव है/

अध्यक्ष महोदय ने बताया कि अल्प संख्यक समुदाय के टोलों में अवस्थित प्राथ/मिक विद्यालय में एक उर्दू ि2क्षक का पदस्थापन नि2चत रूप से किया जाय एवं उस टोलें में पेयजल, पहुॅच पथ, सामुदायिक भवन,2ौचालय, आदि का निर्माण पहुॅच पथ/, सामुदायिक भवन, सामुहिक 2ौचालय आदि का निर्माण प्राथमिकता के तौर पर कराया जाय / तद्नुसार आव2यकता का आक्कलन करते हुये प्रस्ताव प्राक्कलन सहित समर्पित करें /

6:– <u>सुनि2चत रोजगार योजनाः–</u> वैसे सभी अल्प संख्यकों के कलस्टरों जहॉ आव2यकता हो वहॉ पारिवारिक कार्ड मिलना चाहिये एवं रोजगार सुनि2चत करने हेतु स्व रोजगार के तहत प्रि2ाक्षित किया जाना चाहिये/

7:– <u>कब्रिस्तान की घेराबंदीः–</u> जिला पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि जिले में प्रायः कब्रिस्तानों की घेराबंदी का कार्य पंचायत में उपलब्ध जवाहर रोजगार योजना की निधि से समानुपातिक लम्बाई में कराने का निदे2ा पूर्व में ही दिया जा चुका है एवं तद्नुसार कार्य की जा रही है/इसके अतिरिक्त निदे2ा दिया गया कि कब्रिस्तानों की घेराबंदी के साथ ही साथ बन प्रमंडल पदाधिकारी एवं अन्य कार्यकारी एजेन्सियों जिनके द्वारा सामाजिक वानिकी कार्यक्रम संचालित किया जाता है, घेराबंदी किये गये कब्रिस्तानों में सामाजिक वानिकी योजना के अंतर्गत वृक्षारोपण भी करायेंगे/

8:– <u>सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमः–</u> सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम के तीनों घटकों यथा– रा८ट्रीय परिवार लाभ योजना, वृद्धावस्था पें2ान योजना, मातृत्व लाभ योजना के तहत हर वर्ग के लोगों को समुचित संख्या में लाभान्वित किया जा रहा है/ इसमें अल्प संख्यक समुदाय के लोगों की समुचित संख्या में लाभान्वित किया जा रहा है/ इसमें अल्प संख्यक समुदाय के लोगों की अनुपात बढ़ाने का निदे2ा अध्यक्ष महोदय द्वारा दिया गया /

अध्यक्ष महोदय के निदे2ा का अनुपालन सुनि2चत करने के लिये जिला पदाधिकारी ने सभी प्रख/ड विकास पदाधि/कारियों को निदे2ा दिया गया कि वे मई माह में अल्प संख्यक समुदाय के टोले में एक कैम्प करके इन योजनाओं का समुचित लाभ वितरित करावें /

9:- राजस्वः- जिले के वैसे परिवार जिन्हें घर बनाने के लिये अपनी भूमि नही है उन्हें भूमि उपलब्ध कराने का निदे2ा अध्यक्ष महोदय द्वारा दिया गया /

इस सम्बन्ध में जिला पदाधिकारी ने बताया कि पूर्व में भी भूमिहीन एवं गृह विहीन परिवारों का सर्वेक्षण कराकर 2665 परिवारों को बासगीत का पर्चा तथा 5580 परिवारों को गृह स्थल का पर्चा दिया गया ! फिर भी सभी अंचलाधि/कारियों को निदे2ा दिया गया कि अल्प संख्यक समुदाय के टोलों में ि2विर लगाकर भू-विवाद से सम्बन्धित समस्याओं का निराकरण करायें एवं भूमिहीनों के बीच पर्चा का वितरण कराना सुनि2चत करें / ताकि इस जिले का कोई भी परिवार ऐसा नही रहे जिनके पास रहने हेतु अपना मकान नही हो /

10:- स्वास्थ्यः- अध्यक्ष महोदय ने सफाई पर वि2ोष बल दिया / उन्होंने बताया कि अल्प संख्यक आयोग की गंदी वस्तिओं में व्यापक सफाई अभियान चलाया जाय ताकि इन टोलों में डायरियॉ, कालाज्वर आदि की ि2ाकायत नही हो / असैनिक 2ाल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधि/कारी को निदे2ा दिया गया कि वे जिले के सभी वैसे वस्तिओं जहॉ ज्यादा गंदगी हो वहॉ ब्लिंचिंग पाउडर एवं डी0डी0टी 0 का छिड़काव कराना सुनि2चत करें एवं सफाई की समुचित व्यवस्था सुनि2चत किया जाय/

11:- उद्योग :- प्रधान मंत्री रोजगार योजना के तहत अल्प संख्यक समुदाय के लोगों को समचित लाभ दिया गया है या नही इसकी समीक्षा समय-समय पर किया जाना चाहिये और यह सुनि2चत किया जाना चाहिये कि अल्प संख्यक समुदाय के परिवार को समुचित अनुपात में इसका लाभ मिले /

12:- विद्युत :- अधीक्षण अभि/यंता, विद्युत से उर्जान्वित अल्प संख्यक समुदाय के उपभोक्ताओं की सूची मॉगी गयी ताकि उनको विद्युत सम्बद्ध स्थापित कराया जा सके/

13:- वित्त पोषण :- जिला समन्वयक, भोजपुर रोहतास ग्रामीण बैंक ने बताया कि अल्प संख्यक समुदाय के परिवारों के उत्थान के लिये प्रयास किया जा रहा है/ उदाहरण के तौर पर कायमनगर में सब्जी कलस्टर हेतु प्लैटफार्म का निमार्ण कराया जा रहा है/ कोईलवर में पौल्ट्री फार्म के लिये रहीम खॉ को वित्त पोषण किया गया था जिससे वे उत्पादन सह प्रि2ाक्षण का कार्य तीव्रता से कर रहे है /

14:- अन्यायं विषयः-

हरखेन कुमार जैन अस्पताल में चिकित्सकों को कार्य नही करने देने के सम्बन्ध में ि2ाकायत प्राप्त हुयी है जिसे दूर करने के लिये अनुमंडल पदाधिकारी को निदे2ा दिया गया कि वे एक सप्ताह के लिये एक दंडाधिकारी एवं पुलिस बल की प्रतिनियक्ति कर दें ताकि कोई भी व्यक्ति अनाधिकृत रूप से किसी को कार्य करने से नही रोंके/

जैन कन्या पाठ2ाला- चूँकि यह एक अल्प संख्यक समुदाय का विद्यालय है इसलिये इस सम्बन्ध में प्राप्त ि2ाकायतों की गहन जॉच करने हेतु निदे2ाक, लेखा प्र2ासन एवं स्व-नियोजन को निदे2ा दिया गया ताकि इस मामले का समाधान संभव हो सके/

नवादा–करमन टोला कब्रिस्तान का दखल कब्जा दिलाना:– अंचलाधिकारी, आरा को निदे2ा दिया गया कि वे न्यायिक निदे2ा के आलोक मे दखल कब्जा दिलाना सुनि2चत करें /

दॉवा मस्जिद की भूमि पर मुस्लिम समुदाय के दो पक्षों के बीच चल रहे विवाद को सुलझाने हेतु अनुमंडल पदाधिकारी,जगदी2ापुर को निदे2ा दिया गया /

मौलाबाग ईदगाह में किये गये अति।क्रमण को हटाने का निदे2ा अनुमंडल पदाधिकारी सदर आरा को दिया गया /

धर्मन चौक मस्जिद की गली के सम्बन्ध में अनुमंडल पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी,आरा को मामले का निष्पादन करने का निदे2ा दिया गया /

जैन बाला विश्राम में एक उर्दू ि2क्षक के प्रतिनियुक्ति के सम्बन्ध मे निर्णय लिया गया कि यह एक अल्पसंख्यक कमिटी का विद्यालय है इसलिये सरकारी ि2क्षक की प्रतिनियुक्ति नही की जा सकती है/

अरैला पवना में उर्दू प्राथमिक विद्यालय की मॉग के सम्बन्ध में जिला पदाधिकारी ने बताया कि इसमें स्थल विवाद है/ परन्तु बताया गया कि स्थल विवाद समाप्त हो गया है/ तद्नुसार अनुमंडल पदाधिकारी को जॉच कर अग्रेत्तर कार्रवाई करने का निदे2ा दिया गया /

2ाहाबाद उर्दू प्राथमिक विद्यालय के भवन निर्माण के सम्बन्ध में जिला पदाधिकारी ने बताया कि नये स्थल का चयन कर विद्यालय का निर्माण कराया जायेगा /

अल्प संख्यक समुदाय के समस्याओं के समाधान हेतु वरीय प्रभारी पदाधिकारी के रूप में श्री जिआउल हक खॉ , अपर समाहर्त्ता (नक्सल) को प्राधिकृत किया गया।

अंत में सभी उपस्थित पदाधिकारियों एवं अन्य व्यक्तियों को धन्यवाद ज्ञापन के साथ ही बैठक की कार्यवाई समाप्त की गयी /

27.4.98

जिला पदाधिकारी,
भोजपुर, आरा/

भगत/

ज्ञापांक 2127 /गो0 आरा, दिनांक 27 वी अप्रैल,98

प्रतिलिपि अध्यक्ष, अल्प संख्यक आयोग, बिहार पटना की सेवा में सूचनार्थ समर्पित /

प्रतिलिपि अनुमंडल पदाधि।कारी,सदर आरा को सूचनार्थ एवं अनुपालन सुनि2चत कराने हेतु प्रेषित/

प्रतिलिपि सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सभी अंचलाधिकारी एवं अन्य सभी उपस्थित व्यक्तियों को सूचनार्थ एव आव2यक कार्रवाई हेतु प्रेषित/

27.4.98

जिला पदाधिकारी
भोजपुर, आरा/

भगत/

परिशिष्ट - 56

पत्रांक---1869---/गोपनीय

प्रेषक: आरक्षी अधीक्षक,
खगड़िया ।

प्रेषित: अध्यक्ष,
अल्पसंख्यक आयोग,
बिहार, पटना ।

खगड़िया, दिनांक 21.8.96

विषय: 7 वर्षीया अंजूम बानो, मुहल्ला-मुर्गियाचक, थाना-जिला खगड़िया के साथ बलात्कार के संबंध में ।

===

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध मे दूरभाष पर हुई वार्ता का कृपया स्मरण करें । इस संबंध मे सूचित करना है कि दिनांक 27.5.96 की संध्या करीब 7.00 बजे अंजूम बानो (उम्र लगभग 7 वर्ष) पिता मो. जकीरूद्दीन साकिना-मुर्गियाचक, थाना-जिला खगड़िया घर से आँटा लाने समीप के दूकान गई और लौटने पर उसे मुर्गियाचक स्थित गली मे एक युवक मुंह दाबकर उठा लिया और बगल के महाबीर मन्दिर के बरामदे पर बलात्कार किया । इन्हें सदर अस्पताल, खगड़िया ले जाया गया । इस संबंध मे पीड़ित बच्ची के भाई मो. नूरआलम पे. मो. जकीरूद्दीन सा०मुर्गियाचक थाना-जिला खगड़िया के फर्दबयान पर खगड़िया थाना काण्ड संख्या 185/96 दिनांक 27.5.96 धारा 376 भा. द. वि. अन्तर्गत के विरूद्ध दर्ज किया गया ।

घटना के संबंध मे पीड़ित बच्ची द्वारा किसी को पहचाना नही गया । इसके द्वारा बताये गये हुलिया के युवक की खोज की गई । बताये गये हुलिये के आधार पर उसी मुहल्ले के मनोज कुमार पे. श्री मोतीलाल एवं सतीश कुमार पे. मोती लाल साकिनान मुर्गियाचक के गतिविधि का सत्यापन किया गया परन्तु कोई साक्ष्य नहीं मिला । सूरज कुमार उर्फ पिन्टू कुमार पे. शंकर प्र. लहेरी साकिन एनएसीओ रोड से पूछताछ करने पर पता चला कि वे घटना के पूर्व दिनांक 20.5.96 को अपनी [redacted] मामी के साथ बेकापुर मयुरचौक(मुंगेर) गये थे और दिनांक 29.5.96 को वापस आये । इस संबंध मे मुंगेर जाकर छानबीन की गई तो इसके कथन की पुष्टि हुई । इसी प्रकार महमूद आलम पे. मो. अलाउद्दीन साकिन मुर्गियाचक से पूछताछ किया गया जिन्होने बताया कि वे दिनांक 26.5.96 को भाभी और चाचा के साथ नयागाँव(मुंगेर) गये थे तथा दिनांक 31.5.96 को खगड़िया आये । इस संबंध मे भी वहाँ जाकर सत्यापन करने पर इसके कथन की पुष्टि हुई ।

घटना के संबंध मे तत्कालीन आरक्षी अधीक्षक, खगड़िया श्री मो. शोएब खाँ द्वारा आवश्यक जाँच की गई थी और मैने भी इस संबंध मे घटनास्थल पर जाकर आवश्यक जाँच की गई । मेरे द्वारा गुप्तचर तैनात कर भी आसूचना का संग्रह किया [redacted] । दिनांक 23/24.7.96 की रात्रि मे मुहल्ला हाजीपुर वार्ड नम्बर 5 थाना जिला खगड़िया की लड़की कुमारी मंजुला (उम्र 5 वर्ष) पिता सुभाष पोद्दार का

का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी गई है और इस संबध मे खगड़िया थाना काण्ड संख्या 260/96 दिनांक 24.7.96 धारा 302/201 भा.द.वि. अंकित किया गया है । इस संदंध मे संजीव कुमार उर्फ बबलू वल्द अजीत कुमार सिंह मुहल्ला हाजीपुर वार्ड नम्बर 5 थाना-जिला खगड़िया को गिरफ्तार किया गया था और उनसे गहन पूछतांछ विभिन्न चरणों मे की गई । संजीव कुमार उर्फ बबलू ने ये स्वीकार किया कि वो अपने साथियों के साथ मुर्गियाचक जाते रहे है और मौज-मस्ती के लिए अपने साथियों के साथ वहाँ धूमा करते हैं । उन्होने अपने साथियों का संक्षिप्त ब्योरा दिया है । संजीव कुमार उर्फ बबलू के संबंध मे ये तथ्य प्रकाश मे आया है कि वो नये उम्र मे प्रवेश करने के कारण यौन क्रिया की ओर अधिक आकर्षित होते है और उनके द्वारा दिनांक 24.7.96 को की गई हत्या मे भी इस इच्छा का दखल था । संजीव कुमार उर्फ बबलू को अंजम बानो के साथ हुई बलात्कार संबंधी अंकित खगड़िया थाना काण्ड संख्या 185/96 मे भी गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है । अनुसंधान अन्य बिन्दुओं पर जारी है ।

विश्वासभाजन

एम० ए० काजमी

परिशिष्ट - 57

पत्रांक- अ0 आ0-015-45/97- 659 M /पटना, दिनांक-5.5.97.

आयुक्त, उत्तर छोटानागपुर, हजारीबाग।

आरक्षी उप महानिरीक्षक, हजारीबाग।

विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचार एवं विभिन्न संगठनों से प्राप्त आवेदन के अवलोकन से ज्ञात होता है कि चतरा जिला के टन्डवा थाना के अन्तर्गत चरही ग्राम की महिला मैमुना खातुन एवं उनकी नाबालिग पुत्री मोनीरा खातुन के साथ गत 19 अप्रिल '87 को 20-25 आदमियों द्वारा समुहिक बलात्कार उसके छोटे बेटे / भाई के समक्ष किया गया। बेटे/ भाई को भी अपनी माँ-बहन के साथ बलात्कार के लिए जबरदस्ती किया गया। उसके इंकार करने पर उसे बुरी तरह मारा-पीटा गया। महिलाओं को नग्न अवस्था में एक जगह से दूसरी जगह ले जाया गया।

उपर्युक्त घटना न केवल गम्भीर है बल्कि बहुत लज्जाजनक है जिसे सुनकर किसी भी आदमी का सर शरम से झुक जाता है। साथ-साथ यह घटना प्रशासन के माथे पर एक कलंक है।

अतः मै चाहूँगा कि आप दोनो संयुक्त रूप से इसकी जाँचकर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करें तथा पीड़ित व्यक्तियों को आवश्यक सहायता एवं राहत अविलम्ब पहुँचाए। की गयी कार्रवाई से एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध त्वरित साधन से सूचित करें।

Ahmad. 5.5.97

। सोहैल अहमद ।

अध्यक्ष

GOVT. OF BIHAR

बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग

بِہَار ریَاستِی اَقلِیَتِی کمِیشَن

BIHAR STATE MINORITIES COMMISSION

Chairman
Prof. Sohail Ahmad

Phone 660006 (R)
Fax - 224296 (Home sp.)

Old Secretariat
Patna - 800 015

Ref. पत्रांक-अ0अा0- 1439 /97 पटना, दिनांक-

Date 24.12.97

फैक्स संवाद ।

जिलाधिकारी, शेखपुरा ।

आपके जिला के ग्राम चरआबाँ, थाना-शेखपुरा, प्रखण्ड-बरबिगहा स्थित तालाब जिसका रक्बा तकरीबन 7 बिगहा बताया गया है और जो दरगाह की सम्पत्ति है बल्कि दरगाह ही के प्लॉट का ही एक अंग हैं उसके साथ में कब्रिस्तान भी है । पता चला है कि इस तालाब को नाजायज ढंग से नीलामी के द्वारा बन्दोबस्ती कर दिया गया है । इस सम्बन्ध में कई बार वहाँ के लोगों का प्रतिनिधिमंडल पटना आकर मुझसे मिला । उन लोगों ने तारी तफसील बताये साथ ही साथ इससे सम्बन्धित तारीखी कागजात भी दिखलाये । मैंने हर बार उन लोगों की उपस्थिति में आपसे दूरभाष पर कहा कि आप भी तमाम कागजात देख कर इत्मीनान कर लें और फिर इस नाजायज बन्दोबस्ती को रद्द करते हुए पूर्व की तरह दरगाह की सम्पत्ति इसे बने रहने दें । इसके तमाम कागजात और सबूत देख कर मैं यह जरूरी समझता हूँ कि इस नाजायज बन्दोबस्ती को फौरन रद्द कर दिया जाना चाहिए नहीं तो कल फिर राज्य के इस तरह के दूसरे धर्म स्थलों जैसे पावापूरी का जैन मन्दिर और बिहार शरीफ का बाबा मणि राम अखाड़ा से जुड़े हुए तालाबों की नीलामी का भी रास्ता आसानी से खुल जाता है और इस रास्ते को रोकने का कोई कारण या तर्क फिर नहीं रह जायेगा और पता नहीं फिर राज्य में कहाँ कहाँ कब और कितने धर्म स्थलों की सम्पत्ति इस तरह नीलामी की भेंट चढ़ा दी जायेगी ।

मुझे हैरत है कि इस तरह का नाजायज और गैर कानूनी काम सरकारी पदाधिकारी किस भावना से प्रेरित हो कर करते हैं जिसका सीधा

कृ0 पृ0उ0...2

GOVT. OF BIHAR
बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग
بِہار ریاستی اَقلیتی کمیشن
BIHAR STATE MINORITIES COMMISSION

Chairman
Prof. Sohail Ahmad

Phone 660006 (R)
Fax - 224296 (Home sp.)

Old Secretariat
Patna - 800 015

Ref.

Date

प्रभाव सरकार के छवि पर पड़ता है और सामाजिक न्याय के निति पर भी आँच आता है । आपसे दूरभाष पर बात-चीत किये तकरीबन एक माह हो गये हैं लेकिन इस संबंध में आपके स्तर से की गई कार्रवाई की कोई सूचना अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है । यह बहुत ही गम्भीर मामला है । अत: मैं चाहूँगा कि इस नाजायज बन्दोबस्ती को कौरन रद्द करते हुए नीलामी की राशि बापस कर दी जाय और इस तालाब को पूर्व की तरह दरगाह की सम्पत्ति बने रहने दिया जाय तथा उस दोषी पदाधिकारी के खिलाफ़ कार्रवाई की जाय ताकि भविष्य में किसी पदाधिकारी को किसी के धर्म स्थल की सम्पत्ति की नीलामी की हिम्मत न हो । इस सम्बन्ध में की गई कार्रवाई से मुझे विशेष दूत द्वारा अविलम्ब सूचित किया जाय ।

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देंगे ।

Ahmad.
24.12.97.

। सोहैल अहमद ।
अ ध्य क्ष

पत्रांक 2264

प्रेषक,

जिला पदाधिकारी,
शेखपुरा ।

सेवा में,

अध्यक्ष,

बिहार राज्य अल्प संख्यक आयोग,

पटना ।

शेखपुरा, दिनांक 27/12/97

विषय:- ग्राम चरुआवाँ पोखर, आहर की बन्दोबस्ती रद्द किये जाने के संबंध में ।

प्रसंग:- आपका फैक्स संवाद संख्या-1439 दिनांक-24.12.97

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि ग्राम चरुआवाँ पोखर एवं आहर की बन्दोबस्ती वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिए की गयी थी । वर्ष 1997-98 में की गई बन्दोबस्ती को रद्द कर दिया गया है तथा भविष्य में इसकी बन्दोबस्ती नहीं करने का आदेश पारित कर दिया गया है ।

विश्वासभाजन

जिला पदाधिकारी,

शेखपुरा ।

परिशिष्ट - 59 (क)

Govt. of Bihar

बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग

بہار ریاستی اقلیتی کمیشن

BIHAR STATE MINORITIES COMMISSION

Old Secretariat, Patna - 800 015

Phone : 660006 (R)
Phone : 690864 (R)
Phone : 213595 (O)
Fax : 213706 (Sec. Minority Welfare)
Phone : 236742 (Sec. Minority Welfare)

Prof. Sohail Ahmad
Chairman

پروفیسر سہیل احمد
(چیرمین)

Ref. पत्रांक-अ0आ0 3954 फैक्स । Date 11.12.02

जिलाधिकारी, कैमूर

आरक्षी अधीक्षक, कैमूर

श्री ि. आलम एवं अन्य ग्राम-मसोई।नैनपुर।कैमूर से प्राप्त टेलीग्राम, जिसकी फोटो कापी संलग्न है । उक्त गाँव में उन. का एक कब्रिस्तान है जिसमें मुर्दा दफन किया जाता है । उक्त कब्रिस्तान पर श्री गुड्डू सिंह, पुन्नू सिंह पिता-चिरेन्द्र सिंह द्वारा कब्र को ढाहकर अपना खलिहान बनाया जा रहा है । टोकने पर अभद्र व्यवहार करते हैं । धर्म स्थल किसी समुदाय का हो उसको किसी भी कीमत पर असमाजिक तत्वों द्वारा किसी किस्म का अतिक्रमण नहीं होना चाहिए ।

मैं चाहूँगा कि आप स्वयं इसको जाँचकर असमाजिक तत्वों के विरू. कड़ी कारवाई की जाय । अल्पसंख्यक समुदाय के लोग बहुत ही भयभीत एवं आतंकित हैं । उन्हें हर तरह की सुरक्षा प्रदान भी की जाय । की गई कारवाई से मुझे एक सप्ताह के अन्दर सूचित की जाय । इसे अतिआवश्यक जानें ।

ह0:-
। सोहैल अहमद ।
अ ध्य क्ष

ज्ञापांक- 3954 पटना, दिनांक- 11.12.02.
प्रतिलिपि अनुमंडलाधिकारी, भभुआ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु ।

Ahmad 11.12.2002
। सोहैल अहमद ।
अ ध्य क्ष

01-01-99

CH-Fax-1

10.12.02

सेवा में.

जनाब हुसैन अहमद खाँ साहब
अध्यक्ष,
अल्पसंख्यक आयोग, बिहार
पुराना सचिवालय, कैंटी के पास, पटना ।

महाशय,

निवेदन है कि हम लोग ग्राम-मसोई।चैनपुर।कैमूर के अल्पसंख्यक मुस्लिमान है । हमारे गाँव के पश्चिम हमारे पूर्वजों का कब्रिस्तान है जिसमें जमाने से हमारे पूर्वज दफन होते चले आ रहे हैं । हमारे ही गांव के।।। गुडडू सिंह।2। घुन्नू सिंह पिता विरेन्द्र सिंह ने हम लोगों के कब्र को दाह कर समतल करके अपना खलिहान बना रहे हैं बोलने पर कहते हैं कि सालो बोलोगे तो पाकिस्तान भेज देंगे यह लोग गांव के दबंग हैं । मामला काफी तनावपूर्ण है ।

अनुरोध है कि अविलम्ब कार्यवाई कर हम मुस्लमानों के कब्रों की सुरक्षा एवं घेराबंदी कराने की कृपा करें ।

विश्वास भाजन,

आज दिनांक 23.12.02 को मसोई ~~[illegible]~~ के प्लॉट सं० 1245 रकबा 0.22 में अवस्थित कब्रिस्तान की भूमि के विवाद को सुलझाने हेतु अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनु० आरक्षी पदा० मधुआं की अध्यक्षता में एक बैठक हुई जिसमें दोनों पक्षों के लोग सम गणमान्य व्यक्ति उपस्थित हुए। प्रश्नगत प्लॉट सं० 1245 रकबा 0.22 एकड़ भूमि आम सर्वे खतियान में श्री भूदेव सिंह पिता रावन शरण सिंह सा० मसोई के नाम से दर्ज है। लेकिन उस प्लॉट के दक्खिन तरफ अंश भाग पर मो० मोमिना बीबी पति हनीफ खाँ एवं मोहम्मद हनीफ खाँ के परिवार का काफी लम्बे अरसे से कब्र गाड़ा जाता था। वर्तमान समय में श्री भूदेव सिंह के पोता श्री गुड्डू सिंह एवं श्री चुन्नु सिंह ने कब्रिस्तान के ऊपर भी खतियान बना लिया था जिसके कारण दोनों पक्षों में तनाव बना हुआ था। आज स्थल पर ही समझौता हुआ जिसमें दोनों पक्ष समझौते की शर्त पर राजी हुए। निर्णय हुआ कि श्री गुड्डू सिंह चुन्नु सिंह वगैरह कब्रिस्तान की भूमि को छोड़ देंगे। इसे चिन्हित करा दिया जाए। दोनों पक्ष चिन्हित लकीर से अपने 2 दावे की भूमि पर दखल में रहेंगे।

1. चुन्नू सिंह
2. रोजन्द सिंह

गवाह

1. [illegible]
2. [illegible]
3. सुरेश सेठ

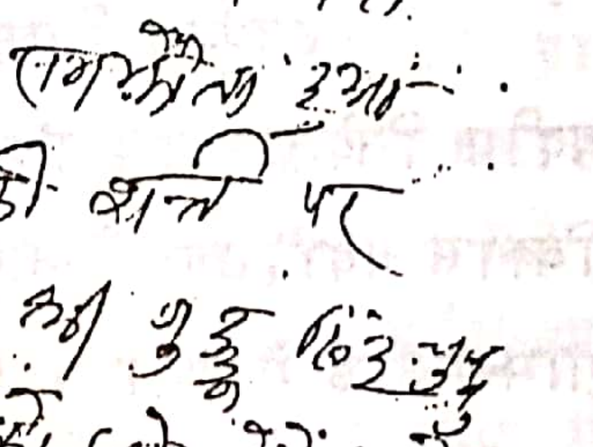

R.T.9 मोमिना बीबी
L.T.9 मो० हनीफ खाँ

अनुमंडल कार्यालय, भभुआ (कैमूर)
(गोपनीय शाखा)

पत्रांक- 905/गो. दिनांक- 28.12.2002

प्रेषक,

सुरेश ठाकुर,
अनुमंडल पदाधिकारी,
भभुआ

सेवा में,

अध्यक्ष,
बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग,
पुरानी सचिवालय, पटना-15

विषय:- ग्राम-मसोई, थाना-चैनपुर, जिला-कैमूर के कब्रिस्तान के संबंध में ।

प्रसंग:- भवदीय पत्रांक अ0आ0 (गो)954 दिनांक 11.12.02

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में सादर सूचित करना है कि भवदीय निदेशानुसार दिनांक 23.12.2002 को आरक्षी उपाधीक्षक, मुख्यालय, प्रखंड विकास पदाधिकारी-सह-अंचल अधिकारी, चैनपुर, थाना प्रभारी, चैनपुर के साथ ग्राम-मसोई में गया । पाया कि वास्तव में पूर्व से बना कब्रिस्तान को श्री भूदेव सिंह के द्वारा अतिक्रमण कर खलिहान बना लिया गया था, जिसे खाली करा दिया गया एवं दोनों पक्षकारों से एक सुलहनामा भी बना दिया गया जिसकी छाया प्रति भवदीय अवलोकनार्थ संलग्न की जा रही है ।

अनु0- यथोपरि

विश्वासभाजन,
28/12/2002
अनुमंडल पदाधिकारी,
भभुआ

समाहरणालय, कैमूर (भभुआ)।
(जिला गोपनीय)

पत्रांक :-------85-------/गो०

प्रेषक,

जिला पदाधिकारी,
कैमूर (भभुआ)।

सेवा में,

प्रो० सोहैल अहमद, अध्यक्ष
बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग,
बिहार, पटना।

भभुआ, दिनांक 15 वीं जनवरी, 03.

विषय :- ग्राम मसोई, थाना चैनपुर के कब्रिस्तान के संबंध में।
प्रसंग :- आपका पत्रांक 3954 दिनांक 11.12.2002

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में सूचित करना है कि प्रासंगिक मामले की जाँच अनुमण्डल पदाधिकारी, भभुआ से करायी गयी। अनुमण्डल पदाधिकारी, भभुआ द्वारा दिनांक 23.12.2002 को आरक्षी उपाधीक्षक, मुख्यालय, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी-सह-अंचल अधिकारी, चैनपुर एवं थाना प्रभारी, चैनपुर के साथ ग्राम मसोई जाकर मामले की जाँच की गयी। पूर्व से बने कब्रिस्तान को श्री भूदेव सिंह द्वारा अतिक्रमण कर जिसे खलिहार बना लिया गया था उसे खाली करा दिया गया एवं दोनों पक्षकारों से एक सुलहनामा तैयार किया गया। सुलहनामा की छाया प्रति पत्र के साथ संलग्न की जा रही है।

सूचनार्थ।

अनु० :-यथोक्त।

विश्वासभाजन,

जिला पदाधिकारी,
कैमूर (भभुआ)।

परिशिष्ट - 59 (ख)

08-03-2003
पटना

अ.आ-3973

श्री संजय कुमार, भा.प्र.से.
जिला पदाधिकारी एवं समाहर्त्ता
भोजपुर, आरा।

फैक्स द्वारा भेजा गया आपका पत्र संख्या-240 दिनांक 25-02-2003 मिला। यह पत्र हमारे द्वारा भेजे गये पत्र संख्या-3668 दिनांक 10-02-2003 के जबाब में है। मैंने अपने पत्र में ग्राम- कोश्यिर, थाना- सहार, भोजपुर के कब्रिस्तान की घेराबंदी का काम जल्द पूरा कराने की सिफारिश की थी, जो 2001 से ही लम्बित चला आ रहा था। आपने अपने पत्र द्वारा खबर दी है कि ग्राम कोश्यिर के कब्रिस्तान को घेराबंदी का काम तत्परता से पूरा करा दिया गया है। साथ ही इसके उद्घाटन के लिए मुझसे वक्त भी मांगा है।

आपका खत पाकर मुझे बेहद खुशी हुई कि ग्राम कोश्यिर के कब्रिस्तान की घेराबंदी मोकम्मल हो गई है। आपने जिस मुस्तैदी, मजबूती और चौकसी से घेराबंदी का काम अंजाम दिया है, यह बहुत ही सराहनीय है बल्कि दूसरों के लिए भी यह मिशाल बनेगा। मैं इसके लिए आपको तहेदिल से मुबारकबाद देता हूं। इससे प्रशासन और सरकार की छवि और बेहतर हुई है तथा प्रशासन और अवाम के दरमियान एक विश्वास और अपनापन का रिश्ता बना है, जो एक अच्छा संकेत है। इसके उद्घाटन के लिए 11 मार्च, 2003 का वक्त देकर मुझे दोहरी खुशी का एहसास हुआ है। एक बार फिर आप और जिला प्रशासन के लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं। आईन्दा भी आप इसी तरह समाज के लोगों खासकर गरीब, बेसहारा, बेजुबान और दबे कुचले की मदद और इंसाफ के लिए मजबूती से खड़े रहें। इन लोगों की दुआ और हमदर्दी हमेशा आपके साथ होगी। आप इस प्रतिबद्धता और लगनशीलता को बराबर बनाए रखेंगे। इसी विश्वास के साथ यह पत्र मैं आपको लिख रहा हूं। इसके लिए हमारी दुआ भी आपके साथ होगी।

5.3.2003

(सोहैल अहमद)
अध्यक्ष

राज्य अल्पसंख्यक आयोग, बिहार
STATE MINORITIES COMMISSION, BIHAR

प्रो० सोहैल अहमद
Prof. Sohail Ahmad
Chairman

पटना / PATNA
660006 (R)
(O)

पत्रांक 483 / एम० सी० पटना, दिनांक 14·1 / 1997

सेवा में,

श्री इंदर सिंह नामधारी
मंत्री, राजस्व एवं भुमिसुधार विभाग,
बिहार, पटना ।

विषय:- अंचल अधिकारी पथरगामा, जिला-गोड्डा द्वारा मस्जिद को तोड़-फोड़ करने के संबंध में ।

महाशय,

श्री मो० मुशर्द, ग्राम- रनसी, प्रखंड- पथरगामा, जिला-गोड्डा से प्राप्त आवेदन एवं प्रतिलिपि संलग्न के आलोक में छान-बीन की गई तथा वहां से आये प्रतिष्ठित एवं विश्वसनीय लोगों को सुना गया तथा ली गयी तस्वीर को भी देखा गया तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि अंचल- पथरगामा, जिला- गोड्डा के अंचल अधिकारी श्री दीलीप कुमार झा, उक्त अंचल के ग्राम रनसी से दिनांक 15-6-96 को शाम में गुजर रहे थे तो रास्ते में अवस्थित मस्जिद की सीढ़ी से उनकी गाड़ी टकरा गयी जिससे क्षुब्ध होकर अंचल अधिकारी अंचल गार्ड के साथ गाड़ी से उतरे और मस्जिद को अंचल गार्ड की सहायता से तोड़- फोड़ करने लगे। साथ ही साथ वहां नमाज पढ़ रहे लोगों द्वारा मना करने पर नमाजियों को बेरहमी से पीटा गया और एक आदमी का कुर्त्ता भी फाड़ा गया तथा एक नमाजी की घड़ी भी छीन ली गयी । यह एक अत्यन्त ही दुखद एवं लज्जाजनक घटना है तथा सरकार के बहुचर्चित सामाजिक न्याय के विरूद्ध भी है ।

मुझे हैरत है कि इस प्रजातांत्रिक और धर्म - निरपेक्ष तथा सामाजिक न्याय की सरकार में एक सरकारी पदाधिकारी का इस तरह एक तानाशाह, जमींदार एवं फाशिस्ट जैसा जुल्म व बरबरियत और फाशिज्म का नंगा नाच करना बहुत ही हैरत और शर्म की बात है । इससे ज्यादा शर्म और हैरत की बात यह है कि ऐसे जालिम अफसर के खिलाफ अबतक कोई कार्रवाई नहीं की गयी । बल्कि पता चला है कि इस घिनौने और संगीन जुर्म पर पर्दा डालने की साजिश की जा रही है और जिला प्रशासन द्वारा मामले की लीपा पोती कर दी गयी है । लेकिन मस्जिद के टुटे हुए ढ़ाचा ऐसे तमाम साजिशो का पर्दाफाश करने के लिए अभी भी मौजुद है । मै इस मस्जिद के ढाचे की एक तस्वीर साथ भेज रहा हूं । बेहतर होता कि आप खुद भी जा कर इस

राज्य अल्पसंख्यक आयोग, बिहार
STATE MINORITIES COMMISSION, BIHAR

प्रो० सोहैल अहमद
Prof. Sohail Ahmad
Chairman

पटना / PATNA
660006 (R)
(O)

जुल्म और फाशिजम के नंगे नाच की जिन्दा तस्वीर अपनी आंखों से भी देख लेते । इसतरह एक तरफ ऐसे सरकारी पदाधिकारियों के जुल्म और बरबरीयत और दूसरी तरफ अल्पसंख्यकों की हार्दीक एवं मानसिक पीड़ा तथा उनकी बेबसी और बेचैनी का सही अंदाजा आपको हो जाता ।

राज्य और दिल्ली के उर्दू एवं हिन्दी अखबारों ने भी इस घटना को छापा है, जिससे यह मामला बहुचर्चित भी हो गयाहै । नमुने के तौर पर नई दिल्ली से प्रकाशित उर्दू साप्ताहिक " नई दुनिया " एवं हिन्दी साप्ताहिक "नई जमीन" 24-30 दिसम्बर96। की छाया प्रति संलग्न है । समाचारपत्र पढ़नेवालों में जिनकी आस्था ऐसे धर्मस्थल से जुड़ी हुई है उनमें शोक और आक्रोश का होना स्वाभाविक है । बल्कि इस मुल्क के प्रत्येक इंसाफ पसंद नागरिक का इस लज्जाजनक घटना से सिर शर्म से झुक गया है ।

अत : मेरी अनुशंसा है कि संबंधित अंचलाधिकारी, । श्री दिलीप कुमार झा तथा उनके गार्ड को अविलम्ब निलम्बित करते हुए घटना की उच्च स्तरीय जांच करायी जाय और उनलोगों को सख्त से सख्त सजा दिलाई जाय, ताकि आईन्दा कोई भी व्यक्ति किसी के भी धर्म-स्थल के साथ इसतरह का सलुक करने की हिम्मत न कर सके । इसी आशा के साथ मै यह पत्र आपको लिख रहाहूं ।

विश्वासभाजन

Ahmad 14.1.97.

। सोहैल अहमद ।
अध्यक्ष
बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग
पटना ।

परिशिष्ट - 61



इन्दर सिंह नामधारी

मंत्री,
राजस्व एवं भूमि सुधार
तथा परिवहन विभाग,
बिहार।

पत्रांक ....445....

फोन नं० : [illegible]5355 (कार्यालय-राजस्व)
: 221418 (कार्यालय परिवहन)
: [illegible]11 (आवास, पटना)
: 23033 (आवास, डालटनगंज)

दिनांक ....31.1.97....

आयुक्त, संथालपरगना प्रमंडल, दुमका।

राज्य अल्पसंख्यक आयोग बिहार के अध्यक्ष प्रो० सोहैब अहमद द्वारा प्रेषित पत्र संलग्न कर भेज रहा हूँ। पत्र में अंचल अधिकारी पथरगामा श्री दीलीप कुमार झा पर यह आरोप लगाया गया है कि दिनांक- 15-6-96 को ग्राम- रनसी में अवस्थित मस्जिद को अंचल गार्ड की सहायता से क्षति पहूँचायी गयी है एवं इसका विरोध करने वाले कई व्यक्तियों को पीटा गया है। आरोप अत्यन्त ही गम्भीर एवं संवेदनशील है। कृपया इन आरोपो की स्वयं जांच की जाय एवं वस्तुस्थिति के संबंध में एक प्रतिवेदन सरकार के पास भेजा जाय।

इन्दर सिंह नामधारी

(इन्दर सिंह नामधारी)

पत्रांक_____/ सा0

प्रेषक,

उपायुक्त, गिरिडीह।

सेवा में,

आयुक्त के सचिव ,
उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल,
हजारीबाग।

गिरिडीह, दिनांक मई 1998.

विषय:- गिरिडीह जिलान्तर्गत निमियाघाट थाना के धनौदीह ग्राम में स्थायी पुलिस चौकी की स्थापना के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक गिरिडीह जिला के निमियाघाट थानान्तर्गत धनौदीह ग्राम में एक स्थायी पुलिस चौकी का पुनरीक्षित प्रस्ताव आरक्षी-अधीक्षक, गिरिडीह के ज्ञापांक 165 सा/सा0 शाखा दिनांक 11/9/97 द्वारा किया गया है। उसमें संलग्न है।

इस जिला के निमियाघाट थानान्तर्गत ग्राम-धनौदीह में स्थायी पुलिस चौकी की स्थापना से अपराध नियंत्रण एवं विधि व्यवस्था की दृष्टिकोण से मैं इसकी अनुशंसा करता हूँ।

विश्वास भाजन

उपायुक्त, गिरिडीह।

ज्ञापांक_____/सा0दि0_____ /

प्रतिलिपि:-आरक्षी महानिरीक्षक के सहायक, निरीक्षण, बिहार, पटना/आरक्षी उप महानिरीक्षक, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल प्रक्षेत्र, हजारीबाग/आरक्षी महानिरीक्षक छोटानागपुर प्रक्षेत्र, राँची/आरक्षी अधीक्षक, गिरिडीह को उनके पत्रांक-1654/सा0शा0 दिनांक-11.9.97 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उपायुक्त, गिरिडीह।

ज्ञापांक 150 /सा0दि0 25-5-98/

प्रतिलिपि:- माननीय अध्यक्ष, राज्य अल्प संख्यक आयोग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उपायुक्त, गिरिडीह।

GOVT. OF BIHAR

बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग

بِهَار رِيَاسَتِي اَقلِيَتِي كمِيشَنْ

BIHAR STATE MINORITIES COMMISSION

Chairman
Prof. Sohail Ahmad

Phone : 660006 (R)
Fax : 223983 (Home Sec.)
: 224296 (Spl.Sec. Home)

Old Secreta
Patna - 800

Ref.

Date

पत्रांक - अ. आ. – 3336 .A. पटना, दिनांक – 07-06-2000

उपायुक्त
गिरीडीह

आपके पत्रांक - 1503 दिनांक 2, जून 2000 मुझे मिला। पढ़कर बेहद खुशी हुई कि आपने एक गरीब, बेसहारा जहुरन बीबी पति स्व. हुसैन मियां ग्राम परसाबेड़ा (बरगंदा) थाना - डुमरी, जिला - गिरीडीह की हर तरह से मदद की जिस की बजह से उसने अपना मासूम बच्चा नहीं बेचा गरचे उसका सौदा हो चुका था।

4, जनवरी, 2000 को दैनिक हिन्दुस्तान, पटना में एक खबर मुख्य पृष्ठ पर छपी थी कि "उफ ! ये गरीबी . .. दुधमुंहा बेचने को मजबूर मां"। उसी गरीबी और मज़बूरी के कारण इससे पूर्व उसके चार बेटे और पांच बेटिया एक एक कर दम तोड़ते गए। यह खबर पढ़कर मैंने उसी रात बहुत बेचैनी में आपको फोन किया था और कहा था कि गरीबों के लिए सरकार की जितनी भी लाभकारी योजनाएं हैं वह सब जहुरन बीबी के घर जाकर आप उसे दे दें ताकि उसका मासूम बच्चा किसी कीमत पर बिकने न पाये। आपने ठीक उसी तरह मेरी अनुशंसा का पालन किया जो बहुत ही सराहनीय एवं प्रशंसनीय है बल्कि आपने एक मजबूर और बेसहारा की मदद करके इंसानियत का सर ऊँचा किया है जिसके लिए आपको हर तरह से बधाई।

किसी गरीब, बेसहारा और बेजुबान की मदद एक इबादत है बल्कि हर धर्म की यही आत्मा है इसलिए हर धर्म ने इसको उच्च प्राथमिकता दिया है इसमें किसी जाति, धर्म या बिरादरी की कोई शर्त्त नहीं है। मशहूर शायर अल्ताफ हुसैन 'हाली' ने भी इसी सच्चाई का प्रचार किया है।

"यही है इबादत यही दीन व इमाँ
के काम आए दुनिया में इंसाँ के इंसाँ"

मुझे उम्मीद है कि आप इस इंसानी दर्द के रिश्ते को हमेशा मजबूत बनाए रखेंगें और इसी तरह मज़बूती से इंसानियत की खिदमत और इंसानी कद्रों (मानव मूल्यों) की हिफाजत करते रहेंगे। इसके लिए तमाम इंसानों की दुआ और हमदर्दी आपके साथ होगी। इसी विश्वास के साथ मैं यह पत्र आपको लिख रहा हूं।

Ahmad
7-6-2000.
(सोहैल अहमद)
अध्यक्ष

नवनीत
नई पीढ़ी के निर्माण की मासिक पत्रिका
वर्ष 14 • अंक 152 • नगर • पृष्ठ 14

उफ ! ये गरीबी ... दुधमुंहा बेचने को मजबूर मां

निज संवाददाता

दुमरी (गिरिडीह), 3 जनवरी। नयो सहस्त्राब्दी में प्रवेश के साथ दुनिया भले ही अन्य ग्रहों पर जाने को लेकर रोमांचित होकर जश्न मना रही हो, लेकिन जहुरन बीबी नामक एक मां अपनी फटेहाल जिंदगी और गरीबी के कारण जब अपने दूधमुंहे शिशु के पालन-पोषण में असमर्थ हो गयी तब वह अपने शिशु को चंद सी रुपये में बेचने के लिए फल सड़क पर पांव-पैदल निकल गयी। बहरहाल एक नि:संतान दम्पति द्वारा दुमरी क्षेत्र के विधायक शिवा महतो की जानकारी में उक्त शिशु को लेने के लिए आवश्यक कागजी तैयारी कर ली है।

इस संवाददाता को करीब 35 वर्ष की जहुरन बीबी ने कई लोगों के समक्ष जो बताया वह अत्याधुनिक इस समाज के मुंह पर जहां तमाचा है, वहीं इस बात का प्रतीक भी कि हम भले ही 21वीं सदी में जीने का दंभ भर लें, लेकिन आज भी हमारे समाज के बड़े हिस्से में गरीबी अभिशाप बनी हुई है। वकील जहुरन बीबी इस दुनिया में अब उसका कोई नहीं है।

वह गिरिडीह जिले के दुमरी थाना क्षेत्र के परसावेडा (बरगंडा) गांव की रहने वाली है। जहुरन बीबी के अनुसार उनके श्वसुर का नाम स्व. दिलो मिया है। हुसैन मियां उसके पति का नाम था, जिसका पिछले अगस्त महीने में निधन हो गया। वह अभा था। उन्होंने बताया कि पीरटांड प्रखंड के जीतबुन्नी गांव में उनका नैहर था जहां अब उसका अपना कहने वाला कोई नहीं है।

उन्होंने बताया कि इस शिशु के जन्म देने के पूर्व उसने चार पुत्रों व पां.. पुत्रियों को भी जन्म दिया था, लेकिन उनमें से एक भी जीवित नहीं है। गरीबी की वजह से वह किसी को पाल पोस नहीं सकी और सभी एक-एक कर मरते गये। उन्हें आशंका ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि इस भीषण ठंड में उसका दाई माह का यह

(शेष पृष्ठ 13 पर)

संक्षिप्त

ट्रक की चपेट से एक ही परिवार के तीन मरे

गुमला। बीती रात जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर भरदा के पास एक ट्रक ने एक ही परिवार के तीन व्यक्तियों सुड़का साव (28), राम प्रताप साव (35) और सोमरा राम (30) को कुचल दिया। घटनास्थल पर ही तीनों व्यक्तियों के मारे जाने का समाचार है। इस घटना के विरोध में ग्रामीणों ने घंटों सड़क जाम रखा ए.स.

ट्रक पलटने से तीन मरे

डिहरी-ऑन-सोनी। सोमवार को अहले सुबह करीब चार बजे निकटवर्ती सुअरा गांव के निकट जी.टी. रोड पर मजदूरों से लदे एक ट्रक (न. बी.के.-23 जी.-2625) के पलट जाने से तीन मजदूरों कृपाल यादव (50 वर्ष), सुरेश चौधरी (35 वर्ष) और बिरजू चौधरी (50 वर्ष) की घटनास्थल पर ही मौत हो गयी। ट्रक में सवार मजदूर आसाराम अनुमंडल के

कश्मीर में

एजेंसियां

श्रीनगर, 3 जनवरी। मध्य श्रीनगर के सब्जी बाजार में आज उग्रवादियों द्वारा एक हाथठेले, जिसमें विस्फोटक लगा हुआ था, में किये गये विस्फोट से अर्द्धसैनिक बलों के चार कर्मियों समेत कम से कम16 व्यक्ति मारे गये और 38 अन्य घायल हो गये। इसके साथ ही कश्मीर घाटी में 24 घंटे के दौरान आतंकियों ने तीन सुरक्षा शिविरों पर राकेट और गोलों से हमला किया जिसमें एक व्यक्ति मारा गया और एक अन्य घायल हो गया। आतंकियों ने एक लकड़ी की पुलिया को भी आग लगा दी जो एक महत्वपूर्ण सड़क संपर्क थी।

नई दिल्ली में गृह मंत्रालयने विस्फोट से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा की है। अभी तक किसी आतंकी संगठन ने विस्फोट की

सैनि

जिम्मेवारी ना
की पहचान
एक ह
किश्रीनगर के
एक हाथठेले
था। इसे एक
बजे के आस
निकट नंद
भरे बाजार में
बताया कि
जिनमें दो
पर ही मारे
प्रवक्ता ने क

परिशिष्ट - 62 (क)

उपायुक्त का कार्यालय, गिरिडीह ।
(गोपनीय शाखा)

पत्रांक 1503 /गो0,

प्रेषक,

राजेश अग्रवाल,
भा0 प्र0 से0
उपायुक्त, गिरिडीह ।

सेवा में,

अध्यक्ष,
राज्य अल्पसंख्यक आयोग,
बिहार, पटना ।

गिरिडीह, दिनांक 2 /जून"2000

विषय:- मो0 जहुरन बीवी, पति स्व0 हुसैनी मियाँ, ग्राम-परसाबेड़ा, थाना-डुमरी के सहायता हेतु की गई कारवाई की सूचना ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि मो0 जहुरन बीवी पति स्व0 हुसैनी मियां ग्राम+ परसाबेड़ा, थाना-डुमरी को-

1. बी0एम0एस0योजना के तहत् इन्दिरा आवास की स्वीकृति दी गयी योजना में कार्य चल रहा है एवं प्रगति पर है ।

2. सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनान्तर्गत पेंशन की स्वीकृति की गयी है ।

3. वित्तीय वर्ष 99-2000 में रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एस0जी0एस0वाई0 के तहत् चूड़ी व्यापार (फेरी) हेतु 5,000 (पाँच हजार) रूपये ऋण इलाहाबाद बैंक, सुईयाडीह के माध्यम से कराया गया है ।

4. उन्हें मौजा वरगंडा में 0.4 जमीन के लिये गृह स्थल पर्चा देने की स्वीकृति का प्रस्ताव से संबंधित अभिलेख भू0 सु0 उप0 समा0, हगरीडीह को प्राप्त हुआ है स्वीकृति हेतु कारवाई की जा रही है ।

सूचनार्थ प्रेषित ।

विश्वासभाजन,

उपायुक्त, गिरिडीह ।

परिशिष्ट - 62 (ख)

सेवा में,

श्रीमान् समाहर्त्ता महोदय,

समस्तीपुर ।

विषय :- बाबूलाल महतो (बंका) पिता - स्व0 रामजी महतो, मदन साह पिता - स्व0 ईश्वर साह, ग्राम - अजीतगंज, सरायरजन, रामदेव साह पिता - स्व0 हियालाल साह, ग्राम - पतैली, सरायरंजन द्वारा जमीन जायदाद हड़पने हेतु मारपीट करनें, आर्थिक-शौषण, मानसिक शोषण, शारीरिक शोषण करने के संबंध में ।

महाशय,

निवेदन के साथ सूचित करना है कि मैं मो0 यूनुस पिता - हबीब साह, ग्राम - अजीतगंज, थाना+प्रखंड - सरायरंजन का निवासी एवं जाति का फकीर हूँ। मेरे परिवार में माता-पिता के अलावे सात भाई, सातों भाई की पत्नी एवं बच्चे समेत चालीस सदस्यों का परिवार किसी प्रकार भिक्षा माँग कर अपना जीवन-निर्वाह कर रहा हूँ।

बाबू लाल महतो (बंका) पिता- स्व0 रामजी महतो, मदन साह पिता ईश्वर साह, ग्राम- अजीतगंज, थाना- सरायरंजन, रामदेव साह, पिता स्व0 हिया लाल साह, ग्राम- पतैली, थाना - सरायरंजन, दिनांक 17.7.2002 को दिन के 10 बजे मेरे घर पर आया और मेरे छोटे भाई मो0 कलाम को गाली देना शुरू कर दिया और कहा कि तुम्हारा भाई मो0 यूनुस कहाँ गया। शाले को दो साल से कहते-कहते थक गए लेकिन अभी तक अपना जमीन, घर बेचकर यहाँ से नहीं गया। अपने चाचा मो0 इदरीस की तरह जमीन, घर बेचकर यहाँ से अतिशीघ्र जाना होगा। पुरे बस्ती में एक मुस्लिम परिवार नहीं रह सकता, यदि आज जमीन, घर का मेरे नाम से कागज नहीं बनाता तो शाले को जिन्दा जला दूँगा। इस पर मेरा भाई मो0 कलाम डर के मारे घर छोड़कर भागा तो इन लोगों के साथ मो0 उसमान मियाँ, उर्फ छेदी साह पिता- स्व0 सुल्तान साह, मदन साह पिता स्व0 ईश्वर साह ने पकड़कर लाठी, डंडा से पीट-पीट कर पूरी तरह जख्मी कर कहा कि पेट्रोल छिड़क कर शाले को जिन्दा जला दो। उसी वक्त मेरी माँ-बहन भाई ने उसके शरीर पर गिर कर किसी प्रकार जान बचाकर जब थाना चला तो दिनेश महतो पिता बाबू लाल महतो, मदन साह, रामदेव साह ने पकड़कर एक घर में बन्द कर कहा की शाला थाना एवं अस्पताल जाकर क्या करोगे, थाना मेरा क्या कर सकता है, मैं खुदही कल बैठकर फैसला करेगें ।

दिनांक 18.07.2002 को दिन के 12 बजे घर से निकालकर सरायरंजन चौक स्थित महावीर स्थान पर ले गए वहाँ पर पहले से बैठे पंचायत के मुखिया सुनील ईश्वर ने कहा कि अभी तक ये जिन्दा कैसे है और कहा कि इसका भाई मो0 यूनुस कहाँ है। मो0 कलाम ने कहा कि भाई यूनुस भिक्षा माँगने गए हैं जो अभी तक नहीं आए हैं। फिर मुखिया के आदेशानुसार बाबू लाल महतो (बंका) ने शादे कागज पर टिकट साटकर चारों भाई से जबरन दस्तखत करवाया और कहा कि अभी तत्काल तुम्हें 5000 पाँच हजार रुपया दंड देना है और भाई मो0 यूनुस के आने पर अतिशीघ्र चाचा मो0 इदरीस की तरह अपना घर-जमीन बेचकर यहाँ से जाना होगा और 5000 हजार रूपया लेने के बाद ही मो0 कलाम को छोड़ा गया। साथ ही मदन साह, रामदेव साह ने कहा कि अगर दो रोज

के अन्दर यदि तुम लोग बस्ती छोड़कर नहीं गया तो जितने भाई तुम हो घर में बंद कर जिन्दा जला देगें एवं तुम्हारी लड़की को बाजार में सामूहिक बलात्कार कर हत्या कर देगें ।

दिनांक 20.7.2002 को भिक्षा माँगने के बाद जब मैं घर आया तो इन लोगों ने शराब के नशे में धुत एवं हाथ में पिस्तौल लेकर मेरे घर पर आकर मुझसे जबरन सादे कागज पर रघुनी टिकट साटकर दस्तखत करवाया और कहा कि कल अपना घर, जमीन-जायदाद मेरे नाम से रजिस्ट्री करना होगा नहीं तो कल ही तुमलोगों को अई0एस0आई0 का एजेन्ट होने का प्रचार कर घर में जिन्दा जला देगें।

अत: श्रीमान् से नम्र निवेदन है कि हमलोगों को अतिशीघ्र सुरक्षा देने एवं दोषी व्यक्तियों पर अपने स्तर से उचित कार्रवाई करने की कृपा करें नहीं तो हमलोग अपनी जमीन-जायदाद बेचकर अन्यत्र जाने को विवश हो जाऐगें।

श्रीमान् का विश्वासी

मो॰ यूनुस मियाँ

प्रतिलिपि :-

आरक्षी अधीक्षक, समस्तीपुर ।

प्रमण्डलीय आयुक्त महोदया, दरभंगा ।

पुलिस महानिदेशक महोदय, बिहार सरकार, पटना ।

अध्यक्ष महोदय अल्पसंख्यक आयोग, पटना ।

सचिव बिहार सकरार पटना ।

मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली ।

गोपनीय

विशेषदूत द्वारा

पत्रांक :3228/सी0जी0

प्रेषक,

संजय कुमार राकेश, भा0प्र0से0
जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर ।

सेवा में,

अध्यक्ष,
बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग,
पटना ।

समस्तीपुर, दिनांक 7 वी सितम्बर, 2002

विषयः- मो0 युनुश मियां पे0 हबीब साह, ग्राम- अजीतगंज, थाना- सरायरंजन की शिकायत पत्र पर की गई कार्रवाई के संबंध में ।

महाशय,

भवदीय से प्राप्त मो0 युनुश मियां पे0 हबीब साह की शिकायत पर एवं भवदीय से दूरभाष पर हुई वार्ता के आलोक में अधोहस्ताक्षरी द्वारा सरायरंजन जाकर जांच पड़ताल की गई । इससे पूर्व अनुमंडल पदाधिकारी, समस्तीपुर ने भी अपने स्तर से जांच कर प्रतिवेदन भेजा था जिसकी छाया प्रति अनुलग्न की जाती है ।

जांच पड़ताल के समय गांव के कुछ लोग तथा पंचायत के मुखिया एवं प्रखंड प्रमुख भी उपस्थित थे जांच के दौरान अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा प्रतिवेदित तथ्य लगभग सही पाया गया । मुखिया ने बताया कि दण्ड स्वरूप वसूल की गई राशि उसी मोहल्ले में नाला बनाने के काम में लगाया गया । चूंकि दण्ड लगाना अनुचित था इसलिए मुखिया को निदेश दिया गया कि वे 1100/-रूपया लौटा दें । मुखिया ने अगले ही दिन लौटाने का वादा किया तथा पता चला है कि पैसा लौटा दिया गया है ।

संक्षेप में यह घटना युनुस मियां के फरीकान के बीच झगड़े से संबंधित है जिसमें बाबू लाल महतो ने एक पक्ष के समर्थन में कार्य किया है । शिकायतकर्ता ने भी बताया कि स्थिति अब सामान्य है, अतः कुछ करने की आवश्यकता नहीं है ।

फिर भी एहतियात के तौर पर इससे संबंधित लोगों के विरूद्ध धारा 107 भा0द0प्र0सं0 के तहत कार्रवाई शुरू कर दी गई है । वर्तमान में स्थिति शान्त है ।

विश्वासभाजन,

जिला पदाधिकारी,
समस्तीपुर ।

अनुमंडल पदाधिकारी का कार्यालय, समस्तीपुर
(गोपनीय प्रशाखा)

पत्रांक 2429/गो०

प्रेषक

अनुमंडल पदाधिकारी
समस्तीपुर।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी
समस्तीपुर

समस्तीपुर, दिनांक 22-वीं अगस्त, 2002.

विषय:- दूरभाष पर दिये निदेश के आलोक में जाँच प्रतिवेदन का प्रेषण।

महोदय,

निदेशानुसार मैं दिनांक 21.8.2002 को सरायरंजन प्रखंड मुख्यालय जाकर फकीरा मियाँ से सम्पर्क कर उनकी तकलीफ की जाँच किया।

प्रभावित व्यक्ति का नाम मो०युनुश पिता मो० हबीब है और ये अजीतगंज मुहल्ला, थाना सरायरंजन के रहनेवाले हैं। ये फकीर जाति के हैं और देहातों में झाड़-फूंक कर जीविकोपार्जन करते हैं। मैं मो०युनुश को एकांत में ले जाकर उसको विश्वास में लेकर सारी जानकारी लिया। उनके द्वारा बतलाया गया कि हमलोग एक ही वंशज के कुछ परिवार एक जगह रहते हैं। मेरे बगल में बाबू लाल महतो उर्फ बंका व्यापारी भी रहते हैं जो हमेशा इस उद्देश्य में रहते हैं कि हमलोगों को ऐसे संकट में डाल दें ताकि हमलोग परेशान होकर अपनी जमीन बेचकर अन्यत्र चले जायें। उनके इन्हीं प्रयास के परिणामस्वरूप एक मोतिया 15 वर्ष पूर्व बाबूलाल महतो को जमीन बेचकर चले गये। उनके इसी कोशिश के परिणाम में छोटी मियाँ और मेरे चचेरे भाई मो०फरमूद में झगड़ा हुआ और उस झगड़े में इनके भाई [illegible] बुद्दीन का सिर फूट गया था। उसकी पंचायत हुई और मुद्दा पर 1100 रूपये, छोटी मियाँ को 250/-रूपया एवं फरमूद मियाँ को 250/-रूपया जुर्माना किया गया और रूपया जमा भी लिया गया। इस घटना से वे प्रताड़ित महसूस किये और आवेदन उच्च पदाधिकारियों को दिये। उन्होंने कबूल किया कि गुस्से में दुखी होकर आवेदन दिया और पाँच हजार रूपया भी बढ़ाकर लिख दिया चूँकि घायल भाई के इलाज में इनको 2700/-रूपये खर्च हुए थे। फिर आगे उन्होंने बताया कि दिनांक 18.8.2002 को प्रमुख, मुखिया एवं अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने मिलबैठकर समस्या पर विचार किया एवं आपसी तनाव को समाप्त कर दिया। सबके बीच मुखिया [illegible] सुनीत हजार ने हाथ जोड़कर मुझसे माफी भी मांगी। मैंने उन्हें माफ कर दिया। पंचायत में बाबूलाल महतो भी थे। सारे लोगों ने मुझे ढाढस एवं हिम्मत दिया और भविष्य में सदा मदद करने का भी वादा किया। अब मैं तनावमुक्त हूँ। उन्होंने

कृ०पृ०उ०

यह भी बताया कि तत्संबंधी आवेदन मैंने पुनः उन सभी जगहों में रजिस्ट्री कर दी जहाँ-जहाँ पूर्व में दिया था, अब उनलोगों पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, नहीं तो मेरे प्रति समाज का विश्वास उठ जायेगा।

उनसे व्यक्तिगत सम्पर्क से स्पष्ट महसूस हुआ कि अभी वे आश्वस्त हैं और समाज की बातों में रहना चाहते हैं। सम्प्रति उनको अब कोई आशंका एवं भय नहीं है। पश्चात् मैंने प्रमुख, मुखिया एवं अन्य लोगों से भी मुलाकात की और हिदायत दिया कि युनुश मियाँ अल्प संख्यक हैं इन्हें पूरी सामाजिक सुरक्षा मिलनी चाहिए। यदि भविष्य में किसी तरह की शिकायत मिली तो दोषियों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।

विश्वासभाजन,

अनुमंडल पदाधिकारी
समस्तीपुर

ज्ञापांक 4835 /पी0-2
43-38-208-98

महानिदेशक एवं आरक्षी महानिरीक्षक का कार्यालय बिहार, पटना।
पटना, दिनांक 16 सितम्बर, 1998।

क्षेत्रीय आरक्षी अधीक्षक,
राँची।

प्रसंग:- आपका ज्ञापांक-1612/दिनांक 18.6.98।
विषय:- राँची जिला के लापता स0अ0नि0 इतराफिल खाँ के पुत्र मो0 अली उमर खाँ को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक आपके प्रासंगिक ज्ञापांक के संबंध में कहना है कि महानिदेशक एवं आरक्षी महानिरीक्षक, बिहार ने मानवीय दृष्टिकोण से विचार करते हुए निम्न आदेश पारित करने की कृपा की है:-

1-उक्त लापता स0अ0नि0 इतराफिल खाँ के पुत्र को अनुकंपा के आधार पर नियुक्त किया जाय।

2-उक्त लापता स0अ0नि0 मो0 इतराफिल खाँ को एक्स-पार्टी बनाते हुए, उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित कर उन्हें अनिवार्य सेवा निवृत्त कराया जाय। पुनः उनके मिल जाने के पश्चात् ही उन्हें पेंशन लाभ दिया जायगा।

कृपया तदनुकूल कार्रवाई कर अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

आरक्षी महानिरीक्षक के सहायक (कल्याण), बिहार,
पटना।

प्रतिलिपि:-

आरक्षी उप-महानिरीक्षक, दक्षिणी छोटानागपुर क्षेत्र, राँची को सूचनार्थ।

2-श्रीमति लाल बीबी पति इतराफिल खाँ, ग्राम-बयनोली, पो-तिसरा, [illegible] बरोनी, जिला-बेगूसराय को सूचनार्थ।

[illegible]

भोजपुर [illegible]
[illegible], भोजपुर, आरा।

ज्ञापांक 1394 /भो० आरा,
दिनांक 12 [illegible] 98

सेवा में,

[illegible] पदाधिकारी,
[illegible], शाहपुर, पीरो, जगदीशपुर एवं बिहिया।

विषय- अल्प संख्यक समुदाय के व्यक्तियों के लिये इन्दिरा आवास योजना [illegible] पर बनाने के लिये ग्राम- [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] ग्राम का सर्वेक्षण कर सर्वेक्षण सूची भेजने के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में माननीय अध्यक्ष, अल्प संख्यक आयोग, बिहार को कुछ लोगों ने आवेदन दिया है जिसे उन्होंने उचित कार्रवाई के लिये मेरे पास इन्दिरा आवास योजना के तहत घर बनाने हेतु अनुशंसित कर दिया है। अतः आप सभी को आदेश दिया जाता है कि इन्दिरा आवास योजना के तहत गृह निर्माण हेतु उचित योग्यता रखने वाले सभी अल्प संख्यक समुदाय के व्यक्तियों का निम्नलिखित ग्राम में सर्वेक्षण कर सर्वेक्षण सूची भेजने की व्यवस्था करें ताकि उनकी स्वीकृति दी जा सके।

ग्राम-	पूर्व का नाम
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	शाहपुर
[illegible]	शाहपुर
[illegible]	पीरो।
[illegible]	जगदीशपुर
[illegible]	बिहिया।

सूचना उपर्युक्त ग्रामों में सर्वेक्षण करते समय अल्प संख्यक समुदाय के साथ ही साथ अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के योग्य व्यक्तियों का भी सर्वेक्षण कर उनकी भी सूची प्रेषित करें। प्रयास यह होना चाहिये कि यह सूची 15 मई के पूर्व प्राप्त हो जाय ताकि उनकी स्वीकृति दी जा सके।

जिला पदाधिकारी, भोजपुर

[illegible] ज्ञापांक 1394 /भो० आरा, दिनांक 12/04/98 [illegible]
प्रतिलिपि श्री [illegible] अहमद, माननीय अध्यक्ष, अल्प संख्यक आयोग बिहार की सेवा में सादर सूचनार्थ समर्पित।

जिला पदाधिकारी, भोजपुर

UN Declaration on Rights of Minorities 1992

Declaration on the Rights of the Persons belonging to National or Ethnic, Religious and Linguistic Minorities

[Preambles not reproduced here]

Article 1

1. States shall protect the existence and the national or ethnic, cultural, religious and linguistic identity of Minorities within their respective territories, and shall encourage conditions for the promotion of that identity.
2. States shall adopt appropriate legislative and other measures to achieve those ends.

Article 2

1. Persons belonging to national or ethnic, religious and linguistic Minorities [hereinafter referred to as persons belonging to Minorities] have the right to enjoy their own culture, to profess and practise their own religion, and to use their own language, in private and in public, freely and without interference or any form of discrimination.
2. Persons belonging to Minorities have to participate effectively in cultural, religious, social, economic and public life.
3. Persons belonging to Minorities have the right to participate effectively in taking decisions on the national and, where appropriate, regional level concerning the Minority to which they belong or the regions in which they live, in a manner not incompatible with national legislation.
4. Persons belonging to Minorities have the right to establish and maintain their own associations.
5. Persons belonging to the Minorities have the right to establish and maintain, without any discrimination, free and peaceful contacts with other members of their group and with persons belonging to other Minorities, as well as contacts across frontiers with citizens of other States to whom they are related by national or ethnic, religious or linguistic ties.

Article 3

1. Persons belonging to Minorities may exercise their rights, including those set forth in this Declaration, individually as well as in community with other members of their group, without any discrimination.
2. No disadvantage shall result for any person belonging to a Minority as the consequence of the exercise or non-exercise of the Rights set forth in this Declaration.

Article 4

1. States shall take measures where required to ensure that persons belonging to Minorities may exercise fully and effectively all Human Rights and Fundamental Freedoms, without any discrimination and in full equality before the law.
2. States shall take measures to create favourable conditions to enable persons belonging to Minorities to express their characteristics and to develop their culture, language, religion, tradition and customs, except where specific practices are in violation of national law and contrary to international standards.
3. States should take appropriate measures so that, wherever possible, persons belonging to Minorities have adequate opportunities to learn their mother tongue or to have instruction in their mother tongue.

4. States should, where appropriate, take measures in the field of education, in order to encourage knowledge of the history, traditions, language and culture of the Minorities existing within their territory. Persons belonging to Minorities should have adequate opportunities to gain knowledge of the society as a whole.

5. States should consider appropriate measures so that persons belonging to Minorities may participate fully in the economic progress and development in their country.

Article 5

1. National policies and programmes shall be planned and implemented with due regard for the legitimate interests of persons belonging to Minorities.

2. Programmes of co-operation and assistance among States should be planned and implemented with due regard for the legitimate interests of persons belonging to Minorities.

Article 6

States should co-operate on questions to persons belonging to Minorities, including exchange of information and experience, in order to promote mutual understanding and confidence.

Article 7

States should co-operate in order to promote respect for the Rights set forth in this Declaration.

Article 8

1. Nothing in this Declaration shall prevent the fulfilment of international obligations of States in relation to persons belonging to Minorities. In particular, States shall fulfil in good faith the obligations and commitments they have assumed under international treaties and agreements to which they are parties.

2. The exercise of the Rights set forth in this Declaration shall not prejudice the enjoyment of all persons of universally recognized Human Rights and Fundamental Freedoms.

3. Measures taken by States to ensure the effective enjoyment of the Rights set forth in this Declaration shall not *prima facie* be considered contrary to the principle of Equality contained in the Universal Declaration of Human Rights.

4. Nothing in this Declaration may be construed as permitting any activity contrary to the purposes and principles of United Nations, including sovereign equality, territorial integrity and political independence of States.

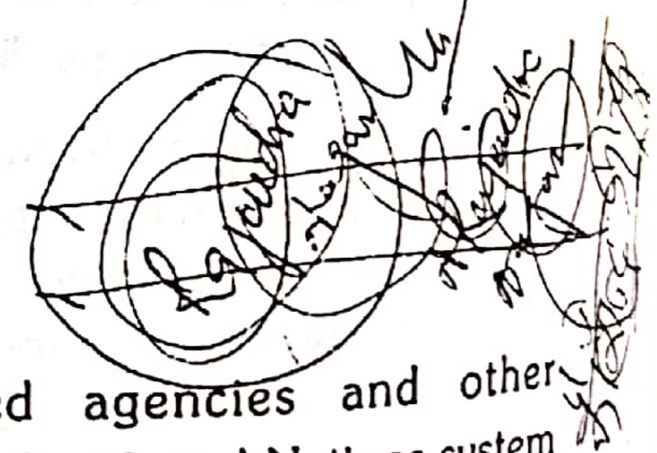

Article 9

The specialized agencies and other organizations of the United Nations system shall contribute to the full realization of the Rights and Principles set forth in this Declaration, within their respective fields of competence. ❑

Published by : Chairman's Office, National Commission for Minorities
Loknayak Bhawan, Khan Market, New Delhi-110003 ; phone : 4690592

NATIONAL COMMISSION FOR MINORITIES
HIGH POWERED STUDY COMMITTEE
(On Socio-Economic and Educational Problems of Minorities) Govt. of India

CHAIRMAN

- Rev. Dr. James Massey
  Member, NCM
  Govt. of India

MEMBERS

- Sri Soli J. Sorabjee,
  Senior Advocate
  Supreme Court of India,
  New Delhi
- Sri Saiyid Hamid, IAS (Retd.)
  Former Vice-Chancellor
  Aligarh Muslim University
- Dr. Daniel D. Chelli,
  Director,
  Programmes &
  Church Relations
  Dept. of Serampore Univ.
  Bangalore
- Prof. Iqbal A. Ansari,
  Convener,
  Committee on
  Human Rights,
  Dodhpur, Aligarh
- Dr. Asghar Ali Engineer,
  Director,
  Institute of Islamic Studies,
  Santacruz (East), Mumbai
- Prof. (Dr.) Angane Lal,
  Vice-Chancellor,
  RML Avadh University,
  Faridabad, U P
- Prof. Satinder Singh Noor,
  Head,
  Department of Punjabi
  Language & Literature,
  Delhi University, Delhi
- Rev. Dr. John Vallamattam,
  CBCI Centre, Ashoka Place,
  (Near Goldakhana),
  New Delhi-1
- Dr. Manzoor Alam,
  Chairman,
  Institute of
  Objective Studies,
  162, Jagasal Extn.,
  Jamia Nagar, Delhi-25

SECRETARY

- Shri K.R. Mahaboob John,
  Deputy Secretary, NCM
  Govt. of India, New Delhi

REMINDER: DATED 28.4.98

April 7, 1998

Dear Mr. Verma

From the enclosed communication from our Commission's Joint Secretary Shri Joginder Pall, we have already informed you about my visit (in May 8-11, 1998) as Chairman of the High Powered Study Committee. Through this letter I am happy to further inform you about some of the important agenda items, which we will be interested to take up with the concerned State officers, but before that I am quoting below the relevant portions from the Notification issued by the NCM Chairman on 3.6.97, which spelled out the task of the Committee and also serves as terms of reference for it. It reads as:

"(I). To identify and study the social, economic, educational, cultural and other problems facing the principal religious minorities of India, probe into the causes of those problems, and suggest measures for their solution;

(II) To examine specially the role, utility and impact of the Prime Minister's 15-Point Programme on Minorities (1983) and suggest ways and means for its effective implementation in letter and spirit;

(III) To identify and highlight the causes and constraints due to which union and state government's special welfare schemes, fiscal policies, earmarked facilities and plan-strategies are not resulting into an adequate and satisfactory socio-economic upliftment of the concerned minorities, and suggest measures for the eradication of these causes and constraints;

(IV) To examine the problems facing the concerned minorities in respect of their Constitutionally guaranteed Fundamental Rights for establishing and administering educational institutions of their choice, and suggest measures for their solution;

P.T.O.

5th Floor, Lok Nayak Bhawan, Khan Market, New Delhi-110 003
Phones : 4621177 Fax : 011-4693302

(V) To make general and specific recommendations for an overall socio-economic and educational advancement of the concerned minorities and suggest the required legal and administrative reforms for achieving the same."

Enclosed please also find the full text of the Notification.

Keeping in mind also the above terms of reference and the task set before the Committee, our one part of the study includes the visit to the Capital cities of the selected States of our country. Your State falls among those selected States. Therefore, my forthcoming visit is part of the same process. Now in order to fulfill our task and get the needed informations about the minorities' real conditions in your State, we need the State's co-operation through your office. It is in this connection I am writing this letter so that the concerned State officers with whom I will be meeting may prepare themselves for our meeting. In this meeting we are expecting to meet collectively as well as individually the seniormost officers of the State, who are directly or indirectly involved in the implementation of various programmes with regard to the minorities. Below I am making some suggestions concerning items and points which will be included in our agenda in the meetings:

1) It will be a help if the various documents connected with the work of minorities prepared by the State Minority or Welfare Department or other concerned Departments are made available to us by the concerned officers during our visit. These can be either in the printed or reporting forms.

2) If the State or any of its districts has undertaken any special study or programme for the minorities, the documentation related to such exercise may also be made available to us for discussion and study.

3) How the implementation of the 15-Point Programme have taken place or being undertaken by the State at different levels, we will be interested to get the comprehensive reports in this regard from the concerned officers. Here, as you know, we will be interested to meet the senior State police officers who will be able to share with us about the problems of law and order and how they have dealt in all the issues related to their work concerning minorities. We will also be interested to know how the second part of the 15-Point Programme concerning recruitment at the State and district level is being implemented. Here it may be if there is a Special Secretary or senior officer in charge of the minorities' work or the Welfare Ministry will be able to help us. Along with this we will be interested to know also how the minorities representation at various State and district levels are involved.

P.T.O.

5) The other important point of our agenda during our meeting will be to know the role of public undertakings--either corporation or board who are functioning in the State and how they are assisting in the development of minorities.

6) The Committee specially will be interested to have meeting with the representatives of Education Ministry or Departments in order to know about the implementation of our Constitution's Article 30 which is concerned with educational rights of the minorities. Here it mean we will be interested to know about the procedures and methods which are being used to give recognition and the grants and if State is putting any restriction or not on the minorities run institutions.

7) We will also interested to have meeting with the representatives of Minorities' Development and Welfare Department of West Bengal and how they function and how they carry on their developmental activities. We will be interested to have all the documents and reports of such work.

8) We of course will be interested if there is any special programme for the development of the minorities, State is carrying on in. Any document about such programme, Committee will be interested to receive.

9) I will be interested to meet, if possible, Hon'ble Chief Minister of the State, the Minister under whose purview the minorities work come, the Chief Secretary of the State and, of course I will be paying a courtesy visit to his Excellency the Governor of the State. We indeed will be grateful to get help from your kind office in arranging these meetings

10) The Committee also will be having a meeting with the State Commission for Minorities to whom the Commission is also writing separately but we will request your office also to inform them the details about my visit.

These are some of the important points which we will be interested to discuss in our various meetings during my visit and I personally would like to request you kindly see the information concerning my visit and about these agenda points reaching to the concerned officers as soon as possible so that can prepare before we come. For your information I am enclosing also alongwith a set of the following documents which I hope will also help in preparing about our meeting and visit:

P.T.O.

1. Copy of the National Commission for Minorities Act, 1992.
2. Copy of the Chairman, NCM Notification about the formation of High Powered Study Committee.
3. Copy of the Introductory Address by the Chairman of High Powered Study Committee during the inaugural meeting on 30.7.1997.
4. One copy of each of the two questionnaires for survey.

With kind regards,

Yours sincerely,

(REV.DR. JAMES MASSEY)

Mr. B.P. Verma
Chief Secretary
Govt. of Bihar
Main Secretariat, Patna 800015

CONFIRMATION REPORT APR-28-98 11:12

PHONE NUMBER	:	0612222698
PAGES	:	03
START TIME	:	04-28 11:09
ELAPSED TIME	:	02'57"
MODE	:	9600/STANDARD/MH
RESULTS	:	OK

परिशिष्ट - 67

Questionnaire

1. Do you agree that the Police Forces are becoming less professional and more politicised ?

2. If the answer is yes, do you agree that this is because a symbiotic relationship has developed between some politicians and Police Officers who have taken undue advantage of this relationship for their personal ends ?

3. If the answer to Question No.2 is yes, then do you feel that this trend is increasing and there is urgent need to curb this to ensure that public confidence is restored ?

4. If the answer to Question No.3 is yes, then do you agree that we should evolve a system by which the Police is insulated from political and other pressures to do what they are required to do according to Law. At the same time, the Police should not refrain from doing something which they are bound to do by the Law of the land. Do you agree that the Police should be made accountable to the Law through a more foolproof system of controls?

5. If the answer to this question is yes, then do you feel that the National Police Commission's recommendations to bring the Superintendence of the Police Department under a State Security Commission headed by the State Home Minister with six other members including a representative of the Opposition

and respected apolitical citizens should be implemented ?

6. If the anaver is no, could you suggest the composition of the Security Commission for States. The Commission could perhaps comprise of the following :-

(1) Leader of the Opposition

(2) A retired Judge of the High Court

(3) A representative from the Educational field, for example, the Vice-Chancellor of the major University or important Universities by rotation

(4) A representative from the social work field like the President of the State Women's Commission

(5) A nominee of the Lok Ayukta of the State of the status of a High Court Judge

(6) Home Secretary, ex-officio Member

(7) DG(P) of the State as ex-officio Member-Secretary.

7. If you do not agree with the above could you suggest any alternate composition for the State Security Commission keeping in mind public interest ?

8. If you feel that such Security Commission is not at all necessary then what would you suggest to ensure that the Police is more public friendly and accountable to the Law ?

9. Would You agree that one of the reasons why senior Police Officers are vulnerable to outside pressure is the apprehension of transfers if they do not succumb to such pressures ?

10. If you agree with this supposition, then do you feel that the DG(P), the Commissioner of Police and other Senior Officers should have fixed tenures of appointment, e.g., three years in the case of DG(P) and the Commissioner and two years for junior posts?

11. If you agree with this supposition then is it felt that the DG(P), the Commissioner of Police and other senior officers should have a fixed tenure of posting ?

12. Do you think that the investigative branch of the Police should be separated from the Law & Order Wing to ensure that investigation of crime is given exclusive and undiluted attention ?

13. If the answer is yes, do you agree that in each Police Station in the District and at the State level there should be separate personnel earmarked for these duties : If such arrangements exist such personnel would be precluded from law and order or any other duty, by making changes in the Police Manuals and Rules ?

14. How will it be ensured that the investigative arm functions without outside interference or extraneous influence or pressure ?

15. Would you say that the Police Act of 1861 is out-dated and needs to be replaced to meet the rising expectations of the people and their grievances about the existing system which has given rise to the non-professional Police Forces ?

GOVT. OF BIHAR

बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग

بِہَار رِیَاسَتِی اَقَلِیَتِی کَمِیشَنْ

BIHAR STATE MINORITIES COMMISSION

Chairman
Prof. Sohail Ahmad

Phone : 660006 (R)
Fax : 223983 (Home Sec.)
: 224296 (Spl.Sec. Home)

Old Secretariat
Patna - 800 015

Ref 3868

Date 9.2.2002

To
The Director
ADRI
Patna

Attn: Dr. Shaibal Gupta

Sub: Joint organization of conference on education in the context of minorities in Bihar

Sir,

Kindly recall our discussion on 27/12/01 regarding organising national conference on the subject noted above. The Commission had been exploring the possibility of organizing a conference on the theme and I had personally discussed the same with you regarding this earlier too. I appreciate that you are now willing to undertake the responsibility of organizing this conference jointly with the Commission.
The commission will extend its full cooperation in organizing this conference. This will go a long way in mobilizing the disadvantaged communities to improve their social and educational status. I shall appreciate an early communication regarding the final dates and other details of the conference to the commission.

Yours sincerely,

9.2.2002
Chairman

आद्री
ADRI

ADRI STATE RESOURCE CENTRE

पत्रांक : COR(II)/1/gen/2002/ 5739
दिनांक : 25 फरवरी, 2002

शैबाल गुप्ता
निदेशक

सेवा में
प्रो. सुहैल अहमद खाँ
अध्यक्ष
बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग
पुराना सचिवालय, पटना - 15

विषय : बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग और आद्री के संयुक्त तत्वावधान में ''ज्ञानमूलक समाज निर्माण और सामाजिक आंदोलन'' विषयक सेमिनार आयोजन के संबंध में।

प्रसंग : आद्री का पत्रांक : COR(II)/1/soc/2001/4254 दिनांक 31 दिसंबर, 2001 और बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग का पत्रांक 3868 दिनांक 9.2.2002.

महाशय,

2001 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार, बिहार पचास फीसदी साक्षरता दर को छू भी नहीं पाया है। बिहार के कुछ ऐसे जिले हैं जहां साक्षरता दर 37 फीसदी से भी कम है। ये वही जिले हैं जहां मुसलमानों की आबादी अधिक है, जैसे- किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, कटिहार, पश्चिम चंपारण, पूर्व चंपारण आदि।

आज की दुनिया में वही राष्ट्र अथवा समाज ताकतवर बनेंगे जिनके पास ज्ञान की संपदा होगी। वक्त का तकाजा है कि पिछड़े समाज को पढ़ने-लिखने तथा ज्ञान की दुनिया में जगह बनाने के हुनर से लैस किया जाए। इसके लिए जन चेतना जगाना जरूरी है। यह काम बिना सामाजिक आंदोलन के संभव नहीं है। इसमें सामाजिक पहल की बड़ी भूमिका होगी। आज निरक्षरता से मुक्ति और पढ़ाकू समाज के निर्माण के लिए मुस्लिम समुदाय में साक्षरता, शिक्षा और विकास की चेतना पैदा करना आवश्यक हो गया है। इसे सामाजिक मुहिम का मुद्दा बनाना होगा।

आद्री मुस्लिम समुदाय में जन-जागृति के लिए काम करती रही है। हमने आद्री और अल्पसंख्यक आयोग के संयुक्त तत्वावधान में ''ज्ञानमूलक समाज निर्माण और सामाजिक आंदोलन'' विषयक सेमिनार आयोजित करने का प्रस्ताव दिया था। आपने हमारे प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। इसके लिए हम आपके आभारी हैं।

प्रस्तावित सेमिनार का केंद्रीय मुद्दा मुस्लिम समुदाय का शैक्षणिक पिछड़ापन रखा गया है। इसके लिए मुख्य रूप से मुस्लिम समुदाय में शिक्षा-प्रसार में लगे व्यक्तियों, मत-निर्माताओं तथा नीति निर्माताओं को आमंत्रित किया जाना है। इसका उद्देश्य होगा साक्षरता और शिक्षा के प्रसार में सामाजिक पहल हासिल करना तथा मुहिम बनाने में सबका सहयोग लेना।

सेमिनार का व्यय-भार आद्री वहन करेगी। अल्पसंख्यक आयोग से अपेक्षा है कि सेमिनार के लिए प्रतिभागियों की पहचान कर उन्हें आमंत्रित करने तथा ठहरने की व्यवस्था में सहयोग करे। आमंत्रित किए जाने वाले प्रतिभागियों का प्रतिनिधित्व सभी जिलो से होना चाहिए। साथ ही व्यय-भार के मद्देनजर उनसे गुजारिश की जाए कि वे स्वयं यात्रा-व्यय वहन करें।

प्रस्तावित सेमिनार का आयोजन 16 -17 मार्च, 2002 को करने की योजना रखी गई है। आपसे अनुरोध है कि अपने स्तर से कार्रवाई करने की कृपा करेंगे।

विश्वासभाजन

(शैबाल गुप्ता)

PATNA OFFICE : BSIDC COLONY, OFF BORING PATLIPUTRA ROAD, PATNA - 800 013, GRAM - ADERI,
PHONE : 265649, 267773, 272745 FAX : 0612 - 267102, E-MAIL : adri_patna@hotmail.com
RANCHI OFFICE : JORATALAO ROAD, BARIATU, RANCHI - 834 009. TEL : 0651-540790

Seminar on

Building a Knowledge Society
Role of Muslim Community

(Patna : March 13, 2002)

REPORT

Organised by

Bihar State Minorities Commission, Directorate of Mass Education, Bihar

and

Asian Development Research Institute, Patna

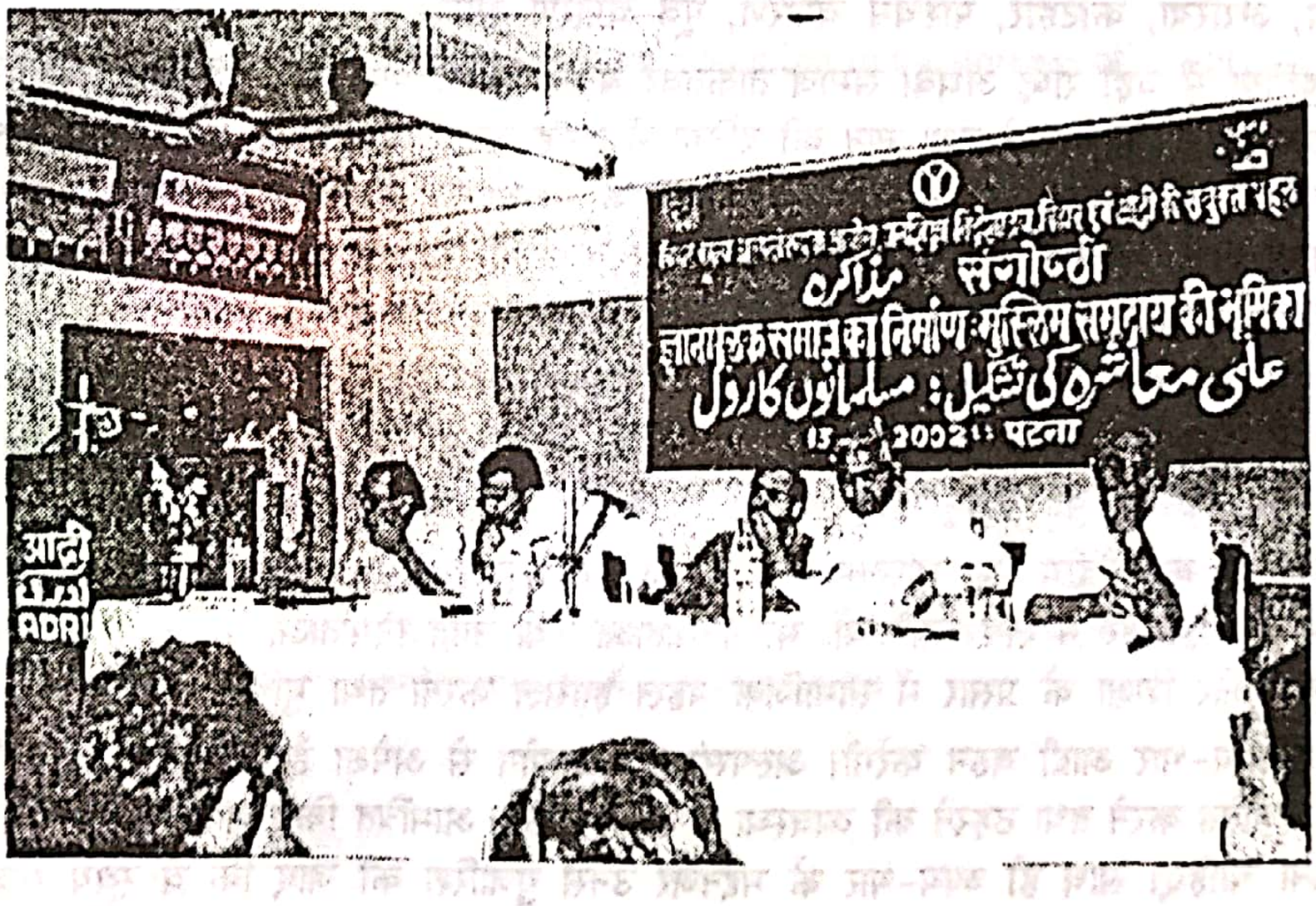

ASIAN DEVELOPMENT RESEARCH INSTITUTE
BSIDC Colony, Off-Boring-Patliputra Road, Patna - 800 013
Tel. : 265649, 267773, 272745 Fax : 0612 - 267102 E-mail : adri_patna@hotmail.com

Building a Knowledge Society : Role of Muslim Community

A day long seminar on **Building a Knowledge Society : Role of Muslim Community** was organised jointly by the Bihar State Minorities Commission, the Directorate of Mass Education, Bihar and Asian Development Research Institute (ADRI), Patna at the A. N. Sinha Institute of Social Studies here on Wednesday, March 13, 2002. The speakers, by and large, expressed their anguish over the fact that despite the stress in the Holy Quran and Hadis over the importance of knowledge and education, the Muslim community in general lagged behind in the field of education. They reaffirmed their commitment for ensuring spread of education among the Muslims and for this, they felt, that a social movement was a prerequisit.



Dr. Shaibal Gupta, Director, SRC-ADRI welcoming the guests

Welcoming the guests Professor Sohail Ahmed Khan, Chairman of Bihar State Minorities Commission said that abysmal literacy rate among the Muslim Community particularly among the Muslim women was a matter of grave concern. He mentioned that despite the policy and intentions of the government, nothing concrete could be done so far due to the apathy of some of the officials. He urged upon the government to take necessary steps to ensure technological education among the Muslims. He affirmed that it was for the first time after independence that the members of other community have come forward to take up the cause of education among the Muslims.

In this introductory address, Dr. Shaibal Gupta mentioned that in the context of Bihar, both the Hindu and Muslim Communities are on the same footing in so far as the knowledge

society is concerned. He pointed out that even today the literacy rate in the state is just 48 percent and said that wherever the Muslim population is more, the literacy rate is relatively less. He cited two reasons fo this state of affairs. Firstly, the de-industrialisation process started here during the British regime; and secondly as a result of First War of Independence in 1857, the modernisation process was resisted by the people of this area. He said that Islam is the latest religion with main impetus on knowledge and it spread to other places because of its knowledge base. He maintained that the land, the people and the animals have been the three very important basics for survival in the society. But even with these three things, our state is backward. These tangible assets now have no meaning unless knowledge is there. Bihar is backward and will remain so unless Muslim Community also becomes knowledge based. He urged that without attaining the knowledge, a knowledge based society is not possible and for the knowledge society literacy is a sine qua non.



Three Bihar Ministers on the dias who addressed the seminar

Inaugurating the session, Syed Shah Firdausi, Khanquah Muazzam, Biharsharif said that Islam teaches us to acquire knowledge from wherever it is available and acquisition of knowledge and wisdom are the matter of pride as per Islamic tenets. He said that orphans are not those who lost their parents, but actually those who are deprived of wisdom and knowledge. He added that process of learning through pen and paper is akin to the prayers to God.

Professor M. Mohiuddin, Former Vice Chancellor felt sorry that districts with higher Muslim population have relatively less literacy percentage and said that it was shameful. He stressed the need of female literacy and said that the price of teachers ink is more priceless as

compared to the martyrs' blood and that religion and education should never be mixed. He advocated for concerted efforts to promote female literacy.

Justice Sarwar Ali said that the Muslim Community started becoming backward since the period it started ignoring education. He lamented that there are various religious debates, but education was never on agenda in any of these. He urged that the education should be taken up as a social movement and called for a sustain campaign for spread of education within the community.

The Pir of Bhawanipur Dargah, Muzaffarpur, Mahmood Ahmed stressed that you must achieve knowledge in the language or mother tongue wherever you are. He suggested that if you have to impart education and knowledge to the Muslims, you approach the Imams of the mosques and through them you may perform. He held that unless Maqtabs are established in mosques, there cannot be enhancement in education.



Muslim Ulemas and others in the audience

The state Welfare Minister Mansoor Ahmed held that the community is educationally backward because it is economically weak and expressed happiness over the fact that people give more stress on girls' education than on boys'. He advised the gurdians to ensure if their children go to school to learn and not just to collect the grains per month. He advised that adequate conciousness among the backwards may have to be created for spread of education among them.

Dr. Ali Raza held that the problem of Muslims' backwardness is the problem of humanity and not of a particular community and said that the Britishers have divided our united

community by providing a separate place for the Muslims. If we look to the problem from this angle only then we can serve the community.

The journalist Ali Anwar exorted that we can not develop so long the knowledge and education are kept separate. Professor Allauddin said that the Muslim could not play the desired role in the developmental efforts due to their being educationally backward. He said lack of education brings poverty and backwardness. He said that the available infrastructure be utilised fully.

The Principal of Women's Training College, Razia Tabbasum exorted for teaching three Rs – reading, writing and airthmetic to Muslims and warned that madarsas should not send their students to beg for donations as it painted a negative picture.

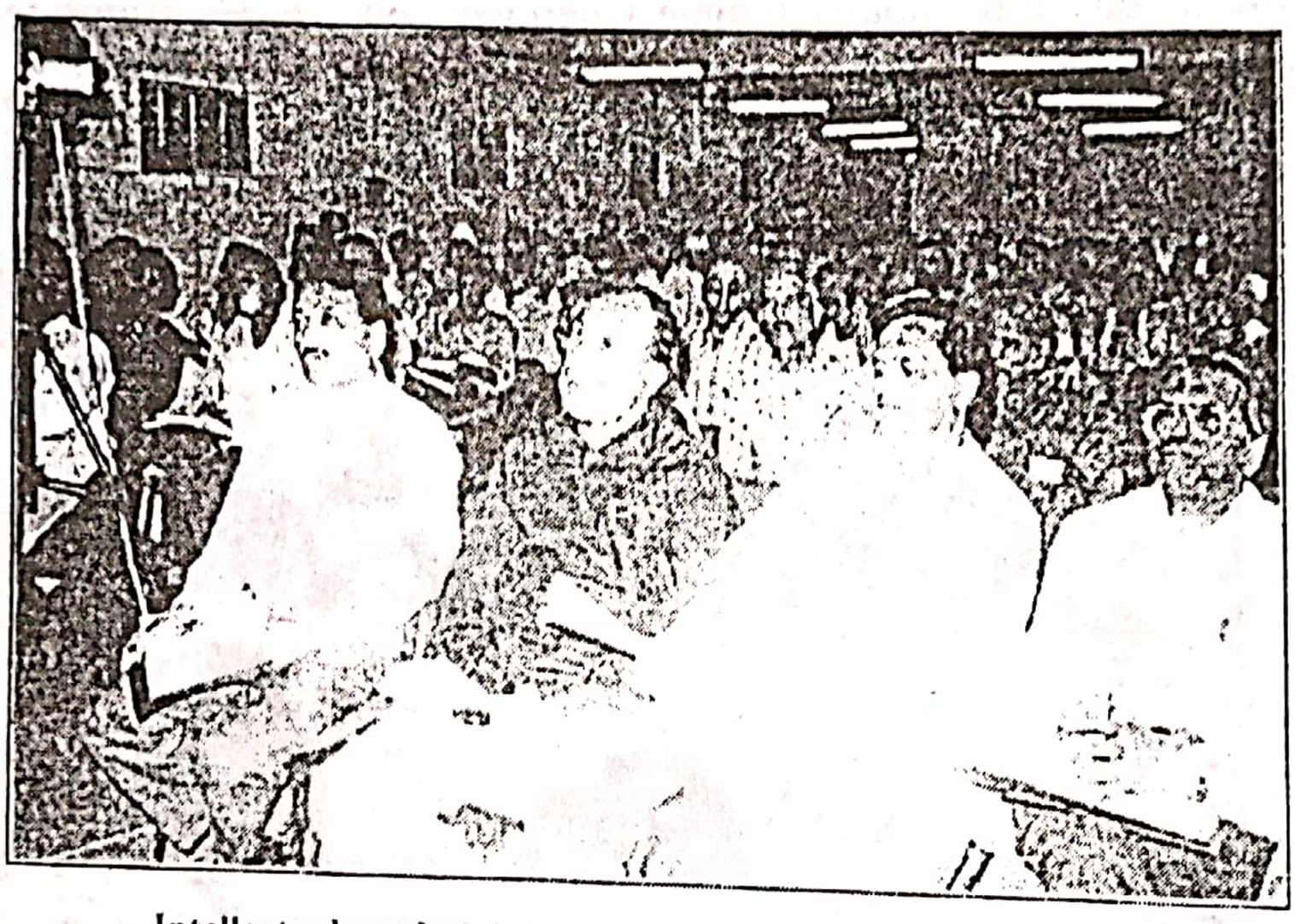

Intellectuals and social activists participating the seminar

Director Mass Education, Shri S. P. Sinha said that the education must attune itself with the change of time. He cited the example of China, which opened hundreds of English learning centres and computer institutions to make rapid strides in the field of education. He exorted that the responsibility of literacy among Muslims should be transferred to the Muslim Community. Total litaracy is possible only through the community participation, he said and advised that if all the females in the society are mae educated, the entire society will automatically become educated.

The Resident Editor of Hindustan Daily Shri Girish Mishra expressed that the Britishers divided Hindus and Muslims and this had deep repurcussions on our society and said that the knowledge society would have no meaning if the existing socio-political conditions were not taken into consideration. He said that Muslims were deprived of education under a well planned scheme of the Britishers who wanted to create a cleavage between Hindus

and Muslims. He exported middle class to take active participation in the campaign to attain the goal of knowledge society. The noted surgeon, Dr. A. A. Hai held that the madarsas should also incorporate modern teachings so that their students get chance in the employment market. He said that the mother tongue should be the medium of education at the primary stage.

Shri N. R. Mohanty, Resident Editor, Hindustan Times, exorted Muslim intellectuals to make an introspection as to why most of them do not come forward to denounce crime and communalism. Dr. Shakeel Ahmed, Minister for Health Education, Bihar said that the Muslims may have to change their mindset and have to work collectively to achieve the goal. In his presidential address, Shri Ram Chandra Purve, Minister for Primary Education and Parliamentary affairs said that education should be our primary agenda and added that in Hadis, there is mention of wisdom and knowledge. He exorted to put social and political pressure to educate the Muslims.

The former Member of Bihar Public Service Commission, Shri Shafi Mashahadi conducted the seminar and said that in rural areas, the poor maulivis imparts education to the Muslim Children by taking their seven days meals in seven houses. This encourages all of us to perform to achieve our objectives.

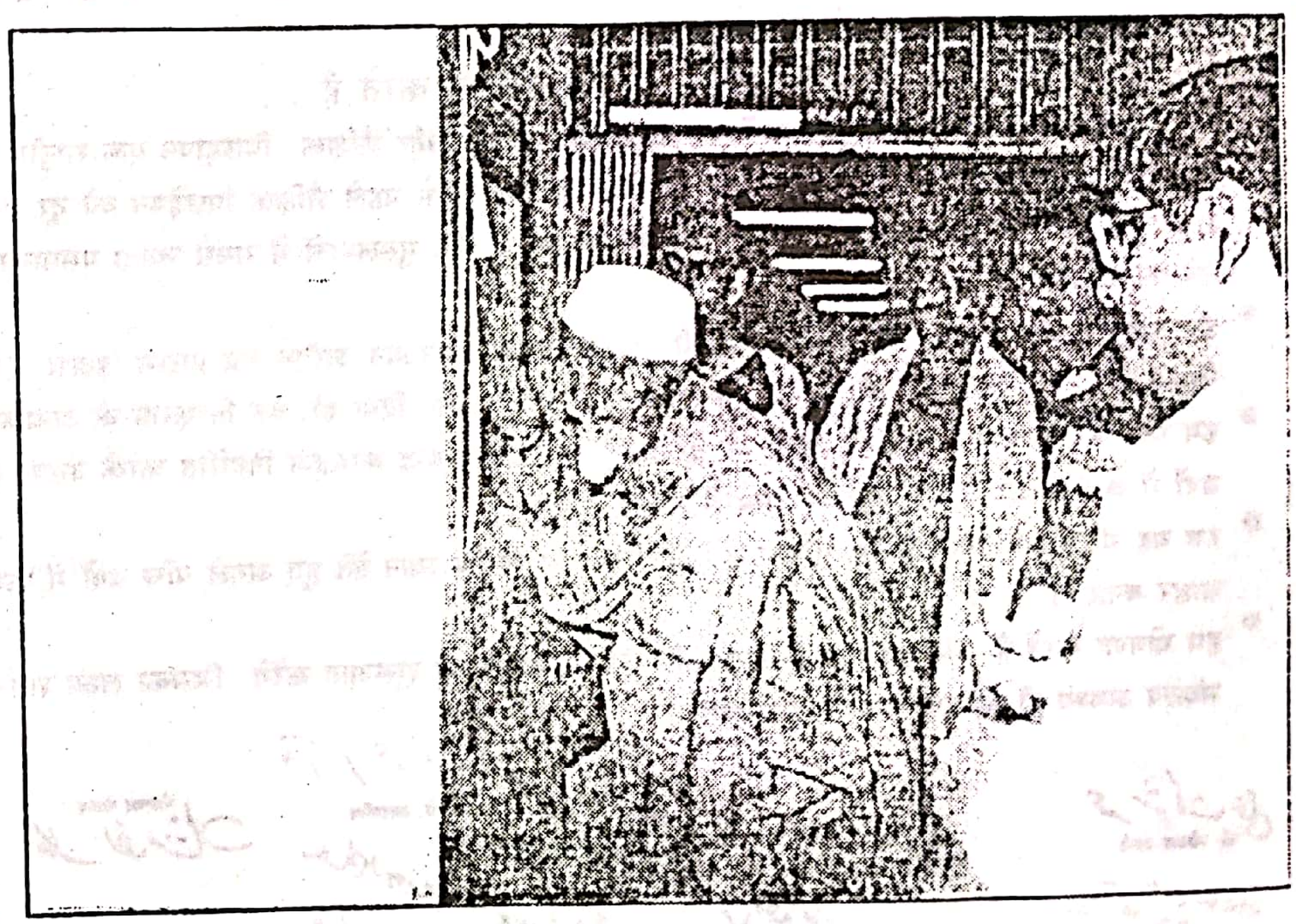

Padmashree Syed Hasan, Founder of Insan School, Kishanganj signing the declaration

The Muslim intellectuals in the end of the session took a solemn pledge to carry forward the torch of learning within the community with special emphasis on female education and modern technological education. A proposal was also passed by the intellectuals in this regard. The seminar concluded with a vote of thanks to the chair.

—X—

आद्री
ادری
ADRI

बिहार अल्पसंख्यक आयोग, जनशिक्षा निदेशालय, बिहार एवं आद्री राज्य संसाधन केंद्र, पटना के संयुक्त तत्वावधान में
"ज्ञानभूलक समाज का निर्माण : मुस्लिम समुदाय की भूमिका" विषय पर १३ मार्च, २००२ को आयोजित सेमिनार के प्रतिभागियों द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव

ہم اعلان کرتے ہیں ....

- ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ مسلمانوں کی سماجی اقتصادی اور تعلیمی پسماندگی ایک قومی مسئلہ ہے اور اسے حل کرنا ہمارا قومی فریضہ ہے۔ اس پسماندگی کو دور کرنے کے لیے سب سے پہلے تعلیمی پسماندگی کو دور کرنا ضروری ہے۔ اس لیے کہ تعلیم کے بغیر ترقی ممکن نہیں ہے۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ مسلمانوں میں سب سے زیادہ پسماندہ ہیں اس لیے ان پر خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔
- ہمیں حیرت اور افسوس ہے کہ جس قوم کی مذہبی کتاب قرآن کریم کا آغاز اقراء (پڑھو) سے ہوا اور جس کے پیغمبر نے ہر مسلم مرد و عورت کی تعلیم کو فرض قرار دیا ہو، وہ ناخواندگی کی تاریکی کی شکار ہے۔
- ہم عزم کرتے ہیں کہ اس اندھیرے کو دور کریں گے، اور منصوبہ بند پروگرام مرتب کر کے اس پر عمل درآمد کریں گے، تاکہ اگلے پانچ برسوں میں کم از کم 90 فی صد مسلم آبادی خواندہ ہو جائے۔
- ہم یہ بھی عہد کرتے ہیں کہ خواتین کی تعلیم پر خصوصی توجہ دیتے ہوئے اگلے پانچ برسوں میں کم از کم 75 فی صد خواتین کو خواندہ بنا دیں گے۔
- ہم اعلان کرتے ہیں کہ ہم ایک ایسے عہد اور ایسی تحریک کا آغاز کریں گے جس کی منزل صد فی صد خواندگی ہے۔ ہمارا یقین محکم ہمیں ضرور منزل سے آشنا کرے گا۔

हम घोषणा करते हैं ....

- हम यह महसूस करते हैं कि मुसलमानों का सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक पिछड़ापन एक राष्ट्रीय समस्या है और इसे दूर करना हमारा राष्ट्रीयदायित्व है। इस पिछड़ेपन को दूर करने के लिए सबसे पहले शैक्षिक पिछड़ेपन को दूर करना आवश्यक है। इसलिए कि शिक्षा के बिना विकास संभव ही नहीं है। यह भी सच्चाई है कि मुसलमानों में सबसे ज्यादा पसमान्दा हैं इसलिए इनपर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।
- हमें आश्चर्य और दुख है कि जिस क़ौम की धार्मिक किताब क़ुरआन शरीफ़ का प्रारम्भ 'इक़रा' (पढ़ो) से हुआ और जिसके पैगम्बर ने हर मुस्लिम मर्द और औरत की शिक्षा को 'फ़र्ज़' करार दिया हो, वह निरक्षरता के अन्धकार में डूबी है।
- हम यह संकल्प करते हैं कि इस अंधेरे को दूर करेंगे, और योजनाबद्ध कार्यक्रम निर्धारित करके उसपर अमल करेंगे ताकि अगले पाँच वर्षों में कम-से-कम 90% मुस्लिम आबादी साक्षर हो जाए।
- हम यह भी संकल्प करते हैं कि महिलाओं की शिक्षा पर विशेष ध्यान देते हुए अगले पाँच वर्षों में कम-से-कम 75% महिलाओं को साक्षर बनाएंगे।
- हम घोषणा करते हैं कि हम एक ऐसे युग और ऐसे आन्दोलन की शुरूआत करेंगे जिसका लक्ष्य शत-प्रतिशत साक्षरता है। हमारा दृढ़ संकल्प अवश्य ही हमें लक्ष्य तक पहुंचाएगा।

बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग

बैरक न.: 7, पुराना सचिवालय

पटना